(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम विधान सभा के षष्ठम् सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या 18

1] [2

सोमवार

दिनांक 14 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी, प्रश्न संख्या 465 ।

नगरपालिका, बालोतरा द्वारा प्रदत्त पट्टे

465. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सन् 1982-83 में नगरपालिका, बालोतरा द्वारा कुल कितने आवासीय भूमि के पट्टे नगरवासियों को दिये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : नगरपालिका, बालोतरा ने 1982-83 में कुल 38 आवासीय भूमि के पट्टे जारी किये हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री **अमराराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बालोतरा में कितने पट्टे देने शेष हैं ? क्या आप उनको जून तक दे देंगे ?

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : पट्टे के मामले में, अध्यक्ष महोदय, जो सर्वे हुआ था उसमें 11 अतिक्रमण पाये गये थे । उनके नियमितीकरण के लिये बालोतरा नगरपालिका ने एक कमेटी बनायी है यह तय करके कि ठीक ढंग से प्लान्ड डवलपमेंट हो सके, इसके लिये प्रयास करेंगे । 142 व्यक्तियों का पंजीकरण हो चुका है । उनमें से 58 व्यक्तियों ने राशि जमा करा दी हैं । जैसा कि पहले निवेदन किया था 38 व्यक्तियों के विक्रय-पत्र का पंजीकरण हो चुका है । जैसा कि आपने जून तक के लिये कहा है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह कहा गया है कि "प्रशासन गांवों की ओर" जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें इस प्रकार के शहरों के अंदर एक अभियान चला कर इस कार्य को शीघ्र ही पूरा किया जायेगा ।...

श्री **अमराराम चौधरी** : क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि पट्टे देने की जो प्रक्रिया है वह बोर्ड में निहित होने के कारण सदस्यों की बैठक कभी कभी नहीं होती है ? इस प्रक्रिया को सरल करने के लिये आप अभियान चला कर काम करना चाहते

(श्री अमराराम चौधरी)
हैं । एस. डी. ओ., चेयरमैन और ए.ई. ओ. को पावर देकर इस पट्टे की जो समस्या बनी हुई है उसको हल करने की क्या आप कोशिश करेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, नियम बनाने हैं। सारे नगरों की समस्याओं को ध्यान में रख कर ही इसका निपटारा किया जायेगा । राजस्थान में 60 हजार के करीब ऐसे प्रश्न विचाराधीन हैं उस हिसाब से ही अभियान चला कर इसका निपटारा किया जायेगा ।

श्री अमराराम चौधरी : राजस्व अभियान की तरह यह अभियान जिला मुख्यालयों पर "जैसे प्रसाशन गांवों की ओर है" कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत शीघ्र किया जायेगा ।

श्री अमराराम चौधरी : कोई निश्चित तारीख बता दीजिये ।

प्रश्न संख्या 466

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । प्रश्न संख्या 466। माननीय सदस्य अस्वस्थ हैं, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है ।

प्रश्न संख्या 467

अगला प्रश्न । श्री घनश्याम जैन ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ । प्रश्न सं. 468 ।

सुमेरपुर (पाली) के चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य

468. श्री गोकुल चन्द्र शर्मा :(सुमेरपुर), श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनता पार्टी के शासन में सुमेरपुर (पाली) में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा चिकित्सालय भवन का शिलान्यास किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय के भवन हेतु श्री शेरनाथ, डिप्टी डी. डी. ओ. की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा चन्दा एकीकृत किया गया था ? यदि हां, तो चन्दे की कितनी राशि इकट्ठी की गई एवं उसका लेखा-जोखा किस के द्वारा रखा गया ?

(3) अब तक कितना भवन बन कर तैयार हो गया व कितनी राशि खर्च की गई है?

(4) यह भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा व इस पर कितनी राशि और व्यय होगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है । श्री शेरनाथ, डिप्टी डी. डी ओ. की अध्यक्षता में इस हेतु कोई कमेटी गठित नहीं की गई थी । श्री शेरनाथजी राजस्थान मेडिकल सोसायटी एण्ड रिसर्च सेंटर के सचिव हैं । भगवान महावीर अस्पताल निर्माण हेतु उन्होंने स्वयं ने कोई चन्दा इकट्ठा नहीं किया । समिति के समस्त सदस्यों द्वारा इस पवित्र कार्य हेतु दान प्राप्त किया गया था, जिसका लेखा-जोखा समिति द्वारा रखा गया । मार्च,

(श्री **खेतसिंह राठौड़**)
1982 तक 5 लाख 90 हजार 364 रुपये दान में प्राप्त हुए।

(3) भवन लिंटन लेवल पर निर्माणाधीन है तथा भूमि व भवन निर्माण कार्य पर मार्च, 1982 तक दान में प्राप्त राशि लगभग पूरी व्यय हो चुकी है।

(4) यह भवन वर्ष 1984 तक निर्मित होने की संभावना है तथा इस पर अनुमानतः 15 से 20 लाख रुपये तक खर्च होने का अनुमान है।

श्री **गोकुलचन्द्र शर्मा**: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (2) में मंत्री महोदय ने बताया कि श्री शेरनाथ की अध्यक्षता में कोई समिति गठित नहीं की गयी है यह सही नहीं है। श्री शेरनाथजी के प्रयत्नों से ही इस अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। उनकी अध्यक्षता में ही 98 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। क्या यह सही है कि इस धनराशि का आश्वासन प्राप्त हुआ था, जिसमें से कुछ पैसा प्राप्त हो गया है, उस पैसे को काम में नहीं लिया गया और अभी तक काम अधूरा पड़ा हुआ है।

दूसरा प्रश्न यह है कि इस काम को पूरा करने के लिये मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 15-20 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। परन्तु इसकी जो प्रस्तावित योजना थी, उसमें तीन करोड़ रुपया खर्च होने का प्रस्ताव था।

प्रश्न के भाग (3) में यह बताया गया है कि यह भवन लिंटन लेवल पर निर्माणाधीन है यह सही नहीं है। फाउण्डेशन पर ही काम चल रहा है। अतः यह कब तक पूरा किया जा सकेगा, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री **खेतसिंह राठौड़**: अध्यक्ष महोदय, यह भवन निर्माण का कार्य राज्य सरकार से ताल्लुक नहीं रखता है। बिल्डिंग बनाने और अस्पताल शुरू करने की जिम्मेदारी उनकी ही है। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पुस्तिका छपवायी है जिसमें लिखा गया है कि भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक भवन निर्माण समिति का गठन किया गया है उसमें सर्वश्री जौहरीलाल जैन, राजमल जैन, महावीर प्रसाद, रामगोपाल अग्रवाल, शान्तिलाल, शेरनाथ, मिश्रीलाल ये इतने मेम्बर हैं। अब इसमें आपको कोई सन्देह हो कि श्री शेरनाथ ने जो पैसा एकत्रित किया, वह पैसा जमा नहीं कराया, तो आप मेहरबानी करके लिखित में इसकी शिकायत कीजिये ताकि इसकी जांच करवा ली जाये।

श्री **गोकुलचन्द्र शर्मा**: क्या यह सही है कि भवन निर्माण की जो संस्था है, जिसने यह कार्य शुरू किया है, जिसने तत्कालीन सरकार के राष्ट्रपति महोदय को शिलान्यास के लिये बुलाया था, उसमें सरकार के अधिकारी शामिल थे? जिस समिति का गठन किया गया है, उसमें जिन-जिन व्यक्तियों के नाम मंत्री महोदय ने बताये हैं, उसकी अध्यक्षता जिलाधीश पाली ने की है। मेरा तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की संस्था होती है, वह इस प्रकार चंदा इकट्ठा करती है उसमें हमारी सरकार के अधिकारी, जिलाधीश शामिल हों तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार की

(श्री गोकुलचन्द्र शर्मा)
संस्थाओं के अंदर आप अपने जिलाधीश या और किसी अधिकारी को मनोनीत करके इस काम को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें डिपार्टमेंन्ट की ओर से किसी अधिकारी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जनता सरकार के समय राष्ट्रपति महोदय को सुमेरपुर ले जाया गया था और उनसे शिलान्यास कराया गया था। इसीलिये यह बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिये कि जिस सोसायटी ने चंदा इकट्ठा किया, क्या उस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है । रिसर्च सेन्टर की जो नेक्स्ट मीटिंग आयोजित की गयी है उसमें निम्नलिखित सदस्य हैं···

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठायें । चंदा इकट्ठा करने, सार्वजनिक भवन आदि के बारे में कानून बना हुआ है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि अगर आप पूछेंगे तो सभी विवरण आ सकता है । इसलिये मेरे ख्याल से इस प्रश्न को यहां पर समाप्त करते हैं । मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि जैसा निवेदन किया उसी प्रकार से कार्यवाही करें । अधिक सूचना इस प्रश्न से तो नहीं आ सकती है ।

प्रश्न संख्या 469

अगला प्रश्न । श्री चाव खां ।

(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न । श्री चुन्नीलाल जेलिया ।

तहसील खण्डार की डांग हिन्दाला में पशु चराई व्यवस्था

470. **श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार):** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील खण्डार की डांग हिन्दाला में पूर्व में पशु जंगल में खुले ही चराई करते थे, जिन पर किसी प्रकार की सरकारी पाबन्दी नहीं थी ?

(2) क्या सरकार द्वारा दो-तीन वर्ष से इस डांग में पशुओं की चराई पर पाबन्दी लगा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या अब क्षेत्रीय निदेशक, सवाई माधोपुर द्वारा प्रति पशु 50/- रुपये प्रति वर्ष शुल्क लिया जाकर जंगल में चराई करवाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और क्या इससे जंगल बरबाद नहीं होगा ?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर): (1) जी हां ।

(2) जी हां, क्योंकि राज्यादेश संख्या एफ 11 (26)/राज-8/80, दिनांक 11-1-80 द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, जिसमें वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (7) के अन्तर्गत चराई पर पूर्ण प्रतिबंध है ।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(3) जी नहीं । इस संबंध में जब तक शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : अध्यक्ष महोदय, तहसील खण्डार की बात है । यह जो एरिया शामिल किया गया है उसमें चार पांच गांवों के पशु हजारों वर्षों से चरते आ रहे थे । दो-तीन वर्षो से इन गांवों के लिये चराई पर पाबन्दी लगा दी है ।

पहले उपरोक्त एरिया इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं था । आज भी उसी एरिया के अन्दर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 50–50- रु. पशुपालकों से लेकर पशुओं को चरने देते हैं । यह अन्यत्र चराई के गांवों के पशुपालकों से लिये जाते हैं । इस बाबत शिकायत बराबर राज्य सरकार से, जिलाधीश से की गयी है, उसका क्या हुआ ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 1974 में रणथम्भौर को अभयारण्य घोषित किया गया है । 392.20 वर्ग किलोमीटर को दो भागों में बांटा था– एक तो बफर एरिया और दूसरा बागोरिया एरिया । 1974 में बफर एरिया में चराई की जाती थी परन्तु 11-1-80 को पूरे 392.20 वर्ग किलोमीटर को नेशनल पार्क घोषित करने के बाद जो गांव बच रहे थे वे भी इसकी परिधि में आ गये । चराई 11-1-80 से बंद कर दी गयी है ।

दूसरी बात जो 50/- रु लेने की कही गयी है उसका मैं जवाब दे चुका हूं कि इस संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुयीं उनके आधार पर 32 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की है और कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जैसा कि आपने बताया कि इस एरिया को नेशनल पार्क की सीमा में मिला दिया गया है तो क्या यह सही कि जिस समय इस एरिया को नेशनल पार्क की सीमा में मिलाया गया था उस वक्त जनता को इस प्रकार की सूचना दी गयी थी ? जनता को यह पूर्व में पता था या नहीं ? क्या यह सही है कि 10-1-80 को जो चराई कराते थे अब उनकी चराई के लिये राज्य सरकार ने कहीं अन्यत्र चराई की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्या कोई व्यवस्था करने का इरादा है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जैसा कि पूर्व में बताया, 11-1-80 को यह राष्ट्रीय पार्क घोषित हुआ उससे पहले ही राज्य सरकार ने इसका नोटिफिकेशन निकाला और कलेक्टर को जांच के लिये कहा था । उसमें कोई आपत्ति नहीं आयी ।

दूसरी जो इन्तजाम की बात कही है वह इस प्रश्न में नहीं पूछी है । अगर कोई व्यवस्था की होगी तो मैं आपको सूचना भिजवा दूंगा ।

श्री हंसराज शर्मा : जैसा कि आपने कहा, इसमें कलेक्टर को कह दिया गया था तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस समय आपने यह घोषणा की और कलेक्टर से जांच कराई उस समय आम जनता को भी कोई पेम्फलेट या पोस्टर आदि से सूचना दी गयी

(श्री हंसराज शर्मा)

थी जिसके आधार पर वे अपना आब्जेक्शन देते ?

क्या यह भी सही है कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उस कागज को अपने पास ही रख लिया गया था, जिसकी वजह से आब्जेक्शन नहीं आये ?

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : इसकी जांच करा लूंगा।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपने पापड़ा क्लोजर को भी इस योजना में लिया है ? इन्द्रगढ़ अकाल घोषित इलाका है वहां पर कोई अन्य व्यवस्था नहीं की जा रही है, डिपो भी नहीं खोला गया है, इसकी व्यवस्था नहीं है तो क्या आप अकाल की स्थिति को देखते हुए वहां पर चराई की व्यवस्था करेंगे ?

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : अलग से प्रश्न है। इसकी जानकारी करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री **चुन्नीलाल जेलिया** : उस एरिया को आपने प्रोजेक्ट एरिया में सम्मिलित किया है तो चराई की कोई अन्य व्यवस्था करने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : किसी प्रकार की अन्यत्र व्यवस्था का अभी सरकार का विचार नहीं है।

श्री **चुन्नीलाल जेलिया** : तो क्या आपका उनके पशुओं को भूखा मारने का विचार है ?

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री उम्मेदसिंह।

पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा तालाब खुदवाने का दिया गया ठेका

471. श्री **उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना ने मेला भूमि पर तालाब खुदवाने का ठेका दिया था, जिसको कि जिलाधीश, नागौर ने निरस्त कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, नागौर द्वारा ठेका निरस्त किये जाने के पश्चात् भी प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके तालाब खुदवाने का कार्य अनियमित ढंग से चालू रखा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां। पंचायत समिति ने तालाब खुदवाने के लिये ठेका दिया था पर जिलाधीश नागौर, ने पंचायत समिति के माध्यम से कार्य करने के आदेश दिये थे।

(2) जिलाधीश, नागौर द्वारा ठेका निरस्त नहीं किया गया किन्तु उक्त तालाब की खुदाई का कार्य पंचायत समिति डीडवाना के माध्यम से कराये जाने के आदेश दिनांक 2-6-82 को दिये थे किन्तु उक्त आदेश के पूर्व ही पंचायत समिति द्वारा तालाब की खुदाई का ठेका दे दिया गया था। चूंकि ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ कर सामग्री कार्यस्थल पर एकत्रित कर ली थी तथा वर्षा

(श्री शोभाराम ग्रोला)
का मौसम एवं मेला भरने का समय नजदीक आ गया था। ठेकेदार से कार्य करवाने का निर्णय पंचायत समिति द्वारा लिया गया। मामला राज्य सरकार के ध्यान में अभी लाया गया है जिसकी जांच करवा ली जायेगी। यदि प्रधान द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना जांच से साबित होगा, तो आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

श्री उम्मेदसिंह : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल :

अजमेर शहर की विदेशी मदिरा की दुकानों हेतु खोले गये टेण्डर

472. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा की अजमेर शहर की 14 दुकानों के ग्रुप हेतु आमंत्रित टेण्डर दिनांक 28-1-1983 को खोले गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि दुकानों के ग्रुप एवं खुदरा दुकानों के लिये प्राप्त टेण्डरों में 14 दुकानों के ग्रुप के लिये पहला श्री रामेश्वर एण्ड पार्टी, बंगला नं. 2 पलटन बाजार, अजमेर का एक करोड़ तेइस लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये उसके अधिकृत श्री जयसिंह ठेकेदार द्वारा और दूसरा श्री अश्विनी कुमार एण्ड पार्टी, कचहरी रोड, अजमेर का एक करोड़ बारह लाख रुपये का था ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रथम टेण्डरदाता के विस्तृत विवरण के पैरा 3 के अनुसार धरोहर राशि जमा कराने की मियाद की अवधि एक सप्ताह बढ़ा देने के लिखित आग्रह करने पर उसमें व द्वितीय टेण्डरदाता के बीच जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने समझौता कराया और तत्पश्चात् प्रथम टेण्डरदाता का टेण्डर अस्वीकार मानकर नेगोसियेशन के नाटक से दूसरे टेण्डरदाता का प्रथम टेण्डरदाता के साझे में टेण्डर स्वीकृत किया एवं तदनुसार एग्रीमेंट किया ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस टेण्डर स्वीकृति के प्रकरण में राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से तेइस लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है ?

(5) कृपया प्रथम एवं द्वितीय टेण्डरदाता द्वारा प्रस्तुत भरे हुए टेण्डर फार्म एवं स्वीकृति के बाद के एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है कि रामेश्वर एण्ड पार्टी प्रथम टेण्डरर थी। परन्तु यह सही है कि अजमेर ग्रुप की 14 दुकानों के लिये प्राप्त प्रथम टेण्डर की राशि एक करोड़ तेइस लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये ग्यारह पैसे की थी। श्री जयसिंह उसका अधिकृत ठेकेदार है या नहीं, टेण्डर में उसका कोई उल्लेख नहीं है। यह सही है कि दूसरा टेण्डर अश्विनी कुमार एण्ड पार्टी कचहरी रोड, अजमेर का एक करोड़ बाइस लाख बाइस हजार दो सौ बाइस रुपये इकसठ पैसे का था।

(3) जी नहीं। इन दुकानों के लिये केवल दो ही टेण्डर प्राप्त हुये थे।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
प्रथम टेण्डरदाता ने नियमानुसार रकम जमा नहीं कराई थी इसलिये केवल दूसरा टेण्डर-दाता ही रह गया था उससे नेगोसियेशन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) टेण्डरदाता द्वारा भरे हुए टेण्डर फार्म एवं स्वीकृति के बाद के एग्रीमेंट की सत्यप्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरे पास उत्तर आया है उसमें एग्रीमेंट की प्रति ही नहीं है। जब वह ही नहीं है तो मेरे इस प्रश्न को पूछने की जो मंशा है वह पूरी होती है। मैं उसके बिना कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं। मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि कोई नेगोसिएशन का प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मंत्री महोदय पता नहीं किस टोन में जवाब दे रहे हैं। आबकारी विभाग राजस्थान का एक विस्तृत विभाग है। नियमों में स्पष्ट लिखा है कि अगर एग्रीमेंट में उच्चतम टेंडर किन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं किया जाता है तो दूसरा उच्चतम टेंडर स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में, शेष टेंडर-दाता से नेगोसियेशन करके अधिक राशि प्राप्त कर अनुज्ञा पत्र स्वीकार करवाने की कोशिश करना नहीं चाहते, वह बात अलग थी, लेकिन नेगोसिएशन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, यह बात कहना नियमों के विपरीत है। इस तरह से 23 लाख का घाटा राज्य सरकार को दिया गया है, यह मेरा आरोप है। अगर एग्रीमेंट, जिस पार्टी का नाम लिखा है, उसी के साथ होता तो शायद मैं आरोप भी नहीं लगाना चाहता। लेकिन एग्रीमेंट जिसके साथ हुआ है, वह पार्टी दूसरी है, इस पार्टी के साझे में थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एग्रीमेंट की प्रति दिला दें। उसके बिना मैं पूरक प्रश्न पूछने में असमर्थ हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगा। सम्मानीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि दो टेंडर आये नियमों के अन्दर 70 प्रतिशत राशि तीन दिन के भीतर जमा करनी थी, वह नहीं करायी। ऑटोमेटिकली, सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि दूसरी पार्टी को टेंडर देती। मैं तो इसमें कोई अनियमितता नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने एक नियम का हवाला दिया है ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस नियम के तहत टेंडर मांगे गये थे। उसके हिसाब से राज्य सरकार ने यह तय किया था और 1 करोड़ 5 लाख की राशि मांगी थी। जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया, एक करोड़ बारह लाख दो सौ बाइस रुपये इकसठ पैसे का दूसरा टेंडर आया। एक टेंडरर ने 5 लाख रुपये, अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा कराये लेकिन 70 प्रतिशत राशि जमा नहीं करायी। तो नेगोसिएशन किससे करते। दो पार्टी हैं, एक पार्टी गायब हो गयी अपने 5 लाख रुपए फोरफिट करवा कर।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी कहा कि एग्रीमेंट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। उस एग्रीमेंट की प्रति मैं चाहता हूं, अगर उसमें दूसरी पार्टी, जैसा इन्होंने स्वीकार किया है, वह

(श्री कैलाश मेघवाल)
है तो मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर वह नहीं है तो, माननीय मंत्री महोदय, इसमें 5 लाख रुपये खाकर के 23 लाख का राज्य सरकार को घाटा दिया गया है। इसकी प्रति आप देते क्यों नहीं? आबकारी का है···

श्री श्रीराम गोटेवाला : सम्माननीय सदस्य, पता नहीं किस उत्तेजना में आरोप लगा रहे हैं······

श्री कैलाश मेघवाल : आपने कहा एग्रीमेंट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है देते क्यों नहीं उसको ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था, माननीय सदस्य स्वयं बहुत विद्वान आदमी है, पहले मंत्री रह चुके हैं, इनको पता है, इन्होंने जो 23 लाख का फर्माया कि 23 लाख का स्टेट ट्रेजरी को नुकसान हो रहा है। मैंने दोनों टेण्डरों की रकम आपकी सेवा के अन्दर पेश की है। मैंने बताया है कि उसके हिसाब से 12 लाख का अन्तर पड़ता है। 12 लाख में से 5 लाख फोरफिट हो गये। 5 लाख का निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, यह मैं स्वीकार करता हूं। मेरी समझ में नहीं आया, 2 पार्टियां हैं एक पार्टी 5 लाख फोरफिट करवाई गयी तो दूसरी पार्टी को देने के सिवाय स्टेट गवर्नमेण्ट के पास कोई विकल्प नहीं था जिस विकल्प को स्वीकार करती। किससे नैगोसिएशन करते?

श्री कैलाश मेघवाल : बिल्कुल असत्य कथन है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत अफसोस है, जैसा हिसाब आपने बताया वह इतना आसान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह 5 लाख का फर्क नहीं है। एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि यही टेण्डर 84–85 में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ स्वीकार माने गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 लाख का घाटा प्रामाणिक रूप से बताना चाहता हूं। इस तरह सदन में असत्य हिसाब बताकर किस बुद्धि का परिचय देना चाहते हैं। आप सुन लीजिए। 2 साल के लिए टेण्डर मांगे, इस साल स्वीकार होने के बाद 1984–85 में भी 10 प्रतिशत वृद्धि कर स्वीकार हो जायेगा। 1 करोड़ 23 लाख में से एक करोड़ 12 लाख का मंजूर किया। ग्यारह लाख का घाटा और अगले साल 1 करोड़ 23 लाख के ऊपर 10 प्रतिशत का···

श्री अध्यक्ष : लेकिन, वह व्यक्ति तो फिसल गया।

श्री कैलाश मेघवाल : फिसला नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो मुझे एग्रीमेण्ट की एक प्रति···

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : टेण्डर हुआ, टेण्डर की एक्सेप्टेन्स हुई। मैं आप से निवेदन करता हूं कि प्रश्न ही दूसरे प्रकार का है। आप फर्मा रहे हैं कि नैगोसिएशन करना चाहिए था। नैगोसिएशन किससे करते दो ही पार्टी हैं। सम्माननीय सदस्य को भी पता है कि···

श्री कैलाश मेघवाल : असलियत मालूम है, इसीलिए किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ··2 टेण्डर आये। एक, एक करोड़ तेइस लाख का है और

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
दूसरा एक करोड़ बारह लाख का था। एक पार्टी गायब हो गयी। 6 लाख फोर-फिट करवा लिये। 70 प्रतिशत जमा कराना था, वह उसने नहीं कराया, इसके बाद में सिवाय इसके सरकार के पास दूसरा कौनसा अल्टरनेटिव था, जिसको स्वीकार करती।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि एग्रीमेण्ट की कॉपी सदन की मेज पर रख दी गयी है लेकिन वह सदन की मेज पर नहीं आयी है। अगर माननीय सदस्य को एग्रीमेंट का पता नहीं होगा तो प्रश्न का मतलब क्या है। मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित कर दें। एग्रीमेण्ट की कॉपी सर्व हो जाये, यह आप निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 473

अगला प्रश्न। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 474

अगला प्रश्न। श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री तेजपाल यादव।

कृषकों को घटिया बीज वितरण की क्षतिपूर्ति

475. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा गत तीन वर्षों में किस-किस राज्य के बीज निगमों व प्राइवेट फर्मों से कितना-कितना बीज किस-किस भाव से खरीदा गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसी शिकायतें हैं कि निगम द्वारा खरीदा गया बीज घटिया किस्म का था? क्या सरकार को जानकारी है कि निगम द्वारा किसानों को खराब बीज वितरित किये जाने से किसानों को हानि हुई है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को हानि की क्षतिपूर्ति के लिए निगम को बाध्य करेगी?

राज्य मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला): (1) वांछित सूचना संलग्न तालिका में निहित है।

(2) ऐसी शिकायतें गत वर्ष केवल ज्वार के बीज के सम्बन्ध में ही प्राप्त हुई हैं।

(3) यह विचाराधीन है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री तेजपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, एक तो सूची नहीं मिली है। दूसरे, आपने कहा, गेहूं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मैंने स्वयं शिकायत की थी जिसकी जांच अधिकारी ने जांच करके बीज पकड़ा है और बीज वापस उठाकर कॉरपोरेशन को लौटाया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बीज

(श्री तेजपाल यादव)
विक्रय अधिकारी उसके खिलाफ जांच करके आये थे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन द्वारा बीज वितरण किसानों के हित के लिए किया जाता है । गत वर्ष 1982–83 में केवल ज्वार के बीज के बारे में शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी। उसके अन्तर्गत विभाग ने 2016 क्विंटल बीज अमानक घोषित किया और काश्तकारों को तुरन्त बीज बदल कर दे दिया ।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, एक साल की बात नहीं पूछी गई है तीन साल की बात पूछी गई है । मेरे क्षेत्र में गेहूं के बीज की शिकायत हुई है और उसकी जांच भी हुई है । आप कह रहे हैं कि विभाग को शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर): क्या यह बात सच है कि जो बीज बोया गया वह कतई पैदा नहीं हुआ ?

श्री तेजपाल यादव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसानों को खराब बीज दिया गया इसके कारण इन्हें हानि हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने क्षेत्र का हवाला नहीं दिया है प्रश्न में। आपने एक सामान्य प्रश्न पूछा था ।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक उदाहरण दिया है मंत्री महोदय यह कहते हैं कि शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई । शिकायत हुई है । गेहूं और जौ के बीज की शिकायत हुई है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गेहूं के बीज के बारे में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई केवल ज्वार के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या यह सही है कि कोटा जिले की मांगरोल तहसील में किसानों को आर. 1555 बीज दिया गया था उसकी शिकायत कमिश्नर को भी की थी ? उसके बारे में बताने की कृपा करें ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि पिछले तीन सालों के अन्दर ज्वार, बाजरा और गेहूं तथा सभी प्रकार के बीजों के बारे में मैंने विधान सभा के अन्दर स्थगन-प्रस्ताव के जरिये और प्रश्नों के जरिये मामला उठाया था उसके सम्बन्ध में क्या जांच की गई ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में सूचित किया कि 1980-81 1981-82 एवं 1982-83 में बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, तिल, चौवला, कपास, ग्वार, गेहूं, जौ, चना एवं सरसों के प्रमाणित बीज की मांग हुई । कुल मांग को ध्यान में रखते हुये अधिक मांग की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य फार्म विकास निगम, आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज निगम, हरियाणा भूमि विकास निगम, मध्य प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन एवं व्यक्तिगत फर्मों से विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों को क्रय कर किसानों में वितरण किया, इस संदर्भ में....

श्री **महाराम चौधरी** : यह बात तो ठीक है....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री **बुलाकीदास कल्ला** : इस संदर्भ में जैसा मैंने, अध्यक्ष महोदय, आपको शुरू में निवेदन किया 1982-83 में ज्वार के बीज के बारे में शिकायत प्राप्त हुई । शिकायत के आधार पर उसको दुर्गापुरा लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया । 2016 क्विंटल ज्वार अमानत घोषित कर दी गई । उसकी वितरण प्रणाली रोक दी गई । जिन-जिन की शिकायतें आई थीं उनको तुरन्त बीज बदल कर दे दिया गया । इसके अलावा विभाग के पास कोई शिकायत नहीं आई...

(व्यवधान)

श्री **हीरालाल आर्य** : कोटा जिले की मांगरोल तहसील के बारे में...

श्री **अध्यक्ष** : मैं इजाजत नहीं दूंगा । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । अगला प्रश्न । कई बार सदन के समक्ष यह प्रश्न आ चुका है.....

(व्यवधान)

अगला प्रश्न पुकार लिया गया है । आसन पैरों पर है....

(व्यवधान)

बैठ जायं, माननीय सदस्य । आडर प्लीज । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री **हीरालाल आर्य** : ×××

श्री **रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : ×××

श्री **महाराम चौधरी** : ×××

श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : ×××

श्री **त्रिलोकसिंह** : ×××

श्री **अध्यक्ष** : मैं इजाजत नहीं दूंगा । आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीज वाला प्रश्न कई तरीकों से, कई बार सदन के समक्ष आ चुका है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह किसी विशेष क्षेत्र अथवा किसी विशेष अनाज के बीज से सम्बन्धित नहीं है दो रोज पहले ही कृषि विभाग की मांग के अवसर पर इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा समाप्त की जाय। इसके बाद जहां तक कुछ माननीय सदस्यों को शिकायत का सम्बन्ध है, बीज की शिकायत किसी सदस्य के क्षेत्र में हो सकती है, सभी स्थानों में भी शिकायतें हो सकती हैं, इसलिये इस प्रश्न के माध्यम से कोई हल नहीं निकल सकता है। यहां जो चर्चा हो सकती है वह जो प्रश्न दिया गया है उसके सीमित दायरे में हो सकती है इसलिये एक विषय के साथ अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों को शिकायत हो,

---

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

वह अन्य किसी तरीके से सदन के समक्ष लाने की कृपा करें। प्रश्नों के बारे में हमारी व्यवस्था यह है कि प्रश्नकर्त्ता पूरक प्रश्न पूछ सकते है। सभी माननीय सदस्यों को इजाजत नहीं देते हैं। क्योंकि गंगा वह रही है, किसानों का विषय आ गया है, सभी माननीय सदस्य हाथ धोना चाहते हैं उसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा····

श्री **महाराम चौधरी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं····

श्री **अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, अन्य किसी तरीके से उठाये। कृपया बैठ जायं। कृपया सहयोग दें। सब का जवाब आ गया है। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 476

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे प्रश्न करने की इजाजत दे दी है।

श्री **अध्यक्ष** : अनुमति दी जाती है।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर का औषधि बजट

477. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) [श्री **भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) की अनुपस्थिति में] : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के लिये वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कितना बजट था? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अस्पताल में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में जनवरी तक असहायों, कर्मचारियों व राजपत्रित अधिकारियों तथा फ्री मेडिकल एड में दवा आदि पर कुल कितनी राशि व्यय हुई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) 1981-82 व 1982-83 के बजट का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) 1981-82 में 15,20,124.92 एवं 1982-83 में जनवरी, 1983 तक 15,59,372.55 रुपये की कुल राशि व्यय की गई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री **कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस उद्देश्य से पूछा गया है कि कितने असहाय कर्मचारियों व राजपत्रित अधिकारियों को फ्री मेडिकल एड देने में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कितनी राशि व्यय हुई? यह बता दीजिये। प्रश्न के भाग (2) में···

श्री **खेतसिंह राठौड़** : जी हां, वही मैंने बताई है। 15 लाख रुपये खर्च किये हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया है। एक करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा।

(१४)

टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में पशुओं एवं मालिकों के चालान

478. श्री **हंसराज आर्य** (सवाई माधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में कोई पशु चला जाता है तो उसका व उसके मालिक का चालान किया जाता है? यदि हां, तो जनवरी, 1981 से जनवरी, 1983 तक कुल कितने जानवरों व उनके मालिकों का चालान किया गया है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : जी हां, यह कानूनी अपराध है। जनवरी, 1981 से जनवरी, 1983 तक कुल 144 पशुमालिकों तथा 2463 पशुओं का चालान किया गया। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री **हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 144 जिन पशुमालिकों का चालान किया गया उनके जंगलात के लोगों को भी जमानत लेने का अधिकार है या नहीं? यदि अधिकार है तो उनको अदालत में क्यों पेश किया गया?

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, जो 144 आदमियों पर केसेज लगाये गये, वह पुलिस में पेश किये गये हैं। पुलिस ने जमानत क्यों नहीं ली इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री **हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग में कई पशु पकड़े जाते हैं तो वन विभाग के अधिकारियों को ही जमानत लेने का अधिकार है परन्तु...

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, जो 144 आदमियों के केसेज बताये हैं, उनमें पशुओं के अलावा मारपीट करने के भी केसेज हैं।

श्री **अध्यक्ष** : इस तरह के मामलों में जमानत समय पर लेते है या नहीं?

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के पीटने के मामले भी थे।

श्री **हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, 144 केसेज में वन विभाग के कर्मचारियों के पीटने के भी हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि वन विभाग के कर्मचारियों में झगड़ा हुआ, उस झगड़े की वजह से पशुओं को नहीं पकड़ करके उनको माता के मन्दिर में ले जाकर पीटा गया?

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग केसेज हैं।

श्री **अध्यक्ष** : इसके साथ-साथ फौजदारी भी हुई है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : नियम तो बतावें, मंत्री महोदय।

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : नियम तो उन्होंने कह दिया, उनको भी अधिकार है। मारपीट हो जाती है तो दंड संहिता के अन्दर चालान होता है। प्रत्येक अपराध के बारे में तो जानकारी चाही नहीं गई है। 144 केसेज में चालान के बारे में सामूहिक जानकारी दे दी।

श्री मेघराज तावड़ :(गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, अपराध 144 लोगों ने किया, मंत्री महोदय, यह बताने कि कृपा करें कि कितने लोगों ने मारपीट की और उनके चालान कोर्ट में पेश किये गये ?

श्री अध्यक्ष : यह पूछा नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 25-8-81 को 200 भैंसे पकड़ने के बाद उनके मालिकों का कोर्ट में चालान किया गया, उसी दिन यानी 15-8-81 को।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये, ऐसा है कि सब 144 केसेज में फौजदारी हुई हो, बात सही नहीं है। किन्हीं केसेज की शिकायत हो, किसी केस में ज्यादती हुई है या जो कानूनी अधिकार है उससे बढ़कर अन्याय किया है तो उन केसेज को अलग तरीके से लावें। इस माध्यम से यह सम्भव नहीं है। प्रत्येक केस की विस्तृत जानकारी मंत्री महोदय के पास उपलब्ध नहीं है। अब पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न। 30-7-81 को जो 600 भैंसे पकड़ी गई और पशुमालिकों को भी पकड़ा और फिर भी उनका चालान कोर्ट में किया गया....

श्री अध्यक्ष : आप जो फरमाते हैं सही हो सकता है। कोई जमानत देने वाला नहीं आया हो, कोई पर्टिक्यूलर केसे हो तो किसी अन्य माध्यम से उठावें। आपका जो दर्द है वह मैं समझ गया, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। सभी केसेज के बारे में मत पूछिये। 4, 5, 6 केसेज की विस्तृत सूचना किसी अन्य माध्यम से ले सकते हैं।

प्रश्न संख्या 479

अगला प्रश्न, श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरा लाल आर्य।

ग्राम पंचायत इटावा को नगरपालिका बनाना

480. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की ग्राम पंचायत इटावा में ग्राम आडौल, खोड़ाबदा, डोली तथा डडवाड़ा को मिलाकर उसे नगरपालिका बनाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) क्या सरकार जनहित को देखते हुए इटावा ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तन करने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी हां।

(2) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इटावा बहुत बड़ा कस्बा है, वहां की आवश्यकता को देखते हुए एक भी नगरपालिका नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां नगरपालिका बनाई जावे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक तो है इन्द्रगढ़ में।

श्री हीरालाल आर्य : मैं इटावा पंचायत समिति की बात कर रहा हूं।

(श्री हीरालाल आर्य)

उसमें एक भी नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जन-संख्या अड़ौस-पड़ौस के गांवों को मिलाकर 12 हजार से अधिक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भैरूं-सिंह गुर्जर ।

आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर का लापता श्रमिक

481 श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री केसूलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर विगत कई वर्षों से लापता है एवं इसकी रिपोर्ट रामपुरा थाना, उदयपुर में दर्ज है ? यदि हां तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या थाना अधिकारी, रामपुरा (उदयपुर) को इन्चार्ज आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर ने लापता श्रमिक की जांच हेतु दो पत्र लिखे ? यदि हां तो कृपया पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) लापता श्रमिक की प्रथम रिपोर्ट कब दर्ज हुई एवं इस केस की किस-किस ने जांच की ? कृपया जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) लापता श्रमिक के बारे में जांच के दौरान पुलिस ने अब तक क्या जानकारी अर्जित की एवं क्या निष्कर्ष निकाला ?

राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर): (1) जी नहीं । थाना रामपुरा के नाम का कोई पुलिस स्टेशन उदयपुर में नहीं हैं । इसलिये रिपोर्ट दर्ज होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न (1) के उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न (1) के उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूं यह प्रश्न करीब पिछले सभी विधान सत्र में पूछा गया है । प्रार्थी उदयपुर का रहने वाला है इसलिए गलती से मैंने रामपुर के आगे उदयपुर लिख दिया ।

श्री **अध्यक्ष** : अब गलती का तो कोई इलाज नहीं है ।

श्री **भैरूंसिह गुर्जर** : यह हर बार आता है, इसके साथ अन्याय हुआ है ।

श्री **अध्यक्ष** : हर बार गलती करते हैं ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : रामपुरा थाना कोटा में है और व्यक्ति उदयपुर का रहने वाला है ।

श्री **अध्यक्ष** : इत्तिला उदयपुर से आई है ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : यदि मन्त्री महोदय अपनी पुरानी फाइल को टटोलें तो इनको जानकारी मिल जायेगी ।

श्री **अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय बहुत व्यस्त रहते हैं, किसी अन्य तरीके से इस प्रश्न को उठावें ।

श्री **मेघराज तावड़** : मेरा प्रश्न है पेयजल का ।

श्री अध्यक्ष : आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूती है, मैं पूरक प्रश्न की इजाजत दूंगा ।

गोगुन्दा तहसील के ग्रामों की पेयजल योजना

482. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील के किन-किन गांवों में पेयजल योजना लागू है और किन-किन गांवों का पेयजल योजना के अंतर्गत सर्वे पूरा कर लिया गया है ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ढ़ोल कमोल, तरपाल, पदराड़ा और सेमड तथा कडदा पेयजल योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? सरकार पेयजल योजना का कार्य उक्त गांवों में कब तक पूरा कर लेगी ? नहीं तो क्यों ?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) ग्राम ढोल तरपाल, तेमड़ व करड़ा को हैण्ड पम्प योजनाओं द्वारा व ग्राम पदराड़ा को पम्प एवं टैंक योजना से लाभान्वित किया जा चुका है । ग्राम कमोल की पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है । धन उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित की जा सकेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री मेघराज तावड़ : सेमड़ और करड़ा हैंड पम्प की सूची दी है, लेकिन यह कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरा निवेदन यह है कि इस योजना के लिए धनराशि उपलब्ध होती है या नहीं, लेकिन पानी वहां दिया जा रहा है ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि आपने 9 हैण्ड पम्प लगाये, लेकिन केवल तीन में पानी आया है इसलिए जहां पानी नहीं है वहां पानी आना चाहिए, लोग पानी लेने जाते हैं, झूल जाते हैं, गिरते नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार की नीति है कि सरकार एक प्रकार की योजना बनाये, जहां हैण्ड पम्प लगे हैं वहां टी. वी. की स्कीम नहीं बननी चाहिए । वहां पर चार हैण्ड पम्प हैं, जिस गांव में खोद दिया गया है वहां पी.एन.पी. की स्कीम चालू कर दी जाती है तो दोबारा खर्चा होगा । धनाभाव के कारण, इन गांवों को छठी योजना में कवर करना, है, वह नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थगित प्रश्न है। मैंने दो पूरक प्रश्नों की इजाजत दी थी । कृपया, समय की बचत करें ।

अगला प्रश्न । सुश्री पुष्पा जैन ।

(18)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 1983 एवं 7 मार्च, 1983)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चम्बल कैचमेंट एरिया में बांधों का निर्माण

174. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) की अनुपस्थिति में), क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार चम्बल कैचमेंट एरिया में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किस-किस वर्ष में किस-किस लागत अथवा क्षमता के कितने बांधों का निर्माण करवाया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की इस अनुचित कार्यवाही के सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के अभियन्ताओं को भेज कर इस विषय में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेश डांगी): (1) अभी तक एकत्रित सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चम्बल के गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर के कैचमेंट में पांच जिलों में 144 बांधों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है ।

इन पांच जिलों में 45 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं । इन बांधों की उपयोगी भराव क्षमता एवं प्रस्तावित सिंचाई के आंकड़े संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं जो कि सदन के पटल पर रखी जा रही हैं । इन बांधों का निर्माण किस-किस वर्ष में हुआ तथा इनकी लागत की सूचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी हां । 6-3-79, 22-3-80, 27-10-80 एवं 4-6-82, 11-3-82 को भारत सरकार को पत्र लिखे गये । इन पत्रों में राज्य सरकार ने भारत सरकार को निवेदन किया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांधी सागर के कैचमेंट में अनेक मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण करने हेतु मध्य प्रदेश को किसी ऐसी योजना की स्वीकृति नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य पत्रों द्वारा भारत सरकार से फिर निवेदन किया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांधी सागर के कैचमेंट में अनेक लघु व मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है व अन्य कई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं के निर्माण से गांधी सागर व राणाप्रतापसागर बांधों में पानी की आवक में भारी कमी आवेगी जिसका प्रतिकूल प्रभाव इन योजनाओं से अपेक्षित विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के क्षेत्रों पर पड़ेगा अतः भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे बांधों के निर्माण नहीं करने के लिए बाध्य करे ।

(3) जी हां, अभियंताओं को मध्यप्रदेश भेज करके कैचमेंट एरिया में बनाये गये एवं निर्माणाधीन बांधों की सूचना एकत्रित की, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रखी जा रही है ।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : अध्यक्ष महोदय, गांधी सागर कैचमेंट में 144 बांध बनाने से गांधीसागर में पानी का भराव कम होता है। जो आर. एम. सी. है उसमें मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है 4100 क्यू-सेक है, उसके बावजूद पूरा वह पानी ले रहा है। गांधी सागर के कैचमेंट में मध्य प्रदेश ने बांध बनाकर अपनी परियोजनायें चलाई उससे गांधी सागर में जो दायीं मुख्य नहर है उसमें पानी कम छोड़ा जाता है और मध्य प्रदेश का जो रेशो है उससे अधिक वह लेगा और राजस्थान को पानी कम मिलेगा।

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह बात सही है कुछ बांध निर्माणाधीन है उनके कारण गांधी सागर में मध्य प्रदेश एरिया से आवक होती है वह कम होगी और पानी का स्टोरेज बहुत कम होगा। इस संबंध में बार बार मध्य प्रदेश की सरकार से बात की, वह कह रही है कि हमारा जो सिंचित एरिया है वहां खास तौर से पानी कम दे रहे हो और यह कह रहे हैं कि हमको पानी नहीं मिल रहा है आज मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री इसी मसले पर चर्चा करने के लिए यहां आ रहे हैं, तीन बजे बातचीत होगी। हमको उनसे यही कहना है कि पानी का स्टोरेज कम होगा।

श्री **अध्यक्ष** : पानी कम लिया है, यह तो कह रहे हैं।

श्री **परसराम मदेरणा** : कंट्रोल बोर्ड के अन्दर एक साल के लिये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसकी मीटिंग होने वाली है। पानी कम कर दिया जाये या नहीं इसके लिए उचित कार्यवाही की जा रही है उन्होंने तो यही कहा है कि हमें पानी पूरा नहीं दे रही हो।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हमने 6-3-79 को पहला पत्र लिखा (मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या अप्रेल, 1976 को राजस्थान सरकार, ने मध्य प्रदेश सरकार को यह नहीं लिखा कि आप इस प्रकार के बांध बना रहे हैं वह कहां कहां बनाये जायेंगे उनकी सूची हमको मुहैया करवायें, दूसरे गांधी सागर में कितनें मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी है और यह बांध बन जाने के पश्चात् कितने मिलियन एकड़ फीट उसकी कपेसिटी रह जायेगी ?

श्री **परसराम मदेरणा** : इसके संबंध में निवेदन है, सरकार का उत्तर यह है, यह बात सही है कि सबसे पहला पत्र राजस्थान के चीफ इंजीनियर ने वहां के चीफ इंजीनियर को 19-4-76 को लिखा था, लेकिन प्रश्न यह नहीं पूछा है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को कितनी चिट्ठियां लिखी। प्रश्न मे यह आपने लिखा है कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की इस अनुचित कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार को लिखा है ? मैंने इसका उल्लेख किया है। दूसरी बात आपने कही है कि इसकी टोटल स्टोरेज क्या है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गांधी सागर की 6.85 मिलियन एकड़ एल. ओ. इ. है, लाइव स्टोरेज 6.18 मिलियन एकड़ फीट है। और इस साल केवल 1.6 मिलियन एकड़ फीट हो गई है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए पूछना चाहता हूं कि 1976 में हमारे चीफ इंजीनियर ने वहां के चीफ इंजीनियर को पत्र लिखा जिसकी प्रति उन्होंने भारत सरकार को

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

भी भेजी। राज्य सरकार के पास अप्रेल 1976 में जानकारी आ गई थी कि गांधी सागर कैचमेंट में इस प्रकार के बांध बनाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें 1979 का बताने का प्रयोजन क्या है ? पहले पत्र जो लिखा गया है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि दो जिलों की जानकारी मिली और 6 जिलों की जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी भेजी गई है वह भी अपूर्ण है। हमने जो सूचना मांगी है वह सूचना नहीं भेजी है और जो बाद में सूचना भेजी गई है वह भी अधूरी है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे राज्य स्तर पर बात करके या केन्द्रीय सरकार को मध्यस्थ बना कर इसको अविलम्ब तय करायें वरना तो राजस्थान को अपने हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश अपने हिस्से का पानी भुगतेगा सो भुगतेगा, हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि आज मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी यहां पर आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसलिये नहीं आ रहे हैं वह तो भिण्ड-मुरेना के इलाके को जो पानी नहीं मिला है उसकी शिकायत करने आ रहे हैं। वह बातचीत करने नहीं आ रहे हैं। वह तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये आ रहे हैं। वह इसलिये आ रहे हैं कि उनको भिन्ड-मुरेना में पानी मिल जाय। मैं चाहूंगा कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिले इस संबंध में राज्य सरकार बातचीत करे। वह कोटा के हिस्से के पानी का उपयोग कर रहे हैं, आर.एम.सी. का। इससे वहां के किसान जो सफर कर रहे हैं उनको पानी दिलाने की व्यवस्था करायें। आप इसके बारे में बात करें। वह भिन्ड-मुरेना के इलाके के बारे में बात करने आ रहे हैं किन्तु आप राजस्थान के पानी के बारे में बात करें।

श्री **परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि अप्रेल में 29-4-76 को चिट्ठी लिखी गई है, वह 29-4-76 को नहीं लिखी गई है बल्कि उसके बाद में 9-7-76 को लिखी गई है। दूसरी चिट्ठी 9-7-76 के बाद में 28-8-76 को लिखी गई है। जब 26-8-76 को चिट्ठी लिखी गई और उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी, कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर 27-8-77 को एक पत्र लिखा गया और उसको बोर्ड के अजेन्डा में रखा गया कि इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार कोई इनफार्मेशन नहीं दे रही है। जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय जानते हैं वह बोर्ड के अजेन्डा में दो दफा रखा गया। जब वह मुख्य मंत्री थे तो पहली बार 27-8-77 की बोर्ड की मीटिंग में गये थे। उसके बाद में 13-5-79 को दिल्ली में कन्ट्रोल बोर्ड की जब मीटिंग हुई थी तो आपने मुख्यमंत्री की हेसियत से पुरजोर शब्दों में लिखा और उन्हें कहा भी था पर वह बारबार इस मामले को टालमटोल करते रहे हैं। उसके बाद में 13-5-79 के ठीक दो वर्ष, तीन महीने और पच्चीस दिन बाद दोनों मुख्य मंत्री की बातचीत हुई। 18-8-81 को भोपाल में उसमें मैं भी सिंचाई मंत्री की हैसियत से गया था। वहां पर यह कहा कि इस तरह से आपके यहां से कोई इन्फार्मेशन और स्टेटिस्टिक्स सप्लाई नहीं हो रहे हैं और आप इस तरह से टालते चले आ रहे हैं। उसके बाद में इन्टर स्टेट बोर्ड की मीटिंग

(श्री परसराम मदेरणा)
सितम्बर, 81 में हुई उसमें उन्होंने यह कहा कि कुछ कम्युनिकेशन गेप रह गया है। बाद में फिर एप्रोच किया गया, और हमारे इन्जीनियर्स को वहां पर आंकड़े उपलब्ध करने के लिये भेजा लेकिन उन्होंने जो आंकड़े उपलब्ध कराये वह भी अपूर्ण थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ बांध बना लिये हैं या बांध बनाने की योजनायें बनायी है जिससे गांधीसागर डैम में पानी की कमी आ गयी है ? यदि हां तो उस कमी की पूर्ति करने के लिये राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय जानते हैं, यह इण्टरस्टेट, जोइन्ट प्रोजेक्ट है, इसमें राइपेरियन स्टेट ने जो इस प्रकार से यूनिलेट्रल और आरबीट्रेरी कार्यवाही की है उस संबंध में भारत को हमने एप्रोच किया। हमने भारत सरकार को एप्रोच ही नहीं किया पर समय-समय पर यह भी उन्हें कहा कि आप मध्य प्रदेश सरकार को यह डाइरेक्शन दें कि वह इस तरह की कार्यवाही नहीं करे। इसके साथ ही हमने प्लानिंग कमीशन को यह भी निवेदन किया कि मध्य प्रदेश की कोई भी स्कीम इस बारे में हो, आप उसको क्लियरेंस नहीं दें। इसके बाद में जो माही सागर प्रोजेक्ट हैं उसके भी कन्ट्रोल बोर्ड के अजेन्डा में रखा गया। इसमें जो कन्ट्रोल बोर्ड जो निर्णय देगा उस सूचना से सदन को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : यह इतना बड़ा प्रश्न है इसका अल्प समय में कैसे जवाब आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो छोटासा है, पर इसे लम्बा चौड़ा बना दिया है। मेरा तो सिर्फ एक प्रश्न यह है कि जो पानी कम मिला राजस्थान को उसकी पूर्ति के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, क्या एफर्ट कर रही है ? क्या राज्य सरकार इस मसले को इण्टर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत किसी ट्रिब्यूनल में रैफर करने का विचार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रतिक्षप नेता ने सुझाव दिया है, नये सोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिये और केस को ट्रिब्यूनल को रेफर करने का, उस पर विधि विभाग से राय लेने के बाद ही उसके विधि पक्ष का पता लग सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ। नैक्स्ट श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, पहले ही मध्य प्रदेश ज्यादा पानी ले गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी आये हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार उनसे राजस्थान के हिस्से के पानी के हेतु बात करे। जहां तक सवाल पानी का है गांधी सागर में जब आर.एम.सी. में कुल

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
केपेसिटी पानी की 6360 क्यूसेक्स की है उसमें राजस्थान का तीन हजार क्यूसेक पानी निकल गया तो फिर 3900 क्यूसेक मध्य प्रदेश का कहां से आयेगा ? मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश अभी फरवरी 1 से अकेला ही पानी ले रहा है और राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान वालों को मिले। मध्य प्रदेश तो अकेला ही पानी ले रहा है और राजस्थान को पानी नहीं मिल रहा है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा है और मध्य प्रदेश पानी ले रहा है हमारे यहां फसलें खड़ी खड़ी बिना पानी के सूख रही हैं।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर

प्रश्न संख्या 310

प्रश्न संख्या 310 स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 306। श्रीमती डाक्टर उजला अरोड़ा।

(दिनांक 7 मार्च, 1983)

आयुर्वेद विभाग के नवीनतम वेतनमान

306. श्री**मती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बेरी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आयुर्वेद विभाग के देय वेतनमानों की कब तक क्रियान्विति हो जावेगी ? अब तक देरी के क्या कारण रहे हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री (श्री श्रीराम गोटेवाला) : बेरी आयोग की सिफारिशों पर विचार कर राज्य सरकार ने जो निर्णय लिये हैं उनकी क्रियान्विति हेतु 17-2-83 को आदेश जारी कर दिये हैं। आयोग की सिफारिशों पर विचार कर निर्णय लेने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई व समय लगा उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया, परिशिष्ट 7 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर आयुर्वेद मन्त्री जी बैठे हैं वह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद मन्त्रीजी उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : आप ने प्रश्न ही वित्त मन्त्री जी से पूछा था।

श्री श्री**राम गोटेवाला** : शायद आप भूल गई थीं।

श्री**मती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है वह भी गोलमाल है, मुझे जो सूचना दी गयी है वह सही नहीं दी गई है, वास्तव में जो राज्य कर्मचारियों और सरकार के बीच समझौता हुआ उसकी विस्तृत सूचना दे दी गई है, सदन को भुलावे में रखा जा रहा है कि बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट का 2440 पृष्ठ का पोथा था और उसके 6 भाग थे उसका अध्ययन करने में समय लगा। मेरा निवेदन यह है कि वास्तव में राज्य सरकार यह वेतनमान कब तक लागू करने का विचार रखती है ? आपके पास जो रिपोर्ट आई वह कौनसी तारीख को आई। आपने जो सचिव सब-

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)
कमेटी की बनाई, उसने कब रिपोर्ट दी। इसके बाद में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की रिपोर्ट कब आपके पास आई? इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप मुझे देने की कृपा करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसका जवाब मैंने दे दिया है। उन्होंने पूछा कि वेरी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आयुर्वेद के देय वेतनमानों की कब तक क्रियान्विति हो जावेगी? उसका जवाब मैंने दे दिया कि उसकी क्रियान्विति हेतु 17-2-83 को आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि 17-2-83 को आदेश जारी कर दिये हैं, तो उसको आज एक महीना होने को आ रहा है पर···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया है कि उसकी क्रियान्विति हेतु 17-2-83 को आदेश जारी कर दिये गये हैं। अभी तक उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। सदन के बाहर कई दिनों से लोग आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से पूछा जा सकता है। आपने पूछा भी है, मैंने उस पर व्यवस्था भी दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों का सवाल है। चिकित्सक तो लोगों को जीवनदान देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्या, इस प्रश्न को और माध्यम से पूछें। आप अब स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा उत्तर दिलाया जाये कि राज्य सरकार आयुर्वेद के वैद्यों के वेतनमान कब तक लागू करा देगी? आप कहें तो मैं आपको इसके बारे में सूचना प्रस्तुत कर दूं। सूचना मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास जो सूचना है, वह प्रस्तुत करने का तरीका यह नहीं है। कृपया, आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 288 के तहत आपको यह उत्तर प्रस्तुत करना चाहती हूं। इसका आप अध्ययन कर लें। मंत्री महोदय ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। आपकी अनुमति हो तो आपको प्रस्तुत कर दूं···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है तो उसके अपने यहां पर माध्यम उपलब्ध हैं। कृपया उनके अनुसार कार्यवाही करें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न से जोड़ा जाता है···

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लोगों को यहां पर बाहर धरना देने पर, आन्दोलन करने पर मजबूर किया जाता है...

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहती हूं, इस सरकार को वर्खास्त किया जाना चाहिये...

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, आप पुरानी सदस्या हैं । आर्डर प्लीज ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया, परिशिष्ट 8 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बेगूं तहसील की सिचाई परियोजनाएं

467. श्री **घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बेगूं की कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनाओं की सर्वे हो गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से सरकार का कौनसा परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने का विचार है और कब से ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) योजनाओं की उपादेयता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धी के अनुसार इन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

खिलाड़ियों को प्रदत्त पुरस्कार एवं राशि

473. श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एशियाई खेल 1983 में राजस्थान के किन-किन खिलाड़ियों को पदक प्राप्त हुए हैं ?

(2) राज्य सरकार ने इन खिलाड़ियों को पुरस्कारस्वरूप किसे कितनी-कितनी राशि प्रदान की है ?

उत्तर

(1) एशियाई खेल 1982 में जिन खिलाड़ियों को पदक प्राप्त हुए हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जिन राजस्थानी खिलाड़ियों ने एशियाड की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें एक-एक लाख रुपये व टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जावेगा । रजत पदक जीतने वालों को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है । कांस्य पदक विजेताओं को 10-10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जावेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

तहसील प्रतापगढ़ के आयुर्वेदिक औषधालय

474. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह

(श्री नन्दलाल मीणा)
बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के विभिन्न औषधालयों के लिए वर्ष 1982-83 दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था और जनवरी, 1983 के अन्त तक किस-किस औषधालय को कितनी राशि की दवाइयां वर्ष 1982-83 के लिए क्रय कर दी थी ? कृपया, औषधालय-वार व्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील के किस-किस औषधालय में किस प्रकार के पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं ? यह रिक्तियां कब तक भर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ में संचालित औषधालयों। चिकित्सालयों का वर्ष 1982-83 का स्वीकृत औषध बजट एवं जनवरी, 1983 तक वितरित औषधियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रतापगढ़ तहसील में संचालित औषधालयों के रिक्त पदों का विवरण निम्न है :—

औषधालय	पद	संख्या
असावता	वैद्य	1
झांझली	परिचारक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
बोरदिया	,, ,,	1

उक्त रिक्त पद शीघ्र ही भर दिये जावेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सोम फीडर निर्माण में रही त्रुटियां

476. श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में सोम फीडर से काश्तकारों को उचित फायदा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सोम फीडर में छोड़े जाने वाले पानी का पूरा उपयोग नहीं होकर, सीपेज द्वारा काश्तकारों की जमीनें बरबाद हो रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त फीडर को पक्का बनाने की इच्छा रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही हैं कि सिंचाई विभाग, डूंगरपुर द्वारा रणसागर तालाब की राइट केनाल बनाते वक्त रणसागर पछोर में जानबूझ कर नीचे उतार दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि रणसागर तालाब की नहर बनाते वक्त काश्तकारों से रिश्वत मांगी थी। रिश्वत नहीं देने पर नहर की सर्वे नीचे कर दी गई ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर ऐसे अधिकारियों को सेवा से पृथक् करने की इच्छा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस फीडर के ऊपर दांयी नहर में उस क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा रुकावट पैदा किये जाने से फीडर में क्षमता के अनुसार पानी नहीं चलता है।

(2) जी, नहीं।

(सिंचाई मंत्री)

(3) मोम फीडर अधिकांश लम्बाई में पक्की बनी हुई है। बाकी लम्बाई में इसे पक्का कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(4) जी नही।

(5) जी नहीं। इस तालाब की मरम्मत एवं नहरों का निर्माण वर्ष 1953 में किया गया था। यदि पूर्व विवरण एवं तथ्यों के साथ ऐसी बात ध्यान में लाई जायेगी तो उसकी जांच कराई जायेगी और यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम खाजलपुरा (सांगानेर) के विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण

479. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगानेर व चाकसू तहसीलों में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके भवन अभी अधूरे हैं या बने ही नहीं ?

(2) क्या यह सही है राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982 में चाकसू तहसील के ग्राम खाजलपुरा के प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन के पुनर्निर्माण की धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या वह पुनर्निर्माण कार्य कर दिया गया ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सांगानेर में 22 प्राथमिक शालाओं के भवन अधूरे हैं एवं 2 शालाओं के पास भवन नहीं है। पंचायत समिति, चाकसू में 18 शालाओं के भवन अधूरे हैं एवं 7 शालाओं के भवन नहीं हैं।

(2) जी हां। शाला का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पोकरण व आस-पास के गांवों में नमक के प्लाटों का आवंटन

530. श्री **चन्द्रवीरसिंह** (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानोद, गुड़ी, पोकरण व लाम्बा में नमक रण से उपलब्ध होता है ? यदि हां, तो जिले के तथा बाहर के लोगों को कितने-कितने प्लॉट आवंटित किये गये ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त नमक के प्लॉटों का आवंटन बन्द है ? यदि हां, तो शुरू कब किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम कानोद, गुड़ी व पोकरण में जिले के तथा बाहर के लोगों को आवंटित भू-खण्डों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। लांबा क्षेत्र में कोई आवंटन नहीं हुआ हैं; क्योंकि कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20-9-82 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आवंटन) नियम,

(उद्योग मंत्री)

1970 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार आवेदन प्राप्त करने के प्रपत्र एवं विज्ञप्ति में संशोधन किया जाना है। संशोधन प्रसारित हो जाने पर आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

उद्योगों में विद्युत कटौती

531. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1981-82 एवं 1982-83 में भिन्न-भिन्न श्रेणी के उद्योगो में किस-किस समय कितनी-कितनी विद्युत कटौती लागू की गई और इससे सभी श्रेणी के उद्योगों में कितने कार्य-दिवसों तथा कितने उत्पादन का ह्रास हुआ ?

(2) राजस्थान में विद्युत कमी से कितने उद्योग बन्द हुए, कितनों में ले ऑफ घोषित किया गया तथा कितने श्रमिकों की छंटनी की गई ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा, जयपुर तथा राज्य के अन्य बड़े-बड़े औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों पर कर्मचारियों की भारी छंटनी से असंख्य श्रमिक बेकार हो गये हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में भिन्न-भिन्न श्रेणी के उद्योगों पर लगाई गई विद्युत् कटौतियों (दिन-प्रतिदिन के हिसाब से) के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। सभी श्रेणी के उद्योगों में कार्य दिवस एवं उत्पादन के ह्रास संबंधी सूचना उद्योग विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती हैं।

(2) राजस्थान में विद्युत की कमी के कारण कोई औद्योगिक इकाई बन्द नहीं हुई। वर्ष 1982 में पावर कट के कारण कुल 53 औद्योगिक इकाइयों में ले-ऑफ घोषित किया गया था। 5 औद्योगिक इकाईयों में पावर कट के साथ-साथ ले-ऑफ घोषित करने के अन्य भी कारण थे। जनवरी एवं फरवरी, 1983 में 20 उद्योगों में पावर कट के कारण (ले-ऑफ घोषित किया गया एवं उद्योग में पावर कट तथा अन्य कारणों से ले-ऑफ, घोषित किया गया, केवल पावर कट के कारण किसी भी औद्योगिक इकाई में श्रमिकों की छंटनी नहीं की गई। अलवत्ता वर्ष 1982 में पावर कट एवं अन्य कारणों के आधार पर कुल 24 श्रमिकों की छंटनी की गई। वर्ष 1983 में बिजली कटौती के कारण कोई छंटनी नहीं की गई।

(3) जी नहीं। असंख्य श्रमिक बेकार नहीं हुए हैं। वर्ष 1982 में 19 औद्योगिक इकाइयों में 273 श्रमिकों की छंटनी हुई है। वर्ष 1983 (जनवरी एवं फरवरी में 5 औद्योगिक इकाईयों में 2,367 श्रमिकों की छंटनी हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

डा. अम्बेडकर जन्म दिन पर अवकाश की घोषणा

532.

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग),
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),
श्री समरथलाल (राजगढ)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) एवं श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्म-दिवस 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि अन्य अनेक ऐसे ही प्रसिद्ध भारतीय नेताओं के जन्म-दिवस पर भी सार्वजनिक अवकाश नहीं रखा जाता, क्योंकि राज्य में पहले ही पर्याप्त सार्वजनिक अवकाश है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

533. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम लागू है ? यदि हां, तो कौन-कौनसे क्षेत्रों को इस कार्य के अन्तर्गत लिया गया है ?

(2) किन-किन क्षेत्रों में इस कार्य में इस वर्ष कितना-कितना धन व्यय किया जायेगा ? इसमें केन्द्र सरकार का कितना एवं राज्य सरकार का कितना हिस्सा है ?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के 13 जिलों (जोधपुर, जैसलमेर नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुन्झुनू व झुन्झुनू की चिड़ावा तहसील, अजमेर की ब्यावर तहसील तथा उदयपुर की भीम, देवगढ़ व खेरवाड़ा तहसील) के 79 विकास खंडों में लागू था लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल (Task Force Committee) की सिफारिशों के आधार पर सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 9 मरुस्थलीय जिलों को मरु विकास कार्यक्रम में समायोजित कर दिया गया है। तदनुसार अब वर्ष 1983-84 से डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत केवल निम्न 2 संपूर्ण जिले तथा 2 जिलों का कुछ क्षेत्र रहेंगे:—

1. डूंगरपुर (पूर्ण जिला)
2. बांसवाड़ा (पूर्ण जिला)
3. उदयपुर :
   (अ) विकास खंड कोटडा
   (ब) विकास खंड झाडोल
   (स) विकास खंड खेरवाडा
4. अजमेर :
   (अ) विकास खंड जवाजा
   (ब) विकास खंड मसूदा

वर्ष 1983-84 से उदयपुर तहसील की भीम व देवगढ़ तहसीलें भारत सरकार के कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार नहीं रखी गई हैं।

(2) वर्ष 1982-83 हेतु प्रस्तावित प्रावधान की जिलेवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। योजना के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच आबंटित राशि 50:50 के अंशदान के आधार पर क्रियान्वित की जाती है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सांगानेर सिटी में पुलिस चौकी की स्थापना

534. श्री **रामकंवार बैरवा** (फागी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सच है कि सांगानेर सिटी में पुलिस चौकी की मांग पिछले लम्बे अर्से से नागरिकों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है? यदि हां, तो पुलिस चौकी कब तक खोल दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सच है कि पुलिस थाना सिटी से बाहर होने के कारण वारदातों की संख्या बढ़ती जा रही है।

(3) यदि हां, तो उपरोक्त पुलिस चौकी खोलने में विलम्ब क्यों हो रहा है।

(4) क्या यह भी सच है कि सांगानेर में होने वाली चोरियां आदि बरामद नहीं होने का मुख्य कारण सिटी में पुलिस चौकी नहीं होना है ?

(5) पिछले दो वर्ष में सांगानेर सिटी में कितनी चोरियां हुई तथा अब तक कितनी चोरियों का माल बरामद हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। अभी यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) जी नहीं ?

(3) पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) जी नहीं ।

(5) सांगानेर शहर में वर्ष 1981 में 16 एवं वर्ष 1982 में 19 चोरियों की घटना दर्ज हुई हैं। अब तक 8 चोरियों में 31,760 रु. का माल बरामद किया जा चुका है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मामलों का अनुसंधान

535. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गत दिनांक 1-1-1982 से दिनांक 31-1-1983 तक कितने मामलों के चालान अदालतों में अन्वीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये हैं ? कृपया, अनवान सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दि. 1-1-1982 से 31-1-1983 तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कितने मामलों में अदालत में फाइनल रिपोर्ट (नेगेटिव) प्रस्तुत की गयी ?

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कुल कितने मामले वर्तमान में अनुसंधानान्तर्गत हैं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में गत दिनांक 1-1-82 से 31-1-83 तक 14 प्रकरणों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा दिनांक 1-1-82 से 31-1-83 तक 18 प्रकरणों में अन्तिम प्रतिवेदन दिये गये।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दिनांक 1-2-83 को कुल 186 प्रकरण

(30)

(गृह मंत्री)

अन्वेषणाधीन रही, सूची परिशिष्ट-'ख व ग' में संलग्न है, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है:—

159 प्रकरण अन्वेषणाधीन एवं 27 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के अभाव में विचाराधीन हैं।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

पुष्कर में विदेशी नागरिक को लूटना

536. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इस वर्ष कार्तिक मेले के समय पुष्कर क्षेत्र में विदेशी नागरिक को लूटने के अपराध में पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कृपया, उनके नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लूटी गई सम्पत्ति संबंधित व्यक्ति को लौटा दी गई ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

(3) वर्तमान में उक्त अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही चल रही है ? कृपया इस केस से संबंधित पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 2 व (3) इस वर्ष कार्तिक मेले के समय 23-1-82 से 2-12-82 तक पुष्कर में किसी विदेशी नागरिक को लूटने की घटना घटित नहीं हुई, अपितु 31-12-82 को ऐसी घटना घटित हुयी थी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल हिम्मत सिंह नं. 1090 थाना, पुष्कर तथा तीन अन्य व्यक्तियों का इस वारदात में होना पाया गया था। उक्त कान्स्टेबल को दिनांक 1-1-83 को निलम्बित किया गया। उपर्युक्त चारों मुलजिमानों के खिलाफ अपराध साबित होने पर अन्तर्गत धारा 392/411/414,ता. हि, दिनांक 14-3-83 को चालान न्यायालय में पेश किया जावेगा। लूटी गयी सम्पत्ति पुलिस के कब्जे में है। न्यायालय आदेश के बाद ही लौटायी जा सकती है।

रेलवे स्टेशनों पर पुलिस बूथ

538. **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खारची): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों पर राजकीय रेलवे पुलिस के स्टेशन बूथ हैं? एवं इनकी क्या उपयोगिता है?

(2) मारवाड़ जंक्शन पर प्लेट फार्म नं. दो पर स्टेशन बूथ का क्या उपयोग हो रहा है।

उत्तर

(1) राजस्थान में 11 रेलवे स्टेशनों पर राजकीय रेलवे पुलिस के स्टेशन बूथ कार्यरत हैं। यात्रियों की सुविधा के लिये ये बूथ स्थापित किये गये हैं, जिससे कि किसी यात्री को कोई शिकायत हो, तो वह बूथ पर रिपोर्ट कर सके।

(2) मारवाड़ जंक्शन प्लेट फार्म नं. 2 पर स्टेशन बूथ स्थापित करने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है, प्लेटफार्म पर स्टेशन बूथ के लिये स्थान, रोड, फर्निचर आदि की व्यवस्था रेल विभाग द्वारा की जाती है।

(गृह मंत्री)

मारवाड़ जंक्शन के प्लेटफार्म पर इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक रेल विभाग द्वारा नहीं की गई है, जिससे स्टेशन बूथ स्थापित नहीं हो सका है।

राज्य में शक्कर फैक्ट्री

539. श्री **गुलाबचन्द कटारिया**(उदयपुर) : **क्या** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में शक्कर की कितनी फैक्ट्री हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक फैक्ट्री ने मास नवम्बर, दिसम्बर, 1982 व जनवरी, 1983 में किसानों को गन्ने का क्या-क्या मूल्य दिया? विवरण, सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान में गन्ने की न्यूनतम दर निश्चित कर रखी है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि उदयपुर जिले में फैक्ट्री मालिक द्वारा गन्ना 13 रु. से 16 रु. क्विन्टल खरीदा जा रहा है? यदि हां, तो किसानों को पूरा मूल्य दिलाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है।

उत्तर

(1) राजस्थान में शक्कर की निम्नांकित तीन फैक्ट्रियां हैं :—

(1) गंगानगर शुगर मिल्स लि., जिला श्री गंगानगर।

(2) मेवाड़ शुगर मिल्स लि., भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

(3) केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल. लि., केशोरायपाटन जिला बूंदी।

(2) प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा माह नवम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक गन्ने का किसानों को जो मूल्य दिया गया उसके विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। गन्ने का न्यूनतम मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(4) जी नहीं। 16 से 17 रुपये की दर से मूल्य दिया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 16 देखें)।

अजमेर जिले के उद्योग

540. श्रीमती **भगवती देवी**(भिनाय): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में कितने नये उद्योगों खोले गये तथा कितना अनुदान इन उद्योग हेतु प्रदाय किया गया?

उत्तर

अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में 2662 नये उद्योग खोले गये। गत 5 वर्षों में प्रदत्त अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है:—

	इकाइयों की संख्या	राशि रुपयों में
15 प्रतिशत राजकीय अनुदान	171	35,31,601-00
विद्युत अनुदान	574	3,21,919-00
ब्याज अनुदान	2	16,077-00

(32)

(उद्योग मंत्री)

परीक्षण यंत्र अनुदान	4	56,039-00
योग	761	39,25,636-00

सिंचाई विभाग में अभियन्ताओं की पदोन्नति

541. **श्री महावीर प्रसाद (टौंक)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं की अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नतियां वर्ष 1975 के बाद एड हॉक अथवा डी. पी. सी. की सिफारिश पर की गई थीं ?

(2) यदि हां, तो 1975 के बाद से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी पदोन्नतियां की गईं ? कृपया, प्रत्येक वर्ष की सूचियां सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या इन पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के आरक्षण हेतु डिपार्टमेन्ट ऑफ परसनेल के आदेश (1) नं. एफ- 9 (19) कार्मिक (ए-5) /74 दिनांक 10-2-1975 (2) नं. एफ. 15 (24) कार्मिक (क-1) / 75 दिनांक 3-9-1975 (3) एस. ओ. 113 नं. एफ. 15 (24) कार्मिक (ए-5) / 75 दिनांक 15-12-1975 एवं (4) एस. ओ. 111 दिनांक 6-10-1979 के नोटिफिकेशन की पूरी पालना की गई थी ? यदि हां, तो कृपया आरक्षण हेतु रखे जाने वाले 40 पाईन्ट रोस्टर की इन वर्षों की प्रतियां निश्चित बिन्दुओं पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के प्रत्याशी की स्थिति दर्शाते हुए सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1976 से अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर एडहाक पदोन्नति की गई हैं । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 1978 में सम्पन्न हुई जिसकी सिफारिश पर चयनित व्यक्तियों को अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नत किया गया ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(3) पदोन्नति हेतु एलीजिबल अधिकारियों में अनुसूचित अथवा जन-जाति से सम्बद्ध कोई अधिकारी नहीं था । अतः इस मामले में राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग की सहमति से डी-रिजर्वेशन की स्वीकृति दी । अतः रोस्टर, प्रणाली अपनाया जाना सम्भव नहीं था ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें).

राज्य की पेयजल योजनाओं पर व्यय

542. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राजस्थान में पेयजल योजनाओं पर वर्ष 1982-83 में 31-1-1983 तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राजस्थान में पेयजल योजनाओं पर वर्ष 1982-83 में दिनांक 31-1-83 तक 38.71 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिलेवार व्यय की सूची सदन की मेज पर रखदी गयी हैं । (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. बांसवाड़ा द्वारा वाटर प्रूफ केनवास तारपोलियन की खरीद

543. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बाँसवाड़ा द्वारा गत दिनांक 9-10-1979 को मैसर्स रिलायेबल सप्लाई कार्पोरेशन, उदयपुर, से वाटर प्रूफ केनवास तारपोलियन नग 11 एवं छोलदारी नग 12 खरीद किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस खरीद में हुये भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर इसी तरह की सामग्री के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त टैन्डर रेट से तुलना करने पर अन्तर बहुत अधिक पाया और इस तरह अधिक चुकाई राशि की वसूली के आदेश मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये हैं ?

(3) यदि हां, तो कितनी राशि की वसूली के आदेश दिये गये हैं, इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता यान्त्रिक, जयपुर के खरीद की दरों से तुलना करने पर अन्तर पाया गया है। किन्तु अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर ने जांच के बाद बांसवाड़ा में खरीदे गये तिरपालों की क्वालिटी को अच्छा होना बताया है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर द्वारा इस संदर्भ में अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर से प्रमाण-पत्र चाहा है, तथा सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है ।

(3) अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर से प्रमाण-पत्र व सम्बंधित अधिशाषी अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

सहायक अभियन्ता, पी. एच. ई. डी., बांसवाड़ा द्वारा सामान की खरीद में अनियमितता

544. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, सिटी डिवीजन, बांसवाड़ा द्वारा पर्चेज आर्डर फर्मों से विभिन्न सामान जयपुर की कुछ फर्मों से खरीदा गया जो आर.वी.नं. 194 से 270 के दिनांक 10-8-1980 से दिनांक 21-11-1980 तक प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कृपया सामान की सूची मय क्रय मूल्य, मात्रा, फर्म का नाम आदि सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि यह सामान बिना टेण्डर के खरीद किया गया ? यदि हां, तो बिना टेण्डर के खरीद का क्या कारण था ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिस

(३५)

(श्री कैलाश मेघवाल)
क्रय मूल्य से यह सामान खरीदा गया है वह करीब-करीब बाजार भाव से दुगुना है, जिसका प्रमाण इस तरह के सामान का व्यापार करने वाली कई फर्मों की मुद्रित मूल्य सूची से स्वतः मिल जाता है ?

(4) क्या सरकार इस अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच करा कर दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आर.वी. संख्या 191 से 265 के बीच पर्चेज आर्डर पर विभिन्न सामान जयपुर की कुछ फर्मों से खरीदा गया। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। सामान की शीघ्र आवश्यकता होने के कारण पर्चेज आर्डर पर खरीदा गया।

(3) ऊंची दरों के संबंध में जांच करवाई जा रही है।

(4) जी हां। जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

विद्युत मंडल के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान बौंली कस्बे में पेयजल का अभाव

545. श्री **हंस राज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत वर्ष में राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों की हड़ताल के समय बौंली कस्बे के लोगों को एक रोज भी पीने का पानी नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?, कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों की हड़ताल के समय बौंली कस्बे के लोगों को विद्युत उपलब्धि के अनुसार पेयजल वितरण किया गया। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

रावी-व्यास समझौता

546. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रावी-व्यास समझौता कब किया गया था ? इसमें कौन-कौन से प्रदेशों के मध्य समझौता हुआ था ?

(2) रावी-व्यास समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थीं ?

(3) क्या इस समझौते का पुनरावलोकन हेतु केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर दबाव पड़ रहा है ?

(4) इस समझौते के पुनरावलोकन बाबत राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

(1) रावी-व्यास नदियों के अतिरिक्त जल वितरण के लिए समझौता 29-1-1955 को हुआ जिसमें निम्न राज्य सम्मिलित थे:—

1) पंजाब

(सिंचाई मन्त्री)

2) पेप्सू
3) राजस्थान
4) जम्मू कश्मीर

फिर एक समझौता 31-12-81 को हुआ जिसमें निम्न राज्य सम्मिलित थे :—

1) पंजाब
2) हरियाणा
3) राजस्थान

(2) समझौते की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार राज्य हित के विरुद्ध समझौते के पुनरावलोकन के पक्ष में नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें।)

जिला चित्तौड़गढ़ की लिफ्ट सिंचाई योजना

547. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की कितनी लिफ्ट सिंचाई योजना कब से राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? कृपया, तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वे कब किया गया और अब तक किस-किस योजना पर कितनी-कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कोई लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गयी अथवा प्रारम्भ की गयी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें।)

जिला पाली के गांवों को डी-कमांड घोषित करना

548. **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध, जिला पाली के कमान्डेड एरिया में 33 गांव तहसील बाली, जिला पाली के आते हैं ? यदि हां, तो गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जवाई कमाण्ड में लिए गये 33 गांवों के समस्त रकबे को सिंचित नहीं किया जाता है, और भविष्य में भी उक्त 33 गांवों के असिंचित रकबे को सिंचित नहीं किया जा सकेगा ? यदि हां, तो क्या असिंचित रकबे को डी-कमान्ड कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जिस क्षेत्र में जवाई

(सिंचाई मन्त्री)
बांध का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है एवं भविष्य में पहुंचने की संभावना नहीं है उसको डी-कमान्ड करने का प्रस्ताव जिलाधीश, पाली द्वारा राजस्व (उपनिवेशन) विभाग को दिनांक 19-1-83 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

जयपुर-नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक में जन प्रतिनिधित्व

549. श्री **बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर-नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक में राज्य सरकार के कितने प्रतिशत शेयर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक में एक संचालक जन प्रतिनिधियों में से भी लिया जाता रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में श्री सहदेव शर्मा संचालक मंडल के सदस्य थे ?

(4) इनके बाद जन प्रतिनिधियों में से किसने संचालक मंडल में भाग लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण बताने का श्रम करें।

(5) अब कब तक जन प्रतिनिधि का मनोनयन उक्त बैंक के संचालक मंडल में कर दिया जावेगा ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार का 15 प्रतिशत हिस्सा पूंजी (शेयर केपिटल) का योगदान है।

(2) हां। प्रथम बार उक्त ग्रामीण बैंक के संचालक मंडल में एक संचालक जन प्रतिनिधियों में से मनोनीत किया गया।

(3) हां।

(4) किसी ने नहीं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने चाहा था कि संचालक मंडल में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत व्यक्ति लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य न होकर कृषि लघु उद्योगों आदि क्षेत्रों का जानकार होना चाहिये।

(5) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उक्त ग्रामीण बैंक के संचालक मंडल में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत जिलाधीश, जयपुर और नागौर की नियुक्ति के आदेश दिनांक 24-7-82 को किये हैं, जिनकी अवधि दो वर्ष तक चलेगी।

जिला चित्तौड़गढ़ में नाजायज शराब की दुकान

550. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में नशाबन्दी समाप्त करने के पश्चात् नाजायज शराब निकालने एवं विक्रय के कितने मामले आबकारी विभाग ने एवं पुलिस विभाग ने पकड़े? इनमें से कितने मामलों का अदालतों में चालान नहीं किया गया? कृपया तहसीलवार सूची सदन की पटल पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि नाजायज

(श्री नन्दलाल मीणा)
शराब की काफी दुकानें प्रतापगढ़ शहर में चल रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

उत्तर

(1) तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

राज्य में योजना व गैर योजना व्यय

551. श्री **यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1982-83 के लिये जिलेवार कितना योजना एवं गैर योजनागत व्यय आवंटित किया गया है ? 31 जनवरी, 83 तक कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? कृपया जिलेवार चित्रण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्त विभाग द्वारा आंकड़े मदवार रखे जाते हैं जिलेवार नहीं। अतः यह सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

भू-सीलिंग कार्यालय, अजमेर के भू. पू. अधिकारी श्री चौधरी द्वारा नो-ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट

552. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भू-सीलिंग कार्यालय, अजमेर के भूतपूर्व अधिकारी श्री चौधरी को अजमेर में सीलिंग के अन्तर्गत विवादग्रस्त भूमियों को बेचने के लिये छोड़ देने और नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने में भ्रष्टाचार करने के कारण निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन के बाद सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की क्या प्रगति है ?

(2) श्री चौधरी ने अपने कार्यकाल में अजमेर में कितने नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किये, कितने प्रकरणों की भूमि को सीलिंग से मुक्त किया और कितने वादों का निपटारा किया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इन सभी का कानूनी दृष्टि से अध्ययन कर उनमें हुई अनियमितताओं को नियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने (कार्मिक क-3) श्री सुगनसिंह चौधरी को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच हेतु आरोप-पत्र दिनांक 18-12-82 को दे दिया है। आगे, कार्यवाही जारी है।

(2) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन), अधिनियम-1976 की धारा 26(1) के तहत 1687 मामलों में तथा 27(2) के तहत 1327 मामलों में नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किए गये। 88 प्रकरणों की भूमि को सीलिंग से मुक्त किया जाकर निपटारा किया गया।

(वित्त मंत्री)

(3) 9 मामलों में अनियमितताओं को नियमित करने हेतु मामले अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। शेष पत्रावलियां कार्मिक विभाग में भेजी हुई हैं, जो पुनः प्राप्त होने पर बाद परीक्षण आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राज्य सरकार को प्राप्त सहायता राशि

554. श्रीमती **विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1982-83 में 31-1-1983 तक राज्य सरकार को केन्द्र व अन्य स्त्रोतों द्वारा अनुदान सहायता व अन्य मदों में सहायता व अन्य राशि कब-कब व कितनी-कितनी प्राप्त हुई ? कृपया मदवार दिनांक व राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त धनराशि में से कितनी-कितनी राशि का किस-किस मद में उपयोग कब-कब किया जा चुकना चाहिए था, कितना किया गया व कितनी राशि शेष रही और क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	अनुदान	ऋण	योग
आयोजना भिन्न	752.45	35164.66	35917.11
आयोजना	5627.71	11321.01	16948.72
केन्द्र प्रवर्तित योजना	4228.87	128.94	4357.81
योग . .	10609.03	46614.61	57223.64

(2) केन्द्र सरकार के अन्य स्रोतों से सहायता राशि एकमुश्त व योजनावार प्राप्त होती है जबकि व्यय विभिन्न मदों में विभाजित होता है। सामान्यतया सहायता का उपयोग उसी वर्ष में होना चाहिये। चूंकि वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः उपयोग की राशि एवं शेष राशि बताना अभी संभव नहीं है।

मृत श्री बद्रीप्रसाद च. श्रे. कर्मचारी की पेन्शन आदि का भुगतान

555. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बद्री-प्रसाद च. श्रेणी कर्मचारी, पी.एच.सी., मानपुर की मृत्यु दिनांक 24-8-1975 को हो गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कर्मचारी के पेंशन आदि बकाया भुगतान अब तक भी नहीं हुआ है ? यदि, हां, तो अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण थे और अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त कर्मचारी को प्रोविजनल पेंशन दी जा रही है। बकाया भुगतान के मामले को शीघ्र ही निपटाये जाने के प्रयास जारी है।

भवानी मण्डी में चिकित्सा सुविधा

556. श्री **बालचन्द्र आर्य वीर** (डीग): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भवानी मंडी, जिला झालावाड़ की जनसंख्या के हिसाब से वर्तमान चिकित्सालय तथा उसमें नियुक्त स्टाफ पर्याप्त नहीं है ?

(2) क्या सरकार वहां रेफरल चिकित्सालय बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जनसंख्या (16,926) व इस चिकित्सालय के अन्तर्गत उपचारित मरीजों की संख्या को देखते हुए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा पर्याप्त है।

ग्राम काटुन्डा (बेगूं) में चिकित्सालय

557. श्री **घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील बेगूं के काटुन्डा ग्राम में इस वर्ष नया चिकित्सालय खुलने की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब कब तक डॉक्टर्स एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम काटुन्डा में राज्य आदेश दिनांक 19-2-82 द्वारा एक डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति जारी की गई थी।

(2) ग्राम काटुन्डा में डॉ. शरदसिंह की नियुक्ति दिनांक 28-8-82 को की गई थी किन्तु उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

(3) डाक्टर की नियुक्ति शीघ्र की जावेगी। प्रशिक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध होने पर पदस्थापन करना संभव होगा।

प्रदेश में नीम हकीमों द्वारा आई कैम्प

558. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1981-82 और 1982-83 तक प्रदेश में नीम हकीमों द्वारा कितने आई कैम्प लगाये गये ?

(2) यह कैम्प किस-किस स्थान पर किस-किस जिले में लगाये गये ? इनमें कितने लोगों की नेत्र ज्योति नष्ट होने के समाचार मिले हैं ?

(3) क्या सरकार इनको नियंत्रित करने के कोई कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) नीम हकीमों द्वारा 27 आई कैम्प लगाये गये ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी हां । राज्य सरकार ने इस विषय में आवश्यक कदम उठाये हैं, अब कोई शिविर आयोजित करने से पूर्व आयोजकों को उसकी पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा । यदि राज्य में बगैर अनुमति के कोई शिविर आयोजित करेगा तो वह कानूनी अपराध माना जायेगा व अनधिकृत शिविरों में चिकित्सा एवं शल्य क्रिया को मेडीकोलीगल के समक्ष (Grevious hurt) मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध माना जायेगा । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिलाधिकारियों तथा जन जागरण को समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों की प्रतियां संलग्न है ।

(सूची और परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें ।)

चौमूं के चिकित्सालयों को क्रमोन्नति

559. श्री **तेजपाल यादव** (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का चौमूं राजकीय डिस्पेन्सरी को कस्बे की जनसंख्या को देखते हुए सैटेलाइट या रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार उक्त डिस्पेन्सरी में मरीजों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त डॉक्टर का पद सृजित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि चौमूं डिस्पेन्सरी में एक्स-रे मशीन वर्षों से खराब पड़ी है और उसे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं, वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं ।

(3) जी हां, एक्स-रे मशीन को ठीक कराने हेतु वित्तीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 983-84 में उपलब्ध कराने की कार्यवाही जारी है ।

मैसर्स फार्मिका, अलवर को लाइसेंस

560. सुश्री **पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की

(सुश्री पुष्पा जैन)
कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स फार्मिका, अलवर को 1940 के अन्तर्गत दवाइयों के निर्माण हेतु लाइसेन्स दिये जाने का आवेदन-पत्र खारिज कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस फर्म को अब नया लाइसेन्स दे दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि संस्थान ने लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं की थीं।

(2) जी नहीं।

जिला जैसलमेर में पशु चिकित्सालय खोलना

561. श्री **चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिला पशुपालन प्रधान जिला है? यदि हां, तो पशुओं कि तुलना में जिले में पशु चिकित्सालय कितने हैं? क्या यह सही है कि पशुधन की अपेक्षा चिकित्सालयों की संख्या कम है ? यदि हां, तो कब तक व कितने नये पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे ?

(2) वर्ष 1982-83 में कौन-कौन से जिलों में नये पशु चिकित्सालय खोले गये और किस-किस आधार पर ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इस आधार के अनुसार जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सालय खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में औसतन प्रत्येक 30,910 गोवंश इकाइयों पर एक पशु चिकित्सा संस्था की सुविधा उपलब्ध है, जबकि जैसलमेर में यह प्रत्येक 12,920 गोवंश इकाई पर ही उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। कम नहीं हैं। अभी नये चिकित्सालय खोलने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1982-83 में किसी भी जिले में नयी चिकित्सा संस्था नहीं खोली गई है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

मसूदा विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलना

562. श्री **सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** (मसूदा): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार मसूदा विधान सभा क्षेत्र में कोई नया पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1982-83 में कोई नया पशु चिकित्सा संस्था नहीं खोली गई है और न ही कोई बजट प्रावधान था। वर्ष 1983-84 में नये चिकित्सा संस्था खोले जाने वाले स्थानों के अभी मुख्यालय तय नहीं किये गये हैं।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रवेश

564. श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कृषि अभियान्त्रिक पाठ्यक्रम में शिक्षा सत्र 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया। उनमें से कितने राज्य सरकार द्वारा मनोनीत थे? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा मनोनयन के लिये जितनी सीटें इस पाठ्यक्रम में नियत हैं, उससे भी अधिक सीटों पर न्यूनतम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया गया? यदि हां, तो विश्वविद्यालय ने ऐसा किन आदेशों के अन्तर्गत किया?

उत्तर

(1) कृषि अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रम में शिक्षा सत्र 1980-81 एवं 1981-82 में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया उनकी वर्षवार सूची संलग्न है। इन सूचियों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनके नाम सूची में दर्शाये गये हैं। वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा कोई मनोनयन नहीं किया गया है।

वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार द्वारा जो मनोनयन किया गया है, उसका उल्लेख संलग्न सूची में कर दिया है। निर्धारित न्यूनतम योग्यता से कम अंक प्राप्त वाले किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

पंचायत समिति, जवाजा (अजमेर) में "बढ़िया शिक्षा" के तहत किये कार्यों का भुगतान

565. श्री **रंगजी मीणा** (सपोटरा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में "बढ़िया शिक्षा" के संकल्प की पूर्ति हेतु पंचायत समिति, जवाजा में हुए निर्माण कार्यों का चुकारा करने हेतु 38,000 रु. की राशि का चेक विकास अधिकारी को भिजवाया था?

(2) यदि हां, तो यह चेक कब भिजवाया गया और उसको कब पंचायत समिति के खाते में जमा कराया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि इस चेक को विकास अधिकारी ने लम्बे समय तक अपने पास ही दबाये रखा और "बढ़िया शिक्षा" हेतु सरपंचों द्वारा कराये गये कामों का चुकारा समय पर नहीं हो सका?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह चेक दिनांक 11-3-1982 को जारी किया गया था। यह चेक राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में प्राप्त होने से मिस्प्लेस हो गया था, जो पंचायत समिति को दिनांक 17-9-1982 को मिला।

(3) जी नहीं, सरपंचों को कार्यों हेतु अग्रिम राशि दे दी गई थी, जिससे भुगतान में बाधा नहीं हुई।

जिला भीलवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण

566. श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भीलवाड़ा जिले की सुवाना व विभिन्न पंचायत समितियों ने किन अध्यापकों के स्थानान्तरण 1982-83 में किये गये? स्थानान्तरणों में से कितने निरस्त किये व क्यों? कृपया, जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1982-83 में भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों द्वारा 324 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये थे, जिनमें से 36 अध्यापकों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

पंचायत समिति, भीण्डर की पंचायत अमरापुरा (जागीर) द्वारा पंचायत भवन का निर्माण

567. श्री **कमलेन्द्रसिंह** (वल्लभनगर): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति, भीण्डर के अन्तर्गत पंचायत अमरापुरा (जागीर) में पंचायत भवन अधूरा पड़ा है?

(2) क्या इस पंचायत भवन को अधूरा छोड़ कर एक नया भवन बनाने के लिए पंचायत ने प्रस्ताव किया है? यदि हां, तो पहले बने हुए पंचायत भवन पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(3) क्या विभाग को इस दोहरे निर्माण से कोई एतराज है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पहले बने हुए पंचायत भवन पर 7,140 रु. का व्यय हुआ है।

(3) अभी तक भवन बनाने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

पंचायत समिति, टोंक की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी

568. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, टोंक में प्राथमिक शालाओं में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं व कब से?

(2) रिक्त स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, टोंक की प्राथमिक शालाओं में अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) जब पंचायत समिति, टोंक में अध्यापक का कोई पद रिक्त ही नहीं है,

(४४)

(पंचायत राज्य मंत्री)

तो यह प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

घासा पंचायत (मावली) के सरपंच को चार्ज

569. श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि घासा पंचायत (मावली), जिला उदयपुर के वर्तमान सरपंच को भू. पू. सरपंच ने अभी तक चार्ज नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त सरपंच को चार्ज दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ?

(2) जब चार्ज दिलाने का मामला ही विचाराधीन नहीं है, तो फिर चार्ज दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला कोटा में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत भू-खण्डों का आवंटन

570. श्री **रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत "प्रशासन गावों की ओर" अभियान में कितने निर्धन व्यक्तियों को कोटा जिले में किस-किस पंचायत समितियों में भू-खण्ड आवंटित किये ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) कितने निर्धन परिवारों को मकान निर्माण के लिए अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान की अवधि दिनांक 1-1-83 से 15-2-83 तक कोटा जिले में विभिन्न पंचायत समितियों में 2,741 भू-खण्ड आवंटित किये, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कोटा जिले में निर्धन परिवारों को मकान निर्माण हेतु 100 व्यक्तियों को ऋण राशि 6.00 लाख रुपये तथा 400 व्यक्तियों को अनुदान राशि 3.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

सीकर में फल सब्जी मंडी का निर्माण

571. श्री **उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सीकर शहर में फल व सब्जी की मंडी नहीं है।

(2) राजस्थान के किन-किन जिला मुख्यालयों पर फल व सब्जी मंडी बन चुकी हैं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीकर जिला मुख्यालय पर फल व सब्जी मंडी का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री कृषि राज्य मंत्री)

उत्तर

(1) सीकर शहर में पृथक् से फल एवं सब्जी की मंडी नहीं है।

(2) फल सब्जी वास्ते जयपुर में पृथक् से मंडी समिति है तथा मुख्य मंडी यार्ड निर्माणाधीन है।

(3) पृथक् से फल सब्जी मंडी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि उपज मण्डी, बांदीकुई द्वारा सड़क निर्माण

572. श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मंडी, बांदीकुई द्वारा बनाये जाने वाली कौन-कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषि उपज मंडी द्वारा अब तक कौन-कौन सी सड़कें कब-कब तैयार की गईं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बडियाल कलां से रलावता, पुन्दरपाड़ा, लोटवाड़ा, वेजूपाड़ा तक की सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।

(2) बांदीकुई से बडियाल कलां की सड़क का वर्ष 1981-82 में निर्माण किया जा चुका है।

"सामाजिक सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में वृक्षारोपण

573. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 से 1982 तक वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जन-जाति क्षेत्र में चयनित कितने जन-जाति के लोगों की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया ? कृपया, वर्ष वार एवं जिलेवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) इस योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में कितने जन-जाति परिवारों को चयनित किया गया ? चयनित परिवारों में से कितने परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब तक इस योजना का लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया ? कृपया, चयनित परिवारों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा "वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा" योजना के अन्तर्गत जन-जाति के चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार दो हैक्टेयर वन भूमि वृक्षारोपण के लिए आवंटित की जाती है। यह योजना 1981-82 से लागू की गई थी। योजना के वर्षवार एवं वन मण्डलवार लक्ष्य एवं उपलब्धियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) "वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा" योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में अब तक 6 परिवारों को चयनित किया गया है। इन 6 चयनित परिवारों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। चयनित परिवारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

गांव सीड़ (बल्लभनगर) की वन भूमि का चरागाह में इन्द्राज

574. श्री **कमलेन्द्र सिंह** (बल्लभनगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील बल्लभनगर के गांव सीड़ में वन विभाग का कोई जंगल है ?

(2) क्या इस जंगल की जमीन ग्राम सीड़ के रेवेन्यू खाते में चरागाह दर्ज है ?

(3) क्या सीड़ के ग्रामवासियों को अपनी चरागाह में घास काटने का सदियों से हक है ? यदि हां, तो वन विभाग इस हक में परिवर्तन कर सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सीड़ वन खण्ड के आराजी नं. 413 का 165 बीघा 19 बिस्वा तथा नं. 441 का 191 बीघा 6 बिस्वा. कुल 357 बीघा 5 बिस्वा रेवेन्यू रिकार्ड में चरागाह दर्ज है । यह चरागाह आरक्षित वन क्षेत्र की अंतिम विज्ञप्ति जारी होने के बाद कायम किया गया जिस पर कार्यवाही जिला स्तर पर विचाराधीन है ।

(3) चरागाह क्षेत्र से घास काटने व ले जाने का हक ग्रामवासी सीड़ वालों को है । इस चरागाह क्षेत्र से घास काटने के लिए इन्हें रोका भी नहीं जा रहा है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश

575. सुश्री **पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध अब तक किस-किस न्यायालय से किस-किस प्रकरण पर स्थगन आदेश प्राप्त हुये हैं ? कृपया, इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध अब तक जिस-जिस न्यायालय से जिस-जिस प्रकरण पर स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है, जिसमें पूर्ण विवरण अंकित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

केशोरायपाटन नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा की गई यात्राएं

577. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका, केशोरायपाटन के अधिशाषी अधिकारी ने 15-3-1981 से 2-2-1983 तक पालिका कार्य से कितनी यात्रायें कीं ? कृपया, निम्न तालिका में जानकारी सदन के पटल पर रखें :—

(अ) यात्रा करने की तारीख ।
(ब) यात्रा का स्थान ।
(स) यात्रा का प्रयोजन ।
(द) यात्रा भत्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि ।

उक्त अवधि में ली गई सम्पूर्ण राशि का योग ।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या यह सही है कि अधिशाषी अधिकारी उक्त अवधि में पालिका कार्य से जयपुर, उदयपुर के विभागीय मुख्यालय पर लम्बी अवधि पर रहने पर विभाग के अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, केशोरायपाटन के अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिनांक 15-3-1981 से 2-2-1983 तक की गई यात्राओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। इस अवधि में ली गई सम्पूर्ण राशि का योग 5,678.33 पैसा है।

(2) अधिशाषी अधिकारी जयपुर, उदयपुर के विभागीय मुख्यालय पर लम्बी अवधि पर पालिका कार्य से नहीं रहे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 31 देखें)

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास हेतु बजट

578. श्री **नरपतराम बरवड़** (सूरसागर): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर सुधार न्यास, जोधपुर का वर्ष 1980-81 व 1981-82 में विभिन्न कच्ची बस्तियों के विकास तथा न्यास की योजनाओं के लिये कुल कितना-कितना बजट रखा गया। उसमें से कितना खर्च हुआ?

(2) चालू वर्ष में कहां-कहां, कितना-कितना खर्चा प्रस्तावित है।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, जोधपुर का विभिन्न कच्ची बस्तियों के विकास तथा न्यास की योजनाओं के लिए कुल बजट निम्न प्रकार से रखा गया:—

वर्ष 1980-1981

(अ) योजना	99,38,800
(ब) गैर योजना	50,39,300
(स) कच्ची बस्ती	13,62,300
योग....	1,63,40,400

उपरोक्त प्रावधानों में से निम्नलिखित खर्च किये गये:—

(अ) योजना	24,26,522
(ब) गैर योजना	9,37,432
(स) कच्ची बस्तियां	17,21,129
योग....	52,27,,984

वर्ष 1981-82

(अ) योजना	1,11,29,500
(ब) गैर योजना	29,94,332
(स) कच्ची बस्ती	11,38,368
योग..	1,52,62,200

उपरोक्त प्रावधानों में निम्नलिखित खर्च किये गये:—

(अ) योजना	45,89,522
(ब) गैर योजना	35,87,021
(स) कच्ची बस्ती	11,38,368
योग..	93,14,911

(2) चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं में व गैर योजनाओं और कच्ची बस्तियों में निम्नलिखित प्रावधान रखा गया:—

(अ) योजना	1,55,83,000
(ब) गैर योजना	89,70,000
(स) कच्ची बस्ती	10,00,,000
योग....	2,55,53,000

इसके अलावा न्यास द्वारा 25,00,000 का विभिन्न कच्ची बस्तियों में और खर्च करने का निर्णय लिया है।

नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा निर्माण कार्य

579. श्री **गुलाबचंद कटारिया** (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर विकास न्यास ने जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक निर्माण कार्य पर कुल कितना धन खर्च किया ? कृपया, कार्यों की सूची मय खर्च की गई राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में प्रारंभ किये गये कितने निर्माण कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सच है कि नगर विकास न्यास द्वारा बनाये जा रहे पार्क में लगा हुआ मेटीरियल निम्नतम कोटि का है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार किसी टेक्निकल कमेटी से इस सारे निर्माण कार्य की जांच कराना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर विकास न्यास ने जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक कुल 136 निर्माण कार्य कराये गये, जिन पर रुपये 40,13,918.24 का धन खर्च किया गया ।

कार्यों एवं खर्च की गई राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इस अवधि में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यों में से 66 कार्य उक्त सूची के अनुसार अधूरे हैं। इनमें से 42 कार्य सीमेन्ट एवं डामर उपलब्ध नहीं होने से अधूरे पड़े हैं व शेष 24 कार्य प्रगति पर हैं ।

(3) जी नहीं । नगर विकास न्यास द्वारा बनाये जा रहे कार्य में मेटीरियल निम्न कोटि का नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 32 देखें)

सोजत नगरपालिका को प्रदत्त अनुदान

580. श्री **माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सोजत नगरपालिका को पिछले पांच वर्षों में कितनी-कितनी ग्रान्ट मिली ?

उत्तर

सोजत नगरपालिका को पिछले पांच वर्षों में निम्नानुसार अनुदान स्वीकृत किया गया है:—

वर्ष	सामान्य अनुदान	विशेष अनुदान
1977-78	83,140	40,000
1978-79	83,140	—
1979-80	83,140	—
1980-81	83,140	—
1981-82	83,140	—

नगरपालिका, बाली को दी गई भेंट राशि

581. श्री **असलम खां** (बाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बाली नगर में फरवरी, 1982 के बाद दानदाताओं द्वारा कोई विकास कार्य करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे ?

(2) क्या दानदाताओं द्वारा दान

(श्री असलम खां)
में दी गई राशि नगरपालिका, बाली को भेंट स्वरूप दी गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई और उस राशि का कहां कहां भुगतान किया गया ? कृपया दानदाताओं की सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या नगरपालिका द्वारा दानदाताओं को दान स्वरूप दी गई राशि की रसीदें जारी की गई हैं ? यदि हां, तो मय विवरण के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या नगरपालिका, बाली को दान स्वरूप दी गई राशि पर, आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बाली नगर में फरवरी, 1982, के बाद दानदाताओं द्वारा निम्न विकास कार्य करवाये जा रहे है :—

1. सैलागेट बस स्टेण्ड पर एक सर्किल का निर्माण करवाया गया है जिस पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

2. नये बस स्टेण्ड पर यात्रियों के बैठने हेतु विश्राम गृह व बुकिंग आफिस का कार्य चल रहा है ।

(2) जी नहीं ।

नगरपालिका को ऐसी कोई राशि नहीं दी गई है ।

(3) जी नहीं ।
प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(4) जी नहीं ।

प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सुनेल व पिड़ावा नगरपालिका को विशेष अनुदान

582. श्री गोवान सिंह (पिड़ावा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र, पिड़ावा की नगरपालिका सुनेल व पिड़ावा द्वारा निर्माण कार्य के विशेष अनुदान के लिए कोई तखमीने सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि के ?

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त तखमीने से कितना विशेष अनुदान दिया गया?

(3) राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं को इस वित्तीय वर्ष में कितना कितना विशेष अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार सुनेल व पिड़ावा नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुये, कस्बे के विकास के लिये विशेष अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 82-83 में विशेष अनुदान हेतु नगरपालिका, सुनेल से 2,25,000/- रु. के तखमीने प्राप्त हुए है। नगरपालिका, पिड़ावा से कोई तखमीना प्राप्त नहीं हुआ।

(2) अभी तक विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ है ।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) इस वित्तीय वर्ष 82-83 में अभी तक किसी भी नगरपालिका को विशेष अनुदान की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(4) नगरपालिका, सुनेल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उस पर कार्यवाही जारी है। नगरपालिका, पिड़ावा से प्रस्ताव नहीं आया तो विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

तहसील, बेगूं व पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

583. श्री **घनश्याम जैन** (बेगूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार इस वर्ष नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का इरादा रखती है ?

(2) यदि हां, तो तहसील, बेगूं में कहां-2 खोले जायेंगे ?

(3) क्या इस हेतु पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ के जनजाति बहुल माड़ा क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1982-83 में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कोई नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

काचरी (अन्ता) में आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

584. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति, अन्ता के ग्राम काचरी के नागरिकों द्वारा लम्बे समय से आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग की जाती रही है ?

(2) क्या ग्राम काचरी ग्राम पंचायत मुख्यालय है ? यदि हां, तो इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या एक भी औषधालय नहीं है ? यदि हां, तो, सरकार कब तक काचरी में आयुर्वेदिक औषधालय खोल देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

ग्राम पंचायत, काचरी के क्षेत्र में कोई भी विभागीय आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष 1983-84 में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलते समय, निम्न मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए, ग्राम काचरी में औषधालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है :—

1. ग्राम में पर्याप्त निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।

2. ग्राम में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना।

3. लाभान्वित जनसंख्या कम से कम 2,000 होना।

तहसील, प्रतापगढ़ में औषधियों का वितरण

585. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत चलने वाले औषधालयों को राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी, 1983 में कितने रुपयों की दवाइयां वितरण की गई ? कृपया तहसील प्रतापगढ़ में औषधालयवार वितरण की गई दवाइयों की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले में चलने वाले औषधालयों को केवल माह जनवरी, 1983 में 8,849.60 रुपये की औषधियां वितरित की गई हैं। तहसील प्रतापगढ़ में संचालित औषधालयों को वर्ष 1982-83 में वितरित की गई औषधियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 33 देखें)।

राज्य खेल परिषद् द्वारा खेलों पर व्यय

586. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य खेल परिषद् को राज्य सरकार ने योजना भिन्न एवं योजना मद में कितनी-कितनी राशि वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में आवंटित की तथा कितनी राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि में से किस-किस खेल पर कितनी व्यय की ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) परिषद् द्वारा किन-किन खेलों के लिये प्रशिक्षकों की सेवायें ली जा रही हैं ?

(3) वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक वर्षवार कितने लोगों को खेल वृत्ति एवं नकद पुरस्कार दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जन-जाति उपयोजना क्षेत्र में उक्त वर्षों में कितने आदिवासियों को किस-किस खेल में प्रशिक्षित किया गया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खेल परिषद् को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में प्राप्त अनुदान राशि की सूची संलग्न है। वर्ष 81-82 में विभिन्न खेलों पर व्यय हुई राशि का विवरण संलग्न है। वर्ष 82-83 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः व्यय का मदवार विवरण अभी तैयार नहीं है।

(2) परिषद द्वारा ऐथलेटिक्स, बास्केटबाल, बाक्सिंग, क्रिकेट, साईकलिंग, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हॉकी, महिला हाकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, लोन टेनिस, तीरन्दाजी, तैराकी, टेबिल टेनिस, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती एवं योग के लिये प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं।

(3) वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को दी गई

(खेलकूद मंत्री)

नकद पुरस्कार की सूची संलग्न हैं। किसी को भी खेल वृत्ति नहीं दी गई।

(4) राज्य खेल परिषद् द्वारा जन-जाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक लगभग 1500 आदिवासियों को कबड्डी, खो-खो, तीरन्दाजी, ऐथलेटिक्स, फुटबाल, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, बैडमिण्टन एवं हॉकी खेल में प्रशिक्षित किया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 34 देखें)।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री धाराराम, सदस्य, विधान सभा को 17 फरवरी, 1983 से सत्रावसान तक की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति

अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री धाराराम, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 17 फरवरी, 1983 से सत्रावसान तक की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाये?

एक माननीय सदस्य : आज तो आ गये साहब।

(विराम)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(1) राव श्री कमलेन्द्रसिंह—कस्बा उनियारा, जिला टोंक में आंगन बाड़ी के प्रसार अधिकारी के द्वारा एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के विषय में।

(2) सर्व श्री यदुनाथसिंह, हाजी चाव खां व राजबहादुर—अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण विद्युतिकरण के कार्यालय को भरतपुर से धोलपुर स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(3) सर्वश्री त्रिलोकसिंह व उम्मेदसिंह—मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में यूनीटेक कारखाने के श्रमिकों के विवाद को लेकर सीटू के पदाधिकारियों एवं श्रमिकों की गिरफ्तारी के विषय में,

(4) श्री हरीश शर्मा—कोटा जिले की पंचायत समिति, खैराबाद (चेचट) के लिये स्वीकृत संतरा प्लान्टेशन स्कीम को विद्युत न मिलने के कारण पौधों को हो रही क्षति के विषय में,

(5) श्री हीरालाल आर्य व श्री रघुवीरसिंह कौशल—पीपल्दा क्षेत्र के गैंता कस्बे के एक शिक्षक श्री भवानीशंकर नागर का अपहरण व उसकी हत्या के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री छीतरलाल आर्य— अटरू तहसील की कटावर ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि पर हुए कुछ अतिक्रमणों के विषय में,

(7) श्री दाऊदयाल जोशी—बूंदी जिले को सिंचित करने वाली बाई मुख्य नहर को पानी न मिलने के कारण कापरेन व केशोरायपाटन की जमीन में फसलों को नुकसान होने के विषय में,

(8) श्री मालाराम—चाकसू तहसील में गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त चन्दलाई बांध की मरम्मत न होने से वहां का पानी अन्य गांवों में जाने के विषय में,

(9) श्री हंसराज शर्मा—सवाई-माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग के कर्मचारियों को ग्राम पंचायत आलनपुर से मतदान क्षेत्र को नगरपालिका में लाने के कारण मतदान से वंचित करने के विषय में,

(10) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी—जालौर नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की राय के बिना, कई वस्तुओं पर चुंगी बढ़ाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के विषय में,

(11) श्रीमती उजला अरोड़ा—सवाई माधोपुर अस्पताल, जयपुर में विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था न होने के विषय में,

(12) श्री गुलाब चन्द कटारिया—जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम निकुंभ में गत 12 मार्च को कुछ युवकों द्वारा जैन साधवियों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटना के विषय में,

(13) श्री जीतमल जैन व श्री समर्थलाल—खैरथल, जिला अलवर में फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कम्पनी नामक एक संस्था द्वारा ग्रामीणों से अवैध रूप से धनराशि बटोरने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(14) श्री बंशीलाल पटवा—गत महीने में भीलवाड़ा जिले में चोरियां व ट्रेन की डकैतियां होने के विषय में।

(15) श्रीमती विद्या पाठक—सांगानेर तहसील के कुछ गांवों में गांवों से बाहर हैण्ड पम्प लगाने के विषय में, उक्त दोनों ही विषय स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन—झालावाड़ जिले में सड़कों के टूटे-फूटे होने के कारण, यातायात दुर्घटनाओं के विषय में।

यह भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है इस पर कोई चर्चा भी नहीं होगी।

(17) श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी-माननीय विधायक श्री देवीसिंह भाटी को विधान सभा से निलम्बित करने के कारण, आज 14 मार्च को बीकानेर में बन्द होने के विषय में।

यह भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। इसका संबंध विधान सभा द्वारा लिये गये निर्णय से है। अतः इस पर भी चर्चा की कोई अनुमति नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री कैलाश मेघवाल—अजमेर शहर में सफाई की व्यवस्था।

सरकार ने सूचित किया है कि अजमेर में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है और विद्युत सप्लाई की व्यवस्था में भी कोई व्यवधान नहीं है।

(2) श्री महावीर प्रसाद जैन—टोंक शहर में आने जाने पर यात्रियों से 25 पैसे की वसूली।

सरकार ने सूचित किया है कि यह वसूली काफी पुराने समय से की जा रही है, नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, इसमें साधारण वृद्धि की गई है।

(3) श्री हरीश शर्मा व श्री गोपाल पचेरवाल:—कोटा जिले के ग्राम धनंवा में पड़ी एक डकैती।

सरकार ने सूचित किया है कि सम्बन्धित अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा गया है। इस मामले का चालान भी गत 10 फरवरी को न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(4) श्री रामकंवार बैरवा—गत 9 फरवरी को ग्राम मानसर, थाना चाकसू में चोरी।

सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले की तफतीश जारी है, मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है।

(5) सर्व श्री यदुनाथसिंह, लच्छूराम व हाजी चाव खां—जिला परिषद् सवाई माधोपुर के एक कर्मचारी का जिला प्रमुख के घर से गायब होना।

सरकार ने सूचित किया है कि श्री गोपीलाल कर्मचारी की मृत्यु जिला प्रमुख के घर पर हुई थी। प्रारम्भिक परीक्षण के आधार पर यह मृत्यु हृदयगति रुकने के कारण हुई है तथा इस मामले में जांच जारी है।

(6) श्री मेघराज तावड़—आयुर्वेद चिकित्सकों की हड़ताल।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आयुर्वेद विभाग के वैद्यों का वेतनमान संबंधी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

(7) श्री यदुनाथसिंह—गत जनवरी माह में भरतपुर, कोटा व जोधपुर में आर. ए. सी. में की गई अनियमित नियुक्तियां।

सरकार ने सूचित किया है कि भर्ती के लिए जो बोर्ड बनाया गया था, उसके द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जिस तरह से हमारी प्रक्रिया रही है जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकृत कर दिया है प्रारम्भ में अथवा राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, उन माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में, दो-दो मिनट में अपनी बात कहने की कृपा करें।

श्री बंसीलाल पटवा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर): आन ए पाईन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। बीकानेर में जो मन्जू हरिजन की हत्या हो गई, बलात्कार करने के पश्चात् जिसकी हत्या कर दी गई उसके बावत मैंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये स्थगन प्रस्ताव दिया था। एक दिन बाद बीकानेर बन्द रहा। आज फिर बीकानेर बन्द है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं क्या हरिजनों के साथ इसी प्रकार का अत्याचार होता रहेगा.....

श्री अध्यक्ष: राज्य सरकार से उत्तर उसी दिन प्राप्त हो गया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लेना चाहता हूं।

मैं कल गया था, जो मेरे साथ बीती है वह बताना चाहता हूं केवल। मैं कल गया था, एस. पी. साहब से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि उस घर में महिला का एक भाई आया था, उसकी जानकारी वहां के सुपरिटेंडेंट, पुलिस को नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, सूचना आने दीजिये। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: राज्य सरकार ऐसे किसी एक काण्ड पर भी वक्तव्य नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन जब भी आदेश देता है....

(व्यवधान)

इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य: दूसरे ही दिन सूचना प्राप्त हो गई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और विस्तृत सूचना लेकर उस सम्बन्ध में व्यवस्था देंगे।

माननीय सदस्य बैठ जायं, यही मेरा निवेदन है।

श्री कमलेन्द्रसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 292(2) के प्रोविजो के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम...

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव मेरे पास आया नहीं है।

श्री कमलेन्द्रसिंह: इसमें प्राविजो है..

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

'Provided that the House may at any time, on a motion being made resolve that such suspension may be terminated.

उसके अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं। जाने माने नियम हैं। कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार करेंगे।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि जितने भी प्रस्ताव के प्रोविजन्स हैं इसमें 127 हो, 119 हो, 106 हो, ये तीनों ही लागू नहीं होते हैं। इसलिये मैं इस नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं: नियम 106 में तो प्राइवेट मेम्बर्स रिजोल्यूशन होता है, नियम 119, माननीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक इन्ट्रेस्ट के मैटर पर डिस्कशन हो सकता है। उसका का जो पार्ट (6) है...

(विराम)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कोई इस सदन ने निर्णय लिया है, उस पर पुनः विचार करने का प्रश्न नहीं है।

श्री कमलेन्द्रसिंह : मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी आप प्रस्ताव पेश मत कीजिये। वैश्म में चर्चा से यह विषय तय हो सकता है, माननीय सदस्य। आप उतावली में कोई प्रस्ताव..

(व्यवधान)

मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं लेकिन रेगुलर प्रस्ताव आये वह सभी पक्षों को विश्वास में लेकर हो। आप एकदम प्रस्ताव पेश करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निलम्बन का प्रस्ताव जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध पास किया गया वह तो उससे प्रभावित है ही, वहां को जो कान्स्टीट्यूएंसी है और जो जनता है, उन्होंने भी रिप्रेजेन्टेशन दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह तो उसका परिणाम होता ही है। स्वाभाविक है, कुछ परिणाम होता है।

(व्यवधान)

प्रस्ताव के बारे में आसन से प्रश्नोत्तर नहीं होगा। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : एक बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला था, को मार दिया गया। इस बारे में मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। कार मालिक ने मार दिया,..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अन्य माध्यम स्थगन प्रस्ताव के जरिये माननीय सदस्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आसन को 25 से 30 स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था करनी पड़ती है। लम्बे समय से सत्र चल रहा है। यह

(श्री अध्यक्ष)
मेरे लिये सम्भव नहीं हैं कि स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन सभी प्रस्तावों के बारे में मैं तत्काल जानकारी उपलब्ध करा सकूं। आपको थोड़ा कष्ट जरूर होगा, आप कृपया मेरे वेश्म में मिलने की कृपा करें और उसके महत्व को समझाने की कोशिश करें। जन हित में जो कुछ सम्भव होता है वह करने की आपके इस सेवक की हमेशा कोशिश रहती है। अब मैं जिन माननीय सदस्यों को पुकारूं..........

(व्यवधान)

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने जो आज स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का सारा जैन समाज आज हजारों की संख्या में एकत्रित है . . .

अध्यक्ष : मैं जल्दी ही सूचना मंगवा दूंगा।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : मैं यह कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो जाय, जैन साधवियों के कपड़े फाड़ दिये जाय और सरकार कुछ न करें। अध्यक्ष महोदय, इसका आज ही जवाब दिलवाया जाय। यह हमारी भावनाओं से सम्बन्धित है। हजारों की तादाद में उदयपुर में लोग एकत्रित हो रहे हैं. . . .

श्री **अध्यक्ष** : आज प्रातःकाल ही मेरे सामने यह बात आई है . . . ।

(व्यवधान)

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य घटना नहीं है। मंत्री महोदय, जवाब दें आज ही इसका। अध्यक्ष महोदय, जैन समुदाय के साथ यह पहली घटना है। साधवियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है। आज ही आप किसी भी समय वक्तव्य दिलावें। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय तत्काल इस पर वक्तव्य दें। हम इसे बर्दाश्त कर जांय, यह कभी नहीं होगा। पहली बार इस तरह की घटना घटी है . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जैन साधवी के साथ इस प्रकार की घटना सरकार की अकर्मण्यता की द्योतक है। यह सरकार के लिये बड़ी शर्म व लज्जा की बात है।

श्री **अध्यक्ष** : मैं इस पर शीघ्र जानकारी लूंगा। भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्य।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, तत्काल वक्तव्य दें। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : अंकित न हो।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : × × ×

श्री **अध्यक्ष** : मैं जानकारी मंगवा लूंगा, आर्डर प्लीज।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : × × ×

श्री **अध्यक्ष**: अव्यवस्था न फैलायें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(58)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×।

श्री अध्यक्ष : इस पर तुरन्त जानकारी प्राप्त की जायेगी, माननीय सदस्य। आप मुझसे मिल लेना अभी। स्थिति मालूम किये लेते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री जी सामने बैठे हैं। आज वक्तव्य दिलायें। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे एक घंटे बाद मिलें।

(व्यवधान)

एक साथ बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं सुन सकता हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा की सिन्थेटिक फैक्ट्री में साढे चार हजार मजदूरों की छंटनी की गई है। उसके सम्बन्ध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : आपका है, त्रिलोक सिंह जी का है। मैंने यह निवेदन कर दिया था कि उस पर वक्तव्य दिलाया जायगा। तारीख मैं फिक्स करूंगा।

(व्यवधान)

इस तरह प्रश्न नहीं होंगे, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जैन साध्वियों के साथ इस प्रकार की घटना हो और सरकार जानकारी न रखे, कितने अफसोस की बात है।

(व्यवधान)

× × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बलात्कार की घटनायें होती हैं तो मंत्री महोदय अपनी तरफ से क्यों नहीं वक्तव्य देते हैं। यह राज्य सरकार है या क्या है, समझ में नहीं आता है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रिविलेज मोशन है ..।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आसन से कोई प्रश्न नही होता है। आपने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, उस पर विचार किया जा रहा है माननीय सदस्य, उस पर शीघ्र निर्णय ले लेंगें, इतना ही मैं निवेदन कर सकता हूं। सभी प्रश्न जो मेरे पास विचाराधीन है, उनके बारे में माननीय सदस्य तत्काल कोई जानकारी चाहें तो वह देना सम्भव नहीं है। निर्णय लेते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और पुराने प्रिसीडेन्ट भी देखने पढ़ते हैं। कृपया, अब शान्त रहें।

श्री बंशी लाल पटवा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट आयुर्वेद विभाग के वैद्यों का वेतनमान सम्बन्धी मामला विचाराधीन है और दूसरी तरफ मंत्री महोदय ने कहा है कि क्रियान्वितिहेतु 17 तारीख को आदेश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह जबाब दिया गया कि वैद्यों के वेतनमान सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन है। आपके माध्यम से ही दो प्रकार के उत्तर दिये जा रहे हैं। इस तरह सदन में गलत सूचनायें देते हैं। मैं समझती हूं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
मंत्री महोदय को ताड़ना देनी चाहिये। एक ही प्रश्न के दो तरह के उत्तर आ रहे हैं और वह भी आपके माध्यम से ही आये हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया, मेरी बात सुन लीजिये माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक ही प्रश्न के दो उत्तर।

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है वह उस समय उठाया जाता है जब विषय विचाराधीन हो, सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम हैं; उनका उल्लंघन हो रहा हो अथवा संविधान के जो प्रावधान अपनी विधान सभा पर लागू होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा हो। उस अवस्था में जब विषय विचाराधीन हो तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है। विचाराधीन प्रश्न यहां हो नहीं और माननीय सदस्या को याद आ जाय कि फलां दिन या फलां वक्त का प्रश्न है। और उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठा दे तो उस पर व्यवस्था नहीं दी जा सकती है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायं।

श्री बंशी लाल पटवा।

गत महीनों में भीलवाड़ा जिले में चोरियों, ट्रेन डकैतियों, आदि के बारे में।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपको हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषतौर से एडजोर्नमेंट मोशन्स के सम्बन्ध में। मुझे कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण मसले हैं उनका महत्व अब कम हो जाय उसके बाद में सरकार तैयार होती है...

श्री अध्यक्ष : उत्तेजना कम हो जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने उत्तेजना नहीं कहा, मैंने कहा महत्व कम हो जाय। मैंने "उत्तेजना" शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह हो सकता है कि आपके विचार में यह हो....

श्री अध्यक्ष : कभी कभी होता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्यों की उत्तेजना समाप्त हो जाय, तब जाकर सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय। अब उत्तेजना समाप्त करना आप चाहते हैं या सरकार महत्व समाप्त करना चाहती है तो हमारा क्या दोष होगा यदि हम सदन में आपसे आग्रह करें कि उस प्रश्न के ऊपर तुरन्त ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो साधवी का मामला है, सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए। सरकार स्वयं आपसे आग्रह करे कि हमें वक्तव्य देना है, वक्तव्य देने की अनुमति दी जाय, बनिस्पत इसके कि आप सरकार से तथ्य मांगें और फिर सरकार को कहें कि वह एक वक्तव्य दे। उस समय तक बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। अब जैसा समाचार पत्रों में आज पढ़ा मुझे प्रत्यक्ष जानकारी कोई नहीं है, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने घटना का जिस प्रकार जिक्र किया और बताया, मैं समझता हूं सब के लिए यह शर्मनाक चीज है। ऐसे विषय पर भी सरकार मौन रहे और अपनी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट नहीं करे कि

(60)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमें ऐसे महत्वपूर्ण मसले के ऊपर कोई वक्तव्य देना है तो, अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से विधान सभा की कार्यवाही चलेगी ।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, खास तौर से विशेषाधिकार हनन प्रश्नों को उपर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव आप रिजेक्ट कर दें, अनुमति नहीं दें लेकिन वह ज्यादा पैंडिंग नहीं रहें, कम से कम इसकी व्यवस्था तो आपके माध्यम से की ही जानी है । पिछले सत्र के भी कई पड़े हैं, इस सत्र में भी कई माननीय सदस्यों ने दिये हैं । हमारा रिजेक्ट हो स्वीकार हो, जो भी स्थिति हो यदि उसकी जानकारी मिल जाय, यदि आप जानकारी दे दें तो आपको जो प्रश्नोत्तर का जो एक अनुभव होता जा रहा है, उस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार को बाध्य करें, आज ही बाध्य करें कि साधवी के प्रश्न के ऊपर आज ही सरकार वक्तव्य दें ताकि जिस प्रकार की उत्तेजना सदन के बाहर फैल रही है उस उत्तेजना का किसी प्रकार शमन किया जा सके । सरकार नहीं बोल रही है ।

श्री **अध्यक्ष** : आपके जो सुझाव है । वह दोनों ही उचित हैं । यथासम्भव मैं इसी अनुसार कार्यवाही करने की कोशिश करता हूं । जहां तक साध्वी वाला प्रश्न आया है, मैं अन्दर जाकर सरकारी पक्ष से बात करके तत्काल इस पर जानकारी प्राप्त करूंगा और इस की व्यवस्था करूंगा यही अभी निवेदन कर सकता हूं ।

जहां तक विशेष अधिकार हनन का प्रश्न है । विशेषाधिकार हनन का प्रश्न, आप जानते है, काफी गहन गम्भीर होता है, सदन को बड़ा अधिकार, हैं इस सम्बन्ध में, तो उसमें मुझे भी काफी पढ़ना पड़ता है । सदन के सम्मुख कोई घटना हो जाय मैं तत्काल ले लूं वरना उसमें थोड़ी लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, वैसे आपके सुझाव ठीक है, यथासम्भव मेरी यही कोशिश रहती है कि जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो, ज्वलन्त प्रश्न हो, जिनका उत्तर सरकार दे सकती हो, उनका जल्दी ही उत्तर दिलाया जाय, जहां तक विशेषधिकार हनन का प्रश्न है उसके महत्व को देखते हुए, सदन के अन्दर विशेषाधिकार हनन के कारण कार्य करने के अन्दर कोई अड़चन पैदा हो जाय, यह हो जाय तो उस पर तत्काल अपन निर्णय करते हैं । प्रस्ताव कई तरह के हैं कई छेटे हो सकते हैं, कई तरह के विशेषाअधिकार हैं, वैसे परिभाषित हमारे विशेषाधिकार हैं नहीं, इसलिए उसके भी महत्व को देखते हुए निर्णय लेते हैं । एक ही विशेषाधिकार हनन प्रश्न को ले ही लिया । मैं महत्वपूर्ण · · ·

श्री **भैरों सिंह शेखावत**: अध्यक्ष महोदय, जैसे पिछले सत्र में एक विशेष अधिकार · · · ·

श्री **अध्यक्ष** : एक महत्वपूर्ण विशेष अधिकार हनन का प्रश्न ले ही लिया ।

श्री **भैरों सिंह शेखावत**: किसी माननीय सदस्य के साथ यदि इस सदन के प्रागण के बाहर या सदन के सारे परिसर में किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाये तो यह तो मामले इस इमिजिएटली लिया जाना चाहिए । पिछले सत्र में एक विशेषाधिकार का प्रश्न लिया गया । आज तक उसका उत्तर नहीं आया । अब, अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आप कहेंगे कि अब उसमें सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ रही है। तो आपको तो व्यवस्थाएं देखेने में समय लग रहा है और हमें अपने धैर्य को सीमा में रखने में समय लग रहा है। दोनों में कहीं न कहीं तो तालमेल बैठाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं। जो महत्वपूर्ण होते हैं, सदन के समक्ष कोई घटना होती है, महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हनन का प्रश्न होता हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महत्वपूर्ण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : उसमें अधिकत्तर माननीय सदस्यों की राय होती है तो माननीय सदस्यों की राय का आदर करते हुए मैं अनुमति दे देता हूं, सदन में समय देता हूं और आम तौर से एक प्रश्न विशेषाधिकारका सदन के सम्मुख आ ही जाता है लेकिन हमारे अधिकारों से भी हम जनता के हित को ज्यादा उच्च प्राथमिकता देते है, ऐसा मेरा मानना है। माननीय सदस्यों को तो पहले जन हित को देखना चाहिए, अपने बारे में कुछ हो गया हो तो उसको बाद में देखना चाहिए कोई ऐसी घटना हो जो जन हित के कार्य यहां सम्पादन करने में बाधक हो तो उसको तत्काल ले लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मन्त्री के चपत मारदी जाय, यहां कहां तक जनहित का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री वंशीलालजी पटवा।

श्री वंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में और भीलवाड़ा नगर में आये दिन अपराधवति बढ़ती जा रही है। चोरियां होनी तो मामूली बात है पिछले महीनों में ट्रेन डकैती हुई, दिन दहाड़े हुई, तीन साढ़े तीन बजे जो ट्रेन निकलती है रायला गुलाबी के बीच में उसमें पिस्तोल की नोक पर औरतों के जेवर लूटे गये, उनको अपमानित किया गया। इसी तरह से पिछले महीने मे गुरुनानक पैट्रोल पम्प पर दिन दहाड़े एक कार में चोर आये, गल्ला लूट कर ले गये, चाकू से वार किया। इसी तरह से राह चलने वाली औरतें अस्पताल से आ रही है औरत की चैन छीनली जाती है, किसी का शील भंग करने की कोशिश की जाती है। एक बहुत बड़ी चोरी सराफ की दुकान पर हुई। छुट-पुट चोरियां तो आये दिन होती रहती हैं एक औरत की तो दिन दहाड़े हत्या करदी गयी इस तरह का अपराधवति आये दिन बढ़ती जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा आज दिन तक कोई बरामदगी नहीं हुई। मेरा इस बारे में निवेदन है कि यह जो चोरिया हो रही हैं, केवल भीलवाड़ा नगर तक सीमित नहीं हैं। ट्रेन में डकैतियां होती हैं, औरतों का शील भंग किया जाता है इसी तरह से जिले में भी बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं लेकिन आज दिन तक उनका पता नहीं लगाया जा सका हैं। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस तरह से अपराध वृति बढ़ती रही, उनकी रोकथाम नहीं हुई, डकैतियों की बरामदगी नहीं हुई चोरियों की यदि बरामदगी नहीं हुई तो अराजक तत्वों, जो लूटेरे हैं, बदमाश है चोर हैं, को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। एक दिन दयनीय स्थिति यह आयेगी कि लॉ एण्ड आर्डर भी वहां की पुलिस

(श्री बन्शीलाल पटवा)

(12 38 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति पदासीन के काबू में नहीं रहेगा । तो इससे क्या स्थिति खड़ी हो सकती हैं, इसका अंदाज लग सकता हैं, भविष्य में चोरिया नहीं हों। पूर्व में जो डकैतियां और चोरियां हुई हैं ? उनकी बरामदगी हो और भयावह स्थिति खड़ी नहीं हो, इस दृष्टि से यदि शीघ्र ही कदम नहीं उठाये गये तो अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती हैं । भीलवाड़ा नगर में तो दयनीय स्थिति यह हैं कि रात्रि को 9-10 बजे कोई भी औरत घूमना पसन्द नहीं करती, अपने घरों में रहती है । हालात भीलवाड़ा नगर के खराब हैं इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि जो स्थिति दयनीय बन चुकी है उसको गम्भीरता से लिया जाय और चोरियों को बरामद किया जाय, अपराधवृति को रोका जाय । यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है ।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक ।

श्री ललीत किशोर चतर्वेदी (कोटा) : नाम बोलिये सर ।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती विद्या पाठक ।

श्री **हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है, सभापति महोदय 11 तारीख को हम लोगों के जिन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी की गई थी, उन प्रस्तवों पर हमें बोलने का जो मौका देना था वह हमको दिया ही नहीं । 11 से आज 14 तारीख हो गयी लेकिन हमको मौका दिया ही नहीं गया, यहां चेयर से यह कह दिया गया था कि इनकी जानकारी की गयी है, इन इन लोगों को मौका दिया जायेगा लेकिन मौका ही नहीं दिया गया है अब तक ।

श्री **सभापति** : माननीय विद्या पाठक ।

(अनुपस्थित)

माननीय कैलाश मेघवाल ।

(अनुपस्थित)

माननीय महावीर प्रसाद ।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव यह है कि टोंक में आप अन्दर जाओ तो 25 नए पैसे नगरपालिका द्वारा 25 पैसे यात्री कर के नाम से लिये जाते हैं और टोंक से बाहर निकलो तो 25 नए पैसे लिये जाते हैं । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं इस प्रकार की यात्रियों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है । हजारों छात्र रोज वहां पढ़ने जाते हैं । जिला हैड क्वार्टर होने की वजह से हजारों लोग अपनी पेशियों के लिए वहां जाते हैं, अपने काम निपटाने के लिए वहां जाते हैं । मैं नगर पालिका एक्ट को पढ़ रहा था । इसमें कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कि यात्री कर का पैसा वसूल किया जावे । पहले ढांढ़ों पर यह वसूल किया जाता था, माल कर लिया जाता था लेकिन यात्री कर लिया जाय यह समझ में नहीं आता । पुराने स्टेट के समय में वहां पर जो पुल बना उस पर से जाने के लिये एक आना केवल लिया जाता था। उसके बाद दस पैसे कर दिये और अभी जैसी सूचना दी है, माननीय सभापति महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि जो एडमि-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वह विधान सभा की बिल्कुल परवाह नहीं करते। उन्होंने एक छोटा सा उत्तर दे दिया कि नगर पालिका को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए थोड़ा सा यात्री कर बढ़ाया हैं। वह बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में बिल्कुल स्पष्ट लिखा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है। यह नियमों के विरुद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने छः नए पैसे से दस नयें पैसें और दस नये पैसे से पच्चीस नये पैसे किया है। एक यात्री और एक छात्र पर प्रतिदिन पचास नए पैसे टेक्स का भार लाद दिया है, इसका किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। इस प्रकार का उत्तर देकर एक अपराध और किया है, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कह दिया कि हमने बहुत थोड़ा सा कर और बढ़ाया है जब कि, माननीय सभापति महोदय, दस पैसें से पच्चीस पैसे बढ़ाये हैं। पुराना टेक्स लगा आ रहा है वह किस नाम से लगा हुआ था और उसका क्या उपयोग होता था। आखिर कोई प्रोवीजन होती हैं तो कोई न कोई उसके पीछे उद्देश्य होता है। यात्री कर आखिर किस लिए लेना चाहतें हैं। समझ में आता है कि पुष्कर में यात्री कर लिया जाता हैं। वह एक दर्शनीय स्थल है। उस दर्शनीय स्थल के विकास की दृष्टि से और पैसा लिया जावे, यह समझ में आता है। ऐसा हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है राजस्थान में टौंक के सिवाय कहीं नहीं है। टौंक में इस प्रकार की खूली लूट को इजाजत नहीं दी जा सकती है। स्वायत शासन मंत्री तो यहां पर नहीं हैं लेकिन सरकार की ओर से कई मंत्री बैठे हैं। कहते हैं कि संयुक्त उनकी जिम्मेदारी है। यह टेक्स नाजायज रूप से बढ़ाया गया है। इसका नियमों में, कानून में और इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं। यह बिल्कुल खुली लूट है। मैं चाहूंगा, इस खुली लूट को बन्द करके यात्री कर को तुरन्त समाप्त किया जावे इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री **सभापति** : माननीय विद्या पाठक।

श्रीमती **विद्या पाठक** : सभापति महोदय, मेरा गला खराब है। मैंने मंत्री महोदय को बता दिया है।

श्री **सभापति** : माननीय हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकवार बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़।

(अनुपस्थित)

श्री **भैरोंसिह** गुर्जर (खारची) : **सब** बहिष्कार कर गए, साहब।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री **कैलाश मेघवाल** : **मैं तो बाद, में** बोलूंगा, साहब।

श्री **चन्द्रवीरसिंह** भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन था। मैंने आज स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें मेरी यह कतई भावना नहीं थी कि सदन ने जो निर्णय लिया उसके ऊपर कोई एप्रिहेंशन शो करूं या उसका विरोध

(६५)

(श्री चन्द्रवरसिंह भाटी)

करूं। सभापति महोदय, मैं अभी परसों बीकानेर जाकर आया हूं। बीकानेर में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है उस मंजू बलात्कार और हत्या काण्ड के बाद, वह स्थिति आने वाले समय में गम्भीर नहीं हो जावे इसलिए आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन था कि राज्य सरकार इस पर जल्दी से जल्दी वक्तव्य दे। माननीय ललित किशोर-जी ने 8 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस पर व्यवस्था नहीं आई, सभापति महोदय, आज वहां पर शहर बन्द है। 15 हजार से लेकर 25 हजार आदमी जुलूस लेकर आ रहे हैं। अगर आर्मी और सिविलियंस में किसी तरह का तनाव पैदा हो गया तो यह सारे देश के लिए शर्मनाक घटना हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस हत्या और बलात्कार काण्ड को जनरलाइज नहीं करें। इसका एक महत्व बन चुका है। अपने ने; सदन ने निर्णय लिया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बीकानेर में गम्भीर स्थिति हो रही है, सभापति महोदय, आज सारा बीकानेर शहर बन्द पड़ा है। आज बीकानेर बन्द है, कल नोखा बन्द होगा, फिर सारा डिविजन बन्द होगा। तो क्या हम यह चाहते हैं कि जो मसला है इसको समाप्त करने के बजाय उसको और बढ़ाया जावे। माननीय सभापति महोदय, खारा में बलात्कार काण्ड हुआ, उसका सरकार ने जवाब नहीं दिया। बीकानेर में बलात्कार काण्ड हुआ उसका जवाब नहीं दिया। खारा की स्थिति यह है कि सात व्यक्ति उस बलात्कार, सामुहिक बलात्कार में सम्मिलित थे। केवल पांच पंक्तियों को पकड़ा गया है, दो व्यक्तियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। यही स्थिति बीकानेर की है। आपने एक अर्दली को तोड़ पकड़ लिया है लेकिन लोगों में एप्रिहेंशन है, वह कहते हैं कि एक अर्दली ही नहीं है उसके साथ और भी व्यक्ति कोई होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप सचेत नहीं हुए, जगे नहीं तो, सभापति महोदय, यह जो बीकानेर की घटना है यह सारे राजस्थान में फैलेगी। यह बड़ी अशोभनीय घटना है। सभापति महोदय, ऐसी और वारदातें हुई हैं। यह तो केवल दो वारदातें है जो प्रकाश में आई हैं। लेकिन जैसा अपना समाज है, जैसा अपनी कल्चर है, जैसी अपनी संस्कृति है, ऐसे मामले आमतौर पर रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। इससे आप भी परिचित हैं, सभापति महोदय। आर्मी का पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त कंसंट्रेशन है। बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है और जगहों पर आर्मी का बड़ा जबरदस्त कंसेंट्रेशन है। हम आर्मी, सारी आर्मी खराब नहीं कह सकते। सभापति महोदय, हमें तो हिन्दुस्तान की फौज पर बड़ा फरक है, नाज है। वह हमारे देश की सीमाओं की रक्षक है। लेकिन उनमें अगर कोई भक्षक पैदा हो जावे और सारी आर्मीफोर्स पर उसकी बुराई आवे या बदनामी आवे तो यह भी उचित नहीं है। सभापति महोदय, मेरा आपसे फिर यह अनुरोध है, फिर यह निवेदन है कि सरकार से आज का आज वक्तव्य दिलाया जावे। नहीं तो आज तो बीकानेर बन्द है, बीकानेर में आज हजारों आदमियों का जुलूस निकाला है, हो सकता है सभापति महोदय, वहां फायरिंग हो जावे, हो सकता है वहां पर लाठीचार्ज हो जावे या अन्य

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटि)
प्रकार की घटना घट जावे तो माननीय सभापति महोदय, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा था।

श्री सभापति : माननीय तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था एलोपैथिक चिकित्सक व आयुर्वेद के वैद्यों के वेतनमान में असामानता के कारण। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस पर निर्णय लिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता, यहां पर मंत्री जी ने यह घोषणा की थी, प्रश्न था यह जवाब दिया कि हमने निर्णय ले लिया है। और अब यह सूचित किया है कि निर्णय लिया जा रहा है। तो सभापति महोदय, जिन वैद्यों को एक पशु चिकित्सक के बराबर भी वेतन नहीं मिलता उनके बारे में 1972 में भी मंत्रिमण्डल ने निर्णय ले लिया था लेकिन, वह आज तक लागू नहीं किया गया है। इधर अभी बार-बार यह कहा जा रहा कि निर्णय लिया जा रहा है या विचाराधीन है। इसका क्या मतलब है ? क्या राज्य सरकार यह चाहती है कि वैद्य हजारों की तादाद में अपना काम काज बन्द करके, औषधालय बन्द करके, सड़कों पर आ जावें। तो, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार ने जिस तरह का निर्णय लिया है उसको केवल लागू करना बाकी है तो लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है। आज वैद्य असंतुष्ट हैं। विद्यार्थी बाहर बैठे हुए हैं। यह जो विद्यार्थियों का मसला है जो आयुर्वेद से सम्बन्धित है। राज्य सरकार गम्भीरता से इस पर विचार क्यों नही करती ? क्या सरकार यह चाहती है कि राज्य कर्मचारी भी हड़ताल करें, वैद्य भी हड़ताल करें, विद्यार्थी भी हड़ताल करें और राजस्थान का जनजीवन अस्त व्यस्थ हो जावे। तो, सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो वेतनमानों का सरकार ने निर्णय ले लिया है उसको शीघ्र से शीघ्र सख्ती से लागू करवाया जावे और वैद्यों को यह मौका नहीं दिया जावे कि वह सड़कों पर आवें, आन्दोलन करें और व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो। मेरा यहीं कहना है।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखा जानेवाला पत्र। मंत्री महोदय !

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
अधिसूचना

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 5-(8) गृह-7/83, दिनांक 8 मार्च, 1983, जिसके द्वारा राज्य के भ्रमण हेतु अनुबंधित बस को कर-मुक्त किया गया है सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति का पांचवां, छठा व सातवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(श्री सभापति)

श्री सम्पतराम, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1982-83 समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री सम्पतराम (सभापति, प्राक्कलन समिति) '(क) : माननीय सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं प्राक्कलन समिति "क" 1982-83 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य अभिलेखागार (शिक्षा) विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, 1977-78 के दूसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का पांचवा प्रतिवेदन,

(2) सहकारिता विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, 1978-79 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का छठा प्रतिवेदन,

(3) पर्यटन विभाग विषयक, प्राक्कलन समिति "क" 1980-81 के तीसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का सप्तम प्रतिवेदन।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा

अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में काश्तकारों को दिये जाने वाले ऋण में व्याप्त अनियमितताएं एवं घोटाला

श्री **सभापति** : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** (सहकारिता मंत्री) : मैं पहले कह दूं, स्टेटमेंट दे दूं तो थोड़ा ठीक रहेगा।

श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : आप दे दीजिये, बहुत अच्छा है। मुझे कापी दे दें तो ठीक रहेगा।

एक माननीय सदस्य : सुन लेना।

श्री **कैलाश मेघवाल** : सुनूंगा तो सही। उसमें कोई गलती हो जाय तो कोई दिक्कत नहीं।

श्री **सभापति** : आसन की अनुमति से।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : माननीय विधान सभा सदस्य श्री कैलाश मेघवाल, श्री रामकिशोर मीणा एवं सुश्री पुष्पा जैन द्वारा नियम 127 के अन्तर्गत अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अजमेर द्वारा वर्ष 82 में खरीफ की फसल के अवसर पर किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के दौरान बरती गई अनियमितताओं आदि के बाबत थोड़ी देर की चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव में मुख्य रुप से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :—

(1) जिला अजमेर कृषि विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 82 में फसली ऋणों के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये थे उनके अनुसार किसानों को बीज, खाद व औषधियां आदि नहीं दी गयी।

(2) नकद भुगतान न देकर बुक एडजस्टमेंट किये गये तथा "बी" भाग की पूरी रकम से ज्वार खरीद कर घोटाला किया गया।

(3) ज्वार खरीद में क्रय-विक्रय

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सहकारी समितियों ने ऊंचे भाव में ज्वार खरीद का फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया और कमीशन प्राप्त किया।

(४) ज्वार क्रय व वितरण की प्रक्रिया के दौरान सेल्स टैक्स तथा मण्डी टैक्स एवं ढुलाई में अनियमितता की गई।

यह उल्लेखनीय है कि इसी आशय की एक शिकायत माननीय सदस्य श्री अयाज महरिजि से वमीग में दिनांक 4-11-82 को प्राप्त हुई थी। तत्काल 20-11-82 को ही प्राथमिक जांच करने हेतु उप रजिस्ट्रार प्रधान कार्यालय को भेजी जिन्होंने रिपोर्ट दिनांक 1-12-82 को प्रस्तुत की। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार प्रधान कार्यालय को तत्काल दिनांक 2-12-82 को ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया जिन्होंने जांच रिपोर्ट दिनांक 17-2-83 को प्रस्तुत कर दी। उक्त जांच अधिकारी द्वारा 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 1094 सदस्यों की गहराई से जांच की गई। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

1. अजमेर जिला कृषि विशेषज्ञ समिति ने उनकी बैठक दिनांक 27-2-83 द्वारा वर्ष 1982-83 के लिये अल्पकालीन ऋण के मापदण्डों की सिफारिश की थी तथा बैंक द्वारा पिछले वर्षों की तरह अल्पकालीन ऋण वितरण के बारे में एक परिपत्र जारी किया था।

2. निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा ऋण सीमा आवेदन-पत्र तैयार किये जाकर ऋण पर्यवेक्षक एवं सहायक अधिशाषी अधिकारी की सिफारिश के पश्चात् संबंधित बैंक शाखाओं को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये।

जिले की 124 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिये 310.99 लाख रुपये, जिसमें "अ" भाग 189.06 लाख रुपये व "बी" भाग के लिये 121.93 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये। इन सीमाओं के अन्तर्गत खरीफ 1982 में कुल 185.62 लाख रुपये का 'अ' भाग और 118.49 लाख रुपये का "ब" भाग यानी कुल 304.11 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। "अ" भाग के पेटे समस्त ऋण लोन पे आर्डर द्वारा वितरित किया गया, नकद नहीं। अतः इस राशि का समायोजन किया गया हो, सही नहीं पाया जाता।

जहां तक "ब" भाग का प्रश्न है, 118.49 लाख रुपये में से 72.44 लाख रुपये के ज्वार का बीज वितरित किया गया एवं शेष 46.05 लाख रुपये रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधियां, मक्का, बाजरा; मूंगफली का बीज आदि दिया गया। अतः यह कहना कि "ब" भाग की समस्त राशि ज्वार की खरीद में खर्च की गई, सही नहीं पाया जाता और न "ब" भाग के लिये स्वीकृत कुल राशि के ऊपर ही खर्च किया गया।

3. ज्वार के बीज के क्रय व वितरण के संबंध में अनियमितताओं आदि की शिकायत के बारे में जांच अधिकारी द्वारा 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो विस्तृत जांच की गई उससे पाया गया कि :—

1. सदस्यों को आवश्यकता से

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

अधिक ज्वार का बीज दिया गया।

2. टांटोटी, बेगलियावास व भटियानी समितियों में कुछ सदस्यों ने बयान दिया कि उन्हें ज्वार का बीज प्राप्त नहीं हुआ बल्कि राशि उनके पिछले ऋण में जमा कर दी गई।

3. टाटोटी समिति के कुछ सदस्यों द्वारा बीज की राशि में से कुछ प्रतिशत कमीशन काट कर दिया गया व शेष राशि का समायोजन किया गया।

4. जहां तक ज्वार के बीज की दरों का प्रश्न है, कृषि उपज मण्डी से प्राप्त सूचना के अनुसार पाया गया कि अजमेर एवं विजयनगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति तथा पीसागन वृहत कृषि सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा अधिक दर चार्ज की गई। ग्राम सेवा सहकारी समितियां भटियानी, टांटोटी व बेगलियावास की जांच से पाया गया कि जिन मार्केटिंग सोसाइटीज द्वारा व्यापारियों के माध्यम से बीज भेजना बताया गया है, उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अतः स्पष्ट है कि व्यापारियों ने माल सप्लाई न कर, केवल फर्जी बिलिंग का कार्य किया है।

जहां तक "ब" भाग के ऋण वितरण का प्रश्न है इसका पुराने ऋण की वसूली में समायोजन कर वितरण बताया गया है। इस संबंध में क्रय-विक्रय सहकारी समिति ब्यावर, विजयनगर, नसीराबाद एवं अजमेर के व्यवस्थापकों द्वारा अप्रमाणित बीज अधिक दरों से क्रय करने तथा लाखों रुपयों का माल बिना टेण्डर के क्रय करने के आदेश दिया जाना तथा सहकारी विभाग के तत्संबंधी आदेशों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है।

जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया जाता है कि उपरोक्त गंभीर अनियमितताएं फील्ड स्तर पर कर्मचारियों द्वारा की गई। अतः जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जा चुकी है :–

बैंक के 2 सहायक अधिशाषी अधिकारी एवं दो ऋण पर्यवेक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है एवं अनुशासानात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

चार क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को निलम्बित कर दिया गया है एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं।

चार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

ब्यावर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के लेखाकार के भी निलम्बन के निर्देश दे दिये गये हैं।

जांच में जिन फर्मों द्वारा फर्जी बिलिंग की कार्यवाही किया जाना पाया जाता हैं उनके लेखों की जांच के लिये आयुक्त, आयकर विभाग को एवं आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग को दिनांक 21-2-83 को तथा आयकर विभाग को दिनांक 11-3-83 को लिखा जा चुका है।

बैंक के मुख्य कार्यकारी एवं प्रशासक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, विजयनगर का स्थानान्तरण कर दिया गया है एवं इन समस्त अनियमितताओं के संबंध

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बैंक के अधिशाषी अधिकारी का भी स्पष्टीकरण उपरोक्त संदर्भ में मांगा गया है।

क्रय-विक्रय समिति, ब्यावर के प्रशासक तत्कालीन तहसीलदार, ब्यावर व क्रय-विक्रय सहकारी समिति, अजमेर के प्रशासक, अतिरिक्त जिलाधीश का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु संबंधित विभाग को भी लिखा जा रहा है।

जिले की अन्य सहकारी समितियों में भी जहां ज्वार के बीज का वितरण हुआ था की विस्तृत जांच करने के आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड को दिये गये हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि यह सम्पूर्ण जांच 3 माह की अवधि में समाप्त हो जाय।

इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो, इस आशय से पूर्ण सतर्कता बरतते हुए सभी संबंधितों को आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को एक बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ कार्यवाही की, और कार्यवाही करने की उनकी इच्छा है, यह उनके वक्तव्य की भाषा से और दृढ़ता से सामने आया है। माननीय सभापति महोदय, यह कार्यवाही किस दिशा में चले और इसका आधार क्या हो, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार हिम्मत करके बहुत ही दृढ़तापूर्वक अगर इस सहकारिता विभाग में होने वाली गड़बड़ियों को दबाने की कोशिश की गई और गड़बड़ियां करने वालों के खिलाफ सख्ती से जो भी कानून में प्रावधान हैं, उनके अन्तर्गत कार्यवाही की गई, माननीय सभापति महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सहकारिता का आन्दोलन किसानों की सेवा कर सकेगा। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है, वह अप्रमाणित बीज कह रहे थे, प्रमाणित बीज कर रहे थे, इस विषय पर कुछ मुद्दे हैं जो मैं सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। उन मुद्दों के स्पष्ट होने के बाद ही, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, वह बीज है, अप्रमाणित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो बार-बार जो आदेश दिये गये हैं सहकारिता विभाग के, रिजर्व बैंक के और राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के भी जो आदेश दिये गये हैं वे बहुत स्पष्ट हैं कि प्रमाणित बीज दिये जाने चाहिये। मैं राजस्थान सहकारी विभाग के दिनांक 3-6-61 के एक आदेश की प्रति को पढ़ना चाहूंगा जिसका विषय है, "प्रमाणित बीज वितरण के संबंध में।

यह जानकारी में लाया गया है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति ऐसे बीजों का विवरण कर रही है जो प्रमाणित नहीं है और ऐसे बीजों से काश्तकारों को हानि होने की संभावना है। इस कार्यालय से निरन्तर लिखा जाता रहा है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख कर प्रमाणित बीज ही वितरण करने की व्यवस्था करनी चाहिये थी। पूर्व में प्रमाणित बीज वितरण करने के लिये नेशनल सीड कारपोरेशन उपलब्ध करवाती थी। और प्रमाणित बीज की मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण राज्य स्तर पर भी राजस्थान सीडस कारपोरेशन का गठन किया गया। राजस्थान सीड कार्पोरेशन की मांग को बढाने और बीजों का अग्रिम आरक्षण

(70)

(श्री कैलाश मेघवाल)

करवाने के लिये भी समय पर इस कार्यालय से निर्देश भेजे गये हैं। पुनः इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं, यदि किसी क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा अप्रमाणित बीजों की बिक्री की गई या प्राइवेट व्यापारियों द्वारा खरीदा गया तो उसके लिये समिति के व्यवस्थापक को व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जायेगा।

बार बार इस तरह के आदेश सहकारिता विभाग द्वारा दिये गये हैं। मैं सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अप्रमाणित बीज वह माने जाते हैं जो बोये नहीं जायं। जो बोये जाये, प्रमाणित हैं या अप्रमाणित, यह बात आप छोड़िये लेकिन आप कहते हैं कि अप्रमाणित बीज, जो कृषि विशेषज्ञों, अच्छे किसानों और इस सदन में खेती से संबंध रखने वाले माननीय सदस्यों को आप पूछ लें, एक बीघा में पांच किलो बीज, सवा पांच या पोने पांच हो सकते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब बीज देते हैं एक एकड़ वाले को साढ़े बारह किलो प्रमाणित या अप्रमाणित दे दिया जाना चाहिये। अगर एक एकड वाले को दो क्विंटल दे दें तो यह बीज माना जायेगा या ज्वार मानी जायेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य, फसली ऋण देने का उद्देश्य और उस ऋण का मापदण्ड निर्धारित करने का उद्देश्य, कि यह तो बीज होगा और इसके लिये इतनी रासायनिक दवाइयां और यह खाद होगी, इतना-इतना पैसा इसमें खर्च किया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, किस साल का मैं जिक्र कर रहा हूं, सहकारिता का वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का होता है, इसलिये सहकारिता के वर्ष 1981-82 का आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि वर्ष 1981-82 के वर्ष को श्रीमती इन्दिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है। इसलिये खेतो में उत्पादन अधिक हो इसके लिये खेतो की आवश्यकता, कैश कम्पोनेट किसानों को इसलिये दिया जाय कि अगर उसके पास रोकड़ अपना हाली रखने और दूसरे काम कराने के लिये नहीं है तो उससे काम ले सके। बीज इसलिये अलग से दिया जाता है कि फसल अच्छी हो। रासायनिक खाद इसलिये दी जाती है कि उत्पादन में वृद्धि हो। और कीट-नाशक दवाएं इसलिये दी जाती हैं कि यह उत्पादन को बढाने की प्रक्रिया है, उद्देश्य है। तो यह फसली ऋण देने के उद्देश्य हैं। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जितने भी किसानों की जांच करवाई हो, जितनी भी सहकारिता समितियों की जांच करवाई हो, मुझे माननीय सहकारिता मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगें कि सहकारिता के फसली ऋण देने के उद्देश्य को क्या एक भी किसान ने पूरा किया है ? यह इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि अखबारों में बड़ी खबरें छपी, मेरे पास एक रिपोर्ट की साइक्लोस्टाइल हैं जिसमें लिखा है सैन्ट्रल कोआरेटिव बैंक लि., अजमेर, विशेष उपलब्धियां और कीर्तिमान का वर्ष 1981-82। "इसमें अल्पकालीन ऋण वितरण का टार्गेट 3 करोड का था और उन्होंने बांटे है 3 करोड 55 लाख 77 हजार। विशेष कीर्तिमान मैं माफी चाहता हूं कि मैंने सभापति महोदय, प्रारंभ में ही निवेदन किया था, सहकारिता मंत्री जी से कि इस विषय का जवाब नहीं चाहूंगा,

(श्री कैलाश मेघवाल)

लेकिन यह जवाब आने के बाद मैंने भी जानकारी की तो इसमें गोबर का खाद दिया गया है। आपको मालूम होगा क्योंकि आपने सारे साल बड़ी तत्परता, गंभीरता और समन्वयवादी दृष्टि से सारे मामले की जांच करने के बाद बहुत अच्छा वक्तव्य विधान सभा के पटल पर रखा है, उससे 73 लाख की ज्वार है लेकिन गोबर की खाद करीब 40 लाख की है। सही फिगर मुझे मालूम नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि 3 करोड़ 55 लाख को किस तरह बरबाद किया गया है और सहकारिता का जो उद्देश्य पूरा किया जाना चाहिये वह उद्देश्य पूरा हो गया या नहीं, यह तो माननीय सहकारिता मंत्री जी जानें, मैंने तो यह पूछा है कि एक एकड़ में प्रमाणित या अप्रमाणित, एक एकड़ में 12॥ या 13 किलो के हिसाब से बीज दिये जायेंगे उस समय तक तो प्रमाणित थे, लेकिन 12॥ किलो की बजाय दो क्विंटल दिया है तो बाकी 187 किलो को क्या कहना चाहेंगे। यह इसलिये पूछना चाहूंगा सभापति महोदय, आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि हर स्तर पर कमीशन तो काटा गया है और इस सारे कार्यक्रम को ऋण के बदले अनाज कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं और मैं मांग करने वाला हूं कि ऋण के बदले ज्वार का अगर आप का डिसीजन है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन ऋण के बदले ज्वार देने का डिसीजन नहीं है। तो यह अप्रमाणित बीज या प्रमाणित जितना दे सकते थे उतने के आगे दिया वह उसका दुरुपयोग है उसका कोई लाभ नहीं। आपने खाने के लिये दे दिया। सभापति महोदय, अब आगे क्या यह ऋण अवधि पार हो गया? अब माननीय सहकारिता मंत्री जी कह देंगे कि अकाल का समय है; अभावों का वर्ष है हमने वसूली में अभी छूट दे रखी है, निलंबित कर रही है। यह ठीक है, लेकिन यह अवधि पार हो गया, ज्वार जो ली वह खा गये और अब 550 रुपये एक बीघा के ऊपर वसूली होगी और सिंचित भूमि पर 1250 रु. बीघा के हिसाब से वसूली होगी उसके ऊपर ब्याज वसूल करने जायेंगे। अवधि पार होने की वजह से 3% समय पर जमा न होने की वजह से 3 प्रतिशत का ब्याज और लगा देंगे। जिस समय यह वसूल होगा, सभापति महोदय, गरीब के घर की कटोरी तक नीलाम की जायेगी, गरीबों की छोटी 2 होल्डिंग, गरीबों के भविष्य को नीलाम किया जावेगा, ऋण वसूली के लिये ज्यादतियां की जायेंगी उनका कौन जिम्मेदार होगा।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मामला इतना आसान नहीं है, मैं इसमें एक बात चाहता हूं, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा मेरा सम्पर्क टूट गया है, कुछ समय तक मुझे भी इस विभाग का काम देखने का मौका मिला था, उसके आधार पर कुछ कानून की जानकारी है, कहां-कहां क्या करना है। अब इसमें उतरदायी कौन है। सहाकारिता मंत्री ने कुछ लोगों को उतरदायी माना है। समितियों की व्यापक जांच हुई है। मैं इसको मानता हूं कि जांच में समय लगेगा लेकिन अब जांच कैसी हो।

श्री **समापति** : माननीय सदस्य, बीज के लिये आप के हिसाब से ऋण दिया जाये तो इसमें काफी फर्क हो सकता है।

श्री **कैलाश मेघवाल** : माननीय सभापति जी, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसलिये नहीं होगा कि एक एकड़ के लिये साढ़े बारह किलो बीज दिया जायेगा और जो ऋण लेने वाले हैं वह एक एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ से ज्यादा होल्डिंग वाले नहीं होते हैं। परन्तु 25 किलो अनाज खा गया। प्रमाणित कर दिया कि खा गया। यहां पर तो 400 किलो दे दिया जब कि उसको 25 किलो देना चाहिये। हर मापदण्ड के अनुसार उसको आपने 400 किलो ज्वार दे दी और वह ज्वार बाजरी 140 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी उस समय आपने उसको 206, 207 और 210 रुपये प्रति क्विंटल में दी, यह किस तरह से किसान को ठगा जा रहा है। यह मैं जानता हूं इस केस में दूसरी बात जो है आपने जांच करायी है उसमें एक जोइन्ट रजिस्ट्रार बिठा दिया उस जोइन्ट रजिस्ट्रार की आत्मा ने मानवीय दृष्टि से उनको मजबूर किया कि वे पूरी जांच करें। सभापति महोदय, इसमें एक घंटे का समय निश्चित है, कम नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो पांच, सात मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति : आप आराम से कहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, मैं, उनकी प्रशंसा इसलिये करना चाहता हूं कि वे उस गांव में गये थे। उस गांव में जब वे गये तो एक विधवा महिला उनको मिली। उस विधवा महिला ने बताया कि उसने खेतों में मजदूरी करके, दो-दो रुपये कर के अपना सहकारिता का कर्ज चुकाया है और उस विधवा महिला के खिलाफ, सात हजार रुपये की बकाया सहकारिता विभाग ने निकाल रखी है। मुझे जो सूचना प्राप्त है उसके आधार पर उस जांच अधिकारी की आँखों में उस महिला की बात से आंसू आ गये। इसके बाद वे विजयनगर में गये। जब उन्होंने व्यापारी की बही को देखा तो, माननीय सभापति महोदय, शायद मंत्री महोदय भी इस बात को जानते हैं। उन से आप अकेले में पूछिये, व्यापारी की बही में किस किस ने कितनी कितनी रिश्वत खायी है उनके स्पष्ट रूप से नाम लिखे हुए हैं। वे बही को सीज कर के नहीं लाये, शायद उनको अधिकार नहीं होगा परन्तु वे पुलिस से इसको सीज करा सकते थे। क्यों नहीं हुई इसका कारण वे जानें, लेकिन यह तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब जांच कैसी हो रही है, मैं इसके लिये निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय जांच करवा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मुझे आपकी नीयत पर किसी प्रकार का शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस (आई) के एक सरपंच के द्वारा लिखे हुए पत्र, जो उस ने जिलाधीश को लिखा है, की शायद प्रति आपके पास पहुंची है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, उस पत्र को मैं आधार बनाना चाहता हूं, यदि यही जांच का आधार रहा तो यह सारा घोटाला 3 करोड़ 55 लाख का है जिसमें बीज कम्पोनेन्ट 1 करोड़ कुछ लाख का है, और बाकी गोबर के खाद का है इस सारे घोटाले को दबाने का प्रयास चल रहा है। आप और हम जांच कराते रहेंगे लेकिन वहां पर कौन लोग जांच में सहयोग दे रहे हैं और क्या हो रहा है यह इस पत्र से आपको मालूम होगा।

"सेवा में,

श्रीमान् जिलाधीश जी कार्यालय अजमेर,

कार्यालय ग्राम पंचायत, ब्यावर खास, पंचायत समिति जवाजा, उप खण्ड ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान।

(श्री कैलाश मेंघवाल)

दिनांक 9-3-1983....

मैं प्रामाणिकता के साथ इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह सरपंच कांग्रेस (आई) का है। इस विधान सभा क्षेत्र मसूदा से हमारे माननीय विधायक आने वाले हैं उन से भी पूछ लें। यदि कहीं बी. जे. पी. का सम्बन्ध होता तो यह कहा जाता, यह क्या लगा रखा है यह सरपंच क्या लिख रहा है। यह मैं आपको बता रहा हूं।

"विषय : ज्वार के बीज के बोरियों के प्राप्त करने के हस्ताक्षर कराने बाबत।

निवेदन है कि पंचायत क्षेत्र में ज्वार बीज प्राप्ति के फिर पुराने समय के हस्ताक्षर करवाये जा रहे हैं और इस कार्य को करवाने में ब्यावर खास कमेटी के कर्मचारी लगे हुए हैं। ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं जिसमें धोखा देकर हस्ताक्षर कराने की शिकायत है। को आपरेटिव में ज्वार के बीज नहीं दिये गये हैं। अतः आप से निवेदन है कि इस तरह की कार्यवाही को रोका जाये और इसकी जांच भी करवायी जाये क्योंकि जनता में इसके प्रति रोष हो रहा है। अगर इसमें तुरन्त कार्यवाही नहीं हुई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।

सरपंच श्री कल्याण जी, ग्राम पंचायत जवाजा।"

इसलिये, सभापति महोदय, यह एक तरह से जांच करायी गयी डिप्टी रजिस्ट्रार से। उस डिप्टी रजिस्ट्रार की जांच में यह आ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ी के बाद जोइंट रजिस्ट्रार मि. सक्सेना को भेज कर जांच करायी है लेकिन जांच में सहयोग कौन दे रहा है? वे लोग दे रहे हैं जो कि सारे ऊपर से नीचे तक इस फर्जी काण्ड में लिप्त थे, उसमें सहयोगी थे और संरक्षण देने वाले थे। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सहकारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप भी इस बात को देखेंगे कि इसमें कौन कौन उत्तरदायी बनता है। ऋण किस तरह बंटता है। माननीय सभापति जी, इसमें व्यवस्थापक बीज कंम्पोनेन्ट लगाता है मार्केटिंग सोसाइटी की ओर से, केन्द्रीय सहकारी बैंक से चैक जाता है किसान के नाम पर यह बीज कम्पोनेन्ट को एक समिति की कार्यकारिणी के सामने दिया जाता है। इसमें यह आवश्यक है कि उस समय एक सुपरवाइजर भी हो माननीय सभापति महोदय, 8-10 ग्राम सेवा सहकारी समिति पर एक सुपरवाइजर होता है इस सारे वितरण पर उस सुपरवाइजर की यह तस्दीक होती है कि मेरे सामने यह वितरण किया गया मेरे दस्तखत हैं। उस दस्तखत के बिना वह प्रामाणिक नहीं माना जाता है उस सुपरवाइजर के ऊपर होता है सहायक अधिशासी अधिकारी यह जिस क्षेत्र का वाकाया है उस क्षेत्र में तीन जगह पर सहायक अधिशासी अधिकारी तैनात थे। केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से, केन्द्रीय सहकारी बैंक की कुल 13 ब्रान्चों में से तीन ब्रान्चों में घोटाला पाया गया, उसमें है ब्यावर, मसूदा और भिनाय। ब्यावर, मसूदा और भिनाय यहां पर सहायक अधिशासी अधिकारी हैं। यह मौके पर भी जाते हैं। सरप्राइज चैकिंग भी करते हैं और वेरिफिकेशन भी करते हैं।

मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सहकारिता मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिये यह तीन सहायक अधिशासी अधिकारी थे जिनका यह कर्तव्य था कि वेरिफिकेशन के लिये जाय, सर्प्राइज चैकिंग

(श्री कैलाश मेघवाल)

के लिये जायें अगर गये हैं तो उनकी क्या रिपोर्ट है और नहीं गये हैं तो कर्तव्यहीनता की है, उनको भय नहीं रहा और अप्रत्यक्ष रूप में पैसा वहीं से आ रहा था इसलिये उनको सारा काण्ड मालूम था, उन्होंने चुप रह कर, निष्क्रिय रह कर के, अपना कर्तव्य नहीं करके, इस सारे घोटाले में मदद की है। माननीय सभापति महोदय, इसके ऊपर मैं आप से निवेदन करूं, जोनल आफिसर होता हैं बड़े प्रामाणित तरीके से किसान को लाभ देने के लिये यह सारी व्यवस्था बनी हुई है। सहायक अधिशाषी अधिकारी के बाद उनके ऊपर जोनल आफिसर होता है। जोनल आफिसर की जिम्मेदारी है कि वह देखें कि वितरण ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस समय रिकवरी का सीजन हो, तो रिकवरी ठीक ढंग से हो रही है या नहीं, यह देखें सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों के लिये जो जोनल आफिसर थे, उन आफिसरों ने अपने कर्तव्य का ठीक निर्वहन किया हैं या नहीं किया है तो उन्होंने क्या नोट दिया है इस बीज वितरण के बारे में इसकी आप सख्त जांच करवाइये।

तीसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जोइन्ट रजिस्ट्रार हैं, सब से बड़ा पद है अजमेर सहकारिता विभाग में, इसके बाद में प्रदेश स्तर पर है। हमारे जोइन्ट रजिस्ट्रार ने 28 जून से 30 जून तक इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सहकारी समितियों के नाम पर ग्राम सहकारी समितियां ही प्रमुख रूप से चल रही हैं इसका प्रस्ताव रखा प्रमुख रूप से कोई दूसरी सहकारी समिति नहीं है। वे निरीक्षण के लिये 28 से 30 जून तक गये माननीय सभापति महोदय तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं किसी न किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गये होंगे और वहां जाने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया होगा, अपना नोट लगाया होगा वह देखिये आप तीन दिन वह कहां घूमे। मुझ को ऐसी सूचना है, वे क्रय-विक्रय सहकारी समिती गये ब्यावर या विजयनगर, मैं निवेदन कर दूं आपको विजयनगर या ब्यावर, इनमें से एक जगह गये, उन्होंने सारी स्थिति देखी, देखने के बाद उन्होंने नोट भी लगाया है, बिल ठीक नहीं है, रसीदें ठीक नहीं हैं, सारे अकाउन्ट्स ठीक नहीं रखे गये हैं। न मालूम क्या हुआ, नोट लगाया उसके बाद। अगर उस समय यह कार्यवाही कर ली जाती तो, माननीय सभापति महोदय, नुकसान होने से बच जाता। यह तो है, व्यवस्था उधर की। अब इधर व्यवस्था क्या है। बीज कम्पोनेट। क्रय-विक्रय सहकारी समिति को बीज कम्पोनैन्ट खरीदने के लिए ग्रान्ट जो है वह एडवान्स में भेजी। एडवान्स जो दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है कि उसकी लिमिट तय हो जाती है। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूं कि लिमिट से आगे और उस लिमिट में देने के बाद किसने कितना बीज कम्पोनेट खरीदा यह क्या आपके ब्रान्च मैनेजर ने देखने की कोशिश की ? उसके बाद जब व्यवस्थापक अपना सारा बीज कम्पोनेंट बांट कर, उसकी रसीदें लाकर क्रय-विक्रय समिति में जमा कराता है, वहां से क्रय-विक्रय सहकारी समिति जाकर, ब्रान्च में जमा कराकर उस पैसे को एक्वायर आफ करा कर जो एडवान्स लिया उसकी व्यवस्था की। तो इन सारी व्यवस्था को देखा जाय और इसलिए देखा जाय कि जैसा माननीय सहकारिता मंत्री जी

(श्री कैलाश मेघवाल)

ने दिनांक 27-3-82 की मीटिंग की मिनिट्स जिसका प्रशासनिक आदेश 1-4-82 को निकला था, का रेफरेन्स किया, उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसकी कोपियां सब को दी गई हैं, सारी ब्रान्चेज को जाती हैं, सारी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को जाती हैं, केन्द्रीय सहकारी बैंक में रहती हैं, वहां के जितने सहकारिता से संबंधित अधिकारी हैं उन सब को जाती हैं, तो वहां यह गड़बड़ हुई कि नहीं, यह मैंने आपके सामने सारा ढांचा इसलिये रखा है, जिससे यह समझ में आये कि प्रामाणिकता से सारा जो आपने रखा है इसको अब मैं रेफर नहीं करूंगा। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप वेरिफिकेशन किस बात का करा रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि सही जांच हो, तो यह सारा गड़बड़ घोटाला आज दबाया गया है। आपके विभाग के आदेश हैं कि अकाल की वजह से कर्जा वसूली नहीं की जायेगी। ये आदेश गांव की ढाणियों और गांव के मोहल्लों तक नहीं पहुंचे हैं। वहां पर वही व्यवस्थापक, वही सुपरवाइजर, वही रिकवरी इन्सपैक्टर वहां के मालिक बने हुए हैं। देखो भई, वे कह रहे हैं, ब्याज देना, आगे तो हम देख लेंगे, बाकी तुम्हारी वसूली हो जायेगी, नीलामी हो जायेगी। गांव गांव में इस बात की धमकियां दी जा रही हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय....

श्री राजबहादुर : क्या कोई मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय इस सदन में चैन की नींद सो सकते हैं।

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। वह ध्यान से सुन रहे है। आप चालू रखें।

श्री कलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, उस जांच का असली निचोड़ कब आयेगा। आपने निलम्बित किये हैं। मैं आप को हृदय से बधाई देता हूं और मैं ही नहीं माननीय प्रभाकर जी, आपको वे किसान भी बधाई देंगे जो किसान हमेशा लूटते रहे हैं। इन किसानों को कोई सुनने वाला नहीं। पहली बार यह आप का सारा एक्शन है लेकिन यह लगड़ा एक्शन है। इसको पूरा करने के लिए आप उस समय के इस लोन की कार्यवाही से संबंधित जिसको आप यह मानते हैं कि वह आदमी सीधा सम्बन्धित नहीं है उसको आप स्थानान्तरित कर दीजिये। निलम्बन में तो आ गये, आपके, बारह आदमियों के निलम्बन की आपने घोषणा की, इन बारह आदमियों के अलावा जितने भी मैंने बताये जिनकी सुपरवाइजरी ड्यूटी थी, जो दूसरी तरह से इससे संबंधित थे, जिनकी इसमें एडजस्टेशन की ड्यूटी थी, जिनकी इसमें वेरिफिकेशन की ड्यूटी थी उन सब लोगों का वहां से स्थानान्तरण कीजिये, और स्थानान्तरण करने के बाद आप जांच करवायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारा कांड सामने आयेगा। यह हुआ इसका एक पक्ष। अब मैं, माननीय सभापति महोदय, इसका दूसरा पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : और भी माननीय सदस्य विचार व्यक्त करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : और तो माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

कुमारी पुष्पा जी तो हैं नहीं, हम तीन ने रखा है। मैं निवेदन कर दूंगा रामकिशोर जी से वह नहीं बोलें, मैं सारे तथ्य रख दूं और चूंकि आज लग रहा है कि इस पर कुछ सार्थक चर्चा हो रही है, और यह भी लग रहा है कि सहकारिता मंत्री जी कुछ दृढ़ निश्चय लेकर आये हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करें, इसलिए मैं सारे तथ्य रख दूं। .

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सिंचित भूमि और रबी की फसल में ज्वार काम में आता है। सारे राजस्थान में मैंने सुना है मेरा कृषि से दूर का सम्बन्ध है, थोड़ी सी एक दो बीघा जमीन कहीं गांव में थी उसको मैंने कभी धराई नहीं लेकिन इसमें सिंचित जमीन के लिये उस वक्त ज्वार दी गई है। सिंचित, जिसमें ज्वार बोई नहीं जाती। यह सारा घोटाला है यह एक पक्ष है। अब दूसरा पक्ष यह कहा जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, बीज अप्रमाणित वितरित किया गया। जांच हुई। माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने कुछ तो मंजूर किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 73 लाख की ज्वार खरीद की बात कही गई है। यह 73 लाख की ज्वार जिन व्यापारियों से खरीदी है उन व्यापारियों में से किसी ने 4 लाख की बेची, किसी ने 13 लाख की बेची है, किसी ने 15 लाख की बेची है, किसी ने 5 लाख की बेची है। इस तरह के कोई गोदाम नहीं। व्यापारियों से पूछा कि आप यह ज्वार कहां से लाये हैं। तो उन्होंने कुछ किसानों के नाम बता दिये, हमने इन किसानों से खरीदी। माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की विभीषिका के कारण उन किसानों के खेत में ज्वार पैदा ही नहीं हुई। उनकी जो गिरदावरी हुई है, उस गिरदावरी के आधार पर मैं निवेदन करूं, कोई फसल नहीं बोई गई। फिर एक बात कही गई, मैं आपका अभिनन्दन करना चाहता हूं कि बिक्री कर विभाग को आपने लिखा है, यह अच्छी बात है लेकिन उन्होंने तो बता दिया। उनसे पूछा कि आपने यह बिक्री कर क्यों नहीं लिया। व्यापारियों का स्पष्टीकरण क्या आया है। व्यापारियों का स्पष्टीकरण यह आया कि हमने तो सीधे ही किसान से खरीद सीधे ही समिति तक पहुंचा दी थी, यहां हमारी नजर में आई नहीं इसलिए न तो चुंगी चुकाई और न ही कृषि उपज मण्डी का टैक्स चुकाया और न कोई चुकाने की बात है। सारे व्यवस्थापकों ने, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों ने उन विजयनगर व ब्यावर केन्द्र से ज्वार अपनी समिति के केन्द्र तक ले जाने का स्पष्ट रूप से किराया, चढ़ाई उतराई यह सारा दे रखा है। मतलब इस सारे षडयन्त्र को जिस तरीके से दबाया गया है, सारी कागजी खाना पूर्ति की गई है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन व्यापारियों ने जब 73 लाख की ज्वार नहीं थी अजमेर जिले में, यह बात, तथ्य आपकी सारी कार्यवाही से भी प्रमाणित है कि फर्जी बिलिंग हुआ। फर्जी बिलिंग करने में व्यापारी भी शामिल है। फर्जी बिलिंग हुआ है। किसानों के झूठे नाम लिखे गये हैं। यह सारे काण्ड का दूसरा पक्ष है कि फर्जी बिलिंग करने में किसके पास कितनी ज्वार थी, किसने कितनी बेची, कैसे बेची, किस आधार पर बेची, कहां से आई, उस पर मण्डी टैक्स, उस पर चुंगी, उस पर बिक्री कर यह लगाये गये या नहीं, यह राज्य का

(श्री कैलाश मेघवाल)

बहुत बड़ी सेवा होगी, उस बारे में आप सक्रिय तो हैं लेकिन इस सारी दृष्टि से, पर एक बार इस पर पुनर्विचार कर लीजिए और पुनर्विचार करने के बाद स्वतन्त्र एजेन्सी इस विषय की आपके सहकारिता विभाग के अधिकारी मुझे क्षमा किया जाय, सहकारिता का भूतपूर्व मंत्री होने के नाते मुझे तो कुछ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सारी जांच दबाने और उनको इधर उधर करने में बड़े माहिर हैं। मैंने करवाई हैं जांचें, 375 के केस पुलिस में भी दिये जो आज परस्यू नहीं हो रहे हैं। जांचें 74 की बहुत पड़ी हुई हैं इससे ज्यादा तो क्या कहूं आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे जिस व्यक्ति के विरुद्ध दफा 74 की लाखों रुपयों की गड़बड़ करने की राजस्थान कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जांच हुई, दफा 74 की कार्यवाही हुई, वह कहीं दबा दी गई और वह व्यक्ति आज आपके अतिरिक्त रजिस्ट्रार बने बैठे हैं। ऐसे जिस विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे आप ज्यादा उम्मीद करके मत चलना, ये तो सब रख-रखाव वाली स्थिति में चल रहे हैं। आज से 15 साल पहले जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार था जिसने गड़बड़ियां कीं वह आज डिप्टी रजिस्ट्रार और जोइन्ट रजिस्ट्रार हैं, उस तरह की गड़बड़ियां आज जिसने की हैं उसको संरक्षण देता हैं, सहयोग देता है। ऐसा सर्वत्र हो रहा है। इसलिए मैंने आपको यह नाम बताया कि आप फाइल निकलवा कर देखिए, एक नमूना है, नमूना इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम पड़ जाय कि आखिर आपको कौन सही राय देगा। तो इस विषय पर एक तीसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में, बहुत ही हाथा-जोड़ी करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके सहकारी कानून के अनुसार यह सहकारिता का फर्जी ऋण दिया गया यह कभी साबित नहीं होगा। सहकारिता कानून के अनुसार, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, सहकारिता विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार आप कभी नहीं पायेंगे कि सहकारिता का ऋण दिया गया है। अगर सहकारिता का ऋण नहीं दिया गया तो मैं, माननीय सभापति महोदय, स्पष्ट मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इस ज्वार को खाने वाले, जिन्होंने पूरी खायी भी कि नहीं, कौन हैं। क्या उसकी कीमत किसानों को मिली। जो आपने 1981-82 के कीर्तिमान स्थापित करने वाले वर्ष में ऋण दिया है, उस ऋण की वसूली उनसे नीलामी करके नहीं करें आप। इसलिए मेरा यह कहना है कि सहकारिता के जो उद्देश्य थे, जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार आपने कोई ऋण नहीं दिये हैं। मैं चाहूंगा, माननीय सहकारिता मंत्री जी, इस विषय पर ज्यादा कहूंगा नहीं, वह गोबर खाद का आपने नोट किया ही होगा और आपके सामने आया होगा। आप पता तो लगाइये, 4-4 लाख की गोबर खाद एक एक व्यापारी सप्लाई कर रहा है। गोबर खाद का तो व्यापार अजमेर में आज तक नहीं होता, लेकिन कमाल है सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का, उन्होंने देखा चलो खाद, खरीदो गोबर ला भई, 4 लाख के बिल ला। व्यापारी क्यों डरे। 4 लाख का गोबर। उससे पूछो, 4 लाख का गोबर तुम लाये कहां से ? आजकल कहीं गोबर इकट्ठा होता,

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैंने तो देखा नहीं, इस तरह गांवों में। व्यापारी ने चार लाख का, चालीस लाख का गोबर खरीद लिया, बिल ले लिये, व्यापारी ने दे दिये। यह सारा काण्ड आपके कीर्तिमान वर्ष का, उत्पादक वर्ष का है। इसकी, मैं चाहूंगा, आप ठीक ढंग से जांच करवायें। जो कार्यवाही आपने अभी तक की है मैं जानता हूं तत्परता से की है, लेकिन इस कार्यवाही को ठीक ढंग से कराने के लिये आपको निश्चित रूप में, किसी भी रूप में वहां, सम्बन्धित जो भी अधिकारी सुपरवाइजर, जोनल आफिसर या ब्रांच आफिसर रहे हों उन सब को एक बार हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मैंने आपको आधार बता दिया है कि वहां पर दबाया जा रहा है। इन सब अधिकारियों के खिलाफ एक बार आप एक्शन ले लीजिये, राजस्थान में सुधार आना आरम्भ हो जायेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री **सभापति** : मंत्री जी।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ बातें स्पष्ट की थीं। यह बात सही है कि विधान सभा में इस प्रश्न को अजमेर से आये माननीय सदस्य श्री कैलाश जी मेघवाल ने उठाया। पर इसके पूर्व इस सारे प्रश्न की मसूदा के माननीय विधायक अग्याज महाराज ने मुझे जानकारी दी थी। जैसा मैंने आपको बताया, सदन को बताया कि मेरा ख्याल यह है कि विधान सभा में 17 फरवरी को आपने शायद दिया था और इसकी जांच की कार्यवाही मैंने 20-11-83 को प्रारम्भ कर दी थी। इतना तो मेरा ख्याल से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे।...

श्री **कैलाश मेघवाल** : मैंने स्वीकार किया है, आपको बधाई दी है।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, कार्यवाही को हम दबाना नहीं चाहते हैं। उससे अधिक मेरा ख्याल हो नहीं सकता करीब 75 सोसाइटीज को ज्वार दी गई। हम इतने लम्बे समय के बावजूद केवल 9 सोसाइटीज की जांच कर पाये। 9 सोसाइटीज में हमने जो हमारे जांच कर्त्ता हैं उन्होंने 1094 सदस्यों से सम्पर्क स्थापित किया, उनसे जानकारी प्राप्त की। अब आप कल्पना कीजिए कि 9 सोसाइटीज के 1094 सदस्यों से जानकारी प्राप्त करने के बाद जो कुछ तथ्य हमारे सामने आये हैं उन तथ्यों में मैंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बीज प्रमाणित नहीं थे। मैंने स्वीकार किया है कि जितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए था उससे ज्यादा कुछ जगह दिया गया है। मैंने यह भी स्वीकार किया है कि रेट, जो मार्केट में उस समय चल रही थी, उससे अधिक दी गई है। मैंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ जगह पुराना कर्जे के पेटे उस रकम का जमा खर्च किया गया है। मैंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ जगह कमीशन के रूप में कुछ रकम प्राप्त की है तो यह जो पांच मोटी बातें मैं स्वीकार कर लेता हूं तो मेरा ख्याल है कि अजमेर से आये माननीय सदस्य को इतना विश्वास रखकर चलना चाहिए कि हम इस जांच को पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, तत्परता से करना चाहते हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते। इतना मैं सदन में आपको आश्वासन देता हूं कि, क्योंकि आखिर में जैसे आपने

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

अपनी मानसिक भावनायें अभिव्यक्त की हैं, उत्पादक वर्ष बताया, सहकारिता के लक्ष्य बताये और सहकारिता के आदर्श बताये, कर्ज देने की नीतियां बताई, यह सब बातें आप स्वयं भी न केवल सहकारिता के भूतपूर्व मंत्री की तरह से बल्कि इस राजस्थान के अच्छे नागरिक की दृष्टि से जानते हैं, तो शायद आप जितनी जानकारी मुझे न हो, आपसे कुछ कम जानकारी मुझे हो सकती है, पर इन सब चीजों की जानकारी मुझे भी है। तो एक जिस तरीके से आप एक राजनैतिक दल के सदस्य हैं उसी तरीके से मैं भी एक राजनैतिक दल का सदस्य हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में यदि इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं तो उनको रोकने की जितनी पूरी ताकत से कोशिश की जा सकती है उतनी पूरी ताकत से कोशिश की जायेगी इतना भरोसा रखकर आप चल सकते हैं क्योंकि आखिर में मैंने आप से जैसा निवेदन किया हमारे सदस्य ने इस ओर ध्यान खींचा यह दबाने का आपने सरपंच का आज एक पत्र दिया मैं आपसे कहना चाहता हूं सरपंच का पत्र एक बार छोड़ दीजिये, यदि बड़ी से बड़ी शक्ति भी कोई मुझे कहेगी कि यह जो कुछ हुआ है इसमें मेरा मन कहता है बहुत कुछ हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं तो मैं शायद किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करके चलने वाला नहीं हूं, न दबाव स्वीकार करके चलूंगा, इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आखिर में इतना बड़ा घोटाला है जिसके अन्दर 73 लाख की आज तक ज्वार खरीदी गई भावों के अन्दर गड़बड़, टेण्डर उनके नहीं हुए बीज प्रमाणित नहीं हुए, किसानों को पूरी मात्रा में नहीं मिला पुराने कर्जों में जमा खर्च किया गया, 10 प्रतिशत कमीशन कुछ जगह लिया गया. यह सब बातें हैं मैं इससे कहीं मना नहीं करता परन्तु जैसा आपसे जिक्र किया कि 75 सोसाइटीज, इतने सदस्यों से सम्पर्क करने की क्या आवश्यकता है फिर भी अपने वक्तव्य के अंदर केवल तीन महीने का समय मांगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैंने हमारे रजिस्ट्रार से हमारे सहकारिता सचिव हैं उनसे स्पष्ट कहा है कि चाहे हमें हमारे यहां से कुछ लोगों को कम करना पड़े, यहां से लोगों को भेजिए, कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, वह व्यवस्था कीजिये जितनी सोसाइटीज हैं उनकी निश्चित रूप से तीन महीने में विस्तृत जांच रिपोर्ट मुझे मिल जानी चाहिए। इस बात की व्यवस्था मैंने कर दी है। जैसा आपने कहा कि कई प्रकार की चुंगी की चोरियां हुई कई, प्रकार के टैक्स की चोरियां हुई, जहां तक सहाकारिता विभाग का सवाल है उसने सेल्स टैक्स को और इनकम टैक्स को दोनों विभागों को लिखा है, यदि कोई विभाग इस संबंध में उचित कार्यवाही नहीं करेंगे तो उस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं। आपने एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई शायद। शायद मेरी बुद्धि में कहीं कुछ कमी हो, वह सीधा किसान के यहां पहुंच गया इसलिए शायद टैक्स का यां इसका सवाल नहीं किसान के यहां पहुंचने या नहीं पहुंचने का सवाल नहीं है उस फर्म ने जो बिल दिया है वह मार्केटिंग स्टोर को बिल दिया है, मार्केटिंग सोसाइटी को उसने सेल किया है और उसमें उसने एस. टी. पेड लिखा है जब एस.टी.पेड उन्होंने लिखा है तो निश्चित रूप से उस सेल्स टैक्स चोरी नहीं की जा सकेगी क्योंकि एस.टी. पेड उसने उन बिलों के ऊपर लिखा है इसलिए सेल्स टैक्स विभाग को इस बात की जानकारी करने का पूरा अवसर मिलेगा, इनकम टैक्स विभाग को मिलेगा। ज्वार उन्होंने कहां से खरीदी, इस बात का

(८०)

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)
उनको करना पड़ेगा। यह जहां तक सवाल है मैं समझता हूं इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की जांच के बाद ही हमारे सामने आयेंगे और उन जांच परिणामों के ऊपर हम विस्तृत रूप से...

श्री **कैलाश मेघवाल** : चुंगी और जो कृषि उपज मण्डी हैं :-

श्री **हनुमानप्रसाद प्रभाकर** : चुंगी का भी कर लेंगे। चुंगी का मुझे ध्यान नहीं था। ठीक है चुंगी के सम्बन्ध में और कृषि उपज मण्डी के टेक्स के संबंध में भी संबंधित विभागों को लिखेंगे और लिख कर, मैं समझता हूं इसमें जोजांच की आवश्यकता है उसको पूरी करेंगे।

अब एक आपने गोबर खाद की बात कही जहां तक पहले आपका ऑरिजिनल प्रस्ताव था....

श्री **कैलाश मेघवाल** : मुझे अभी मालूम पड़ा है।

श्री **हनुमानप्रसाद प्रभाकर** : हां, अभी आपने इस प्रश्न को उठाया है। मेरी जानकारी, जो मुझे तत्काल मिल पाई है, के आधार पर मैं आप से इतना ही कह सकता हूं कि वर्ष 1982-83 में जो 6 लाख 61 हजार का गोबर खाद दिया गया है। अभी यह मुझे जानकारी मिली है, मैं आपको, क्योंकि जैसा अपने प्रश्न उठाया, फिर भी मैं इस गोबर खाद के सम्बन्ध में जानकरी मिली है, जो 6 लाख 61 हजार टोटल खाद का बताया गया है इसके सम्बन्ध में भी विस्तृत जांच करवाऊंगा। जांच करवाने के बाद यदि कोई तथ्य ऐसे आयें तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्यवाही की जायेगी; इतना विश्वास तो आप रखकर, चलिये।

इसके बाद एक मैं आप से निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जहां तक वसूली का सवाल आपने उठाया इन किसानों से वसूली होनी चाहिए या होगी या उनको दबाया जायेगा या ये कुछ किया जायेगा, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस पर मुझे राज्य सरकार के कई लोगों से चर्चा करनी होगी, मैं तत्काल इस स्थिति में नहीं हूं कि इस सम्बन्ध में आप से कुछ कह सकूं इतना मैं आपको बता दूं कि जितना सामान, जिस तरह का सामान किसान के पास पहुंचा है, उचित उसकी तो, मैं समझता हूं वसूली करने से रोका नहीं जा सकता परन्तु कहीं भावों में अन्तर है, भाव 140 रुपए का था और 200 रुपये के हिसाब से उसके नाम मांड दिया गया है, वह अंतर है, वह अंतर किस से वसूल किया जाये, इस सम्बन्ध में अवश्य विचार करेंगे, रास्ता निकालने की बात करेंगे, यदि कमीशन के रूप में रकम प्राप्त कर ली गयी है, किसान पर उस का वजन नहीं पड़े, इसके सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की कोशिश करेंगे। यह सब बातें करेंगे, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं। आप भी जयपुर में हैं, मैं भी जयपुर में हूं इस सम्बन्ध में आपको कोई विस्तृत जानकारी मिली, आप मुझे बता दीजिए।

श्री **कैलाश मेघवाल** : सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, वह सब बता देंगे :-

श्री **हनुमानप्रसाद प्रभाकर** : जहां तक अयाज महाराज का सवाल है, मैं तो बधाई देना चाहता हूं, मैं तो आप से सही कहना चाहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में यदि कोई ऐसी बात

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
बताते हैं जो वास्तव में हमारे लिए शोभनीय नहीं है बल्कि बहुत ही निन्दनीय और विचारणीय है, तो मैं उस से कोई बुरा मानने वाला नहीं हूं, लोग सोच सकते हैं कि सहकारिता मंत्री की तरह से शायद मुझे सब तथ्य स्वीकार करने चाहिए थे या नहीं, पर मैं तो आप से कहना चाहता हूं, मैंने तो अपने आप, मन की जो मेरी अनुभूति है, उसके आधार पर सब बातें स्वीकार की हैं, स्वीकार करके चल रहा हूं। अयाज महाराज को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि वह सबसे पहले इस सारे प्रश्न को मेरे सामने लाये और लाने के बाद तत्परता से इस सम्बन्ध में जांच की।

एक जो बताया गया कि कुछ जांच के अन्दर किसी तरह की बाधा उपस्थित होने का प्रश्न है। मैंने पहले ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों को कह दिया है कि अब तक का जितना, सारा रिकार्ड है, वह सीज कर लिया जाये। उसमें किसी तरह का, कोई भी परिवर्तन न हो सके, मैंने अब तक जो पुराने रिकार्ड हैं, सहकारी समितियां, के सारों, के, सीज करने के मैंने आदेश कल की तारीख में दे दिये हैं, इसलिये उस सम्भावना को भी, मैं समझता हूं; दूर कर लेना चाहिए। यदि कहीं आपको यह लगे कि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, मैं एक बात आप से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार में आप भी रहे, हैं सरकार में आज हम हैं, आखिरमें राज्य में बैठे हुए लोग हैं उनको अपने जो अधिकारी हैं, उन पर विश्वास करके चलना होगा। मैं मानकर चलता हूं कि जो शासन में बैठे अधिकारी हैं, सत्ता आती हैं, सत्ता जाती हैं, राजनैतिक दल बदलते रहते हैं, किन्तु वे अपने कर्तव्य के प्रति निश्चित-रूप से जागरूक हैं, मेरी ऐसी मान्यता है। मैं अपने अधिकारियों के प्रति उतना विश्वस्त, हूं क्योंकि सारी जांच के अन्दर मुझे अधिकारियों ने किसी तरह की सूचना देने की कोशिश नहीं की है और न मुझे किसी तरह से दबाने की कोशिश की है, यह मैं आप से बता दूं। इसलिये आज की तारीख में ऐसी स्थिति में हूं कि अधिकारियों का पूरा सहयोग है। इस जांच को विस्तृत रूप से करने का, ईमानदारी से करने का, तथ्यों को सामने लाने का, तथ्यों को सामने लाने के बाद किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं है। इस बात का आश्वासन मैं आप को दे सकता हूं। इससे अधिक आश्वासन देने की स्थिति में मैं आज नहीं हूं। आप सब लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान खींचा; उसके लिए मैं आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल : दो बातें स्पष्ट नहीं हुई . . . .

श्री **सभापति** : संक्षेप में।

श्री **कैलाश मेघवाल** : दो बातें स्पष्ट नहीं हुईं, यह स्पष्ट नहीं हुई, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मैंने यह मुद्दा उठाया थे कि किसानों से वसूली नहीं की जाये, माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि किसानों से वसूल नहीं की जाय यह मुद्दा उठाने की मैंने जो पृष्ठभूमि दी थी, यह ऋण के बदले अनाज कार्यक्रम नहीं है। यह बीज मिलना चाहिए। एक एकड़ के लिए साढ़े बारह किलो बीज देना चाहिए था, उस से ज्यादा जो दिया गया है और जो लाइबिलिटी इनकर की है वह व्यवस्थापक ने की है, वह ऋण वितरक की है, वह दूसरों की है, इसलिए निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)

करना चाह रहा हूं कि जिस तरह के कृत्य हुए हैं, उन कृत्यों में, सहकारिता अधिनियम, की धारा 76 आप अगर पढ़ेंगे तो वह किसान छूट जायेगा । किसान के बाद यह सारी जिम्मेदारी, ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व व्यवस्थापक और उस से ऊपर के लोगों की मानी जायेगी । इसलिए निवेदन किया था मैंने । नम्बर दो, जब इतना स्पष्ट है तो आप वेरिफिकेशन करने जब जायें तो स्टाफ जो, ड्यूटी पर था, मैं नहीं कहता कि निलंबित कीजिए, आप उसको वहां से हटा दीजिए । मैं कहता हूं छोटी सी कमी क्यों रहने देना चाहते हैं । हमारी आशंका है, ऐसी बात भी है, तो वह भी साफ कर दीजिए । मैं सोचता हूं इससे अच्छी घोषणा जांच की इस विधान सभा के सत्र में मैंने अपने समय में नहीं सुनी । यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक कमी आप पूरी कर दीजिए ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक आपके मूल प्रस्ताव, "अविलम्बनीय लोक महत्व" के लिए सूचना दी, उसमें वसूली का प्रश्न का दिया कुछ नहीं था । इस प्रश्न पर, जिस तरह से मैंने कहा, राज्य सरकार के साथ बैठकर चर्चा करनी है, इस पर क्या नीति निर्धारित की जा सकती है । इसलिए मैं आज इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं ।

अधिकारियों की जांच की दृष्टि से कुछ लोगों को वहां से हटाने की आवश्यकता हुई तो उन्हें वहां से हटा दिया जायेगा ।

श्री तुलसीराम (केकड़ी) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि केकड़ी के अन्दर ज्वार कांड का घोटाला हुआ, वहां अधिकारी लोग हमारे किसानों पर नाजायज दबाव डालकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां भी जल्दी से जल्दी जांच करवाकर दोषी आदमी हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

श्री **सभापति** : चर्चा समाप्त हुई ।

सूचना

शिक्षकों का विधान सभा भवन के समक्ष प्रदर्शन

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैंने 127 का नोटिस दिया था कि राजस्थान के दूर दराज, कौने कौने से हजारों शिक्षाकार अपनी कुछ बातों को लेकर, विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं । मांगें वहीं हैं जिनको लेकर पिछले सत्र में भी, जब बजट सत्र चल रहा था, उनका प्रदर्शन हुआ, आन्दोलन प्रारम्भ हो गया, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चालू हो गयी, वह बेरी कमीशन के द्वारा दी जाने वाली सुविधायें थीं, जिन के बारे में राज्य सरकार यह तय कर पायी थी कि भई अध्यापकों की इसके अन्तर्गत यह, यह, यह मांग मानेंगे, लेकिन उसमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, जितना उनको मिलता था, उसमें से भी कटौती होकर तनख्वाह मिल रही है, उसमें भी कमी हो जायेगी । इस बात को लेकर वह लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं । हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का शिक्षक अपनी बातों को लेकर इस दरवाजे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
पर आकर खड़ा रहे । इससे अधिक शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि जो हमने माना है; स्वीकार किया है जिस चीज को, वह भी हम उनको नहीं दे पाये । हजारों की संख्या में लोग आये हैं इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम 10 हजार की संख्या में शिक्षक आये हैं । राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री नहीं हैं, उनके किसी प्रतिनिधि मण्डल को बुला लें, बात कर लें । कोई कहने वाला तो हो, सुनने वाला तो हो । ये तो मंत्री महोदय बैठे हैं । मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बेरी आयोग ने कुछ सिफारिश की है, राज्य सरकार ने उन सिफारिशों को काट दिया है, स्पष्ट सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों की चर्चा उन्होंने अपने मांग पत्र में की है। 45 सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार से बात करते रहे हैं, आज प्रदर्शन करके आये हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी तो मुझे केवल मात्र राज्य मंत्री दिख रहे हैं । वह क्या करेंगे ? उनके किसी प्रतिनिधि मण्डल से बातचीत की जा रही है या नहीं की जा रही है, क्या हो रहा है, कोई प्रकाश तो डालें, कोई बात तो करें, उनका प्रतिनिधि मण्डल बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है ?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : सभापति महोदय, यह निश्चित है कि बाहर शिक्षकों का कोई जुलूस आया है लेकिन उसमें 10 हजार नहीं है । मैं खुद देखकर आया हूं । यह तो इनका ग्रुप है । जिसे एक लाख कहेंगे, इसका तो कोई इलाज नहीं है । लेकिन यह निश्चित है कि प्रतिनिधि मण्डल की मिलने की मांग आती है, शिक्षा मंत्री अगर होंगे तो वह मिलेंगे । रोज मिल रहे हैं लोगों से । शिक्षा मंत्री जी नहीं होंगे तो कोई और मंत्री मिलेगा ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक उन्होंने संदेश भिजवाया है, मुझे जानकारी मिली हैं, यहां से कोई उत्तर नहीं गया ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : संदेश आया है, कोई न कोई व्यवस्था की जायेगी । आपने यहां बात कही है, संदेश जायेगा । यहां माकूल व्यवस्था है रिसेप्शन में आदमी आता है । मेरी डिमाण्ड है इसलिए मेरा जाना सम्भव नहीं हो सकेगा । निश्चित रूप से कोई मिलेगा । लेकिन संख्या वाली तो····

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : 3 मंत्री महोदय बैठे हैं, कोई चला जाये, बात कर लें ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : वहां तो जाने की परम्परा नहीं । कोई न कोई मिल लेगा जाकर उनसे ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय सभापति महोदय, ठीक है, मंत्री महोदय की आज मांग है, इसलिए उसको सुनने के लिए बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिनिधि मण्डल की हमको भी जानकारी मिली है । मैं कहना चाहता हूं कोई भी माननीय मंत्री महोदय, जो जिम्मेदार बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री तो नहीं हैं, तो भी कोई मंत्री, हो, थोड़ा बहुत संबंध रखने वाले पंचायत राज मंत्री महोदय आ गये है; मेरा उन से कहना है कि इन शिक्षकों में पंचायत राज के शिक्षक भी हैं,। कृपया उनके प्रति-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
निधि मण्डल को बुलवा लें। कोई व्यवस्था कर लीजिए, उन के मांग-पत्र को सुन लीजिए, बातचीत कर लीजिए।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा। आपने एक दफा बात कह दी····

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि बीच में खड़े होकर बार-बार एजीटेट करते रहें।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, उस पर विचार हो रहा है। चैम्बर में उनसे मिला जा रहा है। आप धीरज रखिये।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : आज उनकी डिमाण्ड है।

श्री **सभापति** : डिमाण्ड तो है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : पंचायत राज मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं वह उनसे जाकर मिल लें। जो सक्षम हैं।····

श्री **सभापति** : आप डिमाण्ड तो शुरू होने दीजिये ....

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : सभापति महोदय, निवेदन यह है कि हमने विशेष रूप से चर्चा करने की अनुमति आपसे चाही थी। आप दो-दो मिनट बोलने की अनुमति प्रदान करें ताकि हम कुछ ····

श्री **सभापति** : आॅर्डर प्लीज। आप बैठ जायें।

श्री **हीरालाल आर्य** : सभापति महोदय, हजारों शिक्षक आये हुये हैं। आप उन्हें बुलाकर बात करने के लिये आदेश तो दें।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : सभापति महोदय, आज दिन तक आसन ने इस बात के कोई आदेश नहीं दिये हैं। आदेश इस प्रकार के नहीं दिये गये हैं। हम लोग स्वतः ही जाकर मिलते हैं ····

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : आप कोई व्यवस्था नहीं रख रहे हैं।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : सभापति महोदय, यह गलत परम्परायें डाल रहे हैं, आसन से आदेश दिलवाने की।

श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : उनसे मिलने में आपको क्या आपत्ति है?

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आॅर्डर प्लीज। यह चर्चा का प्रश्न नहीं है। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री **बंशीलाल पटवा** : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विपक्ष की भी कोई बात माननी चाहिये।

श्री **सभापति** : उस पर विचार हो रहा है। आॅर्डर प्लीज।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(व्यवधान)

श्री **हीरालाल आर्य** : सभापति महोदय, 2 मिनट इस पर चर्चा हो जाय।

हजारों शिक्षक यहां आयें हुए हैं राजस्थान से। हमने नोटिस दिया है . . .

श्री **सभापति** : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री **हीरालाल आर्य** : माननीय सभापति महोदय, आपको हमने पहले नोटिस दिया है।

श्री **सभापति** : ऑर्डर प्लीज। बैठ जायं।

श्री **हीरालाल** आर्य : व्यवस्था तो देंगे।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, बैठ जायं। सदन की कार्यवाही में खलल भ न डालें। व्यवस्था दे दी गई है।

अनुदान की मांगे

मांग संख्या 49––स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं को मुआवजा व समनुदेशन, मांग संख्या 29, नगर आयोजना, एवं प्रादेशिक विकास, एवं मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास

अनुदान की मांगों पर विचार। माननीय मंत्री जी।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मंत्री, स्वायत शासन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले व र्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,69,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले व र्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 8,17,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री **सभापति** : श्री शीशराम जी ओला।

श्री **शीशराम ओला** (राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41--सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्ति राज्यपाल महोदय को 11,66,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 49 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 49, मुख्य शी र्षक स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के अन्तर्गत मांग में से 100/-रुपया कम कर दिया जाय।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) :

1. मनोरंजन कर का उचित हिस्सा नगर पालिका को न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती **उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

2. स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर का उचित हिस्सा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) :

3. नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का उचित हिस्सा नहीं दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री **अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) :

4. स्थानीय निकायों को सहायतार्थ अनुदान की राशि पर चर्चा के लिये।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) :

5. स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर का उचित हिस्सा न देने पर चर्चा के लिये।

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :

6. स्थानीय निकायों को सहायतार्थ राशि देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

7. भीलवाड़ा नगर परिषद् को दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **अमीन खां** (शिव) :

8. ग्राम पंचायतों को प्रति व्यक्ति 4 हजार सालाना अनुदान दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) :

9. पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन को दी जाने वाली सहायतार्थ राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) :

10. पंचायतों को अनुदान राशि भी नगरपालिका के समान 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदान की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री **रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) :

11. स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सहायता समय पर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) :

12. मनोरंजन कर से प्राप्त राशि का उचित अंशदान संबंधित नगर पालिका को नहीं दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री **पीरूराम** (टीबी) :

13. जिला गंगानगर के विधान सभा क्षेत्र टीबी में नगरपालिका, रावतसर को दी जाने वाली मनोरंजन कर की राशि अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **समर्थलाल** (राजगढ़) :

14. राजस्थान में स्थानीय निकाय व पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान भेदभाव पूर्ण तरीके से देने पर चर्चा के लिये।

श्री **थानसिंह मीणा** (सलूम्बर) :

15. पंचायत समिति सलूम्बर में मुआवजा के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **बहादुर सिंह** (नोहर) :

16. पंचायत राज संस्थाओं को

(87)

(श्री बहादुर सिंह)
दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार कोई कार्यवाही नही कर रही है, इस पर चर्चा के लिये।

17. ग्रामीण विकास के लिये पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सहायतार्थ अनुदान न देने पर चर्चा के लिये।

18. पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को दी जाने वाली अनुदान राशि एवं सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री **रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) :

19. जालौर जिले में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये मुआवजे और समनुदेशन पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) :

20 पंचायत समितियों को भू-राजस्व के अंश के बदले में सहायतार्थ अनुदान समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री **जीतमल जैन** (अलवर) :

21 नगर पालिकाएें/नगरपरिषदों द्वारा गृह कर की सीमा बढ़ाने के क्रम में दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

22. मनोरंजन कर का सम्पूर्ण भाग नगर पालिका/परिषद् को दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) :

23 पंचायत राज संस्थाओं को कम अनुदान देने पर चर्चा के लिये।

श्री **भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) :

24 पंचायत समिति टी.बी. को दी जाने वाली सहायतार्थ अनुदान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **हीरालाल आर्यवीर** (पीपल्दा),

श्री **लालचन्द्र आर्य** (डग) :

25. ग्राम पंचायतों को 1981 की जनगणना के अनुसार अनुदान दिया जाय, इस हेतु चर्चा के लिये।

26. ग्राम पंचायतों को समय पर अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. ग्राम पंचायतों को विकास कार्य करने हेतु अनुदान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) :

28 जैसलमेर नगर पालिका द्वारा चुंगी अधिक दर से लेने से नागरिकों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) :

29. पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान में व्याप्त अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री **दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) :

30 प्रदेश में चुंगी से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

31. मनोरंजन कर नगरपालिकाओं को दिये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री **वंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :

32. स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को अधिक एड देने हेतु, चर्चा के लिये।

श्री **हरिसिंह** (कुम्हेर) :

33. पंचायतों को भू-राजस्व के अंश के बदले में दी जाने वाली सहायता एवं अनुदान की राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) :

34. नगरपालिकाओं को मनोरंजन की राशि का अंशदान देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) :

35. मनोरंजन कर, सीमा कर व अन्य विविध प्रतिकर और समनुदेशन से प्राप्त आय का सहायतार्थ अनुदान के रूप में दिये जाने वाली धनराशि का पुनः निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग सं. 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक, विकास के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) :

1. पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती **उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) :

2. पंचायत राज संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

3. केयर फूड कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर),

श्री **मालाराम** (खेतड़ी) :

4. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में राजनीतिक आधार पर सहायता देने से विकास में रूकावट पर चर्चा के लिये।

श्री **भैरूसिंह गुर्जर** (खारची),

श्री **चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) :

5. पंचायती राज संस्थाओं को सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री **माधवसिंह दीवान** (सोजत),
श्री **सूरजपाल सिंह** (भीनमाल),
श्री **कुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर),
श्री **असलम खां** (बाली),
श्री **वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढा),
श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी),
श्री **शिवदान सिंह राठौड** (जैतारण) :

6. पंचायत समितियों को अधिक सहायता व अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **जगदीश प्रसाद तिवाडी** (बस्सी) :

7. पंचायत समिति के प्रमुख, प्रधान एवं सरपंचों के दैनिक व यात्रा भत्तों में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये।

8. जिला विकास अभिकरण का

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)
कार्य जिला परिषदों को स्थानान्तरित किये जाने पर चर्चा के लिये।

9. ग्राम पंचायतों को मिलने वाला अनुदान कम है अतः आय के स्थायी स्रोत चारागाह भूमि में मिक्स प्लान्टेशन अथवा वन लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

10. पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

11. पंचायत समिति, बस्सी को नयी डीजल जीप उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

12. पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन को नई जीप आवंटित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

13. पंचायत समिति, शिव में ग्राम सेवकों व अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) :

14. ग्राम पंचायत, विजरोल, दुकवा, हेमागुडा के मुख्यावास के मसलों को सुलझाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

15. पंचायत धासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के भूतपूर्व सरपंच की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

16. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की दयनीय हालत पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

17. राजस्थान में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की क्रियान्विति एवं विकास योजनाओं की दुर्व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) :

18. पंचायत राज संस्थाओं को और सशक्त बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

19. प्राथमिक चिकित्सा को पंचायती राज संस्थाओं से मुक्त कराने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

20. पंचायती राज संस्थाओं को सुविधा एवं अधिकार देने की घोषणा को पूरा करने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

21. राजस्थान की पंचायत समितियों में अध्यापकों के साथ राजनैतिक बर्ताव करने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) व
श्री अमराराम चोधरी (पचपदरा) :

22. पंचायत राज संस्थाओं को

(श्री चतुर्भुज व श्री अमराराम) दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

23. ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु चर्चा के के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

24. प्रत्येक पंचायत में सचिव की नियुक्ति कराने हेतु चर्चा के लिये ।

25. पंचायतों को अनिवार्यतः पर्याप्त आबादी भूमि आवंटित कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर),
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा),
श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

26. पंचायत को अधिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) :

27. पंचायत समितियों के प्रति सरकार द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पनेरवाल (पाटन) :

28. पंचायत आजन्दा, पंचायत केशवराय के सरपंच के खिलाफ चल रही जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

29. केशवराय पाटन पंचायत समिति में छप्पर योजना के अनुदान में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

30. सरपंच, अजीतगढ़ (सीकर) के विरुद्ध आरोपों की जांच के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

31. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों में व्यवहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

32. "फूड फोर वर्क" योजना के अन्तर्गत पंचायतों को अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु विशेष अनुदान दिया जाय, इस हेतु चर्चा के लिये ।

33. पंचायत समिति (डग), इटावा द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण में उदासीनता पर भी दिये जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये ।

34. पीपल्दा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत वितरित किये जा रहे ऋण एवं अनुदान में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

35. ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्य नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

36. जिला जैसलमेर में परियोजना

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)
खंड के प्रधान कार्यालय को सहायता पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

37. प्रधानों द्वारा पंचायत स्कूलों के शिक्षकों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार से शिक्षकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

38. पंचायत राज कर्मचारियों में सेवा नियम नहीं बनने से असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांताराम गढ़) :

39. पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु और अधिक अधिकार दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

40. पंचायत समितियों को दिये जाने वाली अनुदान राशि के बारे में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

41. पंचायत समितियों को दिये जाने वाले अनुदान में बरत रहे भेदभाव के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

42. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन दिये जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

43. पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु कारगर कदम उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (मनोहरथाना) :

44. पंचायत समिति, मनोहरथाना में एक शिक्षा प्रसार अधिकारी, एक सहकारी प्रसार अधिकारी और एक पशुपालन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुखों के भत्तों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

46. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, खपतोर को विभाग द्वारा पुनः कृषि फार्म स्थानान्तरित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, खपतोर में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने से, इसे दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

48. प्रधान एवं जिला प्रमुखों द्वारा पद के दुरुपयोग करने पर इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :

49. पंचायत समितियों की प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन संबंधी अव्यवस्था पर इन्हें दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

50. पंचायत समिति, डीडवाना में अनियमितता व गबन घोटालों के संबंध में, इसे दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री भैरुलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़):

51. पंचायत राज व विकास विभाग के कार्यों को सुचारुरूप से चलाने के लिये विभागीय सेवाओं का गठन किया जाना परमावश्यक है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

52. पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

53. पंचायत समिति सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा राज्य आदेशों की अवहेलना करके 23-1-83 व 17-2-83 की साधारण सभा की बैठकें बुलाकर लिए गए निर्णयों से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिये।

54. सिकराय पंचायत समिति के विकास अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच में अनावश्यक देरी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

55. उ. प्रा. वि. को पंचायती राज को हस्तान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : व

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन) :

56. बाड़मेर जिले के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम सेवक या ग्रुप सचिव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. बाड़मेर जिले की भौगोलिक स्थिति के कारण ग्राम पंचायतों का क्षेत्र बहुत बड़ा होने से ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पर अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29-मुख्य शीर्षक-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अंतर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

1. टोंक शहर का वैज्ञानिक ढंग से विकास करने की दृष्टि से सरकार द्वारा मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

2. जयपुर के मास्टर प्लान में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : व

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

3. सीकर नगर परिषद् को दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

4. सीकर नगर के मास्टर प्लान की क्रियान्विति पर विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

5. अलवर नगर परिषद को दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

6. नगर पालिका/परिषद के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष सुविधा मुहैया कराने हेतु चर्चा के लिये ।

(श्री जीतमल जैन)

7. राज्य सरकार द्वारा नगर सुधार न्यास व नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को रियायती दरों पर भू-खण्ड आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

8. अलवर नगर का मास्टर प्लान बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

9. नगर सुधार न्यासों के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

10. अलवर नगर सुधार न्यास द्वारा कनिष्ट लिपिक, ट्रेसर, कनिष्ठ अभियंता एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में, इसे दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

11. नगरों में अनाधिकृत निर्माण कार्यों को रोकने में सरकार की असफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर),

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची):

12. बीकानेर, जैसलमेर व पाली के मास्टर प्लान की शीघ्र क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

13. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में व्याप्त अनियमितताओं पर दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

14. नगर विकास न्यास, उदयपुर की अनियमितताओं के विषय में दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा):

15. नगरपालिका, प्रतापगढ़ द्वारा तीन बीघा छः बिस्वा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित नहीं करने के संदर्भ में दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. नगरपालिका, प्रतापगढ़ की सीमा वृद्धि दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 की अधिसूचना के अनुसार करने हेतु, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982-83 में नगरपालिका, प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ को अंतरिम सहायता नहीं दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत):

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)।

श्री गोकुलचंद शर्मा (सुमेरपुर):

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची):

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह:

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा):

श्री शिवदान सिंह (जैतारण):

18. छोटे शहरों के भी मास्टर प्लान जल्दी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

19. कोटा नगर परिषद् द्वारा जो बसें नगर परिवहन हेतु चलाई जा रही हैं, उसके संबंध में दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) :

20. अजमेर नगर विकास के सदस्यों के व्यवहार के संदर्भ में दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

21. नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा क्रय किये गये बंगलों में भ्रष्टाचार पर दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

22. अजमेर नगर विकास न्यास की आय सिर्फ जमीनों को बेचने पर ही निर्भर है, अतः दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

23. राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण न्यासों को और अधिक अनुदान राशि देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) :

24. नगर पालिका, सांचोर को दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

25. राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं को समय पर अनुदान दिया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

26. उदयपुर नगर न्यास के अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाने पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

27. नगर न्यास, उदयपुर के वर्तमान अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राप्त किये गये प्लाट के संबंध में दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

28. उदयपुर नगर न्यास द्वारा वर्ष 82-83 में प्लाट निलामी द्वारा न्यूनतम मूल्य से भी कम में बेच देने पर भी दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

29. उदयपुर का मास्टर प्लान लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

30. नगर न्यास, उदयपुर के पास कच्ची बस्ती विकास के पैसे का उपयोग न कर पाने पर दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

31. नगर न्यास, उदयपुर द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में भारी अनियमितता हुई, अतः अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) व

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

32. नगरपालिकाएं एवं परिषदों द्वारा सफाई हेतु कोई समयबद्ध सफाई पखवाड़ा अभियान चलाने में पूर्ण रूप से निष्क्रिय रही है, अतः दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीम) :

33. जयपुर नगर में भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

34. माण्डल नगर के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :

35. राज्य सरकार भरतपुर के मास्टर प्लान में शहर को कच्ची दीवार (गढ़) पर नाजायज कब्जे हटाने का प्रबंध नहीं कर पाई है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

36. बालोतरा नगर के लिए मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

37. कोटा नगर में मास्टर प्लान की अवहेलना कर नगर विकास न्यास द्वारा नाजायज स्वीकृति देकर अवैध निर्माण कार्य कराये अतः दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

38. कोटा नगर विकास न्यास के सदस्यों द्वारा भाई-भतीजावाद अपनाकर, गलत तरीकों से जमीने हड़पने पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

39. कोटा नगर विकास न्यास द्वारा एरोड्राम सर्किल पर जयप्रकाश नारायण सर्किल न बनाने पर इसे दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री थान सिंह मीणा (सलूम्बर) :

40. सलूम्बर नगर पालिका में आवास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने में आयोजना विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

41. नगर आयोजना विभाग प्रदेश के नगरों का मास्टर प्लान बनाने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

42. अजमेरी गेट, जयपुर से सांगानेर हवाई अड्डे तक दोनों ओर सुन्दर बाजार बसाने में नगर आयोजना विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये ।

43. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लिये गये दो से अधिक गांव में सड़कों का जाल बिछाने में असफल रहा, जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है । अतः प्राधिकरण को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर):

44. नगरों में आवासीय समस्या को हल करने में सरकार पूर्णतः असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

(श्री बहादुर सिंह)

45. नगरीय सीमा के तहत नगरों की आस-पास की अच्छी कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण को कम करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

46. नगरों के सौंदर्यकरण के नाम पर किये जाने वाले घोटालों को रोकने में सरकार असमर्थ रही है, पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमंवारामगढ़):

47. जयपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आयी ग्राम पंचायतों एवं नगर-पालिका के अधिकारों में किये जा रहे अनुचित हस्तक्षेप को रोकने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) व श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

48. नगरपालिका, सवाईमाधोपुर में अधूरे पड़े नाले के कार्य को पूर्ण कराने में सरकार असफल रही, इस पर उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम):

49. सरकार द्वारा दिये जाने वाली अनुदान राशि का नगरपालिकाएं एवं नगर परिषदों द्वारा की जाने वाले दुरुपयोग पर चर्चा के लिये ।

50. सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि का नगर विकास न्यासों द्वारा किये जाने वाले दुरुपयोग के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

51. नगर परिषद, जयपुर में हरिजन हड़तालों के दौरान की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

52. केशोराय पाटन, नगर पालिका में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के संदर्भ में दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

53. केशोराय पाटन नगरपालिका में कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि कटौती के बाद भी भविष्य निधि खाते में जमा कराने तथा इसमें की अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये ।

54. प्रदेश की पालिका/परिषदों में कार्यरत शिक्षित सफाई कर्मचारियों को योग्यता अनुसार पदोन्नति के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी):

55. सरकार गंदी बस्तियों में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

56. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

57. नगरपालिका, रामगंज मण्डी का मास्टर प्लान तैयार नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

58. नगरपालिकाओं को वित्तीय

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)
सहायता देने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):

59. नगर परिषद, सवाई माधोपुर द्वारा व्यय, गत गृह कर वसूल करने पर दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):

60. श्रीमाधोपुर एवं रींगस नगरपालिकाओं को विकास हेतु विशेष राशि आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर):

61. शहरों एवं कस्बों के संतुलित विकास की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

62. सांगानेरी गेट से घाटगेट के मध्य गन्दे नाले को पाट कर, मार्केट का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं):

63. जयपुर विकास प्राधिकरण के क्रियाकलापों से जनता को हो रही परेशानी से, इसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : व
श्री बालचन्द्र आर्य (डग):

64. नगरपालिका, मांगरोल द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को सार्वजनिक नल कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) नगरपालिका के चयनित बोर्ड को भंग कर चुनाव कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

66. नगरपालिका, भवानी मण्डी, मांगरोल द्वारा नगर के विकास की ओर ध्यान नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. इन्द्रगढ़, नगरपालिका की सीमा वृद्धि को वापिस नहीं घटाया जाय, इसके संबंध में चर्चा के लिये।

68. मांगरोल व इन्द्रगढ़ की नगरपालिकाओं को सहायता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

69. आमेर रोड स्थित ट्रीटमेंट प्लांट योजना को जोड़ने वाली गटर लाइनों की सफाई के उपकरण न क्रय किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर):

70. जैसलमेर नगर जो कि राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है, दृष्टिगत रखते हुए जैसलमेर नगरपालिका को अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. जैसलमेर एवं पोकरण नगरों में सार्वजनिक नलों द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई सुविधाओं के विस्तार के संबंध में दी जाने वाली सहायता के औचित्य के संबंध में चर्चा के लिये-?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):

72. नगरपालिकाओं को दिये जाने

(श्री मेघराज तावड़)
वाले अनुदान पर चर्चा के लिये ।

73. उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा गरीबों को आवासीय भू-खण्ड न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

74. जयपुर प्राधिकरण द्वारा जयपुर की कच्ची वस्तियों में भेदभाव बरती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

75. नगरपालिका, अजमेर द्वारा कच्ची बस्ती के लोगों की बस्ती को खुर्द-बुर्द करने से असंतोष पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

76. नगर विकास प्रन्यासों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर, इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री **दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) :

77. श्री माधोपुर में नगरपालिका द्वारा हुडकों की योजना लागू कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री **राजबहादुर** (भरतपुर) :

78. भरतपुर नगर के बीच में स्थित "नहर सुजान गंगा" तथा उसके घाटों और दीवारों की मरम्मत न कराने पर विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :

79. भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में की गई अनियमितताओं पर इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

80. नगर आयोजना विभाग में हो रही अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये ।

81. भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा अनावश्यक सड़कों व नालियों पर धन के अपव्यय से उत्पन्न स्थिति पर इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

82. भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा की गई अनियमितताओं पर दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री **ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़):

83. अलवर नगर न्यास द्वारा भूमि का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री **हरीसिंह** (कुम्हेर) :

84. राजस्थान के मुख्य नगरों का मास्टर प्लान नहीं बना है, अतः शीघ्र बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली):

85. मास्टर प्लान के अन्तर्गत जयपुर शहर का विकास करने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):

86. नगरपालिका, बगरूकला, जि. जयपुर द्वारा नालियां एवं सड़कों का निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न असुविधा पर दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य

(श्रीमती विद्या पाठक)
पर चर्चा के लिये।

87. नगर परिषद्, बगरूकला जिला जयपुर के कर्मचारियों को वेतन भत्ता न दिये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (मनोहरथाना) :

88. नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान की राशि के औचित्य पर पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

89. नाथद्वारा नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने में अपनायी जा रही नीति पर चर्चा के लिये।

90. नाथद्वारा नगर को आई. यू. डी. पी. के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

91. टौंक नगर परिषद द्वारा प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. टौंक नगर परिषद के विकास के लिये कर्जा उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. विभिन्न नगरपालिकाओं में सार्वजनिक नल नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. सस्ते फ्लेस शौचालय हेतु अनुदान कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

95. नगरपालिकाओं को सामान्य अनुदान एवं अनुदान की राशि समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. अधिशाषी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर भी निदेशालय द्वारा कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. विभिन्न नगरपालिकाओं में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों को अधिशाषी अधिकारी द्वारा कार्य रूप में परिणित न करने पर निदेशालय द्वारा उनको संरक्षण प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. निदेशालय नगरपालिकाओं में कमिश्नर व अधिशाषी अधिकारी से नगरपालिका कानूनों की अनुपालना कराने की स्थिति में नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

99. नगरपालिकाओं, निगमों आदि को दी जाने वाली सहायता में भेदभावपूर्ण नीति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के के लिये।

100. निदेशालय द्वारा समय पर बजट स्वीकृति नहीं भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. जयपुर नगर परिषद् द्वारा नियमित रोड लाइट्स की समुचित व्यवस्था नहीं करने से नागरिकों को अंधेरे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
में होने वाली असुविधा पर दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

102. नगर परिषद, जयपुर द्वारा शहर की सड़कों का रख-रखाव ठीक नहीं रखने पर, अनुदान दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

103. वर्षा से जयपुर नगर परिषद् द्वारा गटर लाइनों की सफाई न किये जाने व इनके ओवरफ्लो से नागरिकों को होने वाली असुविधा का निराकरण न करने पर, इसे दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

104. जयपुर नगर परिषद के द्वारा जयपुर नगर की सफाई व्यवस्था समुचित रूप से न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

105. उदयपुर में सीवरेज योजना के अंतर्गत डाली जा रही घटिया किस्म की पाइप लाइन से शहर में गन्दा पानी फैलने की संभावना हो गई है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

106. निदेशालय, स्वायत शासन विभाग द्वारा अनियमित सीधी भर्ती कर लेने पर चर्चा के लिये ।

107. जयपुर नगर परिषद की सार्वजनिक रोड लाइट को समुचित रूप से संचालित करने में विफलता पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

108. राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्य नगर नियोजक के विरुद्ध दिये गये निर्णयों पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

109. मुख्य नगर नियोजक द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृत कराये बिना ही जयपुर शहर के मास्टर प्लान में किये गये संशोधन के संबंध में चर्चा के के लिये ।

110. नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान देने में किये गये भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

111. मास्टर प्लान में सम्मिलित नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा हरिदासजी की मगरी व चम्पा बाग की भूमि बेचकर प्रन्यास को आर्थिक हानि पहुंचाने पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

112. नगर विकास विभाग द्वारा गरीबों की भूमि अवाप्त कर मुआवजा न दिये जाने पर, प्रन्यासों के विरुद्ध कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

113. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा कच्ची बस्तियों को उजाड़े जाने के

(श्री मेघराज तावड़)
संबंध में, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

114. जयपुर नगर परिषद् द्वारा नगर के गुलाबी रंग योजना के रख-रखाव की कमी पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

115. जयपुर नगर परिषद् द्वारा कच्ची बस्तियों में सही ढंग से पानी, बिजली, सड़क, रोशनी की व्यवस्था न किये जाने पर निवासियों में व्याप्त असंतोष पर; इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

116. जयपुर नगर परिषद द्वारा जयपुर के श्मशानों व कब्रिस्तानों की समुचित व्यवस्था के अभाव में, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

117. नगर परिषद् द्वारा अग्नि-शमन सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले 285 हाईड्रेन्ट्स के बन्द होने से अग्नि शमनार्थ फायर की गाड़ी को बार-बार पानी लेने घाट गेट स्टेशन पर जाने से अग्नि पर काबू पाने में होने वाली कठिनाई के संदर्भ में, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

118. जयपुर नगर परिषद् द्वारा गृह कर के अचानक बढ़ा-चढ़ा के नोटिस निकाले जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

119. जयपुर विकास प्राधिकरण के भवन के नामकरण के संबंध में दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

120. जयपुर नगर आबादी क्षेत्र के गलत ढंग से मकानों को तोड़े जाने पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

121. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुराने पेण्डिंग नक्शे पास न किये जाने से होने वाली कठिनाई पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

122. जयपुर नगर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की नौकरी की अवधि मात्र 6 महीने बढ़ाये जाने से उन्हें समायोजन न किये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर, इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद), व

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

123. चीफ टाउन प्लानर पर लगाये गये भ्रष्टाचार व अनियमितता के आरोपों पर, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 49, 29 व 41 पर विचार

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं चर्चा में भाग लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : आपको भी अवसर दिया जायेगा ।

श्री राजबहादुर : अभी दिया जाय

श्री सभापति : पहले नाम दिये हुये हैं उसके हिसाब से ।

श्री राजबहादुर : जो व्यवस्था है नियमों की, उसके आधार पर आवश्यकता नहीं है । अगर नाम चाहते हैं तो नाम भी भेज दूंगा, लेकिन अपनी सीट से खड़े होकर, आपकी 'आई' सबसे पहले कैच की, 'आई' मैंने कैच करली और मैं खड़ा हो गया हूं...

श्री सभापति : आपको अनुमति दी जाती है ।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, यह मांगे मैं विकास के लिये बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य मानता हूं मैं मानता हूं कि समाज का परिवर्तन करना है, सोशल चैंज की बात करनी है, सोशल, इकोनोमिक, सामाजिक आर्थिक हमें रिस्ट्रक्चरिंग करना है सोसाइटी का पुनर्निर्माण करना हैं तो इन मांगों की ओर पूरा ध्यान देकर इसके पीछे जो मुद्दे है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा, तो काम नहीं होगा ।

एक अभिशाप आज हमारे समाज के ऊपर है, उसकी ओर आपका ध्यान आर्कषित करूंगा और सरकार का भी, और वह है सैंकडों वर्षो से चली आई मैला ढोने की प्रथा, मनुष्य के माथे पर वह कलंक हैं । अगर हम चाहते हैं कि वह प्रथा दूर हो, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भी इस कलंक, जो हमारे देश के ऊपर और हमारे समाज के ऊपर है, कुछ कमी आये, तो आवश्यकता इस बात की है कि उस व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो, नगर की सफाई, नगर आयोजना, टाऊन प्लानिंग, एक्सट्रा सब यह चीजें, आती हैं, इसलिये यदि हम कोई लक्षण दिखलाना चाहते हैं अपने को, या विदेशियों को विदेशों से आने वाले टूरिस्टों, पर्यटकों को तो वह लक्षण हमारी कन्ट्री-साइड में, हमारे गांवों में, हमारे टाउन्स में, हमारे विलेजेज में, हमारे छोटे बडे नगरों में अगर सामने नहीं आयेगा तो हमारा विकास, विकास नहीं रहेगा । यही कारण हैं कि आजादी के 35 वर्ष हो जाने के उपरान्त, आज भी अगर कन्ट्री साइड में जायें, अपने गांव में जांय छोटे-छोट कस्बों में जायें गिलाजत, गन्दगी और एक प्रकार का जैसे स्लेब कहने हैं वह सब का सब छाया हुआ है, उसको दूर कैसे किया जाय । मैं कभी कभी सोचता हूं कि कितनी बड़ी जन शक्ति हमारे देश में हैं, जन-शक्ति की कमी नहीं है और कितना बड़ा काम हमारे देश में हैं, काम हमारे देश में है नगर नगर में सड़कें पहुंचाई जाय, नगर 2 में सेनीटेशन की व्यवस्था हो, नगर-नगर में सिवीरेज और ड्रेनेज हो, नगर 2 में कुछ सिटीज को ब्यूटिफुल बनाने की बात हो, विलेजेज को ब्यूटिफुल बनाने की बात हो, कुछ ऐसी चीजे हो जिसकी वजह से हम सुधारकर सकें, मैं यूरोपियन विचारों का नहीं हूं लेकिन मैं मानता हूं कि यदि सरकार रेडिकल ढंग से इस बारे में सोचे, मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि 2 मिनट लूंगा इस बारे में, ज्यादा नहीं लूंगा, सब्जेक्ट-विषय बहुत बड़ा है, लेकिन निश्चित बात यह है कि आज की म्युनिसपिलीटि हमारे छोटे 2 टाउन्स में है या हमारे छोटे 2 टाउन्स में उनकी विलेज पंचायतों में हैं, और बड़े-बड़े टाउन्स और विलेजेज की म्युनिसिपलिटीज भी इस स्थिति में नहीं है, न आर्थिक स्थिति में न अपने सामाजिक व्यवस्थापक स्थिति में है,न संगठन में, न वैसे की वह कोई बड़े काम हो उनको देख सके, यह सिवीरेज और ड्रेनेज के काम को देख सके, न सेनीटेशन के काम को । कोई न कोई तरीका, कोई न कोई

(श्री राजबहादुर)

स्कीम्स् को निकालना पड़ेगा, क्या स्कीम्स् हो सकती हैं? क्या ही यह अच्छा होता कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से लेकर बजट की स्पीच में, बजट की स्पीच के बाद, जो भाषण यहां दिये जायेंगे उनमें कुछ संकेत होता कि इस महती समस्या को, इस मुंह बाये बढ़ती हुई समस्या के संबंध में इस बजट में कोई दिशा नहीं है तो उसका एक कारण यह भी तो जाता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं अपनी इस सारी व्यवस्था को, कोई दिशा नहीं है इस बारे में, सिवाय स्टीरियो टाइप व्यवस्था है, लकीर के फकीर की तरह काम करेंगे और छोड़ देंगे इसको जहां की तहां और मांगें मंजूर हो जायेंगी और जो कुछ मैं अभी कह रहा हूं शायद उन पर भी विचार नहीं होगा, यह विचार मैंने कई वर्ष पहले अपने सजेशन के रूप में रखे थे, क्योंकि एक नहीं एक-दो-तीन-चार बड़े पब्लिक सेक्टर में सेनीटेशन इंजीनियरिंग को लेकर, सेनीटेशन इक्वीपमेन्ट को लेकर, कोई बड़े उद्योग खड़े नहीं किये जा सकते, हजारों आदमी उनमें खप सकते हैं और वह केन्द्रीय या राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित हों, और फिर एक मैकेनिजम हो, एक संस्था हो, जिसके जरिये से यह व्यवस्था हो, जो छोटे छोटे और बड़े बड़े टाउन्स में सेनीटेशन, सिवीरेज और ड्रेनज का काम वह संस्थान करे और जब यह काम हो जायगा, तो निश्चित रूप से वहां के निवासी भी आपको जो कहेंगे, जिस मात्रा में टैक्स देने को भी तैयार होंगे। लेकिन आज क्या है? उनका जीवन नारकीय है, उस नरक में बिता रहे है अपना जीवन और आपकी तरफ से कोई पहल न हो किसी किस्म की, न तो उनके सफाई की न उसके संडासों की, न उनके सेनीटेशन की, न किसी चीज की, न स्वास्थ्य की।

इसी तरह से मैंने कहा कि 3-4 बड़े निकाय हो सारे देश को कवर करने के लिये, प्रदेश को कवर करने के लिये, देश की बात न करें, प्रदेश की बात करें और वह प्रोवाइड करे सेनीटेशन और इंजीनियरिंग और सारी व्यवस्था करे, सीवरे डालने की, ड्रेनेज डालने की, सेनीटेशन एसटेब्लिशमेन्ट करने की, और जो पैसा लगे उसके लिये कुछ बैंकस् दें, कुछ एल.आई.सी. दे और कुछ सरकार दे, और उसके जरिये से यह काम हो जाय तो 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में उन टाउन्स से वसूल कर लिया जाय और यह आसानी से हो सकता है। मैं कोई गवर्नमेंट में नहीं हूं, मैं लेकिन सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि इसके संबंध में गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूं कि कोई दिशा है, क्या सोच रहे हैं, यह मैला जो सिर पर उठाकर हमारी बहिनें और भाई चलते है वह एक अभिशाप है, कलंक है, बहुत कोशिश की गई है, कोई ड्राईलेट्रीन्स बनाई जाती है, कहीं छोटे-मोटे लेट्रीन का आविष्कार किया गया है, वह 100-125 रुपये में हो जाती है लेकिन वह सब अधूरी हैं, आज किसी बड़े कस्बे में चले जाइये जिसकी आबादी 5 हजार, दस हजार की है, उसकी बुरी हालत बना रखी है। पहली बात तो कहना चाहता हूं नगर आयोजना विभाग पर बोलना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं किस दिशा में आप देश को ले जाना चाहते हैं, क्या आपकी कल्पना है? कल्पना ही बता दें। योजना नहीं, कल्पना बता दें कि किस ओर, किस

(श्री राजबहादुर)

दिशा में ले जाना चाहते हैं ? मैं बहुत संकीर्ण विचारों का आदमी नहीं हूं कि खाली अपने घर की बात करूं, अपने नगर की बात करूं, लेकिन उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं मैं, ऐसी बुरी हालत में, मेरा जन्म स्थान भरतपुर है, नगर की आबादी किसी जमाने में 35 हजार थी आज उसकी आबादी लगभग सवा लाख के करीब हो चुकी है दुर्व्यवस्था इतनी है कि उसकी दशा का वर्णन नहीं कर सकता, कई बार कह चुका हूं इसलिए दोहराना नहीं चाहूंगा । इतना ही मान लीजिए कि हम लोग सब ऊब गये हैं, थक गये हैं, तंग आ चुके हैं, क्या करें । यह मेरा ही कहना नहीं है, भरतपुर के चेम्बर ऑफ कामर्स ने एज लेट एज 23 दिसम्बर, 1982 एक बहुत दुःख भरा पत्र मुझे लिखा । उसमें उन्होंने लिखा है:—

"The drains and Nalies and latraines are not cleaned. Most of the city and street roads are in a bad state of repairs, hinderance to the traffic.

सड़कों में, गलियों में, नालियों में और मोहल्लों में बड़े-बड़े गड्ढे भरे हुए हैं। पानी भरा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है मैला जमा है और वहां पर सूअरों का अलग नंगा नृत्य होता है । तीसरी बात उन्होंने लिखी :—

(3) there are 'Koora Ghar's. here and there in the street, never lifted for months together, (4) no proper arrangements for lights, (5) stray cattle, pigs, cows and monkeys making hell of the life and what to say re-garding other conditions, as if there is no institutio like Municipal Board existing in Bharatpur.

अब यह चेम्बर ऑफ कामर्स कहता है, वाकई गणमान्य लोग हैं व्यापार में जिनको कि बड़े उग्र भी नहीं माना जा सकता, रेडिकल भी नहीं माना जा सकता कि यह कोई सरकार को वैसे ही धौंस देना चाहते हों । म्युनिसिपैलिटी है, वह कितने वर्षों से एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे हैं कई वर्ष हो चुके हैं उसके चुनाव हुए । आज नगर परिषद का चुनाव हुआ, नगरपालिकाओं का हुआ, लेकिन नगर परिषद भरतपुर का चुनाव नहीं हुआ है । मैं कोई तकाजे के तौर पर नहीं कहता, आप जितनी जल्दी कराना चाहें अच्छा है, उपयुक्त है उसका दोष तो कम से कम चुने हुए प्रतिनिधियों पर आयेगा । लेकिन आज तो यह है, मैं कहता हूं, मौलिक रूप से साधन विहीन ये सारी संस्थायें है । जब तक मौलिक, आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, इस व्यवस्था में तब तक ऊपरी सतह पर हम लोग बात करते रहें, एक दूसरे को भाषण देते रहें, जनता वहीं की वहीं बेचारी कष्ट भोगेगी । इस पत्र के आधार पर मैंने मुख्य मन्त्रीजी और हमारे वर्तमान जो मन्त्रीजी हैं म्युनिसिपैल्टीज के, नगरपालिकाओं के इन दोनों को चिट्ठी लिखी और प्रार्थना की । मैं वह चिट्ठी पढ़ कर सुना देता हूं—

"I enclose herewith a copy of letter no. BCC/1012/10, dated 23rd Dec., 82 received by me from Bharatpur Chamber of Commerce and Industry.

I hope you will be kind enough to visit Bharatpur at your earliest

(श्री राजबहादुर)

convenience and see for yourself that what the Chamber has written in there letter is correct and true to the last word. It is also true that repeated requests from them, as from me, to various authorities have gone unheaded so far. Why the people of Bharatpur are being panalised in this manner is simply in comprehensible.

इसका जवाब आया, मन्त्री महोदय ने भी दिया, मुख्य मन्त्री महोदय ने भी दिया। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि मैंने मन्त्री महोदय को कह दिया है कि भरतपुर जायं और इसकी हालत को सुधारें। भरतपुर शायद गये भी वह, ऐसा उन्होंने मुझे प्राइवेटली कहा। गये होंगे और जाकर उन्होंने कुछ व्यवस्था की होगी लेकिन मैं उनको बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं, कुछ हेर-फेर भी नहीं हुआ है सिच्युएशन में। आज जो हमारी नहर है, भरतपुर की जो केन्द्र है, जो कभी नाक थी भरतपुर की, आज इस कदर गिलाजत में है, मैंने यहां पर उसका नक्शा भी पेश किया था, 80 नाले मैले के, गन्दे पानी के, अस्पताल तक के पानी के, जो पीप का और राद का होता है, उसमें गिरते हैं। इस नहर में ? जिसमें कि राजाओं के जमाने में आपको सुन कर विश्वास नहीं होगा, पानी मोती जैसा छलछलाता हुआ, साफ पानी रहता था। क्यों ? क्योंकि वहां साबुन लगा कर नहाने की इजाजत नहीं थी, कपड़े धोने की इजाजत नहीं थी। नहर बोलते हैं हम लोग उस मोट को जो किले के चारों तरफ है। जिस नहर में कोई कपड़े नहीं धो सकते थे, जिस नहर में साबुन लगाकर नहा नहीं सकते थे, आज उस नहर के पानी का आप हाल देखेंगे तो उसमें सारी बेल छायी हुई है बाय र हाई सिन्थ क्या बोलते हैं हिन्दी में I do not know. हां कुमुदनी जो है छाई हुई है, कुमुदनी कुछ और चीज है। वह छाई हुई है बड़ी हमने हांक पुकार की, बहुत फरियाद की तो हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जब उन्होंने चार्ज लिया उसके थोड़े दिन बाद ही क्या हुआ कि उसी नहर के ऊपर जो किला खड़ा हुआ है, किले के चारों तरफ नहर है उसके दो बुर्ज गिर पड़े, अगस्त के महीने में। हमने कहा, भई, आप दौरा कर आइये देख आइये, कुछ करिये इसका। यह प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट है मोट भी और फोर्ट भी इसको खुद प्रधान मन्त्री ने अपने विजिट के दौरान में प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया मोट को और यह कहा कि इसके घाट भी दुबारा बनने चाहिये, इसकी वाल दुबारा बननी चाहिये, इस किले की मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन बहुत कोशिश के बाद इतना हुआ कि पानी निकाला गया उस नगर का जिससे कि वह गलीच पानी निकल जाय और वह कीचड़ निकल जाय तो नहर की मरम्मत भी हो सके घाटों की और किले की मरम्मत भी बिना उसके नहीं हो सकती। उस पर तो तीन चार लाख रुपया लगा। उसके बाद यह हुआ काम शायद 1980 और 81 की शुरुआत में। उसके बाद यह हुआ कि वह काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मुख्य मन्त्री बदल गये, दूसरे मुख्य मन्त्री आ गये, आज तक एक पैसा नहीं लगा है। तब ? जबकि मैं इस सम्बन्ध में धृष्टता की या पहल की

(श्री राजबहादुर)

कुछ भी कहिये, प्रधान मन्त्री का फिर ध्यान आकर्षित किया ।

मुझे क्षमा करेंगे, मुझे थोड़ा समय चाहियेगा ।

ध्यान आकर्षित किया और ध्यान आकर्षित करने का नतीजा यह हुआ कि मझे उनकी तरफ से वहां के जो आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट के जो सैक्रेटरी हैं, एडीशनल सैक्रेट्री, उनका पत्र मिला । पत्र में उन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा । पत्र में लिखा है उन्होंने:

"Dear Shri Raj Bahadurji

Kindly refer to your letter dated 16th April, 1982 addressed to the Prime Minister, regarding restoration of the moat wall around the Bharatpur Fort, It has been decided to hand over the work-to the work to the State Pudlic Works Department."

यह है जुलाई 20, 1982 का

" The Archaeological Survey of India has addressed the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur, on June 21, 1982 for the execution of the work of repair to the moat wall through the concerned State Department. Necessary funds for the execution of the work will be made available to the State Government by the Archaeological survey of India as per the actual needs and progress of the repairs,"

यह लेटर आया मेरे पास । मैंने कापी भेजी चीफ मिनिस्टर साहब के पास यह 20 जुलाई का लैटर था मेरे पास, मैंने शायद जुलाई के अन्त में या अगस्त के शुरू में भेजा । उसकी 8 फरवरी तक मुझे कोई रसीद नहीं मिली । 8 फरवरी के पहले मैंने एक अगस्त को लिखा और चार नवम्बर को मैंने एक लैटर और लिखा कि इस तरह जब हो चुका है और सारा खर्चा इस मोट की सफाई का और किले की मरम्मत का केन्द्रीय सरकार से दिया जायगा तब तो कुछ करिये, अब तो कुछ बात नहीं है । मैंने यह भी कहा कि बजाय इसके कि पी. डब्ल्यू. डी. को दें आप इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट को दें, क्योंकि ज्यादा काम इरिगेशन का है इसमें, पानी निकालने का, पानी के अन्दर काम करने का, वगैरह वगैरह । लेकिन मुझे सुन कर ताज्जुब हुआ कि उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई, अब मुझे चिट्ठी मिली है कि लेटेस्ट पोजीशन है इसका हमने तखमीना बनवाया है । मन्त्रीजी आये थे, कहने लगे, साहब इस पर दो करोड़ रुपया लगेगा । यह बात केन्द्रीय सरकार को भी मालूम थी । और यह बात भी मालूम थी कि एक साल में काम नहीं होगा यह, तीन साल, चार साल लेगा यह सारी स्थिति समझाते समझाते , मैंने पहले मुख्य मन्त्री जी को समझाया, अब समझाया । मैं नहीं समझता, हम लोग अब क्या करें । शहर की हालत मैंने आपको बता दी । जो वहां के मुख्य स्थान हैं, अगर वहां के किले और नहर की हालत यह रही तो जो ऐतिहासिक किला है जिसकी आज ढाई सौ वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, महाराजा सूरजमल की यादगार है, सन 1733 में बसन्त पंचमी के दिन उन्होंने

(श्री **राजबहादुर**)

बुनियाद डाली इसकी। महाराजा सूरजमल की यादगार में यह किला है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल साफ पानी रहता था, घाट बिल्कुल साफ सुथरे रहते थे, सबकी मरम्मत होती थी, वहां आज हालत यह है कि क्या आज की जनरेशन को, क्या पहली जनरेशन को, क्या राज्य सरकारों को और हमारे को, आने वाली जनरेशन कोसेगी और कहेगी। यह सवाल पार्टी का नहीं है, यह संकीर्ण दृष्टिकोण पार्टी का नहीं है। आप कितने उत्तरदायी हैं। इसलिये हम लोग कहते हैं परफोर्मिंग गवर्नमेन्ट नहीं है, कुछ काम नहीं होता। काम होने में अड़चन आती है फण्ड्स की। फण्डस का प्रबन्ध हो जाय, एश्योरेंस मिल जाय तब भी काम नहीं होता। तो क्या किया जाय। हां, एलान बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ऐलान तो यह हुआ था कि "राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिये प्राधिकरण बनाया जायगा", यह मैं पढ़ रहा हूं, राजस्थान पत्रिका में 4-1-82 में एलान हुआ था राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये, राज्य सरकार जल्दी ही एक विकास प्राधिकरण बनायेगी, उसका बिल तो आया नहीं है। एलानों की कमी नहीं है। मैं विनती करूंगा कि इन सारी स्थितियों को समझते हुये, देखते हुए, भरतपुर के टाउन प्लानिंग का मुझे पता नहीं, क्या है। एक यहां पर साइक्लोस्टाइल्ड लैटर या एक विज्ञप्ति सी, सर्कूलेट की गयी थी। मैं इस मौके पर यह भी दोहराना चाहूंगा कि विज्ञप्तियां आती हैं ये ऐसी छपी हुई होती हैं, साईक्लोस्टाइल्ड होती हैं, मैं मेज पर रख दूंगा, मुझ जैसा आदमी तो नहीं पढ़ सकता है। बूढ़ी आंखें हैं, चश्मा लगाता हूं, एक तो यह कठिनाई है। लेकिन असली कठिनाई मेरी आंखों की और चश्मे की नहीं है, चश्में वाली तो मेरी शिकायत नहीं है, न आई डॉक्टर से है, मेरी शिकायत तो इसके छापे से है, जिसको कहते हैं हमारी बृज भाषा में आंक उघाड़ना। आंक उघाड़ना का मतलब यह है कि कोई पढ़ सकता है आंक को कि नहीं पढ़ सकता। आंक हो तो उघाड़ी जा सकती है। यह आंक तो उघाड़ी नहीं जा सकती। इसमें लिखा है कि साहब अब तो यही आंक उघाड़नी पड़ेगी तब शायद काम चले। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, कब से बन रहा है यह? भरतपुर का ही नहीं, 15-20 नगरों का दिया हुआ है मास्टर प्लान। यह भी मौजूद है ....

श्री सभापति : इसलिये भेजते हैं, साहब, आप सहायक रखें इस उम्र में। सहायक रखें जिससे कि वह पढ़ कर सुनाये आपको।

श्री राजबहादुर : सहायक भी नहीं पढ़ पायेगा। मैं आपको ही प्रार्थना करता हूं, आप पढ़ लीजिये।

श्री सभापति : सहायक पढ़ लेगा।

श्री राजबहादुर : सहायक पढ़ लेगा। आप नहीं पढ़ पायेंगे। आप नहीं पढ़ पायेंगे तो सहायक क्या पढ़ पायेगा। खैर इस बात की गम्भीरता को मैं कम नहीं करना चाहता मैं कहना चाहता हूं, जहां समस्यायें इतनी जटिल हों वहां तो ऐलान होते हैं, इतने टाउन हैं स्टेट में उनमें ड्रेनेज और सिवरेज सिस्टम रखा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भरतपुर को वंचित क्यों रखा जा रहा है? जितने शहरों के नाम दिये गये हैं, भरतपुर को क्यों वंचित रखते हैं आप? संकीर्ण

(श्री **राजबहादुर**)

बात लगेगी लेकिन आशंका है, मैं भी नहीं कहूं प्रतिनिधि के नाते तो कौन कहे। आप सोचेंगे नहीं और मैं कहूं तो आप कहेंगे, संकीर्णता पर आ गये, अपने नगर की बात करते हैं। तो दोष आपका नहीं है लेकिन मैं यह कहता हूं कि व्यापक दृष्टि से देखिये, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि आप यह देखें कि आप समाज का थोड़ा बहुत ढांचा बदलना चाहते हैं या नहीं, बदलना चाहते हैं? सतही काम करना चाहते हैं खाली दिखावे के लिये। तीन साल निकल गये, दो साल बाकी हैं। इन दो साल में कितना कर पायेंगे। यदि काम की शुरुआत भी कर देंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को सीवरेज का, ड्रेनेज का व नहर की मरम्मत का। अगर इतना आश्वासन भी मिल जाय मुझे हां साहब, सीवरेज का ड्रेनेज का काम भरतपुर का हम लेंगे। हमारा जो मास्टर प्लान होगा, वह बनाया जाय गा, हमारा भी मशविरा लिया जायेगा। कोई परामर्शदात्री समिति आपकी भरतपुर के वास्ते है या नहीं, मुझे इसका भी नहीं मालूम। अगर है तो क्या उसके सामने मास्टर प्लान रखा जायेगा, क्या एम.एल.एज. और एम.पीज. को दिखाया जायेगा, उनका मशविरा लिया जायेगा, यह तो उदाहरण के रूप में मैंने कहा है, मैं समझता हूं, राजस्थान के और, नगरों में भी ऐसा ही गया बीता हाल है। खासकर छोटे नगरों में, इन चार पांच बड़े नगरों को छोड़ दीजिये, वैसे इनकी भी बहुत अच्छी है सो नहीं, हमारे मंत्री जी अभी बैठे थे, थोड़ी देर पहले जो मेरे पड़ौस में रहते हैं, मैं उनके पड़ौस में रहता हूं। वह मेरे पड़ौस में रहते हैं यह कहना शायद ठीक नहीं होगा, मैं उनके पड़ौस में रहता हूं हमारे घर के सामने ही,···

(व्यवधान)

जी नहीं। मैं उनके पड़ौस में रहता हूं लेकिन उनके मकान के सामने जितना कूड़ा पड़ा रहता है शायद हमारे मंत्री जी जाय कभी देखें तो उठना शुरू हो जाय, वरना वह उठता नहीं है कभी। मैं क्योंकि पैदल चलता हूं, कभी-कभी रास्ते जाता रहता हूं, रिक्शे में भी चलता हूं तो मुझे दिखाई देता है। जो मोटरों में आते हैं उनको शायद रास्ता बहुत साफ नजर आता है। इसलिये मैं सोचता हूं कि पैदल चलने की उपयोगिता यह भी है। मंत्री जी को भी कभी-कभी पैदल चलना चाहिए, मंत्री कभी कभी रिक्शा में और तांगे में भी चले, तो शायद वह कुछ ज्यादा स्टेंडी कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो कभी मंत्री थे।

श्री **राजबहादुर** : जी हां, मैं घूमता था, मैं तो कभी भरतपुर में मोटर में चढ़ कर गया नहीं, यह बता दूं आपको अगर मोटर में चढ़कर गया होता तो भरतपुर से वोट नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि मोटर में ही आते हैं। मुझे तो मालूम हैं कि वोट कैसे लिये जाते हैं। वह भी इसलिए मिले कि मैं भरतपुर में कभी मोटर में नहीं गया..

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : डाकू पाल लो, वोट लेने हों तो।

श्री **राजबहादुर** : नहीं नहीं। मैं तो थोड़ा लाइट वे में कह गया। वैसे यह फैक्ट है कि मैं इम्पाला में भी चढ़ चुका हूं और बड़े-बड़े हवाई जहाजों में भी चल चुका हूं और पैदल भी चल चुका हूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : रौल्स-रोयस में....

श्री राजबहादुर : रोलसरोयस में भी, ब्यूक में भी व सबमें मैं चल चुका हूं। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कोई किसी सवारी में जाता हो, कैसे जाता है यह गौण चीज है। मैं फिर आता हूं गम्भीरता से अपने विषय को लीजिये, यह छोटे महकमे नहीं हैं इनके ऊपर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बुनियाद है, इनके द्वारा जो आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि एक इमेजिनेटिव माइन्ड हो, एक इन्वेन्टिव माइण्ड हो, कुछ देख सकें, कुछ योजना बना सकें, कुछ बड़े बड़े धनपतियों को शामिल कर सकें। वे भी इन्ट्रेस्टेड हो सकते हैं इसमें। अगर नगरों की हालत ठीक की जाय तो धनपति भी आ सकते हैं। फिर नगर के अन्दर जमीन पड़ी हुई हैं ऐसी जमीने हैं जिनको बेच कर आप बहुत धन इक्ट्ठा कर सकते हैं। यह सारी बाते हैं लेकिन देखे कौन? मैंने सुना है कि भरतपुर के अन्दर एक मिनी सचिवालय बन रहा है, एलान हो चुका है, कलेक्टर साहब ने एलान किया है, मनी सचिवालय से पहले आप सिवरेज और ड्रेनेज कराइये ठीक, वहां के बाजारों को ठीक करवाइये, वहां की जो सब्जी मंडी है इतनी गंदी है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मिनी सचिवालय नहीं बन रहा है, कलेक्ट्री नई बन रही है।

श्री राजबहादुर : जी उसकी तरह प्राथमिकता के हिसाब से आप वहां के सीवरेज और ड्रेनेज ठीक कराइये। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बड़े की तरह अपील करता हूं आप मेहरबानी करके ...

(व्यवधान)

कोई असर नहीं होने वाला हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई असर होने वाला नहीं है।

श्री राजबहादुर : नहीं होगा। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है, ये अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। अभी तो आशा मुझे यही है कि कर्तव्य पूरा करेंगे। मिनी सचिवालय से पहले आप सीवरेज और ड्रेनेज देखिये, वहां का टाउन प्लानिंग देखिये और जो आपको पैसा मिल सकता है, जितना आप चाहें, उस काम को कराइये, नहर को अलग ठीक कराइये, किले को अलग ठीक कराइये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने जो समय दिया उसके लिये।

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह।

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, मांग संख्या 49, 41 और 29 पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके संबंध में विचार व्यक्त करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, जो काफी समय से अधूरे थे, जन-प्रतिनिधियों को गांवों के अन्दर विकास के काम कराने व उनमें सहयोग देने, उनको गति देने के लिये सम्पूर्ण रूप से करवाये वह एक सराहनीय कदम था।

इसके साथ ही जब 30 जनवरी, 1982 को बीकानेर के अन्दर पंचायती राज सम्मेलन हुआ, उसमें राज्य सरकार ने कुछ घोषणायें की कि पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत बनाया जायेगा और बहुत सारी योजनायें पंचायती राज संस्थाओं को दी जाकर गांवों के विकास को और गति दी

(श्री **नारायण** सिंह)

जायेगी । उन घोषणाओं के बाद गांवों के पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषद के अन्दर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इस पंचायती राज को गति देने के लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह सराहनीय हैं और उनसे पंचायती राज संगठन सुदृढ़ होगा । किन्तु मुझे यह कहते हुए . . . .

(2.18 म.प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति पदासीन)

अफसोस है कि सरकार ने पंचायत समिति, जिला परिषद को मजबूत बनाने और उनको योजनाएं देने की जो सारी घोषणायें कीं उनके अनुसार उनको काम आज तक नहीं दिया गया है । कुछ ऐसी योजनायें दी गयी जो खाली योजनायें हैं, उनमें किसी प्रकार की धनराशि देने या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी । जिसके कारण से जो लोग यह विचार करते थे, सोचते थे कि पंचायती राज के माध्यम से गांवों का विकास तेजी से होगा वह नहीं हुआ ....

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । पंचायती राज मंत्री यहां पर नहीं हैं जब कि उसकी मांग पर बहस चल रही है ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : हम हैं ना ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : वे नहीं हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री **सभापति** : मंत्री महोदय मौजूद हैं ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : जिस विभाग की डिमाण्ड पर बहस चल रही है उस विभाग के मंत्री का यहां पर होना आवश्यक है। अगर चार विभागों की डिमाण्ड है तो चारों विभागों के मंत्रियों का यहां होना आवश्यक है और अगर दो विभाग की मांगें हैं तो उन दोनों के मंत्रियों का यहां होना आवश्यक है । संबंधित मंत्री सदन में न हों, यह सदन का अपमान है, सदन की अवहेलना है ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : यह तो है लेकिन अगर डिमाण्ड 1 बजे से रात को 9 बजे तक चलती है तो मंत्री लगातार 8 घंटे बैठे, यह कोई जरूरी नहीं है । ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है । दूसरे उनको लिखकर दे सकते हैं । सदन में बराबर रहने की कोई परम्परा नहीं रही है । उनको बाहर भी जाना होता है काम करना होता है ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : हाउस की यह परम्परा है कि अगर कोई डिमाण्ड चलती है तो उससे संबंधित मंत्री को मौजूद रहना चाहिए । यह अपमान है सदन का ।

श्री **सभापति** : आपने अपनी बात कह दी । अब मैं अपनी व्यवस्था दे देता हूं । ऐसा है कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी जिस विभाग की डिमाण्ड चलती है तो उस विभाग का मंत्री यहां पर बैठा रहता है । अभी शायद मंत्री महोदय किसी कारण से बाहर चले गये होंगे ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : आपको पूछ कर गये हैं क्या ? चेअर से पूछ कर गये हैं ?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : यह कोई जरूरी नहीं ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : तो फिर यहां पर जो इतनी बहस हो रही है वह क्या निरर्थक बहस हो रही है ? इसका जवाब कौन देगा ?

श्री **सभापति** : मैंने व्यवस्था दे दी है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, सदन की अवहेलना हो रही है।

श्री **सभापति** : कोई अवहेलना नहीं हो रही है। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : कोई अवहेलना कैसे नहीं हो रही है।

श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, मंत्री जी को तो यहां पर रहना चाहिये। उनके बारे में यहां पर कुछ कहा जा सकता है, उनके विभाग के बारे में कहा जा सकता है। डिपार्टमेन्ट से संबंधित मंत्री तो यहां रहना चाहिये।

श्री **सभापति** : ऐसा है कि केबिनेट का अगर कोई भी सदस्य बैठा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सम्बन्धित मंत्री सदन में रहे क्योंकि केबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, अगर संबंधित डिपार्टमेन्ट का मंत्री नहीं होगा तो उनको पता कैसे लगेगा कि क्या-क्या बातें कही गई। यहां पर पंचायत विभाग के मंत्री नहीं हैं।

श्री **सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री **नारायणसिंह** : तो सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार दिये जाने वाले थे वह अधिकार उनको दिये जायें। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिये जायेंगे तो गांवों का विकास अधिक होगा और पंचायती राज के अन्दर और गति आ सकेगी।

सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं कि पंचायती राज मंत्री जी जो हैं उनका पंचायती राज संस्थाओं से काफी लम्बे समय तक संबंध रहा है। वह पंचायती राज संस्था में लम्बे समय तक जिला प्रमुख के पद पर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि जिस समय वह जिला प्रमुख के पद पर रहे उस समय जिला परिषद की हैसियत वह कैसी मानते थे ? वह हमेशा से यही मानते आये हैं कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों को और अधिकार दिये जाने चाहिये ताकि गांवों का विकास हो सके। अब जब यह पंचायती राज मंत्री हो गये हैं। शायद अब इस बात को भूल गये होंगे। मैं समझता हूं सभापति महोदय, बहुत लम्बे अर्से तक उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में काम किया और उन्होंने इस बात को बल दिया कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को और अधिक अधिकार दिये जायं।

आज जो कुछ योजनाएं जिलों में बनाई जाती हैं उन पर पंचायती राज संस्था वाली यह विचार कर सकती है कि यह योजनाएं जो बनाई गई हैं वह क्या हैं किन्तु उनको यह अधिकार नहीं है कि वह उस पर किसी प्रकार निर्णय ले सके या कोई कार्यवाही कर सके। सिवाय विचार विमर्श के कि यह योजना है और जिले के लिये बनायी गयी है, और सिवाय अपने जिले कि योजनाओं में कोर्डिनेशन के उनके पास कोई काम नहीं है। वह सिर्फ जिला

(श्री नारायण सिंह)

परिषद की मीटिंग में उन योजनाओं पर विचार करते हैं, उनकी किसी प्रकार की देख रेख या इन योजनाओं का काम ठीक तरह से चल रहा है या नहीं, इस पर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। सभापति महोदय, जिला परिषदों के बारे में जब बीकानेर में पंचायती राज सम्मेलन हुआ था उस समय यह बात कही गई थी परिषदों को कुछ और अधिकार दिये जायेंगे। आयुर्वेद औषधालय, माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा का काम, डिसपेन्सरीज का काम जिला परिषदों के पास रहेगा तथा ऐसे ही कुछ और काम जिला परिषदों को दिया जावेगा जिससे कि जिला परिषदों के पास कुछ काम हो और वह कार्य करने वाली संस्था बन सके। लेकिन वह अधिकार आज तक जिला परिषद के पास नहीं जा सके। इसका कारण मैं यह मानता हूं कि जो हमारे ब्यूरोकेट्स हैं वह यह नहीं चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिये जायं और वह योजनाओं कि ज्यादा देख-रेख कर सकें। और इसके जनप्रतिनिधियों को और ज्यादा से ज्यादा दिये जायेंगे यह जो घोषणा की गयी थी वह सिर्फ घोषणा ही बन कर रह गयी थी और अधिकार उनको नहीं दिये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि जो पंचायत समितियों के प्रधान हैं और जो पंचायतों के सरपंच हैं उनको जो दैनिक भत्ता मिलता है वह दैनिक भत्ता पंचायत समितियों के आफिस में जो चपरासी काम करते हैं उनसे भी कम मिलता है। मेरा निवेदन यह है कि जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान को और सरपंच मीटिंग में जब भाग लेने जावें तो उनको सही भत्ता मिलना चाहिये। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंचायत समितियों की मीटिंग में जब भी कोई सदस्य भाग लेने जाता है तो उस सदस्य को केवल सात रुपये मिलते हैं जब कि उसी संस्था का चपरासी उनके साथ जाता है तो उसको दस रुपये रोज का भत्ता मिलता है। यह कोई एक बहुत अच्छी बात नहीं है इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा आर्थिक भार भी नहीं पड़ने वाला है, और ऐसी बात भी नहीं है कि इससे उसको आर्थिक लाभ होगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर आते हैं उनको चपरासी से कम भत्ता मिले, यह उनके स्वाभिमान को गिराने वाला है इसलिए मैं मंत्री महोदय को आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती-राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को उनके स्तर के अनुसार भत्ता दिया जाना चाहिये।

इसके साथ मैं और मुद्दे भी उठाना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज पंचायती राज संस्थाओं में जो अधिकारी लोग लगे हुए हैं वह अधिकारी बिना सोचे समझे काम करते हैं। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र खण्डेला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कासरड़ा के सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा, जो अविश्वास का प्रस्ताव आया था वह पहली बार गिर गया। जैसा कि पंचायती राज एक्ट में है अविश्वास प्रस्ताव दुबारा छः महीने पहले नहीं आ सकता है। लेकिन दो महीने के बाद ही उस ग्राम पंचायत में उस सरपंच के खिलाफ

(श्री नारायणसिंह)

अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। वहां जो अधिकारी था, जो सक्षम अधिकारी था उसने दो महीने बाद ही, दुबारा अविश्वास का प्रस्ताव उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने दिया। उस अधिकारी का बार-बार ध्यान इस ओर दिलाया गया कि ऐसा प्रावधान नहीं है लेकिन उसके बावजूद उस अधिकारी ने वह कार्यवाही की। इसलिये ऐसे अधिकारी जो आज हैं, जिन्होंने अवैधानिक कार्य किया है और जो अधिकारी सोचते समझते ही नहीं हैं, ना ही कानून पढ़ते हैं और ना ही कानून को देखने की कोशिश करते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। सभापति महोदय, कुछ समय पहले पंचायत एक्ट के अन्तर्गत संशोधन करने के लिये एक आर्डिनेन्स राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था, उसमें यह संशोधन किया जाने वाला था कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों में जो कोआप्टेड मेम्बर्स हैं, उनको मत देने का अधिकार नहीं है। चाहे अविश्वास का प्रस्ताव हो, चाहे और कोई मसला हो, उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है। वह तो सिर्फ पंचायत समितियों की मीटिंग में जाकर बैठ सकते हैं चूंकि वह संशोधन बिल पास नहीं हो सका, वह लैप्स हो गया और लैप्स होने के बाद में आज भी पंचायत एक्ट में वह मौजूद नहीं है किन्तु मैं आपको उदाहरण देकर एक नहीं सैकड़ों केस बता सकता हूं कि इसके कारण कई सरपंच अपने पद पर से हट गये और कई सरपंच अपने पद से हटने से रह गये। बात तो बिलकुल ही कानून की है उसका इन्टरप्रिटेशन क्लीयर है। आज भी पंचायत एक्ट के अन्तर्गत कोआप्टेड मेम्बर्स हैं वह पूर्ण रूप से इलेक्टेड मेम्बर्स की तरह ही मेम्बर हैं। उनको दूसरे इलेक्टेड सदस्यों की तरह ही वोट देने का अधिकार है पर उसके बावजूद भी आज ऐसा नहीं हो रहा है, उसके कारण कई सरपंचों के खिलाफ में अविश्वास के प्रस्ताव पास हो गये और कई सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको ठीक तरह से देखा जाना चाहिये, ठीक तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, जिला परिषदों के अन्दर जो कर्मचारी काम करते हैं जो कर्मचारी पंचायत समितियों में काम करते हैं, उनमें से अगर किसी पंचायत समिति का कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं करता या अच्छा काम नहीं करता है और उसके खिलाफ कोई शिकायत हो तो उस कर्मचारी को उसी जिले में एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में बदल देने का अधिकार दिया जाना चाहिये। यह अधिकार भी जिला कर्मचारी वर्ग समिति को है। एक लम्बे समय तक जनता पार्टी का शासन था उसमें निर्णय होना चाहिये था। चाहे पंचायत राज सर्विस कमीशन हो, चाहे जिला परिषद के अन्दर जिला वर्ग समिति हो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करके सारी जो व्यवस्था थी उसको भंग तो किया लेकिन उसके बाद काफी लम्बे समय तक उसका गठन नहीं किया। जिला परिषद के अन्दर जो जिला कर्मचारी वर्ग समिति है और स्टेट के अन्दर जो कमीशन है उसके चेयरमेन और सदस्यों का नामिनेशन तो हो गया है।

(श्री **नारायणसिंह**)

लेकिन आज भी जिला कर्मचारी वर्ग समिति की मीटिंग 6-6 महीने में, पांच-पांच महीने में और कहीं कहीं 12-12 महीने से होती है तो क्या यह संभव हो सकता है कि वह काम कर सके। अच्छा, जिला कर्मचारी वर्ग समिति के सामने एक परेशानी और है, वह यह है कि जब तक वह कर्मचारी अपनी कन्सेंट नहीं देता और पंचायत समिति के प्रधान जिसमें वह जाना चाहता है और जिससे आना चाहता है की कन्सेंट नहीं होगी तब तक उस कर्मचारी का ट्रांसफर हो नहीं सकता तो जो कर्मचारी अपनी इच्छा से जाना चाहता है उसका ट्रांसफर तो हो जायेगा लेकिन जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायतें हैं, आरोप हैं, जो काम नहीं करना चाहता और हो सकता है उसका दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने से ही व्यवस्था ठीक हो सकती है तो निश्चित रूप से जिला परिषदों को ऐसे अधिकार दिये जाने चाहिये जिसके कारण से यह पंचायती राज संस्थाओं के अन्दर काम करने वाले चाहे अध्यापक, हों चाहे डिस्पेंसरी के कम्पाउन्डर हो, चाहे ग्राम सेवक हों, चाहे दूसरे कोई कर्मचारी हों उनका ट्रान्सफर कर सकें ताकि काम करने वालों को एक सुविधा मिल सके और काम को गति मिल सके।

मैं, सभापति महोदय, आपका अधिक समय नहीं लेकर निवेदन करना चाहूंगा कुछ योजनायें जो दी है उनमें कुछ पंचायत समितियों के अन्दर दूरदर्शन सैट्स लगाने की व्यवस्था लागू की है, स्कूलों के अन्दर टी.वी, सैट्स लगाये हैं। मेरे क्षेत्र और खास तौर से मेरे जिले में जो व्यवस्था की है उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सैट्स लगाये उनमें से 75 बल्कि 80 प्रतिशत सैट्स जब लगे उसके कुछ दिन बाद ही बिल्कुल खराब हो गये। उनको ठीक करने वाला न तो वहां कोई स्टाफ है, यहां से लिखते हैं तो कई चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई जाता नहीं है। यहां तक स्थिति है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद कभी 12 महीने, 6 महीने में जाये तो वह यह मांग करता है या तो मुझे जीप की व्यवस्था कर दी जाये या मेरे को यह सुविधा दी जाये। यदि वह सुविधा उपलब्ध नहीं करायें तो उनको ठीक करके नहीं आते हैं। तो जो गांवों के अन्दर जो टी. वी. सैट्स की व्यवस्था की है जिसके अन्दर बहुत बड़ा खर्चा हुआ है उसका उपयोग गांवों के लोगों को नहीं मिलता है। खाली योजना और कार्यक्रम देने से और यह कहने से कि हमने यह कार्यक्रम लागू कर रखा है, वह योजना और कार्यक्रम खाली आपके कागजों में तो रह जाता है लेकिन वास्तव में जो गांव के लोगों और किसानों को लाभ मिलना चाहिये जिनके लिये वह उपयोगी है उनको वह नहीं मिल पाता। इसलिये निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को ठीक करने के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये।

दूसरे नगरपालिकाओं के जो अधिकार हैं और उनकी जो दयनीय आर्थिक स्थिति आज है वह आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। दस हजार की जनसंख्या के ऊपर जो छोटी-छोटी पंचायतें थीं उनको नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया। जब पंचायत थी तो विकास कार्य करने के लिये फिर भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, आज उन नगरपालिकाओं के पास न पैसा है और न जो वह टैक्स लगाती हैं वह वसूल होता है यहां तक कि सफाई की जो व्यवस्था

(श्री नारायण सिंह)

है वह ठीक ढंग से नगरपालिकायें करने में असमर्थ हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह देने में भी झगड़े पैदा होते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह भी समय पर नहीं दी जाती। इसलिये इसमें निश्चित रूप से कुछ सुधार करके जो ऐसी नई म्यूनिसपैलिटीज हैं जिनकी आमदनी के सोर्स अधिक नहीं हैं उनको निश्चित रूप से अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये बल्कि आज स्थिति उल्टी है कि जिन म्युनसिपैलिटीज की आमदनी अधिक है उनको अधिक अनुदान मिलता है और जिनकी आमदनी नहीं के बराबर है उनको अनुदान कम मिलता है। इसलिये जब तक म्युनिसिपैलिटीज सक्षम नहीं हो जायें, जब तक उनकी आमदनी के सोर्स नहीं बन जायें तब तक उनको और अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिन-जिन नगरपालिकाओं की, नगर परिषद की जन संख्या एक लाख से अधिक है वहां के विकास कार्य को गति देने के लिये और अच्छे ढंग से विकास के लिये आपने नगर विकास न्यास का गठन कर रखा है। सीकर की जन संख्या एक लाख से अधिक है। कई दफा इस सम्बन्ध में वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने, वहां के जन-प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि सीकर के अन्दर नगर विकास न्यास का गठन किया जाये जिससे कि शहर का जो विकास है वह अधिक तेजी से हो सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बिहारीलालजी।

श्री **बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) : सभापति महोदय, आपके सामने कई एक माननीय सदस्यों ने मांग संख्या 41,29 और 49 पर प्रकाश डाला। मैं भी आपकी मार्फत सम्बन्धित विभागीय मंत्रियों का कुछ मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने बीकानेर सम्मेलन का जिक्र किया। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। वास्तव में वहां घोषणायें हुई उन घोषणाओं के अनुसार पंचायती राज को जो अधिकार दे रहे थे वे सब कागजों में ही हैं। मैं कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। घोषणा में यह कहा गया था कि यह विकास अधिकारी और आर. ए. एस. केडर के लगाये जायेंगे। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विकास अधिकारी कहीं कहीं 20-20 साल से लगे हुए हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत जो पंचायत समितियों को अधिकार दिये गये या आप देने जा रहे हैं जैसे कि आपकी योजना है, मैं निवेदन करूंगा कि ये विकास अधिकारी जन प्रतिनिधियों की किस प्रकार अवहेलना करते हैं वह मैं आगे आपको बताऊंगा। एक प्रधान जी की मुझे चिट्ठी मिली, आपकी मार्फत उस की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा मैं पहले मेरे क्षेत्र की बात आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इनके जिम्मे जो काम किया गया, माननीय शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री बने, इन्होंने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराये। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जनतंत्र में एक जागरण आये ऐसी स्थिति पैदा करने की उनकी इच्छा थी इसलिये उन्होंने चुनाव कराये। किन्तु परिस्थितियां क्या बनीं, मैं विशेषकर माननीय

(श्री बिहारी लाल पारीक)

पंचायत राज मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंचायत राज मंत्री जी को मैंने खुद ने विकास अधिकारी जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहता, एक शिकायत पेश की। मैंने कहा, चोर है, बदमाश है और गरीबों को लूट रहा है। मैं पंचायत राज के डाइरेक्टर से भी मिला, उन्होंने जो जवाब दिया उससे मालूम होगा क्या स्थिति है जन प्रतिनिधियों की। यह बीस सूत्री कार्यक्रम केवल विकास अधिकारी, प्रधान और कलेक्टर के हैं आप केवल विधान सभा चलाइये, आपका कोई काम नहीं। आपके जिम्मे इसमें कोई काम नहीं है। मैं आपकी मार्फत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा क्या सरकारी अधिकारियों ने ठेका ले रखा है? क्या हमारा इससे कोई मतलब नहीं इसका स्पष्टीकरण करें। मंत्री महोदय जवाब दें, क्या विकास अधिकारी, पंचायत समिति के प्रधान और कलेक्टर ही 20 सूत्री कार्यक्रम के भागीदार हैं विधायक का उससे कोई लेना देना नहीं है। पंचायत राज मंत्री जी ने उस पर आदेश दिया। तत्काल उस विकास अधिकारी को हटाया जाये किन्तु आज तक वह विकास अधिकारी नहीं हटा।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं और मुद्दों पर निवेदन कर रहा हूं। कितने ही काम आप पंचायत राज को सौंपने जा रहे हैं। हैण्ड पंप का, इन्हें राज्य सरकार से बजट दे दिया गया है किन्तु कितने ही हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। जितने अधिकारी गण हैं, पंचायतों को बजट दे दिया तो भी मेरा निवेदन है जितने हैण्ड पम्प लगे हैं सारे के सारे अधूरे पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा, तत्काल इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें। जो राज्य सरकार की मंशा है, जो राज्य सरकार चाहती है कि गांवों में पेयजल की सुविधा अच्छी तरह से मिल सके किन्तु अभी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है सारे हैण्ड पम्प एक बार लगाने के बाद खराब होते जा रहे हैं उन्हें ठीक कराने की आज कोई व्यवस्था नहीं है।

सिंचाई विभाग के बारे में निवेदन करूंगा, 50 एकड़ भूमि वाले तालाब के लिये आपने प्रावधान किया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 100 एकड़ वाले जो तालाब हैं वे भी पंचायत समितियों को देने चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा जितनी भी उसकी भूमि है उसका अलाटमेंट जब होता है तो उसके जो तालाब हैं वे सारे के सारे पंचायत समितियों को मिलने चाहिये, उनको आमदनी होगी और आपको बजट नहीं देना पड़ेगा। पंचायत समिति भी मजबूत होगी जिस पंचायत का तालाब होगा, उस पंचायत की उससे आमदनी होगी मेरा सुझाव है जो तालाब है वो सम्बन्धित पंचायतों में ही रहने से उस पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और, आपको भी बजट नहीं देना पड़ेगा इससे पंचायतों का काम सूचारू रूप से चलेगा।

आपने प्राथमिक शिक्षण संस्थायें तो पहले से ही दे रखी हैं। बहुत वर्ष से दे रखी हैं। अब उच्च माध्यमिक शिक्षा भी देने जा रहे हैं। आपकी घोषणा है इसके अनुसार मिडिल स्कूल देने जा रहे हैं, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों के साथ यह बहुत जबरदस्त अन्याय है। पहली बात तो यह है कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं किसान के बेटे हैं, आपने भी देखा होगा, मैं सम्मेलन में गया, वहां आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं वहाँ कहा गया प्रधान और एम.एल.ए. मिडिल क्लास और पांचवी क्लास पास नहीं मिलेंगे। मैंने

(श्री बिहारीलाल पारीक)

निवेदन किया इसका जो कारण है जब तक मंत्री महोदय और राज्य सरकार, उस पर ध्यान नहीं देगी तब तक निश्चित रुप से स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं मिडिल स्कूल तक क्या आप वैसे ही पास कर देते हैं? क्योंकि बोर्ड होता नहीं, मेरा निवेदन है वे किसान के बेटे आगे पढ़ने नहीं जा सकते इसलिये किसान के बेटे आठवीं तक ही रह जाते हैं, वह आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं यह भी सरकार से निवेदन कर देना चहता हूं कि गांवों में बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी जिन अध्यापकों की है, उनकी क्या छवि बनी हुई है उनकी क्या स्थिति है, यह सभ्यता है हमारे हिन्दुस्तान की कि अध्यापक गुरु होता है। उन अध्यापकों को क्या आप डण्डे से हांकना चाहते हो जो अध्यापक हैं, मैं सब से मिला हूं, इनका जो सम्मेलन होता है चाहे किसी भी पार्टी का हो उनमें और विद्यालय में मैं जाता हूं और उनकी बातें सुनता हूं तो बड़ा दर्द होता है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता जा रहा है कि अध्यापक लोग पालिटिक्स में भाग लेते हैं। प्रधान और सरपंचों के चुनाव में काम करते हैं। निश्चित रुप से उनका शिक्षा पर ध्यान नहीं है। वे रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। एक सरपंच बनने के बाद, वह अध्यापक यह कहता है कि तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं कहता हूं कि उनको डण्डे से हांकने की जरूरत नहीं है लेकिन उसमें निश्चित रुप से सुधार करने की जरूरत है। प्रधान को कहता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं आप मेरी भावना समझ गये होंगे आप देखें, हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है; प्राथमिक शिक्षा का स्तर हमारा कहां जा रहा है।

एक मास्टर से मैंने पूछा क्या करते हो? उसने कहा कभी जनगणना में लगे रहते हैं तो कभी घरेलू कामों में फंसे रहते हैं। अध्यापकों के पदों पर भी जो गांव के लोग होते है उन्हीं को लगाया जाता है इसलिये भी प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

मैं मांग संख्या 29 पर एक दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उससे पहले मेरा निवेदन है एक प्रधानजी की चिट्ठी मिली है। वे प्रधानजी है नागौर के, मकराना पंचायत समिति की उन्होंने एक दर्दनाक स्थित लिखी है मैं निवेदन करूंगा पंचायत राज आपने बनाया उसमें आपका विकास अधिकारी प्रधान के कहने पर मीटिंग नहीं बुलाये और प्रधान के कहने पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करे तो यह पंचायत राज पर एक कलंक है। आपने चुनाव इसलिये कराये कि पंचायत राज मजबूत होगा तो क्या आपका पंचायत राज सरकारी अधिकारियों से मजबूत होगा? मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अगर यह व्यवस्था रही तो निश्चित रुप से पंचायत राज डूब जायगा। आपको जन-प्रतिनिधियों की भावना की कद्र करनी चाहिये यह नहीं किया तो पंचायत राज की व्यवस्था खराब होगी प्रधान जी ने मुझे लिखा है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं प्रार्थना करूंगा कि व्यवधान न डालें।

उन्होंने नाम भी दिया हैं विकास अधिकारी का। जैसे मैं मेरे यहां

(श्री बिहारीलाल पारीक)
पीडित हूं वैसे ही प्रधान जी भी पीड़ित हैं। एक बार उन्होंने कहा, पंचायत राज मंत्री जी से मिला हूं। क्या कारण है, मैं समझता हूं जनतंत्र है इसमें, सभापति महोदय, कोई पार्टी पोलिटिक्स की बात हो तो वह कोई विशेष बात नहीं है। जो पंचायत समितियों के प्रधान हैं, प्रमुख हैं, वे एक ही कड़ी के लोग हैं फिर भी प्रधान की बात को विकास अधिकारी नहीं माने, मास्टर का ट्रान्सफर अपने आप सीधा कर दें। एक मास्टरनी का जिक्र करूंगा, उसको बड़ा ब्लेक मेल किया गया। फिर भी पंचायत राज मंत्री प्रधान की बात पर ध्यान नहीं दें तो मैं समझता हूं यह पंचायत राज पर बड़ा कलंक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विकास अधिकारी प्रधान को प्रस्ताव लाने के लिये कहें।

(व्यवधान)

मैं एक भावना की बात कह रहा हूं। आप बिना मतलब घंटी बजा देते हो।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखकर बात कहिये।

श्री बिहारी लाल पारीक : चाहे किसी भी पार्टी का प्रधान हो, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कह रहा हूं, जन-प्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं, उस प्रधान को इस तरह कहें तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या कहूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह भी कलंक की बात है। मेरे यहां पंचायत समिति की मीटिंग बुलाई। पंचायत राज मंत्री जी नोट कर लें ताकि आपको मालूम हो कि आपकी कैसी व्यवस्था है। प्रधान साइन करता है तो ट्रान्सफर नहीं होता है और विकास अधिकारी करता है तो हो जाता है। अब कि गांव वाले उसे चाहते हैं तो फिर आप क्यों ट्रान्सफर कर रहे हो। अब तो शायद वह मास्टर मर गया होगा, या गांव छोड़कर चला गया होगा, या हार्ट अटेक हो गया होगा। मैंने उसके लिये पंचायत समिति में लिखकर दिया परन्तु विकास अधिकारी ने उसका ट्रान्सफर स्थगित नहीं किया। गांव छोड़ कर उस अध्यापक को जाना पड़ा। यह क्या आपका पंचायत राज है?

नगरपालिकाओं के बारे में कहना चाहता हूं, कि नगरपालिका की स्थिति क्या है। नगरपालिका मंत्री जी ध्यान दें। मेरे क्षेत्र में नगरपालिका हैं, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मैं मेरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सभापति महोदय, एक नगरपालिका है। कई छोटे-छोटे गांवों को जोड़ कर बनाई गई है। पहली बात तो यह है कि उसकी आमदनी का स्त्रोत नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से मिला हूं। उन्होंने व्यवस्था दी कि नगरपालिका तोड़ दी जाय। कई अधिकारी हैं जिन्होंने प्रस्ताव किया कि नगरपालिका को रखने में जनता का हित नहीं है फिर भी जिलाधीश ने लिख दिया कि नगरपालिका रखने में हित है। पता नहीं इन अधिकारियों की क्या स्थिति है? क्या इन अधिकारियों के बल पर राजस्थान चलता है? एम.पी. हमारी पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष, कई एम. एल. ए., हम सब थे, जनता ने प्रदर्शन किया. मांग की कि अकाल राहत में काम हुए हैं तो हमें भी काम मिलना चाहिये। सभापति महोदय, ढाई साल से काम खोलने की व्यवस्था चाह रहा हूं परन्तु

(श्री बिहारीलाल पारीक)
आज तक कोई काम खोलने की व्यवस्था नहीं है। छोटी-छोटी पंचायतें तोड़ीं और नगरपालिका बनाई। उस नगरपालिका में काम नहीं करते हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, कल मेरे साथ घटना हुई है, कल मेरा घेराव किया है। मैं चार दिन की छुट्टी लेकर गया हूं.....

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लें। सारे सदन ने छुट्टी की स्वीकृति दी है। मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, कल मेरा घेराव हुआ। मैं निवेदन करके आया 16 तारीख के दिन, आपके यहां निश्चित् काम दिलायेंगे। निश्चित् तरीके से मुझे भी काम बांटना पड़ेगा। वरना हम कल से वहां धरना देंगे कि जब पंचायत में काम चलते हैं और छोटे-छोटे गांव नगरपालिका में मिला दिये, किन्तु उनके लिये पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उनके यहां स्कूल नहीं बना सकते, उनके यहां हैण्ड पम्प नहीं लग सकते, उनके यहां बिजली नहीं आ सकती। तो मैं आपका ध्यान आपके मार्फत आकर्षित कर रहा हूं कि ऐसी नगरपालिकाओं का क्या होगा। मैंने सुझाव दिया था मन्त्री जी को, अभी के नहीं जो पहले मन्त्री थे, श्रीरामजी गोटेवाला से निवेदन किया था कि आप बोर्ड बना दीजिए लेकिन आपने बोर्ड नहीं बनाया, आपने चुनाव नहीं कराया, आज आपकी यह किताब देखी, उस नगरपालिका का कहीं जिक्र तक नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है, उस जनता ने क्या पाप किया है? मुझे चुनकर खोटा किया, मुझे यहां भेज कर उन्होंने बुरा किया। मैं उनके लिए बजट कोई नहीं ले जा सकता। मेरी आपके मार्फत प्रार्थना है, क्या कारण है कि नगरपालिका माण्डल के लिए आपकी इतनी क्रूर भावना है कि उनके आदमी को काम नहीं मिले। वहां पर आपने प्रशासक लगा रखे हैं, जो तहसीलदार होता है, उसको आप प्रशासक बना देते हो, वह तहसील का काम करता है और कोई जनता की सुनवाई नहीं होती है। आप लोगों को कह रहे हैं गरीब को छप्पर देंगे किन्तु मांडल नगरपालिका माण्डल की हालत देखिए, वहां पर 10-10 साल से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उनको जबरदस्ती कोर्ट में फंसाया जा रहा है, कोर्ट में उनके केस चल रहे हैं। उन गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं? नगरपालिकाओं का कोई धन्धा नहीं कर सकता। उद्योग लगाते हैं तो टाऊन प्लानर से उसकी सैंक्शन लेनी पड़ती है। टाऊन प्लानर की हालत क्या है कि आज माण्डल में एक धन्धा नहीं लग सका। हमने 4-5 पार्टियों को वहां पर जमीन के लिए नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए नगरपालिका के प्रशासक से लिखा दिया, जनता से अनुमति करा दी, परन्तु आज तक 6 महीने में भी टाऊन प्लानर ने स्वीकृति नहीं दी। मैं आपके मार्फत मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उद्योग लग नहीं सकते, बिजली आप गांवों में दे नहीं सकते। वहां की जनता ने क्या बुरा किया? उन्होंने हमें वोट देकर बुरा किया है। उनकी यह हालत है तो हमें क्या करना चाहिए ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री **बिहारीलाल पारीक**)

आपकी घण्टी बज रही है। मैं काफी बातें आपको कहना चाह रहा था।

नगरपालिका में...

श्री **सभापति** : समय की घण्टी बज रही है, मेरी घण्टी नहीं।

श्री **बिहारीलाल पारीक** : नगरपालिका की आज क्या हालत है यह बताना चाहता हूं। 4-4 महीने से उनका पेमेण्ट बाकी है। अनुदान की राशि आप उतनी ही देते हैं। पंचायतों के साथ भी आपका अन्याय है। नगरपालिकाओं का तो आप देते हो पांच रुपये और पंचायतों को ढ़ाई रुपये आप देते हो। मैं आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करता हूं कि यह आपका न्याय है। जो पंचायती स्तर की नगरपालिका बना दी, उसको भी आप अनुदान उतना ही देते हो जितान नगर परिषदों को, आपके नियम बने हुए हैं उसके अनुसार देते हो। मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि उनके लिए ज्यादा रखिए। आपने सीमा के लिए बताया चुंगीदर बढ़ानी है यह छोटी नगरपालिका है। इस गांव में अगर आमदनी करनी है, नगरपालिका नहीं तोड़नी है तो इसकी सीमा बढ़ाइये। आज तक आपने ध्यान नहीं दिया। मैं जो बोल रहा हूं, प्रोसिडिंग्स में भी आ रहा है। मैने आपको लिख कर भी दिया है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मन्त्री महोदय मुझसे बात करेंगे, नहीं तो निश्चित तौर से 16 तारीख के दिन मुझे वहां भी अनशन करना पड़ेगा, मुझे भी भूखा बैठना पड़ेगा क्योंकि जनता जब रोती है तो हमारा फर्ज है कि हम आपके मार्फत मन्त्री जी को बात बतायें। मैंने जो भी बात कही, मैंने सच- सच कही। सरपंचों की हालत क्या है, प्रधान की हालत क्या है, कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि फलाना कांग्रेस का होगा। मैं तो कांग्रेस और जनता की बात नहीं करता, जन-प्रतिनिधि की बात करता हूं। पंचायतों में कोई जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं होती है। फिर भी जानबूझकर अगर इस प्रकार का शोषण होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या पंचायत राज मन्त्री जी इस कलंक को सहन करेंगे ? क्या सभापति महोदय, आपके नगरपालिका के जो मन्त्रीजी विराज हुए हैं, यह इस बात को बर्दास्त करेंगे ? मेरी प्रार्थना है, बहुत बातें कहना चाहता था लेकिन आपने दो बार घण्टी बजा दी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर मांण्डल नगरपालिका का चुनाव कराने जा रहे हो, सन् 1961 के आंकड़ों के आधार पर वार्ड बने हुए हैं, मैं प्रार्थना करूंगा आपके मार्फत कि सन् 1981 की जनगणना के आधार पर कम से कम वार्ड बना लेना....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री **सभापति** : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री **बिहारीलाल पारीक** : जनता में बहुत बड़ा असंतोष है। मैं कल 16 तारीख को वहां छुट्टी लेकर जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि मुझे कहीं अनशन नहीं करना पड़े। जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, उसकी आवाज आप तक पहुंचायी है, आपकी मार्फत मन्त्री जी को पहुंचा रहा हूं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि इस पर ध्यान देकर नगरपालिका की स्थिति

(श्री बिहारीलाल पारीक)

को जितना सुधारा जा सके, उतनी आप मदद कर सकें, वह करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग 29, 41 और 49 पर चर्चा की जा रही है। सबसे पहले, माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायती राज पर कुछ कहना चाहूंगा। हमने पंचायती राज इसलिए कायम किया कि उसका विकेन्द्रीकरण हो, जनता को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिले। लेकिन, सभापति महोदय, एक तो मैं थोड़ा सा यह जिक्र करना चाहूंगा कि सरपंचों की आप क्या क्वालिफिकेशन चाहते हैं? सरकार ने कहा कि पहली किताब पढ़ना-लिखना जानना चाहिए। कई सरपंच तो ऐसे भी हैं जो पहली किताब भी पढ़ना-लिखना नहीं जानते ऐसे कई केसेज सामने आये लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर जो गये उन्होंने उस बात को नहीं माना, एप्लीकेशन दी उसको नहीं माना। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि वह पढ़ना-लिखना बिल्कुल नहीं जानता। आज उसके पास कोई गांव का आदमी प्रमाण-पत्र लेने जाता है तो जब तक ग्राम सेवक नहीं आ जाय तब तक वह उसे पूरा नहीं करा सकता। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि सरपंच भी कुछ पढ़े लिखे होने चाहिए। क्वालिफिकेशन कुछ न कुछ उसकी कम से कम पांचवीं, आठवीं या दसवीं क्लास निर्धारित की जानी चाहिए। ताकि कुछ कानून कायदों को जान सके, पढ़ लिख सके।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं पंचायती राज के स्कूलों की बात के बारे में कहना चाहता हूं। पंचायती राज में हमने पंचायत समितियों को जो स्कूल दिये हैं या पंचायतों में जो स्कूल हैं उनकी गति क्या हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आज सरपंच भले ही अनपढ़ हैं लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, अध्यापक को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसको काम बताया जाता है, एक चपरासी की तरह से उसको समझता है तो सामंजस्य नहीं बैठता। वह नहीं चाहता कि अनपढ़ सरपंच है, मैं उनकी पूरी बात मानूं। दोनों का तालमेल नहीं है। यही नहीं सभापति महोदय, जहां स्कूल है, पंचायती राज के तहत जितने स्कूल खोले हुए हैं, मैंने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन किया था कि गांवों के इलाकों में ऐसे प्राइमरी स्कूल कितने हैं जिनमें आज अध्यापक नहीं हैं? तो लिस्ट मिली, 55 अध्यापक उनमें नहीं थे।

माननीय सभापति महोदय, दूरदराज गांवों में ग्रामीण रहते हैं वहां लोग जायेंगे कैसे, वहां उनको कोई सुविधा नहीं, वहां उनको कोई मकान नहीं। तो, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने जवाब में इस बात का भी जवाब दें कि क्या आप पंचायती राज के आपके पास जो फण्ड्स हैं, उससे क्या आप स्कूल बनाकर नहीं दे सकते। जब तक स्कूल बनाकर नहीं देंगे तब तक वहां टीचर रह नहीं सकता। मैं कल जाड़ौलबाला गया, जो भी हमारे गांवों के इलाके हैं, मैं समझता हूं पूरे राजस्थान में यह स्थिति होगी कि कहीं मकान नहीं है, टीचर को बैठने की जगह नहीं हैं, उनको गांव में रहने की जगह नहीं है इसलिये टीचर वहां जाता नहीं।

(122)

(श्री मेघराज तावड़)

इसके साथ–साथ एक और बात है। मंत्री जी, आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, आप उस स्कूल को चपरासी नहीं दे सकते। जहां प्राइमरी स्कूल में 300 बच्चे है तो कहीं एक टीचर ही पढ़ा रहा है। तो 300 बच्चों को एक टीचर कैसे संभालेगा। वहां चपरासी नहीं है। तो चपरासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, यही नहीं अध्यापकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि वह वहां रहे। मकान बनाकर दिया जाना चाहिए ताकि वह वहां रह सकें। सभापति महोदय, पंचायत समिति के अन्दर अभी जो होस्टल देने का प्रावधान है। किन्तु पंचायत समिति के प्रधान और मिडल स्कूल के हैड मास्टर की नहीं बनती हैं तो आज जो स्कूल सौंपने की सरकार की मंशा है वह गर्त में पहुंच रहा है। आज न छात्रावास चल रहे हैं और न उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है। छात्रों में असंतोष है फिर भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो आदिवासी छात्रावास हैं जहां भी चलते हैं। वह मिडल स्कूल के हैड मास्टरों को सौंपे गये हैं, उनकी प्रधान देख-रेख करेगा। तो राजनैतिक भेद-भाव ज्यादा बरता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि भेदभाव मिटे। होस्टल वापस उनको दिये जाने चाहिए।

सभापति महोदय प्रधान द्वारा शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार किया जाता हैं, माननीय मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे एक लैटर सरपंच का मिला वह सरपंच है अलसीसर जिला झुंझुनू में। एक अध्यापक फूल सिंह हैं। मैं मंत्री जी पर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, क्या कारण हैं कि ऐसे जो एस.डी.आई. हैं जब तक कि आर.ए.एस. पोस्ट है, बी.डी.ओ., आर.ए.एस. होना चाहिए, लम्बे समय से वहां का विकास अधिकारी जो कार्यवाहक विकास अधिकारी हैं, एस.डी.एम. है सिम्पली उसको वहां नियुक्त कर रखा है। आज उन्होंने प्रधान की भी अवहेलना की, प्रधान ने एक टीचर, जिसका नाम फूल सिंह कुमावत है, का ट्रान्सफर 3-4 जगह किया। इसलिए सभापति महोदय, मैं पंचायती राज मंत्री पर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं क्योंकि वहा मिलने वाला है यह बात मैं कहना चाहता हूं कि उस सरपंच का भाई मास्टर है। उस मास्टर का भाई सरपंच है इसलिए किसी भी तरह से उस पर यह प्रभाव डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जाईन कर लें। आज इस तरह से जहां पर विरोधी पार्टी के सरपंच हैं, मास्टर हैं, प्रधान हैं इसलिए उस पर दबाव डाला जाता हैं, या इसलिए उसका काम नहीं करें, यह क्या कोई प्रजातंत्र हैं। आज एस.डी.आई. का काम कर रहा है मिस्टर सांवरमल चौधरी, वह कितने समय से काम कर रहा है। जो ट्रान्सफर किया, प्रधान ने उसको इस कार्यवाहक विकास अधिकारी ने मना कर दिया, रोक दिया कि यह ट्रांसफर नहीं होगा तो उसके बाद में टीचर यहां पर आकर मिला। उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा भाई सरपंच है इसलिए बदले की भावना के कारण मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ट्रांसफर पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वह वहां आकर मिला। उप विकास सचिव ने लैटर लिखा। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसका भी पालन नहीं किया गया। यह उप-शासन सचिव का लेटर है। सभापति महोदय···· (विराम)?

श्री **सभापति** : आप वैसे ही बता दीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : यह उप-शासन सचिव का लेटर है, इसको भी नहीं माना गया। उसके बाद फिर उसका ट्रांसफर किया गया तो कॉपी किस को दी ? उस प्रधान को कापी नहीं दी, सरपंच को कापी नहीं दी, 1968 के कानून के तहत कर दिया, ट्रांसफर। तीन बार ट्रांसफर कैंसिल करवाए, प्रधान ने लेकिन फिर भी उनको वहां से कार्य मुक्त कर दिया, निलम्बित कर दिया। एस. डी. आई. के ये तो कारनामे हैं। इस मास्टर को अगस्त से फरवरी, 83 तक वेतन नहीं दिया गया। दिसम्बर, 82 में साइन करवा लिए गए। वेतन बिल पर साइन करवा लिए गए फिर भी भुगतान नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं पंचायत राज मंत्रीजी, आप शिक्षकों को दबा कर उन पर अत्याचार कर रहे हैं शिक्षक तो अल्लाह की गाय है।

श्री शीशराम ओला : यह थोड़ा क्लियर कर दें कि विकास अधिकारी कहां का है जिसके बारे में आप फर्मा रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : जिला झुंझुनूं, अलसीसर पंचायत समिति का एस. डी. आई है जो कार्यवाहक विकास अधिकारी है।

श्री शीशराम ओला : यह सरपंच कौन है जिनके भाई टीचर को कह कर कांग्रेस में लेने की बात कही गई है।

श्री मेघराज तावड़ : वह भी बताता हूं आपको। प्रधान तो है हेमसिंह और फूलसिंह जिसका भाई है जिसका नाम मेरे को मालूम नहीं है। फूलसिंह कम्हेर जो टीचर है उनका भाई है।

दूसरा, सभापति महोदय, विकास अधिकारी की तरफ से राजनीतिक आधार पर किस तरह से काम किये जाते हैं, यह कहना चाहता हूं। दूसरा, सभापति महोदय, अभी-अभी यहीं माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि मकराना के प्रधान के साथ भी यही हो रहा है। वहां जो प्रधान है, उस प्रधान की बात की अवहेलना करके विकास अधिकारी छः-छः महीने तक मीटिंग नहीं बुलाता। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, माननीय सदस्य ने सारी बात कह दी, उस प्रधान को अपदस्थ करने के लिए, अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए पंचायत समितियों की गाड़ियां दौड़ें, पंचायत समिति का पैसा उसमें लगे और विकास अधिकारी प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करे तो उससे स्पष्ट है कि जब तक राजनैतिक आश्रय प्राप्त नहीं हो तब तक एक विकास अधिकारी की हिम्मत नहीं की एक प्रधान के खिलाफ इस तरह की बात करे। यही नहीं, सभापति महोदय, उस प्रधान को नीचा दिखाने के लिए जो चैक पर साइन होते हैं वह प्रधान से नहीं कराए जा करके उप-प्रधान से साइन कराए जाते हैं। क्या यह कभी भी सम्भव है ? जब प्रधान वहां मौजूद है, उसने किसी तरह का चार्ज नहीं दिया तो उप-प्रधान को कोई पावर नहीं कि वह चैक पर साइन करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों को परेशान करके उनके तबादले किए जाते हैं ? क्यों ? क्या उनके साथ नाजायज तौर से हरकतें किए जाने के लिए या उन्हें ब्लैकमैल करने के लिए ? मैं कहना चाहता हूं, पंचायत राज मंत्रीजी, आपको क्या मोह है ऐसे विकास अधिकारी

(श्री मेघराज तावड़)

से जो बीस साल से नागौर जिले में अटका हुआ है ? मैं चाहूंगा कि आप जब जवाब दें तो आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी हटाने की भी बात करेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर एक बात और कहना चाहता हूं । पंचायत राज मंत्रीजी, प्रधान, जहां का एम. एल. ए., और सारे सरपंच किसी विकास अधिकारी का ट्रांसफर करने के लिए कहें, और उसका ट्रांसफर कर दें तो बात समझ में आ सकती है । किन्तु मैं कहता हूं, पंचायत राज मंत्रीजी, बिना एम. एल.ए. की कन्सेंट से आप किसी विकास अधिकारी का ट्रांसफर करते हैं और किसी पंचायत समिति के अधिकारी और कर्मचारी का ट्रांसफर करते हैं तो एम. एल. ए. क्या झाड़ू लगाने के लिए है वहां पर । एम. एल. ए. से क्यों नहीं पूछा जाता है ? ऊपर से फाइल में एंटर किया जाता है कि उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो एम. एल. ए. से क्यों नहीं पूछा जाता है ? मैं यह भी कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजनैतिक आधार पर मैं कोई काम नहीं करता हूं । मैं जहां से चुन कर आया हूं, वहां कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी अधिकारी हो, राजनैतिक दृष्टि से मैं उसके साथ नहीं रहता हूं और न राजनैतिक दृष्टि से उससे कोई काम लेने की बात करता हूं । मैं विकास का काम चाहता हूं, एरिया का काम चाहता हूं । जो काम करे ऐसे आदमी से क्योंकि एम. एल. ए. साहब नाराज हो जायें या एम. पी. साहब की वह चमचागिरी नहीं करे, उसका ट्रांसफर कोई भी अधिकारी चमचागिरी करवा कर एम. एल. ए. या एम. पी. द्वारा करवाता है तो यह प्रजातंत्र नहीं है । यह तानाशाही की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर होने का रास्ता होगा ।

सभापति महोदय, अब मैं आपका नगरपालिका की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, आज उदयपुर डिविजन में हमारी कई नगरपालिकाओं के तो चुनाव ही नहीं हुए । आज उदयपुर नगरपालिका की हालत यह है । मैं कल ही ही उदयपुर आ करके आया हूं, सड़कों पर पानी चल रहा है । लाइट नहीं है । टाउन हाल 1956 से चल रहा है । दो बार प्रश्न भी आया, माननीय सभापति महोदय, लेकिन वह टाउन हाल पूरा नहीं हो रहा है । लाखों रुपयों की आमद है उसके बाद भी उसका काम पूरा नहीं हो रहा है । इसका क्या कारण है ? मंत्रीजी, शायद आपने पहले प्रश्न का उत्तर भी दिया था लेकिन अब भी मैं आपसे कहता हूं कि आप काम जल्दी से जल्दी पूरा करायें, डवलपमेंट करायें ।

वहां श्मशान घाट बना हुआ है किन्तु लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है । लकड़ियां भी मंहगी मिलती है । लकड़ियों की व्यवस्था ही नहीं है तो कहां से लायेंगे । श्मशान घाट एक तरफ दूर पड़ा है, वहां से लकड़ियां लायेंगे, सभापति महादय । कम से कम इसकी व्यवस्था की जावे ।

मैं नगरपालिका....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री मेघराज तावड़)

सभापति महोदय, मेरा तो पूरा टाइम ही नहीं हुआ है। अभी तो पूरा डिपार्टमेंट रह गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप 12 मिनट बोल चुके हैं।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं नगर विकास न्यास के बारे में दो बातें और कह देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में, मैं कहना चाहता हूं, आसपास की मास्टर प्लान में जितनी जमीन आई, चाहे वह चम्पाबाग की जमीन हो, चाहे वह हरिदासजी की मगरी हो, माननीय प्रद्युम्नसिंह जी इस बात को सुन लें, ट्राइब्स के लोगों ने, कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों ने एक सोसाइटी बनाई उसके लिए तो यह कहा गया कि लाखों रुपयों की जमीन पर ट्राइब्स और कास्ट के लोगों ने कब्जा कर लिया लेकिन करोड़ों रुपयों की जमीन पर एक सेठ ने उस पर कब्जा कर रखा है मुनाफा कमाने के लिए उसने वह जमीन खरीदी है और यू. आई. टी. की जमीन पर कब्जा किया है। हमने तो मुनाफा कमाने के लिए सोसाइटी नहीं बनाई, यू आई टी ने अवाप्ति का नोटिस दिया था, पैसा नहीं था इसलिए उसके प्लाट बना कर काटे। किन्तु 1975 की ट्राइब्स और कास्ट्स की सोसायटी थी उसको आपने बेदखल कर दिया। आज उसकी रजिस्ट्री है माननीय प्रद्युम्नसिंहजी कभी पधारे हों तो ब्रह्मपोल के आगे हरिदासजी की मगरी है, पिछोला की इस साइट पर, उस जमीन पर गट्टाणी ने कब्जा कर रखा है, वह प्लाट काट रहा है उसको कैसे परमीशन मिल गई जब कि वह जमीन मास्टर प्लान में है? इस चम्पाबाग की जमीन का भी आप कुछ नहीं कर पाये हैं। यह जो एकलव्य कालोनी की है। जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के सालाजी हैं

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत शासन) : चम्पाबाग की जमीन यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। यह मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : वहां अब भी दूसरे कंस्ट्रक्शन की कार्यवाही कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने रोका। यह भी मैं आपकी जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं विद्यार्थियों ने अपनी ताकत से कंस्ट्रक्शन रूकवाया है।

सभापति महोदय, एकलव्य कालोनी में आदिवासियों को कुछ जमीन दी हुई थी। आज दीनबन्धु वर्मा जो मुख्य मंत्री के साला हैं, तमाम जमीन, जो 85 बीघा जमीन है, आदिवासियों के नाम से, आदिवासी लोगों को जमीन देने की बात कर रहे हैं, दो-दो हजार रुपया ले रहे हैं। माणिक्य लाल वर्मा जी ने वह समिति वहां बनायी थी, एक रुपया लेकर पट्टा देकर कालोनी बसायी थी। आज उस कालोनी की जमीन इस तरह से दो हजार में बेचें और यू. आइ. टी. देखती रहे। नक्शा है मेरे पास। किस कानून के अन्तर्गत यह जमीन बेची जा रही है?

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(126)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है, साला शब्द गाली होता है या नहीं होता है ?

श्री सभापति : आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? स्थान ग्रहण करिये ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आदिवासियों के छात्रावास की जमीन पहले थी, वह भी बेची, इन्हीं के साला जी ने मुख्य मंत्री के जो भी रिश्तेदार हैं वह इनके मुख्य मंत्री बनते ही इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं माथुर साहब से, क्या माथुर साहब अपने लोगों को इस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त करना चाहते हैं, या अपने रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं ? उनको रोक क्यों नहीं सकते हैं ? आज उनको बचाया क्यों जा रहा है ? प्रगतिशीलता का नारा देने वाले, प्रगतिशील कहलाने वाले माथुर साहब के ही जो लोग भ्रष्ट तरीका अपनाते हैं, क्या उनको जेल के सींखचों में बंद करेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट नगर आयोजना के सम्बन्ध में अपनी बात कह देना चाहता हूं। सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है । माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड को वहां के कर्मचारी संघ ने एक लैटर लिख कर दिया था, इन्हीं के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने लैटर लिख कर दिया था कि विज्ञान नगर के अन्दर 7 मकान गिर गये हैं । सभापति महोदय, वहां एक ए.एस. शर्मा हैं कोई, जो इंजीनियर है । मैं आपकी जानकारी के लिये, मंत्री महोदय, कहना चाहता हूं, बडोदिया बस्ती, जो हरिजनों की बस्ती है, हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनायी गई थी । उनके सात मकान गिरे हैं । हैं कौन ए. एस. शर्मा, यह साइट इंजीनियर थे डिविजन सैकिण्ड में दूसरे रेजीडेन्ट इंजीनियर सैकण्ड अलवर योजना में यही महाशय रहे थे इन्होंने गलत लेवल लिया उससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ और मकान पड़ गये । यही इंजनियर ए. एस. शर्मा जब नाहरी का नाका जयपुर में थे तो इन्हीं की देखरेख में बने 52 मकान यहां हाउसिंग बोर्ड के पड़ गये। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, खण्ड चार कोटा विज्ञान नगर में, मैं बता रहा था, 33 मकान हैं, 33 मकान गिरे इसके बारे में वहां के कर्मचारी संघ ने सारा एक पूरा कच्चा चिट्ठा लिख कर दिया, पूरा का पूरा इनका कच्चा चिट्ठा लिख कर दिया, यह इस तरह से भ्रष्ट आदमी हैं इनको हटाया जाये लेकिन, आज तक इनको नहीं हटाया गया। इनकी जांच हुई हैं, वह मैं बताता हूं, माननीय सभापति महोदय डिप्टी कमिश्नर ने इनकी जांच की, उसमें पाया क्या गया ? यह मकान क्यों गिरे हैं ? उसमें यह पाया गया, सभापति महोदय, मेरे पास पूरी की फोटो स्टेट कापी है, यह डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जो सीमेंट और मेटीरियल लिया है वह मेटीरियल बहुत घटिया क्वालिटी का है इसमें माल पूरा लगा नहीं। इनको सस्पेण्ड किया जाय, बर्खास्त किया जाय । लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। कारण क्या है? जब तक ऊपर से कोई करप्शन नहीं हो ऐसे

(श्री मेघराज तावड़)

भ्रष्ट अधिकारी टिक नहीं सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा ही कह देना चाहता हूं, रेश्यो जो लिया गया है, 19-4-82 को 9मकान गिरे हैं, उनमें 1.3 लेना चाहिये था और लिया कितना है 1.30 इसी तरह 1.6 लेना चाहिये था जिसमें लिया है 1.45 1.4 यह आपके 30-4-82, 3-4-82, 2.60 और 1:3:12 है, 2:17 5:7 यह सारी की सारी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जिससे मकान सारे पड़ गये यह सारी रिपोर्ट है, मेरे पास उसके बाद एक एसोसिएशन का लैटर है, वह भी मेरे पास है। समय नहीं है, आप चाहें तो सदन की टेबल पर रख सकता हूं उसके बाद, सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड में एक एम. एल. दवे हैं आवासीय अभियन्ता कोटा, खण्ड तीन में, 1979 में एक चैक नम्बरसी 5,639606 के द्वारा लगभग 15 हजार रुपये बोर्ड के खाते का पैसा उठा लिया किन्तु उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं, सभापति महोदय, इनका मुअतल नहीं किया गया इनका चालान नहीं किया गया। पुलिस ने इनके खिलाफ केस बनाया लेकिन चालान आज तक नहीं हुआ। यही नहीं, सभापति महोदय, आवासन बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड की गाड़ी अपने काम में ली। अध्यक्ष की गाड़ी होती है, एक महीने में उसको कितने किलो मीटर घुमाने की इजाजत देता है बोर्ड ? लेकिन रोज इनकी गाड़ी झूझनू और जयपुर में घूमती रहती हैं। क्या झुंझुनूं जाने के लिये या सीकर जाने के लिये या और कहीं अपने घर के काम से जाने के लिये बोर्ड के अध्यक्ष जो राम नारायण चौधरी हैं को बोर्ड ने गाड़ी दे रखी है यही, नहीं, सभापति महोदय, बिना बोर्ड और राज्य सरकार की अनुमति के इन्होंने तीन खण्ड अलग से कायम किये। अपने चाचा और भाई भतीजों की पदोन्नति करने के लिये तीन खण्ड खोले गये, जिन पर बोर्ड की स्वीकृति नहीं हुई, राजस्थान सरकार की स्वीकृति नहीं हुई इस तरह का भ्रष्टाचार है आज जो चेयरमेन है वह खुद उन भ्रष्ट लोगों के साथ हैं तो भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है ?

सभापति महोदय, यही नहीं, मैं एक केस और सुना कर अपनी बात समाप्त करूंगा वर्ष 1979 में आवासन बोर्ड ने एक वित्त निगम का 20 लाख रुपये का डिबेंचर खरीदा वह किसकी अनुमति से खरीदा ? किसी की अनुमति उसमें नहीं है। वित्त निगम ने हाउसिंग बोर्ड को डिबेंचर नहीं दिये जिससे 20 लाख रुपये मिसलेनियस खाते में डाल दिये गये सभापति महोदय, बोर्ड को दो लाख का वैसे ही घाटा है इस तरह से विपिन बिहारी के विरुद्ध जो कर्त्तव्यनिष्ठ हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या लिखा है पढ़ रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड आज जितनी जमीन ले लेकर, जितने मकान बना कर देने का नमूना रखता है, यह स्वच्छ भावना से रखता है किन्तु उसके आधार पर काम नहीं होकर के आज जिनके पास पैसा है उन्हें मकान दिये गये हैं। हाउसिंग बोर्ड में किन लोगों को मकान दिये गये हैं ? पैसे वाले

(श्री मेघराज तावड़)

लोगों को मकान दिये हैं। गरीब आदमी, हरिजनों के कई केसेज उदयपुर के हैं जिन गरीब हरिजनों को मकान अलाट हुए हैं, दो किश्तें वह जमा नहीं करा पाये हैं तो उनके मकान नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड का खाता रखा जाता हैं, चालान तो सीधा जाता है दिल्ली, इनके पास कहीं रेकार्ड नहीं जहां इनका हैड ऑफिस हैं, जहां हाउसिंग बोर्ड के मकान है, वहां का खाता वहीं खुलना चाहिये वहां का चालाचन वहीं जमा होना चाहिये। इस तरह से चालान जमा होता हैं, उनका अता पता नहीं है और लोगों के मकान नीलाम कर दिये गये है। मैं यह कहना चाहूंगा एक तो हाउसिंग बोर्ड में जो घोटाले हैं, मेरे पास कच्चा चिट्ठा पूरा हैं, मैं पढ़कर सुना नहीं पा रहा क्योंकि यह फोटो स्टेट कापी है, वह अभी मेरे से पूरी पढ़ी नहीं जा रही है, लेकिन अगर आप ए एस शर्मा और अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही करेंगे तो इस हाउसिंग बोर्ड में तरक्की हो सकती है। आप चाहें तो वहां के कर्मचारियों ने जो लैटर लिखा है, एक-एक आदमी का कच्चा चिट्ठा लिख कर दिया है, वह भी मैं आपको देने को तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात लास्ट में कह देना चाहता हूं। पंचायत राज मन्त्री, गोगुन्दा की एक ही पंचायत समिति है वहां तहसील हैडक्वार्टर है और पंचायत समिति भी है उसके पास बजट नहीं है गांवों के विकास के लिये बजट नहीं है। ऐसे बड़े गांवों या कस्बों, जहां हरिजन और आदिवासीनहीं है, लेकिन सवर्णों की ज्यादा आबादी है. में नालियां ठीक बनाने के लिये थोड़ा सा फण्ड दे दिया करें तो अच्छा रहेगा--

मैं यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री **सभापति** : ऐसा है कि आसन की ओर से जो व्यवस्था होती है...

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): कोई तारतम्य तो बनाइये, सभापति महोदय, मैंने लिख कर भेजा है।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिये। आपका नम्बर आने वाला है।

श्री महादेवसिंह।

श्री **महादेवसिंह** (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत रज मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, सेडूराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, दायरा, पंचायत समिति, खंडेला, जिला सीकर के खिलाफ 11-2-82 को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये मीटिंग बुलाई गई जिसमें कुल 11 सदस्य थे। जिनमें 2 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में, 2 विपक्ष में और 2 अनुपस्थित थे। इस प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया लेकिन उस समय चुनाव अधिकारी द्वारा न तो नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया, न रिजल्ट दिखाया गया कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया या पास हो गया। उसके बाद शाम को 7 बजे चुनाव अधिकारी तहसीलदार श्री माधोपुर ने प्रधान, पंचायत समिति, खण्डेला से मिल कर दो सदस्य, जो बाहर थे, घर जाकर उनके साइन करवाये और तय कर दिया अविश्वास प्रस्ताव

(श्री महादेव सिंह)

पास हो गया है । मुझे इसकी जानकारी मिलते ही मैंने पंचायत राज मंत्री जी से निवेदन किया । उन्होंने फाइल तलब कर ली लेकिन इसके बावजूद 11-3-83 को अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा यह वायरलैस मैसेज गया कि दायरा के सरपंच सेडूराम को निलंबित समझा जावे । अतः सभापति महोदय, मेरा पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि 11-3-83 को अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसको तुरन्त निरस्त करें और सेडूराम, सरपंच को अपने पद पर ही रहने दिया जाय, उन्हें नियमित रूप से काम करने दिया जाय ।

इसी प्रकार से ग्राम पंचायत सांसरड़ा के सरपंच, छाजूराम के खिलाफ 21-10-82 को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये मीटिंग बुलाई गई । उसमें अविश्वास प्रस्ताव गिर गया । नियमानुसार 6 महीने के पहले अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये दुबारा मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती लेकिन अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सीकर ने 15-1-83 को दुबारा मीटिंग बुलाई । मेरे निवेदन करने पर भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देकर मीटिंग बुलाई और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सुचारू रूप से मीटिंग हुई । लेकिन उसमें धांधली यह हुई कि जो महिला को-आप्टेड मेंबर थी उसे न बुलाया जाकर, एक नकली महिला को लाया गया । सरपंच ने आब्जेक्शन किया कि यह मेरी पंचायत की पंच नहीं हैं । उसने एफिडेविट भी दिया कि यह घोटी देवी नहीं हैं, कोई अन्य औरत है । घोटी देवी तो पीहर गई हुई हैं । इसके बावजूद भी चुनाव अधिकारी तहसीलदार, श्री मांधोपुर ने अविश्वास प्रस्ताव को पास हुआ माना । इसके तुरन्त बाद ही मैं पंचायती राज मंत्री जी के पास आया । उन्होंने तुरन्त ही फाइल तलब कर ली । यह मीटिंग अनियमित रूप से बुलाई गई, इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायती राज मंत्री जी इस मीटिंग की कार्यवाही को निरस्त करवावें और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है उसको गिरा हुआ मानें ।

Thank you.

श्री **सभापति** : श्री देवदत्त तिवाड़ी ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : क्या काफी नाराजगी है, सभापति महोदय, हमारे दल का एक भी नहीं बोला है ।

श्री **सभापति** : अब आपको नम्बर दूंगा ।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान मांग सं. 49 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे विचार से ऐसा प्रतीत होता है, सारे राजस्थान में यह महसूस किया जा रहा है कि शहरों की ओर इस असेंबली या सरकार का ध्यान कुछ कम है । मैं नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों है ? यह हो सकता है कि यहां गांवों से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिये सरकार का शहरों की ओर ध्यान कम है और जितना ध्यान उनकी और दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है । सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा कि चुनाव के लिये वार्ड्स बनाये जाते है वह बहुत डिफेक्टिव बनाये जाते हैं क्योंकि वार्डों की जो संख्या की है वह 200 घरों पर एक के आधार पर की । आप देखें कि राजस्थान के किसी भी शहर में लोग कम्यू-

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

निटी वाइज नहीं रहते कहीं खाती, कहीं तेली, कहीं तमोली, कहीं अग्रवाल और कहीं कोई और कम्युनिटी रहती है। यह हमारा दोष नहीं है, हमारा पहले का बना हुआ टैक्सचर ही ऐसा है और अब अगर दो सौ या पौने दो सौ घरों पर कहीं से भी लाइन खींचिये तो 150 घर एक तरफ हो जाते हैं और पचास मकान दूसरी कम्युनिटी के आ जायं तो डिसाइडेडली कम्युनल टैक्सचर हो जाता है। इस प्रकार से आप साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं इस कारण छोटे वार्ड में चाहे कितना ही अच्छा, सुयोग्य व्यक्ति क्यों न हो वह नहीं आयेगा, मैजोरिटी कम्युनिटी का आयेगा। हां, कम्युनिटी के आदमी 4-6 आदमी आपस में लड़ जायं तो दूसरी बात हैं अन्यथा कम्युनल वार्ड बन जायेंगे। यह तरीका अच्छा नहीं है। आप इसके बजाय जोन सिस्टम लागू करिये। पहले भी ऐसा तरीका ट्राई किया गया था। मैं नहीं जानता वह कहां तक सक्सेसफुल हुआ लेकिन वह तरीका अच्छा था उससे क्या होता है कि 100 आदमी आयेंगे...

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप सुझाव दे दें कृपया।

श्री देवदत्त तिवाड़ी: मैं सुझाव दे रहा हूं, जोन के हिसाब से वार्ड बनें। पहले भी ऐसा सिस्टम ट्राई किया गया है, वह मेरी समझ में तो ठीक ही था। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करिये कि जो वार्ड मेम्बर्स, चुने हुए आदमी चैयरमेन को चुनते हैं वह सिस्टम हटा दीजिये। या तो सारे शहर में से जैसा कि पंचायत में से आप सरपंच का वोटिंग कराते हैं, एक... वार्ड मेम्बर का वोट होता है। एक सरपंच का वोट होता है। आप इसमें भी एक चैयरमेन का वोट कर दीजिये और एक वार्ड मेम्बर का वोट कर दीजिये। तो कम के कम आपको उस शहर के अन्दर एक ऐसा आदमी तो मिलेगा जो शहर की इम्पोर्टेंस का होगा, नहीं तो वार्ड की इम्पोर्टेंस के लोग आये हुए हैं उनमें से आप मत करके निकालते हो, यह तरीका अच्छा नहीं है। यह नहीं कर सकते तो जैसे पंचायतों में जो आपने सिस्टम रखा है कि किसी को को-आप्ट किया जा सकता है तो इसमें फिर को-आप्शन का कोई तरीका रख दीजिये। तो कम से कम ऐसे आदमी जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, जो दलगत राजनीति में नहीं, या ऐसा सोचें, ऐसे जाना हमारे स्तर से नीचे है तो कम से कम वह को-आप्शन में लिये जा सकें। तो फिर भी आपको ऐसा आदमी मिल सकता है जो शहर की इम्पोर्टेंस का हो तो म्युनिसिपैलिटी अच्छे ढंग से चलाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं उससे आप किसी प्रकार बच नहीं सकते हो।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां तक इन्तजाम का प्रश्न है, बोर्ड तो तीन साल रहता है और एडमिनिस्ट्रेटर, 5,7, व 9,9 साल तक बैठे रहते हैं तो बोर्ड ने जो कार्य निर्धारित किये हैं, पहले तो उनका क्रियान्वयन एडमिनिस्ट्रेटर करते नहीं और यदि उनका क्रियान्वयन करने भी लगें तो मैं समझता हूं कि वह इतने प्रिजुडिस्ड होते हैं या पीरियड इतना लम्बा हो जाता है कि जो कुछ भी किया कराया होता है चाहे सेविंग्स से किया गया हो या और भी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटर उसको अच्छी तरह से संभाल नहीं सकते।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

नहीं संभाल सकते हैं वह इसलिये नहीं संभाल सकते हैं कि या तो वे तहसीलदार होते हैं या ए.डी.एम. होते हैं, डी.एम. होते हैं, या और कोई होते हैं। तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं। उनका शहर से इतना लगाव नहीं है जितना कि शहर के आदमियों का उससे लगाव हो सकता है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि जिस तरह से कहीं भी गवर्नर रूल 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है, छः महीने के बाद चुनाव कराने पड़ते हैं उसी तरह से आप छः महीने नहीं करें तो एक साल कर दीजिये लेकिन कम से कम कोई पीरियड आप तो निश्चित करिये, जिससे एडमिनिस्ट्रेटर न बैठा रहे और वहां चुनाव हो सके। आप सब म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के लिये बैठे रहते हैं। यह एक अच्छी पद्धति नहीं है। जैसे ही पीरियड खत्म हो आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइये। एडमिनिस्ट्रेटर लम्बे समय तक रहता है यह आपका तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिये।

दूसरी मैं खास मुद्दे की बात कहना चाहता हूं। फाइनेन्शियल पोजिशन आपके जितने भी बोर्ड हैं उनकी बहुत ही दुर्बल है। दुर्बल इस मायने में नहीं है कि उनके पास साधन नहीं हैं। आय नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है बल्कि ऐसा स्टाफ वहां होता है, ऊपर की देख-रेख इतनी निकम्मी होती है और एडमिनिस्ट्रेटर का रूल बीच में आ जाता है जिससे कि जितनी आय अपेक्षित हैं, उतनी आय नहीं हो पाती है। वरना आय हो सकती है। दूसरी तरफ आपका यह अच्छा रवैया नहीं है कि आय के जो साधन थे जैसे कि मनोरंजन कर था या दूसरी चीजें थीं उनको आप ले लेते हैं और फिर आप हजम कर जाते हैं। यह बात ठीक नहीं है उस आय का म्युनिसिपैलिटी को दिया जाने वाला अनुपात आपने तय कर रखा है, उसका प्रपोर्शन टाइम टू टाइम बढ़ना चाहिये जिससे उनकी आय अच्छी हो। इस सम्बन्ध में मैं आप से यह और निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने गृह कर लगा रखा है, गृह कर बहुत अच्छा गिना जा रहा है। सम्भवतः हमने यह गृह कर यह समझ कर रखा है कि गृह कर अच्छी चीज है। इससे हमारे को आय होगी। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष में ऐसी बात चली है कि हर जगह इसका विरोध ही किया जाता है। मैं यह सुझाव देता हूं कि जितने विरोधी लोग हैं इनको भी बुला लीजिये और इस नीति में आप एक आमूल-चूल परिवर्तन करिये ऐसा परिवर्तन करिये जो अधिक से अधिक सर्वमान्य हो। सर्वमान्य न हो तो ऐसा हो जिसमें कि आप लोगों से गृह कर का पेमेन्ट ले सकें। आप कोई नीति निर्धारित कर दीजिये। आज आप दस साल पहले, बारह साल, 15 साल पहले का गृह कर वसूल करना चाहते हैं, It is rather not possible .. बोर्ड वगैरह सब चीजें मौजूद हैं। आखिर आप कब तक चलने देंगे। चलने ही नहीं देते। अधिकांश जगह यह नहीं चल पाता है। इसलिए सर्वमान्य रास्ता आप इसमें निकालिये तो आप इसमें कामयाब होंगे वरना इसके अन्दर आपका कामयाब होना कठिन है। और नहीं तो आप जितने भी ऐसे टैक्सेज हैं, उन सब टैक्सेज को आप ले लीजिये और प्रकार आप उसको फाइनेन्स करिये जो कि एक उचित तरीका हो।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

जो तथाकथित टैक्स हैं उनसे वह जिस प्रकार से अपनी आमदनी कर रहे होते, उनकी आय होती रही होती, उसके अनुपात में आप उनको पेमेन्ट करिये ताकि वह संस्थाएं अच्छी तरह से चलें। उनको इस प्रकार जो आप पंगु तरीके से चला रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आप ई. ओज. रखते हैं, हर एक म्यूनिसिपैलिटी में उनका भी कोई कैडर होना चाहिये। किसी एक अच्छे स्तर का व्यक्ति होना चाहिये। अब तक अच्छे स्तर के नहीं है, इसलिये ज्यादातर क्या सारी म्युनिसिपैलिटीज में मैं यह देख रहा हूं कि वह ई. ओज. काम को बिगाड़ रहे हैं। इसका कारण यह भी है, माननीय मंत्री जी, आपने अपने इस एक्ट को संशोधित करते-करते ऐसा संशोधित कर दिया है, इतनी बार संशोधित कर दिया है कि मूल एक्ट की भावना कहीं कहीं मर गयी है। मूल एक्ट की भावना यह है कि बोर्ड जो कर सकता है, वह बोर्ड अपनी उप समिति के द्वारा भी करावे। जो उप समिति है, आपने ऐसा नियम बना लिया है कि जो कुछ ई. ओ. करता है वह करे लेकिन बोर्ड की उपसमिति नहीं कर सकती है। वह इजाजत नहीं दे सकती है। यह ऐसा नियम है, जो इस एक्ट के विरोध में बना हुआ है। यह अच्छा नियम नहीं है। इसलिये मेरी धारणा यह है कि आप इस एक्ट में आमूल-चूल परिवर्तन करियेगा। आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करते हैं तो कम से काम उसमें तो संशोधन करें जिसके द्वारा चैयरमैन को पंगु बना रखा है, चैयरमैन को कोई पावर नहीं है। चैयरमैन वहां बैठा हुआ है वह किसी काम का नहीं है। वह किसी को इजाजत नहीं दिला सकता है, वह कोई चीज नहीं कर सकता है तो फिर आपने मिट्टी का माधो क्यों बिठा दिया? इससे नतीजा क्या निकलता है। इतना पंगु चैयरमैन बना कर रखा है कि उसकी न कोई वोइस है और न कोई वेल्यू है। इसलिये मेहरबानी कर के आप या तो अपने एक्ट में आमूल-चूल परिवर्तन करिये या जो आप संशोधन लावें वह इस ढंग से लाइये जो ठीक रहे।

एक बात मुझे और ध्यान में आती है। कोई भी हमारी योजना बनेगी, नक्शा बनेगा तो वह पहले टाउन प्लानर के पास जायेगा यानी एक जगह बांध दिया है। टाउन प्लानर का हाल यह है कि यह तो घाट और वह ब्रह्म घाट। अगर हमने टाउन प्लानर के पास भेज दिया तो उस चैयरमैन का टाइम पीरियड निकल जायेगा। इसलिये इसकी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम पहले एक्ट में यह कर रखा था, यह नियम था, जहां कहीं भी टाउन के अंदर बड़ा प्लान या मास्टर प्लान बना दिया, पांच पांच माइल के आस-पास तो वह एप्रूव करेगा ताकि उनका नक्शा न बिगड़े, अब आप हर एक का नक्शा उठा कर वहां भेज देते हैं, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, अब प्लानिंग हो चुका। मेरा आप से यह निवेदन था कि इस तरह मूल एक्ट के विरोध में है वह कम से कम हटा लीजिये। ई. ओज. के बारे में मैं कह रहा था, वह बीच छोड़ दिया। मैं यह कहना चाहता था कि इनका एक अच्छा कैडर रखिये। कम से काम आर. ए. एस. के बराबर का आदमी रखो या ऐसे लोग रखो जिनको आप पहले ले लें और फिर उनको ट्रेनिंग दें। पहले इस पोस्ट पर आ जाये, फिर ट्रेनिंग कर के आये और फिर उसे काम के ऊपर

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

भेजिये। यह नहीं कि आपके यहां नाके का मुंशी था या नायब आक्ट्राय था, वह बढ़ते बढ़ते ई. ओ. हो गया। आपकी दृष्टि में वह एक्सपर्ट.रियेसड है लेकिन हमारी दृष्टि में वह करप्ट है क्योंकि उसने सब जगह देख लिया कि किस तरह दरवाजा खुलता है और दरवाजा बंद होता है। इसलिये यह आप का दृष्टिकोण मेरी दृष्टि में अच्छा नहीं है। आप यह करिये कि कम से कम वहां अच्छा आदमी लगावें इस कैडर का लगावें। मान लें, किसी आदमी को लगाये तो पहले उसे ठोक बजा कर देख लें, जिनकी इन्टेग्रिटी अच्छी हो, उनको लगावें। बिना इसके आप लगाते हैं तो यह ठीक नहीं है।

मैं एक निवेदन और छोटा सा करना चाहूंगा। वह यह करना चाहूंगा कि आपके एक्ट में 165 जो धारा है जिसके अनुसार बिल्डिंग लाइन कायम की जाती है वह एक बहुत बढ़िया सेक्शन है, मैं समझता हूं शहरों के सुधार के लिये इसके जैसा बढ़िया सैक्शन है ही नहीं, अगर इसको स्टैडी किया जाये तो। क्योंकि इसके अन्दर जिस जगह भी लाइन है पहले बोर्ड अपने की बाउंड डाउन पहले करता है। जहां कहीं भी लाइन हैं आप वहां लाइन प्रेस्क्राइब कर सकते हो उसके बाद में उसको आप चौड़ा कर सकते हो, वाइडन करने के लिये तो आपके पास वह धारा है लेकिन इसको नैरो डाउन करने के लिये धारा नहीं है। फिर इसकी अनुपालना कोई भी नहीं करता है। आपके गड़बड़ी के बीच के अन्दर अपीलेट आथोरिटी है वह, उसकी भावना को नहीं समझ पायी है। इसके खिलाफ बिल्कुल फैसला देती है हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिये लेकिन फिर भी वह करती जाती है। उनको ट्रेण्ड कीजिये, उनको समझाइये इसकी मूल भावना 165 के अनुसार लाइन नहीं है तो कम से कम जिस जगह लाइन है, सब जगह आप सब शहरों में लाइन खिचवा दीजिये। तमाम जितनी धाराएं हैं, वे इस बात को मूल में रख कर चलती है कि टाउन के अन्दर 165 में लाइन खींची जा चुकी है, जबकि है नहीं। आप मेहरबानी करके कम से कम यह चीज भी करियेगा तो मैं समझता हूं कि आप कुछ इस लाइन में कर सकेंगे।

मैं आपका अधिक समय न लेकर सभापति जी, इतना ही ध्यान आकर्षित करता हूं। दूसरा मेरे भाइयों के लिये पंचायती राज की बात छोड़ूंगा।

श्री **सभापति** : डा. उजला अरोड़ा। माननीय सदस्य बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 49, 41, व 29 के बारे में अपनी बात प्रस्तुत करती हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगी कि जयपुर नगर के मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना था। माननीय मंत्री महोदय ने यह खुद माना है कि यह जो मास्टर प्लान है वह अव्यवहारिक है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं यह भी कहा कि इसके रीजन का प्लान अलग से तैयार किया जायेगा। यह बुकलेट नगर विकास प्राधिकरण की है। इसमें कहा गया प्राधिकरण सर्वे करने के बाद योजना-बद्ध एकीकृत विकास की दृष्टि से जयपुर रीजन का एक मास्टर प्लान तैयार होगा। मान्यवर सभापति महोदय, यह इसलिए कहा गया की कच्ची

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
बस्तियों की जो योजना है वह इस प्लान में नहीं है ।

श्री सभापति : यह जयपुर विकास प्राधिकरण का है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां । मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर की कच्ची बस्तियों की योजना, उनको बसाने की योजना जो पूर्व में मास्टर प्लान बना उसमें नहीं थी । जो कृषि भूमि पर मकान बने उनकी योजना आबादी क्षेत्र की उसमें नहीं थी । जो वर्तमान में मास्टर प्लान है वह बड़ा डिफेक्टिव है । यह माना गया था विकास प्राधिकरण के द्वारा कि इस प्लान को चैन्ज करके जयपुर के मास्टर प्लान को दुबारा बनाया जायेगा । नहीं बनाया गया । इस समय मास्टर प्लान के तहत जो कार्य हो रहे हैं मैं कहना चाहूंगी कि वे अवैध हैं । इसके संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी ? मंत्री महोदय अपने उत्तर में बतायें कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी और आप इसका संशोधन किस प्रकार से करने जा रहे हैं ? मैं कहना चाहूंगी, 14 वर्ष पूर्व इस विभाग का गठन किया, केवल 5 नगरों के मास्टर प्लान तैयार किए गये । इतने बड़े महकमे के द्वारा नियोजित ढंग से राजस्थान के नगरों के मास्टर प्लान की आपूर्ति नहीं की गई । अब तक बना लिये जाने चाहिए थे । अनावश्यक रूप से उस विभाग पर पैसा खर्च किया जा रहा है । मैं यह कहना चाहूंगी कि कम समय में ज्यादा काम करने की प्रवृति उसमें डालें । मंत्री महोदय, आप इस पर क्या विचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने उत्तर में मुझे बतायें ।

यह जो मास्टर प्लान है इसमें लोको शेड जो हमारा बरकत नगर का है, बरकत नगर जो कालोनी है उसको लोको शेड दिखाया गया । मैं कहना चाहूंगी कि इसलिये भी इस प्लान में परिवर्तन करने की जरूरत थी । प्रताप नगर जो कालोनी है जो आज औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है वह आबादी क्षेत्र में थी उसको परिवर्तित करने की जरूरत थी । विश्वकर्मा जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें कितने ही मकान बन चुके हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ । मैं कहना चाहूंगी कि ब्रह्मपुरी के खुर्रे को पार्क दिखाया गया था, वहां आबादी क्षेत्र है । वहां पर एक संतोष सागर कालोनी है उसमें बगीचा दिखाया गया । इसमें बहुत मकान बन चुके हैं । आज ही नहीं बने, जिस समय मास्टर प्लान बनाया जा रहा था, मेज पर बैठकर उस समय यह कार्य हो चुके थे । उस समय भी यह कहा गया कि इस मास्टर प्लान में परिवर्तन करने की जरूरत है । वह नहीं किया गया । आपने कहा कि इसमें परिवर्तन किया जायेगा । हमने गये साल आपका स्वागत किया; लेकिन वर्ष भर में आपने क्या करवाया, आप अपने उत्तर में बतायेंगे । काम नहीं हुआ । काम नहीं होने से एक छोटे से टुकड़े में भी, अगर विकास प्राधिकरण निर्माण कार्य करना चाहता है वह आयोजन विभाग के द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है । आपने उनको अधिकार दे दिये । छोटे-छोटे कामों की फाइलें वहां भेजनी पड़ती हैं । इस कारण से भी निर्माण के कार्य में देरी हो रही है । मंत्री महोदय, आप अपने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आप अपने उत्तर में बतायें क्या करने जा रहे हैं ?

केस कम्पाउन्ड का प्रश्न था। पिछली बार बहुत बड़े-बड़े लम्बे विज्ञापन दिये गये। रोज अखबारों में विज्ञापन छप रहे हैं। विज्ञापनों की कमी नहीं, घोषणाओं की कमी नहीं। तो काम की कमी है। काम नहीं किया जा रहा है। मैं समझती हूं कि आप विज्ञापनों का गत वर्ष का और इस वर्ष इस समय तक अगर बजट उठाकर देखें तो पता चलेगा, आपने अपने बजट से अधिक खर्च किया। आप अधिक बजट खर्च कीजिये। खूब विज्ञापन दीजिये, लेकिन उसके अनुसार काम तो कीजिये ?

केस कम्पाउन्ड का प्रश्न था। उसके नियमों का सरलीकरण किया जाना था। नियमों का सरलीकरण नहीं किया गया, सभापति महोदय। जयपुर की इतनी बड़ी समस्या है यह, झज्जा निकल गया, कम्पाउन्ड वाले के पास लेट्रीन हैं या अन्य किसी ने निर्माण कार्य करा लिये, एक बालकोनी है, बालकोनी में दीवार नीचे तक लगा दी तो केस कम्पाउन्ड नहीं होगा। इन नियमों के तहत मंत्री महोदय किस तरह से केस कम्पाउन्ड करेंगे ? आपने तो यह कह दिया, आपने माना है कि एक लाख मकान इस तरह के हैं जिनमें केस कम्पाउन्ड आपके द्वारा किये जाने हैं, लेकिन केस कम्पाउन्ड नहीं किये जा रहे। एक छोटी सी नीति केस कम्पाउन्ड करने की तय की जानी थी, वर्ष भर में मंत्री महोदय, वह काम नहीं हुआ। आप जयपुर को क्या बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहूंगी, 30 करोड़ आपने लोगों से लिये हैं, यह आपने स्वीकार किया है लेकिन 30 करोड़ लेने के बाद भी आपने एक भी मकान कृषि भूमि का अभी तक निर्मित नहीं किया। आपने कुल खर्च करने के लिए मांगा है 8 करोड़, 11 करोड़ शायद 19 करोड़ मांगा है, उस खजाने में जिसको जमा कर दिया है, आपके पास जिनका पैसा जमा है उनको लौटाने के ब्याज देने की व्यवस्था नहीं है। आप उनका पैसा हजम कर जाना चाहते हैं। जो संशोधन किये जाने थे मीणों की जमीन पर किसी ने मकान बना लिये, किसी ने नगर विकास निगम के नियमों के विपरीत मकान बना लिये। किसी ने उस नियम, जो हाऊसिंग सोसायटी का नियम है के विपरीत उसमें 10 फीट से ज्यादा सड़क नहीं छोड़ कर मकान बना लिये, आपने उन नियमों में संशोधन नहीं किया। कृषि भूमि में मकान बनाने के लिये संशोधन किये जाने के लिए गये साल आप यहां पर मांग लेकर आये थे, मैं कहना चाहती हूं कि आप जयपुर की कृषि भूमि और कच्ची बस्तियों के साथ किस तरह से न्याय करने वाले हैं। वह आप अपने उत्तर में बतायें। मैंने आपसे पूछा एक प्रश्न के माध्यम से कच्ची बस्तियों के विवरण के बारे में आपने सही उत्तर नहीं दिया। आपने कहा कि गठित कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर, सिफारिश आ जाने पर सरकार नियोजन की दृष्टि से कोई निर्णय लेगी। रिपोर्ट आ गई क्या ? आप अपने उत्तर में बतायें आपने कहा कि 119 बस्तियां बसा दीं। कौन सी 119 बस्तियां बसा दीं आपने 165 में से ? सभी में क्या बिजली लगाई,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सब में क्या पानी की लाइन लग गई और क्या सड़क बन गई। मैं पूछना चाहती हूं, आपके मार्फत, कुछ बस्तियों में आवंटन-पत्र दिये हैं। लेकिन विकास की योजना आपकी की ज्यों की त्यों धरी रह गई। इतना ही नहीं, आपने तो सारी योजना को बिगाड़ करके जहां टीले पर मकान बने हुए थे, सभापति महोदय, ऊंचे पर मकान फिर उससे नीचे मकान फिर, उससे नीचे मकान फिर धरातल पर मकान। अगर ऊपर वाले टीबे के मकान में कोई नींव खोदेगा तो क्या नीचे के मकान की नींव नहीं गिर जायेगी ? क्या अगर ऊपर आग लग गई तो फायर की गाड़ी नहीं जा सकती। अगर फायर पाइप से वहां पानी डाला गया तो कितने मकान तर हो जायेंगे और उनकी नींव गिर जायगी। नींव है ही नहीं, लोगों ने कच्चे मकान यों ही बनाये हुए हैं। आप गरीब को छप्पर के नाम पर लोगों को बहकाना चाहते हैं। माननीय स्व. बरकत साहब ने 110 वर्ग गज भू-खण्ड देने की घोषणा की थी वे आपकी पार्टी के मुख्य मंत्री थे, आप उनकी सारी घोषणा को बरबाद करना चाहते हैं। मान्यवर 3 3 रुपये प्रति वर्ग जमीन देने की घोषणा की गई थी और आज आपने काम किया नहीं, देरी आपकी वजह से हुई, 5 से 50 रुपये प्रति वर्ग तक जमीन देने की बात कच्ची बस्तियों में कही गई. आपके आधार पर एक मकान बनेगा 5 रुपये गज की जमीन से, उसके बराबर का मकान बनेगा 50 रुपये वर्ग गज जमीन लेकर। इस तरह का भेदभाव आप कच्ची बस्ती में खड़ा करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें; इसका आपने, बस्ती बसाई नहीं।

श्री **शिवराम शर्मा** (बनी पार्क): आपकी पार्टी ने कच्ची बस्तियों के लिए जो रेट है वह 50 रुपये गज रखी थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन रुपये प्रति वर्गगज रखी थी, मान्यवर आपका हिसाब-किताब कमजोर है। 119 बस्तियां बना दी। मैं कहना चाहती हूं कि 9 मकानों की कच्ची बस्ती-कोली बस्ती, लुहारों के खुर्रे से नीचे उतरते ही बनी हुयी है जो कि नगर परिषद के क्षेत्र में आती है। वहां पर उन्होंने आवंटन-पत्र दिये। आवंटन-पत्र देने के बाद नक्शे बना दिये, और कहा कि मकान बना लें। जब उन्होंने मकान बना लिये तो कोई मकान तोड़ गया। मंत्री महोदय आज तक निर्णय नहीं कर पाये कि आपकी जमीन थी या दूसरे की जमीन थी। आप कोर्ट में नहीं गये, मकान तोड़ने वालों के खिलाफ आपने इस तरह जमीन बेची कैसे ? अगर आपकी जमींन नहीं थी तो कोली बस्ती को जमींन देकर पैसे कैसे लिए? और अगर आपकी जमीन थी तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गये ? आवंटन-पत्र पैसा जमा किया उसकी रसीदें—सब मेरे पास हैं। मंत्री महोदय, आखिर आप कर क्या रहे हैं ? आपने इस तरह से 119 बस्तियां बसाई हैं क्या? इसका आप उत्तर दें।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : आज तो आपका ही उत्तर दे पाऊंगा किसी और का नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय विद्याधर नगर की योजना बताने वाले थे। उस योजना में आप 15 हजार आवासीय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
मकान के निर्माण की योजना करने वाले थे। आपकी यह पुस्तिका निकली है— जयपुर निर्माण का नया दौर। मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूं, मंत्री महोदय ने कहा कि 15 हजार आवासीय मकानों के निर्माण की योजना है और केवल 800 मकानों के निर्माण की योजना की आपने घोषणा की है, ऐसा क्यों? और बाकी मकानों की जमीन का क्या करेंगे आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप क्या कह रही हैं? फैक्ट्स को टिवस्ट करके मत बोलिये। यह तो पूरा पढ़िए। यह दूसरों की आदत है वह मत सीखिए। पूरे फैक्ट्स बताइए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पूरे फैक्ट्स ही बता रही हूं। सभापति महोदय, इनसे कहें कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, अपने उत्तर में बतायें। जो कुछ कहना है अपने उत्तर में कहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप केवल अपने को संतुष्ट कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विद्याधर नगर की योजना 15,000 मकानों की थी परन्तु अब यह योजना केवल 800 मकानों की बतायी गयी है। यह कब तक कम्पलीट कर देंगे, और बाकी मकानों की योजना कब कर देंगे, इसका उत्तर आप दें।

मुरलीपुरा योजना में, सभापति महोदय, इनके आंकड़े हैं किताब में, आपने कहा, 8 हजार रुपये में एक भू-खण्ड दिया जायेगा उनको, जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, जो बाढ़ की चपेट में आ गये थे। इसी तरह से मुरलीपुरा योजना में 8 हजार रुपये में भू-खण्ड देने की घोषणा ही नहीं की, यह किताब में भी छपी है। मैं आपको प्रस्तुत कर सकती हूं। इसका विज्ञापन निकाला है 18 जनवरी, 82 की 'नवज्योति' में, विज्ञापन भी इत्ता बड़ा निकला है, छोटा-मोटा नहीं। आपने कहा कि 8,000 रुपये में भू-खण्ड दिये जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, अब योजना में कहते हैं, और मेरे प्रश्न के उत्तर में भी बताया है कि हुड़को से लाये थे। 17,800 रुपये की योजना तो एक कर दी, और 800 रुपये इसमें फर्श बनवाने और बाथ रूम और रसोई में एक खिड़की लगाने के लिये लिये हैं। माननीय सभापति महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं तो थोड़ा सा बोलने वाली हूं, ज्यादा नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि किस तरह की योजना है किस तरह की क्रियान्विती है। मान्यवर, 8 हजार की घोषणा की। जिनको शिफ्ट किया जा रहा है उनसे कहा गया है कि अब हम 17,800 और 800 रुपये लेंगे। मंत्री महोदय बतायें कि इसमें 'हुड़को' की ओर से कोई मार्गदर्शन नहीं है। जो किताब उपलब्ध कराई गई उसमें 8000 लिखा था। अब किस हिसाब से मांग रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है किताब में जो लिखा है आप पढ़कर सुना दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : "जयपुर के समीप सीकर रोड पर लगभग 83 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में 2.31 करोड़ रुपये की लागत से आर्थिक दृष्टि से कमजोर व बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिये 2,008 मकान बनाये जायेंगे। मकान 50 वर्ग गज

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्षेत्रफल के होंगे और इनमें एक कमरा, रसोई घर, स्नानघर, शौचालय और बरामदा होगा। आगे 5 फुट खुले स्थान के अतिरिक्त भावी निर्माण के लिये एक कमरे की जगह होगी। एक मकान की लागत 8,000 रु. होगी।" यह आपकी योजना है, माननीय सभापति महोदय। इस किताब में जो लिखा हुआ है वह आपके द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें दुख की बात तो यह है कि आपने उन पर पाबंदी लगा दी है कि एक कील भी नहीं ठोकेंगे, खिड़की नहीं निकालेंगे, भैंस नहीं लेंगे। जिसका मकान होगा वह उसमें किसी भी तरह से रहेगा। अगर श्रीरामजी की और प्रद्युम्न सिंह जी की फोटो लगानी है तो दीवार में कील नहीं ठोकेंगे।...

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी फोटो लगा दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा । मान्यवर, मैंने तो सद्भावना से बात कही है आप गलत क्यों ले रहे हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम भी सद्भावना से ही कह रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर सभापति महोदय, बाढ़ से नुकसान के पैसे नहीं दिये गये हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है उनसे ज्यादा पैसे वसूलने की बात की जा रही है। 100 रुपये, 300 रुपये। जो कि उनके मकान के छप्पर वगैरह ठीक करने के काम में आ सकते थे। आपने वह ठीक नहीं किया है। इसमें वर्तमान मंत्रीजी का कसूर कम है और पुराने मंत्री जी का कसूर ज्यादा है। अभी तक सड़कों पर बाढ़ की मिट्टी पड़ी हुई है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आ जायं। मंडी खटीकान, लक्ष्मीनारायणपुरी में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। उस ठेके के तहत मिट्टी उठी नहीं है, जिसके पैसे दे दिये गये हैं, कि वह मिट्टी उठा देगा।..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो एक बातें और कहना चाहूंगी।

श्रीमती प्रद्युम्न सिंह : बहुत कहर ढा दिया है अब तो बस करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर नगर परिषद् इतनी अकर्मण्य है कि इसकी पिंक सिटी की योजना को भी ठीक नहीं रख सकती। मैंने निरन्तर तीन वर्षों से मिल कर कहा है। किसी एक बाजार में निकल जाइए, 40 रंग में 40 दुकानें पुती हुई मिल जायेंगी। रंग योजना के अन्तर्गत आप यह घोषणा कर दें कि रंग योजना के तहत कोई काम नहीं करेगा या गलत परिवर्तन करेगा उस पर जुर्माना होगा। उसको खुद को प्रेसक्राइब्ड रंग में काम करना है।

मान्यवर, जयपुर की सड़कें और गलियां गंदी भरी पड़ी हुई हैं। क्या कोई सफाई के उपकरण नहीं हैं या फिर सफाई के कर्मचारी नहीं हैं ? मैं समझती हूं, सब कुछ है लेकिन काम नहीं हो रहा है। मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

एक बात और कहूंगी, जिस किसी सड़क से निकल जाय, एक गटर ऊंचा, एक गटर नीचा, खड्डों की गिनती नहीं । कितने एक्सीडेंट होते हैं । मैं समझती हूं आप हॉस्पिटल में जाकर वहां का रिकार्ड देखें आइए । क्या आपने जयपुर नगर परिषद को जान से मारने का अधिकार दे दिया है कि वह किसी को भी मार दे जान से ? क्यों नहीं नगर परिषद के मैनहोल हैं उन पर मोहर लगाने ? उनके लिये कहते हैं कि मैन होल्स चोरी हो रहे हैं इसलिए हम उनको अच्छा नहीं रख सकते हैं । आपका विभाग करता क्या है ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जयपुर के बारे में एक-दो बातें और कहूंगी ।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्या, संक्षेप में ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर के बारे में कहना चाहूंगी । जयपुर में श्मशान है मनुष्य का अंतिम शरण स्थल । उसकी सुरक्षा के, उनके विकास की कोई योजना नहीं है ।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय, मुझे तो वहां जाना नहीं है इसलिए कह रही हूं । मैं कहना चाहूंगी कि लोग वहां पर टट्टी जाते हैं उनके विकास की कोई योजना नहीं है । वहां पर जो कात्या रखा जाता है, अंकन का काम, जो म्युनिसपैलिटी के कर्तव्य में आता है, वह नहीं । 18 श्मशानों में से 16 में नहीं है । मान्यवर सभापति महोदय, मृत्यु दर का आपको मालूम कैसे पड़ेगा कितने आदमी मरे, कब मरे । यह कोई आम आदमी का कर्तव्य नहीं है यह नगर परिषद के कर्तव्य में आता है ।

श्री **सभापति** : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिल्कुल संक्षेप में । फायर बिग्रेड की व्यवस्था के बारे में जरूर कहना चाहूंगी । आये दिन आग लगती रहती है जयपुर के 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं और इतनी बड़ी आबादी में केवल एक नगर परिषद् की फायर बिग्रेड योजना है और उसमें भी केवल 4 ही गाड़ियां ठीक हैं । आस-पास के गांवों में भी उनको आग बुझाने के लिये जाना पड़ता है । अगर आज शहर की किसी कच्ची बस्ती में या औद्योगिक बस्ती में आग लग जाती है तो यह बुझा नहीं पाती है, मान्यवर । यह कहा जाता है कि 285 हाईजैण्ट पंम्प पड़े हुए हैं । उनमें से केवल एक ही घाट-गेट वाला चलता है । अगर नाहरों के नाके में आग लग जाये तो घाट गेट पानी लेने आएं । अभी आटे की मिल में आग लग गयी तो जयपुर की फायर बिग्रेड यहां पानी लेने आई, आग पर काबू नहीं पाया गया । और अगले दिन बड़े गर्व से लिखा कि इतनी गाड़ियां आयीं और आग पर काबू पा लिया गया । जब सब कुछ जल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है तो आग अपने आप काबू में आ जाती है । मैं यह कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं बता रही हूं । मैं तो मंत्री महोदय को यह सुझाव की दृष्टि से, जयपुर के विकास की दृष्टि से बता रही हूं । आप जयपुर का करना क्या चाहते हैं । कच्ची बस्तियों की योजना नहीं, कृषि भूमि की योजना नहीं,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
बाद की योजना नहीं, शहर को आग से बचाने की योजना नहीं। मेरे बहुत सुझाव हैं वह मैं मंत्री महोदय को लिखित में प्रस्तुत कर दूंगी।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी। योजनाबद्ध तरीके से जो काम नहीं हो रहा है, इसके लिए जो इंस्पेक्टर दोषी हैं, उनको आप ठीक करें। जिस एरिया में आपके इन्सपेक्टर हैं, उस एरिया में किस प्रकार से अवैध मकान बन रहे हैं। अगर अवैध मकान बने हैं तो वह दोषी हैं। और पहले के बने हुए मकान तोड़ते हैं तो दोषी आप हैं। पूर्व के मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि आबादी क्षेत्र में मकान तोड़े नहीं जायेंगे। मान्यवर, मैंने यहां कई बार रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आबादी क्षेत्र में जनकपुरी सैकण्ड में मकान तोड़ दिये गये। इसका उत्तर देते नहीं बना आपसे।

श्री **सभापति** : समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती **उजला अरोड़ा** : समाप्त कर रही हूं। दो पाइन्ट और हैं। मैं कहना चाहती हूं . .

श्री **सभापति** : दो पाइन्ट खत्म होने में नहीं आ रहे। व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निश्चित रूप से अभी समाप्त कर रही हूं। मैं कहना चाहती हूं कि आप सारी व्यवस्था को सुधारिये। जल्दी से जल्दी भूखण्डों को नियमित करें। आपके तो इन्स्पेक्टर्स के घर भरे जा रहे हैं। विकास प्राधिकरण के साढ़े तीन सौ कर्मचारी करते क्या हैं? जब इतना पैसा आप उन पर अपव्यय करते हो? आप कहते हो कि आप हमको पैसा दो, आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा किस बात का दें? मैं समझती हूं यह, अनुचित बात है। मनोहरपुर की नगरपालिका में आपने आठ महीने से तनख्वाह नहीं बांटी। आपने सिरोही की नगरपालिका में गलत ढंग से ई. ओ. लगा दिया है। आप उसे हटाना नहीं चाहते। मनोरंजन का टैक्स आप हजम करना चाहते हो, वह नगरपालिकाओं को देना नहीं चाहते। मैं जानती हूं जयपुर में पहले सात सिनेमा थे अब 13-14 सिनेमा बन गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री **सभापति** : समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको पुर्नमूल्यांकन करके, नगर परिषद की आय को बढ़ाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिससे वह सही ढंग से काम कर सके। आप दो तरह से चुंगी वसूल कर रहे हैं आप वजन पर और नग पर चुंगी लेते हैं। इसमें सुधार करें। एक ही पर आप चुंगी वसूल करें मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करती हूं।

श्री **सभापति** : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 49, 41 और 29 पर बहस हो रही है, इन पर

(श्री रामकंवार बैरवा)

मैं कुछ अपनी बात कहना उचित समझता हूं। नगर आयोजना, प्रादेशिक विकास के बारे में मैंने विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था कि जयपुर नगर में जो 288 गांवों को विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ले लिया गया है, उनको कितना मुआवजा दिया जायेगा, उन 288 गांवों के परिवारों के जो नागरिक हैं उनको बसाने और उनके रोजगार की सरकार क्या व्यवस्था कर रही। उसका मुझे गोलमाल लिखित उत्तर दिया गया था कि हमने जो कानून बना रखा हैं उसके मुताबिक उनको मुआवजा देंगे। उनके रोजगार के बारे में सरकार ने नामें जवाब दिया हैं। सभापति महोदय, जयपुर के अधिकतर गरीबों का शोषण जयपुर नगर में क्यों हो रहा हैं? जो मालदार लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, उन्होंने 4-4 मकान बना लिये। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लीं। गरीब आदमी कहीं से कर्ज लेकर के रोजी-रोटी कमाकर एक दो कमरा सहकारी समिति से जमीन लेकर कहीं बना लेता है तो उसकी तोड़-फोड़ कर दी जाती है। उस गरीब को हताश किया जा रहा है। पिछले दिनों जमीन नियमन का जो मामला चला था, उस समय अनेक गरीब लोग समय पर अपना कन्वर्शन चार्ज नहीं जमा करा सके, आज वे कन्वर्शन चार्ज जमा करा रहे हैं तो उन पर पेनल्टी कायम कर रखी है। वह पैनल्टी किसी भी प्रकार वह गरीब सह नहीं सकते हैं। मैं तो सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने गृह-निर्माण सहकारी समितियों को मान्यता दे रखी है तो गृह-निर्माण सहकारी समितियों के किसी भी पट्टेधारी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सारे जितने भी कसूर हं, वह गृह-निर्माण सहकारी समितियों पर कायम किये जायं। यह उनके कसूर हैं, न कि नागरिकों के। सरकार अच्छी रियायती दरों पर गरीबों को प्लाट आवंटन नहीं कर रही हैं। इसी कारण से जो अल्प वेतनभोगी हैं, जो मजदूर टाइप लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वह गृह-निर्माण सहकारी समितियों से किस्तों पर जमीन लेकर कोई एक कमरा बनाकर, कोई दो कमरे बनाकर जंगल में पड़े है। मैंने कई कॉलोनियों में देखा है, जो कुछ उनके पास पैसा था, वह खर्चा करके एक-दो कमरे खड़े कर लिये, उसके बाद आगे बरामदा भी वह आज की तारीख में नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे मकानों की तेजी से तोड़फोड़ की जा रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कन्वर्शन चार्ज रियायती दर पर जिस प्रकार पहले लिया था, उसी प्रकार से लेकर सरकार को उन लोगों को दुबारा अवसर देना चाहिए। जो कन्वर्शन चार्ज है, उसको दो-तीन किस्तों में बांट देना चाहिए ताकि वे आसानी से अपनी तनख्वाह से दैनिक मजदूरी करके दो-तीन किस्तों में जमा करा सकें, यह काम जल्दी से जल्दी तेजी से शुरू होना चाहिए। कन्वर्शन का पैसा जमा करके सरकार बिलकुल सो जाती है। उसके सोने के पश्चात् नागरिकों के मकानों की तोड़ फोड़, उन पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का कार्य बराबर चालू रहता है। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है, सरकार किसी भी प्रकार कोई समस्या हो, उसका गुप्तचर विभाग से पता चला लेती है, लेकिन इस प्रकार के लोगों की, छोटे लोगों की जो समस्या हैं उसकी अनदेखी कर सरकार उन छोटे लोगों के वोटों से चुनकर उन्हीं लोगों का शोषण करती है। आज भी उन लोगों पर अत्याचार

(142)

(श्री रामकंवार बैरवा)

वाल है, उन समस्याओं को खतम करने के लिए कोई सरल तरीका, सरल योजना बनाकर गरीबों के सामने सरकार प्रस्तुत नहीं करती है। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि सरकार जयपुर शहर की गन्दी बस्तियों में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस पर चर्चा के लिए निवेदन किया था। जयपुर में 10 साल पहले जितनी सफाई थी, उतनी आज सफाई नहीं है। आज मुख्य सड़कों के अलावा गलियों और गटरों में बिलकुल कहीं कोई सफाई नहीं है और नगर परिषद् के बड़े कर्मचारी, सुपरवाइजर या तो नीचे काम करने वालों पर निगरानी नहीं रखते हैं या उनको कोई सुख सुविधा या तनख्वाह नहीं बढ़ा रही है। इसलिए सफाई मजूदर भी मन से काम नहीं कर रहे हैं कई लोगों से हमारी बात हुई तो वह यह कहते हैं कि सरकार हम लोगों को न कोई छुट्टियों की सुविधा देती है, न कोई वेतन बढ़ाती है। हम लोग इससे परेशान हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है ? तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर की खूबसूरती को आप बराबर बनाये रखें जो भी कर्मचारियों की जायज तकलीफ हो उसका निराकरण करने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, यह आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे यहां पर्यटक लोग हवाई जहाज से आते हैं, वे सीधे अजमेरी गेट तक आकर यहां से अन्य होटलों में प्रवेश करते हैं इसलिए अजमेरी गेट से हवाई अड्डे तक खूबसूरत अच्छा बाजार, मार्केट बनना चाहिये। जिस किसी भी व्यक्ति की जमीन हो, सरकार द्वारा उनको एक नक्शा देना चाहिए कि इस नक्शे के अनुसार आप लोग सड़क के किनारे अपनी दुकान, शो रूम वगैरह बनवावें। एकसा उसका नक्शा होना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली में बाहर के देशों से जितने पर्यटक आते हैं उनको कनाट प्लेस, इण्डिया गेट वगैरह की तरफ घुमाकर वापस अपने ठहरने के स्थान पर छोड़ देते हैं, इसी प्रकार जो कोई भी बाहर का पर्यटक आयेगा, वह हवाई अड्डे से लेकर अजमेरी गेट तक दोनों तरफ देखता रहेगा कि यहां के शहर की खूबसूरती किस प्रकार की है किस प्रकार की यहां की आबादी है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ, मैं पंचायत राज के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। पिछले वर्ष सरकार ने शायद यह घोषणा की कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ा जायेगा।

सभापति महोदय, इस बजट में कहीं भी किसी ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ने का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रादेशिक विकास होने के बजाय हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है और हम पीछे हटते जा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर को सड़क से जोड़ा जाय। जब तक सड़क से ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर को नहीं जोड़ेंगे, वहां के नागरिकों को सड़क का साधन उपलब्ध नहीं होगा तब तक वह अन्य कस्बों और शहरों में जाकर अपना अनाज और अन्य वस्तुयें—दूध, सब्जी वगैरह नहीं पहुंचा पायेंगे और इन चीजों को ज्यादा पैदा करने में उनकी रुचि नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है विधान सभा से हमारे पास जो कार्य-सूची और प्रगति–विवरण वगैरह आत

(श्री रामकंवार बैरवा)

हैं उनमें जयपुर विकास प्राधिकरण की मेरे पास 3-4 पेज की एक किताब आ गयी थी। मैं उसको साथ नहीं लाया। उसमें बताया है जयपुर की सन् 2000 तक 30 लाख की ग्रावादी हो जायेगी। विकास प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया है कि जयपुर के ग्रास-पास 10-11 उप-नगर बसाये जायेंगे। उसमें टौंक व गंगापुर का भी जिक्र किया गया है। मेरा निवेदन है कि जयपुर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर जितने बड़े कस्बे हैं अगर उनकी ग्रोर भी ध्यान दिया जायेगा तो जयपुर की खूबसूरती बढ़ेगी। वहां के नागरिकों, जो शहरों की ग्रोर बढ़ रहे हैं, को गांव में ही सुख-सुविधा दी जाय तो वे शहर की तरफ नहीं भागेंगे ग्रौर वहीं पर अपनी उदर पूर्ति कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत समितियों में जो पंचायत समिति द्वारा चलने वाले प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें अध्यापक बहुत कम हैं। उन स्कूल्स की बिल्डिंग भी बहुत ही जीर्ण-शीर्ण दशा में है, कहीं-कहीं तो बिल्डिंग है ही नहीं। मेरा निवेदन है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ाने के लिये सरकार ने 40 बच्चों पर एक अध्यापक का कानून बना रखा है। इसके कारण छोटे-छोटे बच्चों को एक अध्यापक द्वारा संभालने ग्रौर कन्ट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आती है इसलिये, मेरा निवेदन है, प्राथमिक शालाग्रों में अध्यापकों की कमी को अवश्य पूरा किया जाय। प्राथमिक शालाग्रों में अध्यापकों की कमी सदैव बनी रहती है इस कारण वहां के छात्र शुरू से आखिर तक कमजोर रहते हैं। अध्यापकों की कमी को पूरा करवाने की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जाय। प्राथमिक शालाग्रों के जो भवन हैं उन सबकी हालत जीर्ण-शीर्ण है। गांव वाले भवन बना देते हैं, एक दो कमरे बना देते हैं लेकिन कहीं पर छत नहीं है तो कहीं पर चार दीवारी नहीं है। भवनों की हालत खराब है। सरकार इस तरफ ध्यान दे ग्रौर इसके लिये बजट में कुछ प्रावधान रखे।

इसके साथ ही साथ मैं नगरपालिकाग्रों के विषय में भी कहना चाहूंगा। नगरपालिकाग्रों की आबादी दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन नगरपालिका बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये वहां के लोगों को रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जैसे 20 वर्ष पहले एक ही परिवार था। उसमें 3-4 लड़के हुये ग्रौर फिर उनके लड़के हुये ग्रौर एक परिवार के कई परिवार हो गये। तो सरकार को आवास की सुविधा देने के लिये नगरपालिकाग्रों की जो तकलीफ है, उसको मिटाना चाहिये ग्रौर जो लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनको सस्ती दर पर प्लाट दिये जाने चाहिये।

मेरा निवेदन है, नगरपालिकाग्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहां के नागरिकों, विशेषकर महिलाग्रों को बहुत, ज्यादा तकलीफ है। इसलिये मेरा निवेदन है, जहां नगरपालिकायें हैं वहां पर वे शौचालय की व्यवस्था करवायें। जल्दी से जल्दी इस ग्रोर कदम उठाया जाना चाहिये। अभी मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पदयात्रा

(श्री रामकंवार बैरवा)

पर गया था । हरेक ग्राम पंचायत हैड-क्वार्टर पर गया था, तो वहां के लोगों ने विशेष कर सड़क, बिजली, दवाखाना, पोस्ट आफिस आदि पंचायत हैडक्वार्टर पर होना बहुत ही जरूरी बताया ।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि चाकसू तहसील में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घर, पशु, सामान आदि बाढ़ में बह गये थे, उनके लिये सरकार ने सहायता राशि कायम की है, लेकिन वह देने में बड़ी दोषपूर्ण नीति है । इसमें बड़े अधिकारियों की जो मोनोपोली है वह मैं यहां बताना चाहूंगा । चाकसू तहसील में सन् 1981 में बाढ़ आई थी तब आई. ए. एस. अधिकारियों का डेढ़-दो महीने कैम्प लगा था और 20-20 जीपों का काफिला करीबन 4 महीने तक वहां रहा । आज हालत यह है, सभापति महोदय, अगर आप चलकर देखें तो पायेंगे कि जिनका काफी नुकसान हुआ था उनकी कुछ सहायता नहीं की गई है और जिनका कम नुकसान हुआ था उनको बहुत ज्यादा सहायता दी गई है । कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी सहायता नहीं दी गई है । जैसे गांव निमोड़ा और बापू में एक किसान की एक बिस्वा जमीन नहीं है, लेकिन उनको एक नये पैसे की भी सहायता नहीं दी गई है । इसलिये मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि दुबारा सर्वे किया जाय और जो असली बाढ़ पीड़ित हैं, जिनके घर, पशु, जमीन आदि सब चीजों का नुकसान हो चुका है, उनको सरकारी सहायता मिले । इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है, जहां कहीं बाढ़ पीड़ित आबाद हैं वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है । इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसी नयी कालोनीज बसी हैं उनमें पीने को पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो सरकार उसकी जांच करवा कर शीघ्र से शीघ्र वहां पर हैण्ड पम्प या पीने के पानी का कुआ बनवाये ।

सभापति महोदय, टौंक और गंगापुर का नाम विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया है । इन नगरों को आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं । मेरा निवेदन है इन नगरों को बनाते समय अच्छा प्लानिंग करके जयपुर से जाते समय गंगापुर और टौंक के बीच में जितने भी नगरपालिका क्षेत्र हैं, या बड़े-बड़े कस्बे हैं, उनका भी ध्यान रखें । बनास की जो पुलिया बनी हुई है, उसकी जो मियाद थी वह खत्म हो गई है । इसका मैं पहले से भी जिक्र करता आ रहा हूं कि जो पुलिया बनी हुई है उसकी मियाद खत्म हो चुकी है अतः उसका सर्वे करवाया जाकर जल्दी से जल्दी दूसरी पुलिया बनवाई जाय । वह पुलिया टूट गई, तो नागरिकों के सामने समस्या खड़ी हो जायेगी ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, टौंक और गंगापुर के बारे में क्या कह रहे हैं वह पुनः बता दें ताकि मैं उसको लिख लूं ।

श्री **रामकंवार बैरवा** : विकास प्राधिकरण द्वारा 288 गांवों को लिया गया है । इस प्रगति विवरण में यह जिक्र किया गया है कि हम टौंक और गंगापुर को भी बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : क्या प्राधिकरण

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
वाले इसको ले रहे हैं ? क्या मतलब है आपका ?

श्री **रामकंवार बैरवा** : सभापति महोदय, जैसे जयपुर में प्राधिकरण बना है वैसे ही गंगापुर और टौंक में भी प्राधिकरण बना कर वहां कुछ करना चाहते हैं। 20 उप-नगर बसाने की बात है। कितने उप-नगर बसाने की बात है, यह आप बताइये ?

श्री **सभापति** : आप यह पहले कह चुके हैं।

श्री **रामकंवार बैरवा** : इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। 288 गांव जो आपने जयपुर विकास प्राधिकरण में ले लिये, उनमें मेरे क्षेत्र के अनेक लोग हैं, वह बार-बार प्रश्न करते हैं कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप उनके रोजगार की क्या व्यवस्था करेंगे, उनको बसाने की क्या व्यवस्था करेंगे और मुआवजा कितने रुपया प्रति एकड़ देंगे ? इसका भी खुलासा करके बतावें।

श्री **सभापति** : श्री मानसिंह देवड़ा।

श्री **मानसिंह** देवड़ा (सरदारपुरा) : माननीय सभापति महोदय, आज की मांगों पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसीके अन्तर्गत कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यू. आई. टी. के चेयरमेन हैं वहां के बारे में कुछ न कहें और जो कहना चाहें, कह सकते हैं।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) : जोधपुर की यू. आई. टी. के बारे में आप नहीं कह सकते, वह बात मैं कह दूंगा। आप नगर परिषद् के बारे में कह देना।

(व्यवधान)

श्री **मानसिंह** देवड़ा : सभापति महोदय, नगर परिषद्, जोधपुर, एवं अन्य नगर परिषदों के चुनाव राजस्थान में कराये, सर्व प्रथम उसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही नगर परिषद् की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। आप चाहें एन्टरटेनमेंट टैक्स में बढ़ोतरी करें, चाहे ऑक्ट्राय टेक्स रिवाइज करें, चाहे अनुदान देवें, किसी भी सोर्स से उसकी वित्तीय स्थिति सुधारें। मैं नगर सुधार न्यास के बारे में तो नहीं कहूंगा लेकिन एक-दो कठिनाइयां जो मुझे आ रही हैं जैसे..

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : कठिनाइयां मन्त्री महोदय को चैम्बर में बता देना।

श्री **मानसिंह** देवड़ा : अच्छी बात है। धन्यवाद।

श्री **सभापति** : श्री अमराराम।

श्री **अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : सभापति महोदय, मैं अपने विचार पहले पंचायती राज के बारे में रखूंगा उसके बाद स्वायत्त शासी संस्थाओं के बारे में निवेदन करूंगा। ग्रामों का यदि सही रूप से विकास

(श्री अमराराम चौधरी)

करना है, तो इसका तो एक ही माध्यम है वह है पंचायती राज। यह एक शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा गांवों का विकास किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं। मन्त्रीजी शायद यहां विराजमान नहीं हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव दूंगा। गांवों को अनुदान की राशि दी जा रही है। हर गांव की हर पंचायत के माध्यम से पर हैड जो ढाई रुपये की राशि दी जा रही है, वह बहुत ही कम है। आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। हर वस्तु की कीमत बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में कोई भी पंचायत गांवों के विकास के लिये कोई कार्य करना चाहे, तो वह नहीं कर पाती है। उसके पास अनुदान की राशि बहुत ही कम है। वह कोई परमानेन्ट कन्स्ट्रक्शन वर्क करना चाहे तो नहीं कर सकती। मेरा माननीय मन्त्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो राशि है उसको बढ़ाकर कम से कम चार रुपये कर दी जाय, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो सकती है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, पंचायत समितियों में जो अध्यापक लगे हुए हैं उनको स्थाई बहुत लम्बी अवधि के बाद में किया जाता है। आज सैकड़ों ऐसे अध्यापक होंगे जो अभी तक अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं। यहां से उनको बार-बार एक्सटेंशन दिया जाता है, वे स्थाई नहीं हैं। ऐसे सैकड़ों अध्यापक हैं जो सात साल से अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं। इन्सपैक्टर्स ऑफ स्कूल्स में जो अध्यापक जाते हैं, उन अध्यापकों का जब चयन हो जाता है उसी दिन से उनके इन्क्रीमेंट लग जाते हैं लेकिन पंचायत समितियों के जो अध्यापक हैं उनके सात-आठ-साल तक कोई इन्क्रीमेन्ट नहीं लगता है। आपका लोक सेवा आयोग बना हुआ है। दस साल या सात साल जिस अध्यापक की सर्विस है, अगर उसका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है तो वह अध्यापक न घर का रहता है न घाट का। ऐसी सूरत में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जो भी अध्यापक हैं उनकी स्थिति को सुधारा जाय। बहुत कम तनख्वाह पाने वाले अध्यापक हैं। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक जो अकेला स्कूल में रहता है, चाहे अध्यापक कह दो, चाहे पिअोन कह दो, झाड़ू इसको निकालनी पड़ती है, ऐसे अध्यापकों की स्थिति को सुधारा जाय ताकि हमारा जो प्रारम्भिक बेस है, जहां से बच्चा पढ़ाई शुरू करता है वहां वे अच्छी तरह से लड़कों को पढ़ा सकें। यह मेरा एक सुझाव है। मैं यह चाहूंगा, माननीय मन्त्रीजी, ऐसे अध्यापकों को स्थाई करने के लिये पूरी कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, आपने बाड़मेर जिले में ग्रामसेवकों को यहां से भेज रहे हैं। मेरे खयाल से सरप्लस हो गये होंगे लेकिन बाड़मेर जिले, बांसवाड़ा जिले के लिये आज जिस ग्रामसेवक का ट्रांसफर होता है वह वहां जाना नहीं चाहता है। हमारी योजनायें पंचायतों के अन्दर बंद पड़ी हैं। पंचायतों का जो काम होता है वह कार्य सचिव, ग्रामसेवक नहीं करता है कि यहां के ग्रामसेवक जाते हैं और छुट्टी लेकर घर बैठ जाते हैं। आपने कुछ दिन पहले ही जिला परिषद् और पंचायत समितियों के लिये कहा था कि ग्रामसेवकों का चयन किया जा रहा है। बायतू पंचायत समिति के कुछ सड़कों

(श्री अमराराम चौधरी)

जो अकाल पीड़ित थे बहुत मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की थी; का चयन किया गया, उनको काम पर लिया गया। आपके ग्राम सेवक जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन ग्राम सेवकों को आप हटा रहे हैं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे जो बेरोजगार थे, जो समाज के लिए भार-स्वरूप थे, ऐसे लड़कों का यदि चयन हो गया है तो उनको सेवा में रहने दें उनको निकालें नहीं।

अब मैं स्वायत्त शासी संस्थाओं के बारे में माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा, नगरपालिका को आप जगह-जगह अनुदान दे रहे हैं। आपने पिछले साल दस छोटे-छोटे कस्बों का चयन किया था और उनको केन्द्र सरकार से सहायता दिलाई थी। इस साल भी आपके इस प्रगति प्रतिवेदन में बताया है कि 11 छोटे-छोटे कस्बों को आपने लिया है। आपने 11 कस्बे कौनसे लिये हैं इसकी लिस्ट तो नहीं है, उनके नाम तो नहीं हैं, लेकिन मेरा क्षेत्र बालोतरा जो छोटा शहर है उसके विकास के लिए आपने अवश्य ही नाम शायद केन्द्र सरकार को भेजा होगा। यदि नहीं भेजा है तो आप उन 11 कस्बों के अन्दर उसको सम्मिलित कर कर जो राशि केन्द्र सरकार 50%हमें दे रही है उसमें से कुछ राशि दिलाने में मदद करें। यह जो स्कीम 1 करोड़ 14 लाख की बनी है उसमें 50% राशि केन्द्र सरकार देगी और 50% खर्चा नगरपालिका देगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन कर रहा हूं। बालोतरा एक औद्योगिक नगर है। बालोतरा नगर की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। जैसा कि केन्द्र के उप-मन्त्री, श्री दिग्विजयसिंहजी ने शनिवार को पर्यावरण के बारे में, मीटिंग बुलाई थी, किस प्रकार से आज लोगों में प्रदूषण के कारण असन्तोष फैल रहा है। आज प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है जब तक बालोतरा नगर का मास्टर प्लान नहीं बनायेंगे तब तक प्रदूषण की प्राब्लम रहेगी। जहां तक डेनेज बनाने का सवाल है, बालोतरा इस तरह से बसा हुआ है कि उसके एक तरफ तो रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ नदी है दोनों तरफ नदी का पानी आता है। इस स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए, आप यदि ड्रेनेज बनाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो वहां का वातावरण दूषित रहेगा और लोग उसके शिकार होते रहेंगे। सभापति महोदय, जलाशयों के बारे में मैंने बार-बार तारांकित प्रश्न पूछे हैं असेम्बली में, जयपुर जैसे शहर में जहां बड़े-बड़े नाले हैं, जलाशय एक महीने में भर जाते हैं। जोधपुर में जो नेहरू उद्यान है उसके जलाशय में गन्दा पानी भरा हुआ है। इससे आसपास के इलाके में मच्छर फैल रहे हैं उसके लिए आप युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें। सारे प्लान बन चुके हैं उसके बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। आप शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। आज नगरपालिका बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, ड्रेनेज बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका कारण यह है कि दिनों दिन इनक्रोचमेंट होता जा रहा है। इसके लिये सरकार जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठायेगी तब तक यह बढ़ता जायेगा। सैक्शन 165 बिल्डिंग लाइन का है इस पर जब तक कोई ध्यान

(श्री अमराराम चौधरी)

नहीं होगा, बिल्डिंग लाइन को आप जब तक प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक लाइन आगे बढ़ती जायेगी, लोग हमेशा नगर पालिका से मांग करते जायेंगे। दूसरा, आज पट्टों के बारे में तो प्रावधान ही नहीं है। मान लीजिये, कोई इजाजत मांगता है तो आप कहते हैं कि पड़ोसी के पट्टे ले आओ। वैसे आप मालूम नहीं कर सकते कि उसके पास कितनी जमीन है, कोई आपका कानून इस बारे में नहीं है। जब तक आप कानून में संशोधन नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के एनक्रोचमेंट होते रहेंगे। जब तक एन्क्रोचमेंट रोका नहीं जायेगा, उससे जो शहर बढ़ते जा रहे हैं उनका रूप बिगड़ता जायेगा, जहां तक प्रोसिजर का सवाल हैं उसके अनुसार एनक्रोचमेंट हटाने में 10 दिन लगते हैं। पहले आप नोटिस दो, फिर रिप्लाई दो फिर जब पुलिस की सहायता लोगे तो पुलिस आपका साथ नहीं देगी और तब तक वह पक्के मकान बना लेंगे और आप उनको बिना किसी इजाजत के हटा नहीं सकते। इसलिए ऐसी प्रक्रिया अडाप्ट करें जिससे बढ़ते हुए एनक्रोचमेंट हैं उनको हटाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं, पंचायत राज मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री जी, जो यहां विराजमान नहीं हैं, मैंने जो सुझाव दिये हैं इन सुझावों पर अवश्य ही कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे।

धन्यवाद

श्री **सभापति** : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, स्थानीय निकाय, पंचायत समितियों, नगर आयोजना की डिमाण्ड्स पर विचार हो रहा है, राशि आवंटित करने की दृष्टि से जहां तक स्थानीय निकायों का सवाल है, उनके लिए पेरेंट् डिपार्टमेन्ट डी. एल. बी. के नाम से बना हुआ है। इस विभाग के बनाने के पीछे उद्देश्य नगरपालिकाओं का भविष्य सुधारना, विकास करना, उन पर नियंत्रण रखना, दिशा निर्देश देना यह सारी बात बताई जाती हैं, लेकिन आज जितनी भी नगरपालिकायें या स्थानीय निकाय हैं। उन पर नियंत्रण किस तरह का है, हालात इस तरह के हैं कि कोई भी परिषद्, कोई भी नगरपालिका अपनी पत्रावलियां पेरेन्ट विभाग को भेजती है तो वहां पर डिसक्रिमिनेशन बढ़ता जाता है, उसका यदि आप उदाहरण चाहे तो मैं दे सकता हूं मान लो कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ानी है और नगर परिषद ने तीन व्यक्तियों के नाम सेवा अवधि बढ़ाने के लिए लिखे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति की सेवा अवधि बढ़ा दी जाती है; दो की नहीं बढ़ाई जाती है। निदेशक को कहने के बाद भी आदेशों की पालना नहीं हो रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो पेरेन्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है विकास की दृष्टि से, नियंत्रण की दृष्टि से, दिशा निर्देश की दृष्टि से बिलकुल ना-काबिल साबित हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा क्योंकि मैं 1973-74 में नगरपरिषद का चेयरमेन रहा हूं मेरा तो पाला पड़ा है। मुझे मालूम है पेरेन्ट विभाग में अपना काम निकलवाने के लिए कितनी जलालत की नीति का सामना करना पड़ता है। जब तक आप इन दोनों में को-आर्डिनेशन नहीं बिठायेंगे तब तक स्थानीय निकाय मजबूत नहीं होगा। हम उनको मजबूत करने

(श्री सुंदरलाल पटवा)

की बात कहते हैं, लेकिन वह पूरी नहीं होती हैं। मैं समझता हूं नगर आयोजना विभाग में एक बार जो प्लान है। 6 महीने के बाद वह प्लान नगर आयोजक बदल देता है। पहले खुला प्लाट रखा जाता है, 6 महीने के बाद काटने की इजाजत दे देता है। मेरी समझ में नहीं आता, मास्टर प्लान की बात की जाती है लेकिन जो टाउन प्लानर का दफ्तर है वह मास्टर प्लान नहीं बन रहा है यदि वह लोग मास्टर प्लान बना लेंगे तो उनकी आमदनी खत्म हो जायेगी, आमदनी का जरिया बन्द हो जायेगा और इनके बाल-बच्चों की हालत खराब हो जायेगी। इस तरह की बात मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। प्रिजुडिस होकर नहीं कह रहा हूं, मैं यथार्थ में जो देखता हूं वही अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है कहने में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन यह स्थिति आज वहां की है आपको कई तरह के उदाहरण मिल जावेंगे। आज जो नगरपालिकाओं में स्क्रिप्ट आफ लैंड होती है। उसके लिए बरामदे के लिए जमीन मांगते हैं, प्रोजेक्शन के लिये जमीन मांगते हैं, इनक्लोजर के लिए जमीन मांगते हैं। इसके लिये प्रत्येक की फाइल डिप्टी टाउन प्लानर के यहां जायेगी तो वह वहीं पड़ी रहेगी। मैं कहता हूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी आप, मास्टर प्लान की बात छोड़ दीजिए। आप जब समय मिले तब इसे बनवा लीजिये लेकिन वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्रों में, नगर परिषद क्षेत्रों में जहां जहां पुरानी बस्तियों में स्क्रिप्ट आफ लैण्ड है एक तरफ बरामदा बन चुका है, दूसरे छोर पर बरामदा है वहां पर आप बिल्डिंग सर्वे लाइन डाल दीजिए और उस पर टैक्नीकल हैण्ड के दस्तखत करा लीजिए, कमिश्नर के करा लीजिए या एग्जिक्यूटिव आफिसर के दस्तखत करा लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर या एक्स. ई.एन. के दस्तखत करा लीजिये, डिप्टी टाउन प्लानर के दस्तखद करा लीजिये, और उसमें सीमा निर्धारित कर दीजिये कि इस मकान के आगे 6 या 8 फीट जमीन दे सकते हैं। यदि इतना भी कर देंगे तो बहुत बड़ा बोझा कम हो जायेगा तो लोगों को राहत मिलेगी। म्यूनिसिपल एक्ट में आपने एक मकान का प्लान पास कराने की एक महीने की अवधि निर्धारित कर रखी है। हम 10 दिन में प्लान पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम लोग जब नगरपालिका में थे तब हमने 10 दिन में नक्शे पारित करा दिये थे। वहां पर नक्शे बनाने वाले एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई नक्शा बना कर देता है उसमें बरामदा दिखा देंगे फिर वह नक्शे पड़े रहेंगे। मैं समझता हूं भीलवाड़ा में 150 नक्शे विचाराधीन पड़े हुए हैं व मकान बिना किसी इजाजत के टाउन में शामिल हो चुके हैं। जो नक्शे बिना कारण के विचाराधीन पड़े हुए हैं। कारण क्या है कि वे नक्शे-पारित नहीं हुए? कब तक वेट करें? डेढ़ साल, दो साल तक आप नक्शे पारित नहीं करते हैं। येस और नो करना नहीं चाहते। कितना ओपन एरिया होना चाहिये, कितना नहीं होना चाहिए। आप नक्शे में काट दीजिए वोट दीजिये। लेकिन डिस्पोजल तो करिये। म्यूनिसिपिल एक्ट में नियम हैं तरीके हैं उस आधार पर आप पैनल्टीज इम्पोज करके यस और नो में डिसीजन ले सकते हैं। आखिर यह डाइरेक्टर क्या करते हैं? डाइरेक्टर, लोकल बाडी, म्युनिसिपैलिटी के निरीक्षण के लिये जाते हैं। डाइरेक्टर, और और डिप्टी डाइरेक्टर जब निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? वह सर्किट हाउस में बैठकर कमिश्नर को

(श्री बंशीलाल पटवा)

बुला लेते हैं और वहीं पर गपशप करते हैं। वहां से फिर वह लोग चले आते हैं। कोई निरीक्षण तो होता ही नहीं है। आज म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर चुंगी कर आता है। वहां पर चुंगी कर की चोरियां होती हैं। आज उन चुंगी कर की चोरियों के लिये टैन टाइम्स जुर्माना करने का प्रावधान है पर वह जुर्माना किसी पर होता ही नहीं है और एज यूजुअल चुंगी ले ली जाती है। जब चोरियां पकड़ी जाती हैं। उन केसेज में जुर्माना नहीं लिया जाता है। जब ऑडिट पार्टी आती है उस समय यह बातें ऑडिट पार्टी से छुपायी जाती हैं। चुनी हुई नगरपालिकायें आयें, चुनी हुई नगरपरिषदें आयें तो चुंगी की आय बढ़ जायें। आप का सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होता है तो चुंगी की आय घट जाती है। आखिर इसके पीछे कोई न कोई कारण तो होता ही होगा। इस तरह के कारणों का पता लगाना चाहिये। हम जब तक स्थानीय निकायों को मजबूत नहीं बनायेंगे और सोचें पेरेन्ट डिपार्टमेंट मजबूत हो जायें तो मजबूत नहीं होगा। पेरेन्ट डिपार्टमेंट यदि मजबूत रहेगा तो स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। थोड़ा पुरुषार्थ, परिश्रम और जो ड्यूटीज हैं उनको कॉम्पीटेटिव व्यवस्था में यदि हमने किया तो निश्चित रूप से स्थानीय निकायों का सुधार होगा। चाहे आप कौंसिल बना लीजिये, चाहे कौंसिल बनाकर उनका स्तर ऊपर उठा लीजिए, लेकिन कौंसिल जैसे गट्स पैदा नहीं करेंगे, उस तरह के सुधार नहीं करेंगे, उस तरह की यथार्थता नहीं लायेंगे तो ये कौंसिल कौंसिल नहीं रहेगी। आप म्यूनिसिपैलिटीज को तोड़ते हैं, कभी बनाते हैं। आखिर यह क्या है? सरकार की कोई नीति तो होनी चाहिए, आपको म्यूनिसिपैलिटी बनानी है तो बना दीजिए। किसी ने कह दिया कि म्यूनिसिपैलिटी तोड़नी है तो फिर तोड़ देते हैं। कहीं सीमा बढ़ानी है तो सीमा बढ़ा देते हैं, वह गजट में साया हो जाता है। पहले क्या सोच कर बढ़ाई थी। जैसे आपने पहले प्रतापगढ़ म्यूनिसिपैलिटी की सीमा बढ़ायी थी, उसको गजट में साया कर दिया था पर बाद में आपने यह गजट नोटिफिकेशन कर दिया कि हमने इसकी सीमा को घटा दिया है। आप क्या करने जा रहे हैं? नगरपालिका कोई भी हो। चाहे अपोजिशन वालों की हो, चाहे किसी पार्टी की हो जो भी म्यूनिसिपैलिटी है वह चुन कर आती है आप उसको काम करने का मौका दीजिए। जो चुन कर आती है उसको काम करना चाहिये। आप उसको काम करने के लिये एक्जीक्यूटिव आफिसर दीजिए। जिन कौंसिल्स के चुनाव नहीं हुए हैं, सन् 73 से आज तक चुनाव नहीं हुए हैं, उन कौंसिलों के आप चुनाव करायें। कितनी लम्बी अवधि हो गई है। कहा यह जायेगा कि जनता पार्टी के राज में कौंसिल के चुनाव नहीं कराये गये। ठीक है भाई, हमसे गलती हो गयी। हम कौन से कहते हैं कि हम ही सत्य बोलते हैं। आपने जैसे पंचायतों के चुनाव कराये, हम भी उस यथार्थता को स्वीकार करते हैं। हमसे गलती हो गयी पर जिन म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव नहीं हुए हैं उनके तो चुनाव करा दो। जब कोई चुनाव जीत कर आता है उसमें गोरा और काला क्यों मानते है। कोई चुनाव जीत कर आया है उसको काम करने का मौका दें। जैसे सिरोही में नगरपालिका का चुनाव हुआ, वहां पर जो आपने एग्जीक्यूटिव आफिसर

(श्री बंशीलाल पटवा)

भेजा है उसका आचरण ठीक नहीं है। वहां पर एक महिला चैयरमैन है जब वह डाइरेक्टर साहब से उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत करती है तो आपका डॉइरेक्टर उस महिला चैयरमैन को यह कहता है कि आप मेरे से सहयोग मांगने आई हैं या लड़ने आई हैं। मन्त्री महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपने कैसे हैड आफ दी डिपार्टमेंट बैठा रखे हैं। अगर कोई हैड आफ दी डिपार्टमेंट को जाकर नहीं कहेगा तो किसको कहेगा। आप तो पूरे राजस्थान के हैड हो, आपको पालिटीकल दृष्टि से काम नहीं करना चाहिए। अगर वहां की चैयरमैन कोई गलती करे तो आप उसको सजा दो। जो म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट है उसमें नियम दिये हैं उसके तहत आप चैयरमैन के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से किसी औरत को जलील क्यों करते हैं। किसी औरत को जलील करने के लिये आपने ऐसा एग्जीक्यूटिव आफिसर क्यों लगा रखा है? उसके आचरण के बारे में सभी को पता है। मैं यह नहीं कहता कि आप उसको हटा दीजिए। मैं आपसे दया की भीख नहीं मांगने जा रहा हूं, अगर वह इस तरह की हरकत करेगा तो हमें उससे दूसरी तरह भी निपटना आता है। मेरा तो यह निवेदन है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनकी स्थिति में आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको चुंगी की आय को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। जो लीकेज हो रहे हैं उनको बन्द करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आपको कौम्पीटेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप राजनीति की दृष्टि से नहीं देखें, राजनैतिक चश्मे के आधार पर नहीं देखें जिन नगरपालिकाओं के आज तक चुनाव नहीं हुए हैं उनके चुनाव करायें। साथ ही, जिन नगर परिषदों के चुनाव नहीं हुए हैं उनके भी चुनाव करायें। आखिर क्या कारण है कि आपने सन् 73 से चुनाव नहीं कराये हैं? चुनाव होने के बाद चाहे किसी भी पार्टी की नगर पालिका आये इसकी कोई चिन्ता न करें। कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने कहा, मैं यह यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुनाव करा नहीं सकते हैं। आप समय पर चुनाव नहीं करा पायेंगे। मेरा यह निवेदन हैं, आप इस काम को चुनाव कमीशन को क्यों नहीं सौंप देते हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन समय समाप्त होते ही विधान सभा और पालियामेंट के चुनाव कराता है उसी तरह से इन म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव करादें। अगर आप यह करेंगे तो ही स्थानीय निकाय मजबूत होंगे। आप चुनाव क्यों नहीं कराते हैं। आप ओपन कार्ड रखिए जिसको भी जो पत्ता जहां डालना है वहां डाल दे। जिसको जो भी बात कहनी होगी वह कह देगा अपनी बात। और जो भी होगा वह सामने आ जायेगा। इससे यह होगा कि जो लोकल अथोरीटीज आयेंगी वह कुछ काम काम करेगी, वहां पर लोग जाकर अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। उनकी दिक्कतें कम होंगी। लोगों के काम ज्यादा होंगे। आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठा रखे हैं, एक-एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास दो-दो, तीन-तीन जगहों के चार्ज हैं, चार-चार पोस्ट होल्ड कर

(श्री बंशीलाल पटवा)

रखी हैं। मैं आपको भीलवाड़ा के नगर-परिषद के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। भीलवाड़ा में कनस्ट्रक्शन के काम चलाने के लिये टैण्डर काल किये गये। टैण्डर काल करने के दो माह पहले ही वहां पर काम शुरू हो गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की करप्ट प्रैक्टिस आज चल रही है। बाद में यह कहा गया उन टैण्डर्स को कैन्सिल कर दिया गया है। कहते हैं, साहब कि भूल हो गयी। मेरा निवेदन यह है कि आपने जो टैण्डर काल किये उनको कैन्सिल कर दिया। इस तरह के वहां पर जो भ्रष्टाचर के अड्डे बने हुए हैं आप उनको रोकिये। मैं आप को यह बात आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि जो लीकेज आज हो रहे हैं उनको रोकिये। आय के जो स्रोत हैं उनको बढ़ाइये। पहले म्यूनिसिपैलिटीज के जो एन्टरटेमेंट टैक्स, मनोरंजन कर की आय होती थी उसको आपने अपने अधिकार में लेकर किसी दूसरे विभाग को दे दी। उसके बदले में आपने जो हिस्सा तय किया था सन् 57 से वही चला आ रहा है वह बहुत ही कम है। ठीक है आपने बीच में थोड़ा पर्सेन्टेज बढ़ाया भी है पर वह बहुत कम है इसलिए आपको अगर स्थानीय निकायों को मजबूत करना है तो उनको अधिक मदद देनी होगी। गृह कर जो कि आपने अनिवार्य कर दिया है उस गृह कर को तय करने की प्रक्रिया का आपको सरलीकरण करना होगा। एक तरफ आपने प्रोपर्टी टैक्स लगा रखा है, दूसरी तरफ गृहकर लगा रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह क्या किया है? आखिर आप कितने टैक्स जनता पर थोपेंगे? जनता पर आप जितने ज्यादा टैक्स थोपेंगे, उतनी ही ब्लैक मनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अव्यवस्था हो रही है उसको दूर कीजिए। आप गृह कर तय करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कीजिए। स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ाइए। आज जो कार और जीप हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के अधिकारियों द्वारा उनका मिस यूज किया जाता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जयपुर का नाम लेकर आता है और यहां से वह अपने गांव चला जाता है। कभी कोई जोधपुर चला जाता है तो कभी कोई कहीं पर चला जाता है। इस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है। मेरा निवेदन है कि आप गम्भीरता से विचार करके इस पर कार्यवाही करें। मेरा भी निवेदन है कि अगर आप कौन्सिल के चुनाव कराना चाहते हैं तो आम चुनाव कराइये। पर उन कौन्सिलों में जो कन्स्ट्रक्शन के काम होते हैं, जैसे कहीं पर नाली बनानी है तो वहां पर....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मुझे तो बोलने का अवसर ही नहीं मिला। मैं बजट भाषण पर बहस के वक्त भी नहीं बोला था। मुझे तो बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आज भीलवाड़ा में ही आप चले जाइये, वहां सड़कों के ऊपर, सड़कें बनायी जा रही हैं। डामर की सड़क पर गिट्टी डालकर रिकानसोलीडेशन का काम हो रहा है। एक नहीं ऐसी दस सड़कें बन रही हैं। नगरपालिका के क्षेत्र में जहां 9 इंच

(श्री सुंदरलाल पटवा),

नाली बनानी चाहिये वहां दो फीट की नालियां बन रही हैं जहां कि कोई गन्दा पानी की आवक नहीं है, कोई गन्दा नाला नहीं आता है फिर भी, वहां पर नाली बन रही है। करप्ट प्रेक्टिस किस प्रकार से हो रही है ? इससे एस्टीमेट ज्यादा बनेंगे। जब एस्टीमेट ज्यादा बनेगा तो ए.ई.एन. का कमीशन ज्यादा बनेगा, एक्स.ई-एन. का कमीशन ज्यादा बनेगा। वहां दस दस दिन तक एडमिनिस्ट्रेटर की मेज पर चैक पड़े रहते हैं लेकिन साइन नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटर को डेढ़ पर्सेन्ट कमीशन मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको रोकिये। अगर आपने इसको नहीं रोका तो गड़बड़ियां बढ़ेंगी। यह कटु सत्य है, यह मैं आपको आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। जो अधिकारी वहां पर काम करते हैं आप उनको तनख्वाह देते हैं। अगर उन अधिकारियों को आप तनख्वाह नहीं दें तो वह अपनी बीबीयों को साड़ी लाकर नहीं दे सकते हैं। जब आप तनख्वाह देते हैं तो फिर आप उनसे काम लीजिये। काम्पीटेंट वे में ड्यूटी लीजिये।

इसके अलावा मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। म्यूनिसिपैलिटीज में ठीक तरह से काम हो इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा पंचायत राज के बारे में भी थोड़ा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये, अगर आप पंचायतों के चुनाव नहीं करायेंगे और पंचायत मजबूत नहीं हुई तो गांवों का विकास नहीं होगा। आज गांवों में अकाल है। पिछले वर्ष अकाल में आपने यह घोषणा की थी कि हर पंचायत को राज्य सरकार 25 हजार रुपये घास खरीदने के लिये बिना ब्याज देगी। कुछ पंचायतों ने यह पैसा ले भी लिया बाकी पंचायतों ने लिख कर दिया पर इसी बीच आपका दूसरा आदेश आ गया कि 25 हजार रुपये की राशि देने का आदेश अब निरस्त कर दिया है मेरा निवेदन है कि आप यह क्या कर रहे हैं ? जिन पंचायतों ने लिख कर दिया है, उनमें अकाल के कारण मवेशी मर रहे हैं, आप उन पंचायतों को 25 हजार रुपया बिना ब्याज के क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके लिये आप व्यवस्था कीजिये यही मेरा कहना है।

इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के समय जहां पर आप काम नहीं खोल पाये हैं या ज्यादा श्रमिकों को काम नहीं दे सके हैं वहां आप हर पंचायत को एक दो बोरी अनाज की दें ताकि वह लोगों को दो दो किलो अनाज दे सकें और लोग भूखों नहीं मरें। हैण्ड पम्प लगाने की आपकी योजना है। हरिजनों की बस्ती में जहां हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं या जहां पर हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं है वहां अगर पानी की कुई खोदने की आवश्यकता है तो आप पानी की कुई खुदवायें। आज भी गांवों में हरिजनों को कुओं पर पीने के पानी के लिये पानी लेने को नहीं आने देते हैं। जहां हैण्ड पम्प लगे हैं उनसे हरिजनों को पानी लेने की व्यवस्था नहीं है। आप चाहें जितना 20 सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटें, मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं। यह आपका 20 पाइन्ट प्रोग्राम अच्छा है अगर इससे लोगों का भला होता हो तो कीजिये हम कौनसा मना करते हैं। हमें नाराजगी नहीं है लेकिन कहीं पर त्रुटि हो, तो उसका

(श्री बंशीलाल पटवा)

सुधार भी कीजिये। हमें इस बात से ईर्ष्या नहीं है और न ही कोई नाराजगी है। आप एक जगह सड़क बनाते हैं तो बनायें पर दूसरी जगह पर आवश्यकता है वहां भी सड़क बनायें। इसमें आप पालिटिकल दृष्टि से काम क्यों करते हैं? जहां पर काम चलता हो वहां पालिटिकल व्यू से काम बन्द क्यों करते हैं? आप पालिटिकल व्यू से स्कूलों को बन्द क्यों कर देते हैं। आप किसी का पालिटिकल आधार पर ट्रान्सफर्स क्यों करते हैं। अभी आपने एक ड्राइवर का ट्रान्सफर कर दिया म्यूनिसिपैलिटी गंगापुर में। उसको 6 महीने तक वहां के चेयरमैन ने ड्यूटी पर नहीं लिया। अब आप सोचिये एक ड्राइवर को अगर कोई 6 महीने तक ड्यूटी पर नहीं ले तो उसका क्या है होगा। यह आपका पेरेन्ट डिपार्टमेंट उसके लिये क्या कर रहा था? इसके साथ ही मैं आपको भीलवाड़ा में जो हालत है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर बहुत गड़बड़ियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर व्यवस्था ठीक हो तो आपको म्यूनिसिपैलिटी में सुधार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हों तो उसमें आपको सुधार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन्सिल मजबूत हो तो वहां पर आपको व्यवस्था में सुधार करना होगा। इस व्यवस्था में यदि सुधार नहीं करेंगे यह कहने से कि जनता पार्टी ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, काम चलने वाला नहीं है। पंचायतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं लेकिन अगर आप कम्पीटेन्ट व्यवस्था करेंगे तो गांव आगे बढ़ेगा स्थानीय निकाय आगे बढ़ेंगे, राजस्थान आगे बढ़ेगा। मैंने आपकी सेवा में जो कुछ निवेदन किया उस पर आप गौर करेंगे। माननीय सभापति महोदय ने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री **सभापति**: श्री महाराम चौधरी।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर): सभापति महोदय, स्वायत्त शासी संस्थाओं को, पंचायतों को और नगरपालिकाओं को सुदृढ़ करना स्थानीय विकास के लिये बहुत ही आवश्यकता है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिये जो उद्देश्य पंचायतों के सामने रखा था उसकी पूर्ति कतई नहीं हो रही है। पंचायतों को सक्षम बनाने के लिये जब तक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार नहीं देंगे, जितने भी आपके कार्यक्रम हैं उनको चलाने के लिये सब सुविधाएं नहीं देंगे तब तक पंचायतों के किसी प्रकार के विकास की गति तीव्र नहीं हो सकेगी। सभापति महोदय, विभिन्न शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें जो छोटी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको अंशदान कम दिया जाता है और बड़ी वालों को ज्यादा दिया जाता है। इसी प्रकार पंचायत समितियों को प्रति व्यक्ति जो अंशदान दिया जाना चाहिये वह बराबर न देकर शहरी क्षेत्रों की पंचायत समितियों को पांच रुपया प्रति व्यक्ति हिसाब से अंशदान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समितियों को जो यह अंशदान दिया जाता है वह सिर्फ 2 रुपये 25 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। यही नहीं, इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, शहरी क्षेत्र के अन्दर जितने भी विकास के कार्य

(श्री महाराम चौधरी)

किये जाते हैं उन विकास कार्यों के लिये जन सहयोग की कतई आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पंचायतें हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं इन संस्थाओं के माध्यम से जो विकास कार्य किये जाते हैं उनके लिये 40 प्रतिशत जन सहयोग लिया जाता है यह भी एक भेदभाव की नीति है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर यह पूरी तरह से आम चर्चा हो गई है कि शहरी क्षेत्र के साथ किस तरह से रियायत बरती जाती है और ग्रामीण क्षेत्र की किस प्रकार अवहेलना की जाती है। सभापति महोदय, जो आपके यह प्रगति विवरण हैं उनको देखने से यह मालूम होता है कि विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से बीकानेर में सम्मेलन पुनर्गठन ग्रामीण पंचायतों और जिला परिषदों को सक्षम बनाने के लिये किया गया लेकिन उन बातों को कहां तक सीमित करके रख दिया गया ? आज स्थानीय ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को जो भी स्कीम हस्तान्तरित की हैं उनको देखते हैं तो एक तरह से हंसी सी आ जाती है। इस बात को हम यों समझ लें कि पंचायत राज के जो मंत्री हैं वे कमजोर हैं और शहरी क्षेत्र के जो दूसरे स्वायत शासन मंत्री हैं वे म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में मालूम नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आपके जो अधिकारी हैं उनको आप गांवों में प्रशिक्षण देने के लिये भेजते हैं। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र वाले पूरी तरह प्रशिक्षित हैं उनको उनकी स्थानीय परिस्थितियां सब अच्छी तरह से मालूम हैं और वे अपनी कार्यवाही अपने तरीके से ठीक ढंग से कर सकते हैं। पेयजल कूप निर्माण कार्यक्रम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने पेयजल कूप निर्माण कार्यक्रम के लिये पंचायत समितियों को पिछले साल पैसा दिया। आपने राजस्थान के अन्दर ग्राम पंचायतों को 119 कुओं का निर्माण करने के लिये पैसा दिया है वे ही शायद सम्पूर्ण नहीं हुए हैं। एक तरह से आटे में लूण बराबर भी नहीं है। दूसरा, पंचायत या पंचायत समितियों को पोषाहार कार्यक्रम सौंपा है। इसके अलावा आपने पंचायतों को और क्या सौंपा है ? हां इतना जरूर है, घोषणाओं के बाद में एक तो हैण्ड पम्प योजना पंचायतों के गले डाल दी है। इस योजना को बिलकुल ही कामयाब नहीं समझा गया है। पी. एच. ई. डी. और सरकारी अधिकारियों ने अवहेलना करके, सही रूप से काम नहीं करके हैण्ड पम्पों को पंचायतों के गले में डाल दिया है। वे हैण्ड पम्प बेकार पड़े हैं। ग्राम वालों को पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा आपने एक घोषणा और कर दी कि प्रत्येक चार हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत में एक और सचिव देंगे। सभापति महोदय, चार हजार की आबादी पर एक सचिव देने का जो कहा, यह कोई बड़ा भारी अहसान नहीं कर दिया है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पंचायतें हैं, उनकी आबादी कम हो सकती है लेकिन एक-एक पंचायत का कार्यक्षेत्र 50-50, 60-60 किलोमीटर का है जो एक सचिव द्वारा अच्छी तरह से नहीं संभल सकता। इसलिये रेगिस्तानी क्षेत्र की जो पंचायतें हैं उनका पुनर्गठन करने के लिये

(श्री महाराम चौधरी)

आप कोई योजना बनाइये । 1960 में पंचायती राज की जब स्थापना का सवाल आया, उस वक्त हड़बड़ाहट में बहुत सी पंचायतों में ऐसे गांवों को शामिल कर लिया जो गांव उन पंचायतों में शामिल नहीं किये जाने चाहिये थे, दूसरी पंचायत में शामिल किये जाने चाहिये थे । इस तरह से गठन सही नहीं हुआ। इसलिये पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन करने की कार्यवाही करनी चाहिये ।

सभापति महोदय, पंचायतों के साथ में, छोटे भाई जैसा व्यवहार होता है । जैसे परिवार में बड़े भाई के अधिकार होते हैं, बड़ा भाई चाहे जैसे नियमानुसार या बगैर नियम के जो भी काम करे या चाहे जितना भी खर्चा करे वह अपने हिसाब से कर सकता है । यहां बड़ा भाई राज्य सरकार के अधिकारी या सरकार है और छोटा भाई है पंचायतें । पंचायतें यदि निर्धारित नियमानुसार कोई काम नहीं करती हैं तो उसके विरुद्ध एक्शन लेने के लिये बड़ा भाई तैयार हो जाता है और बड़ा भाई चाहे जैसा गलत काम करे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : माननीय सदस्य, एक मिनट । सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये बढ़ादी जाये, माननीय सभापति महोदय ।

श्री **सभापति** : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है ।

मांग संख्या 49, 29 व 41 पर विचार

श्री **महाराम चौधरी** : सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिये पंचायतों को सुदृढ़, मजबूत करने के लिये आपको पंचायत के लिये वित्तीय साधन और जुटाने पड़ेंगे । इसके लिये मैं पंचायत राज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भू-राजस्व की जितनी भी वसूलियां हैं, भू-राजस्व जिस क्षेत्र से जो आता है वह पंचायत को दे दीजिये । इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत समिति क्षेत्र की उस क्षेत्र से सम्बन्धित जो भी योजनायें हैं उन सभी योजनाओं की वित्तीय, प्रशासनिक से लेकर तकनीकी व्यवस्था पंचायत समिति को जब तक नहीं सौंपेंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना कतई संभव नहीं है । मैं उदाहरण देकर निवेदन करना चाहता हूं । विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करने के लिये जो एक्स.ई-एन., ए. ई-एन. या ओवरसीयर हैं और उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वे निर्धारित समय के अन्दर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख योजनाएं बनाने में कतई सक्षम नहीं हैं । जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति वहां पर ए. ई-एन. रह कर करें । पंचायत समिति के अन्दर रहकर उस क्षेत्र का प्लान बनाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये । वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में उस क्षेत्र की पेयजल की योजना बनायें । आज हालात ये हैं कि पंचायतों की अवहेलना करके, स्था-

(श्री महाराम चौधरी)

नीय संस्थाओं से बगैर पूछे जितनी भी पेयजल योजनायें बनी हैं उनसे 25 या 20 प्रतिशत ग्रामवासियों से ज्यादा किसी को भी आज पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन पर हमारा जो खर्चा हुआ है वह बिल्कुल बेकार जा रहा है। अगर यह बात नहीं होती और ग्रामवासियों से पूछ कर उस क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर पेयजल की व्यवस्था की जाती तो उस व्यवस्था से उन लोगों को फायदा हो सकता था लेकिन इन पेयजल योजनाओं से किसी प्रकार के पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, मैं पंचायत राज मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों को सक्षम बनाने के लिये स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए पी. एच. ई. डी., विद्युत विभाग, पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा जितनी भी उस क्षेत्र में होने वाली कार्यवाही है उसको करने का सब तरह का अधिकार आप पंचायत समिति को दे दीजिये ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

सभापति महोदय, नगरपालिका और जिला परिषद को जिस तरह से ज्यादा सुविधायें जुटाकर शहरी वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं उससे चारों तरफ यह नौबत आ रही है कि शहरों की जलवायु में प्रदूषण बढ़ रहा है या यूं समझिये शहरों में जितनी ज्यादा सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं उससे शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। शहरों की तरफ आप ज्यादा तवज्जोह दे रहे हैं। इससे आम लोग सुविधायें देखकर शहरों में बसना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, जयपुर शहर में जो अधिकारी आये हैं उन सबकी इच्छा यह रही है कि जयपुर शहर में ही अपने निवास के लिये कोई न कोई जमीन खरीद कर बंगला बना लेना चाहिये। वे जब स्थायी रूप से यहां रहने लग जाते हैं तो फिर इसी तरह की योजना बनाते हैं यानी शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

सभापति महोदय, बड़ी नगरपालिकाओं और छोटी नगरपालिकाओं के अन्दर धनाढ्य बस्तियां बसती हैं उन धनाढ्य बस्ती में तो एक नारियल जैसा भवन भी बना सकते हैं। किन्तु क्षेत्र में जितनी कच्ची बस्तियां या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियां हैं, उन बस्तियों के विकास की जो बातें हैं वे केवल कागजों तक ही सीमित रहती हैं वास्तव में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे नागौर के आस-पास में बहुत-सी कच्ची बस्तियां हैं उनके लिए किसी प्रकार की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। न उनमें सड़क बनाई है, न पानी की व्यवस्था की गई है, न बिजली की व्यवस्था है। इसी तरह नागौर शहर में एक खोड़ा मोहल्ला कहलाता है, एक बस्सी मोहल्ला कहलाता है, एक राठौड़ी कुए का मोहल्ला कहलाता है और एक कुमारी दरवाजा कहलाता है, इन सभी बस्तियों के अन्दर करीब-करीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा बस गये हैं उनके लिये राज्य सरकार की तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें वे सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

सभापति महोदय, आज ही मैंने अख-

(श्री महाराम चौधरी)

बार में पढ़ा कि जयपुर शहर में जनता लेट्रीन बन रही है। पांच लेट्रीन बन गई हैं और पांच और बनाने की योजना है। सभापति महोदय, एक-एक लेट्रीन पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपया खर्च किया जायगा अगर गांव वालों को मालूम हो जाय कि शहर वालों के लिये सिर्फ लेट्रीन पर ही डेढ़ लाख रुपया खर्च किया जाता है तो फिर वे यही सोचेंगे कि गांव वालों के लिये कहां से धन उपलब्ध होगा।

सभापति महोदय, मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि पंचायत राज और पंचायत संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। प्रस्तावों और मीटिंगों के अन्दर जो निर्णय लेते हैं उसकी क्रियान्विति करने में डिपार्टमेंट्स कतई ध्यान नहीं देते हैं। उनकी हमेशा अवहेलना की जाती है। 15 फरवरी को नागौर में एक बैठक थी, उस बैठक के अन्दर सभी विधायकों और प्रधानों ने पिछले 12 महीनों में जितनी मीटिंग हुई हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को देखा तो उन्होंने पाया कि प्रोसीडिंग्स के अनुसार एक भी काम नहीं हुआ है। इस पर बड़ा भारी असन्तोष फैला। इसके बाद जिला परिषद को यह प्रस्ताव पास करना पड़ा कि जो पुराने प्रस्ताव हैं और प्रोसीडिंग्स में जिन कार्यों के बारे में उल्लेख है, अधिकारियों द्वारा उनकी क्रियान्विति करनी चाहिये थी वह नहीं की है। जब तक ये कार्य नहीं होंगे तब तक जिला परिषद् की मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब है स्थानीय निकायों के जो प्रस्ताव जाते हैं, कार्यक्रम बनते हैं उनकी क्रियान्विति करने लिये जिला परिषदों के अधिकारी या उच्च अधिकारी कतई तवज्जोह नहीं देते हैं। इस सम्बन्ध में आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो अधिकारी पंचायत समिति या जिला परिषद के जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं या कार्यवाही नहीं होने का औचित्य नहीं है तो उस औचित्य को नहीं समझाते हुए कि इस वजह से काम नहीं हुआ है कोई काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, राज्य मंत्री जी वहां गये हुए हैं उनको पूरी तरह जानकारी भी है। सन् 1959 के अन्दर पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन हुआ। गठन होने के बाद उनके विकास की गति शुरू हुई। वह विकास की गति किसके जरिये आगे बढ़ रही है नौकरशाही की समझ में यह बात नहीं आई न उसके ध्यान में है, न ही वह यह चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। उस विकास की गति को रोक दिया। 1959 के बाद पंचायत समिति व जिला परिषद् निष्क्रिय हो गये। उनको पुनर्जीवित करके जो काम करना चाहते हैं उसके लिये ज्यादा अधिकार एवं वित्तीय साधन जुटाने का काम नहीं कर सकते हैं तो सन् 1959 में पंचायत और जिला परिषद् का गठन हुआ उस वक्त जितने अधिकार और कार्य करने के संसाधन उपलब्ध कराये थे वे तो कम से कम उपलब्ध करायें। सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। एक सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डी. पी. ए. पी. का जो हर जिले में एक रोड़ा अटका हुआ है उसको भी खतम करके यह कार्यक्रम जिला परिषद् के अन्दर में दे देना चाहिये ताकि सब काम सुचारू रूप से चल सके।

(श्री महाराम चौधरी)

सभापति महोदय, अब मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी तरह के फण्ड अलाट होते हैं उनको जिस तरह आप जिलाधीशों को सूचना भेजते हैं कि इस जिले के लिये इतना फण्ड अलाट हुआ है उसी तरह उसकी सूचना प्रत्येक पंचायत समिति को भी देनी चाहिये। पेयजल और डी. पी. ए. कार्यक्रम के लिए इतना फण्ड अलाट किया जाता है उसकी सूचना दे जिससे उस फण्ड का यूटिलाइजेशन सुचारू रूप से हो सकेगा।

श्री शीशराम श्रोला (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : मैं माननीय सदस्य से एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसा आपने कहा, जिला परिषद् में एक साल भर में कोई भी कार्य नहीं हुए वे किस प्रकार के कार्य हैं जो नहीं हुए हैं और आप क्या चाहते हैं?

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, जिला परिषद की कम से कम पांच या छः मीटिंग हुई उनमें जिला परिषद् ने जो प्रस्ताव पास किये उनकी क्रियान्विति नही हुई है। एक-एक काम का नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं लेकिन जिला परिषद् का गठन होने के बाद प्रथम मीटिंग से लेकर लास्ट मीटिंग, जो 15 फरवरी को हुई, तक के प्रस्तावों पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री महोदय लिखकर दे दीजिये।

श्री महाराम चौधरी : इसमें लिखकर देनेकी क्या आवश्यकता है। जिला परिषद् की प्रोसीडिंग्स सभी जगह जाती हैं। शायद उन्होंने कार्य भी शुरू कर दिये होंगे। यह सब आपको जानकारी है।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री महाराम चौधरी : अन्त में, सभापति महोदय, मैं नागौर नगरपालिका के लिये मंत्री महोदय को यही निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर शहर में जितनी कच्ची बस्तियां हैं उनको जो सुख-सुविधा आप उपलब्ध करा सकते हैं, नियमानुसार आप जो साधन उपलब्ध करा सकते हैं सड़क, बिजली, पानी आदि का उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री सुन्दरलाल जी।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके द्वारा यही कहना चाहता हूं कि पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें लड़के हैं 100 और अध्यापक एक। एक अध्यापक 100 लड़कों को नहीं पढ़ा सकता है। एक आदमी 15 डंगरों को नहीं चरा सकता तो एक अध्यापक 100 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है। इसलिए इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करके प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना चाहिए। इन बच्चों के लिए मैंने देखा है हर गांव का काश्तकार यह चाहता है कि उसके बच्चे गांव के स्कूल में नहीं पढ़कर शहर के स्कूल में पढ़ें। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गांव के स्कूलों की पढ़ाई बहुत कमजोर है। शहरों की जमीन, शहर के रहन-सहन का ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि सब आदमी अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई बहुत ही कमजोर पढ़ाई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कूल में 80 लड़कों पर एक अध्यापक है। वह अगर 4 दिन छुट्टी चला जाय तो उसकी एवज में दूसरा अध्यापक नहीं जाता। चार दिन तक

(श्री सुन्दरलाल)

तो बच्चों की छुट्टी मन जाती है। तो फिर इनका क्या होगा? कभी चला जाय छुट्टी पर, कभी आता नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।

म्यूनिसिपैलिटी के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। एक म्यूनिसिपैलिटी है सूरजगढ़ में....

श्री सभापति : यह आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल : अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। सारे राजस्थान की नहीं कर रहा हूं। दूसरे एम. एल. ए. तो अपनी-अपनी बात अपने आप करेंगे मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। म्यूनिसिपैलिटी में किसी की बदली हो जाय तो उसकी जगह कोई ड्यूटी जोइन नहीं करता है। बदली हो जाय तो वहां कोई आता नहींहै। इस तरह की व्यवस्था है। इसमें मन्त्री महोदय कुछ सुधार करेंगे। पंचायत समिति के अध्यापकों के मामले में मन्त्री महोदय से मैं यही आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि गौर करके पंचायतों में अध्यापक ज्यादा लगवायें। दो साल से जो अध्यापक अस्थायी लगे हुए हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है तीन महीने बाद आप कहते हैं कि तुम हटा दिये गये फिर रख लिया और तीन महीने बाद फिर हटा दिये गये, तो उन अध्यापकों को स्थायी करिये ताकि उनको भी सुविधा हो सके। यह प्रक्रिया बहुत दिन से, ढाई तीन साल से चल रही है इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए, मैं तो यही सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख 80 हजार कुछ की जनसंख्या है उसमें से एक लाख 65 हजार व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके समग्र विकास की योजनाओं का सीधा सम्बन्ध सामुदायिक विकास और पंचायती राज से है। मैं सबसे पहले उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा उसके बाद एक नगरपालिका 15 हजार जनसंख्या की जहाजपुर नगर की है, उससे सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में महात्मा गांधी और पण्डित नेहरू ने गांवों के विकास के लिए गांवों में सस्ता न्याय सुलभ करने के लिए पंचायती राज को बहुत महत्व दिया था। उन दोनों महान नेताओं के सुविचारित मार्गदर्शन और निर्देशन में इस देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई और राजस्थान को उसका नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोकतंत्र में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की शुरुआत नागौर में आधुनिक राजस्थान के निर्माता, श्री मोहन लाल सुखाड़िया के नेतृत्व में एक उत्साह के साथ प्रारम्भ हुई थी। आज मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्रीकरण की वह पुस्तिका, बलवन्त राम मेहता कमेटी की वह रिपोर्ट, सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट, गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट, इन सबका आप अध्ययन कर लें। उनमें जो सिफारिशें की हैं समय-समय पर राज्य सरकार ने उनका औचित्य भी स्वीकार किया है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, मैं पंचायती राज में पिछले, 25 सालों से किसी न किसी रूप में संबंधित रहा हूं, 25 प्रतिशत भी उन सिफारिशों को राज्य सरकार ने महत्व नहीं दिया है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सौभाग्य से हम सब यह मानते हैं कि भारत गांवों में बसता है और ग्रामों का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास भी नहीं होगा। तो, आज प्रश्न यह उठता है कि हमारे सामने गांवों का विकास क्यों नहीं हो रहा ? एक पुस्तिका सामुदायिक विकास विभाग ने हम सबको जारी की है, मैं दो तीन, चार आंकड़ों के आधार पर बताना चाहूंगा। बीकानेर में युवा नेता, राजीव गांधी की उपस्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में पंचायती राज को नया जीवन देने की कुछ घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं के बाद राजस्थान में आयोजना भिन्न और आयोजना मद में जहां कई प्रकार की योजनाओं में कामकाज बढ़ाकर खर्च बढ़ना चाहिए था, काम बढ़ना चाहिए था वहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सामुदायिक विकास मद में 1982-83 में जो 153.35 लाख का प्रावधान था, उसमें से जनवरी, 83 तक 130.56 लाख खर्च हुआ। 2-3 महीनों के 10 लाख और जोड़ लें तो 140 लाख के आसपास यह हो जाता है। यह प्रगति का पहला चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पंचायती राज संस्थाओं के नये चुनाव होकर आये तो उन लोगों को प्रशिक्षण देने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। पिछले वर्ष 17.86 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ है जबकि पहले 13.42 लाख खर्च हुआ था। पंचायत समितियों की सहायता के लिए दी गई राशि का भी हम सिंहावलोकन कर के देखें, तो इस बात का पता लगेगा कि 743.14 लाख का प्रावधान था उसमें से जनवरी तक 573.2 लाख की सहायता दी गई। इसी प्रकार जलदाय कार्यक्रमों को लें तो 55.64 लाख का गत वर्ष प्रावधान था जबकि इस बार 51.2 लाख का प्रावधान है। यह कुछ आंकड़ें आपके सामने प्रस्तुत किये हैं। पंचायती राज को कितना नया जीवन मिला, पंचायती राज कितना सुदृढ़ हुआ, इसका कुछ नजरिया मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक ओर हम यह कहते हैं कि हमारे यहां गांव और शहर में कोई भेदभाव नहीं है दूसरी ओर राजस्थान की ग्रामीण जनता से जो इतना टैक्स किसी रूप में आता है उसके बावजूद ग्रामीण जनता कई दृष्टि से पिछड़ी हुई है। मैं दूसरी बात बाद में कहना चाहूंगा शिक्षा के बारे में, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि शहरों और गांवों के साथ पहले भेद कहां है। आप प्रति व्यक्ति जो अनुदान देते हैं, उसमें भेद भाव करते हैं। शहरों की जनता को पांच रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देते हैं और गांवों की जनता को, मेरा अंदाज है, ढाई रुपये प्रति-व्यक्ति के हिसाब से देते हैं। सवा दो नहीं ढाई का ही अंदाज लगाया है। ढाई रुपया दिया जाता है। इसका मतलब आप शहरों से अधिक अच्छी स्थिति गांवों में मानते हैं। आपकी निगाह में शहरों और गांवों का कितना मूल्यांकन है, यह आपके सामने प्रस्तुत है। पंचायत राज मंत्री स्वयं गांव में रहने वाले किसानों के बीच में रहने वाले हैं। जिला प्रमुख भी रहे, ऐसी मेरी जानकारी है। क्या मैं उम्मीद करूं आपसे कि आप जब जवाब देंगे तो राजस्थान की जनता, विशेष तौर से पंचायती राज संस्थाओं में जो निराशा का वातावरण बना हुआ है, उसके लिए कम से कम इस बात की घोषणा करेंगे कि अनुदान की जो राशि एक अप्रेल, 1983 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष में प्राप्त

(श्री रतनलाल ताम्बी)

होगा, नगरपालिका क्षेत्रों की जनता को जो सहायता की जाती है वही सहायता ग्रामपंचायतों को दी जायेगी। वही सहायता आप देकर राजस्थान के पंचायती राज को नया जीवन देने की बात कहने का एक आधार यहां प्रस्तुत करेंगे। मैं अब आप लोगों के समक्ष, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से बहुत सारे लोग अधिकारों की बात करते हैं। मैं पंचायत समिति का प्रधान भी था और राज्य स्तर की एक कमेटी थी उसमें राज्य सरकार की ओर से नामीनेटेड था। जैसा मैंने निवेदन किया, हमें अधिकार ज्यादा मिलने चाहिए, इस बात के भाषण तो बहुत करते हैं लेकिन राजस्थान के व्यापक हित में, जनता के हित में मैं पहला ऐसा प्रधान हूं जो आपको सुझाव दे रहा हूं कि राजस्थान, भविष्य के लिए, माफ करिये, आप इन बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिये। जो खिलवाड़ अपनी आंखों से गांवों में देख रहा हूं, प्राथमिक शिक्षा को तत्काल पंचायत के नीचे से हटा देने का सुझाव मैंने प्रधान की हैसियत से उस समय भी दिया था, विधान सभा में आपको दिया था और आज मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिक्षा विभाग को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइये। गांवों में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। आज राजस्थान में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। वह इस तरह से भी स्पष्ट है कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 24 है। राजस्थान की शिक्षा के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा का कार्य शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जावे। पंचायतों के जिम्मे केवल विकास के कार्यों के लिए आप जितने व्यापक अधिकार दे सकते हैं वह दीजिए। पर इस प्रकार के अधिकार मत दीजिए जिससे कि राजस्थान के भविष्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो। कृपा करके इस बारे में आप सोचिये। आपकी शिक्षा की स्थिति बहुत स्पष्ट है। राजस्थान में आज पांच हजार से अधिक सात हजार के आसपास पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी है। आपका राजस्थान के गांवों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में यह कैसा भेदभाव है, यह तो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक शिक्षा का कार्य सुपुर्द करिये ताकि अध्यापक भी पूरे आवें और काम भी ठीक प्रकार से चले। इसके लिए मेरा एक सुझाव तो यह है कि पचास प्राथमिक विद्यालयों पर आप एक उप-जिला शिक्षा अधिकारी इस काम के लिए नियुक्त करें जो बराबर उनका निरीक्षण करता रहे, बराबर उनका इंस्पेक्शन करता रहे, बराबर देख-रेख और शिक्षा का मार्गदर्शन करता रहे। अन्य प्रकार की जो योजनायें विद्यालयों में हैं उनके लिये अध्यापकों के बीच में समन्वय बैठाता रहे। इस दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। सौ प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी होना चाहिए। इस आधार पर यह सारा कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल सकता है और गतिशीलता आ सकती है। उप-खण्ड स्तर पर विशिष्ट अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का एक पद हो ताकि शिक्षा का वर्तमान स्तर जो बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं वह ठीक प्रकार से सुधर सकें। आज पंचायत समितियों और शिक्षा विभाग

(श्री रतनलाल ताम्बी)

के अध्यापकों के बीच में भेदभाव है। दोनों की जो समस्यायें हैं, उनमें रात और दिन का अन्तर है। शिक्षा विभाग के अध्यापकों को ज्यादा सुविधायें हैं, उनकी बात को सुनने के ज्यादा तौर तरीके हैं। पंचायत समितियों के अध्यापक बहुत बेहाल हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। स्कूल इसीलिए बराबर नहीं खुलते, और उनमें समय पर वह नहीं पहुंचते हैं। पंच और सरपंचों की राजनीति के शिकार अध्यापक आए दिन ट्रांसफर होते रहते हैं। मेरे यहां पर इस साल 56 अध्यापकों के एक साथ ट्रांसफर अनियमित ढंग से हो गए। मैं माननीय सामुदायिक विकास मंत्रीजी के पास गया। उन्होंने इस बात को गम्भीरता से लेकर तत्काल आदेश दिए उसके बावजूद आदेश नहीं माने। कुछ लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से स्टे ला करके आज वह चल रहे हैं। इस प्रकार की कई बातें इलाके में घुमने से सामने आती हैं अध्यापकों के दो-दो, तीन-तीन महीनों में ट्रांसफर हो जाते हैं। आखिर वह अध्यापक स्कूलों में कैसे जम पायेंगे और कैसे पढ़ा पायेंगे। नए अध्यापक चयनित होते हैं उनके चयनित होते ही 10-15 दिन में सबके ट्रांसफर करके इधर-उधर कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है, स्कूलों की हालत बहुत खराब है। कई स्कूल इलाकों में बन्द पड़ी है, कई दिनों से वहां पर अध्यापक पहुंचे नहीं हैं मैं समझता हूं, शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान के भावी जीवन और विकास की दृष्टि से भावी पीढ़ी के विकास की दृष्टि से इसे बहुत गम्भीरता से लें, शिक्षा को जितना बचाया जा सकता है राजनैतिक अखाड़ेबाजी से बचायें क्योंकि बुनियाद....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हां, मैं थोड़ा सा संक्षेप में ही कहूंगा, साहब। मैंने अब देख लिया आपका इशारा...

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हालात पैदा हो रहे हैं उनको ठीक कीजिए।

सभापति महोदय चयनित परिवारों के मामलों में निवेदन करूंगा कई वर्ष तक चयनित होने के बावजूद उनको ऋण सुविधायें नहीं मिल पातीं। ऋण सुविधायें मिलती हैं तो उसमें कितना भ्रष्टाचार, अनुदान में कितना गड़बड़ घोटाला है, इसकी लम्बी चौड़ी कहानी है। इसको किसी और समय पर कहने की आवश्यकता है। प्रशासन जब गांवों में गया था तब कई मामले मेरे सामने आए। बैंक पंचायत समिति और विभाग के बीच में एक गरीब फटे चिथड़ों वाला बेहाल फिरता है। उसके पास पहले ही पहनने को कपड़े नहीं हैं और बीच-बीच में कितना कहां उसको देना लेना पड़ता है यह हमारे लिए कलंक की बात है। इसलिए इन चयनित परिवारों के मामले में, ऐसी विशिष्ट योजनाओं के मामले में पर्यवेक्षण करने का अधिकार पंचायत समितियों को दे दें बाकी विशिष्ट योजनाओं के लिए अलग एजेंसी तहसील स्तर पर हो और वह बराबर उस सारे कार्यक्रम को देखे और उसका संचालन करती रहे समय-समय पर पर्यवेक्षण होते रहे तभी जाकर काम ठीक चलेगा।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हर पंचायत को पंचायत सचिव दिए बिना पंचायतें नियमित ढंग से नहीं चलेंगी यह मेरा एक सुझाव है।

अब मैं भाषण के कम करके मुद्दे और

164

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सुझाव के तौर पर संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा । सौ एकड़ तक के तालाब पंचायत समितियों को निश्चित रूप से सुपुर्द करने चाहिए । उस पर दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू विभाग पाल की घास नीलाम करता है । सिंघाडा और कमल के ठेके वह देता है और पानी की व्यवस्था समिति की है। यह दोहरी व्यवस्था समाप्त करके तालावों की जो इन्कम हैं वह निश्चित रूप से पंचायत समितियों को जानी चाहिए ताकि वह तालाब ठीक ढंग से मेंटेन हों। पेटा काश्त की भूमि जो भी चीज कमल और सिंघाड़ा के अलावा पदा होती है उसका लगान और आवशन राजस्व विभाग कर दे बाकी सारी व्यवस्था का नियंत्रण पंचायत समितियों के हाथों में होना बहुत आवश्यक है ।

इसके साथ-साथ आबादी भूमि के मामले में वड़ी अव्यवस्था है । मैं चाहूंगा कि जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज भूमि में नजूल कमेटी बनती है उसी तरह से प्रत्येक पंचायत के लिए साल में एक दफा बैठ करके वहां की रेट्स निर्धारित कर दें। वहां के विकास के लिए साल में एक दफा बैठ करके वहां के विकास के कार्यक्रम के लिए कहां-कहां जमीन की आवश्यकता हैं उस जमीन को सुरक्षित कर दें। कई दफा वड़ी महत्वपूर्ण जमीनों की भी विकास के नाम पर उटपटांग ढंग से नीलामी कर दी जाती है । इसके लिए एक योजना, मास्टर प्लान गांववाइज बन जाय उस आधार पर जमीन विकास कार्यों के लिए-सुरक्षित हो जाय, यह बात देखने की है । पेंशन के मामले में वृद्धावस्था अपाहिज अपंगों के मामलों में मेरा निवेदन है कि एस.डी.ओ. की अध्यक्षता में एक कमेटी बन जानी चाहिए। उसमें एस. डी. ओ., विधायक, पंचायत के प्रधान, सम्बन्धित सरपंच और समाज कल्याण के अधिकारी हों वे महीने में एक दफा, दो दफा, तीन दफा बैठकर मामले तय कर दें। इस मामले में भी काफी भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें सामने आया करती हैं। इसी तरह से स्थानान्तरण की नीति भी राज्य सरकार द्वारा बहुत स्पष्ट तौर से निर्देशित कर दी जावे तो बारबार इस तरह की समस्यायें नहीं आवें ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इलाके का एक गांव है, मेरा खुद का गांव है पडर। उसमें राजस्व नम्बर बराबर एक ही संख्या के चलते हैं। उसमें से एक टुकड़ा, राजस्व नम्बर का जो एक मजरा है, जो गांव की ढ़ाणी है वह एक अन्य पंचायत को दे दी । गांव वाले परेशान हैं । वे मांग करते हैं तो जिलाधीश महोदय कहते हैं कि दूसरी पंचायत छोटी हो जाएगी इसलिए गांव नहीं मिलते । क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आ गई ? राजस्थान में शायद पहला उदाहरण होगा की राजस्व गांव का एक मजरा, एक ढ़ाणी दूसरी पंचायत में हो। यह शायद असम्भव बात है । यह भूल से हो गया है । मेरे हिसाब से. चुनाव के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी इसलिए जो जागोलाई नाम का एक मजरा है उसका राजस्व गांव के साथ सम्मिलित होना आवश्यक है ताकि एक गांव के दो टुकड़े नहीं हों ।

मोटे तौर पर पंचायती राज के मामले में और भी काफी सुझाव देना चाहता था मगर समय की बड़ी कमी है एक निवेदन मेरा आखिर में यह है कि पंचायत की बात कहते हुए समाप्त करूंगा, उसके बाद स्वायत शासन की बात कहकर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाजत लूंगा ।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं एक निवेदन यह करना चाहता था कि नगरपालिकाओं में दो बटा तीन मत पड़ने पर अविश्वास प्रस्ताव परित होता है एक ही प्रकार की स्वायत्त शासी संस्थायें हैं जब कि पंचायत राज संस्थाओं में तीन बटा चार मतों का प्रावधान रख दिया गया है मेरा निवेदन है 2।3 का बहुमत ही बहुत होता है। यदि वहां के पंच नहीं चाहते हैं तो उस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का एक रास्ता होना चाहिए। 3।4 बहुतम में कठिनाई आती है पंचायतें इस आधार पर कहीं-कहीं निर्जीव सी हो रही हैं। उनमें कामकाज नहीं हो रहे हैं आपस में मतभेद बढ़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि 2।3 बहुमत का प्रावधान पंचायत राज संस्थाओं में किया जाना चाहिए ताकि पंचायत संस्थायें ठीक प्रकार से चल सकें।

इसके अतिरिक्त मेरा एक निवेदन यह है कि पंचायत राज संस्थाओं में जो विकास अधिकारी होते हैं वे आपस में सरपंचों को लड़ा कर गुटबन्दी पैदा कर देते हैं उससे भी विकास के कामकाज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहे हैं। पंचायत समिति की जीपों का स्थानीय समितियों के चुनावों में, सहकारी समितियों के चुनावों में खुले आम उपयोग करने के लिए बी.डी.ओ. एक गुट को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरे गुट के लोग उसका एतराज करें तो सुनते नहीं हैं इस प्रकार के पंचायत समिति की जीपों के जो उपयोग में लेने के जो नियम हैं उन नियमों का आज पालन नहीं हो रहा है इस दृष्टि से नियमों में और सख्ती कर इस प्रकार के दायित्व निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कि आए दिन इस प्रकार से राजनैतिक आधार पर जो दुरुपयोग किया जाता है उसको रोकने की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके।

एक निवेदन मैं करना चाहता हूं हैंड पम्पों के बारे में। हैंड पम्पों की हालत बहुत खराब है। हैंड पम्प कैसे लगते हैं वह तो अलग बात है लेकिन जो लगते हैं उनकी मेंटीनेंस नहीं होती है; काफी टाईम से हैन्ड पम्प खराब पड़े हैं। पंचायत वाले कहते हैं कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग देखेगा जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वाले कहते हैं कि पंचायत समिति देखेगी। इसी विवाद में महीनों से हैंड पम्प खराब पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि यह पंचायत के बूते का रोग नहीं हैं। आप जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जे. ई. एन को दो तीन अच्छे मिस्त्री देकर उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करें एक-एक सर-पंच को हम कहां-कहां कहने जावें। यह हर गांव की समस्या है इसलिए इसके बारे में भी खास तौर से ध्यान देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं आपके समक्ष स्वायत्त शासन की तीन-चार बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आखिर में पंचायत राज की एक और बात है। वार्ड, जो आपने निर्धारित किये हैं वे बहुत पुरानी जन संख्या के आधार पर हैं। वार्डों का गठन भी पुरानी जनसंख्या के आधार पर हुआ है। इस पर आप पुन-विचार करें और तो और जनसंख्या बढ़ी है, वार्ड आपने पहले कहीं 15 थे तो आपने दो-तीन साल पहले उन 15 के दस कर दिए। यानी जनसंख्या बढ़ती है तो वार्ड बढ़ने के बजाय आपने और घटा दिए। इस कारण सही ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है इस दृष्टि से भी आप वार्डों के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मामले में खास तौर से ध्यान देने का कष्ट करेंगे ।

अब मैं नगपालिकाओं के बारे में स्वायत्त शासन मंत्री का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वर्तमान नगरपालिकाओं में जिनकी आय पांच लाख की है उनको भी आप अनुदान देते हैं, जिसकी आय दो लाख की उनको भी अनुदान देते है । मेरा निवेदन करना यह हैं कि नगरपालिका की आय का भी कुछ आधार देखने की आवश्यकता है । वास्तव में जो छोटी नगर पालिकायें हैं जिनकी 25 हजार या इससे नीचे की जनसंख्या है उन नगरपालिकाओं को आप दस रुपये प्रति व्यक्ति दें ताकि वह ज्यादा मजबूत से सक्षम होकर चल सकें । जिनकी 25 हजार से पचास हजार तक जनसंख्या हैं उनको पांच रुपये, जिनकी पचास हजार से एक लाख तक की आबादी है. उनको ढाई रुपये और एक लाख से ऊपर की जिनकी जनसंख्यां हैं उनको डेढ़ रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान दें क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति सुदृढ़ हैं । इसलिए जिस तरह की आपने उनकी केटेगरी बना रखी हैं उसी केटेगरी अनुसार पंचायतों को अनुदान देने के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा । मनोरंजन कर की राशि के बारे में बार-बार बड़ा सवाल आता है । राज्य सरकार ने पहले भी कमिटमेंट किया हैं मैं समझता हूं, इसकी पचास प्रतिशत राशि जो भी आती है, निश्चित रूप से नगरपालिका को देने की आवश्यकता है तब जाकर वह ठीक चलेगी । उनका कोई विकास का काम धनाभाव के कारण निश्चित् रूप से नहीं होता है । मैं स्वायत शासन मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक नगरपालिका का राजस्थान में व्यापक स्तर पर मास्टर प्लान और सारी योजनाएं तैयार करवायें । सुनियोजित विकास के अभाव में नगरपालिकाओं की हालत बड़ी खराब हो रही है । गलत कंस्ट्रेक्शन हो रहे हैं । कई विकास के अच्छे कामकाज के लिये जमीन की आवश्यकता होती हैं । उनको बेढ़ंग से नीलाम कर दिया जाता हैं । मैं समझता हूं, विकास की दृष्टि से खास तौर से इस पर ध्यान देंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो नगरपालिकाएं इस प्रकार की हैं, जहां फ्लश लेट्रीन की व्यवस्था नहीं है उनको आप सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिये उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है । उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हैं । इसके बारे में प्राथमिकता से आप कोई योजना तैयार कीजिये । आपके पास फण्ड की हमेशा कमी रही हैं इसलिए आप प्राथमिकता की नगरपालिकाओं और कुछ योजनाओं को खास तौर से देखेंगे तब जाकर काम चलेगा । मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं, कई पंचायतों में यह स्थिति है, नगरपालिकाओं में यह स्थिति है कि कई राशियों के गबन घोटाले, दुरुपयोग के मामले वर्षों से उनमें चल रहे हैं । कर्मचारी कई बार सस्पेण्ड हो जाते हैं वापस बहाल हो जाते हैं । उनसे रुपया वसूल होता नहीं । इस प्रकार के जितने भी प्रकरण है, उनको निपटाने के लिये एक बार प्रशासन गांवों में भेजा गया था । वैसे आपके नगरपालिकाओं के जितने मामले हैं वे पहले सेक्रेटेरियेट स्तर पर निपटायें । यदि वहां नहीं निपटे तो केबिनेट स्तर पर सारे मामलों को निपटा कर के आप ठीक प्रकार से व्यवस्था कीजिये । कई लोगों ने कई घोटाले कई वर्षों पूर्व कर रखे हैं जिनका आज

(श्री रतनलाल ताम्बी)
तक कुछ नहीं हुआ। मैं एक जिला स्तर पर.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करिये। बहुत समय ले चुके।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो-एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बिलकुल प्रायः खतम कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, नगरपालिकाओं के वार्ड नये ढंग से गठित करवाइये। साढ़े सात सौ से लेकर हजार तक की जनसंख्या पर एक वार्ड हो। जो 1981 की जनसंख्या है उस आधार पर वार्ड्स का आप पुनर्गठन करवा दें। 1951 की जनसंख्या के आधार पर वार्ड आज तक चल रहे हैं। हमारे यहां हालत खराब है। प्रशासक की अवधि आप हद से हद एक वर्ष रख दें, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा सकें तो फिर जन-प्रतिनिधियों की कमेटी नामीनेट करें ताकि जन प्रतिनिधियों के हाथों में कामकाज ठीक प्रकार से चल सके। एक अधिकारी के पास राज्य के अनेक प्रकार के काम और दबाव कई रहते हैं इसलिए स्वायत्त-शासी संस्थाएं उनके हाथों में लड़खड़ा रही हैं। राजस्थान में स्वायतशासी संस्थाओं को नया जीवन देने के लिये हमारे जो दोनों उत्साही मंत्री महोदय है, उनसे राजस्थान की जनता को अपेक्षा है। अगला वर्ष जो नया शुरू हो रहा है, उसमें दोनों संस्थाओं, पंचायत राज संस्था और स्वायत शासी संस्थाओं में कुछ नया क्रान्तिकारी परिवर्तन लायें ताकि जनता में उत्साह पैदा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रामेश्वरलाल चौधरी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं पंचायत राज मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि माननीय श्री बिहारी लाल जी, जो मांडल से आते हैं, ने पड़ौस की एक पंचायत समिति, मकराना के प्रधान और बी.डी.ओ. का जो हवाला दिया...

एक माननीय सदस्य : उन्होंने नहीं दिया।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : किसी ने दिया होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवधान मत डालिये।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : पंचायत समिति, मकराना मेरे एरिये के बिल्कुल नजदीक है। वहां जो हालात हैं मुझे पूरी तरह से मालूम है। मैं मंत्री महोदय का इस बात के लिये ध्यान आकर्षित करूंगा, जो आप पर चार्ज लगाये जा रहे हैं, प्रधान यह सोच रहा है मुझे मार रहे हैं, बी.डी.ओ. यह सोच रहा है मुझे मार रहे हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, जो कलेक्टर के यहां से रिपोर्ट आयी है, मंत्री महोदय, वह जिस किसी भी हालत में है जिस के खिलाफ हो उसकी सिफारिशों को आप एक्जीक्यूट कर दीजिये। ताकि यह जो चार्जेज आये दिन लगते है प्रधान कह रहा है मेरे खिलाफ है, बी.डी.ओ. कह रहा है मेरे खिलाफ है, बी.डी.ओ. बता रहा है प्रधान की बेईमानी है, प्रधान कह

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

रहा है बी.डी.ओ. की बेइमानी है, यह सारी खतम हो जायेगी । आपको कलेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके एक्जीक्यूशन में कोई तकलीफ नहीं होगी । जैसी कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी उसको इमीजिएटली एक्जीक्यूट करवा दीजिये । एक तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यह है ।

दूसरा, पंचायत समितियों के लिये इस बार 1000 स्कूल स्वीकृत किये हैं । मैं समझता हूं, गांवों के लोगों के लिये, गांवों में यह स्कूल्स खुलेंगे । मेरा निवेदन है कि जो शुरू से स्कूल चल रहे हैं उसमें अध्यापकों का अभाव है । जिस टाइम में मैं प्रधान था उस टाइम ऐसा प्रोविजन था कि अन-ट्रेण्ड मास्टर होता था, जो ग्रेजुएट होता था, गांवों में बेरोजगार छोरे फिरते थे उनको पंचायत समिति अपने लेवल पर मास्टर बना दिया करती थी । मैं समझता हूं, जो ग्रेजुएट हैं या जैसे भी छोरे हैं, हमको तो ट्रेण्ड मास्टर मिलते नहीं, वे लोग बेकार फिर रहे हैं इससे बेकारी बढ़ रही है, गांवों की शिक्षा के हिसाब से, उनको मास्टर बना दिया जाय तो यह जो समस्या है अध्यापकों की, एक-एक स्कूल में सौ-सौ बच्चे हैं एक-एक मास्टर हैं, ऐसी हालत में उनको न तो पढ़ाने की बात होती है, न कोई बात होती है, इसलिए बेकारी की तो बेकारी मिट जायगी और स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी । गांव के हिसाब से अच्छी बात होगी । मेरे खयाल से इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए ।

तीसरा, मेरे इलाके की दो-तीन पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने दस-दस साल से आॅडिट नहीं करवाया है।बी.डी.ओ. या पंचायत समिति कोई कागज भेजती है कागज का जवाब नहीं देती है । प्रशासनिक जिम्मेदारी पंचायत समिति की है । एक पंचायत है घाटवा उसका करीब दस या 12 साल से आॅडिट नहीं हुआ है । पंचायत समिति किसी बात के लिये कागज या जवाब मांगती है तो उसका उल्टा ही जवाब देती हैं । यहां आकर शिकायत करती हैं । जो शिकायत हमने या पंचायत समिति ने की हैं, उस शिकायत पर गौर करके, जांच करके जिस किसी का भी दोष है, चाहे पंचायत समिति का या सरपंच का दोष है उस शिकायत पर कार्यवाही करनी चाहिये । क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी पंचायत समिति की है । उससे फिर पंचायतों को यह डर नहीं होगा वह सोचेंगी, ठीक है प्रशासनिक जिम्मेदारी के हिसाब से जो भी कागज पंचायत समिति या ऊपर के अधिकारी मंगाते हैं वह हो जायेगा । इसके लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कई रिपोर्ट हमने इस मामले में की हैं । मंत्री महोदय ने तत्काल आदेश दिया इसकी 15 दिनमें जांच हो जाये, लेकिन न मालूम अधिकारी किस नींद में सोये हुए हैं । आज चार-चार, छः-छः महीने हो गये हैं कोई किसी तरह की जांच होकर नहीं आयी है । मैं उम्मीद करता हूं मंत्री महोदय से कि जांच रिपोर्ट किसी टाइम लिमिट में होकर आ जायेगी ताकि कोई दूसरी पंचायत उसकी देखादेखी कोई नयी बदमाशी न करे । जो भी शिकायतें होती है, सही हो तो सही के हिसाब से कार्यवाही होनी चाहिये और गलत हो तो गलत के हिसाब से होनी चाहिये । पंचायत मंत्री से इतना ही निवेदन करना है ।

दूसरा, स्थानीय निकाय मंत्री चुस्त और योग्य है लेकिन इन्होंने एक अधिकारी

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

एक अयोग्य निदेशक को और मैं तो यहां तक कहूंगा कि सुस्त और अयोग्य और आगे भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भ्रष्ट आदमी को लगा रखा है । न मालूम क्या बात है या तो मंत्री जी की एक तो चलती नहीं है, या फिर मंत्रीजी के बस की बात नहीं है । खुद चुस्त आदमी होते हुए एक सुस्त आदमी को लगा रखा है जिसकी तारीफ मेरे खयाल से राजस्थान के पूरे इतिहास के अन्दर मिलेगी । ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को,ऐसे भ्रष्ट आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसी की कमजोरी से या किसी अपने कारण से उसे उस जगह से नहीं हटा रहे हैं । यह मेरी समझ से परे की बात है । मेरे यहां दो नगरपालिकाएं हैं । एक नगरपालिका के चेयरमैन की करीब नौ महीने पहले जांच होकर यहां आयी है । जांच के अन्दर मैं कोई किसी तरह का कुछ करवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं जांच अधिकारी ने जो जांच रिपोर्ट भेजी है उसके हिसाब से एक्शन होना चाहिये । मंत्री महोदय ने, मेरे हिसाब से, कोई 5-7-10 दफा आदेश दिये होंगे । मंत्री जी, मैं आपको बता दूं इस भ्रष्ट अधिकारी की हरकत, आपने अब जाकर के नोटिस दिया है उस नोटिस पर उसने स्टे लिया है । अब और 15 दिन बाद जवाब देना है । मुझे कोई जरूरत नहीं है, मान लो जांच सही होकर आयी है तो सही के हिसाब से एक्शन हो और गलत हो तो गलत के हिसाब से एक्शन हो । इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी की जन प्रतिनिधि द्वारा की गई शिकायत पर आपके अधिकारी द्वारा जो जांच की गई है उसको इतने दिन तक पुलआन करें और उस पर कोई एक्शन नहीं होने दें तो, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा खेद की बात और कोई नहीं हो सकती । आपकी प्रशासनिक क्षमता और सारी बातें इसमें आ जायेंगी । ऐसे अयोग्य अफसर को रखकर तो आपकी बदनामी होगी यह मैं निवेदन कर रहा हूं ।

मेरी दूसरी नगरपालिका नावां है, उसका करीब 15 साल से आडिट नहीं हुआ । 15 साल से वहां प्रशासक ही प्रशासक रहे हैं । ऐसी सूरत में नावां नगरपालिका की क्या तो सड़कों की, क्या नालियों की हालत है । ऐसी कोई इनकम वाली बात भी नहीं है उस नावां नगरपालिका के अन्दर । जैसे परबतसर नगरपालिका को डेढ़ लाख रुपया अनुदान दिया उसी प्रकार मैं कहता हूं, नावां नगरपालिका को भी आप अपने जो भी स्पेशल फण्ड्स हैं उनसे कुछ मदद कर दें तो उस नगर की थोड़ी बहुत शोभा बढ़ेगी और कोई नाली वगैरह ठीक ढंग से बन सकेगी । मैं एक निवेदन करूंगा, वहां एक साबू इण्डस्ट्रीज है । वह तीन-चार-पांच भाई हैं उनके कोई 8 या 10 संस्थान लगे हुए हैं । वह टैक्स की चोरी करते हैं । कभी साबू ब्रदर्स, कभी कुछ, कभी कुछ, पांच-सात नाम के अलग-अलग इस्टीट्यूशंस खड़े कर रखे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं । न तो नगरपालिका को कुछ पैसा देते हैं, न सरकार को कुछ पैसा देते हैं उलटे सरकार से वह पैसा लेते हैं । ऐसी सूरत में, मेरा निवेदन है कि एक ही आदमी का कारोबार पांच या दस नाम से है उसकी एक-एक यूनिट की जांच करके उन पर टैक्स लगवायें ताकि

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)
नगरपालिका की कुछ आय हो, सरकार की कुछ आय हो और ऐसी बदमाशी वाली बात नहीं हो। इसके साथ मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि अयोग्य अधिकारियों को तत्काल वहां से हटायें तभी मेरे ख्याल से आपके डायरेक्टोरेट की बीमारी दूर होगी। दूसरी एक बीमारी है कि डायरेक्टोरेट जाने के लिये हर आदमी के 10/- रुपये खर्च होते हैं इसलिये मेहरबानी करके छोटा-मोटा खर्चा देकर यह दफ्तर सचिवालय के पास कर दें ताकि आने-जाने वालों को 10 रुपये किराये के नहीं काटने पड़ें। यही मेरा निवेदन है।

श्री **सभापति** : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : सभापति महोदय, आज डिमाण्ड संख्या 49, 41 और 29 पर सदन विचार कर रहा है। पहले तो मैं स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन की कुछ लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। विभाग की स्थापना का उद्देश्य-यह विभाग नगरपालिकाओं के विभागाध्यक्ष के रूप में उनका नियंत्रण, पर्यवेक्षण के साथ उनका मार्गदर्शन, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विभाग इसके बिल्कुल विपरीत अनियमित, अनियंत्रित और भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। इस विभाग का काम नगरपालिकाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकास उन पर नियंत्रण और उनकी प्रशासनिक स्वीकृतियां निकालना है। नगरपालिकाएं विधिवत तरीके से चुनी हुई होती हैं। उनमें अधिशासी अधिकारी, कमिश्नर, और तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति स्वायत्त शासन विभाग करता है ताकि उस क्षेत्र के रोड्स का निर्माण कार्य ठीक हो और कमिश्नर और सचिव सारी कार्यवाही को एक जगह एग्जीक्यूट करें। इसके विपरीत स्वायत्त शासन विभाग का मानना है कि चुनी हुई संस्थाएं, चुने हुए अध्यक्ष मुख्य मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री सब बेकार हैं। जो करेंगे, हम करेंगे। एक बार मुझे स्वायत्त शासन विभाग में जाने का मौका मिला। वहां के एक कर्मचारी ने कहा कि चेयरमैन, स्वायत्त शासन मंत्री क्या होते हैं। डी. एल. बी., जी. ए. डी. बन रहा हैं। मुख्य मंत्री इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हैड होंगे। क्या है वे ? सब हमारी अंगुलियों के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। मैं निवेदन करता हूं कि नगरपालिका एक्ट जिन भावनाओं से बना, एक्ट बनने के बाद 74 में कई रूल्स बने। कंडक्ट आफ बिजनेस रूल्स बना। इसके अन्तर्गत मेण्डेटरी प्रोविजन हैं कि हर महीने बोर्ड की मीटिंग होगी। सचिव इस मीटिंग का एजेण्डा निकालेगें। धारा 7 और धारा 5 में यह प्रावधान है कि एजेण्डा सचिव निकालेंगे और धारा 14 में प्रोवीजन है कि वह अपने हाथ से मिनट्स लिखेंगे। 24 घंटे में मिनट्स पास करके सरकार और जिलाधीश को प्रोसीडिंग भेजेंगे। इस प्रोसीडिंग के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग कार्य करेगा। माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

विभाग किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करता । वह तो इस बात का नियंत्रण करता है कि वहां पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें तकनीकी अधिकारियों का हिस्सा कैसे आये । वहां के अधिशासी अधिकारी और चैयरमैन के बीच झगड़ा कैसे हो, इस बात का नियंत्रण करता है ।

हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया था, एक नगरपालिका की अध्यक्ष मिसेज तारा भण्डारी के बारे में यहां पर प्रश्न आया था । उस समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनकी समझ इस मामले में कम है और चेयरमैन और सचिव में सामंजस्य नहीं है । मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह सामंजस्य कैसा है ? इस एक्ट में सामंजस्य की बात कहां है ? सचिव वहां पर नौकर है । सचिव को रूल्स, रेगुलेशन के अनुसार काम करना है । प्रोसीडिंग लिखनी है । बोर्ड और कमेटियों ने जो प्रस्ताव पास किये उनको सात दिन में इम्पलीमेंट करना है । हो सकता है, यह चुनी हुई संस्था है जो अक्सर नियम विरुद्ध काम नहीं करती है । वह यदि इस प्रकार का काम करें, रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ काम करे या बोर्ड के अहित में काम करें तो उसके लिये नोट आफ डिसेण्ट लगा कर भेज दे केवल मात्र यह अधिकार स्वायत्त शासन विभाग को है । सामंजस्य बिगड़ने वाली बात कहां है, समझ में नहीं आती । नगरपालिका एक्ट की धारा 307 (3) में यह प्रावधान है कि नगरपालिका का ई. ओ. या कमिश्नर चेयरमैन के नियंत्रण में, उसके अधीन रहकर उसके डायरेक्शन के अनुसार काम करेगा । मैं समझता हूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी बहुत ज्यादा समझदार है और काफी स्मार्ट सी लगते हैं । मैं नहीं समझता इतने समझदार होकर उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट कैसे दिया है । हमारे समाज के प्रतिनिधि के नाते मुझे शर्म आई जब उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया । किस प्रकार अपनी समझ का परिचय दे रहे हैं ।

सभापति महोदय, आप घंटी बजा देंगे इसलिये संक्षेप में ही कह रहा हूं । मेरे पास नगरपालिका एक्ट है जिसमें सारे प्रावधान और रूल्स लिखे हैं । मैं उनको छोड़कर बताना चाहूंगा, जैसे माननीय सदस्य ने अभी कहा कि वहां के चेयरमैन को पंगु बना दिया गया है, बोर्ड को पंगु बना दिया गया है और किसी प्रकार का काम कर नहीं सकते । मेरा निवेदन है, अधिकार, अधिनियम और रूल्स को तो पंगु नहीं बनाया है । इस डिपार्टमेंट में जो इस प्रकार की गलत बात लिखकर नियम विपरीत काम करते हैं, उनको इसके हैड, विभाग स्वायत्त शासन मंत्रीजी प्रोटेक्शन देते हैं । मेरा चार्ज है; मैं पूछना चाहता हूं कि 192 नगरपालिकाओं में कितने काम सुचारू रूप से चल रहे है ? वहां विकास के काम हो रहे हैं या नहीं ? एक्ट की धारा 98 के तहत जो प्राथमिकता के काम हैं उनको पूरा कर रहे है या नहीं ? जनता को रोशनी, बिजली, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे है या नहीं ? नालियां, सफाई की व्यवस्था हो रही है या नहीं ? इस प्रकार के जो कार्य नगरपालिका के कार्यक्षेत्र में आते है वे न करके केवल

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कार्य रहे हैं कि उनका कमीशन कैसे आये। तकनीकी अधिकारी उनका हिस्सा वहां तक कैसे पहुंचायें। सड़क या नालियों की चिन्ता नहीं हैं। आज तक किसी नगरपालिका का मैटीरियल विभाग चैक नहीं किया। कमीशन दे दो और दस्तखत करवालो, केवल यही कार्य चल रहा है। वैसे तो स्वायत्तशासी संस्थाएं नाम दे रहे हैं परन्तु इनमें खुले रूप से राजनैतिक हस्तक्षेप, गुण्डागर्दी और डकैतियों के काम हो रहे हैं। उन पर किसी प्रकार का आब्जर्वेशन, नियंत्रण नहीं है। कहीं कोई विभागीय अधिकारी जाकर डायरेक्शन देते नहीं कि किस प्रकार काम करें। चीफ टाउन प्लानर बना रखा है? मास्टर प्लान बनाने के लिये। कितनी नगरपालिकाओं का मास्टर प्लान बना? यह देखने का काम क्या इस विभाग का नहीं है? लेकिन क्या देखेंगे? फोर्थ क्लास की नगरपालिका में सैकण्ड क्लास का ई. ओ. और सैकण्ड क्लास की नगरपालिका में फोर्थ क्लास का ई.ओ. लगायेंगे। सिर्फ यह देखते है कि कौनसा ई. ओ. इनसे कैसे नियन्त्रित होता हैं, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से इनको फायदा कैसे पहुंचाता है। क्या यही एकमात्र उद्देश्य है? सारी नगरपालिका को पंगु बना रखा है। डी. एल. बी. केवल यही सोचता है कि सारे चेयरमैन, मैम्बर्स उनके हाथ की कठपुतली हैं। माननीय मंत्री महोदय हंस रहे हैं लेकिन ये कर्मचारी न उनके हैं, न आपके हैं। वह आपके बारे में भी ऐसा ही कहते हैं कि जैसे हम हिलाते हैं वैसे हिलते हैं। मंत्री महोदय से मेरा यही निवेदन है कि जो आपने किताब में लिखा है कि विभागाध्यक्ष के रूप में वहां का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, मित्र और दार्शनिक के रूप में विभाग कार्य करता है इस तरीके से काम करना है। इस तरीके से वह अपना काम करें। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, सबोर्डिनेट सर्विस की धारा 308 और 310 के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को अपाइन्टमेंट करने का अधिकार है। इसको स्वायत्त शासन विभाग को डाइवर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आरोप लगाता हूं कि 50 पर्सेन्ट से अधिक कर्मचारी डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज के यहां से डाइरेक्ट लगा दिये जाते हैं। यह क्यों किया जाता है? एक अधिकारी की नियुक्ति में पांच हजार रुपया लिया जाता है और उसकी नियुक्ति करके उसको नगरपालिका में भेज दिया जाता है। कोई नगरपालिका कानून कायदे समझती है तो वहां से तीसरे दिन उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। दूसरी नगरपालिका में ट्रान्सफर करके भेज दिया जाता हैं। दूसरी नगरपालिका यह समझती है कि ट्रांसफर होकर के यह अधिकारी आया है। इस प्रकार वे अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे है। विभाग द्वारा पैसा लेकर अपाइन्टमेन्ट लैटर दिया जाता है। लोगों का ट्रांसफर पैसा लेकर किया जाता हैं। .....

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा कुछ केसेज आप साइट कर दें। दो कर दें, चार कर दें पांच कर दें। मैं कोई लम्बी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहता। जो ऐसे केसेज हुए हैं, डायरेक्टोरेट से अपाइन्टमेंट करके उनका ट्रांसफर कहीं कर दिया गया है, बैंक डोर एन्ट्रीज कराई गई हैं, अगर आप कुछ उदाहरण साइट करे। Certainly I shall take action against that officer.

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है यदि वे कुछ करें, प्रोटेक्शन देंगे तो कहना बेकार है। आप कुछ करना चाहें तो इस प्रकार के स्पेसिफिक केसे बताना चाहता हूं। तत्कालीन निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने निवाई में इस प्रकार के दो-तीन लोगों को अपाइन्ट करके भेजा है जिनके नाम अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप मुझे बाद में दे देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : समापति महोदय, वह कर्मचारी वहां का कैश उठा कर ले गया। उसको नाकेदार बना दिया गया और वह नाके का कैश उठाकर ले गया।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री प्रद्युम्नसिंह : समापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगे पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री समापति : सदन की अनुमति से सदन का समय आज की अनुदान की मांगे पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 49, 29 व 41 पर विचार

श्री महावीर प्रसाद जैन : समापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां के सचिव को फ्राड, चोरी का केस रजिस्टर्ड करवाना चाहिये था लेकिन उसने केस दर्ज नहीं करवाया। ई. ओ. को कह दिया गया क्योंकि ई.ओ. पर उनका नियंत्रण है। ई. ओ. भी यह समझता कि है वहां का बोर्ड उसका कुछ नहीं कर सकता है।

श्री समापति : माननीय सदस्य, दस मिनट से ज्यादा न बोलें। आपके दल को

श्री महावीर प्रसाद जैन : समापति महोदय, डिमाण्ड पर दल का सवाल नहीं होता।

समापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस आदमी, जो उनका भतीजा है, को लगाया गया। उसकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवायी गयी। ई.ओ. ने अपनी जेब से चेयरमैन के नोटिस में लाये बिना सारा पैसा जमा करा दिया। कैश जमा करा कर उस कर्मचारी के केस को खतम करने के लिये इस प्रकार के डाइरेक्शन दिये गये कि उस कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाये। इस प्रकार के एक नहीं, मैं कहता हूं, अनेक नाम बता दूंगा। आप इसकी जांच कराइये।

अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस विधान सभा में भी चर्चा हुई है। बहुत समय से चार्ज भी लगाये गये हैं, भ्रष्टाचार के संबंध में चार्ज लगाये गये हैं। बोर्ड में कई इस प्रकार के केसेज हैं जिनकी रिपोर्ट हो गई, जांच हो गई लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही न कर के दोषी कर्मचारियों को बचाया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि उनके खिलाफ जांच में जो मामले साबित हुए हैं उन पर कार्यवाही की जाये।

माननीय समापति महोदय, टोंक, जहां से मैं चुन कर आता हूं, की नगरपालिका के बारे में कहना चाहता हूं। वहां की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

समस्याओं के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो नगरपालिका का प्राथमिक दायित्व है उस दृष्टि से वह काम नहीं कर पा रही है। आप वहां पर जाइये, राजस्थान में ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टी.बी. पेशेन्ट टौंक में हैं। इसका कारण है चालीस पर्सेन्ट वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, 25 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। ये गरीब लोग वहां बहुसंख्यक हैं। वहां पर किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। कोई इन्डस्ट्री नहीं हैं। किसी प्रकार का धंधा नहीं है। वे केवल मरने के लिये या बीमार होने के लिये ही पैदा होते हैं। नगरपालिका का, सरकार का दायित्व हैं कि वह उनके लिये कुछ करे लेकिन उनको न किसी प्रकार की सहायता दी जाती है न अनुदान दिया जाता हैं। इसको पढ़ें ? यदि कोई फ्लश, लैट्रीन बनानी है उसके लिये कोई ऋण अनुदान देना हैं तो वह भीलवाड़ा की नगरपालिका को देना है या और किसी नगरपालिका को देना हैं। मैं नहीं समझता कि जो सरकार अपने आपको अल्पसंख्यकों, शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों का भला करने वाली सरकार बताती है, वह किस प्रकार का प्लानिंग करती हैं। टौंक में आज भी पेयजल की समस्या हैं। वहां आज भी गलियों में, मोहल्लों में, सारे रास्तों में यहां तक कि मेन मार्केट में सड़के नहीं हैं। सड़के टूटी हुई हैं। वहां की नालियों में गंदगी का ढेर है। यदि आप बस्तियों में जाना चाहें तो घुस नहीं सकते। वहां 1700 लाइट के पाइंट हैं लेकिन केवल 200 जलते हैं। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी वहां पर कई वार्ड और मोहल्लों में सार्वजनिक नल नहीं हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। सड़कों की नालियों, की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि एक मास्टर प्लान बना कर टौंक के विकास के बारे में ध्यान दें। पिछली बार 1981 में वहां बाढ़ से भयंकर तबाही हुई हैं। उसका एक प्रश्न मैंने किया था। वह इधर-उधर घूम रहा है। स्वायत्त शासन विभाग कहता है हमारा सम्बन्ध नहीं है। सिंचाई विभाग कहता हैं हमारा सम्बन्ध नहीं है। फ्लड से प्रोटेक्शन की दृष्टि से एक स्कीम बनायी गयी है उसकी कोई क्रियान्विति नहीं हो रही है। यदि वहां दिन में बाढ़ नहीं आती तो हजारों आदमी मर जाते। उनकी किस्मत ठीक थी दिन में बाढ़ आई। कच्ची झोपड़ी में रहने वाले लोग कहां रहेंगे। उनके लिये किसी प्रकार का साधन नहीं हैं। वे किसी प्रकार रह नहीं सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाये। उन गरीबों से यात्री कर के रूप में 25 पैसे आने और 25 पैसे जाने का प्रति व्यक्ति से वसूल किया जा रहा है। इसका कोई औचित्य नहीं है। यह कानून और एक्ट के विपरीत है। मैं चाहूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री महोदय इस टैक्स को तुरन्त समाप्त करेंगे। यात्री कर का कहीं पर भी औचित्य नहीं है। राजस्थान में यात्री कर कहीं नहीं लिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सामुदायिक विकास के बारे में एक दो बात निवेदन करना चाहूंगा। आप बार-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
बार घंटी बजा रहे है, इसका मुझे ख्याल है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्कूल नहीं है, भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, अनुदान नहीं मिल रहा है। हैंण्ड पम्प की बात बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं। इसकी विफलता के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि श्री जवाहरलाल बरड़िया, परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास केन्द्र, विशिष्ट योजना संगठन, राजस्थान, जयपुर द्वारा ग्राम पचवेर ग्रामीण विकास केन्द्र का निरीक्षण प्रतिवेदन जो दिया गया है उसकी मैं अन्तिम लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

श्री शीशराम ओला : किन्होंने दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री जवाहरलाल बरड़िया, परियोजना निदेशक ने एक प्रतिवेदन दिया है। ग्राम का नाम पचवेर है जिसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतना ही पढ़ना चाहता हूं:— "इस प्रकार कुल मिला कर ग्रामीण विकास केन्द्र पचवेर में जो कार्य परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था उसमें से अधिकांश क्रियान्वित नहीं हो पाया है क्योंकि सम्बन्धित विभागों द्वारा उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं। कुछ मामलों में टाउन प्लानिंग विभाग अथवा कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा द्वारा भी निर्णय लिये जाने बाकी हैं। जो काम हो गये हैं वे काफी सन्तोषजनक हैं और इस बात के द्योतक हैं कि केन्द्र बनने के पश्चात् स्थानीय लोगों में इस परियोजना के प्रति काफी रुचि है। स गांव के सरपंच श्री हरिशचन्द्र पाराशर काफी उत्साही एवं सेवाभावी हैं किन्तु जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते वर्तमान प्रशासन उनको सहयोग नहीं दे रहा है। गांव में राजनैतिक दलों में आपस में झगड़ा है इस कारण भी मतैक्य नहीं है एवं कार्यकर्त्ता एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। चूंकि हम लोग राजनैतिक दंगल में पड़ना नहीं चाहते अतएव मैंने सुझाव दिया है कि यहां एक पचवेर विकास समिति का गठन किया जाये जिसमें सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो।"

सभापति महोदय, इसको पढ़ने के पीछे केवल एक ही भाव है कि ग्राम के विकास में, वहां की योजनाओं में राजनीति बीच में आ रही है। हम बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं लेकिन राजनैतिक दृष्टि से उनको पूरा नहीं किया जाता है। यह जो कुछ मैंने कहा है, अपनी तरफ से नहीं कहा है। यह आपके विभाग की रिपोर्ट है। वहां पर लोग काम करना चाहते हैं, उत्साही हैं। वहां का सरपंच उत्साही है लेकिन वह कांग्रेसी नहीं है। आप फिर कैसे स्वायत्त शासन की बात करते हैं।

श्री शीशराम ओला : विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है इसलिए आप विभाग के बारे में बोलें तो अच्छा रहेगा और हमको कुछ सीखने को मिलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी समझ पर हमको नाज है।

श्री शीशराम ओला : इसका हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो गांवों में डवलपमेंट के काम हैं जो आपके

(176)

(श्री **महावीर प्रसाद जैन**)

विभाग द्वारा किये जाते हैं, गांवों में जो काम होना चाहिए वह विभाग की तरफ से नहीं हो रहा है वह इसलिए नहीं हो रहा है कि यह काम विशिष्ट योजना से संबंधित है। इतना ही कह कर मैं निवेदन करना चाहता हूं जो कुछ इसमें सुधार और स्वायत्तता लाने की इस प्रकार की मंशा है ....

श्री **सभापति** : समाप्त कीजिये।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : .....भावना है उसके अनुसार ही काम करें, प्रभावशाली नियंत्रण रखें। अगर इस दृष्टि से काम करेंगे तो मैं ठीक समझूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है राजनैतिक अखाड़ा अपनी जगह हैं और....

श्री **सभापति** : समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

श्री **महावीर प्रसाद जैन** :.. स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, लोक कल्याण का काम है इसलिए इस कार्य को ठीक प्रकार से चलायें।

श्री **सभापति** : श्री चाव खां।

श्री **चाव खां** (कामां) : सभापति महोदयजी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री **सभापति** : संक्षेप में कह दीजिये।

श्री **चाव खां** : मैं पूरे राजस्थान की समस्याओं की तरफ न जाकर सिर्फ अपने क्षेत्र की बात कहूंगा। पिछले वर्ष पंचायत समितियों के बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मुझे खुशी है कि हमारे मौजूदा मुख्य मंत्रीजी ने इस विभाग के लिए यह कहा कि यह विभाग गांव का विभाग है और किसान का विभाग है। पंचायत राज विभाग के लिए किसान मंत्री बन गया इसकी मुझे बहुत खुशी है। अलबत्ता तो हमारे मामले पंचायत समिति तक ही सीमित रहते हैं मगर एक दो मामले विभाग तक पहुंच जाते हैं। उनमें संतुष्ट किया जाता है तो उन पर तुरन्त कार्यवाही हो जाती है। पूर्व में डायरेक्टर साहब खान साहब थे वे बड़े ईमानदार आदमी थे। हम कभी उनके पास जाते तो वे हमें सतुष्ट करके ही भेजते थे। अब वे यहां से चले गये। उनके बाद ऐसा डायरेक्टर भेजा जो पहले भरतपुर में कलेक्टर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं सदन के अन्दर कि मेरे ध्यान में इतना ईमानदार आदमी नहीं आया जितनी ईमानदारी से इन्होंने भरतपुर में काम किया। मैं महसूस करता हूं कि ईमानदारी हैं तो छोटे लोगों में है और जो पूंजीपति हैं वे ज्यादा भ्रष्ट हैं और लोगों को लूट कर खा रहे हैं। मैं पंचायत समिति के मामले में निवेदन करूंगा। मेरे वहां पर जो स्कूल हैं वे पंचायत के माध्यम से खुले हैं। उनमें मास्टरों की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही है। मास्टरों की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये।

(6.05 सायं)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिये है जिस तरह से पंचायतों

(श्री चाव खां)
को मुर्दा मवेशी की खाल का ठेका दिया जाता है उसी प्रकार अगर हड्डियों का ठेका भी हर पंचायत को दिया जाय तो मैं यह समझता हूं कि पंचायत की आमदनी बढ़ जायेगी। आज जो हड्डियों का ठेका दिया जाता है वह एक साथ दिया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार रुपये का हो सकता है। एक साथ ठेका देने में नुकसान होता है। पंचायतों की आमदनी का भी नुकसान होता है। हड्डियों का ठेका उस क्षेत्र की पंचायत के माध्यम से दिया जाना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। गंगगोरा पंचायत समिति नगर के नाम पर है 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार में जो पैसा मिला, सरपंच को जो कार्य मिले उसमें काफी घोटाले किए गये। उसकी बहुमत से शिकायत की गई कि इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं उनकी कोई इन्क्वायरी नहीं हो रही है। जब दूसरा सरपंच चुन कर आया तो उस सरपंच को चार्ज देने की बात आई। उस सरपंच ने आज तक चार्ज नहीं दिया। जब रिकार्ड के बारे में पूछा गया तो पता चला कि सारा रिकार्ड, जिसमें 50-60 हजार रुपये का घोटाला है, कलेक्टर के दफ्तर में जमा करा दिया गया है। जमा इसलिये करा दिया कि जांच की जायेगी। लेकिन आज तक जांच नहीं नहीं हुई। उन घोटालों को दाब रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वह रिकार्ड मौजूदा सरपंच को तुरन्त दिलाया जाय और जो घोटाले हैं उनकी जांच कराई जाय।

इसके अलावा मेरा नगरपालिका के बारे में निवेदन है। मंत्री महोदय, शायद लिख रहे हैं मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं इस सदन के अन्दर कि कामां जो मेरा क्षेत्र है वहां पर लाखों का घोटाला हुआ है। एक लाख नहीं 10 लाख का घोटाला हुआ है।

श्री राम प्रसाद (रूपवास) : असत्य बोल रहे हैं आप सदन के अन्दर।

श्री चाव खां : यह तो बताऊंगा...

श्री राम प्रसाद : असत्य बोल रहे हैं। सदन में 10 लाख आज तक कहीं नहीं मिले। इस सदन में झूठ बोल रहे हैं।

श्री चाव खां : अरे मैं तो असत्य बोल रहा हूं पर जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर जितने भी निर्माण कार्य किये गये उनके लिये वहां के जो चेयरमैन हैं, उनके जो भक्त हैं उनसे ईंटें खरीदी गई हैं जबकि दूसरे भट्टे वहां पर बहुत हैं। निर्माण कार्यों में तीन नम्बर की ईंटें लगाई गईं जबकि टेन्डर एक नम्बर की ईंटें खरीदी जाने का दिया। चूने लगाने के टेन्डर हैं लेकिन मिट्टी से चिनाई हो रही है। निर्माण कार्यों में इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह जानकारी दूं कि जब यह सारा मामला नये ए. ई. ओ. के पास आया तो उन्होंने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया। क्यों इन्कार कर दिया ? उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ है, तीन नम्बर की ईंट लगी हैं और चूने के बजाय मिट्टी लगी है।

(128)

(श्री चाव खां)

पट्टे अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, मैं इस प्रकार का गलत काम नहीं करूंगा। उसने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया। वहां से ×××का एक रिप्रेजेंटेशन आया, ××× का एक रिप्रेजेंटेशन आया। वे पास के क्षेत्र के विधायक से मिले, फिर मंत्री महोदय के पास गये। मैं पूछना चाहूंगा कि उस ए. ई. ओ. जिसको कि वहां पर काम करते हुए सिर्फ दो ढाई महीने ही हुए थे तीन महीने ही हुए थे, यह भी सच है कि वह छोटी जाति का था, उसको वहां से तीन महीने बाद में ही क्यों तबादला कर दिया गया? क्या इसका उत्तर मंत्री महोदय देंगे।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : ये तो ऐसा ही करेंगे।

श्री **चाव खां** : क्यों करेंगे। दूसरा जो ए. ई. ओ. भेजा वह किसी विधायक द्वारा पास के क्षेत्र के विधायक द्वारा भेजा गया। उस को वहां पर पीटा गया। उसको यहां पर बुलाया गया, बीस पच्चीस प्रतिशत की कमीशन की बात तय की गयी तब उस ए. ई. ओ. को वहां पर भेजा गया। वहां का एम. एल. ए. मैं हूं या वह है या और कोई है। मंत्री महोदय, अगर आप अपना दामन पाक रखना चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं तो इसकी जांच करवायें। ए. ई. ओ. को वहां पर रखें, इन्क्वायरी होने तक उसको वहीं रखना चाहिये। इन्क्वायरी पूरी होने के बाद आप चाहे उसको सजा दे दें उसको काले पानी भिजवा दें, चाहे बीकानेर भिजवा दें कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

मैं यह भी मंत्री महोदय को बता दूं, अध्यक्ष महोदय, कि जानकारी का जहां तक सवाल है, तो जितना वहां का एम. एल. ए. जानता है उतनी जानकारी आपको किसी को नहीं हो सकती है। वहां पर बजरी की चोरी हो रही है। जब आप खनिज मंत्री थे तब आपको लिखकर दिया था परन्तु आपने आज तक उसकी जांच नहीं करायी है।

श्री **मुराद खां** : हाजी जी, नगरपालिका में मेरी ससुराल है, उसकी तौहीन मत करो।

श्री **चाव खां** : मंत्री महोदय, इसकी जांच नहीं हुयी है। सड़कों के मामले में घपला है उसकी भी दरख्वास्त दी थी उसकी आज तक जांच नहीं हुई है। सड़क साढ़े तीन इंच की जगह पर दो इंच ऊंची की है। इतना-सा भी काम नहीं हुआ है, क्या करें। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर वे ईमानदार हैं अपने पर दाग नहीं लगाना चाहते हैं अपने चमकते हुए चेहरे को, अपने सफेद कपड़ों को उजला रखना चाहते हैं तो इसकी जांच करा लें और उस ए. ई. ओ. को वहां पर ही रखें। वहां पर लाखों का घोटाला है। मैं स्पष्ट कहता हूं, आपने एक सदस्य को एक सत्र के लिये निकाला है आप मुझे पूरे 85 तक के लिये निकाल दें आपको धन्यवाद दे दूंगा लेकिन उसकी इन्क्वायरी करवा लें। यह इन्क्वायरी मैं तब ही करवाऊंगा जबकि आप उस ए. ई. ओ.

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चाव खां)
को वहां पर रखेंगे । उसको पूरी जानकारी हैं कि यह हुआ है कहां-कहां पर घोटाले हैं । अगर आप यह जांच नहीं करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इसमें आप भी शामिल हैं ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरूंलाल भारद्वाज । कृपया अपने कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रहें ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्षजी, पंचायती राज के संबंध में मेरा निवेदन है कि जो इसका नाम रखा गया है पंचायती राज, इस राज को ठीक इसके नाम के अनुरूप बनाना चाहिए । राज जहां पर होता है वहां पर अभाव नहीं रहता है । मैं समझता हूं आज पंचायत समति के पास पंचायती राज के पास अभाव के अलावा कोई काम नहीं है । अभाव की कोई कमी नहीं । मेरा निवेदन है, पंचायती राज को उस नाम के अनुरूप पूरे अधिकार मान्यता प्राप्त तौर तरीके से मिलने चाहिएं उसको मान्य रूप से अधिकार देने पड़ेंगे । मेरा निवेदन है, प्रजातंत्र में जिस प्रकार विधान सभा और पार्लियामेंट को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में कामकरने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक उसी प्रकार से जो पंचायती राज संस्थायें है, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है, उनको अपने क्षेत्र में कार्य करने का पूरा अधिकार होना चाहिए । गांवों के विकास करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने पंचायती राज के अन्तर्गत जहां आर. ए. एस. अधिकारी लगाये हैं, लगाने जा रहे है तो मैं समझता हूं कि आपको तहसील अलग से रखने की जरूरत नहीं है । तहसील आपको नहीं रखनी चाहिए । रेवेन्यू प्रसार अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार को पंचायत समिति में लगाया जाना चाहिए साथ ही पटवारी को पंचायतों के तहत दे देना चाहिए । मेरा सुझाव है, सरकार को खर्चा काटकर जो पैसा मिलता है, राजस्व विभाग को जो लगान हमारे गांवों से मिलता है वह वसूल करने का अधिकार ग्राम पंचायत को तुरन्त देना चाहिए ताकि जो पंचायतें हैं वे लगान की वसूली के साथ-साथ गांवों का विकास कर सकें । साथ ही जिला स्तर पर जो सिचाई संबंधी काम हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के काम हैं, कृषि और पशुपालन विभाग का काम है, विकास से संबंधित जो अन्य काम हैं वह सारे जिला परिषदों के सुपुर्द कर देने चाहिएं । जिला प्रमुखों के पास अभी आई. ए. एस. अधिकारी लगाया है । कलेक्टर विकास आई. ए. एस. लगाया है । मैं समझता हूं कि आपको आई. ए. एस. को जिला प्रमुख का सेक्रेटरी बना देना चाहिएं ।

श्री अध्यक्ष : सभी कार्य प्रधानों को प्रमुखों को दे देंगे तो एम. एल. ए. क्या करेंगे ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एम. एल. ए. राजस्थान स्तर का काम करेंगे, नीति तय करेंगे । राजस्थान स्तर के जो कार्यक्रम हैं उनमें रुचि लेंगे, यह काम करेंगे वह लोग ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चेयरमैन बना रखे हैं विभिन्न प्रकोष्ठों में उनको भी कुछ दे दो । वे क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अगर कोई एम. एल. ए. ऐसा सोचता है कि प्रधान को

(180)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

पावर दी गयी, जिला प्रमुख को पावर दे दी गई तो उनका प्रभाव कम हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि वह देश के हित में नहीं है, खास तौर से प्रजातंत्र के हित में नहीं है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : ×××

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : प्रजातंत्र के लिये यह आवश्यक है कि जब जनता अपने राज का खुद संचालन नहीं करे, उसको छोटी संस्थाओं के जरिये भागीदारी न मिले, स्वयं का विकास उसके स्वयं हाथों में न हो तब तक वह अपना राज मानने के लिये तैयार नहीं होगी। उसको पांच साल में एक बार वोट देने का अधिकार दे दिया और कह दिया कि वह देश की मालिक है, यह काफी नहीं है। प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये महात्मा गांधी की बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। यह हमारा जो प्रजातंत्र है इसे हम पंचायती राज के जरिये चलाना चाहते हैं, अपने दिमाग में इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए और जो अपनी जेब में रखने की प्रवृत्ति हैं उसको त्यागना चाहिए। इस प्रवृति के कारण कई बार राज्य सरकारों को कुछ अधिकारों से महरूम रहना पड़ता हैं तब राज्य सरकार कहती हैं कि हमको केन्द्रीय सरकार कम पावर दे रही है। आज हिन्दुस्तान में जगह-जगह पर यह आवाज उठ रही है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को कुछ और अधिकार, पावर्स देना चाहिए, मैं उन राज्य सरकारों से पूछना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार से पावर की मांग करते हो तो पहले अपने गिरहबान में देखो कि पंचायती राज को आपने कितने अधिकार दे रखे हैं। पंचायती राज आज एक प्रकार से सरकार के द्वारा चलने वाली संस्था के तौर पर काम कर रहा है। इसको मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। जिस प्रकार विधान सभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार पंचायत राज को विधिवत मान्यता देने के बाद उनके चुनाव, चुनाव आयोग के जरिये होते रहें।

यह बात सही है कि ग्राम पंचायतों के कई दिनों से चुनाव नहीं हुए थे तो जनता पार्टी ने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराये लेकिन जब उसने देखा कि उनमें जनता पार्टी का एकदम खाका साफ हो गया, उसके सामने एक पिक्चर स्पष्ट हो गयी तो उसने अपने स्वार्थवश पंचायती राज को तुरन्त वहीं पर लंगड़ा छोड़ दिया। न पंचायत समिति बना सके न जिला परिषद् बना सके। इसका अर्थ यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, इन पंचायत राज संस्थाओं को अपने तौर तरीके से चलाने की कोशिश करती है। यह पंचायती राज के लिए उचित नहीं हैं। इसका संरक्षण देने का एकमात्र तरीका यह हैं कि हमें इसे संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। संवैधानिक मान्यता देकर पंचायती राज के क्षेत्र में जो कार्य हैं, उन तमाम विकास कार्यों के अधिकार उसे दे देने चाहिएं। मैं यह वकालत नहीं करता कि आप लॉं एण्ड ऑर्डर स्थापित करने के लिये जिला परिषद् में कलेक्टर या एस. डी. ओ.

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)
लगायें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितने भी निर्माण सम्बन्धी कार्य हैं वह सब हमको जिला परिषद्, पंचायत समिति और छोटे स्तर पर ग्राम पंचायतों को देने ही पड़ेंगे। मैं आपको इसके सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। जमवा रामगढ़ तहसील में हैण्ड पम्प के कार्य किये गये हैं एक हैण्ड पम्प पर लगभग 14-15 हजार रुपया खर्च हुआ है। मैंने मेरी ग्राम पंचायत धानपुर कलां में 10 हजार में दो हैण्ड पम्प स्कूल में लगवाये हैं, यानी हमने ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये दिये पंचायत समिति की ओर से, उसने 10 हजार में दो हैण्ड पम्प प्राइवेट लोगों को बुलाकर लगवा दिये। आप समझिये, कहां तो एक हैण्ड पंम्प जो राज की मार्फत, ठेकेदारों की मार्फत लगता वह 13-14 हजार में लगता है और कहां पंचायत की मार्फत केवल 10 हजार में दो यानी 5 हजार में एक हैण्ड पम्प लग गया।

श्री **अध्यक्ष** : आप कुआ बनाते तो कितने में बन जाता ?

श्री **भैरूंलाल भारद्वाज** : उसमें 10-15 हजार लगता क्योंकि करीब 60 फीट नीचे पानी है। उसमें ज्यादा पैसा लगता है। हैण्ड पम्प 10 हजार में दो बन गये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं जो सड़क आज पी. डब्ल्यू. डी. एक लाख साठ हजार रुपए में एक किलोमीटर बनाती है, मेरा दावा है कि जिस इलाके की सड़क है, आप इस पंचायत समिति की मार्फत उसे बनवायेंगे तो एक लाख साठ हजार की बजाय एक लाख से ज्यादा एक किलोमीटर पर लग नहीं सकता। कम रुपयों में काम भी अच्छा होगा और लोगों को यह एहसास होगा कि हमारे राज में हम अपनी सड़क बना रहे हैं हमारे राज में हम अपना एनीकट बना रहे हैं, हमारे राज में अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य और शिक्षा सेवायें अपनी मार्फत चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा पंचायती राज को अधिक अधिकार देने का मन बनाया है, मैं पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस मन को आगे बढ़ाये केवल मन तक ही सीमित न रखे। चाहूंगा मैं कि दिल खोल कर अपनी तरफ से नोट पुट अप कर सरकार के सामने कि पंचायती राज को पूरे अधिकार दिये जायें ताकि वह ढंग से आगे बढ़ सकें। आज भी हमने जो पैसे टके देने का मामला सरपंचों पर छोड़ रखा है यह उनके लिए उचित नहीं है। उनके खिलाफ कई बार इन्क्वायरियां पैसे टके को लेकर खुलती हैं। जिस प्रकार पंचायत समिति में बी. डी. ओ. को पैसा मिलता है उसी प्रकार ग्राम पंचायत का पैसा सचिव को दिया जाना चाहिए ताकि रोजाना के हिसाब किताब के झगड़ों से सरपंच को मुक्ति मिल सके। यह भी निवेदन है कि कर्मचारियों का एक कैडर बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज विकास संस्थायें हमको स्थापित करनी चाहिएं। आज हम उधारी सेवाओं से इतने बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहे हैं सचिव से आगे ऊपर तक बढ़ने का मौका उसको मिले। मैं यह समझता हूं कि उच्च अधिकारी से लेकर नीचे ग्राम पंचायत के सचिव तक हमको पंचायती राज विकास सेवाओं का एक कैडर स्थापित करना चाहिए ताकि लोग इस विभाग की सेवाओं में आगे बढ़ सकें। इस विभाग में दिलचस्पी से काम करें और डिपार्टमेंट को अच्छे ढंग से चला सकें। आजकल पंचायत समिति की मीटिंग में अधिकारी नदारद रहते हैं, इत्तला करने पर

182

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

भी अधिकारी जाते नहीं हैं। हमारा कानून पहले का बना हुआ है उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ, इसके बावजूद पंचायती राज को उपेक्षित समझ अधिकारी आंख मिचौनी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, उनको पाबंद किया जाना चाहिए कि वह पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंगों को महत्व दें और जो उनके प्रस्ताव नियमानुसार पास हों, उनकी क्रियान्विति में पूरा सहयोग दें। मैं एक ग्राम पंचायत में एक सचिव के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा। आप ग्राम पंचायत को पंचायती राज की धुरी के तौर पर काम में लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास कोई जवाब नहीं है कि हमारे पास कोई व्यवस्था है। व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और एक ग्राम पंचायत में एक सचिव देना ही पड़ेगा। ग्राम सेवकों के बारे में निवेदन करूंगा। हमको पंचायतों के तहत ही ग्राम सेवकों को देना चाहिए ताकि वे गांवों में किसानों की अच्छे ढंग से सेवा कर सकें।

जैसा मैंने ऊपर निवेदन किया, रेवेन्यू विभाग के तहसीलदार की अलग से जरूरत नहीं है। रेवेन्यू प्रसार अधिकारी की हैसियत से पंचायत समिति में तहसीलदार या नायब तहसीलदार कैडर के आदमी बैठते हैं तो फिर पटवारी को अलग से गिरदावरी का काम रेवेन्यू विभाग के तहत करने की जरूरत नहीं है। पटवारी को ग्राम पंचायत के तहत देना चाहिए जिससे कि पटवारी और पंचायत को मिलकर लगान की वसूली में दिक्कत नहीं आयेगी। वह उन रुपयों से गांव का विकास अच्छे ढंग से कर सकेंगे। मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं नये आबादी क्षेत्र कायम करने के लिए ग्राम पंचायतों के बहुत से प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। मैं तो यह कहता हूं कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ऐसी सूरत में हमको हर ग्राम पंचायत के अन्दर नया आबादी क्षेत्र कायम करना चाहिये। इस काम के लिये सरकार को पहल करनी चाहिये। चूंकि गांव नजदीक चरागाह, सिवाय चक तो रहे नहीं हैं इसलिए हमको बारानी भूमि चाही तो से बचाना चाहिए एक्वायर करके। जिस प्रकार शहरों में आबादी क्षेत्रों की अभिवृद्धि के लिए बड़े-बड़े प्लान बनाये जाते हैं ग्राम पंचायतों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है, ग्राम पंचायतों के अन्दर विकास के कार्यक्रम बनाकर नये आबादी क्षेत्र बनाने का प्लान बनाना चाहिए। मेरा एक निवेदन यह भी है कि गांवों के अन्दर हमको उद्योग धन्धे स्थापित करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। गांवों में उद्योग धन्धे इसलिये स्थापित नहीं होते हैं कि वहां हमने औद्योगिक क्षेत्र कायम नहीं किया है। जो हम औद्योगिक क्षेत्र कायम करते हैं वह शहरों में कायम करते हैं। मेरी मान्यता है, हमको यह तय करना चाहिए कि उद्योगों को गांवों में ही लगायें। किसी को लाइसेंस देते समय यह ध्यान रखें कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में ही लाइसेंस दें ताकि नये उद्योग गांव में ही स्थापित हों।

जयपुर विकास प्राधिकरण के बारे में मेरा निवेदन है कि इसके तहत नये सिरे से ग्राम पंचायतों और कुछ छोटी मोटी नगरपालिकायें ली गयी हैं। ग्राम पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाने की बात जिस समय ये बनायी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

गयी थीं उस समय कही गयी थी परन्तु वैसा नहीं हो रहा हैं। आज विकास प्राधिकरण की आंखों के सामने लोग मकान बनाते रहते हैं लेकिन तोड़फोड़ ऐसे आदमी के यहा होती है जो उनकी पसंद का नहीं होता है। प्राधिकरण लोग अब गांव की ओर भी पहुंचने लगे हैं। गांव में जाते हैं और तोड़फोड़ करके नया आतंक पैदा करने की कोशिश करते हैं। मेरा निवेदन यह हैं कि जब तक आपके पास कोई विशेष प्लान न हो तब तक प्राधिकरण को गांवों के अन्दर इस तरह से दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो मौजूदा चुनी हुई ग्राम पंचायते और पंचायत समितियां हैं उनके जो अधिकार हैं वह बाकायदा सुरक्षित रहने चाहिएं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। मैं भ्रष्ट सरपंचों के खिलाफ इन्क्वायरी में ढील की ओर भी पंचायत राज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनता पार्टी के राज में कई भ्रष्ट सरपंचों ने अधिकारियों से मिलकर लाखों रुपये के गेहूं का घोटाला किया हैं। मुझे अफसोस है ढाई साल होने को आये जिन सरपंचों के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने मौके पर काम नहीं कराया, आज भी मौके पर काम नहीं है उन आदमियों की भी जांच नहीं की जा रही है। एक पंचायत में एक गांव नहीं 13-13 गांवों के फर्जी मस्टर रोल बनाकर पेश किये गये जो काम मौके पर आज भी मौजूद नहीं हैं जहां बताया गया कि कुआं है वहां खड्डा भी नहीं है, जहां स्कूल बताया गया वहां ऐसी झोंपड़ी भी नही है। ऐसी गम्भीर शिकायतों पर लीपापोती की जा रही है। मेरा निवेदन है, जब तक आप भ्रष्ट लोगों को सजा नहीं दोगे तब तक भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा और जो आदमी ईमानदारी से काम करते हैं वह हतोत्साहित होते रहेंगे। इसके लिए आपको विशेष मशीनरी कायम करनी चाहिये व अपने क्षेत्र में जिनकी शिकायतें हैं, समयबद्ध प्रोग्राम के हिसाब से उनकी शिकायत सुनकर यदि शिकायत सिद्ध होती है तो सजा दिलाने का काम करें और शिकायत सिद्ध नहीं होती हैं तो उसको बरी करके यह घोषित करें कि इसकी कोई किसी तरह की गलती नहीं हैं। जहां तक पंचायती राज के अन्तर्गत कर्मचारियों के स्थानान्तरण का सवाल है यह भी एक बड़ा नाजुक मुद्दा है। पंचायती राज में यह बात है कि जब तक दोनों पंचायत समितियां आपस में नहीं कहें तब तक स्थानान्तरण नहीं होते हैं। यह बात ठीक हैं कि इस प्रकार रजामन्दी स्थानान्तरण तो होने ही चाहिएं परन्तु हर पंचायत समिति या हर ग्राम पंचायत या हर जिला परिषद् में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतें भी हो सकती हैं और वह वाजिब भी हो सकती हैं। ऐसी शिकायत वालों का स्थानान्तरण केवल इसी वजह से नहीं होता कि मौजूदा नियमों में उसके लिए खुलासा नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति में अगर कोई भी प्रस्ताव आता है, दरख्वास्त आती हैं, बी. डी. ओ. या प्रधान लिखते हैं तो कम से कम एक दो महीने के भीतर ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाना चाहिए जिसकी शिकायत आती हो।

जहां तक पंचायत राज सेवाओं के कुछ कर्मचारियों की वैतनिक समस्याओं का ताल्लुक है, इस बारे में भी निवेदन करूंगा।

(184)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

भत्तों का ताल्लुक है। जैसे अध्यापक को ले लीजिए। अध्यापकों को वेतन तो एज्यूकेशन डिपार्टमेंट से मिल जाता है परन्तु उसको मेडिकल बिल तथा दूसरी प्रकार की सुविधायें जो एजूकेशन डिपार्टमेंट में मिलती हैं वह पंचायती राज में ट्रान्सफर नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आता जब एजूकेशन का फण्ड आता है तो यह फंड क्यों नहीं आता? क्या अपेक्षा की जाये कि पंचायत समिति की निजी आय से मेडिकल बिल चुकाये जायेंगे तो यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। अव्वल तो पंचायत समिति की निजी आय है नहीं और यदि है तो पंचायत समिति और गांव के विकास के लिए है किसी के मेडिकल बिल चुकाने के लिए या कर्मचारियों को किसी प्रकार के अन्य भत्ते देने के लिए उपयोग में नहीं लाई नहीं जा सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार अन्य कर्मचारियों को सुविधा मिलती है, मेडिकल भत्ता मिलता है, दें। उसी हिसाब से मिलना चाहिए पंचायत राज कर्मचारियों को इसमें पंचायती राज को बदनाम नहीं किया जाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज के पास हैं इसमें 100-100 लड़कों के ऊपर एक-एक अध्यापक चल रहा है। जब भी माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं तो केवल यह कह कर कि एजूकेशन डिपार्टमेंट ने हमको पोस्ट्स सैंक्शन नहीं की हैं। बात समाप्त कर देते हैं। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है। पंचायती राज मंत्रीजी ने जब शिक्षा दिलाने का जिम्मा लिया हैं तो उनके इस प्रकार से शिक्षा विभाग की तरफ देखते रहने का कोई कारण नहीं लगता। वह अपने हिसाब से पंचायती राज का बजट अलॉट करवायें। उनके विभाग ने जो यह नियम बना रखा है 49 बच्चों पर एक अध्यापक का मैं तो यही कहता हूं कि कम से कम 49 पर एक अध्यापक तो दीजिये। 49 पर एक अध्यापक के हिसाब से राजस्थान में 10 हजार अध्यापकों की जरूरत है जबकि केवल 3 हजार पद, जैसा अभी माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने कहा हैं, ऐजूकेशन विभाग ने सैंक्शन किये हैं। मेरा निवेदन है, 10 हजार पदों की आप व्यवस्था कीजिये। मई-जून के महीने तक इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि जुलाई में जब स्कूल खुलें तो पूरे अध्यापक स्कूलों में पहुंच जायं। मेरा तो यह भी निवेदन है पंचायत राज मंत्री जी से······

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ..कि प्राथमिक शिक्षा में 49 पर एक अध्यापक का रेश्यो है यह बिल्कुल अनुचित है। प्राथमिक स्कूलों में पहले जो 439 पर एक अध्यापक का रेश्यो था, उसको हम नीचे ले जाना चाहते थे। मेरा निवेदन है यह कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिये। प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक बच्चों को कलम पकड़ा कर क-ख-ग- घ- ङ सिखाते हैं, उनको 1-2-3 गिनती सिखाते हैं। वह लेक्चर नहीं है कि कॉलेज के अन्दर जाकर भाषण दे देगा और लड़के अपने आप उसको नोट कर लेंगे। प्राइमरी ऐजूकेशन बड़ी कठिन ऐजूकेशन है, उसके लिए अधिक अध्यापक लगाने चाहिएं। माननीय पंचायत राज मंत्री जी को अपनी ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजना

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

चाहिए ताकि वह कह सके कि मैंने तो 30 लड़कों पर एक अध्यापक के हिसाब से अध्यापक देने के लिये सरकार को नोट भेजा हुआ है। पंचायत राज मंत्री जी . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : तीन बार ज़िला प्रमुख रह चुके हैं वह इस समस्या को समझते हैं, इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि पंचायत राज के बारे में यथास्थितिवाद के शिकार न रहें। जैसा चलता आ रहा है वैसा ही आगे चलता रहेगा, यह उचित बात नहीं है। यह नौकरशाही का तरीका है जैसे ही महीना पूरा होता है महीना पूरा होते ही वेतन तो मिल जाता है रिजल्ट के बारे में किसी से कुछ पूछा नहीं जाता है कि महीने भर में आपके वेतन का क्या मिला। यह जो यथास्थितिवाद का तरीका है, यह तरीका नौकरशाही का तो है प्रजातंत्र और लोकशाही का तरीका नहीं है। हमको रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट्स के लिए हमको यथास्थितिवाद को तोड़ना पड़ेगा। पंचायती राज जो नमूने के तौर पर चल रहा है उसको असली पंचायती राज का स्वरूप देना पड़ेगा। इसके लिये हमको कुछ सिद्धान्त तय करने पड़ेंगे। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आये, अगर निहित स्वार्थ के लोगों की सरकार फिर कभी आयेगी तो वह पंचायती राज को कभी भी चलाना नहीं चाहेगी। निहित स्वार्थ के लोग इस देश के अन्दर कुछ इने-गिने लोगों का प्रभुत्व चाहते हैं वह चाहते हैं कि ग्राम गरीब किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति और जन जाति का प्रभुत्व नहीं बढ़े। वह तो दिखावे के घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं। जब जनता पार्टी की सरकार ने एक बार हिम्मत करके . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : चुनाव करवा दिये तो आगे हिम्मत नहीं हुई . . .

(व्यवधान)

पंचायत राज के सिद्धान्तों के आधार पर नये दृष्टिकोण से पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन करना चाहिये और पंचायत राज को सक्षम बनाने के लिये अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिये। मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज : (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 29 और 41 पर दो सुझाव देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के बारे में बहुत नये-नये सुझाव बताये गये। मैं भी पंचायत राज के काफी सम्बद्ध रहा हूं। मैं पहली अर्ज तो यह करना चाहता हूं कि पहली बात तो यही सोचनी होगी कि आज हमारे सामने स्कूल वगैराह का बजट रखा है उनमें सबसे पहले अध्यापकों का प्रबन्ध होना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है हमारे गांवों के अन्दर कि 50-60-70 बच्चों पर एक अध्यापक है, उसके साथ में प्रौढ़ शिक्षा का एक अडंगा और लगा दिया। प्रौढ़ शिक्षा में वहां सिर्फ कागज बिगाड़ते है कोई भी एक अक्षर नहीं सीखता। पाटी बस्ता वहां बांटते हैं।

(श्री चतुर्भुज)
लेकिन कोई भी एक अक्षर नहीं सीखता। इस बजट को कन्या पाठशाला के लिए दे दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा का जितना भी बजट है प्रौढ़ शिक्षा बन्द करके उसको उस क्षेत्र की कन्या पाठशाला के लिए दे दिया जाये तो उसका उपयोग हो सकता है। सिर्फ आंकड़े बढ़ते हैं रुपया एक काम में नहीं आता है एक भी आदमी अक्षर नहीं सीखता है। उसके साथ में एक फन्दा और लगा दिया दलिया वगैरह का।

श्री अध्यक्ष : बिना सोचे समझे पढ़े दस्तखत करना भी खतरनाक साबित होता है।

श्री चतुर्भुज : वह भी नहीं सीखता हैं। माननीय अध्यक्ष न पढ़ाई होती है न व्यवस्था होती है मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह बेकार की बात है गांव के अन्दर स्कूल हैं वह ही काफी हैं लेकिन उसमें व्यवस्था पूरी होनी चाहिये। व्यवस्था पूरी नहीं होने से अव्यवस्था और असंतोष फैलता है। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के अन्दर व्यवस्था होना जरूरी है।

इसके साथ पंचायत राज की बात और कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय पुराने जमाने से 2 रुपये सरपंच को मिल रहे हैं। आज एक मजूदर को 10 रुपये देते है दो रुपये तो हमारा मजदूर भी नहीं ले रहा है यह तो एक लज्जा की बात है पंचायती राज के लिये, यह इज्जत का सवाल है सम्मान का सवाल है। उसे न देना अच्छा है लेकिन कम से कम क्षेत्र में मौका देखने के लिए 10 रुपये फीस सरपंच की होनी चाहिये दो रुपये में क्या आता है? वह सरपंच आपके प्रति क्या श्रद्धा रखेंगे? मेरा निवेदन है कि इससे तो नौकरी ही ठीक है। अगर फीस दी जाय तो कम से कम मजदूर के बराबर तो होनी चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि एक पंचायत में जो आमद होती हैं, जो पंचायत को आपने आमदनी के साधन दे रखे हैं, ग्रुप सचिव के बिना आय नहीं होती है। छोटी-मोटी मशीनरी का कोई भी काम है वह नहीं होता। आपने 3 के बजाय दो पंचायत एक ग्रुप सचिव को दे दी। दो पंचायतों में एक ग्रुप सचिव नाकामयाब रहेगा। अभी आपके राजस्व अभियान के अन्दर जो मामले सामने आये हैं वह नामान्तरण के आये हैं। यह पटवारी और सरपंच के अधिकार की बात है इसमें कलेक्टर क्या करेगा। यह काम तो सरपंच और पटवारी ही कर सकते हैं। अगर पटवारी और सरपंच नहीं करते हैं तो उनकी बेईमानी है। यह नाकामयाबी का नमूना आपके सामने है। राजस्व अभियान के अन्दर जो काम सरपंच और पटवारी का था वही काम हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है। ग्रुप सचिव नहीं होने के कारण नाकामयाबी मिली है।

नगरपालिकाओं के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। टोडारायसिंह की नगरपालिका के बारे में भी निवेदन करूंगा। एक सुझाव मैं देना चाहूंगा, चाहे 3 वर्ष में चुनाव करवायें, चाहे 5 वर्ष में चुनाव करवाये लेकिन बिना चुनाव के नगरपालिका एक दिन भी नहीं चलनी चाहिये। आप चार-चार वर्ष प्रशासक रख देते हो। वह देनदारियां एक दिन में साफ कर देता है, सारी नगरपालिका का सत्यानाश हो

(श्री चतुर्भुज)

जाता है। जितनी भी आय, जितना भी जमीन बेचने का फायदा है, जो नगरपालिकाओं के अधिकार में है, उसका प्रशासक बिना नियम के सत्यानाश कर देते हैं। चार वर्ष में सात वर्ष में चुनाव कराते हैं और चेयरमैन और बोर्ड की इज्जत बचना मुश्किल हो जाती है। नगरपालिका के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की व्यवस्था नहीं रहती है। छोटी-छोटी पंचायत समितियां और नगरपालिकाओं के पास जमीन के अलावा और कोई आमदनी तो है नहीं, उस आमदनी को आप प्रशासक रखकर समाप्त करा देते है। तीन-चार साल तक चुनाव आप कराओ नहीं। नगरपालिका का अध्यक्ष तीन साल के बाद एक दिन भी नहीं रह सकता और प्रशासक दस साल बैठा रहे तो कोई परवाह नहीं। दस साल और भ्रष्टाचार करता रहे, नगरपालिका की आय का सत्यानाश करता रहे, कोई सुनने वाला नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि नगरपालिका का चुनाव चाहे तीन साल रखें, चाहे पांच साल रखें, कोई बात नहीं लेकिन, नगरपालिका के चुनाव के बिना उस नगरपालिका का सत्यानाश करना है। प्रशासक उसमें कुछ भी नहीं छोड़ता है। आज टोडारायसिंह की नगरपालिका में तनख्वाह देने की भी व्यवस्था नहीं है। वहां चार,पांच साल से प्रशासक बन बैठा है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। जितनी भी जमीन थी उसको बिना नियम बेच बाच कर के पकड़ा गया और उनका कब्जा सही कर गया।

आपने नगरपालिका के चुनाव कराये। म्यूनिसिपैलिटीज के चेयरमैन और जो इसके लोग हैं, उनको अपने कपड़े बचाना मुश्किल हो रहा है, अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री चतुर्भुज : इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका चुनाव के बिना क्षेत्र में एक दिन भी नहीं चलानी चाहिए, चाहे तीन वर्ष में करायें, चाहे पांच वर्ष में करायें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। टोडारायसिंह में भूमि रूपान्तरण के संबंध में अभी आदेश गया है। मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, सन् 1954 में इसी नगरपालिका टोडारायसिंह में राज्य सरकार ने आदेश दिया था उसकी पालना तहसीलदार ने नहीं की, जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। सारी जमीन हमारी ले ली। किसानों की, कोलियों की जमीन चली गई। तमाम बाड़ा, नोहरा चला गया। किसानों को बाड़ा भी चाहिए, रोड़ी पटकने के लिये और भी स्थान चाहिए, रहने के लिये मकान चाहिए, मवेशियों के लिये भी जगह चाहिये। अपने खाते की जमीन है उन पर आपने भूमि रूपान्तरण की साढ़े चार गुणा पेनल्टी लगा दी। इस कानून में संशोधन करके आप किसानों को बचाइये। उनकी सम्पत्ति उनके पास रहने दीजिए। आपको वे ही वोट देते हैं। ऐसे इस कानून से उनका नाश हो जायगा। फिर आपके पास रहेगा कौन? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह जैसी छोटी सिटी में भूमि रूपान्तरण का कानून नहीं होना चाहिए। आज जयपुर में एक बंगले का

(श्री चतुर्भुज)

दो हजार रुपया किराया मिल सकता है लेकिन टोडारायसिंह में एक लाख रुपये का मकान बनादो, दो सौ रुपया किराया नहीं दे कोई । वहां लोग अपनी-अपनी झोपड़ी में रहते हैं । उस डेजर्ट इलाके में दस-पन्द्रह हजार की आबादी की नगर-पालिका में जो यह कानून लागू किया गया है उस कानून के अनुसार किसान और मजदूरों को पैसा दे नहीं पायेगा वह जमीन, वह सम्पत्ति भी पैसे वालों के पास जायगी अगर वे कानून नहीं तोड़ेंगे तो। हम लोगों का तो सवाल ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भूमि रूपान्तरण के बारे में सन् 1954 में तारीख 10-2-54 को जो आदेश राज्य सरकार ने निकाला था, उस के अनुसार एक बीघा का 1 रुपया 14 पैसा तय किया था । उसकी पालना एस. डी. ओ., तहसीलदार ने नहीं की जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं । गरीबों का पिण्डा छुड़ाने के लिये इस कानून में संशोधन करेंगे, टोडारायसिंह की नगर-पालिका और किसानों को बचाने की कोशिश करेंगे । यही कहता हुआ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन । समय काफी हो गया है इसलिए अब भाषणों की समय सीमा सात से आठ मिनट तक होगी ।

श्री जीतमल जैन ।

(व्यवधान)

आपने कोई कटौती प्रस्ताव दिये ही नहीं । समय तो बहुत है लेकिन आप सात से आठ मिनट में समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र की नींव मजबूत बने इसके लिए आवश्यक है कि हमारी स्वायत्त शासी संस्थायें मजबूत बनें । हमारा दुर्भाग्य हैं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं की उपेक्षा की गई उसके कारण लोकतन्त्र की नींव मजबूत कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है । सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से यह वार-वार कहा जाता है कि हमारी लोकतंत्र में बड़ी आस्था है। और इस बात की सफाई के पक्ष में एक बात यह कही जाती है हमने पंचायतों के चुनाव कराये, नगर-पालीकाओं के चुनाव कराये । आपने नगर-पालीकाओं और पंचायतों के चुनाव कराये वास्तव में इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं । आपने वह चुनाव टुकड़ों में कराये और कुछ नगर परिषदें इसलिये छोड़ दीं क्योंकि उसमें आपका राजनीतिक हित नहीं है । बात जरूर आप लोकतन्त्र की करते हैं लेकिन लोकतन्त्र के अन्दर आपका विश्वास हो ऐसी आपकी नीयत नहीं है । चुनाव हो गये नगरपालिकायें बन गई बड़ी अच्छी बात है । इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि अगर कोई विरोधी पक्ष की नगरपालिका बन गई तो आप इस प्रकार के वहां व्यवधान पैदा करते हैं जिससे कि वह नगरपालिका ठीक प्रकार से चल नहीं सके और आपका इस बात का अवसर मिल जाय कि आपके अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये नगरपालिका को भंग कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : यह तो लोकतन्त्र का जाना माना तरीका है ।

श्री जीतमल जैन : दूसरी बात यह है कि हमारी जो नगरपालिकायें हैं वह वास्तव

(श्री जीतमल जैन)
में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं पंचायतें भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोकतन्त्र मजबूत हो तो उनका आर्थिक स्तर किस प्रकार ऊंचा उठे इस बात की चिन्ता हम सबको करनी होगी। मैं पिछले पांच साल से इस सदन में बैठता रहा हूं, हर बार मेरे द्वारा मनोरंजन कर की बात उठाई जाती है लेकिन दुर्भाग्य है कि मनोरंजन कर, जिसके द्वारा नगरपालिका की आमदनी बढ़ सकती है, की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता।

यहां पर सिरोही नगरपालिका की चर्चा हुई, वहां राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिये आपने क्या किया मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, अलवर जिले के अन्दर एक नगरपालिका राजगढ़ है चूंकि वहां विरोधी दल की हैं इसलिये आप नहीं चाहते कि वहां काम ठीक प्रकार से चले। उसमें आपने व्यवधान पैदा करने के लिये वहां के ई. ग्रो. का सात बार ट्रांसफर किया, अन्ततोगत्वा वह ई. ग्रो. लगभग बीस हजार रुपये अग्रिम राशि राजगढ़ नगरपालिका से लेकर चला गया जिसका कोई हिसाब आज तक नहीं लिया गया। इस प्रकार की सारी स्थिति आपकी है।

नगर आयोजना विभाग के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। नगर आयोजना विभाग गत 14 वर्षों से राजस्थान में काम कर रहा है माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की है, बड़ा दुर्भाग्य है कि गत 14 वर्ष के अन्दर केवल पांच नगरों का मास्टर प्लान नगर आयोजना विभाग बना सका है। अलवर के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। अलवर एक औद्योगिक नगर बनता जा रहा है औद्योगिक विकास उसमें बढ़ता जा रहा है लेकिन उस नगर का आज तक मास्टर प्लान नहीं बन पाया। पिछले पांच दस सालों में जिस प्रकार की नई कालोनियां और स्लमें बन गये, यह वास्तव में हमारे लिये खेद का विषय है। नगर आयोजना विभाग इसके लिये दोषी है, विशेष रूप से नगर न्यास के अधिकारी इस बात के लिये दोषी हैं। उनकी आंखों के सामने इस प्रकार की गलत कालोनियों का निर्माण होता रहा लेकिन उसको रोका नहीं। इसमें कहीं न कहीं अधिकारी और मकान बनाने वालों की मिलीभगत है इसके बगैर यह काम नहीं हो सकता। एन्क्रोचमेन्ट शहरों के अन्दर बढ़ता जा रहा है। उसको रोका नहीं जाता इसके कारण है। इसके अन्दर भी कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी और एन्क्रोचमेन्ट करने वालों की आपस में मिलीभगत है उस कारण एन्क्रोचमेन्ट रुक नहीं पाते। मेरा निवेदन है, जब एन्क्रोचमेन्ट हो जाता है तो आप अतिक्रमी को नोटिस देते है, 15 दिन का नोटिस देते हैं। फिर दुबारा नोटिस दिया जाता हैं लेकिन उस अवधि में कोई उनको रोकता नहीं। इस कारण धीरे-धीरे एन्क्रोचमेन्ट पक्का हो जाता है। एक पक्की तामीर हो गई, पक्का निर्माण हो गया उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। मेरा इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कानून के अन्दर कोई परिवर्तन कीजिए, एक मोबाइल मजिस्ट्रेट नियुक्त कीजिए जो तुरन्त निर्णय ले सके और उसको कार्यान्वित करये। इसी प्रकार एन्क्रोचमेन्ट की प्रवृत्ति को रोक पायेंगे।

मैं इसके साथ ही अलवर के बारे में

(190)

(श्री जीतमल जैन)

कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अलवर का नगर विकास न्यास वास्तव में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केन्द्र बन गया है। एक बात मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि सारे राजस्थान के अन्दर जितनी नियुक्तियां होती हैं उनके लिए एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम मांगे जाते हैं, कई अखबारों के अन्दर विज्ञापन दिये जाते हैं तब नियुक्तियां होती हैं। लेकिन अलवर नगर विकास न्यास के अन्दर आप देखेंगे, दो जे.ई.-एन., ट्रेसर, एक एल. डी. सी. और दो फोर्थ क्लास की अध्यक्ष महोदय ने अपनी मर्जी से नियोजन कार्यालय से नाम मांगे बगैर, किसी अखबार में विज्ञापन दिये बगैर नियुक्ति कर दी। उन जे. ई.एन में से एक जे. ई. एन. वाटर वर्क्स में पहले से काम कर रहा है। उसको वहां पर लगाया गया है। इसलिए लगाया गया है कि वहां पर उनका काम ठीक तरह से चल सके। इस तरह की अनियमिततायें चल रहीं हैं। हमारी नगर परिषद के अन्दर सारे इंजीनियर्स आर. एस. ई. बी, और पी. एच. ई. डी. के बैठते हैं। अलवर की सड़कें चौड़ी हो गई हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके चौड़ी होने के बाद जो लैम्प पोस्ट सड़कों के बीच में आ गये हैं उनको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आर. एस. ई. बी. का एक्स. ई एन. वहां बैठता है उसने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह हो गया है कि आज वहां एक्सीडेंट होने की सम्भावना बढ़ गई है। पेड़ों की जहां तक बात है, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि कई लाख रुपये के पेड़ अलवर शहर में लगाये गये हैं। मेरे पास इसकी सूची है उसको पढ़कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मंत्री महोदय, आप इन्क्वायरी करायें तो पिछले सालों में जो पेड़ लगे हैं उसके 10 प्रतिशत पेड़ भी आपको नहीं मिलेंगे यह मेरी चुनौती है। आप अपने स्तर पर जानकारी करवा लें।

जहां तक नगर परिषद का सवाल है, उससे निर्माण कार्यों के लिये लोगों को मन्जूरी नहीं मिलती है जब तक वे भेंट नहीं चढ़ा दें। तीन-तीन, चार-चार महीने लग जाते हैं लेकिन लोगों को नगर परिषद से निर्माण कार्य कराने के लिये मन्जूरी नहीं मिलती। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको 10 दिन के अन्दर मंजूरी मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा वहां पर श्री आलमचन्द हैं, नगर परिषद को उन्होने एप्लीकेशन दी और केवल 10 दिन के अन्दर उनको परमिशन मिल गई। पैसा जमा हो गया, आवश्यक कागजात पूरे हो गये। इस तरह गरीब आदमी, जिसकी पहुंच नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, काम नहीं होता है। वास्तव में नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दुर्भाग्य से जब से वर्तमान आयुक्त को भेजा है भ्रष्टाचार वहां चरम सीमा पर है। वहां कोई भी काम बिना पैसा दिये नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आपने इस संबंध में कोई कटौती प्रस्ताव दिया है।

श्री जीतमल जैन : हां कटौती प्रस्ताव

(श्री जीतमल जैन)

दिये हैं साहब । एक बात और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा । गृह कर की जो सीमा है वह पहले निर्धारित की गई थी । जिनकी 600 रुपये वार्षिक आय है उनसे आप गृह कर नहीं लेते । कानून के अंतर्गत तो 180 रुपये वार्षिक आय तक का प्रावधान हैं, 600 रुपये का तो प्रशासनिक ऑर्डर है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शहर के अन्दर किराये इतने महंगे हो गये हैं कि एक व्यक्ति को एक कमरे के लिये 50 रुपये, 60 रुपये किराये के चाहिये । आप गृह कर की सीमा को 1800 रुपये कर दें यह मेरा आपसे अनुरोध है । इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात सबसे पहले टाउन प्लानिंग विभाग से प्रारम्भ करता हूं । उदयपुर राजस्थान के बड़े छह नगरों में से है । जब से मुझे थोड़ी-बहुत समझ में आया है तब से मैं बराबर सुनता आ रहा हूं कि उदयपुर का मास्टर प्लान बन रहा है । इसके लिये कई बार उदयपुर में मीटिंग हो गयी है, कई बार जनता के आब्जेक्शन मांगे गये हैं मास्टर प्लान नक्शा बनाकर भी टिंग्स करके हमारे चीफ टाउन प्लानर ने समझाने की कोशिश की यहां ग्रीन बैल्ट रहेगी, यह औद्योगिक एरिया रहेगा यहां पर झील है, इसके पानी से प्रदूषण न हो इसलिये इसके आस-पास कोई बस्ती नहीं होगी लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आपके चीफ टाउन प्लानर जो सन् 1966 में यहां पधारे हैं मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 1966 से लेकर 1983 तक इन महाशय जी ने राजस्थान को क्या कर दिया है ? इस विभाग के हमने सात विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े नगरों में आफिस कायम कर रखे हैं जिनमें अलवर भी है । इन सात आफिसों पर 20 साल में जो खर्चा हुआ है अगर उसको जोड़ा जाये तो वह 10 करोड़ से भी अधिक का खर्चा हुआ है । मैं मंत्री महोदय, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपये आपने वेस्ट क्यों किये ? यह जो पांच नगरों का मास्टर प्लान सबमिट करके आये थे, यह इन महाशय की देन नहीं थी । सन् 1960 में हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग से बनाया था, 1960 से लेकर 1966 तक जो प्लान इनके पूर्वजों ने बनाये थे उसमें कुछ संशोधन करके, काट पीट करके इन्होंने पब्लिश कर दिये और यह वाह-वाही लूट ली कि हमने इसको बनाया है । मैं, मंत्रीजी महोदय आपसे पूछना चाहता है कि यह टाउन प्लानिंग विभाग तो आपने बना रखा है, क्या आपने टाउन प्लानिंग एक्ट बनाया है ? सन् 1960 से यह विभाग चल रहा है आज दिन तक इसका एक्ट नहीं बना हम किस आधार पर लोगों के काम को आंकेंगे । यही नहीं, इन्होंने राजस्थान नहर परियोजना के रीजनल डवलपमेंट प्लान का काम शुरू किया, क्या वह पूरा हो गया ? आखिर किसी चीज़ की कोई एक सीमा होती है, उसका कोई परिणाम तो आना चाहिए । यहां बैठे बैठे केवल इनका एक काम जरूरी है, अध्यक्ष महोदय,

192

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमारे राजस्थान में इस टाउन प्लानिंग विभाग ने एक काम जरूर किया है कि सिनेमा कहां बन सकते हैं, होटल कहां बन सकती है, पैट्रोल पम्प कहां बन सकते हैं। वह भी सरकारी जमीन पर नहीं, यू. आई. टी. की जमीन पर नहीं। आपने उदयपुर नगर के अन्दर कोई भी जमीन इस बात के लिए सजेस्ट नहीं की होगी या इस बात के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया होगा कि सिनेमा बनेगा तो यू. आई. टी. की जमीन पर बनेगा या एग्रीकल्चर जमीन पर बनेगा। प्राइवेट पार्टियां इन महाशय से आकर मिलती रहती हैं जब तक उनका सौदा पटता मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं; आप उठायें सब फाइलें जिनमें राजस्थान में सिनेमा बनाने की परमिशन दी है उनमें आप देखेंगे कि इनका एक नोट एक बार लगा है कि यह सम्भव नहीं है यहां तो हमारी इण्डस्ट्री है, यहां हमारी कामर्शियल जगह है, यहां हमारी बस्ती नजदीक है; यहां हमारी मस्जिद है, यहां हमारा मन्दिर है इसलिए यह काम नहीं बन सकता। लेकिन दो तीन महीने के बाद यही महाशय अपनी कलम से लिखते हैं कि नहीं, यह स्वीकार किया जा सकती है, प्लानिंग बदली जा सकती है। मैंने जो आपसे प्रश्न किया था वह इसीलिये किया था कि हिन्दुस्तान में कोई भी एक उदाहरण बता दो कि नेशनल हाइ वे या स्टेट हाइ वे के जंक्शन पर सिनेमा बनाने की परमिशन मिल सकती है। लेकिन इन महाशय ने परमिशन दी। इस तरह से राजस्थान टाउन प्लानिंग विभाग का भट्टा आपने बैठाया। यही नहीं बैठाया, जिस तरह के कांड इन्होंने किये है क्या आपके जयपुर में आपकी आंखों के सामने नहीं हुए आपने देखा नहीं कि जो हमारा सूचना केन्द्र हैं उसके पास जो 7 मंजिली होटल बनी यह किसकी कृपा से बनी है ? क्यों नहीं तोड़ी इसकी ऊपर की मंजिल को रिजर्व बैंक की ऊपर की मंजिल तो तोड़ सकते हो क्योंकि सरकारी माल है। वहां पैसा फोकट में कौन देगा, कैसे देगा, किसके जिम्मे है। लेकिन मालिक दे सकता है। मालिक की सात मंजिल की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी और सरकार की रिजर्व बैंक की बिल्डिंग खराब है। उसकी बिल्डिंग आपने तुड़वा दी। क्या आपने कभी यह विचार किया कि यह कैसे हुआ आपने कभी यह अगर नियम मौजूद है तो इस प्रकार के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और यह क्लार्क आमेर क्यों खड़ा है ? इसकी मंजिलों पर भी विचार किया है ? क्या इसकी सात मंजिल बनाने की परमिशन दी थी ? वह एक काम कर सकते हैं कि जो इनके चहेते लोग हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जी हां, मेरा कटौती प्रस्ताव है। श्रीमान् मैं आपको खोलकर बता सकता हूं, जो मेरा अन्तिम कटौती प्रस्ताव है वह इन महाशयजी के बारे में की है। मेरा कटौती प्रस्ताव है, दाऊदयाल जोशी का है, और माननीय सदस्य का है। आप अन्तिम कटौती प्रस्ताव देख लीजिए। श्रीमन्, यह बात केवल मैं ही नहीं उठा रहा हूं विधान सभा के प्रत्येक सत्र में यह बात उठी है। यहां तक कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने ज्योइन्ट सिनेमा की जो इन्होंने परमिशन दी थी उसकी जांच करके रिपोर्ट आपको दी है। आपके यहां पड़ी है लेकिन उस पर कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक्शन नहीं हुआ। यहां तक ही नहीं, श्रीमन्, ट्रिब्यूनल के तीन-तीन केसेज में फैसला हुआ है। जो राज्य कर्मचारी इनको सौदा नहीं पटाते, इनको पैसा नहीं पहुंचाते है उनके साथ किस तरह से इन्होंने ज्यादतियां और जुल्म किये हैं उनकी कोर्ट ने जिस ढंग से जो कठोर शब्दों में भर्त्सना की है, मेरा अनुमान है कि आज दिन तक के इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। आप इसमें से थोड़ा देखें—

Chief Town Planner & Architectiral Adviser to arrange payment of salary up to date within a period of 15 days from to day,

इन्होंने एक कर्मचारी की तनख्वाह रोक ली और उस कर्मचारी को फुटबाल बना दिया। वह थोड़े दिन एग्रीकल्चर विभाग में चला गया, इनसे परेशान होकर के और दो साल का लीन खतम करके वापस आया। इन्होंने 6 महीने उस आदमी को ड्यूटी जोइन नहीं करने दी। उस आदमी ने रजिस्टर्ड लैटर के द्वारा प्रतिदिन अपनी ड्यूटी दी, अन्त में वह परेशान होकर ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल ने इनको कहा कि इसको 15 दिन में इसकी सारी सैलरी मिलनी चाहिए। यही नहीं श्रीमन, मैं आपको पढ़कर सुनाता लेकिन समय नहीं है कि ट्रिब्यूनल ने कहा, जिस व्यक्ति ने इसको हेरैश किया है उस व्यक्ति पर रुपये 500/- पैनल्टी लगाकर इस व्यक्ति को वह राशि दी जाये। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति दोषी है उसने पेमेंट नहीं किया। विभाग ने वह 500 रुपये का पेमेंट दिया है। लेकिन आपने कभी उसका पता नहीं किया, दूसरा केस भी इसी प्रकार का है जिसमें लोगों की सी. आर. बिगाड़ी गयी। इसके खिलाफ लोग ट्रिब्यूनल में गये तो कोर्ट ने कण्डेम करते हुए जिन शब्दों में कहा है वह हम पढ़ें तो हमारा माथा दुखने लग जायेगा। किस तरह की इन्होंने गरीब लोगों के साथ ज्यादतियां कीं, श्रीमन्, मैं इसका कुछ भाग पढ़कर सुना रहा हूं, "उस पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना वांछित है हम नहीं समझते हैं कि ऐसे गम्भीर आरोप पर राज्य सरकार मौन क्यों है। इस मौन से जनता में यह धारणा बनती है कि सरकार जांच की कार्यवाही टालने का प्रयास कर रही है। निष्पक्ष और उत्तरदायी पूर्ण प्रशासन के लिए शोभनीय नहीं है। जैसा कि प्रार्थीगण की ओर से जो आरोप लगाते समय बताया है कि मुख्य नगर नियोजक अधिकारी जो अवकाश प्राप्त करने वाले है, अवकाश प्राप्ति के पश्चात् तो आरोपों का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा हमारा निश्चित मत है।"

यह कोर्ट का जजमेंट है। अध्यक्ष महोदय, जो कोर्ट का मत है उसमें भी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं लेकिन श्रीमन्, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो अपना है वह टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं बल्कि किसी शहर की सुन्दरता को नष्ट करने वाला डिपार्टमेंट है। मेरे उदयपुर शहर, जिसको कि मैं पिछले कई साल से देख रहा हूं, के लिये कई बार हमने प्रयत्न किये लेकिन हमने देखा है कि यह विभाग चाहे जिस किसी चीज के लिये वहां पर परमिशन दे देते हैं। श्रीमन, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर शहर में इस विभाग ने कई ऐसे कार्य किये हैं जिन्हें

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

देख कर बहुत ही आश्चर्य होता है । वहां पर इनके कारनामों को देखते हुए तो हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारा यहां पर बोलना और कोई सूचना देना बिलकुल ही बेकार है । मुझे तो ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र का कोई महत्व ही नहीं रहा है । यह कटु सत्य है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आप उन आरोपों की जांच करायें, मैं आपको दावे के साथ इस सदन के फ्लोर पर कहना चाहता हूं अगर सही नहीं निकले तो आप चाहे तो मुझे हमेशा के लिये जेल में बन्द करदें, मैं उसको बरदाश्त कर लूंगा । हम बार-बार यहां पर कहते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम होने वाला नहीं है आज सरकार के पैसे का मिस-यूज हो रहा है। उदयपुर में लोगों को भूमि अवाप्ति के लिये नोटिसेज दिये गये, प्लाट बनाने के लिये नोटिसेज दिये गये कि आप यहां पर प्लाट नहीं बना सकते । नोटिसेज सर्व होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, वहीं पर उन्हीं लोगों को मिलजुल कर परमिशन दे दी गई । नोटिसेज सर्व होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ । मैं अध्यक्ष महोदय, आपको यहां कहना चाहूंगा कि अपोजिशन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी, उसके एक्ट में प्रोविजन नहीं उसके बावजूद उन लोगों को वह जमीन मिल गयी । श्रीमन्, इतना ही नहीं, हमने 38 लाख रुपये उदयपुर में गरीब हरिजनों की बस्ती के विकास के लिये जनता पार्टी के समय में मन्जूर कराये थे, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के अनुसार आज भी आठ लाख रुपये बैंक में पड़े हुए हैं वहां की हरिजनों की कच्ची बस्ती में आज तक लाइट का कोई इन्तजाम नहीं हुआ, नाली की व्यवस्था नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की बस्ती में यह काम नहीं हो सकते हैं पर वहां पर पार्क बन सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को दावत देना चाहूंगा, निमन्त्रण देना चाहूंगा कि उदयपुर में जो पार्क बने हैं उनकी मिट्टी और चूने को टेस्ट करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो वन पाइन्ट 25 काम होना चाहिये उसकी जगह वन पाइन्ट 20 काम नहीं है। वहां पर जो भी काम होता है वह इस दृष्टि से होता है उनको कमीशन कैसे मिल, लाभ कैसे हो। श्रीमन्, यू. आई. टी. का जो काम है, जैसा यू. आई. टी. के एक्ट में प्राविजन है कोई भी प्लाट के एवज में प्लाट नहीं ले सकता। अगर लेता है तो उसके लिये राज्य सरकार से परमिशन ली जाती है परन्तु, अध्यक्ष महोदय, वहां पर किसी भी काम के लिये परमिशन नहीं ली जाती है। मैंने यहां पर प्रत्येक विधान सभा सेशन में, कम से कम तीन विधान सभा सेशन में प्रश्न पूछे हैं कि उदयपुर में किन-किन लोगों ने प्लाट के बदले प्लाट लिया है तो मुझे कभी तो जवाब मिलता है कि चार आदमियों ने लिये है, ज्यादा जोर देता हूं तो कहते हैं कि दो और लोगों ने प्लाट के बदले प्लाट लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि और कोई नहीं वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने वहीं पर ए. ई एन. से रिपोर्ट करा दी, एक्स.ईएन. ने रिपोर्ट करा दी और दस्तखत कर दिये। उसके बाद सैक्रेटरी दस्तखत करा दिये फिर प्लाट के बदले प्लाट ले लिया। अध्यक्ष महोदय, जो जमीन दस रुपये फीट की नहीं थी उसके बदले में बहुत लम्बा चौड़ा प्लाट दे दिया गया। उसमें लिख दिया कि मेरे यहां नाला आ गया है या सड़क आ गयी है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और उसके बाद में प्लाट चेंज करा दिया। आप चाहें तो प्रोसीडिंगस मंगा कर देखले, वहीं पर ए. ई. एन. ने रिपोर्ट की उसी पर एक्स.ई.एन. ने रिपोर्ट कर दी और उसी पर सैक्रेटरी ने आदेश कर दिये। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में कामर्शियल सैक्टर को चेन्ज कर दिया जबकि रूल्स में प्रोविजन नहीं हैं। वहां पर दस हजार की जमीन के बदले 50 हजार की जमीन लोगों को दी गई है।

श्रीमन्, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में दो फव्वारे बनाये गये हैं, एक तो देहली गेट पर और एक यूनिवर्सिटी के पास जहां पर सुखाड़िया-जी की तख्ती लगी हुई है। वहां साढ़े तीन लाख रुपये लगाकर फव्वारा बनाया गया है। मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि उस फव्वारे पर साढ़े तीन लाख रुपये तो क्या पचास हजार रुपये भी नहीं लगे होंगे। मैंने इसके लिये एक प्रश्न पूछा कि उदयपुर में जो फव्वारे बने है उन पर कुल कितनी लागत आई है। तो मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहा गया कि 11 लाख रुपये खर्च हुए। उसके बाद मैंने पूछा, अध्यक्ष महोदय, उनकी मेन्टीनेन्स पर कितना खर्चा हुआ है। तो यह बताया गया कि साढ़े सात लाख रुपया उनकी मेन्टीनेन्स पर खर्च हुआ हैं श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह यू.आई.टी. का जो एक्ट है उस एक्ट में कहीं भी यह प्रोविजन नहीं हैं कि यू.आई.टी. किसी को भौज देगी। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उदय-पुर यू.आई.टी. ने पिछले डेढ़ साल में कम से कम 13 भोज लोगों को दिये हैं और उन पर करीब 25 हजार रुपये का खर्चा आया है जिसका पेमेन्ट यू.आई.टी. के द्वारा किया गया है। यह कौन से कानून के तहत किया गया ?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा विज्ञा-पनों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उदयपुर की यू.आई.टी. ने कई अखबारों को करीब एक लाख रुपये के विज्ञापन दिये हैं। इसमें, अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्टर्ड अखबार नहीं थे उनको भी विज्ञापन दे दिया। अध्यक्ष महोदय, जो मान्यता प्राप्त अखबार नहीं थे उनको भी विज्ञापन दे दिया। इसके लिये हमने बार-बार कहा फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है अगर आप कोई कानूनी कार्य-वाही करना चाहें तो कर सकते है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यू. आई. टी. एक्ट में इस प्रकार के विज्ञापन देने के लिये कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने इसके लिये प्रश्न पूछा तो मुझे हर बार यही उत्तर मिला कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकारा है जवाब में कहा है कि कोई प्रोविजन एक्ट में नहीं है परन्तु, अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके अलावा, श्रीमन्, मैं पंचायत राज मंत्रीजी से दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। पहली तो यह है, अध्यक्ष महोदय, अगर आप, मंत्री महोदय, सही मायने में शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षा को पंचायत राज से मुक्त कर दीजिये। आज गांवों में ऐसी स्थिति है कि मास्टर सिर्फ एक दिन सवेरे जाकर सरपंच को सलाम कर देता है और फिर कोई काम नहीं करता है। फिर चार दिन के अघोषित अवकाश पर चला जाता है।

श्री **अध्यक्ष** : बेचारा हाजिरी तो लगा देता है।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, वह हाजिरी नहीं होती है। यह हाजिरी उतने दिन तक ही चलती है। जितने दिन सरपंच खुश रहता है। जब आपस में अनबन हो जाती है तो फिर हाजिरी नहीं चलती है। सरपंच कह दे तो फिर वह दस दिन तक वैसे ही चलेगा। मेरा निवेदन है कि राजनैतिक लोगों की छाया से आप शिक्षा को मुक्त रखें। इसके अलावा पंचायत राज मंत्रीजी से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या कारण हैं कि पंचायत राज कर्मचारियों को मेडिकल बिल के पैसे नही मिल रहे है ? उनके पैसे बाकी क्यों है ? आज लाखों रुपये के मेडिकल बिल उनके बाकी पड़े हैं। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री **अध्यक्ष** : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत, घासा जो मावली निर्वाचन क्षेत्र में है, में जो सरपंच था उसने 26 कामों के पैसे उठा लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन कामों में लाखों रुपये का घोटाला है। जो काम जनता के द्वारा किया गया उसके लिये मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा और वहां के कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदय, जो काम जमीन पर ही नहीं है उन कामों के पैसे उठा लिये गये। वहां पर जनता के द्वारा काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसका पता हमें इस प्रकार लगा कि वहां का जो सरपंच था वह चुनाव हार गया, उसके बाद में दूसरे सरपंच ने जब चार्ज लिया तो उसे पता लगा कि रिकार्ड में 26 कामों का पैसा उठाने का उल्लेख किया हुआ है जब कि वहां जमीन पर कोई काम ही नहीं हुआ है। एस. डी.ओ. को इसकी जांच के लिये आदेश दिये तो जांच के दौरान एस.डी.ओ. पर दबाव डाला। उसने वहां पर जो ए. ईएन. है उसको जांच का काम दे दिया। उस ए.ई.एन., जिसने कि वहां पर काम कराया था, ने रिपोर्ट की, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ। लाखों रुपये का वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। जमीन पर कोई काम ही नहीं है।

श्री **शीशराम ओला** (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : आप यह कहां की बात कर रहे हैं ?

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : यह पंचायत समिति, मावली में ग्राम पंचायत घासा के बारे में निवेदन कर रहा हूं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि काम के नाम वहां कोई काम नहीं हुआ लेकिन 26 कामों का नाम रिकार्ड में दर्ज है।

श्री **अध्यक्ष** : बेचारे ने रिकार्ड में तो दर्ज किया है।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : हां, अध्यक्ष महोदय, यह बात तो है कि उसने रिकार्ड में दर्ज किया है। हालां कि बेईमानी करते समय, बेईमान व्यक्ति काफी होशियार रहता है फिर भी कभी-कभी पकड़ में आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टाउन प्लानिंग विभाग में किसी योग्य व्यक्ति को रखें, नहीं तो इस टाउन प्लानिंग

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

डिपार्टमेंट का बन्टाढार हो जायेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस अधिकारी के खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गये हैं, भ्रष्टाचार विभाग से रिपोर्ट भी आ गयी है फिर क्या औचित्य है कि उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जब कि वह व्यक्ति 31-3-83 को रिटायर हो रहा है फिर आप कह देंगे कि वह व्यक्ति रिटायर हो गया है अब हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप, मंत्री जी, समय रहते चेतें और उसके खिलाफ जो चार्जेज हैं उनके बारे में जांच करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री भैरुसिंह गुर्जर।

श्री भैरुसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मारवाड़ जंक्शन, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, को अगर लावारिश कस्बा या लावारिश नगर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां पर ग्राम पंचायत है या नगरपालिका ?

श्री भैरुसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे यहां पर नगरपालिका थी जो कि सुचारु रूप से काम कर रही थी लेकिन जब ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो रहे थे उस समय उसको ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद में तो मैंने मेरे प्रयासों से उसको नगरपालिका में परिवर्तित कराने की कोशिश की। इसी बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया। जब ग्राम पंचायत के लिये स्टे आ गया तो, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, मेरे प्रयत्नों से ही वहां पर नगरपालिका राज्य सरकार से घोषित करवायी। वहां पर एग्जीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति हो गई थी और उस एग्जीक्यूटिव आफिसर ने बी.डी.ओ. से चार्ज भी ले लिया था लेकिन इसी बीच दुर्भाग्य से हाई कोर्ट ने वापस उस पर स्टे आदेश दे दिया। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मारवाड़ जंक्शन लावारिश कस्बा है। वैसे तो नवीन नगरपालिकाओं की स्थापना 3-9-82 को आपने कर दी। ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन को नगरपालिका में परिवर्तित करने के संबंध में एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई, उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है जिसके कारण से वहां अभी तक ग्राम पंचायत ही है। आज की तारीख में भी आपके द्वारा भेजा गया एक्स्टेंशन आफिसर वहां पर है; चाहे उसे पांच महीने से वेतन नहीं मिला, चाहे उसने एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया, एक भी प्लाट नहीं दिया। हाई कोर्ट का स्टे है। मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, ऐसी विषम परिस्थिति है; आम नागरिकों को परेशानी हो रही है और उनके कई प्रकार के काम जो पंचायत और नगरपालिका में होते हैं, अटके हुए पड़े हैं। पंचायत राज मंत्री जी और स्वायत शासन मंत्री जी, क्या आपके सरकारी वकील इतने कमजोर हैं कि हाई कोर्ट से तीन साल के बाद भी स्टे वैकेट नहीं करा सकते। उनको किस बात का पैसा देते हैं? सरकारी वकील हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी करते है। मेरा निवेदन है कि उन्हें ताकीद करिये और कठोरता से कह कर स्टे वैकेट कराइये ताकि ग्राम

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

जनता जो वहां पर तकलीफें उठा रही हैं वह दूर हो सकें। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पंचायत राज्य मंत्री जी, आप पंचायत समिति के कर्मचारियों को किस श्रेणी में समझते हैं। न तो आप राज्य कर्मचारी समझते हैं, न राज्य कर्मचारियों के बराबर उनको अभी तक सुविधायें देते हैं। एक उदाहरण लें। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य की पंचायत संस्थाओं के बारे में 28-1-83 को एक फैसला कर दिया कि उनके कर्मचारियों को वे सभी सुविधायें हों, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को हैं राज्य सरकार का कर्मचारी माना जाय। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरा निवेदन है, यहां के कर्मचारियों को कोर्ट में नहीं जाना पड़े इसलिये उस फैसले के अनुरूप आप भी फैसला कर दीजिये। उन बेचारों को न तो समय पर वेतन मिलता है, न समय पर उनके बिलों का भुगतान होता है न उनको लोन मिल सकता है मकान बनाने के लिये और भी कई प्रकार की तकलीफ होती हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने विभाग से जांच करा लीजिये, इन पंचायत समितियों, की स्वयं की इनकम नहीं होती, इस वजह से 16 लाख रुपये के मेडिकल बिल आज की तारीख में पैंडिंग हैं। आप बताइये, 16 लाख रुपये के जिन गरीबों के मेडिकल बिल पैंडिंग है, जो बीमारी का इलाज कराते हैं वे दुबारा बीमार होने के बाद किस प्रकार अपना इलाज करा पायेंगे। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि पंचायती राज कर्मचारियों को आवास गृह निर्माण के लिये लोन दीजिए। आर.पी.एस.सी. प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिये राज्य कर्मचारियों के बराबर उनको सुविधा दीजिये। उनकी आयु सीमा में राज्य कर्मचारियों के बराबर उनको छूट दीजिये। मैडिकल बिलों के रिम्बर्समेंट के लिये आप व्यवस्था करिये कि सरकार की ओरसे उनको पेमेंट होजाय। पंचायत राज मंत्री, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि पूर्व जब अपनी सरकार थी या विपक्ष की सरकार थी उस समय कैबिनेट की सब कमेटी ने, मुझे याद आता है, एक फैसला किया था। वह फैसला यह था कि यह जो विकास अधिकारी बनाये जाते हैं वह पंचायत राज संस्थाओं के कर्मचारियों में से पदोन्नत करके बनाये जायेंगे। लेकिन वह फैसला कहां है, कहां अटका हुआ है? आप दूसरे विभाग के अधिकारियों को वहां भेजते हैं। दूसरे विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भेजते हैं। उन बेचारों का क्या कसूर जो उनको यथा-स्थिति में रखा हुआ है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि उनको पदोन्नति के अवसर मिलें, उनको अपनी कार्यकुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी, 1982 को बीकानेर में पंचायत राज को पुनर्जीवित करने के लिये पंचायत राज मंत्रीजी, आपने भी भाषण दिया था। मैं निवेदन करूं कि उस भाषण के बाद इतना असर जरूर हुआ कि आपने पंचायत समितियों में अलग अलग तरह से एक्सटेन्शन ऑफिसर नियुक्त कर दिया। लेकिन उनके नीचे मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कितना है, वे किस प्रकार काम करेंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूं जितने एक्सटेन्शन आफिसर आपने लगाये हैं, फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं। कोई काम नहीं है

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

उनके पास । ग्राप उनके नीचे स्टाफ दीजिए ताकि उनको काम करने का ग्रवसर मिले ग्रौर सही रूप से राजस्थान में पंचायत राज संस्थाग्रों का काम हो सके । मैं एक व्यवस्था ग्रौर चाहता हूं, मंत्रीजी, पंचायत समितियों में गाड़ियों का, जीपों का जितना दुरुपयोग होता है उतना सरकार के किसी विभाग में नहीं होता होगा । ग्रगर पंचायत समिति का बाबू भी चाहे तो वह दिन भर के लिए जीप लेकर कहीं चला जायेगा । ग्राप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि इन जीपों का दुरुपयोग न हो । कोई ऐसी कमेटी बना दीजिए जो कुछ जांच कर सके या उन पर निगरानी रख सके । एक निवेदन ग्रौर करूंगा ग्रापसे, ग्रापने पंचायत राज संस्थाग्रों के चुनाव कराये तब से इस विभाग में स्थानान्तरण की बाढ़ ग्रा गई है । चाहे हमारी पार्टी के जन-प्रतिनिधि हों, चाहे विपक्षी पार्टी के हों जो लोग गांवों के ग्रन्दर खराब खराब जगह पर नौकरी कर रहे हैं, उनको इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं । एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से एक गांव में जाकर सैट हो पाता है उसको दूसरे गांव में ट्रांसफर कर देने से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है । राज्य सरकार की ग्रोर से कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए या जिस प्रकार से ग्राप दूसरे विभागों में स्थानान्तरण पर रोक लगाते हैं, कृपा करके उसी प्रकार उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दीजिए या राज्य सरकार ट्रांसफर का काम सीधा ग्रपने हाथ में ले ले ताकि उन लोगों को कुछ लाभ मिल सके ।

मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं, जिला परिषद पाली . . .

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं । मैं निवेदन करूंगा कि जिला परिषदों को कुछ राशि दी थी कुएं गहरे कराने के लिये ग्रौर कुएं खोदने के लिये । उसके बाद ग्रापके निदेशालय सेएक तार गया था । उस तार के द्वारा उस राशि से जो कार्य करने थे उन की क्रियान्विति रोक दी गई । जिला परिषदों ने वह पैसा पंचायत समितियों को दे दिया, पंचायत समितियों ने सरपंचों को कह कह . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जो मस्टर रोल दिये थे, मस्टर रोल के बाद काम शुरु हो गये थे वह सारे काम ग्रधूरे पड़े हैं। कई मजदूरों की मजदूरी का भुगतान बाकी है । ग्रापने एक तार के द्वारा सारा का सारा भुगतान रुकवा दिया । जब ग्रापकी जिला परिषदों ने पंचायत समितियों को पैसा दे दिया ग्रौर पंचायत समितियों को ग्राप स्वायत्तशासी संस्था मानते हैं तो फिर ग्राप उस पैसे को रोकने वाले होते कौन हैं ? उन लोगों के पैसे का ग्राप निपटारा कीजिए । मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा, एक साल से ज्यादा हो गया है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है । वे काम ग्रधूरे पड़े हैं । कहने को हमने कह दिया ग्रापके यहां कुग्रा खुद रहा है लेकिन कुग्रा तो ग्रब खड्डा रह गया, टेडिया हो जायेगा । जैसे मारवाड़ी में कहते हैं वह टेडिया हो गयो, वह टेडिया हो जायगा । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ग्राप ग्रौर हम बैठकर बातें तो

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

बहुत करते हैं, लम्बी चौड़ी बातें करते हैं कि नगरों का सुधार होना चाहिए इसमें यह सुविधा होनी चाहिए । एक बात कहूं कि आपके इन नगरों के अन्दर जो अच्छी अच्छी इमारतें हैं, पुरातत्व विभाग की जो इमारत है, कई पर्यटन स्थल है, आप जाकर देखिए, वहां फिल्म की शूटिंग करने वालों को इजाजत देते हैं, वह लोग उसकी 12 बजा रहे है । आपको सही कह रहा हूं, वह उन जगहों को खराब कर रहे हैं । आपको एक्जाम्पल दूंगा इस बात की । दी फार पैवेलियन अंग्रेजी फिल्म की शूटिंग हुई जो 12 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है । यह सिसोदिया रानी का गार्डन हैं उसके अन्दर इस फिल्म की शूटिंग हुई । आप जाकर उसकी हालत देख लीजिए । आपसे निवेदन करूंगा कि जयपुर की मशहूर अरायस कला है जिस का उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है । । करौली के अन्दर सैण्ड स्टोन पर आधुनिक एनीमल पेन्ट किया हुआ है । वहां पर यह फिल्म वाले शूटिंग करने गये और सैण्ड स्टोन पर दूसरा पेंट कर दिया ताकि फिल्म में चमक दमक ज्यादा आ जाय ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मंत्री, स्वायत शासन) : ऐसा है, माननीय सदस्य । इसका इस विभाग से संबंध नहीं है । न तो सिसोदिया गार्डन की मेन्टीनैंस एल.एस.जी.डी. के पास है और न शूटिंग करने के लिये हमसे परमिशन लेते हैं कि शूटिंग करें । आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर रहा था ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : मैं निवेदन यह कर रहा था कि आप जो शहरों और कस्बों की हालत सुधारने की बात कर रहे हैं. . .

श्री **रामसिंह बिश्नोई** (लूणी) : उसमें फिर नहीं बोलना पड़ेगा ।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे है आप ।

श्री **भैरू सिंह गुर्जर** : साफ सफाई की बात करते हैं तो आप कम से कम इस ओर भी ध्यान दीजिये । आप उन्हें छोड़िये मत । आखिर आप सरकार में है, सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है । आप इतना ही कर दें कि वहां पर कोई गलत बात हो रही है तो आप उस पर ध्यान दें ।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** (राज्य मंत्री, यातायात): आप तो रामसिंह जी के सुझाव को मान लीजिये ।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे साथियों का विरोध तो नहीं करना चाहूंगा जिन्होंने ने इस सदन के अन्दर बड़े जोर शोर से अधिकारियों की बुराई की लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, अधिकारी तो सरकार की बैंक बोन होती हैं । का सरकार जितना अनुभव उनको होता हैं, जितनी जानकारी उनको होती है उतनी शायद किसी को नही होती होगी । काम उनसे जाकर निकलवाते हैं । मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, आप ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दें और अधिकारियों से खुले रूप से विचार विमर्श कर उनके अनुभवों का फायदा उठायें, इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम अब समय सीमा पांच मिनट होगी ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : लेट समय दिया और दोनों बातें कैसे ? समय सीमा बांध दी ।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां नगरपालिका तो नहीं है, पंचायत राज का विषय है । नगर नियोजन का विषय भी नहीं है ।

श्री हेमाराम चौधरी : तो पंचायत राज पर ज्यादा बोलना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय मैं पंचायत राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । हमारे मुख्य मंत्री ने पंचायत राज के चुनाव करा के पंचायत राज को नया जीवन तो दिया ही उसके साथ-साथ बीकानेर में पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन भी किया । वहां पर पंचायत राज को बहुत सारे अधिकार दिये जाने की घोषण की गई थी । उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत राज को दिये जाने की घोषणा भी की गई । युवा नेता राजीव गान्धी के सामने यह घोषणा की गई थी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हम शीघ्र ही पंचायत समिति और जिला परिषद को सौंप देंगे लेकिन अभी तक उनका हस्तान्तरण नहीं हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिक्कत आ रही है ? यह मामला कहां पर अटक गया है ? किस कारण से उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला परिषद् और पंचायत समितियों को हस्तान्तरित नहीं हो सके हैं । मैं चाहूंगा जब मंत्रीजी जवाब दें तो अवश्य इसका भी जवाब दें । जहां तक मैं समझ पाया हूं उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पंचायत समितियों को क्यों नहीं दी जा रही है ? जैसा कि कटारिया जी ने कहा तो कटारिया जी तो जनसंघ लॉबी के हैं, आर. एस. एस. लॉबी के हैं, लॉबी अधिकारी भी बहुत हैं जो कि शाखाओं में जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपका एरिया तो काफी दूर है, डेजर्ट एरिया है शायद ही पहुंचते होंगे ।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरे एरिया में तो नहीं पहुंचते हैं, साहब, लेकिन जो आर. एस. एस. लॉबी के हैं उन्होंने मिस गाइड किया है कि शिक्षा पंचायत राज को नहीं दी जावे और पंचायत राज को जो शिक्षा पहले से दी हुई है वह भी वापस ली जावे । वहां आर. एस. एस. का मामला जमा नहीं है, बैठा नहीं ! दाल नहीं गली तो चिन्ता हुई कि गांवों में कैसे पहुंचा जावे । प्राथमिक विद्यालय वापिस आई. ओ. एस. के अन्डर में जावे तो इनका मामला वहां ठीक जमा हुआ है । ये लोग मंत्री जी को और सरकार को गाइडेन्स देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : एरिया काफी कठिन है इनके कार्यकर्ता पहुंच नहीं सकते हैं ।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी गाइडेन्स में नहीं चले और प्राथमिक शिक्षा जिला परिषदों को और पंचायत को दें । राजनैतिक हस्तक्षेप होने की वजह से प्राथमिक स्कूल ठीक तरह से नहीं चल पाते हैं, यह कहना बिलकुल गलत है । आई. ओ. एस. के अन्डर में जो स्कूल हैं क्या उनमें राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

हैं ? एक पार्टी की सरकार है, यहां भी हस्तक्षेप होता है। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है तो इनके अण्डर से भी हटाकर एक अलग बाड़ी बना दी जावे। मेरा मानना है कि जिला परिषदों और पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय देने से उनकी देखरेख होती है। जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको प्रधान उलटा ज्यादा देखते हैं और ज्यादा ठीक ढंग से चल रहे हैं। ठीक ढंग से नहीं चलने का कोई कारण है तो वह है अध्यापकों की कमी। अध्यापक आप देओ नहीं और 150 विद्यार्थियों पर आप एक अध्यापक देओ और फिर दोष देओ पंचायती राज को कि स्कूल ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं और अध्यापक सरपंच की हाजिरी देते हैं, यह बात कहना गलत है। यह कह कर हमारी पालिसी को रुकवा दिया है। बीकानेर में जो पंचायती राज का सम्मेलन हुआ उसमें सारे राजस्थान के प्रमुख, प्रधान और सरपंच आये उनके सामने घोषणा की तो उस घोषणा की कम से कम क्रियान्विति तो कर खाली घोषणा कर दें और उसकी क्रियान्विति न हो तो यह खेद का विषय है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरा अध्यक्ष महोदय अध्यापक के बारे में निवेदन करूंगा। प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की बहुत कमी है। रिक्त स्थानों को जल्दी भरा जावे तो ठीक ढंग से स्कूल चल पावेंगे। आज 10 हजार की तो डिमान्ड है जो कि 1:49 के अनुपात में भी कम है। अध्यक्ष महोदय, इस रेश्यो को भी घटाना चाहिये 1:29 का रेश्यो करके अध्यापक दिये जाने चाहियें। शहरी क्षेत्र में क्या होता है जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें 8, 10, 15 अध्यापक हैं तो इस कारण से वह ठीक ढंग से चल पाते हैं। हमारे यहां एक अध्यापक है वह भी साल भर में कितनी ही छुट्टियां ले लेता है। दरअसल अध्यापक की भारी कमी है। मेरा निवेदन है कि अध्यापक के ज्यादा पद स्वीकृत करके दें तो प्राइमरी शिक्षा ठीक चलेगी नहीं तो जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वे पीछे रह जायेंगे, बहुत पीछे रह जायेंगे और शहरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है। खाचरियावास से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा, बाड़मेर जिले में 18 लाख रुपये कुओं के लिये और टांकों के लिये स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 12 लाख रुपये कुओं के निर्माण और मरम्मत के लिये तथा 6 लाख रुपये टांकों के लिये हमारी पंचायत समितियों को मिल गये। इनके खाते में जमा हो गये किन्तु, अध्यक्ष महोदय, आधा भुगतान तो कर दिया चैक के द्वारा, काम उन्होंने पूरा करवा दिया किन्तु अब भुगतान नहीं हो रहा है जिसकी वजह से बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। सरपंच 20 हजार का काम करवा दे और 10 हजार मिले या 10 हजार नहीं मिल रहे हैं इससे हालत खराब हो रही है। बाकी के नहीं मिलने से पंचायतों की हालत खराब हो रही है। इसी कारण से पंचायत राज से विश्वास हट रहा है। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था जिसके उत्तर में जवाब आया कि विचार कर रहे हैं।

(श्री हेमाराम चौधरी)
8-10 महीने तो हो गये विचार करते करते अब कितना समय और लगेगा विचार करने में···

(व्यवधान)

18 लाख कुओं के लिये हमारे जिले को दिये थे किन्तु पूरे का पेमेन्ट नहीं हुआ है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, समय हो गया ।

श्री अमीन खां ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके कारण सरपंच लोग बहुत परेशान हैं। गांव वाले उनको परेशान करते हैं । उनको पैसा आधा मिल गया और आधा पैसा नहीं मिला ।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, एन. आर. ई. पी. का जो काम है इसकी स्वीकृति जिलाधीशों को की गई है जब कि जिला परिषदों को होनी चाहिये । काम कोई करवाता है और पैसा किसी के पास रहता है । यह अधिकार जिलाधीश को नहीं हो तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवक होना चाहिये किन्तु पश्चिमी क्षेत्र में बाड़मेर जिले में पहले तो ग्राम सेवक लेने के आदेश दे दिये और कई पंचायत समितियों ने ग्राम सेवक ले भी लिये । फिर वापस तार दिया कि ग्राम सेवक नहीं लिये जायें, क्योंकि कृषि विभाग से कुछ ग्राम सेवक आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय उनका आज तक कोई अता पता नहीं है । जब तक आप हमें ग्राम सेवक कृषि विभाग से नहीं दें तब तक तो हमें इस प्रकार के आदेश दें दें कि हम टेम्प्रेरी ही ले लें ताकि काम चले रहे। पंचायतों को विकास का काम करना है, पंचायतों को एन. आर. ई. पी. का काम करना है, पंचायतों के पास नाडियां खुदवाने का काम है । हमारे पास ग्रुप सचिव और ग्राम सेवक नहीं हों तो उन को देख कैसे सकते हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा जब तक आप अन्य व्यवस्था नहीं करें तब तक तो···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य । आपने अपनी बात कह दी ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

इसके पश्चात सरकार की ओर से उत्तर होगा।

(व्यवधान)

श्री अमीन खां ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, आज की डिमान्ड्स में नगर आयोजना की जो डिमाण्ड है उससे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है । हमारा पंचायत राज से वास्ता है जिसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो इस पंचायत राज में पंचायत और पंचायत समितियों, विशेष कर सीमावर्ती इलाके की जो पंचायत समितियां हैं चाहे जिला बाड़मेर की हो चाहे जिला जैसलमेर की हो और चाहे जिला बीकानेर की हो, मैं जितने भी सिंगल टीचर के पद खोले हैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उतने कहीं भी खोले नहीं हैं । रहा सवाल दूर दराज का वहां पर 49 बच्चों

(श्री अमीन खां)

पर एक अध्यापक की पोस्ट है इसको घटाकर 30. बच्चों पर एक अध्यापक रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि 49 बच्चों पर जितनी राज्य सरकार ने पोस्टें दे रखी हैं उस हिसाब से भी हमारी पंचायत समितियों में किसी पंचायत समितियों में 7-8 और किसी पंचायत समितियों में 15 तक स्कूल आज तक लगातार बन्द पड़े हैं। इससे पंचायती राज को धक्का काफी लगता है। गांव के लोग अभी तक अपने बच्चों को पढ़ाने में महरूम हैं। हम प्रौढ़ शिक्षा को बिलकुल बेकार, और एक ढकोसला समझते हैं। इससे लोगों का भविष्य उज्ज्वल होने वाला नहीं है। भविष्य उज्ज्वल होगा तो बच्चों के द्वारा ही होगा। तो मेहरबानी करके उस पैसे को डाइवर्ट करके खास तौर से जो डेजर्ट का इलाका है और धोरों का इलाका है चाहे आप बजट में दूसरी जगह के लिये प्रावधान न करें पर हमारे रेगिस्तानी इलाके में 30. बच्चों पर एक मास्टर की व्यवस्था कर दें। नहीं तो जिन रेगिस्तानी लोगों को सम्मान राजस्थान के दूसरे इलाकों में दिया जाता है आप उनको 50 साल पीछे छोड़ देंगे। इसलिये हमारी अर्ज है कि जो खाली स्थान हैं उनको आप मेहरबानी करके भरने की व्यवस्था करें। जो पोस्ट स्वीकृत हैं, उसमें भी विभाग की इतनी लापरवाही है कि स्वीकृत पोस्ट-शुदा स्कूल आज तक बन्द पड़े हैं। कई बार प्रश्न पूछे हैं, प्रश्नों के यह उत्तर भी आये हैं कि जल्दी से जल्दी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी, मगर रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा सकी है। हमने विकास अधिकारियों से मालूम किया था। आपने अध्यापकों की एक लिस्ट भेजी स्कूल इन्सपेक्टर के पास। स्कूल इन्सपेक्टर के पास जो लिस्ट है, उसकी मैरिट के हिसाब से विकास अधिकारी मात्र अपाइंटमेंट करता है। वह लिस्ट ऐसी है कि उसमें कई तो अध्यापक भरतपुर के हैं, कई अलवर के हैं और कई दूसरे जिले के हैं, जो नहीं आना चाहते हैं। जब आना नहीं चाहते हैं तो विकास अधिकारी जो अपाइंटिंग अथारिटी है, वह उन मास्टरों को अपाइंट नहीं कर सकता। इसलिए वह खाली रख कर बैठे है और किसी मास्टर का अपाइंटमेन्ट नहीं हो रहा। अगर इसमें कानूनी दिक्कते हैं तो आप स्वयं सक्षम हैं उनको दूर करके वहां बेरोजगार जो छात्र बैठे हैं, जो डैजर्ट के इलाके में पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं, उनको टैम्प्रेरी अपाइंट करें और उनका अपाइंटमेंट करके 2 साल के बाद रेगुलेराइज करके वहां पढ़ाई का इंतजाम करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अलवर, भरतपुर के टीचर नौकरियों की तलाश पहले तो करेंगे शहरों में, नौकरी मिली तो कर लेंगे और वहां जायेंगे नहीं इस तरह से तो 4 साल और निकल जायेंगे। बी. डी. ओ. और प्रधान कोई मास्टर का अपाइंटमेंट नहीं कर सकते।

दूसरा मैं····

(7.31 रात्रि)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति पदासीन)

·········· यह चाहता हूं कि हमारी पंचायतों का काम चलाने के लिए ग्राम-

(श्री अमीन खां)

सेवक हैं, जैसे मेरी पंचायत समिति शिव में. 26 पंचायतें हैं, वहां इस वक्त ग्राम-सेवक 4 काम कर रहे हैं। आप देखिये, सरपंचों की क्या हालत होती है। अभी जैसे अकाल के मामले में आपने देखा होगा, सारे बड़े बड़े आफिसरों ने देखा होगा, पी. डब्ल्यू. डी. के टैक्निकल आफिसर रहते हैं, इरिगेशन के रहते हैं, भू संरक्षण विभाग के टैक्निकल आफिसर रहते हैं, लाखों और हजारों रुपये की गड़बड़ी की शिकायतें सामने आयी हैं। लेकिन सरपंच गांव का एक अनपढ़ होता है चाहे कुछ भी होता है लेकिन उन्होंने एन. आर. डी. पी में काम किये हैं फेमिन के नाड़ियों के काम किये हैं, उनका औसत प्रतिशत देख लें, जो पंचायती राज के द्वारा काम चलाये जा रहे हैं, उसमें मजदूरों को मजदूरी ज्यादा मिलती है दूसरी सरकारी एजेन्सियों के मुकाबले। काम का भी प्रबन्ध मौके पर देखें तो जो टैक्निकल आफिसरों ने काम कराया है उसकी तुलना में पंचायती राज ने अपने खुद के द्वारा चाहे पंचायतघरों का, चाहे औषधालयों का, चाहे प्राइमरी स्कूल भवनों का काम कराया हो वह अच्छा है। अब उन सरपंचों के साथ मुसीबत क्या बीतती है, क्योंकि 26 पंचायतों के बीच में 4 ग्रामसेवक हैं, इसलिये बेचारे सरपंच को अपनी जेब से पैसा देकर किसी पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ता है जो रिकार्ड मेनटेन कराता है। अगर रिकार्ड मेनटेन कराने में सरपंच कहीं चूक कर देता है तो सरपंच के खिलाफ अमानत में खयानत के फौजदारी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। पुलिस में जाकर चालान होता है और फिर बदनामी का मुंह उसे अलग देखना पड़ता है कि यह सरपंच भ्रष्ट है। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि रेगिस्तानी इलाके में प्रत्येक पंचायत के लिये एक ग्रामसेवक की आप जल्दी स्वीकृति दें। अभी आपने तो यह कर दिया कि एग्रीकल्चर डिमार्टमेन्ट के सरप्लस एक हजार ग्रामसेवक हैं इसलिये कोई पंचायत समिति ग्रामसेवक अपाइंट नहीं करे। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में कहीं देखें, उसमें हमारे डिवीजन का कोई एक आदमी नहीं है। बाहर के आदमी को भेजोगे, तो वह हर्गिज नहीं आयेंगे, किसी एम. एल. ए. के पास जायेंगे, किसी जिले के मन्त्री के पास जायेंगे कि साहब हमारा तो काले पानी में तबादला कर दिया, शिव, बाड़मेर, जैसलमेर भेज दिया, हमारा तो कैन्सिल कराओ। तो दो साल तक ग्रामसेवक वहां पहुंचने वाला नहीं है। हमारी पंचायत का काम बिलकुल ठप्प पड़ा है। इसलिये मेहरबानी करके अकाल का घर जो एरिया है, उस इलाके में पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं जो काम कर सकते हैं, ग्रुप सचिव का, उनकी टेम्परेरी नियुक्ति के आदेश दे दें। जब आपकी कोई परमानेन्ट व्यवस्था हो जाय तो उनकी सर्विस भले ही खतम कर दी जाये लेकिन पंचायती राज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर आप फौरन काबू पायें नहीं तो ग्राम पंचायतों का काम ठप्प पड़ा हुआ है ग्रुप सचिवों की कमी के कारण। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के पद स्वीकृत होते हुए भी आज उन पर अपाइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। एक मेरिट

(श्री श्रमीन खां)

लिस्ट के हिसाब से उनका फौरन अपाइन्टमेंट कर देना चाहिये, नहीं तो गांवों के लोगों में भारी असंतोष पैदा होगा ।

मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री राम किशोर जी ।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, मेरा कटमोशन सिकराय पंचायत समिति के उन विकास अधिकारियों के बाबत है जिनके बारे में स्वयं पंचायत राज मंत्री जी को पूरा ज्ञान है । जिस तरह से सरकारी नियमों की, राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए वह कार्य कर रहे हैं, उससे भले ही कुछ दिनों के लिए आप अपने मन से यह समझ लें कि इससे हमारा राजनैतिक फायदा होगा लेकिन मैं ईमानदारी से यह चीज बताना चाहता हूं कि यदि ऐसे दो-तीन अधिकारी हमारी पंचायत समिति और तहसील में लगा दिये जायं तो हमको वहां पर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले चुनावों में हम स्वतः ही उनके प्रचार के माध्यम से आ सकने के योग्य हो जायेंगे, ऐसी मेरी धारणा है ।

माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : तब तो उन्हें वहीं करने दीजिए ।

श्री रामकिशोर मीणा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं तो यह चाह रहा हूं कि ऐसे अधिकारी यदि और 2-3 लगा दिये जायं, तहसील में लगा सकते हैं, तहसीलदार लगा सकते है, थानेदार लगा सकते हैं...

श्री चेतराम मीणा : एक ही लगेगा, 2-3 कैसे लगेंगे ।

श्री राम किशोर मीणा : इस तरह की जो एग्जूक्यूटिव पोस्ट हैं, उन पर यदि आप लगा दें तो यह मेहरबानी करके लगा देना । मुझे कहने से क्या मतलब है ।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद् का एक एक्ट बना हुआ है 1959 का। उसकी धारा 25 प्रधान की ड्यूटीज के बाबत के बारे में बताती है । उसका पहला जो क्लाज है वह बिल्कुल साफ है :—

"Pradhan of a Panchayat Samiti shall : (a) convene, preside over and conduct the meetings of the Panchyat Samiti."

जो एक्ट की धारा 27 है उसमें Powers and Functions of the Vikash Adhikari, दिये हुए हैं । उसकी जो उप-धारा है उसमें लिखा हुआ है "Vikash Adhikari shall issue notice under instructions from the Pradhan and the Chairman of the standing committee for meetings of the Panchayat Samiti and standing Committee thereof."

माननीय सभापति महोदय, 23-1-84 को जो एक साधारण सभा की बैठक बुलायी थी उसमें न तो प्रधान की कन्सेन्ट थी और न उसके लिये एजेन्डा तय किया गया था । इसी तरह से 17 तारीख को विधान सभा अधिवेशन प्रारम्भ होने वाला था, पंचायत

(श्री रामकिशोर मीणा)

के प्रधान की मीटिंग के लिये कोई कन्सेन्ट नहीं थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने 14 तारीख को मीटिंग स्थगित करने के आदेश दिये थे, उन आदेशों के आधार पर कलेक्टर ने वायरलैस दिया, वायरलैस मिल गया। 16 तारीख की मीटिंग के अन्दर विकास अधिकारी ने नोट कर दिया कि आप मीटिंग नहीं करेंगे। उसके बावजूद बैठक वहां पर आयोजित की, सारी प्रोसीडिंग्स हुई। उससे तो आप उस अधिकारी का पता लगा सकते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार के द्वारा बनाये कानून और राजस्थान की विधान सभा के अध्यक्ष, जो कि एक सर्वोच्च और सम्मान का पद है, के आदेशों की किस तरह से पालना एक अधिकारी करता है। इनके विरुद्ध 5,00352.55 पैसे का एक प्रधान ने अभी गबन का मामला पकड़ा है। इनके विरुद्ध धारा 406, 408, 409 में पंचायत समिति सिकराय में केस चल रहा है। यह जहां-जहां भी पंचायत विभाग में और पंचायत समिति में रहे हैं वहां इस प्रकार के इनके विरुद्ध आरोप हैं और जहां कहीं भी गये इनकी मरम्मत जब तक नहीं हुई तब तक यह छोड़कर नहीं भागे यह हालत भी हमने वहां पर कर दी।

एक माननीय सदस्य : यहीं कर दो न।

श्री **राम किशोर मीणा** : हां यह हो गयी है सिकराय में भी हो गयी है। स्वयं मन्त्री महोदय को पता है उसके आधार पर आज उनको रिटायर करके किसी को भी आप लगा दें। मैं नहीं कहना चाहता कि मेरे कहने से आप अधिकारी को लगायें आप अपने जवाब में यह बतायें कि आपके विकास अधिकारी क्या करते हैं ? आप जिनको चाहे लगा दीजिए अपनी इच्छा से, हम अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देना चाहेंगे। ये दो तीन जो पद हैं तहसील स्तर पर उन पर भी आप ऐसे अधिकारी कायम कर दें तो हमारी परेशानी मिट जाएगी। आपकी मंशा भी है, मैं जानता हूं मंत्री महोदय ने बहुत दिलचस्पी लेकर विधान सभा के प्रेशर के आधार पर उनका वहां से तबादला किया। तबादला ही नहीं किया, वे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से आए थे उसको वापस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया उसकी शिकायतों के आधार पर। लेकिन फिर राजनैतिक दबाव-वश, जैसे मंत्री महोदय को बाबू की कलम पकड़ा दी, जैसा हुक्म हुआ, मंत्री महोदय ने वापस उनके आदेश निकाल दिए। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि जो 3 मार्च, 83 के आदेश निकाले हैं उन आदेशों की पालना पर तुरन्त पाबन्दी लगाई जाती है। उसके पूर्व के जो आदेश थे उनको एक्जीक्यूट किया जाय। माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट के आर्डर्स हुए। हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो इस पर प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।

श्री **सभापति** : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी। आप, माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। संक्षेप में कह दें। आप अंतिम वक्ता हैं।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : मैं अंतिम वक्ता हूं तो मैं समापन कर देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं····

श्री **धीरूराम** (टीबी) : हम भी तो

(२०४)

(श्री पीरूराम)
बाकी रह गए हैं। मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं। राजसर नगरपालिका के सम्बन्ध में हैं।

श्री **सभापति** : मेरे पास न तो आपकी तरफ से कोई लिखा आया हुआ है और न आपके दल की तरफ से आया हुआ है।

(व्यवधान)

सुनिये।

श्री **पीरूराम** : आपने कहा कि अंतिम वक्ता हूं इसलिए आपको याद दिलाया।

श्री **सभापति** : नहीं तो मेरे को ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप बोलेंगे।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वायत्त-शासी संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार का जो सरकार का दृष्टिकोण है वह तो इस बात से उजागर होता है कि जो महत्वपूर्ण नगर-पालिकाएं और पंचायतें हैं उनका प्रशासन किस प्रकार से चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास के लिए दूसरे दर्जे का मिनिस्टर नियुक्त किया जावे। इसलिए केबिनेट रेंक भी आखिर पंचायत संस्थाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं के मिनिस्टर को देने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने देखा कि दूसरे दर्जे के मिनिस्टर हैं, इनसे ही काम चल जाएगा। इस कारण मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दर्जे के मिनिस्टर दिए गए हैं उस दर्जे का ही काम स्वायत्तशासी संस्थाओं का हो रहा है।

मैं सर्वप्रथम आपको नगरपालिकाओं के बारे में बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, नगरपालिकाओं के जो मंत्री हैं उनके बारे में तीन बातें हो सकती हैं, या तो स्वायत्त-शासी संस्थाओं के बारे में उनको ज्ञान नहीं हैं, नम्बर एक। अगर स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में उनको ज्ञान है तो राजनैतिक आधार पर स्वायत्तशासी संस्थाओं को पंगु बनाना चाहते हैं, नम्बर दो। और नम्बर तीन, अगर ये दोनों बात नहीं हैं तो निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर वे कार्यवाहियां कर रहे हैं। सभापति महोदय, जब से माननीय प्रद्युम्नसिंहजी ने स्वायत्त शासन मंत्री का काम सम्भाला है तब से स्वायत्तशासी संस्थाओं की हालत वही हुई है जो राजाखेड़ा और धौलपुर में कानून और व्यवस्था की थी। जिस प्रकार से राजाखेड़ा और धौलपुर में डाकुओं को लूटने की छूट मिली हुई है और उनको राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है ठीक इसी प्रकार से इस समय नगरपालिकाओं में, नगर परिषदों में पूरी छूट लूट करने की है और वह भी राजनैतिक संरक्षण के आधार पर।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : यह कटौती प्रस्ताव था क्या आपका ?

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : जी हां, मेरा कटौती प्रस्ताव था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण हैं। या तो माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट कर दें इस बात को कि चुने हुए जन प्रतिनिधियों को इन ई. ओज. के हाथ का खिलौना क्यों बना रहे हैं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। मैं पहली बार यह बात कहना चाहता हूं....

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : यह प्रशासनिक

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
मामला है ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : यह प्रशासनिक मामला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके मंत्री बनने के बाद में आज तक जितने भी ई.ओज. के खिलाफ शिकायतें हुई, उन ई. ओज. की शिकायतों को या तो दाखिल कर दिया गया या जो सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी था उसको सबसे बढ़िया जगह पर लगाया गया और एक भी आर्डर डायरेक्टर, लोकल बोडीज के यहां से नहीं हुआ । सब ई. ओज. के ऑर्डर माननीय मंत्री महोदय के आदेश से हुए हैं । मुझे ऐसे आदेशों का ध्यान है कि जो आदेश डायरेक्टर, लोकल बोडीज या सैक्रेटरी, असिस्टेंट सैक्रेटरी चाहते हैं उनको छोड़ कर बाकी के जितने भी भ्रष्ट या खराब आफिसर हैं उन अफसरों के लिए स्वायत्त शासन मंत्री के यहां से सिफारिश आती है कि इनको वहां लगा दिया जावे । मैं दावे के साथ कहता हूं, घमण्डपूर्वक कहता हूं। वैसे घमण्ड नहीं करना चाहिए। स्वायत्त शासन मंत्रीजी में जितना भी जोर हो लगा लें, जितना दम हो उतना दम लगा लें, हमारी नगरपालिकाओं को जितना भंग करने की चाहे कोशिश कर लें और उनमें हिम्मत हो तो भंग कर दें । उनकी × × × × × × में कोई आने वाला नहीं है । राजस्थान की विधान सभा में अगर सबसे गन्दा स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया है तो मैं कहूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री ने दिया है । उस पर तीन-तीन अखबारों ने सम्पादकीय लिखे हैं । चोरी के मामले में उन्होंने खड़े होकर कहा कि आज तक तो नहीं बचाया है, अब बचाऊंगा । मैं आपको कहता हूं कि आप अब बचाइये, आप में थोड़ी बहुत भी नैतिकता और साहस है तो आपने विधान सभा में जो बातें कही हैं उन बातों पर पक्के रहिये और सारे भ्रष्ट अधिकारियों को आप बचाते रहिये । यह भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की नगरपालिकाओं की ही हालत नहीं है, असंतुष्ट गुट के जितने विधायक हैं उनकी नगरपालिकाओं में भी यही हालत है । नोहर की नगरपालिका की....

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : कृपया विषयान्तर नहीं हों, माननीय सदस्य ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : × × ×

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : जो आप नहीं कह सके, वह यह कह रहे हैं ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं नोहर की नगरपालिका का ।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : उनके व्यवधान से माथुर साहब विचलित हो सकते हैं, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है ।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, नोहर की नगरपालिका के बारे में । नोहर की नगरपालिका की भी यही हालत है । वहां कांग्रेस का चेयरमैन है । सादुलपुर की नगरपालिका की भी वही हालत है, वहां

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी कांग्रेस का चेयरमैन है । मैं कहना चाहूंगा, हमारे एक चेयरमैन को तो हथकड़ियां डलवा कर किसी शिकायत पर बाजार में घुमवा दिया । हमारी दो नगरपालिकाओं के चेयरमैनों, बाली और परबतसर की नगरपालिकाओं, से पूछा है कि आपको क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया जावे । दो दिन पहले माननीय मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय पधारे परबतसर में । वहां उन्होंने देखा और यह कहा कि बहुत अच्छा काम किया है लेकिन दो दिन बाद स्वायत्त शासन मंत्रीजी के यहां से, सैक्रेटरी के यहां से आदेश जाते हैं कि नगरपालिका को भंग क्यों नहीं कर दिया जावे । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें तीन कारण हो सकते हैं । पहला कारण यह कि स्वायत्त शासन मंत्री को स्वायत्तशासी संस्थाओं का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है । मैं समझता हूं कि उनको ज्ञान है । ये अपने आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। इसलिए ज्ञान तो इन्हें है या फिर राजनैतिक कारणों से ये उसको भंग करना चाहते हैं । तो मैं कहूंगा कि सदन के प्रांगण पर खड़े होकर इनको कहना चाहिए कि राजनैतिक कारणों से भंग करना चाहते हैं। यह भी कारण नहीं है तो तीसरा कारण यह है कि निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर करना चाहते हैं। अगर तीनों कारण नहीं हैं तो फिर कौनसा कारण है ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर और झुंझुनूं में चार नगरपालिकाएं हैं । फतेहपुर का ई. ओ. तीन बार चैंज किया गया । करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है । जो भी ई. ओ. आएगा हमारा काम करेगा और करता रहा है । लेकिन उनको एक नगरपालिका की चेयरमैन लेडी मिल गई । पुरुष तो दबा लेते हैं । एक लेडी मिल गई । तो लेडी मिल गई तो उस औरत को दबाने के लिए इन्होंने जितने घृणित हथियारों का प्रयोग किया, जितने ओछे हथकण्डों का प्रयोग किया और जिस प्रकार की कार्यवाही की, शायद प्रजातंत्र के इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी । इसलिए नवज्योति ने उनके भाषण के दूसरे दिन सम्पादकीय लिखा कि राजस्थान की विधान सभा में ऐसा वक्तव्य आज तक किसी मंत्री ने नहीं दिया । आखिर में लिखा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्य पर । फिर भी मंत्री महोदय को शर्म नहीं आती, तो मुझे भी नहीं कहना है ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : किस ने दबाया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के चुनाव कराए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत सुधारने के लिए आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

यह तो मैंने राजनैतिक दृष्टि से उनको बात सुनाई । उनकी मर्जी आए तो करें, न मर्जी आये तो ना करें ।

मनोरंजन-कर के बारे में कई लोगों ने प्रश्न उठाया । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय मनोरंजन-कर हमको मिल रहा था, जिस समय मनोरंजन-कर को सरकार ने अपने हाथ में लिया था उस समय कितना प्रतिशत उस मनोरंजन-कर का नगरपालिकाओं को दिया जाता था और कितना मनोरंजन-कर आता है, उसका नगरपालिकाओं को कितना पर्सेन्ट दिया जाता है ? एक बात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
तो यह अपने भाषण में स्पष्ट करने की कोशिश करें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव तो कराये, लेकिन चुनाव कराने के बाद जब एम.एल.एज. को पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में मैम्बर रखते हैं तो स्वायत्तशासी नगरपालिका के क्षेत्र से जो विधायक चुन कर आये हैं उनको नगरपालिका, मण्डल का आपको सदस्य बनाने में क्या आपत्ति हो सकती है ? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया जावे और प्रावधान करके जिस स्थान से नगरपालिकाओं के चुने हुए व्यक्ति हैं एम.एल.एज., उनको वहां का मैम्बर बनाया जावे।

सभापति महोदय, पंचायतों और नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत सुधारने के लिए जब तक अपन काम नहीं करेंगे तब तक मामला नहीं बैठेगा। जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार हमारे यहां से एक्साइज, इन्कम-टैक्स और सैंट्रल टैक्सेज वसूल करती है और वसूल करने के बाद कुछ हिस्सा, कुछ पर्सेन्ट राज्य सरकार को देती है, उसी प्रकार मैं कहूंगा कि राजस्व की जितनी वसुली होती है उसका कुछ पर्सेंट पंचायतों को दिया जावे और सैल्स-टैक्स और अन्य टैक्सों से जो राज्य को आय प्राप्त होती है उसका कुछ प्रतिशत नगरपालिकाओं को दिया जावे ताकि स्वायत्तशासी संस्थायें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा मसला चुंगी-कर का है। कई राज्य सरकारों ने चुंगी-कर समाप्त कर दिया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि चुंगी-कर समाप्त नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, आज नहीं तो दो साल बाद, पांच साल बाद चुंगी-कर को समाप्त करना होगा। चुंगी-कर एक बर्बर टैक्स है। 18वीं शताब्दी का टैक्स है। लाखों मानव दिवसों की इससे हानि होती है। ट्रेफिक जाम की समस्या पैदा होती है और बहुत-सी समस्यायें पैदा होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चुंगी का रास्ता निकाला जावे। चुंगी-कर समाप्त कर दिया जावे।

अब मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार पंचायतों को इन्होंने प्राइमरी एजूकेशन दे रखी है; उसी प्रकार नगरपालिका क्षेत्रों में प्राइमरी एजूकेशन नगरपालिकाओं को दी जावे। जहां नगर निगम होते हैं वहां पर आपने दे रखी है तो यहां क्यों नहीं देते ?

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं एक-दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा। स्वायत्तशासी संस्थाओं को अगर राजनैतिक डण्डे से हांकने की कोशिश की, स्वायत्तशासी संस्थाओं को अफसरों के आधार पर गुलाम बनाने की कोशिश की और स्वायत्तशासी संस्थाओं के चेयरमैन को अगर भ्रष्ट अधिकारियों के आधार पर पंगु बनाने की कोशिश की तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी। आज यही हो रहा है। इसलिए डिमाण्ड के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी सम्भल जाइये। यह प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र के युग में आपकी सरकार केरल में नहीं है, मद्रास में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, बंगाल में नहीं है। आपकी आठ प्रान्तों में सरकार नहीं है। यहां भी किसी भी····

अनेक माननीय सदस्य : आपकी कहां है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति

(212)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महोदय, माननीय सदस्य, अगर इस प्रकार लगे रहे जिस प्रकार लगे हुए हैं तो यहां पर हमारी सरकार बनने का दिन ज्यादा दूर नहीं। आप लगे रहो, आपने जिस बुद्धि और कौशल से शनिवार की मीटिंग में कारनामे किये हैं, वह अगर आप करते रहे, तो आपको मुबारक हो, वह दिन दूर नहीं जब वापस हम सरकार में आ जायेंगे। यह तो आपकी करतूतों पर निर्भर है। पर जो आपकी करतूतें हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की कार्यवाही की, इस प्रकार की कार्यवाही हुई तो उनके आधार पर स्वायत्तशासी संस्थाओं का चलना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपने आधार पर काम करते रहना चाहिये। उनको वैधानिक मान्यता मिलना आज जरूरी हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, अगर उनको वैधानिक मान्यता नहीं मिली, अगर संविधान में प्रावधान नहीं किया गया, तो 13-13, 14-14 साल तक नगरपालिकाओं, नगर परिषदों के चुनाव नहीं कराके जिस प्रकार, अधिशासी अधिकारियों के आधार पर, कमिश्नर के आधार पर वहां लूट मचाई जाती है, वह लूट मचाई जाती रहेगी। सभापति महोदय, सीकर नगर परिषद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में कहिए, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संक्षेप में कह रहा हूं।

सीकर नगर परिषद् के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों से पहले पिछले सैशन के समय, जब यहां माननीय श्री श्रीराम गोटेवाला मंत्री थे, मैंने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था—सीकर नगर परिषद् क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यह क्षेत्र उसमें शामिल कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं इतना ही इंट्रेस्टेड हूं पूछने के लिये, क्या वह सीमा क्षेत्र बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? वह क्षेत्र सीकर में शामिल होकर चुनाव होंगे या नहीं होंगे? माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, वह क्षेत्र चुनाव के पहले सीकर नगर परिषद् में शामिल होगा और चुनाव होंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है उसके बाद क्या दबाव पड़ा, क्या प्रैशर पड़ा, जो नोटिफिकेशन हो गया था, जो सीमा बढ़ गई थी, अब जो वार्ड बने हैं, उन वार्डों में उसको शामिल नहीं किया गया। उस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, मुझे इन्ट्रेस्ट नहीं है, आप बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, आप मुझे एक बात आज बता दीजिये, जो आपने सीमा का विस्तार किया है, इस चुनाव के पहले जब आपके कराने की मंशा है, उन स्थानों को सीकर नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में जोड़ कर चुनाव करायेंगे या नहीं करायेंगे? मैं इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं, बढ़ायें। मैं इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं, घटायें। यह बता दें, किस पर करायेंगे? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है, किसी बात पर टिके रहेंगे। जब सीमा क्षेत्र का विस्तार कर दिया, कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जायेगा, रिट करेगा और वहां चुनाव स्टे हो जायेंगे। इस बात को स्पष्ट करिये कि नगर परिषद् क्षेत्र को आपने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? बढ़ाया, तो उसमें वार्ड

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
शामिल होंगे या नहीं होंगे, सभापति महोदय ?

मैं इसके अलावा निवेदन करना चाहता हूं, आप भी सीकर जाते आते रहते हैं। सीकर में स्टेशन रोड से उतर कर आप सीकर के चांदपोल बाजार के ऊपर होकर ठीक-ठीक चले जाइये, नगर परिषद् द्वारा एक भी बनाया हुआ शौचालय, टायलेट कुछ भी नहीं है। आज 1,25,000 की जनसंख्या है। नगर परिषद् की तरफ से वहां पर एक भी इस प्रकार का बनाया हुआ नहीं है।

सब्जी मंडी के बारे में, मैंने बार-बार प्रश्न उठाया। लेकिन सब्जी मंडी बनाने का आज वहां पर सवाल नहीं है। रिक्शा का स्टैण्ड, आटो रिक्शा का स्टैण्ड, तांगा का स्टैण्ड, ट्रक का स्टैण्ड, बस का स्टैण्ड नहीं है। वहां सड़कों पर बसें खड़ी रहती हैं, तांगे खड़े रहते हैं, आटो रिक्शा खड़े रहते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से गांव का लड्ढा या ठेला लेकर आता है, कृषि उपज मंडी का काम चालू नहीं हुआ है, खड़ा रखने के लिये कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। मैं साफ-साफ शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, विधान सभा में, मैंने बार-बार प्रश्न उठाया · ·

श्री **सभापति** : समाप्त कीजिये।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, अंत में यह निवेदन करना चाहूंगा, सीकर नगर परिषद् के बारे में अपनी सारी बातें स्पष्ट करें। साथ-साथ जो मैंने बातें बतायी हैं, नगरपालिकाओं को किस प्रकार चलाना चाहते हैं, इसको मंत्री महोदय स्पष्ट करें। उनसे किसी प्रकार की उदारता की, किसी प्रकार के ट्रांसफर की कोई भीख मांगने का सवाल नहीं है। डंके की चोट कहते हैं, अगर टकराव की राजनीति पर चलोगे तो आप पड़े हो, जनता पड़ी है, आपसे टकराया जायेगा। आपके भ्रष्टाचार की पोल खोली जायेगी। आपकी असफलता के आधार पर आपका बंटाढार किया जायेगा।

श्री **सभापति** : समाप्त कीजिये।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : अगर आपने ठीक ढंग से काम किया तो आपके लिये ठीक है, आने वाले समय के लिये भी ठीक है, स्वायत्तशासी संस्थाओं की मान और प्रतिष्ठा बची रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री **सभापति** : श्री स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री **पेरूराम**: अल्सर नगरपालिका का कटौती प्रस्ताव है · ·

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखिये। आपकी तरफ से न तो कोई लिखित में था न कोई आपके दल की तरफ से था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री **पेरूराम** : मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री **सभापति** : कटौती प्रस्ताव तो सभी माननीय सदस्यों के थे।

श्री **रामप्रसाद** : दो मिनट · ·

श्री सभापति : माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले मंत्रीजी बोले तो फिर मैं क्या बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : अभी चार घंटे बाकी पड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य सहयोग करें, आसन को।

माननीय मंत्रीजी बोलिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने स्वायत्तशासी संस्थाओं व नगर आयोजना विभाग के संबंध में जो अपने मूल्यवान सुझाव दिये, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

यहां पर डिबेट में जो मुद्दे उठाये गये हैं उनको मूल रूप में तीन-चार चीजों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम, नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति, नगरपालिकाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम होना चाहिये था. इतना लम्बा अर्सा होने के बाद उसके बारे में, कोई सफाई आदि के बारे में भी यहां लोगों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये, श्रीमन्।

जहां तक नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, श्रीमन्, अधिकांशतः नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय है, काफी नगरपालिकाएं ऐसी हैं राजस्थान के अन्दर जहां पर दो महीने से, तीन महीने से, चार महीने से तनख्वाहों का ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बैठ कर बोल लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, रुग्ण हैं माननीय मंत्री महोदय, आप चाहें तो...

श्री प्रद्युम्नसिंह : बोल लूंगा।

श्री सभापति : यह दायित्व खेतसिंहजी का है, आपका नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कमाल है। हमारी तरफ जब बोलते हैं तो ऐसे तो कहा जा सकता है आप देख लें।

अनेक माननीय सदस्य : बैठ कर बोल लें, तकलीफ में हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं बोल लूंगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप इजाजत तो दे दें।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, इजाजत दो ना।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री सभापति : आपको आवश्यकता है क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप चाहें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति : हां।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं तो यह कहूंगा, इनके बाद वाले मंत्री भी बैठकर बोलें।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
बोलें।

श्री चेतराम मीणा : वह सक्षम हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति का यहां सवाल है, जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था, चूंकि स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनको अपने निज के साधन, जुटाने आवश्यक हैं। राज्य सरकार एक सीमा तक ही उनको आर्थिक सहायता दे सकती है। जो आज की स्थिति है उसके अन्दर नगरपालिकाओं को पांच रुपया, 81 की आबादी के आधार पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक सहायता तीन किस्तों के अन्दर राज्य सरकार, मुहय्या कराती है। कुछ विशेष अनुदान के रूप में 25 लाख रुपया पिछले कई सालों से बराबर नगरपालिकाओं को मिलता आ रहा है। उसमें यही प्रयास रहता है कि छोटी नगरपालिकाएं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको विकास कार्यों के लिये, इसमें कुछ राशि उपलब्ध करायी जाये, वह हमेशा मार्च के महीने में उनको उपलब्ध करायी जाती है। जहां तक नगरपालिकाओं की अपनी आय का सवाल है, नगरपालिकाओं के मूलतः दो ही सोर्स होते हैं—एक तो चुंगी-कर और दूसरा हाउस टैक्स। बाकी मुतफिरक रूप में कुछ और टैक्सेज उन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन मूल के अन्दर यही दो उनके आमदनी के जरिये है। जहां तक चुंगी की आमदनी का सवाल हैं, प्रदेश की नगरपालिकाओं के अन्दर इनकी दरें भी अलग-अलग हैं। कुछ नगरपालिकाओं के अन्दर तो पिछले आठ-आठ, दस-दस सालों से चुंगी की दरों का रिवीजन भी नहीं हुआ है। इसके मूल में कारण यही रहा है, चूंकि राजनैतिक आधार पर चुनाव होते हैं और बहुत कम नगरपालिकाएं नये प्रस्ताव लाती हैं। चुंगी की दरों को रिवीजन करते हैं। जहां तक हाउस टैक्स का सवाल है, सभापति महोदय, नगरपालिकाएं हाउस टैक्स की वसूली के मामले के अन्दर भी काफी पीछे हैं। चाहे वह बड़ी नगरपालिकाएं हों या छोटी नगरपालिकाएं। जो उनका दायित्व, जो रेट्स निर्धारित की हुई हैं उसके ऊपर वह वसूली नहीं कर रही हैं। तो मूल के अन्दर जो कारण हैं। एक सुझाव सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया कि नगरपालिकाओं को मनोरंजन-कर का जो पैसा मिलना चाहिये, जितने प्रतिशत के हिसाब से आज भी एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की वसूली का काम सेल्स-टैक्स डिपार्टमेंट को दिया गया था, उसी वक्त के नॉर्म्स के हिसाब से, बहुत लम्बा अर्सा हो गया, उसी हिसाब से आज दिन भी उनको थोड़ा-बहुत मिलता है वह उसी दर से मिलता है लेकिन अन्य राज्यों के अन्दर यह दर कहीं 25 प्रतिशत और कहीं 50 प्रतिशत है। दक्षिण के जितने राज्य हैं उनमें 50 प्रतिशत तक यह दर पहुंच गयी है। इस बारे में, सरकार में विचार चल रहा है कि किस प्रकार से मनोरंजन-कर नगरपालिकाओं को चाहे वसूली सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ही करे, उसका भुगतान नगरपालिकाओं को मूल के अन्दर होना चाहिये, इस बारे में, मुझे उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही निर्णय ले सकेगी। लेकिन जहां तक हाउस टैक्स का सवाल है, वसूली न होने के कारण नगरपालिकाओं की स्थिति खराब हुई। फिर नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की भर्ती

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का सवाल है। भर्ती पर भी अंकुश नहीं रहा। श्रीमन्, दूसरी बात यह हुई कि जो बराबर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते आदि बढ़ते रहे हैं, मिलते रहे, उसका भुगतान नगरपालिकाओं को देर-सवेर अपने कर्मचारियों को करना पड़ा। तो नगरपालिकाओं के ऊपर एक आर्थिक बोझ, छोटी नगरपालिकाओं के ऊपर बहुत बढ़ गया और उनकी स्थिति मूल में इस कारण से ठीक नहीं है। इस बारे में डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज का कई नगरपालिकाओं में तो 8-10 साल से हाउस टैक्स की वसूलियां नहीं की हैं। इस बारे में हम एक नीति संबंधी निर्णय लेने जा रहे हैं कि किसी को पाबन्द किया जाय, किसको जिम्मेदार बनाया जाय अन्यथा उनके खिलाफ आज प्रस्ताव ले लेते हैं, उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने जाते हैं तो फिर वही राजनीतिक हस्तक्षेप की बात होती है। कहीं पर दूसरे लेप्सेज होते हैं और जहां कार्यवाही करने की बात होती है तो फिर राजनीतिक हस्तक्षेप उसका रूप देने की चेष्टा की जाती है। सभापति महोदय, जब तक नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक छोटी नगरपालिकाएं कुछ ज्यादा काम कर सकें, ऐसा मैं मानकर नहीं चलता हूं। इसके बारे में कुछ दिन पूर्व जयपुर में नगरपालिकाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था, कुछ सुझाव आये थे। उस समय मैंने घोषणा की थी कि नगरपालिकाओं के अध्यक्षों की एक समिति का गठन किया जाय जिस में क्लास फोर्थ श्री टू वन नगर परिषद् और राजस्व विभाग वित्त विभाग और हमारे विभागों के अधिकारी बैठें और इस बारे में सरकार को सुझाव दें कैसे इनकी प्रशासनिक और आर्थिक समस्याओं को सुधारा जा सके, इस बारे में कोई अपनी रिपोर्ट दें। यह तो रहा जहां तक उनकी आर्थिक स्थिति का सवाल है, श्रीमन्, अब यहां पर दूसरी बात जो मूल में कही गई वह कही गई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही, श्रीमन्, और वह उत्तेजित हैं सिरोही नगरपालिका के मामले को लेकर।

एक माननीय सदस्य : पीड़ित हैं।

श्री **सभापति** : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : आप पीड़ित कह सकते हैं, मैं उत्तेजित ही कह सकता हूं।

श्री **बंशीलाल पटवा** : काफी रोष है।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : रोष मान लीजिये, काफी नाराज हैं कि मैंने सिरोही के ई. ओ. को वहां से नहीं हटाया। जिस सन्दर्भ में उन्होंने बात कही कि किसी अखबार के अन्दर संपादकीय लिखा गया तो मैं कैसे रोक सकता हूं। वह लिखें, बहुत सारे अखबार हैं हिन्दुस्तान के अन्दर। हर अखबार को अपनी बात कहने का अधिकार है। सम्पादक महोदय को अपनी बात कहने का अधिकार है। उनको तो मैं रोक नहीं सकता उनके अपने विचार हैं। और किसी अखबार में कोई बात लिख दी गई और वह ब्रह्मवाक्य हो गया सरकार के लिये, यह भी मैं मानकर नहीं चलता हूं, श्रीमन्, मैंने उस रोज भी निवेदन किया था कि जो रिपोर्ट सिरोही के असिस्टेंट डायरेक्टर की आई है, मैं उनमें से कुछ मुद्दों पर और जानकारी प्राप्त

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करूंगा क्योंकि 2-3 मुद्दों के बारे में मुझे भी शक-शुब्ह हैं कि रिपोर्ट ठीक प्रकार से नहीं आयेगी। मैं संतुष्ट हुआ तो निश्चित रूप से हटाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपने कुछ विरोधी पक्ष की नगरपालिकाएं हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया हैं, उनको भंग करने का नोटिस दिया हैं हटाने का नोटिस दिया है। श्रीमन्, मैं इस अवसर पर आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं से शिकायत आती हैं तो जांच कराई जायेगी चाहे वह कांग्रेस की नगरपालिका हो या भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिकायें हो। जहां तक बहुमत का प्रश्न हैं, बहुमत तो कांग्रेस की नगरपालिकाओं को मिला है, आपकी भी नगरपालिकाएं आई हैं लेकिन चाहे कांग्रेस की नगरपालिकायें हों या विरोधी पक्ष की नगरपालिकायें हों, नियमों की अवहेलना करने का, नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता हैं अब आपके यहां की नगरपालिकाओं की शिकायतें आई निश्चित रूप से जिन दो नगरपालिकाओं का जिक्र किया उनमें वहां के चैयरमैन के खिलाफ रिपोर्ट आई। अगर मैं चाहता वहां पर तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही उनको सस्पेण्ड किया जा सकता था लेकिन मैंने संस्पेण्ड नहीं किया। मैंने कहा कि ये इन्क्वायरी रिपोर्ट आई इस इन्क्वायरी रिपोर्ट के आने के बावजूद भी उनको नोटिस दिया जाना मुनासिब रहेगा और नोटिस देने के बाद इनका पक्ष भी सुन लिया जाय, उसके बाद ही निर्णय लिया जाय।

(व्यवधान)

मैं बिना सुने ही निर्णय ले सकता हूं, सरकार को अधिकार है। आपको कानून दिखा सकता हूं, आपके पास हो तो आप बता दें मैं आपसे निवेदन करू कि जब आपका राज आया था, आपने तो हल्फिया बयान ले ले कर सरपंचों को सस्पेण्ड किया था।

(व्यवधान)

हमने आज की तारीख तक नहीं किया। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके 28 महीने के राज में आपने प्रार्थना पत्रों के ऊपर सिर्फ एफिडेविट लेकर लोगों को सस्पेण्ड किया था। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप बता दीजिये, किसी नगरपालिका के अन्दर, किसको सस्पेण्ड किया हो?

श्री राम किशोर मीणा : पंचायतों में किया। पंचायतें और नगरपालिकाएं अलग-अलग हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई भी पंचायत एफिडेविट के आधार पर सस्पेण्ड नहीं की गई। इमरजेंसी में जिस प्रकार के चुनाव हुए उनके आधार पर सस्पेण्ड की गई थी, माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वही रिजल्ट अब आया है। अब नगरपालिकाएं और पंचायत समितियां सब कांग्रेस की आ गई है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
जवाब दे रहे हैं, क्या बात हो रही है। कितनी बुद्धिमत्ता है।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : माननीय सभापति महोदय, सच्ची बात कहने से किसी को अच्छी नहीं लगती। हमने राजनैतिक द्वेष के आधार पर नगरपालिकाओं में आज की तारीख में किसी मैम्बर को, किसी चेयरमैन को सपेण्ड नहीं किया। यह मैं आप से कह सकता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नीति यही रही हैं इसका सबसे बड़ा सबूत हैं कि आपने इमरजैंसी के बाद कांग्रेसजनों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया हैं, हमने कांग्रेस का राज्य वापिस आने के बाद आपके किसी आदमी के खिलाफ कमीशन नहीं बैठाया किसी को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : आपने ढाई लाख लोगों को जेलों में रखा है क्या बात कर रहे हैं आप? एक महिने जेल में रह जाते तो मालूम हो जाता।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : 19-19 महिने तक लोगों को जेलों में रखा और क्या करना चाहते थे आप?

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, शान्त रहे। स्थान ग्रहण करें।

श्री **महाराम चौधरी** : आप अपनी बात टालने के लिये ख्वाहमख्वाह क्यों उकसा रहे हो?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : यह तो वक्त बतायेगा यह तो दिल्ली के चुनाव पर उम्मीद लगाये बैठे थे.....

(व्यवधान)

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : कर्नाटक और आंध्र क्यों नहीं याद आ रहा है?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : इनका क्या हैं दूसरे के घर के अन्दर ब्याह हो रहा हैं और ढोल इनके यहां बज रहे हैं......

श्री **सभापति** : मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : सभापति महोदय, जहां तक राजनैतिक हस्तक्षेप का सवाल है मैंने सरकार की स्थिति साफ कर दी हैं लेकिन यह जो सब कह रहे हैं इनके कहने का अभिप्राय मुझे यही नजर आया कि भविष्य में इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी इसलिये अभी से मोर्चा बन्दी की जा रही हैं और मुझे धमकियां दी जा रही हैं।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, क्या शुरु करें बोलना,.....

श्री **सभापति**: माननीय सदस्य, आपने क्या कोई कमी रखी है?

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : हमको कोई डर नहीं लगता है, मुझे कोई डर नहीं है जो कहना हैं कहें और मुझे जो कहना हैं वह मैं कहूंगा मैं इस टैक्टिस से घबराने वाला नहीं हूं। इस सदन में मेरी यह चौथी टर्न हैं।

श्री **रामसिंह विश्नोई** : आप क्यों घबराते हो?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : आप हैं तो क्या परवाह हैं?

श्री महाराम चौधरी : आप तो ऐसे इन्हें उकसा रहे हैं कि यह बहिर्गमन कर जायं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, अब यह बात निश्चित है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के बारे में जो आलोचना या सुझाव आये हैं, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और कई माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं उनकी राय से सहमत हूं। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को जो काम करना चाहिये था पिछले 18 वर्षों में, उसमें प्रगति बहुत कम धीरे रही हैं। मैं धीरे शब्द ही इस्तेमाल करूंगा इसके लिये आदेश दिये हैं कि मैंने इस बात के लिये कि जो 50 हजार, कल जब डिस्कशन हो रहा था कि 50 हजार से ऊपर की आबादी के जो शहर हैं उनके बारे में हम कब तक मास्टर प्लान तैयार करके पब्लिश कर देंगे, इसके बारे में निश्चित तिथि मुझको बतायें जिससे कि सदन को मैं अवगत करा सकूं। जो हमारे दूसरे आफिसर्स थे चीफ टाउन प्लानर के अलावा उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया हालांकि जो बात कहीं मुझे उसमें भी संदेह हैं, जो सीनियर आफिसर हैं, उन्होंने कहा था कि इस काम को हम मार्च, 1984 तक निश्चित रूप से पूरा कर देंगे क्योंकि हमारे पास कुछ प्लान प्रोसेस के अन्दर हैं और कुछ नये प्लान में मास्टर प्लान को लेना हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि प्रोसेस के अन्दर जो प्लान हैं, श्रीमन्, अगर आप चाहें तो मैं उसका विवरण दे सकता हूं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप केवल उदयपुर के बारे में बोल दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कृपया बाद में सवाल पूछ लें तो ठीक रहेगा बीच में क्रम टूट जाता हैं।

उदयपुर के मास्टर प्लान का सवाल है वह तैयार हो चुका हैं। मैं इस बात को देखूंगा कि शीघ्र ही गवर्नमेंन्ट की स्वीकृति, अनुमति दी जाय और जल्दी से जल्दी पब्लिश किया जाय। आज जो सबसे बड़ा सवाल हैं नगर पालिकाओं, यू. आई. टी. और जे. डी.ए. के सामने जो अब तक हम समझे हुये थे कि नगरपालिकाओं का काम सफाई, रोशनी का काम अपने हाथ में लेना, नालों की मरम्मत करता है, परन्तु आज सबसे बड़ी समस्या शहरी आबादी की बढ़ती हुई दर को देखते हुए उनको रिहायशी मकान के लिए आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराना है यह काम नगरपालिकाओं और यू. आई. टीज. को करना है। हमारी प्रधान मंत्री ने इस बात के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया हैं, पत्र लिखे कि शहरों के अन्दर आवासीय भूखण्डों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की चेष्टा करनी चाहिये। उनकी कीमतों को गिराने का हमको प्रयास करना चाहिये। इस दिशा के अन्दर सरकार ने कुछ सक्रिय कदम उठायें हैं। हमने जो निर्देश दिये हैं, नगरपालिकाओं, यू. आई. टीज को मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। आज सबसे बड़ी समस्या आप जानते हैं श्रीमन्, रोटी कपड़ा मकान की हैं। जहां तक कपड़े का सवाल हैं आजादी के बाद दो चार साल तक जरूर दिक्कत आई, परन्तु उसके बाद कपड़े की समस्या नहीं आई। जहां तक खाद्य समस्या का सवाल हैं श्रीमन् देश अनाज के मामले में सेल्फ सफिशेंसी की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा हैं। लेकिन देश की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए आज शहरों के

(8.02 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(२२०)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्दर आवासीय समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। श्रीमन्, इसके लिए हमने जो कदम उठाये है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इसकी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमने यह निर्णय लिया, श्रीमन् 400 गज के जितने भूखण्ड है, अब तक नगर परिषदों की और नगर विकास न्यासों की हमेशा यह मंशा रहती थी कि आवासीय भूखण्ड के माध्यम से एक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति थी। उसको रोकने के लिए हमने यह निर्णय लिया कि 400 गज तक के जितने भूखण्ड है वह आवंटित किये जायेंगे और यह आवंटन भी इस के अन्दर लाटरी पद्धति के द्वारा किया जायेगा। इस बात के लिए निर्देश हमने जारी कर दिये हैं। इसके अन्दर, श्रीमन्, सरकार ने कोटा रखा था 10 प्रतिशत। वो जो निर्णय कि सरकार का कोई कोटा नहीं होगा, आवासीय भू-खंडों के लिये जितने प्रार्थना पत्र आये उन्हें सब के सब आवंटन होंगे। इसी पर्पज के लिये जब ऑक्शन होता हैं तो बड़े बड़े मालदार आदमी 10-10, 15-15 प्लॉट कॉर्नर कर जाते थे और सब्सीक्यूएन्ट डेट्स के अन्दर और सब्सीक्यून्ट बात के अन्दर उनको मुंह मांगे दामों के ऊपर बेचते थे। उस प्रथा को रोकने के लिए, श्रीमन्, हमने यह कदम उठाया है लेकिन साथ-साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखा है, श्रीमान्, यह प्लाट एक से नहीं होंगे, ये प्लाट 110 गज से लेकर 400 गज के होंगे। एकरूपता नहीं रखी है क्योंकि बहुत से गरीब आदमी होंगे वह जो हैं 400 गज तक प्लाट नहीं ले पायेंगे, जिसकी जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से प्लाट ले सकें, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कदम उठाया है। आपको जानकर, श्रीमन् यह खुशी होगी कि जयपुर के अन्दर ही करीब इस साल 31 मार्च तक 3 हजार प्लॉट्स जो हैं हम इसमें एप्लीकेशन्स इन्वाइट कर लेंगे क्योंकि हमको एप्लीकेशन इन्वाईट करने में कुछ समय लग गया क्योंकि पहले इनिशियली हमारा प्रोग्राम यह था कि 31 मार्च तक इसमें से भू-आवंटन कर देंगे लेकिन मुझे उम्मेद हैं कि 31 मार्च तक नहीं तो 15 अप्रेल तक निश्चित रूप से तीन हजार आवासीय भू-खण्ड हम जयपुर के अन्दर लोगों को मुहैया करा देंगे और अगले साल 10 हजार भू-खण्डों को हमने आवंटन का जयपुर के अन्दर ही लक्ष्य रखा है और हम अलग-अलग यू.आई.टीज के लिए भी अलग-अलग कोटा निर्धारित कर रहे हैं। उनको यह इंगित कर रहे हैं कि आपके पास कितनी जमीन अवेलेबल हैं हमको सुचित करें और उसके अन्दर से भी हम उनको यू.आई.टीज को इस बात के लिए पाबन्द करेंगे कि कितने प्रतिशत आपको आवासीय भू-खण्ड इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के लिए और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और एल.आई.जी. ग्रुप्स के लिए रख कर चलना पड़ेगा। यह तो आपको मानना पड़ेगा, श्रीमन्, यह बात निश्चित हैं अकेले हाउसिंग बोर्ड के जरिये ही हमें रियायशी मकानों की जो डिमाण्ड है उसको पूरा नहीं कर सकते। हमको पब्लिक का भी इन्वेस्मेंट इसके अन्दर कराना पड़ेगा। इस दिशा के अन्दर हमने यह निर्णय भी लिया है,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 जून तक हम यहां पर जो हरियाणा डवलपमेंट आथोरिटी हैं उसके जो नियम बने हुए है और देश की जो अन्य ऑथोरिटीज हैं उसके जो नियम बने हुए हैं। इस प्रांत के अन्दर बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता की तरह प्राइवेट कॉलोनाइजर को भी इन्वाइट करना चाहते हैं जिससे वह यहां अगर इन्वेस्टमेंट करें हम कोई उनको जमीन मुहैया करने वाले नहीं हैं हम उनको एरिया इंगित कर देंगे कि इस एरिया के अन्दर अगर आप मल्टी स्टोरी फ्लेट्स बनाते है तो हम उसकी आपको अनुमति देंगे और उसके अन्दर भी हम सर्टेन पर्सेन्ट 10 पर्सेन्ट जो हैं या 20 पर्सेन्ट जो है इकोनामिकली वीकर सेक्शन के लिए और लोअर इन्कम ग्रुप के लिए उनसे रिजर्व करायेंगे। हरियाणा के अन्दर यह पद्धति प्रचलित है और देश के जो प्रान्त हैं वह भी इसको एक्सेप्ट करते जा रहे है श्रीमन् यह एक निर्णय भी हमने लिया हैं, यह अपने आप में मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इससे निश्चित रूप से जमीनों की कीमतें बड़े शहरों के अन्दर बढ़ रही हैं उसको हम रोक पायेंगे। अभी हम इस योजना को पहले जो हमारे बड़े शहर है। उन तक ही सीमित रखेंगे और उसके बाद आबादी के हिसाब से इसको नीचे ले जायेंगे। पहले इसका अनुभव देखने के बाद ही आगे इसके ऊपर श्रीमन् कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमन् यह तो रहा आवासीय भू-खण्डों के बारे में। यहां पर माननीय सदस्यों ने जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर परिषद् के बारे में भी कुछ सुझाव, कुछ सवालात उठाये हैं। श्रीमान्, जैसा आपको मालूम है कि जयपुर के अन्दर कच्ची बस्तियों की अपने आपमें बहुत बड़ी समस्या है और उसको सरकार ने हल करने की चेष्टा की, कुछ नियम बनायें अभियान चलाये इसके अन्दर। इसी प्रकार से, यहां पर अनधिकृत जो मकान बने थे उनकी भी बड़ी जयपुर के अन्दर समस्या थी। आपको जान करके प्रसन्नता होगी श्रीमन्, जयपुर के अन्दर हमने जयपुर प्राधिकरण को इस बात के निर्देश दिये हैं, इसके अन्दर जो कानूनी दिक्कत आ रही है जिसका यहां पर विरोधी पक्ष के नेता ने कुछ दिन पूर्व जिक्र किया था अगर वो इस समय यहां होते तो मैं उनसे और जानकारी प्राप्त करता और उनको उत्तर देता। सरकार की मूल में मन्शा यह थी कि नियम न होने के कारण, बढ़ती हुई आबादी के कारण लोगों ने मकान बना डाले। नक्शे इत्यादि पास नहीं किये गये एग्रीकल्चर लेण्ड के ऊपर लोगों ने मकान बना डाले अब उसके अन्दर कई नियमों का उल्लंघन किया गया। उन सबको नजर अन्दाज करके सरकार ने निर्णय लिया कि एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर जो मकान बन गये है या लोगों ने सोसाइटीज से एग्रीकल्चर प्लाट खरीद लिये हैं उनको रेगूलेराइज किया जाना आवश्यक है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अन्दर लोग थे, कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर जो कुछ यहां पर हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं हैं लेकिन आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया, शुरू के अन्दर इस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

काम के अन्दर लोग कहते हैं कि आप 9 महीने हो गये, 10 महीने हो गये आपने क्या किया ? इस के नियमों के अन्दर यह बात सही हैं शुरू के अन्दर अभाव, के अन्दर और जो कानून थे उनकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना जयपुर विकास प्राधिकरण को करना पड़ा। सरकार के पास वह बार-बार आते रहे, दिशा निर्देश लेते रहे लेकिन अब मैं ऐसा मानकर चलता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उनको इस बात के आदेश दिये कि 15 अप्रैल तक आप तीन हजार एकड़ भूमि के ऊपर इसका ले आऊट प्लान जो हैं पूरा देवें इसको पास करें और जो नक्शा आदि लोग पेश कर उस पर शीघ्र कार्यवाही करें और उसके फलस्वरूप श्रीमान्, 15-4-1983 तक 20 हजार भू-खण्डों का सर्वे एवम् ले आउट प्लान पूर्ण करने का हमने निर्देश दिया है और जिस गति से वह चल रहे हैं मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि वह 15 अप्रेल तक, श्रीमन्, यह कार्य कर लेंगे। जहां तक कच्ची बस्तियों का सवाल हैं श्रीमान्, कच्ची बस्तियों के अन्दर हमने डी. आई. टी. के तहत जो काम करना था 82-83 के अन्दर, कच्ची जयपुर ही जयपुर के अन्दर, बस्तियों में 23 लाख 25 हजार रुपया हमारा खर्च करने का लक्ष्य हैं और 83-84 के अन्दर जयपुर कच्ची वस्ती विकास कार्यक्रम के अन्दर हम एक करोड़ 25 लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं यह मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं अब जहां तक आपने कहा कि टीलों के ऊपर लोगों को बसा दिया। कच्ची बस्तियों को आप बसाने जा रहे हैं। वे लोग पहले से ही वहां बसे हुए हैं हम वहां पर उनको रेगूलेराइज उसी सूरत में करेंगे, हमने उनसे कहा कि आप जो ऊंची-ऊंची जगह पर बैठे हैं आप नीचे आ जाइये हम उनको आल्टरनेटिव साइड प्रोवाइड करेंगे और ऑल्टरनेटिव, साइड प्रोवाइड करने के बाद हम उस जमीन को समतल करेंगे और उसके बाद ही वहां पर उन लोगों को प्लाट को रेगूलेराइज किया जायेगा। आपने एक सवाल यह उठाया कि मुरलीधरपुरा और विद्याधर नगर के अन्दर जो कॉलोनी बनी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का जिक्र यहां इसलिए विस्तार में करना चाहूंगा कि इसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वगैरह भी आये है जिससे कि उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ समय इसके अन्दर ज्यादा लग सकता हैं, श्रीमन्। आपने कहा कि जब मकान बनने शुरू हुए तो आपने घोषणा की थी कि 8 हजार रुपये के अन्दर मकान आपको उपलब्ध करवाया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आया आपने किस पुस्तिका में इसे पढ़ा। मैंने पूरी जानकारी कर ली, पता नहीं आपने कहां से यह जानकारी कर ली।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कहें तो आपको भिजवा दूं यह पुस्तिका।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात कह लेने दें। आपको मौका मिलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह जो पैसा आया थी मुरलीधर पुरा और विद्याधर नगर के लिये वह हाउसिंग डवलपमेंट कारपोरेशन का रुपया था, यह हाउसिंग डवलपमेंट कारपोरेशन का रुपया था। जिस वक्त उनसे बात हुयी थी इसके बारे में तो उन्होंने व्याज की दर 5 प्रतिशत इंगित की थी जो कि सब्सीक्वेंटली बढ़कर, श्रीमन्, सात पर्सेन्ट हो गयी। श्रीमन्, अगर रुपया हमने हुड़को से लिया है जिन शर्तों पर हमने रुपया लिया है उन्हीं शर्तों पर तो इन लोगों से इस रुपये को वसूल करना पड़ेगा यह। बात भी सही है कि उस वक्त रफ एस्टीमेंट बनाया था कि 8 हजार रुपये के अन्दर मकान बन जायेगा। जिसके अन्दर हमने उसमें 50 वर्ग गज जमीन भी दी है, श्रीमन, हमने 50 वर्ग गज जमीन भी उस मकान के साथ में दी है। आज आप खुद जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जयपुर में कहीं भी चले जाइये, कहीं भी 40 रुपये 50-60 रुपये वर्ग गज से जमीन जयपुर के बाहर 8 मील दूर तक चले जाइये वहां भी नहीं मिलती है। उसके बावजूद उनको यह दी लेकिन यह सरकार का दायित्व था, कर्तव्य था। उसके बाद जो शुरू में योजना बनी थी उसके अन्दर उन मकानों के अन्दर जो उनके शौचालय थे उनमें दरवाजे नहीं थे, शौचालयों को कवर नहीं किया गया था, बाथरूम और किचन को पक्का नहीं किया गया था। बाद में यह निर्णय लिया गया कि यह भी होना बहुत आवश्यक है अन्यथा गन्दगी होगी बाथरूम के अन्दर। उनको पक्का करना बहुत आवश्यक है। वह किया हमने, अध्यक्ष महोदय अब राजनीति कहां आ गई इसके अन्दर। लोग मुझसे मिले थे, विरोधी पक्ष के लोग भी मिले थे और हमारी पार्टी के लोग भी थे। विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात को लिया, भूतपूर्व विधायक माननीय भार्गव साहब भी मुझे मिले थे। वे शायद आपकी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। मैंने उनसे भी कहा कि जो लोग एकमुश्त रकम देंगे उनको आज भी मकान हवाले कर देंगे क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिस भाव से रुपया लिया जायेगा उसी भाव से तो रुपया लौटाया जायेगा। किसी भी बैंक से ऋण लेते हैं, वह जो मूल धन दिया है वही लौटायेंगे, ब्याज उसका नहीं देंगे। हाउसिंग बोर्ड का मकान लेते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि हाउसिंग बोर्ड से मकानों की जो किश्तें होती हैं उन पर भी व्याज लगता है। व्याज जो बढ रहा है उस व्याज को केलकुलेट करके कह रहे हैं कि 20 वर्षों में जाकर यह 17 हजार रुपया आपको देना पड़ेगा। मैंने इनसे निवेदन किया जो इनके प्रतिनिधि आये थे और आपके माध्यम से माननीय सदस्या से निवेदन करना चाहता हूं जो लोग हम को एक मुश्त रकम जमा करा देंगे उनको वैसे ही मकान दे दिया जायेगा, कोई सवाल ही नहीं किश्त करने का। फिर इसके साथ मैंने एक बात और निवेदन की, अध्यक्ष महोदय, आप लोगों के पास किसी के पास पूरा रुपया नहीं है, मान लीजिये गरीब आदमी हैं तो आप दो हजार, तीन हजार, चार हजार जितना हैं उतना दे दीजिये बाकी का किश्तों में फैला देंगे। अब चूंकि मुख्य मंत्री जी ने यहां पर चुनावों की घोषणा कर दी लोकप्रियता लेने के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। ... उन्होंने यह कहा कि हमने 1100 अग्रिम जमा कराये हैं। मैंने कहा कि आप अपने 1100 रुपये

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
वापस ले लीजिये 12 पर्सेन्ट इन्ट्रस्ट दे दूंगा, आप अपना रुपया वापस ले लीजिये, अध्यक्ष, महोदय लाइन लगी हुयी हैं छोटे कर्मचारी और दूसरे इन मकानों को लोग और अधिक कीमत देकर लेना चाहते हैं लेकिन सरकार को मुनाफा कमाने की इसके श्रीमन् अन्दर मंशा नहीं हैं ? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा और खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों से कि इसके अन्दर सरकार का सहयोग करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके समक्ष जो यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ पाइण्ट्स उठाये थे श्रीमन्, वह तो यहां पर उपस्थित नहीं हैं...

श्री **माणक मल मेहता** (पाली) : यहां नहीं तो क्या जवाब देना हैं ?

(व्यवधान)

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : समय का मूल्य समझिये। बड़ी भूख लग रही है।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : बस मैं बहुत संक्षेप में, अध्यक्ष महोदय, एक बात इस अवसर पर और कहना चाहूंगा। यह बात निश्चित हैं कि राजस्थान के अन्दर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट नहीं है और उसके अभाव के अन्दर टाउन प्लानिंग विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं। इस अवसर पर मैं यहीं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से विधान सभा के अगले सत्र के अन्दर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग बिल को इन्ट्रोड्यूज किया जायेगा और उस सत्र के अन्दर इसको पारित करने की कार्यवाही शुरु इसके ऊपर हमने कर दी है लेकिन काफी इसके अन्दर...

श्री **अध्यक्ष** : गांवों में भी लागू करेंगे?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : नहीं अध्यक्ष महोदय, उसका नाम हैं ये गांवों के अन्दर लागू करने का प्रश्न नहीं हैं। और न गांवों के अन्दर लागू करने का इरादा है यह तो शहरों के अन्दर ही लागू होगा यही मैं आपसे इस अवसर पर, अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा और हमारे माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये है श्रीमन् उनका मैं बहुत आभारी हूं आपने मुझे जो समय दिया और ध्यानपूर्वक मुझे सुना उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न...

श्री **अध्यक्ष** : कटारिया जी केवल एक प्रश्न की इजाजत दूंगा।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय पिछले 4 प्रगति विवरणों में बराबर यह आ रहा है कि उदयपुर का मास्टर प्लान फाइनल हो चुका है आप पिछले 4 वर्षों के प्रगति विवरण उठाकर देख लीजिये कि अतिशीघ्र उसको फाइनल रूप दिया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप आज यह घोषणा करने की स्थिति में है कि चार महीने में दो महीने में उदयपुर का मास्टर प्लान फाइनल हो जायेगा।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के मास्टर प्लान के बारे में निवेदन कर दूं Within next three months we will finalise it.

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि नगरपालिकाओं को हम भंग कर सकते हैं, बिना सुने, बिना कोई कार्यवाही किये. . .

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सस्पेंड करने की बात कही थी किसी मेम्बर के सस्पेंशन या चेयरमैन के सस्पेंशन की बात कही थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां मेम्बर और चेयरमैन को सस्पेंड कर सकते है, क्या यह वक्तव्य देकर मंत्री महोदय ने यह प्रयास नहीं किया हैं कि जो नगरपालिका चल रही हैं वह उनके वक्तव्य से डरे। क्या मंत्री महोदय ने ससपेंशन के रूल 285 हैं उसकी कमेन्ट्री को पढ़ी हैं।

The Power vested by Section 285 in the Collector authorised to act under it, to enforce that the functioning of a local body is an extraordinary power. The authority should not be allowed to be exceeded." .

यह कमेंट्री पढ़ी हैं ? यह 285 में और भी प्रोविजन है कि बिना कोई कारण बताये और बिना सुने आप सस्पेंड नहीं कर सकते है

श्री श्रीराम गोटवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन): यह एक्सीडेंट कौनसा कर दिया आपने, यह कहां से ले आये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो आपका हो रहा हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : ये तो दोनों एक से मिल गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब आसन पर नहीं विराजे थे, श्रीमन् मैंने उसी समय कहां था कि सरकार को अधिकार हैं ये कमेंट्री मुझे बता रहें है न तो कोई डराने का प्रश्न है न धमकाने का प्रश्न हैं गवर्नमेंट इज काम्पीटेन्ट। मैंने कानून पढ़ा हैं श्रीमन्। लेकिन साथ ही मैंने स्पष्टीकरण भी दे दिया कि आज की तारीख तक हमने किसी को सस्पेंड नहीं किया। जहां इन्क्वायरी रिपोर्ट आयी हैं वहां पर हमने नोटिस जारी किये हैं। मैंने पूर्व में ही सरकार की नीति थी, जो मंशा थी उसको बहुत साफ कर दिया है आपके सामने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी आपने कहां कि बडे शहरों में प्लाट दिये जायेंगे वह अलाटमेंट के द्वारा होंगे नीलामी के द्वारा नहीं होंगे। 110 से 400 वर्ग गज के प्लाट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : रिहायशी भू-खंड नॉट कॉमर्शियल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हां। रिहायशी भू-खंड कार्मशियिल नहीं। एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं जो शहर है वहां काम चल रहे हैं. रिहायशी बस्तियों के प्लाट उनको नीलाम किया जायेगा या अलाटमेन्ट किया जायेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी जो मैंने निर्णय लिया खास तौर से निर्णय था जयपुरे के जे.डी.ए. के बारे में। मैंने कहा था कि कुछ शहरों के अन्दर इस योजना को लागू कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयत्न यह है, सचिव महोदय से भी मेरी बात हुई है, मैंने यह भी कहा है कि नगरपालिकायें और म्युनिसिपल

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
कौंसिल अगर ऐसा करती हैं तो वहां भी इस बात का सर्कूलर इश्यू करना चाहिए। वह भी इस प्रकार करेंगी उनको भी कॉमशियल प्लाट्स अलाट करने के अलावा रिहायशी भू-खण्ड अगर वह देती है तो वह उनको एप्लीकेशन्स इनवाइट करके अलाटमेन्ट पद्धति से, अ लाटरी अलाट करने चाहिये जिसके लिए मैंने कम्पोजिशन जो बताया है सर्कूलर हो रहा है। उसके अन्दर वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाये और उनके सामने लॉटरी निकाली जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। चर्चा नहीं होगी। श्री बंसीलाल पटवा। आर्डर, आर्डर। इस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी। आर्डर-आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर शहर की नगरपालिका की सीमा के बारे में···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर शहर की नगरपालिका की सीमा के बारे में मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि सीकर नगरपालिका से लगाकर सीमा का जो विस्तार किया गया नोटिफिकेशन के द्वारा, चुनाव में वार्डों को सम्मिलित नहीं किया, चुनाव कराते समय उनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कहो ना।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने आक्ट्राय के बारे में, चुंगी के बारे में विचार व्यक्त किये, मैंने भी अपने विचार व्यक्त किये, उसमें चुंगी के बारे में कुछ बात कही थी छिद्र बन्द करने की दृष्टि से। राज्य सरकार समय-समय पर जो चुंगी के बारे में अलग-अलग रिप्रेजेन्टेशनस आते हैं तो वहां जहां जैसा देखा उन पर राजनीतिक चश्मे के आधार पर एक्जम्पशन दे देती हैं तो यह भेदपूर्ण नीति समाप्त करोगे कि नहीं ? क्योंकि कौंसल्स को इससे आघात पड़ता है। जैसे चांदी का आपने एक्जेम्पशन किया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चुंगी के बारे में राजस्थान के अन्दर एकरूपता लाने का प्रश्न है, सरकार ने इस बारे में एक कमेटी, मुझ से भी पहले मुकर्रर कर दी हैं। सरकार ने जो इस पॉइंट को एग्जामिन कर रही हैं लेकिन उस कमेटी के सामने भी यह प्रश्न आया कि हर नगरपालिका की स्थिति अलग-अलग है। हर नगरपालिका के प्रस्ताव आते हैं, अध्यक्ष, महोदय, अलग प्रकार के प्रस्ताव आते है इसने ऐसा कर दिया, इसने घटा दिया। कल ही मेरे पास पाली जिले की एक नगरपालिका का प्रस्ताव आया कि वहां पर चुंगी की दर उनके आसपास की नगरपालिकाओं के अन्दर 2 रुपए क्विटल की चुंगी थी, लेकिन उस नगरपालिका के अन्दर प्रशासक के जमाने में चार रुपए क्विटल चुंगी कर दी। इस से काश्तकारों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कहीं से अलग-अलग प्रस्ताव आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि के प्रस्ताव आते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
श्रीमन् ।

श्री बंसीलाल पटवा : ऑर्डर देते हो आप ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार सक्षम है, कर सकती है । आवश्यकता होगी तो करेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना है, एक प्रश्न ही पूछ रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, इस पर वाद विवाद नहीं होगा । अब मैं प्रश्न समाप्त करता हूं । माननीय सदस्य । इस तरह तो वापस डिबेट....

(व्यवधान)

एक प्रश्न, आप एक एक पूछ लीजिए ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं.

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, मैंने उनको इजाजत दी है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नहीं कह सकती कि पूर्व का मंत्री और अब के मंत्री में कोई मतभेद हो सकते हैं विभाग तो वही है । विभाग ने विज्ञापन दिया, पुस्तिका छपवायी उसमें आठ हजार देने का लिखा· · · ·

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, इसका जवाब दे दिया, ऑर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कृपया, किसने पुस्तिका प्रकाशित की है. आप एप्लीकेशन फार्म को देख लीजिए, कहां से पुस्तिका प्रकाशित हुई है. . .

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है, माननीय सदस्य श्री तावड़ ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसमें बिलकुल स्पष्ट नहीं किया गया । मंत्री महोदय इसको समझ रहे है, गलत जवाब दिया है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया, अगर गलत जवाब दिया है तो नियमों के अनुसार कार्यवाही करें । श्री तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़: मैं तो केवल इतना स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो रिहायशी भू-खण्ड अलाट करने की एप्लीकेशन्स इन्वाइट की तो बड़े लोगों में और छोटे गरीब लोगों में कोई पर्सेन्टेज के हिसाब से प्लाट देने का इरादा रखते है ?

श्री अध्यक्ष : अब सबको नहीं । श्री बिहारी लाल और उसके बाद में. . . .

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

इसमें जवाब-ववाब कुछ नहीं। जवाब तो जो मंत्री जी की क्षमता थी उसके अनुसार उन्होंने दे दिया, सदन जज कर लेगा कि जवाब ठीक दिया या नहीं, उसके अनुसार मतदान हो जायेगा । ऑर्डर प्लीज, श्री बिहारी लाल ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से, एक तो आप जो नगरपालिका के चुनाव कराओगे उसमें 68 के आंकड़ों के आधार पर वार्डों की संख्या बनी हुई है 68 के लिए मैंने निवेदन किया था। 68 के आधार से उनकी जनसंख्या के हिसाब से चुनाव करवाने चाहिये। दूसरा मेरा निवेदन था अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने कई बातें निवेदन की। यह तो प्राइ-वेटली ही पूछ लेते कि किस आधार पर होगा।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : तो आप कहिये ना। स्पष्ट, एक दो मिनट में कह दीजिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : जैसे आपने आहोर में और मंडाला में जनता की आवाज को सुनकर, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नगरपालिका समाप्त की। मैं भी बराबर अढ़ाई साल से आपके मार्फत पूछ रहा हूं, और ध्यानाकर्षण की मार्फत देकर, मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। यह मंत्री नहीं थे, उसके पहले यह स्थिति थी कि नगरपालिका तोड़ दी जायेगी और अब यह स्थिति है कि नगर पालिका नहीं तोड़ी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, 13-3 को मेरा घेराव हुआ है। मैं उनका जन प्रतिनिधि हूं वहां के लोगों ने मेरा घेराव करके पूछा है कि हमको काम मिलेगा या नहीं, नगरपालिका टूटे या वहां रहे, मैं चुन कर आया हूं, उनको क्या जवाब दूंगा मैं जवाब चाहता हूं, मंत्री महोदय, व्यवस्था दें कि क्या स्थिति होगी।

श्री अध्यक्ष : दोबारा बहस नहीं होगी, माननीय सदस्य, उत्तर और उसके बाद में...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: स्पष्ट सवाल करूंगा, लिखित सवाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके नगरपालिका क्षेत्र में राहत के कार्य खोलने का जहां तक प्रश्न है, उसके ऊपर निर्णय राहत विभाग लेगा, मेरे विभाग को निर्णय तो कोई लेना नहीं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, पंचायत राज। आर्डर, आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पांइन्टेड।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सेंटेज के हिसाब से कि रिहायशी प्लॉट का आवंटन किया जायेगा या नहीं।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी . . .

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट रुक जाइये, ऑर्डर, ऑर्डर,। एक मिनट। आप बैठे-बैठे ही उत्तर दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, चुंगी के बारे जहां तक आपने कहा कि प्रस्ताव अध्यक्ष की तरफ से आना चाहिए या नगरपालिका से ? यही प्रश्न पूछा था आपने ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोर्ट से ? हां।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चुंगी बढ़ाने के प्रस्ताव का प्रश्न है। चुंगी, मान लीजिये, यह प्रस्ताव किसी की तरफ से भी आ सकता है, अध्यक्ष महोदय, भी भेज सकते हैं, नगर पालिका भेज सकती है, नगर पालिका बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा लेकर भेज सकते हैं, जहां कि बोर्ड नहीं है चुने हुए, वहां प्रशासक भेज सकते हैं और, अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह आरबीट्रेरी मैंनर के अन्दर इस तरह के बोर्ड आ जाते है, जनता के हितों पर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कुठाराघात करके कोई प्रस्ताव भेज देते हैं, और सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इसको बढ़ा दिया जाये या पास्ट में बढ़ा दिया हैं। जनता की डिमाण्ड आती हैं तो सरकार मूक बैठी देखती रहेगी। इसके ऊपर, यह तो सरकार के विवेक के ऊपर हैं कि किस प्रकार का प्रस्ताव है किस के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, क्या दरें हैं, क्या निर्णय लेना हैं, जनता की क्या मांग हैं, इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जायेगा, श्रीमन्।

श्री **अध्यक्ष** : पंचायत राज मंत्री जी।

श्री **शीशराम ओला** (राज्य मंत्री पंचायत राज): अध्यक्ष जी, पंचायत विभाग की अनुदान की मांगों पर विचार विनिमय इस सदन में चल रहा हैं कुल 79 कटौती प्रस्ताव आये, 22 माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दिये, जो माननीय सदस्य नहीं बोल सके हैं, उनके कटौती प्रस्तावों के उत्तर लिखित में उनके पास भिजवाने की मैं पूरी-पूरी कोशिश करूंगा। जो माननीय सदस्य बोले हैं, जिन्होंने अमूल्य सुझाव दिये हैं, वह कई प्रकार के अलग-अलग सुझाव है।

श्री **अध्यक्ष** : आप बहुत अरसे तक प्रमुख रहे हुए हैं, इसलिए आप समस्याओं से परिचित हैं।

श्री **शीशराम ओला** : पंचायती राज की राजस्थान की उपलब्धियों के बारे में, सबसे पहले मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, 1965 के बाद राजस्थान में पंचायतों के चुनाव 77 तक नहीं हुए। 77 में पंचायतों के केवल चुनाव हुए। राजस्थान में थ्री टायर सिस्टम, पंचायती राज हैं। पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो सके...

श्री **अध्यक्ष** : वह हिम्मत हार गये बीच में ही...

श्री **शीशराम ओला** : अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। एक महीने के अन्दर पूरे चुनाव सम्पूर्ण करवाये और थ्री टायर सिस्टम पंचायती राज की व्यवस्था हैं, मुकम्मल चुनाव कराने को राजस्थान की ग्रामीण जनता की एक बड़ी जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा की पूर्ति का यह अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके माध्यम से राजस्थान में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और गांवों से भी आगे, ढाणियों में, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके समुचित विकास की कोई व्यवस्था कर सकता हैं, उनके हकों की कोई रखवाली कर सकता हैं तो वह केवल पंचायती राज संस्थायें हैं। उनमें उनकी अटूट आस्था हैं। उनके माध्यम से विकास के दूसरे कार्यक्रम होते हैं गांव के लोग, ढाणियों के लोग यह महसूस करते हैं कि पंचायत के माध्यम से राज तक हमारी पहुंच हो और नि. संकोच अपनी बात को पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स को, पंच को, सरपंच को, प्रधान, प्रमुख को कहते हैं। यह चुनाव अपने आप में इतने बड़े थे, पूरे राजस्थान में 236 पंचायत समितियां थीं, 26 जिला परिषदें....

एक माननीय सदस्य : 26 नहीं 27 जिला परिषदें।

श्री **शीशराम ओला** : मुझे कहने तो दीजिये। एक का अभी निर्माण नहीं हुआ।

(श्री शीशराम ओला)
27 की बजाय 26 के ही करवाये हमने ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अरे भाई, व्यवस्था करो,

श्री शीशराम ओला : 60,293 ग्राम पंचायतें और 68,298 पंच तथा 1 करोड़ 49 लाख के करीब मतदाताओं ने अपने मत का सदुपयोग किया । यह अपने आप में इतना बड़ा कार्य था और इतनी कम अवधि में यह कार्य सम्पन्न हुआ, और इसकी जितनी सराहना की जा सके वह थोड़ी है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ताली बजाओ ।

श्री शीशराम ओला : ताली बजाने की आप चिन्ता मत करो। ताली बजाने वाले हमारे पास बहुत ज्यादा हैं । परन्तु आप बात सुनिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अधिकतर माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव यहां पर रखे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये ग्रुप सचिव-हो अथवा ग्राम सेवक हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहिये, माननीय सदस्य ।

श्री शीशराम ओला : सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां पर बड़ी पंचायतें हैं वहां पर प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवक या ग्रुप सचिव मिलेगा । उसके बाद दो पंचायतों को एक ग्राम सेवक या ग्रुप सचिव मिलेगा। सरकार की मंशा यह है कि जैसलमेर जिले में, सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सेवक अथवा ग्रुप सचिव दिया है। सरकार यह बहुत गंभीरता से सोच रही है कि अब सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक हो तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक ग्रुप सचिव अथवा एक ग्राम सेवक मिले जिससे ग्राम पंचायत सुचारु रूप से अपना काम कर सके। इसके लिये सरकार की मंशा है वह साफ है लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्रुप सचिव या ग्राम सेवक दे सके....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ताली बजाना ही गलत हो गया ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : यह तो स्पष्ट बात है ।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : श्री चतुर्वेदी जी या तो आप कह लें या मुझे कह लेने दीजिये..

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें । माननीय सदस्य ।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने शिक्षा विभाग के लिये और यह पंचायत समितियों के पास प्राइमरी एजूकेशन हैं इसके सम्बन्ध में तरह तरह के अपने विचार प्रस्तुत किये। अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के पास प्राइमरी एजूकेशन है और वह प्राइमरी एजूकेशन यदि पंचायत समितियों के पास रहे तो इतना अधिक सुधार हो जायेगा, अभी उसमें सुधार नहीं है लेकिन

(श्री शीशराम ओला)

मेरी ऐसी मान्यता नहीं हैं, मेरी यह दृढ़ मान्यता हैं, और विश्वास हैं कि पंचायत समितियों के पास एजूकेशन ज्यादा अच्छी हैं बजाय शिक्षा विभाग के और इसलिये अच्छी हैं कि आज. . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहां हैं-कमला जी ।

श्री शीशराम ओला : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य हेमाराम जी बोले, अमीन खां जी बोले, अमराराम जी बोले और उन्होंने अपने विचारों से यह स्पष्ट जाहिर किया कि बाड़मेर के अन्दर कितने ऐसे स्थान हैं, कितने ऐसे स्कूल हैं जहां एक-एक अध्यापक भी नहीं हैं यदि यह वापस प्राइमरी एजूकेशन शिक्षा विभाग के पास चली जाती हैं तो निश्चित रूप से वहां पर कोई टीचर नहीं जायगा और जायेगा तो केवल रजिस्टर में नाम लिखाकर वापस आ जायेगा । जो पंच,सरपंच और गांव के मुखिया हैं यह महसूस करते हैं कि प्राइमरी शिक्षा पंचायतों के माध्यम से चल रही हैं, पंचायत समितियों के माध्यम से चल रही हैं तो वहां के शिक्षकों में भी डर हैं,भय हैं, वह महसूस करते हैं कि कभी कोई आ सकते हैं और मेरी गैर हाजिरी कर सकते हैं।उसके बावजूद भी यदि इसमें कहीं कोई कमी हैं तो मैं निश्चित तौर से डवलपमेंट कमिश्नर, मिस्टर बोडिया, जो शिक्षा विभाग के प्राइमरी ऐज्यूकेशन के और सैकण्डरी एजूकेशन के डाइरेक्टर रहे हैं और शिक्षा में उनकी विशेष रुचि रही हैं और सभी दृष्टिकोण से बड़े सक्षम अधिकारी हैं, शिक्षा की दृष्टि से विशेष रुचि रखते हैं-मैं उनको मेरे साथ बिठा करके इसके बारे में सोचूंगा कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है । मैं माननीय सदस्यों से भी विनती करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि आप भी अपने अपने सुझाव दें और हम यह ध्येय करेंगे कि एक- दो महीने के अन्दर उन सुझावों पर फैसला कर लिया जाय यह मेरी मान्यता है और आपके सहयोग की मैं अत्यन्त आवश्यकता समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अपना पूरा सहयोग मुझे देंगे.

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपके मंत्री ने ऐसी बात नहीं कही ।

श्री शीशराम ओला : शिक्षा विभाग में टीचर्स की कमी बताई गई है, उनकी स्थिति यह है कि 20 हजार 749 हमारी प्राइमरी स्कूल हैं और 1:49 के रेश्यो से, फार्मूले से 48,533 अध्यापकों की आवश्यकता होती हैं और स्वीकृत अध्यापक हमारे पास हैं 38,398। इस प्रकार 10 हजार 173 अध्यापकों की आज कमी हैं । यह कमी आज नहीं हैं यह कमी 30-9-82 को हैं और मैं समझता हूं कि और भी ज्यादा अध्यापकों की आवश्यकता है 1:49 के रेशो से प्राइमरी एजूकेशन के लिये हैं । उनके सही आंकड़े नहीं हैं, जो भी होंगे आपको उससे भी अवगत करा दिया जायेगा । 3 हजार के करीब अध्यापक हम इस वर्ष लगा रहे हैं । 2 हजार तो इस वर्ष के लिये 3 हजार प्राइमरी एजूकेशन के लिये और अगली बार के लिये रखे है । सबसे बड़ी मुसीबत यह हैं कि इन टीचर्स पर कन्ट्रोल तो हमारा है लेकिन स्वीकृति शिक्षा विभाग देता है कि कितने टीचर्स

(श्री शीशराम ओला)
प्राइमरी एज्यूकेशन के लिये देने हैं, विकास विभाग अपने आप टीचर्स स्वीकृत नहीं कर सकता है, स्वीकृति शिक्षा विभाग देता हैं और उतने ही हम लगा लेते हैं। यह हम भी महसूस करते हैं और मैं खुद भी महसूस करता हूं कि अध्यापकों की बहुत कमी हैं यह पूरी होनी चाहिए। इसके लिये चेष्टा करेंगे कि कैसे और कितनी जल्दी कमी पूरी हो सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर यह भी कहा कि प्राइमरी एज्यूकेशन ही नहीं मिडिल स्कूल्स भी होने चाहिए जिला परिषदों के तहत और कुछ माननीय सदस्यों ने अपने यह सुझाव भी रखे कि..

एक माननीय सदस्य : यह सुझाव भी रखें कि मिडिल स्कूल नहीं रखे जाय।

श्री शीशराम ओला : ठीक है। यह बात भी ठीक हैं, नहीं रखे जाय कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा हैं कि बीकानेर में जो सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो घोषणायें की गई थीं मुख्य मंत्रीजी के द्वारा उनकी अनुपालना नहीं हुई है और वह घोषणायें केवल घोषणायें मात्र रह गई हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणायें की गई थीं वह प्रायः सब की सब पूरी हो गई हैं। प्रत्येक विभाग से स्टाफ और बजट विकास विभाग में आ गया हैं। 4-5 ऐसी बातें तो मिल सकती हैं पशु पालन, औषधालय, पी.एच.ई.डी. और मेडिकल की कुछ एड पोस्ट वगैराह यह पांच ऐसे आइटम्स हैं जो अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं और वह अभी तक पूर्णतः विभाग में ट्रांसफर्स स्कीम्स नहीं हुई हैं, बाकी सब की सब हो गई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि केवल अधिकारी तो आ गये हैं, एक-एक एक्सटेन्शन ऑफिसर आ गये हैं लेकिन उनका स्टाफ नहीं आया है और स्टाफ तो जितना कैबिनेट ने तय किया और मंत्रिमण्डल ने अनुमति दी, जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी उसके मुताबिक तमाम विभागों से सारे का सारा स्टाफ विकास विभाग के पास आ गया है, उनकी प्रतिनियुक्ति भी हो गई है और उन्हें जितना बजट मिलना चाहिए वह भी उनके पैरेन्ट्स डिपार्टमेन्ट से मिल गया है इसलिए कहीं भी कोई कमी नहीं हैं जो भी स्टाफ स्वीकृत किया गया था वह सारे का सारा विकास विभाग के पास आ गया है।

पंचायत विभाग के माध्यम से भवनों के लिये हुडकों से और कर्ज के रूप में और सहायता के रूप में काफी काम हुआ है। हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस विभाग के कार्य को सराहनीय बताया है। बीस सूत्री कार्यक्रम का 9वां सूत्र खासतौर से जो गांव में रहते हैं, उनके पास मकान नहीं है, प्लाट्स नहीं है वहां गांव में उनको भू-खण्ड दिये गये हैं निःशुल्क और उनको मकान बनाने के लिये जो गरीबी की रेखा से काफी नीचे जीवनयापन कर रहे हैं उन्हें साढे सात सौ रुपये मकान के लिये सहायता,

(श्री शीशराम ओला)

और एल. आई. सी. से जो लोन मिलता है 5 हजार रु. तक का, और हुडको से जो लोन मिलता है वह तीन हजार तक प्रति व्यक्ति मकान के लिये लोन दिया जायेगा। इस चालू वर्ष में एक लाख भू-खण्ड निःशुल्क देने का हमने लक्ष्य रखा है उसमें 103074 भू-खण्ड आवासीय स्थिति को सुधारने के लिये गांवों में दिये हैं, 3074 भू-खण्ड अधिक दिये गये। चालू वर्ष में भी अब तक 75 हजार

(व्यवधान)

हमने 75000 के करीब, 75498 के करीब भू-खण्ड दिये हैं और जो बाकी बच गये, मेरी मान्यता है, लक्ष्य से अधिक भू-खण्ड हम दे पायेंगे।

पिछले वर्ष 75 लाख रुपये अनुदान के रूप में हमने उन मकान बनाने वाले व्यक्तियों को दिये जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। इस वर्ष हमने 13333 मकानों के लिये एक करोड़ रुपये अनुदान के रूप में रखे हैं और वह इन्हें दे दिया जायेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

(व्यवधान)

सरपंच, प्रधान और प्रमुखों के भत्तों में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है वह इस प्रकार है:—

सरपंच को अब से पहले 5/- रु. दैनिक भत्ता मिलता था अब सरकार ने इसे 10/- रुपये करने की घोषणा की है। प्रधान को 7.50 प्रतिदिन भत्ते के रूप में मिलते थे अब से 15/- रु. के रूप में मिला करेंगे। प्रमुख को दस रुपए भत्ते के रूप में प्रतिदिन मिलते थे अब तीस रुपये प्रतिदिन प्रमुख को भत्ते के रूप में मिलेंगे।

(व्यवधान)

यह एक लम्बे समय से इस बात की मांग थी।

श्री **चतुर्भुज शर्मा** : आपको पहले सुझाव दिया था कि पंच को दो रुपये मिलते हैं उसको बढ़ाया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : यह दो रुपये पंच को कम हैं, वह खोटा है। जितना कम से कम मिनिमम वेजेज हैं उतना तो उसको भी दिया जाय।

श्री **शीशराम ओला** : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि पंचों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता है, दो रुपये की जो माननीय सदस्य बार-बार फरमा रहे हैं वह स्थिति यह है कि कहीं कोई भी भू-खण्ड किसी को आवंटित किया जाता है और उसको देखने के लिये कोई पंचायत का पंच जाता है तो उसकी एप्लीकेशन के लिए दो रुपये मिलते हैं। जो आदमी एप्लीकेशन इस बात की देता है कि मुझे भू-खण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री **वीरेन्द्र पाल सिंह** : इन्होंने तो पार्टी से लिये थे पंच थे जब।

श्री **शीशराम ओला** : तो वह दो रुपये जो हैं पंचायत को अधिकार है कि इस काम के लिये खुद पंचायत स्वीकृति दे तो जो माननीय पंच वहां पर जाता है उस पंचायत के पंच अपनी मीटिंग में स्वीकृति

(श्री शीशराम श्रोला)
देकर दो रुपये इसलिए दे देते हैं कि थोड़ा इनको जाना पड़ा, घण्टे दो-घण्टे श्रौर पंचों का कहीं भी जाने का साधन है तांगे का हैं, ऊंट का हैं, बैलगाड़ी का हैं, जैसे दो रुपये उसको मिलते हैं ।....

(व्यवधान)

लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है नियमों में कि किसी किस्म का भत्ता दिया जाय ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : ये तो लेते रहे श्रब तक ।

श्री **शीशराम श्रोला** : लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है किसी किस्म के भत्ते का श्रधिकार नहीं है ।

श्री **वीरेन्द्र पाल सिंह**: इन्होंने लिया है ।

(व्यवधान)

श्री **श्रध्यक्ष** : श्रार्डर प्लीज ।

श्री **शीशराम श्रोला** : जो व्यवस्था है वह बता रहा हूं, उससे श्रलग कहां जा रहा हूं । बहुत जगह विकास श्रधिकारी नहीं हैं, यह बात भी माननीय सदस्यों ने कही श्रपनी चर्चा के दौरान । मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 236 विकास श्रधिकारियों में से 118 श्रार. ए. एस केडर के श्रौर 118 जूनियर श्रार. ए. एस. केडर के श्रधिकारी विकास श्रधिकारी के पद पर पंचायत समितियों में लगाये जायेंगे । तो जो जूनियर श्रार. ए. एस. ग्रेड के विकास श्रधिकारी रखेंगे उनका पिछले डेढ़ दो महीने से साक्षात्कार चल रहा हैं श्रौर मैं सोचता हूं 15-20 दिन में सारे साक्षात्कार पूरे होकर 118 जूनियर ग्रेड श्रार. ए. एस. के श्रधिकारी वहां लगा दिये जायेंगे । श्रार. ए. एस. ग्रेड के 325 श्रधिकारी विभाग को मिले हैं श्रौर भी हम जल्दी से जल्दी लेने की चेष्टा कर रहे हैं । डी.श्रो.पी. से, मैं उम्मीद करता हूं कि वह भी जल्दी मिलेंगे श्रौर इस प्रकार से जो विकास श्रधिकारी हैं ...

श्री **श्रध्यक्ष** : श्रार. ए. एस. श्रधिकारी प्रधानों के कण्ट्रोल में रहने मुश्किल हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री **शीशराम श्रोला** : श्रध्यक्ष जी, जो बात कहते हैं वह बिल्कुल सलाह के रूप में श्रधिकार के रूप में कहते हैं श्रौर जो भी वह मुझे फरमाते हैं वह भी मैं पूरी निष्ठा से श्रमल करता हूं श्रौर उसी प्रकार से श्राचरण करने की चेष्टा करता हूं ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय श्रध्यक्ष जी की श्राज्ञा के बाद क्या करेंगे श्राप ?

(व्यवधान)

श्री **शीशराम श्रोला** : जो हमको श्रादेश देते हैं उसके मुताबिक चलने की चेष्टा करता हूं । प्रधान मंत्री ने राजस्थान में पंचायती राज के कार्य को सराहा है । मेरे खयाल से सारे राष्ट्र में एक राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां हमारे प्रधान मंत्री ने पंचायत कार्य को सराहा है कि राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्विति के लिये पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। वैसे भी राजस्थान का नम्बर पूरे राष्ट्र में तीसरे नम्बर के लगभग श्राता हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गुजरात पहला है।

श्री शीशराम ओला : गुजरात दो नम्बर पर, महाराष्ट्र पहले नम्बर पर, राजस्थान तीसरे नम्बर पर और आन्ध्र प्रदेश चौथे नम्बर पर। हम चेष्टा करेंगे कि राजस्थान पंचायत राज के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान के नक्शे पर प्रथम आये आप लोगों के सहयोग से।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव मुझे दिये हैं मैं चेष्टा करूंगा कि उन पर पूरा ध्यान रखते हुए उनके सुझावों की पूरी कदर करते हुए, और पंचायती राज संस्थाओं को और आगे बढ़ावें। मैं, अध्यक्षजी, मेरे दोस्त जो यहां बिराज रहे हैं वह कह रहे हैं कि देरी हो रही हैं····

(व्यवधान)

राज्य सरकार के विचाराधीन राजस्थान में रूरल डवलपमेंट कार्पोरेशन की स्थापना करने का भी विचार हैं। यह यदि हो जायगा तो मैं समझता हूं राजस्थान के ग्रामीण आंचल में जो लोग आवास कर रहे हैं उन्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा इससे उनको कुएं खोदने के लिये, मकान के लिये और दूसरी लोनिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनसे लोन मिल सकता है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी स्थापना हो जाय तो राजस्थान में ग्रामीण अंचल में चहुमुंखी विकास हो जायेगा। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्षजी, यह चाहूंगा जो विचार माननीय सदस्यों की ओर से आये मैंने उनका उत्तर देने की पूरी चेष्टा की है······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शीशराम ओला : माननीय तावड़ साहब ने एक विकास अधिकारी के बारे में बताया उसका उत्तर मैंने दिया कि जब विकास अधिकारियों का चयन होकर हमारे पास आ जायेगा तो कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। पंचायत एक्सेटेन्शन ऑफिसर विकास अधिकारी पूरे राजस्थान में हैं उनमें से आपने बताया वह भी एक है। माननीय तावड़ साहब ने यह भी बताया कि कोई सरपंच के भाई टीचर हैं पंचायत समिति अलसीसर में और उन्हें इसलिए तंग किया जाता है कि उनके भाई कांग्रेस में आ जायं, कोई ऐसी बात नहीं हैं। कांग्रेस में लेने की जरुरत नहीं हैं। हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक बात जो आपकी तरफ से आई कि तीन चार महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिली हैं, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। यदि कोई बात ऐसी हुई तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य विराजमान हैं। जहां-जहां भी जांच करने की स्थिति है वहां जांच करवाई जायेंगी और जांच में जिस प्रकार की स्थिति होगी उसके मुताबिक और एक्शन होगा। मकराने बारे के में मुझे खेद है कि कई प्रकार की बात कही गई। मैं कभी भी किसी चुने हुए व्यक्ति को उतने ही आदर से देखता हूं जिस आदर से उसको देखना चाहिये।

(श्री शीशराम ओला)

इसलिये यह बात कहना गलत है । कोई भी उप-प्रधान की बात चलती हो और प्रधान की नहीं चलती हो तो मैं ऐसा समझता हूं कि प्रधान की भी इसमें कमजोरी है । अधिकार कोई किसी को देता है अधिकार तो चुनाव के जरिये दे दिये गये । अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, सदुपयोग के लिए दुरूपयोग के लिए नहीं । यदि ऐसी कोई बात है जो न्यायसंगत नहीं है गलत हो रहा है निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जायेगी और दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ एक्शन होगा । मैं सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए आपसे, अध्यक्षजी यह निवेदन करूंगा कि विभाग की मांगे पारित की जायं ।

(व्यवधान)

मांगों का पारण

मांग संख्या 49, 41 व 29 का पारण

श्री अध्यक्ष : मांगों पर मतदान । आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहिये, आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । मांगों पर मतदान ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49/- स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,69,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41/- सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,66,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,17,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.14 बजे, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1983 के म. पू 11. 00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची

वर्ष 1982-83 नियमन कर पालिका द्वारा पट्टे जारी की सूची

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	पार्टी का नाम मय वल्दीयत	पट्टा सं.
1	2	3	4
1.	47।1972	श्री मीकूलाल पुत्र नाथूराम पालीवाल	477
2.	29।1972	श्री अलाबक्स पुत्र नवूखां तेली	478
3.	24।1972	श्री नूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद बक्स	479
4.	48।1972	श्री मोहन लाल पुत्र सोम देव मोची	480
5.	55।1980	श्री मोटाराम पुत्र पदमाराम मेघवाल	481
6.	55।1980	श्री प्रताप पुत्र पदमाराम मेघवाल	482
7.	55।1980	श्री रूपाराम पुत्र पदमाराम मेघवाल	483
8.	54।1980	श्री मूराराम पुत्र किस्तूराराम मेघवाल	484
9.	64।1980	श्रीमती मसु पत्नी काना, पत्नी तीजा गोवर	485
10.	54।1980	श्री रामलाल पुत्र शंकर मेघवाल	486
11.	5।60-61	श्री ईश्वर राम पुत्र शंकर हरिजन	488
12.	56।60-61	श्रीमती मोठू पत्नी नोला	489
13.	9।60-61	श्रीमती बादामी पत्नी घेवर	490
14.	52।60-61	श्री मिश्रीलाल पुत्र किस्तूर हरिजन	491
15.	14।60-61	श्री भेरा पुत्र किस्तूर हरिजन	492
16.	60।60-61	श्री जोगा पुत्र किस्तूर	493
17.	6।60-61	श्री चेला पुत्र किस्तूर हरिजन	494
18.	45।60-61	श्रीमती तीजा पत्नी हेमा हरिजन	495
19.	29।60-61	श्री लक्ष्मणराम पुत्र खेताराम हरिजन	496
20.	17।60-61	श्री राम लाल पुत्र हजारीमल हरिजन	497
21.	56।60-61	श्री मूरा पुत्र शंकर हरिजन	498
22.	69।1975	श्री भगवानाराम पुत्र शंकर हरिजन	499
23.	12।60-61	श्री ओम प्रकाश पुत्र शंकर हरिजन	500
24.	23।1972	श्रीमती गुलाबी पत्नी जसाराव	506
25.	27।1972.	श्री चुन्नीलाल पुत्र छोगा घांची	507

1	2	3	4
26.	298।1972	श्रीमतीटमू बेवा धूड़ा कुम्हार	508
27.	266।1972	श्री लक्ष्मण पुत्र [illegible]मरा कुम्हार	509
28.	267।1972	श्री मांगीलाल पुत्र नरसिंह कुम्हार	510
29.	297।1972	श्री मांगीलाल पुत्र प्रताप कुम्हार	511
30.	340।1972	श्री पूनमा पुत्र प्रताप कुम्हार	512
31.	339।1972	श्री जगा पुत्र भीमाराम कुम्हार	513
32.	338।1972	श्रीमती सुवा पत्नी मोड़ा	514
33.	341।1972	श्रीसालग पुत्र किस्तूर सुथार	515
34.	307।1972	श्री नारायण पुत्र जवारजी कुम्हार	516
35.	309।1972	श्री राम चन्दर पुत्र जैठाराम संत	517
36.	306।1972	श्री छोगालाल पुत्र प्रताप कुम्हार	518
37.	305।1972	श्री व्यवस्थापक, कुम्हारों का न्याती नोहरा	519
38.	506।1976	श्री दामोदर लाल ज्ञानचन्द पुत्र मोटूमल	520

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका, बालोतरा

परिशिष्ट--2

तारांकित प्रश्न संख्या 475 की तालिका
वर्ष 1980—81

फसल/किस्म		मात्रा (क्वि.में)	किससे खरीदा	दाम (प्रति क्वि.)
1		2	3	4
बाजरा	बी. जे. 104	5582.29	राष्ट्रीय बीज निगम	630/-
मक्का	जी. 2	2017.58	,,	485/-
	जी. 5	1344.89	,,	485/-
	विजय	202.16	,,	353/-
ज्वार	सी.एम. एच.6	876.72	,,	863/-
	सी. एम. एच. 6	101.25	,,	850/-
उड़द	टी-9	159.95	,,	540/-
	टी-9	69.35	राज्य फार्म विकास निगम	—
अरण्डी	अरणा	100.00	आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज नि.	660/-
अरहर	यू. पी. ए. एस. 120	200.16	हरियाणा भूमि विकास नि.	
मूंगफली	एन.-13	153.40	महेन्द्रा हाईब्रीड, जालना	400/-
चना	सी.-235	1935.60	राज्य फार्म विकास निगम	262/-
	जी.-130	1827.40		
	आर. एल.-10	1082.80		
	आर. एस.-11	901.20		
	एच. -208	2110.40		
गेहूं	कल्याण सोना	525.00	मध्य प्रदेश एग्रो. इण्ड. कार्पो.	250/-
मक्का	जी.-5	500.22	महेन्द्रा हाई ब्रीड, जालना	474.70
ज्वार	सी. एस. एच.-1	99.63	,,	838.24
	सी. एस. एच.-5	300.00	,,	810/-
मूंग	मूसा वंशाखी	473.05	राष्ट्रीय बीज निगम	613.20
	एम.-8	100.00	,,	,,
बाजरा	बी. जे.-104	1856.71	ग्रोवेल एग्रो., जालना	555.00
		11199.03	कार्तिक सीड्स, नडियाद	565.00
		8085.30	राष्ट्रीय बीज निगम	670.00
		2500.29	किसान सेवक, जालना	550.00
ज्वार	सी. एस. एच.-5	1191.09	महेन्द्र हाई ब्रीड, जालना	750.00
		1512.66	राष्ट्रीय बीज निगम	913.00
		503.03	कर्नाटक बीज निगम	930.00
मक्का	जी.-2	1512.00	राष्ट्रीय बीज निगम	515.00
	जी. -5	708.49	,,	515.00
	विजय कम्पोजिट	100.10	,,	427.00

२५८

1		2	3	4
बाजरा	बी. के.-560	393.30	कार्तिक सीड्स, नडियाल	565.00
		425.85	राष्ट्रीय बीज निगम	670.00
चना	सी.-235	3000.00	राज्य फार्म विकास नि.	
	एस.-208	3399.60		400.00
	आर. एल.-10	256.80		
	आर. एस.-10	166.00		
बाजरा	बी. जे. 104	5925	स्वास्तिक बीज, अहमदाबाद	565/-
,,	,, 3008	3008	नवभारत सीड्स, जालना	549/-
ज्वार	सी. एस. एच. 5	900-09	विजय सीडस, जालना	730/-
	,,	2547.39	राजा सुपीरियर सीड्स, जालना	720/-
	,,	500.01	कृषि खान सीड्स	720/-
मूंग	पूसा बैसाखी	274.20	राष्ट्रीय बीज निगम	771.50
चना	एच-208	500.00	राज्य फार्म विकास निगम	415.00

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 477 का विवरण

		1981-82			1982-83		
क्र.सं.	व्यय का विवरण	ज.ला.ने.चि. (आयोजना भिन्न)	जनाना चिकि. (आयोजना भिन्न)	ज.ला.ने.चि. (आयोजना)	ज.ला.ने.चि. (आयोजना भिन्न)	जनाना चिकि. (आयोजना भिन्न)	ज.ला. ने.चि. (आयोजना)
1.	सवेतन	46,98,610.00	6,83,080.00	3,51,730.00	59,85,000.00	8,92,000.00	4,24,000.00
2.	मजदूरी	3,880.00	..	..	15,000.00	..	..
3.	यात्रा व्यय	12,650.00	980.00	3,010.00	20,000.00	2,000.00	..
4.	चिकित्सा व्यय	30,690.00	3,040.00	5,670.00	40,000.00	5,000.00	4,000.00
5.	कार्यालय व्यय	62,350.00	6,000.00	..	1,10,000.00	10,000.00	6,000.00
6.	वृत्तिका और विशिष्ट सेवाओं के लिये संदाय	43,830.00	4,900.00	..	55,000.00	9,000.00	..
7.	मशीनरी और साज सामान औजार एवं संयंत्र	6,07,010.00	24,940.00	..	7,50,000.00	50,000.00	1,98,000.00
8.	मोटर गाडियां	12,340.00	4,370.00	..	30,000.00	6,000.00	..
9.	सामग्री और प्रदाय	75,350.00	10,010.00	..	90,000.00	15,000.00	..
10.	वर्दियां	3,80.070.00	43,760.00	..	3,05,000.00	14,000.00	8,000.00
11.	विद्युत एवं जल व्यय	3,07,440.00	40,720.00	..	3,75,000.00	50,000.00	..
12.	कपड़े बिस्तर	1,23,950.00	13,460.00	..	1,50,000.00	20,000.00	..
13.	खाद्य सामग्री	4,49,970.00	1,40,100.00	..	6,00.000,00	2,25,000.00	..
14.	भेषज एवं औषधियां	13,99,870.00	1,20,760.00	..	20,00,000.00	5,00,000.00	..
	योग :	79,17,010.00	10,66,320.00	3,60,410.00	1,02,97,000.00	17,98,000.00	6,40,000.00
	कुल योग :	93,43,740.00			1,27,35,000.00		

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 478 का विवरण

बांध परियोजना क्षेत्र में पशु चराई संबंधी अपराधों की सुची

(जनवरी, 1981 से जनवरी, 1983 तक)

क्र.सं.	अपराधी का नाम	जाति	निवास स्थान	एफ.आई.आर. संख्या	दिनांक	मवेशी का नाम	संख्या	कोर्ट चालान की दिनांक	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री कल्याण पुत्र गंगोल्या	मीना	छलियाना	161-21	15-8-81	भैंसें	200	25-8-81	इस केस में वन कर्मचारियों के साथ पशु मालिकों द्वारा मार-पीट भी की गई, जिसकी रिपोर्ट थाना सवाईमाधोपुर में दर्ज कराई गई।
2.	श्री गंगाराम पुत्र बद्री	,,	,,	,,	,,				
3.	श्री तुलसीराम	,,	,,	,,	,,				
4.	श्री लड्डू पुत्र हरनारायण	,,	,,	,,	,,				
5.	श्री मोती पुत्र धीरिया	,,	,,	,,	,,				
6.	श्री बंसा पुत्र धन्ना	,,	,,	,,	,,				
7.	श्री मुन्ना पुत्र हजारी	तेली	,,	,,	,,				
8.	श्री हेम राज पुत्र	मीना	,,	,,	,,				
9.	श्री धूल्या पुत्र धन्ना	,,	,,	,,	,,				
10.	श्री हनुमान पुत्र शंकर	,,	,,	,,	,,				
11.	श्री रामनिवास	,,	,,	,,	,,				
12.	श्री गणपत पुत्र बद्री	,,	,,	,,	,,				
13.	श्री राम करन पुत्र हीरा	,,	,,	,,	,,				
14.	श्री लड्डू पुत्र धनराम	,,	,,	,,	,,				
15.	श्री लच्छीराम पुत्र	,,	,,	,,	,,				

16. श्री सुरज्या पुत्र गोपी	,,	,,	161-21	15-8-81				
17. श्री मथरिया पुत्र गोपी	,,	,,	,,	,,				
18. श्री मुगला	,,	,,	,,	,,				
19. श्री रामफूल पुत्र हजारी	,,	,,	,,	,,				
20. श्री मनफूल का लड़का	,,	,,	,,	,,				
21. श्री रामनारायण का लड़का	,,	,,	,,	,,				
22. श्री लड्डू पुत्र राम नारायणजी	,,	,,	172-1	26-9-81	भैंस	500	23-3-82	इस केस में भी वन क्षेत्र में भी वन कर्मचारियों के साथ पशु मालिकों द्वारा मारपीट की गई थी जिसकी रिपोर्ट थाना सवाईमाधोपुर में की।
23. श्री गंगाराम पुत्र बद्री	,,	—	,,	,,				
24. श्री गणपत पुत्र बिलन्या	,,	,,	,,	,,				
25. श्री गोरधन पुत्र गन्या	,,	,,	,,	,,				
26. श्री हनुमान पुत्र गोपीराम	,,	रावल	,,	,,				
27. श्री भरत लाल पुत्र फूलचंद	,,	,,	,,	,,				
28. श्री भजन पुत्र मेरू	,,	,,	,,	,,				
29. श्री रामधन पुत्र सुरजमल	,,	,,	,,	,,				
30. श्री घासी पुत्र काना	,,	,,	,,	,,				
31. श्री मोतीराम पुत्र मेरू	,,	,,	,,	,,				
32. श्री रामनाथ पुत्र राधाकिशन	,,	,,	,,	,,				
33. श्री कल्याण पुत्र गंगाराम	,,	उलियाना	,,	,,				
34. श्री हीरा पुत्र धन्ना	,,	,,	,,	,,				
35. श्री रामजीलाल पुत्र हरपाल	,,	,,	,,	,,				
36. श्री बाबू पुत्र झण्डू	,,	,,	,,	,,				
37. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रामपाल	,,	,,	,,	,,				
38. श्री रामनिवास पुत्र लड्डू	,,	,,	,,	,,				
39. श्री रामदेव पुत्र बन्सी	,,	,,	,,	,,				
40. श्री प्रेमराज पुत्र मूल्या	,,	,,	,,	,,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	श्री भीमराज पुत्र मूल्या	मीना	उलियाना	172–01	26-9-81				
42.	श्री रामनारायण पुत्र तेज्या	,,	,,	,,	,,				
43.	श्री मोती पुत्र श्रीलाल	,,	,,	,,	,,				
44.	श्री बालकिशन पुत्र मूल्या	,,	,,	,,	,,				
45.	श्री हरीराम पुत्र मनफूल	,,	,,	,,	,,				
46.	श्री लछीराम पुत्र किशनलाल	,,	,,	,,	,,				
47.	श्री जगराम पुत्र गोरधन	,,	,,	,,	,,				
48.	श्री बाजोल्या पुत्र नारायण	,,	,,	,,	,,				
49.	श्री जयराम पुत्र किशना मीना	,,	,,	,,	,,				
50.	श्री बद्री पुत्र बजरंगा	,,	,,	,,	,,				
51.	श्री लड्डू पुत्र रामनारायण	,,	,,	,,	,,				
52.	श्री मोती पुत्र सोन्या	,,	मामरोली	,,	,,				
53.	श्री सूरजा उर्फ सूरजमल पुत्र पोगी	,,	उलियाना	,,	,,				
54.	श्री रामस्वरूप पुत्र पून्या	,,	,,	,,	,,				
55.	श्री लड्डू पुत्र हरनारायण	,,	,,	,,	,,				
56.	श्री बल्यू पुत्र पून्या	,,	,,	,,	,,				
57.	श्री रामनाथ पुत्र भैरूलाल	,,	,,	,,	,,				
58.	श्री रामनिवास पुत्र सोनारायण	,,	,,	,,	,,				
59.	श्री मीश्या पुत्र हरीनारायण	,,	,,	,,	,,				
60.	श्री हीरालाल पुत्र गौरीलाल	,,	,,	,,	,,				
61.	श्री लड्डू पुत्र किशना	,,	,,	,,	,,				
62.	श्री हरीराम पुत्र मनफूल	,,	,,	,,	,,				

63. श्री गणपत पुत्र मोमपाल	,,	,,	,,	,,			
64. श्री खिलोना पुत्र नारायण	,,	,,	,,	,,			
65. श्री बृजमोहन पुत्र सुरजमल	बोहरा	रावल	,,	,,			
66. श्री हनुमान पुत्र बद्री	मीना	उनियाना	,,	,,			
67. श्री मोमपाल पुत्र पून्या	,,	,,	,,	,,			
68. श्री बद्री पुत्र गंगाराम	,,	,,	,,	,,			
69. श्री मूल्या पुत्र सुखराम	,,	,,	,,	,,			
70. श्री हीरया पुत्र मोर्या	,,	,,	,,	,,			
71. श्री हनुमान पुत्र बजरंगा	,,	,,	,,	,,			
72. श्री कन्हैया पुत्र बद्री	,,	,,	,,	,,			
73. श्री मूल्या पुत्र पून्या	,,	,,	,,	,,			
74. श्री पन्ना पुत्र मेर्या	,,	,,	,,	,,			
75. श्री मोयाराम पुत्र मोमपाल	,,	,,	,,	,,			
76. श्री सोना राम पुत्र जन्सी	गुर्जर	स.माधोपुर	175—5	17-1-83	भैंसें	88	22-1-83
77. श्री नागा पुत्र विलास	,,	,,	,,	,,			
78. श्री हीरा पुत्र मोरपाल	मीना	बस्सी	152-10	9-7-82	भैंसे, गाय	50	10-7-82
79. श्री बजरंगा पुत्र कान्या	,,	,,	,,	,,			
80. श्री रामकुंवार पुत्र सोनारायण	,,	,,	,,	,,			
81. श्री किशन पुत्र हरपाल	,,	,,	,,	,,			
82. श्री कल्याण पुत्र गंगोल्या	,,	उलियाना	20—62	13-8-82	मवेशी पकड़ने में नहीं आये		14-8-82
83. श्री मांजीराम पुत्र मेरू	,,	रावल	,,	,,			
84. श्री भजन पुत्र मेरू	,,	कोरी	,,	,,			
85. श्री श्योंदा पुत्र कोर्या	,,	,,	,,	,,			
86. श्री रामफूल पुत्र जयराम	,,	,,	,,	,,			
87. श्री केदार पुत्र गोविन्दा	,,	,,	,,	,,			
88. श्री लड्डू पुत्र ओड़क्या	,,	,,	,,	,,			
89. श्री रामफूल पुत्र मेरू	जाट	गोठड़ा	152—13	30-7-82	भैंसें, गाय व बैल	600	31-7-82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	श्री मनोहर पुत्र भैरूलाल	जाट	गोठड़ा	152—13	30-7-82				
91.	श्री छीतर पुत्र मांगीलाल	,,	,,	,,	,,				
92.	श्री घनश्याम पुत्र बीरबल	,,	,,	,,	,,				
93.	श्री जगा पुत्र काना	,,	,,	,,	,,				
94.	श्री किशन पुत्र रामनारायण	,,	,,	,,	,,				
95.	श्री प्रहलाद पुत्र गोरधन	,,	,,	,,	,,				
96.	श्री काशीराम पुत्र रामसिंह	,,	,,	,,	,,				
97.	श्री रामनाथ पुत्र घासी	,,	,,	,,	,,				
98.	श्री रामफूल पुत्र जैना	,,	,,	,,	,,				
99.	श्री घनश्याम पुत्र भंवरलाल	,,	,,	,,	,,				
100.	श्री रामचरण पुत्र गांधी	,,	,,	,,	,,				
101.	श्री काशीराम पुत्र रामसुख	,,	,,	,,	,,				
102.	श्री श्योनारायण पुत्र रामसुख	,,	,,	,,	,,				
103.	श्री लच्छा पुत्र नारायण	,,	,,	,,	,,				
104.	श्री रामरतन पुत्र गंगाराम	,,	,,	,,	,,				
105.	श्री दुलीचन्द पुत्र काना	,,	,,	,,	,,				
106.	श्री बाबूलाल पुत्र मोती	,,	,,	,,	,,				
107.	श्री बृजमोहन पुत्र काना	,,	,,	,,	,,				
108.	श्री मोती पुत्र भैरू	,,	,,	,,	,,				
109.	श्री हरिमोहन पुत्र बंशी	,,	,,	,,	,,				
110.	श्री भैरू पुत्र मूल्या	,,	,,	,,	,,				
111.	श्री शंभु पुत्र भंवरलाल	,,	,,	152—14	,,	भैंस, गाय	100	31-7-82	
112.	श्री कन्हैया पुत्र नैनू	कुम्हार	,,	,,	,,				
113.	श्री हजारी पुत्र नाना	जाट	,,	,,	,,				

114.	श्री काना पुत्र पैलू	,,	,,	,,	30-7-82				
115.	श्री नरसिंह पुत्र हीरा	,,	मई कला	152–15	,,	भैंस, गाय	125	31-7-82	
116.	श्री काना पुत्र देवपाल	,,	,,	,,	,,				
117.	श्री बद्री पुत्र बाला	,,	,,	,,	,,				
118.	श्री ओंकार पुत्र मुकन्दा	,,	,,	,,	,,				
119.	श्री मांगीलाल पुत्र सोनारायण	,,	,,	,,	,,				
120.	श्री राधेश्याम पुत्र मदरूप	,,	सायलपुर	152-16	30-7-82	भैंस, गाय	400	31-7-82	
121.	श्री मुरारी पुत्र वीरमल	,,	,,	,,	,,				
122.	श्री भीमराज पुत्र रामपाल	,,	,,	,,	,,				
123.	श्री सूरज पुत्र नारायण	,,	,,	,,	,,				
124.	श्री मांगया पुत्र जुंजार	,,	,,	,,	,,				
125.	श्री हरी मोहन पुत्र बजरंगा	,,	,,	,,	,,				
126.	श्री रमेश पुत्र रगूनाथ	,,	,,	,,	,,				
127.	श्री राम प्रसाद पुत्र देवचन्द जाट	,,	,,	,,	,,				
128.	श्री स्वरूप पुत्र देव चन्द	,,	,,	,,	,,				
129.	श्री बन्सी पुत्र उंकार	,,	,,	,,	,,				
130.	श्री प्रभू लाल पुत्र मांगीलाल	,,	,,	,,	,,				
131.	श्री शंकर पुत्र मछड़	,,	,,	,,	,,				
132.	श्री जग्गा पुत्र राधा-किशन	,,	,,	,,	,,				
133.	श्री मदरूप पुत्र सावन्या	,,	मई कला	195-58	12-9-82	भैंस, गाय	400	13-9-82	इस केस में पुलिस कर्मचारी व वन-कर्मचारियों को चोटें आई जिसकी रिपोर्ट-थाना खण्डार में दर्ज कराई गई–।
134.	श्री बन्सी पुत्र हर चन्दा	,,	,,	,,	,,				
135.	श्री छोटू पुत्र लड्डू	,,	,,	,,	,,				
136.	श्री बद्री पुत्र बजरंगा जाट	,,	,,	,,	,,				
137.	श्री प्रहलाद पुत्र घीस्या	,,	,,	,,	,,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.	श्री राम नाथ पुत्र माधो	तेली	मई कलां	195-58	12-9-82	भैंस, गाय	400	13-9-82	इस केस में पुलिस कर्मचारी व वन कर्मचारियों को चोट आई जिसकी रिपोर्ट थाना खण्डार में दर्ज करवाई गई ।
139.	श्री लड्डू पुत्र मांग्या	जाट	,,	,,	,,				
140.	श्री मोती पुत्र लड्डू	,,	,,	,,	,,				
141.	श्री गीस्या पुत्र प्रहलाद	,,	,,	,,	,,				
142.	श्री राधे पुत्र बजरंगा	,,	,,	,,	,,				
143.	श्री लड्डू पुत्र हवन्या	,,	,,	,,	,,				
144.	श्री रामदेव पुत्र बीरबल	,,	,,	,,	,,				

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 482 की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	विवरण
1	2	3	4	5
1.	गोगुन्दा	105	4897	पेयजल से लाभान्वित ग्राम
2.	नदिश्मा	70	2155	,,
3.	भानपुरा	4	1075	,,
4.	बोखरा	8	1841	,,
5.	ढोल	43	1276	,,
6.	जसवंतगढ़	92	1357	,,
7.	करडा	32	1638	,,
8.	पडरारा	49	1703	,,
9.	रावच	56	1431	,,
10.	रावलिया कलां	80	1545	,,
11.	रावलिया खुर्द	82	1069	,,
12.	सायरा	9	1663	,,
13.	सेमरा	24	1348	,,
14.	तरपरल	68	1579	,,
15.	बगवा	3	534	,,
16.	बरट ड़ा	34	510	,,
17.	माटोंमादर	86	503	,,
18.	भाश का सायरा	10	569	,,
19.	बिमा	48	528	,,
20.	ब्राह्मणों का कलवाना	12	989	,,
21.	दादिया	108	796	,,
22.	ढिकोरा	5	947	,,
23.	दीयां	14	517	,,
24.	गायफल	19	635	,,
25.	गुण्डाली	30	727	,,
26.	जेमली	20	638	,,
27.	झालों का कलवाना	11	706	,,
28.	काछवा	118	704	,,
29.	काम्बा	2	577	,,
30.	मादा	133	694	,,
31.	मदारडा	147	968	,,
32.	माजम	141	579	,,
33.	माजावद	136	874	,,
34.	मजवाड़ी	107	725	,,
35.	मोखल	125	627	,,

1	2	3	4	5
36.	मोरी	101	945	पेयजल से लाभान्वित ग्राम
37.	ओवरा कलां	98	998	,,
38.	ओबरा खुर्द	97	722	,,
39.	पालीदाना	62	644	,,
40.	पनेर	39	557	,,
41.	पूनावाली	60	940	,,
42.	रानन	117	572	,,
43.	रोयदा	29	838	,,
44.	सदरा	33	776	,,
45.	सामल	46	595	,,
46.	सांचली	26	630	,,
47.	सेमथल	99	628	,,
48.	सिगरारा	7	625	,,
49.	सूरजगढ़	126	824	,,
50.	सवातों का गुढ़ा	63	689	,,
51.	उंदीथाल	128	731	,,
52.	वानी	100	609	,,
53.	अवानी	77	263	,,
54.	बडगांव	42	435	,,
55.	बटेरी	13	342	,,
56.	मादवी गुढ़ा	148	343	,,
57.	बोरां वाली मादरी	28	436	,,
58.	छातीया खेडी	104	458	,,
59.	चोर बावड़ी	145	264	,,
60.	देवरों का खेड़ा	124	380	,,
61.	ढ़ेढी	35	450	,,
62.	डिगारी	74	251	,,
63.	गाता	119	485	,,
64.	हुंदर	149	485	,,
65.	जीराई	138	250	,,
66.	झाडोली	89	428	,,
67.	जालावास	137	292	,,
68.	जोरमा	6	399	,,
69.	जोशियों की भागल	95	314	,,
70.	खाखरी	109	322	,,
71.	मागा	1	309	,,
72.	मालरियां कलां	131	299	,,
73.	मोरवा	123	457	,,
74.	नाहरों का गुढ़ा	71	439	,,
75.	ओरों का गुढ़ा	75	261	,,
76.	श्रीमालियों की मादरी	85	393	,,
77.	सूरान	111	285	,,

1	2	3	4	5
78.	उमरना	25	341	पेयजल से लाभान्वित ग्राम
79.	उमरोद	44	367	,,
80.	बदुंदिया	134	377	,,
81.	[illegible]जेपुरा	110	127	,,
82.	मेवरिया	129	139	,,
83.	जोगियों का गुढ़ा	142	230	,,
84.	मोखी	120	248	,,
85.	बगडूंडा	140	1253	पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है।
86.	कामोल	27	1560	,,
87.	बांसलिया	73	603	,,
88.	मारोदी	139	513	,,
89.	छाली	130	793	,,
90.	छीपाला	78	794	,,
91.	गनावल	17	844	,,
92.	गुमान	41	569	,,
93.	हुथनीवाल	36	504	,,
94.	करीच	52	594	,,
95.	नाल	121	997	,,
96.	निकोर	16	542	,,
97.	पलासमा	18	894	,,
98.	पाटीयां	122	610	,,
99.	सीवारियां	113	570	,,
100.	सेनवाडा	127	655	,,
101.	टीरोल	40	512	,,
102.	बागदाव	76	291	,,
103.	छीतयलास	51	451	,,
104.	हान	50	277	,,
105.	कांजी का गुढ़ा	21	299	,,
106.	पालन	55	267	,,
107.	सवातों का गुढ़ा	146	255	,,
108.	वगूनी	61	155	,,
109.	वसरा	143	168	,,
110.	बड़ावाली	59	245	,,
111.	बासना	31	205	,,
112.	बातों का गुढ़ा	45	69	,,
113.	बेहरा	115	52	,,
114.	बड की भागल	93	240	,,
115.	छालका	94	239	,,
116.	छुंडावतों का गुढ़ा	81	167	,,
117.	धीरजी का गुढ़ा	106	121	,,

1	2	3	4	5
118.	दुलावतों का गुढ़ा	90	43	पेयजल योजना स्वी-
119.	घालोतों का गुढ़ा	96	188	कृत की जा चुकी है।
120.	गोदों का गुढ़ा	38	164	,,
121.	जेलानी	87	128	,,
122.	जोशियों की भागल	72	139	,,
123.	जंजारपुरा	112	212	,,
124.	कागती	67	176	,,
125.	कांलगी का गुढ़ा	116	69	,,
126.	कांकन का गुढ़ा	102	144	,,
127.	खाखरों का गुढ़ा	37	247	,,
128.	कूलावास	58	174	,,
129.	कुमारवास	65	147	,,
130.	कुंदावों का गुढ़ा	15	215	,,
131.	कुरलाऊ	135	241	,,
132.	ल्यान	69	158	,,
133.	मदार	22	248	,,
134.	मादवा	64	128	,,
135.	मादरी देवस्थान	47	190	,,
136.	मालरियां खुर्द	132	41	,,
137.	नायों का गुढ़ा	144	55	,,
138.	पाबा	23	59	,,
139.	पनेरियों की भागल	65	174	,,
140.	पीपरना	54	177	,,
141.	फूटिया	103	218	,,
142.	रानावतों का गुढ़ा	88	90	,,
143.	रीछवाड़ा	53	246	,,
144.	सागदी का गुढ़ा	79	41	,,
145.	सोमावास	83	234	,,
146	सुथार मादरा	84	240	,,
147.	टेगरा	57	120	,,
148.	उंदरी	114	109	,,

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 174 की सूचियां

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार फरवरी, 1982 तक गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित, निर्माणाधीन परियोजनाओं की जिलेवार सूचना :—

क्र.सं.	जिला	योजनाओं की संख्या	उपयोगी भराव क्षमता (मि.घ. फीट में)	प्रस्तावित सिंचाई (हैक्टेयर में)
ए.	**निर्मित परियोजनायें**			
1.	उज्जैन	44	1796	11,490
2.	रतलाम	18	258	1,489
3.	मन्दसौर	29	1760	8,752
4.	इन्दौर	45	963	4,682
5.	देवास	8	171	987
	योग ..	144	4948 एम.सी.एफ.टी. (0.114 एम.ए.एफ.)	27,400
बी.	**निर्माणाधीन परियोजनायें**			
1.	उज्जैन	11	1559	7,866
2.	रतलाम	1	41	313
3.	मन्दसौर	22	6382	20,670
4.	इन्दौर	8	24	805
5.	देवास	2	..	85
6.	शाजापुर	1	32	186 पूर्ण सूचना अपेक्षित है।
	योग ..	45	8038 एम.सी.एफ.टी. (0.185 एम.ए.एफ.)	29,925 हैक्टेयर
	कुल योग ..	189	12986 एम.सी.एफ.टी. (0.299 एम.ए.एफ.)	57,325 हैक्टेयर

(३५४)

STATEMENT SHOWING DATA SUPPLIED BY M. P. GOVERNMENT FOR PROJECT CONSTRUCTED, UNDER CONSTRUCTION, SURVEYED, UNDER SURVEY AND PINPOINTED IN THE CATCHMENT AREA U/S OF KOTA BARRAGE IN MADHYA PRADESH

S. No.	Name of Distt.	Name of Scheme	75% dependable yield (Mcft.)	Live storage capacity (Mcft.)	Designed irrigation (Hect.)
1	2	3	4	5	6
A.	**SCHEME COMPLETED**				
1.	Ujjain	44	1,790	1,796	11,490
2.	Ratlam	18	259	258	1,489
3.	Mandsaur	29	1,360	1,700	8,752
4.	Indore	45	—	9,63	4,682
5.	Dewas	8	—	171	987
6.	Shajapur	—	—	—	—
7.	Dhar	Information not yet received.			
		144	3,409	4 948	27,400
B.	**SCHEMES UNDER CONSTRUCTION**				
1.	Ujjain	11	1,916	1,559	7,866
2.	Ratlam	1	45	41	313
3.	Mandsaur	22	6,825	6,382	20,670
4.	Indore	8	—	24	805
5.	Dewas	2	—	—	85
6.	Shajaaur	—	33	32	186
7.	Dhar		Information not yet received.		186
		45	8,819	8,038	29,925
			*202 MAFT.	*185 MAFT.	
C.	**SCHEMES SURVEYED OR UNDER SURVEY**				
1.	Ujjain	27	1,466	1,412	10,186
2.	Ratlam	3	64	57	348
3.	Mandsaur	29	3,183	2,865	17,528

1	2	3	4	5	6
4.	Indore	4	—	59	282
5.	Dewas	2	—	78	145
6.	Shajapur	1	25	25	146
7.	Dhar	Information not yet received.			
		66	4,738	4,494	28,635
			* 100 MAFT.	* 103 MAFT.	

D. SCHEMES PIN-POINTED

1.	Ujjain	27	3,282	2,954	13,915
2.	Ratlam ..	8	325	292	1,840
3.	Mandsaur	89	8,318	7,486	42,415
4.	Indore	Information not yet received.			
5.	Dewas	,,	,,	,,	,,
6.	Shajapur	,,	,,	,,	,,
7.	Dhar	,,	,,	,,	,,
		124	11,925	10,732	58,170
			*274 MAFT.	*246 MAFT	
	Grand Total..	379	28,981	28,212	1,44,130
			0.663 MAFT.	0.648 MAFT.	

ABSTRACT OF TECHNICAL DATAS OF SCHEMES

A. COMPLETED

DISTT. UJJAIN B. UNDER CONSTRUCTION

C. SURVEYED AND UNDER SURVEY

D. PIN-POINTED

S.No.	Particulars	No. of Schemes	75% dependable yield (Mcft.)	Live storage (Mcft.)	Designed irrigation (Hect.)
1	2	3	4	5	6
1.	A. Completed Schemes	44	1789.87	1795.78	11490.00
2.	B. Under construction	11	1915.62	1558.56	7886.00
3.	C. Surveyed & Under survey	27	1465.54	1411.52	10186.00
4.	D. Pin-Pointed	27	3282.35	2954.18	13915.00
	Total ..	109	8453.30	7720.04	43457.00
			(0.194) M. Acft.	(0.177) M. Acft.	

Sd/-
Superintending Engineer,
Middle Chambal Circle
Ujjain.

———

A. TECHNICAL DATAS OF SCHEMES (COMPLETED), DISTRICT UJJAIN

S.No.	Name of Work (Project)	Catchment area in sq. miles	75% dependable yeild	Live storage	Designed irrigation (Hect.)	
1	2	3	4	5	6	
	KHACHROD BLOCK					
1.	Unial	1.25	28.0	35.46	138.00	Pre Plan
2.	Bedawan	2.50	40.0	50.25	298.00	-do-
3.	Ramabaloda	1.25	20.0	12.73	67.00	-do-
4.	Antalwasa	13.0	192.86	174.67	695.00	1965
5.	Pilliya	8.00	128.01	197.60	971.00	1967
6.	Rajulu	1.00	15.99	10.68	59.00	1968
7.	Pachlasi L.I.S.	—	—	7.08	71.00	1976
	BADNAGAR BLOCK					
8.	Narela	3.00	48.62	34.92	183.00	1966
9.	Paslod L.I.S.	44	—	48.50	486.00	1976
10.	Kajlana L.I.S.	—	—	14.10	142.00	1976
11.	Satwa L.I.S.	—	—	32.37	324.00	—
		3.00				
	GHATIYA BLOCK					
12.	Ghatia	0.56	4.23	16.48	108.00	1965
13.	Bichmod reg Stop Dam	9.00	—	4.04	46.00	1966
		9.56				
	MAHIDPUR BLOCK					
14.	Simrol	2.72	82.38	22.12	127.00	1965
15.	Kanardi Tank	1.88	35.90	16.53	164.00	1967
16.	Jawada Stop Dam	0.20	—	4.04	40.00	1967
17.	Makla P.U.W.	3.00	—	4.85	49.00	1967
18.	Delchi Bujurg R	2.50	—	4.04	40.00	1967
19.	Jhutawad Stop Dam	15.00	—	4.00	40.00	1967
20.	Baloda Stop Dam	9.12	—	4.00	40.00	1969
21.	Mochikheda L.I.S	—	—	10.10	101.00	1967
22.	Delchikhurd L.I.S.	—	—	20.23	202.00	—
		34.42				

1	2	3	4	5	6	
	TARANA BLOCK					
23.	Kanardi	1.68	35.90	16.53	196.00	1965
24.	Kadodia	2.80	55.81	37.62	270.00	1967
25.	Khath Kheda	0.40	7.96	7.88	40.00	1968
26.	Laxmipura	0.50	9.47	7.28	43.00	1970
27.	Samgi	0.75	14.94	14.97	61.00	1970
28.	Dhabla Hondu L.I.S.	26.00	--	4.85	49.00	1976
29.	Kharirultan	14.00	—	5.66	56.00	1976
30.	Birgond L.I.S	301.00	—	48.00	466.00	1977
31.	Parsoli L.I.S	502.00	—	46.00	466.00	1977
32.	Pacheli	1.04	20.93	17.62	81.00	—
33.	Mainawad Tank	2.10	29.01	26.34	202.00	—
		852.27				
	UJJAIN BLOCK					
34.	Lakoda Tank	0.50	12.41	14.99	81.00	1964
35.	Silarkhedi Tank	9.00	248.19	204.70	1,194.00	1965
36.	Bamora Tank	12.75	210.93	114.26	688.00	1965
37.	Undasa	11.25	186.14	186.14	890.00	1966
38.	Jestakhedi	9.00	148.86	78.03	510.00	1966
39.	Koyalkhedi	8.00	132.39	77.56	526.00	—
40.	Tankariya	3.89	64.05	69.40	314.00	1967
41.	Jorkhoda	0.50	8.29	4.84	49.00	1969
42.	Khan L.I.S.	2.74	—	46.50	465.00	—
43.	Gaunchi Tank	0.75	8.29	11.52	71.00	1967
44.	Indokh L.I.S	—	--	28.30	283.00	—
		58.38				
	Total ..	984.83	1,789.87	1,795.78	11,490.00	

Sd/—
Superintending Engineer,
Middle Chambal Circles,
Ujjain.

B. TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER CONSTRUCTION, DISTRICT UJJAIN.

S. No.	Name of Work (Project)	Catchment area in sq. miles.	75% dependable yield	Live storage	Designed irrg. (Hect.)
1	2	3	4	5	6
MAJOR PROJECTS:				NIL	
MEDIUM PROJECTS					
1.	Bhainsakhedi Tank Project Chatia Block	20.80	390	181.00	870.00
2.	Quasikhedi Tank Project (Mahidpur Block)	12.00	206	185.40	1254.00
3.	Sahib khedi Tank Project (Ghasiya Block)	23.35	347.57	312.81	1456.00
4.	Arnia Bahadurpur Tank Project (Mahidpur Block)	23.00	639.91	673.22	2751.00
		79-15			
MINOR PROJECT:					
5.	Krishna Sudama Tank Project	0.90	17.91	16.12	74.00
6.	Bharla Tank Project	3.32	49.50	44.62	225.00
7.	Bhuranabad Tank Project	2.25	45.25	40.73	145.00
8.	Devikhedi Tank Project	12.50	207.40	186.66	971.00
9.	harkhedi Tank	0.60	9.22	8.39	56.00
10.	Borkhedi Bazar Tank	0.34	5.78	5.20	20.01
11.	Jathal Nalla Stop Dam	10.00	—	4.50	44.00
		29-91			
	Total ..	109-06	1915 62	1568-56	7866-00

Sd/—

Superintending Engineer,
Middle Chambal Circle,
Ujjain.

C. TECHNICAL DATAS OF SCHEMES SURVEYED & UNDER SURVEY, DISTRICT UJJAIN

S. No.	Name of work (Project)	Catchment area in sq. miles	75% dependable yield	Live storage (Mcft)	Designed irrigation (Hect.)
1	2	3	4	5	6
	SURVEYED				
(a)	MAJOR NIL				
(b)	MEDIUM NIL				
(c)	MINOR				
1.	Motipura Tank	1.84	29.40	26.46	172.00
2.	Salamata Tank	2.05	32.80	29.52	148.00
3.	Panbihar Stop Dam	10.00	—	5.05	51.00
4.	Borthi Khedi Stop Dam	30.00	—	5.05	51.00
5.	Limboda Tank	1.21	20.96	19.80	125.00
6.	Barandwa Tank	3.70	56.84	51.16	445.00
7.	Tarod Tank	1.48	27.00	24.30	206.00
8.	Gogepur Tank	0.70	8.92	8.03	45.00
9.	Sarwan Kheda Tank	3.67	55.05	52.06	316.00
10.	Baloda Tank	1.35	26.52	23.87	178.00
11	Sipara Tank	3.60	51.90	46.71	323.00
12.	Bagla Tank	8.00	120.00	105.43	640.00
13.	Raising Unnel Tank	2.25	33.75	33.75	335.00
14	Raising Undasa Tank	11.25	184.00	165.60	320.00
15.	Jalwa Stop Dam	15.00	—	4.45	45.00
16.	Itwarpur Bhiki Stop Dam	20.00	—	6.00	60.70
17.	Pat L.I.S	475.00	—	145.60	1456.00
		591.10	647.14	752.84	4916.70
	UNDER SURVEY				
	MAJOR NIL				
	MEDIUM				
18.	Khan Barrage	267.00	198.00	198.00	1980.00
19.	Jawasia Solanki Tank	19.00	285.00	256.00	1846.00
		286.00	483.00	454.00	3826.00

1	2	3	4	5	6
MAJOR					
20.	Kanwali Kheda Tank	8.90	142.4	28.48	80.00
21.	Lasolia Bazar Tank	0.80	15.0	13.50	80.00
22.	Jhokar Tank	1.00	17.0	15.30	44.00
23.	Piplia Hama Tank	2.50	42.50	38.25	44 00
24.	Kalu Khedi Tank	5.73	—	2.50	24.00
25.	Tanda Tank	6.00	32.40	29.16	607.00
26.	Limbas Tank	1.00	15.00	13.50	80.00
27.	Pentasa Tank	4.74	71.10	63.99	485.00
		30.67	335.40	204.68	1444.00
	Total ··	907.77	1465.54	1411.52	10186.70

Sd/-
Superintending Engineer,
Middle Chambal Circle,
Ujjain.

D. TECHNICAL DATAS OF SCHEMES PIN-POINTED, UJJAIN

S. No.	Name of work (Project)	Catchment area in sq. miles	75% dependable yield	Live storage area	Designed irrig. (Hect.)
1	2	3	4	5	6
MAJOR SCHEME		NIL			
MEDIUM SCHEME :					
1.	Narwal tank	17.24	372.00	334.80	1537.00
2.	Jasta khedi tank	32.72	60.400	543.00	2711.00
MINOR SCHEMES:					
3.	Bandak tank	12.00	225.81	203.23	1052.00
4.	Datroda tank	5.20	97.85	88.07	445.00
5.	Gurarla tank	10.00	8188.1	169.36	836.00
6.	Munja tank	8.10	152.80	137.52	428.00
7.	Nanda tank	5.30	99.73	89.76	445.00
8.	Bhorlia	6.40	120.43	108.39	526.00
9.	Akia tank	5.96	112.16	100.94	509.00
10.	Paslod tank	8.00	150.54	135.49	607.00
11.	Arolia tank	10.48	197.21	177.49	850.00
12.	Piplia tank	5.16	97.10	87.39	486.00
13.	Baloda tank	8.32	156.56	140.90	510.00
14.	Akria Danga	3.14	59.08	53.17	267.00
15.	Kachahia tank	1.61	30.28	27.25	121.00
16.	Balodari tank	1.28	24.08	21.67	109.00
17.	Shankarpura tank	1.08	20.32	18·29	89.00
18.	Berchli tank	2.04	38.38	34.54	162.00
19.	Naharkhedi tank	2.04	38.38	34.54	162.00
20.	Zirmir tank	1.52	28.60	25.74	113.00
21.	Rohal kdan tank	3.00	56.45	50.81	223.00
22.	Bharchora tank	4.04	76.02	69.09	283.00
23.	Dallahera tank	4.08	76.77	69.09	283.00
24.	Pilramad tank	3.88	73.01	65.71	283.00
25.	Banna tate	5.12	96.30	86.67	486.00
26.	Matangra tank	3.60	67.74	60.97	283.00
27.	Chikli tank	1.20	22.58	20.30	109.00
		132.53	3282.35	2954.18	13915.00

ABSTRACT OF TECHNICAL DATA OF RATLAM DISTRICT

FOR

(A) SCHEMES COMPLETED

(B) SCHEMES UNDER CONSTRUCTION

(C) SCHEMES UNDER SURVEY

(D) SCHEMES PIN-POINTED

S. No.	Particulars	No. of schemes	75% dependable yield in M. cft	Live storage in cft.	Desinged irrigation in Hct.
1.	(a) Completed Schemes.	18	259.87	257.61	1489
2.	(b) Schemes under const.	1	45.00	4054	313
3.	(c) Schemes under survey.	3	63.60	67.25	348
4.	(d) Pin-Pointed Schemes.	8	324 60	292.17	1840
		30	692.57	647.57	3990

6016 M. Acft. (6015 M. Acft.).

Sd/--
Superintending Engineer,
Middle Chambal Circle,
Ujjain.

(A) TECHNICAL DATA OF COMPLETED SCHEMES IN RATLAM DISTRICT

S. N.	Name of Project	Catch-ment area in sq. miles	75% depen-dable yield (M. Cft.)	Live stora-ge in (M. Cft.)	Designed irriga-tion in Hect.
1	2	3	4	5	6
1.	Alote tank	0.80	12.00	17.35	104
2.	Piplia Siddio tank	0.66	9.98	11.93	62
3.	Asotca tank	0.45	6.75	7.54	48
4.	Fachria tank	0.79	10.50	15.58	72
5.	Sujapura tank	1.10	16.50	19.38	96
6.	Rajiya tank	0.53	7.95	11.83	56
7.	Kamed tank	1.45	21.75	18.13	134
8.	Ramsagar tank	0.88	13.20	12.96	85
9.	Nalawasa tank No. 2	1.10	16.50	17.96	60
10.	Sewaria tank	1.00	15.00	8.77	56
11.	Shikarwati tank No. 1	0.50	7.50	11.52	64
12.	Shiakarwadi tank No. 2	1.80	27.00	9.96	120
13.	Bodina tank	0.60	9.00	8.10	60
14.	Saimlawad tank	1.60	—	5.00	46
15.	Maohune tank	2.70	46.50	40.50	166
16.	Kalukheda tank N. 1	1.20	18.00	17.91	94
17.	Rattagajheda tank	0.63	21.24	15.10	86
18.	Malwasa tank No. 1	0.44	—	8.00	81
	Total ..	18.23	259.37	257.61	1489

Sd/-
Superintending Engineer,
Middle Chambal Circle,
Ujjain.

(B) TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER CONSTRUCTION DISTRICT RATLAM

S. N.	Name of Project	Catch-ment area in sq. miles	75% dependable yield in M. Cft.	Live storage in M. Cft.	Designed irrig. in Hec.
1	2	3	4	5	6
1.	Dhamnod tank	3.00	45.00	40.54	313
	Total ..	3.00	45.00	40.54	313

(C) TECHNICAL DATA OF SCHEMES UNDER SURVEY IN RATLAM DISTRICT

S No	Name of Project	Catchment area in sq. miles	75% dependable yield in M. Cft.	Live storage in M. Cft.	Designed irrig. in Hect.
1.	Kalalakheda -tank	3.00	45.00	40.50	240
2.	Kalukheda tank	1.11	16.65	14.99	60
3.	Gudurkheda tank	0.13	1.95	1.76	48
	Total ..	4.24	63.60	57.25	348

(D) TECHNICAL DATA OF SCHEMES PIN-POINTED IN RATLAM DISTRICT

S. No.	Name of Project	Catchment area in sq. miles	75% dependable yield in M. Cft.	Live storage in M. Cft.	Designed irrigation In Hect.
1.	Janunia Shankar tank.	1.66	26.05	22.55	150
2.	Dayalpur tank	2.24	33.60	30.24	200
3.	Borkheda Khurd tank	5.94	89.10	80.19	600
4.	Arjala tank	1.35	20.25	18.23	120
5.	Nandlote tank	1.35	20.25	18.23	120
6.	Sibdot tank	0.69	10.35	9.32	50
7.	Laptiya tank	2.85	42.75	38.48	200
8.	Amleta tank	5.55	83.25	74.93	400
		21.63	324.60	292.17	1840
	Total ..		324.60	292.17	1840

ABSTRACT OF TECHNICAL DATA OF DISTRICT MANDSAUR

FOR

A. SCHEMES COMPLETED

B. SCHEMES UNDER CONSTRUCTION

C. SCHEMES UNDER SURVEY

D. SCHEMES PIN-POINTED

S. No.	Particulars	No. of Schemes	75% dependable yield in M. cft.	Live storage in M. cft.	Designed irrig. in Hect.
1.	A. Completed Schemes	29	1359.77	1759.69	8752
2.	B. Schemes under Construction	22	6824.94	6381.52	20670
3.	C. Schemes under survey	29	3183.30	2864.97	12528
4.	D. Pin-pointed Schemes	89	8317.16	7485.69	42415
	Grand Total ..	169	19685.47	18491.87	89365

Sd/-

Suprintending Engineer,
Middle Chambal Circle,
Ujjain.

(A) TECHNICAL DATA OF COMPLETED SCHEMES, DISTT. MANDSAUR

S. No.	Name of Project	Catch-ment Area in Sq. M.	75% depend-able yield	Live storage M. cft.	Desinged irrigation (in Hect.)
1	2	3	4	5	6
A.	MAJOR PROJECT				
	Gandhisagar dam	8883.97			
B.	MEDIUM PROJECTS	—	Nill	—	—
C.	MINOR PROJECTS				
1.	Antaralia tank	0.61	7.33	6.70	40
2.	Simrol tank	0.75	11.25	19.36	66
3.	Takrwad tank	0.60	9.0	12.89	44
4.	Agar PUW	—	—	—	40
5.	Poladongar tank	3.6	54	72.6	313
6.	Gopal Pura tank	9.6	144	185.91	800
7.	Norwan tank	24.sq.M	360	556.56	2671
8.	Borkhedi tank	3.75	56.25	21.93	49
9.	Singoli S/D	—	—	6.58	40
10.	Supda Nall PWW	—	—	6.50	40
11.	Bhesla tank	2.50	37.50	12.18	60
12.	Bhomeshwar tank	1.00	15.0	24.82	114
13.	Lamgara tank	1.93	28.99	26.35	160
14.	Hansali tank	3.25	48.75	8.40	51
15.	Dikola tank	7.00	105.00	44.05	87
16.	Ghatonda tank	5.00	75	71.97	260
17.	Barawada tank	2.0	30	24.66	47
18.	Junapanl tank	2.6	39	13.06	44
19.	Jeeran tank	9.6	144	105.47	323
20.	Amrit Sagar S/D				124
21.	Bamora PUW	0.733	11.0	10.01	60
22.	Harwar tank	3.5	52.50	19.46	96
23.	Malkheda tank	2.0	30.00	23.94	72
24.	Lasudia tank	1.5	22.50	15.57	45
25.	Daru S/D	0.75	11.20	10.50	60
26.	Rawatkheda S/D	—	—		80
27.	Panpupo Barod tank	4.50	67.50	50.22	52
28.	Basai LIS	—	—	—	160
29.	Ratan Barrage Project 4,680 Sqm.			410	2752
	Grand Total ..	1368.77	1359.77	1759.69	8782

Sd/—

Superintending Engineer.
Middle Chambal Circle
Ujjain,

268

(B)—TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER CONSTRUCTION, DISTT. MANDSAUR

S. No.	Name of Project	Catchment, area in Sq. Miles.	75% dependable yield	Live storage. (Mcft.)	Designed irrigation in Hect.
1	2	3	4	5	6
A.	MAJOR PROJECT	—	—	—	—
B.	MEDIUM PROJECT	—	—	—	—
1.	Bhapura Canal	—	4508	4508	101.21
2.	Chaldu Project.	145.00	1399.59	1055.304	6275
	Total	..	5907.59	5563.304	16396
C.	MINOR PROJECTS				
3.	Poladongar Puw	3.6	—	—	60
4.	Lasur Tank	3.4	51.00	45.90	224
5.	Dhangaon Tank	3.96	59.4	53.46	240
6.	Bhabla Dewal Tank	5.7	85.50	60	303
7.	Bill Tank	0.77	11.59	10.54	64
8.	Laduna Tank	3.41	51.15	46.03	153
9.	Malgarh Tank	2.0	30.00	27.00	144
10.	Karoli Tank	3.5	52.50	47.25	294
11.	Dalda Sagra Tank	3.76	56.40	50.76	313
12.	Jotkhedi Tank	4.71	70.67	64.25	390
13.	Nayapurana Tank	10.75	161.25	145.12	800
14.	Bani Tank	1.08	16.85	15.32	93
15.	Mohkampura	1.20	18.00	16.20	109
16.	Kundalia Tank	1.20	18.00	16.20	109
17.	Parlakhoda Tank	2.00	30.00	27.00	66
18.	Bhamniya Tank	1.44	21.74	19.76	120
19.	Telia Tank	9.00	135.00	121.5	440
20.	Asawati Tank	2.52	37.08	34.02	202
21.	Kenpura Tank	0.7	10.5	9.45	90
22.	Deori Somiya S/D	80.0	—	2.46	80
	Tolat ..		917.35	818.22	4774
	Grand Total .. Medium + Minor		6824.94	6381.52	20670

Sd/-
Superintending Engineer,
Middle Chambal Circle,
Ujjain.

(G) TECHNICAL DATA OF SCHEME INDOR SURVEY, DISTT. MANDSAUR

S.No.	Name of Project	Catchment Area in Sq.M.	75% Dependable in yield. Mcf.	Live storage incft.	Designed Irrigation in Hect.
1	2	3	4	5	6
(A)	MAJOR PROJECTS	—	—	—	—
(B)	MEDIUM PROJECTS				
1.	Tolkheda Tank	63.00	945	850.5	2800
2.	Rehtam Barrage	473.35	—	—	2754
(C)	MINOR PROJECTS				
3.	Nimbod Tank	11.91	178.65	160.785	1210
4.	Amarpuja Tank	7.79	176.85	105.165	728
5.	Chambleshwar Tank	612.00	180	162	1200
6.	Rawatpura Tank	2.30	34.5	31.05	120
7.	Indergarh Tank	14.90	223.50	201.15	1300
8.	Kailashpura Tank	2.02	30.30	27.27	250
9.	Amzerd Tank	3.40	51	45.90	350
10.	Dasani Tank	3.00	45.00	40.50	180
11.	Natram Tank	1.77	26.55	23.895	250
12.	Junabani Tank	3.28	49.2	44.28	206
13.	Mittakkheda Tank	7.72	115.8	104.22	400
14.	Hanumantiya Tank	4.38	65.85	59.256	170
15.	Berwan Tank	6.37	95.55	85.995	1000
16.	Pratapura Tank	2.51	37.65	33.885	170
17.	Gangaljeli Tank	3.85	57.75	51.975	129
18.	Ralaitu Cr. Tank	12.35	185.25	166.725	129
19.	Harigarh Tank	26.92	403.80	363.42	1578
20.	Dulha kheda Tank	1.73	25.95	23.355	83
21.	Rudia Sagar	1.9	28.5	25.65	100
22.	Borkheda Rather	13.1	19.65	17.685	304
23.	Sitamau Tank	0.78	11.70	10.57	166
24.	Tarnod Tank	0.78	11.70	10.53	60
25.	Kota Shawar Tank	3.9	58.50	52.65	350
26.	Dorai Tank	4.00	60.00	54.00	243
27.	Chanupura	3.24	48.60	43.74	170
28.	Mogaon Tank	1.20	18.00	16.20	78
29.	Rahayar	8.9	58.50	52.65	1000
	Total ..	815.35	3183.3	2864.97	175280

Sd/-
Superintending Enginer,
Middle Chambal Circle,
Ujjain

S. No.	Name of Project.	Catchment area in sq.m.	75% depen-dable yield.	Live stor-age capa-city (M. cft.)	Designed irrig. in Hect.
1	2	3	4	5	6
A.	MAJOR PROJECTS	—	—	—	—
B.	MEDIUM PROJECTS	—	—	—	—
C.	MINOR PROJECTS				
1.	Ardhanpura	2.614	39.21	35.29	200
2.	Kajanpanth	13.07	196.10	176.49	1000
3.	Desoria	13.07	196.10	176.49	1000
4.	Tarawati	3.922	58.83	52.94	300
5.	Kotranahria	8.916	133.74	120.37	682
6.	Malikheda	3.529	52.94	47.65	270
7.	Kotrakalan	4.327	64.91	58.42	331
8.	Sendipur	18.368	275.53	247.97	1405
9.	Bhagonia	2.39	35.88	32.29	183
10.	Nbardo	4.196	62.95	59.65	321
11.	Kundala	1.45	21.16	19.59	111
12.	Tarwati	0.849	12.74	11.47	65
13.	Sanda	70.206	1053.10	947.79	5370
14.	Nayagaon	2.17	32.55	29.29	166
15.	Jetpura	4.22	63.34	57.00	323
16.	Huntelia	2.758	41.37	37.24	211
17.	Lapia	4.157	62.36	56.12	318
18.	Khedi	1.424	21.37	19.23	109
19.	Bandu	16.46	246.90	222.21	1259
20.	Gwalieakhan	0.366	5.49	4.94	28
21.	Oiken				
22.	Saroda				
23.	Ranayara	13.07	196.10	176.49	1000
24.	Hingonia.	7.844	117.66	105.89	600
25.	Kaliakhedai	8.498	127.47	114.72	650
26.	Dable	5.399	80.99	72.89	413
27.	Khankari	1.712	25.69	23.12	131
28.	Garnai	2.81	42.16	37.94	215
29.	Sarwania	1.359	20.39	18.35	104
30.	Rupalia	2.274	34.12	30.71	174
31.	Bhagula	8.99	134.92	121.43	688
32.	Devikheda	2.078	31.18	28.06	159
33.	Magrana	1.004	16.87	15.17	86
34.	Kharoalia	1.62	24.31	21.88	124
35.	Deontave	0.94	14.11	12.70	72
36.	Gwatheli	2.117	31.76	28.59	162
37.	Tilakheda	1.254	18.82	16.94	96
38.	Khajuna	1.895	28.43	25.59	145
39.	Kankalan	2.274	34.12	30.71	174
40.	Gopalpura	7.399	110.99	99.89	566
41.	Chuchore	1.41	21.27	19.06	108
42.	Devikhawara	2.052	30.78	27.71	157
43.	Ravli	1.189	17.84	16.06	91

(271)

1	2	3	4	5	6
44.	Bhandrataka	0.98	14.70	13.23	75
45.	Malkheda	0.797	11.96	10.76	61
46.	Vishnia	0.98	14.70	13.23	75
47.	Chukano	1.654	39.81	35.82	203
48.	Bardia	10.576	158.65	142.78	809
49.	Dorkhedi	13.648	204.73	184.26	1044
50.	Samlitak	8.34	125.11	112.60	638
51.	Barkheda	2.274	34.12	30.71	174
52.	Maya	1.516	22.74	20.47	116
53.	Chibalna	3.032	45.48	40.94	232
54.	Rupwasa	0.522	7.84	7.06	40
55.	Piplia	2.575	88.63	84.77	197
56.	Amalia Tank	1.163	17.45	15.70	89
57.	Rampura Kathar	4.209	63.14	56.83	322
58.	Karnapura	1.345	20.18	18.17	103
59.	Chandrapura	15.62	234.34	210.91	1195
60.	Bhandnavar	3.425	51.38	16.24	262
61.	Nayargaon	1.019	15.29	13.76	78
62.	Ratalia	9.517	142.76	128.49	728
63.	Hinda Chisalana	3.752	56.28	50.66	287
64.	Lasuria	1.438	21.57	19.41	110
65.	Richa	10.458	156.88	141.19	800
66.	Morkhedai	17.257	258.86	232.97	1320
67.	Aghonia	3.922	58.83	52.94	300
68.	Walwagaon	3.922	58.83	52.94	300
69.	Bafrechee	9.282	139.23	125.31	710
70.	Chosla Tank	32.42	486.34	437.71	2480
71.	Barbadia	1.11	16.66	15.00	85
72.	Sirkakheda	11045	15.68	14.11	80
73.	Guwal	11.96	179.43	161.49	915
74.	Bhadasa	2.22	33.33	30.00	170
75.	Dhoni	3.66	54.91	499.41	280
76.	Kalukheda Tank	5.033	75.50	67.95	385
77.	Mangrol	14.38	215.31	194.14	1100
78.	Sagrana	—	—	—	—
79.	Jhanagania	10.458	156.88	141.19	800
80.	Bhatwala	36.606	549.10	494.19	2800
81.	Buida	13.073	196.10	176.49	1000
82.	Gailana	3.268	49.02	44.12	250
83.	Ajaypura	10.132	151.98	137.78	775
84.	Karojad	2.876	43.14	38.82	220
85.	Malwasa	5.49	82.36	74.12	420
86.	Raoti	2.614	39.22	35.29	200
87.	Pakrai	2.876	43.14	38.82	220
88.	Ishagpura	1.045	15.68	14.11	80
89.	Kesharpura Tank	4.183	62.75	56.47	320
	TOTAL ..	..	8317.46	7485.69	42415

Sd/
Superintending Engineer,
Middle Chambal Circle.
Ujjain.

TECHNICAL DATAS OF SCHEMES COMPLETED, DISTRICT INDORE

S.N.	Name of Tank	Catchment area (Sq. Miles)	Gross Capacity (Mft.)	CCA in Acre	Likely Irrg. Acre	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Depalpur Tank	10.00	173.00	3962	2300	
2.	Khajaraya Tank	4.00	28.10	300	250	
3.	Neori Tank	0.60	11.10	416	111	
4.	Beganda Tank	0.98	8.22	Nil	103	
5.	Bijapura Tank	0.60	12.551	—	170	
6.	Runji Stop Dam	10.50	—	—	150	
7.	Karjoda	1.12	21.17	430	210	
8.	Chander Tank	1.30	14.2839	364	210	
9.	Maidat L.I.S.	242.00	—	—	299	
10.	Bhidota L.I.S.	300.00	—	—	400	
11.	Akasoda Tank	0.92	15.26	—	165	
12.	Kishanpura Tank	14.00	120.76	—	1366	
13.	Dharnat S.D.	34.50	—	—	123	
14.	Sumtha Tank	0.14	1·102	25	49	
15.	Khidalawada Tank	1.50	7.94	60	100	
16.	Ataheda Tank	0.215	5.20	15	25	
17.	Kanjarkheda S.D.	78.00	—	80	150	
18.	Hatod Tank	2.10	34.117	—	150	
19.	Rao Tank	1.10	36.16	—	540	
20.	Buranakhedi Tank	0.60	17.8285	—	200	
21.	Asrawad Tank	1.90	31.87	—	450	
22.	Dhulet Tank	1.30	10.822	—	138	
23.	Nehrugam	0.523	15.319	—	205	
24.	Asamati S.D.	27.60	—	—	210	
25.	Huknadi PUW	5.75	—	—	100	
26.	Sunriyakhal Dn.	0.60	Feeder Tank.	100	202	
27.	Harsola Tank.	1.90	27.36	180	380	
28.	Kakerpura Tank.	0.973	—	160	360	
29.	Hasalpur Tank.	1.90	42.96	120	250	
30.	Kudana Stop Dam.	—	—	80	150	
31.	Barlai Tank.	0.42	19.3350	157	140	
32.	Nisakhedi Tank.	1.05	31.05	—	280	
33.	Kadwalikhurd Tank.	1.123	13.288	439	165	
34.	Segwal Tank.	0.51	84.803	—	103	
35.	Miradpura Tank.	1.00	15.6787	—	175	
36.	Ratatalai Tank.	—	9.016	N.A.	100	
37.	Nagpur Tank.	0.60	13.4860	—	121	
38.	Paliya S/D	51.20	—	—	121	
39.	Dgoli S/D	30.00	—	—	121	
40.	Kanliakheda S/D	5.00	—	—	100	
41.	Katkiya Tank.	1.35	20.017	—	200	
42.	Rajoda Tank.	—	—	—	20	
43.	Dakachya Tank.	0.35	5.63	—	150	

1	2	3	4	5	6	7
44.	Gawala S. D.	—	—	—	106	
45.	Lalakheda S. D.	—	—	—	150	
		763.30	1070.40	11568	Acres	
	Live Storage	—	963.36	4682	Hect.	

TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER PROGRESS, DISTT. INDORE

1.	Peernalwasa Tank	50.40	5.24	30	60	
2.	Deorakhedi S/D	23.50	1.10	50	108	
3.	Ahirkhedi S/D	36.25	0.1887	30	60	
4.	Chharoda Tank	0.43	9.53	60	114	
5.	Jaloda S/D	83.00	—	260	598	
6.	Pipliya Kayasth	16.00	1.15	80	150	
7.	Darji Karadia S/D	0.20	5.224	180	400	
8.	Brahanan Piplya S/D	141.00	4.00	250	500	
		350.78	26.53	940	1980	Acres
	Live Storage @	90%	24 Mcft.	C.C.	805.35	Hect.

TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER SURVEY,
DISTT. INDORE

1	2	3	4	5	6	7
1.	Rempipliya D/S	—	—	—	150	
2.	Mohana Tank	1.00	25	—	150	
3.	Chardipura Tank	—	20	—	198	
4.	Sindhipura Tank	0.61	20	—	198	
		1.61	65 Mcft.	—	696 Acres	

Live Storage 59 Or 282 Haectares

TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER COMPLETION
DISTT. DEWAS

1.	Nagada Tank	3.25	91.343	2130	1248	Irrigation 200 Ac. Only percolating heavily
2.	Siya Tank	0.60	Nil	250	101	
3.	Patadi Tank	0.25	Nil	200	121	
4.	Amlawati Tank	1.17	15.97	185	145	This is being of an old tank information in col. 6 is not available.
5.	Sindhani Tank	0.565	14.84	190	165	
6.	Chidawad Tank	1.80	29.57	375	350	
7.	Padliya Tank	0.35	15.72	200	150	
8.	Sadakpipliya	2.80	22.17	290	160	
		10.78	189.61	—	2440 Acres	

Live Storage @ 90% 170.65 i. e. 987 Hectares

TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER CONSTRUCTION,
DISTT. DEWAS

1.	Bhatuni S. D.	40.00	—	180	110
2.	Sonsar S. D.	75.00	—	140	100
		115.00	—	320	210 Acres

i. e. 85 Hectares

TECHNICAL DATAS OF SCHEMES UNDER SURVEY
DISTT. DEWAS

1.	Kedarkho	0.75	20.00	300	101	
2.	Bhensakhedi	2.22	64.24	845	258	
		2.97	84.24	1145	359	Acres

i. e. 145 Hectares

Live Storage @ 90% of Gross Storage 75.82 Mcft.

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 306 का विवरण

राजस्थान (वेरी) वेतन आयोग ने अपना प्रतिवेदन राज्य संरकार को दिनांक 15- 9- 81 को प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार ने उसकी समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तीन सदस्यीय सचिवों की समिति 1-10-81 को गठित की थी जिसके सदस्य सर्वश्री एल. एन. गुप्ता, वित्त सचिव, सतीश कुमार, सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा गणपत राय, विशिष्ट शासन सचिव, कार्मिक विमाग थे। वेतन आयोग का प्रतिवेदन 6 जिल्दों में था जिनमें 2040 पृष्ठ थे। सचिवीय समिति ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये समस्त मुद्दों की समीक्षा कर प्रतिवेदन दिनांक 27-1-82 को प्रस्तुत किया और इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल ज्ञापन तैयार कर मामला 12-2-82 को मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया। अभी मन्त्रिमण्डल द्वारा इस मामले पर विचार ही किया जा रहा था कि राज्य कर्मचारियों ने दिनांक 18-3-82 से राज्यव्यापी आम हड़ताल प्रारम्भ कर दी। हड़ताल के दौरान कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के मध्य दिनांक 9-4-82 को समझौता हुआ था। मन्त्रिमण्डल निर्णय संख्या 137/82, दिनांक 24-6-82 के अनुपालन में मन्त्रिमण्डलीय उप समिति का आदेश सं. पं. 3(1) मं. मं 82 दिनांक 7-7-82 द्वारा गठन कर यह मामला उसके सुपुर्द किया गया। 31-7-82 के पश्चात् मन्त्रिमण्डलीय उप समिति को कर्मचारी संघों से इस सम्बन्ध में काफी संख्या में अभ्यावेदन/मांग-पत्र प्राप्त हुये।

उपरोक्त कर्मचारी संघों से प्राप्त अभ्यावेदन का परीक्षण कर वस्तुस्थिति से मन्त्रिमण्डलीय उप समिति को अवगत कराया गया और मन्त्रिमण्डलीय उप समिति ने इस समस्त मुद्दों का गहन अध्ययन और विचारविमर्श कर यह मामला दिसम्बर, 82 में मन्त्रीमण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया। इस बारे में मन्त्रिमण्डल अपनी बैठक दिनांक 10-12-82 में विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त आज्ञा सं. 274/82, दिनांक 10-12-82 द्वारा राज्य कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों और सरकार के मध्य हुए समझौते में वर्णित समस्त मुदों पर निर्णय लिया।

मन्त्रिमण्डल का निर्णय प्राप्त होने पर आवश्यक नियम, वेतनमानों की अनुसूची, समस्त वेतन श्रृंखलाओं की वेतन निर्धारण सारिणी, विशेष वेतन की अनुसूची, उच्च योग्यताधारक राज्य कर्मचारियों को उच्चतर वेतन, अग्रिम वेतन की अनुसूची तथा संतसबन्धी नियमों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने में लगभग दो माह समय लगना स्वाभाविक था।

परिशिष्ट 8

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सीकर व झुंझुनू जिले में घटित अपराध

48?. श्री मालाराम (खेतड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर एवं झुन्झुनूं जिलों में सन् 1981-82 एवं जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक कितनी चोरियां एवं कितनी डकैतियां हुईं ?

(2) इनमें से कितनी चोरियां बरामद हुईं व कितनों का चालान हुआ ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सीकर जिले में वर्ष 81 में 2 डकैती, वर्ष 82 में 5 डकैती एवं 1983 में एक डकैती के अभियोग दर्ज हुए तथा वर्ष 81-82 में 780 चोरी व जनवरी, 82 से जनवरी, 83 में 439 चोरियों के अभियोग दर्ज हुए ।

झुंझुनूं जिले में वर्ष 1981 में 5 डकैती, 1982 में 2 डकैती के अभियोग दर्ज हुए। वर्ष 81-82 में 363 चोरी व जनवरी, 82 से जनवरी, 83 में 178 चोरी के अभियोग दर्ज हुए ।

(2) 356 चोरियां बरामद हुईं व 356 मुकद्दमों का चालान किया गया । सूची संलग्न है ।

जिलेवार एवं पंचायत समितिवार चोरी के पंजीबद्ध अभियोगों की सूची:—

क्रम संख्या	नाम जिला	पंचायत समिति	नाम थाना	वर्ष	रिपोर्ट	चालान	माल मसरुका	माल बाजयाफता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सीकर	दाँतारामगढ़	दांतारामगढ़	1981	90	13	6637.00	5815.00
				1982	10	1	31210.00	2140.00
				1983	—	—	..	..
			खाटू	1981	18	5	50610.00	44800.00
				1982	20	4	32300.00	5060.00
				1983	2	..	..	..
			लोसल	1981	10	4	133800.00	126600.0
				1982	8	1	9280.00	300.00
				1983	..	..	..	..
				1981	12	3	55650.00	3300.00
		धोंध	सदर	1982	9	3	3680.00	
				1983	..	..	..	..
			लोसल	1981	3	1	2280.00	1680.00
				1982	8	7	71800.00	63000.00
				1983	..	..	..	..
			रघुनाथ गढ़	1981	11	6	30700.00	18950.00
				1982	8	5	4300.00	4300.00
				1983	..	..	..	..
1.	सीकर	पीपराली	रघुनाथगढ़	1981	9	5	7009.00	..
				1982	8	4	4074.00	3600.00
				1983	..	..	..	
			सदर	1981	11	4	7225.00	22000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1982	6	1	30186.00	2855.00
				1983	..	..	..	..
			खाटू	1981	5	1	2016.00	..
				1982	9	2	2745.00	745.00
				1983	..	..	..	..
		नीमकाथाना	नीमकाथाना	1981	51	13	69393.00	22546.00
				1982	72	14	154043.00	121206.00
				1983	12	2	11488.00	3450.00
			पाटन	1981	23	9	70591.00	9790.00
				1982	28	8	32373.00	8073.00
				1983	..	..	..	..
			थोई	1981	13	2	245238.00	12450.00
				1982	10	2	11470.00	8560.34
				1983	1	1	300.00	300.00
		श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	1981	69	7	134059.54	111748.00
				1982	87	4	14510.00	80220.00
				1983	7	..	1709.00	1300.00
	सीकर		थोई	1981	12	2	24350.10	2050.00
				1982	8	..	5750.00	..
				1983	..	..	..	..
		खंडेला	खंडेला	1981	25	5	34135.00	9950.00
				1982	33	8	71670.00	11320.00
				1983	5	..	..	4245.00
			श्रीमाधोपुर	1981	12	2	70760.00	60000.00

			1982	3	..	3750.00	..
			1983	..	..	..	..
		थोई	1981	22	3	87393.00	4900.00
			1982	31	13	114740.00	112762.00
			1983	2	..	3950.00	..
	फतहपुर	फतहपुर	1981	27	10	34565.00	29665.00
			1982	29	6	105891.00	43440.00
			1983	2	..	1500.00	..
		रामगढ़ सेठान	1981	2	1	1450.00	600.00
			1982	1	1	600.00	600.00
			1983	..	..	..	..
	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	1981	9	3	13233.00	2632.00
			1982	10	3	2760.00	..
			1983	3	..	3850.00	1550.00
	लक्ष्मण गढ़	नेनवा	1981	11	6	54800.00	54800.00
			1982	7	..	8500.00	8500.00
			1983	..	..	..	..
2. झुंझुनूं	झुंझुनूं	झुंझुनूं	1981	32	12	25333.00	21425.00
			1982	19	9	26525.00	11634.75
			1983	1	..	1000.00	..
		मंडावा	1981	10	3	5239.00	460.00
			1982	9	1	9522.00	4350.00
			1983	..	..	..	..
	मलसीसर	मलसीसर	1981	8	5	2588.00	9398.00
			1982	5	2	400.00	..
			1983	..	..	..	..
	सूरतगढ़	चिड़ावा	1981	12	2	69800.00	60300.00
			1982	15	7	7700.00	5150.00

279

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1983	2	.	20000.00	..
	झुंझुनु	पिलानी	पिलानी	1981	9	6	27250.00	26400.00
				1982	7	4	5751.98	2825.00
				1983	1	..	80.00	..
			सूरजगढ	1981	11	2	17385.00	8000.00
				1982	9	8	16057.00	4940.00
				1983	4	4	68.00	68.00
		खेतड़ी	खेतड़ी	1981	40	13	121475.00	103930.00
				1982	26	5	65740.00	68299.00
				1983	..	..	..	..
		,,	के. सी. पी.	1981	17	8	35745.00	19395.00
				1982	12	7	19512.00	15262.00
				1983	1	—	1800.00	..
		बुहाना	बुहाना	1981	3	2	400.00	400.00
				1982	11	4	44954.80	37475.00
				1983	1	..	..	..
			सिध्दाना	1981	18	9	167976.00	167891.00
				1982	8	5	305240.00	301404.00
				1983	2	2	1550.00	1550.00
		नवलगढ़	नवल गढ	1981	12	4	31500.00	12500.00
				1982	19	7	42795.00	7645.00
				1983	..	..	..	..
			उदयपुरवाटी	1981	11	3	2940.00	2340.00
				1982	11	8	12165.00	11286.00

गुंडा	1983	1	..	4250.00	..
	1981	17	7	1006.10	7312.00
	1982	12	7	4250.00	150.00
	1983	3	1	13335.00	12795.00

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

ग्राम तसींग व परतापुर में चिकित्सालय खोलना

484. श्री **सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील बहरोड़ के ग्राम तसींग व परतापुर में चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा (जयपुर)

485. श्री **भंवरलाल शर्मा** (हवामहल), श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग के अन्तर्गत ग्रास फार्म नर्सरी खातीपुरा (जयपुर) में कार्यरत एक विधवा एवं उसकी लड़की के साथ वहीं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गत दिनांक 23-9-1982 को बलात्कार की चेष्टा करने की शिकायत वहां कार्य करने वाले श्रमिकों ने की थी ?

(2) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या शिकायत करने वाले श्रमिकों को ही नौकरी से हटा दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) पुलिस द्वारा जांच करने पर शिकायत तथ्यहीन पाई गई ।

(3) शिकायत कुनिंदा को दुर्व्यवहार एवं सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने के कारण हटा दिया गया था, परन्तु श्रम न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें आधे दैनिक भुगतान पर न्यायालय के निर्णय तक पुन: काम पर ले लिया गया है ।

बाड़मेर जिले में सेवा से पृथक किये गये शिक्षक

486. श्री **देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आज से सात आठ वर्ष पूर्व विकास विभाग ने बाड़मेर जिले में विकास अधिकारियों के माध्यम से कुछ ऐसे शिक्षक सेवा में रखे जो कि पाकिस्तान से आये हुए थे एवं जिनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर थी ? यदि हां, तो सभी समितियों में इस प्रकार के कितने शिक्षक लिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे शिक्षक इस आधार पर लिये गये थे कि राज्य सरकार ने सन् 1971 में पाकिस्तान से आये हुए लोगों को लेने की अनुमति दी थी एवं उनकी आयु में भी छूट दी गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब उन लोगों की सेवायें निरस्त कर दी गई हैं, क्योंकि अब उनका एक विशेष

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

समिति द्वारा चयन किया जायेगा और वे अधिक आयु होने के कारण उस चयन में भाग नहीं ले सकते ?

(4) यदि इन शिक्षकों को सरकारी आदेश के अनुसार ही लिया गया तो इनकी सेवायें अब क्यों निरस्त की जा रही हैं और यदि किसी अन्य आधार पर इन्हें लिया गया तो वह आधार क्या था और उसके लिये कौन जवाबदार है ?

(5) क्या सरकार इन अध्यापकों को पुनः विकास विभाग अथवा अन्य किसी विभाग में रखने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति, बाड़मेर में एक, शिव में तीन तथा चौहटन में दस कुल 14 शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई थीं । पहले ये नियुक्तियां जिला शिक्षा अधिकारी की सिफारिश पर पंचायत समितियों ने दी थीं । तत्पश्चात् पंचायत समितियों ने नियोजन कार्यालय के माध्यम से अस्थाई नियुक्तियां दीं । विकास विभाग ने कोई नियुक्ति नहीं दी ।

(2) शिक्षा विभाग ने राजकीय सेवा में लेने के लिए आयु में छूट दी थी परन्तु राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में ऐसा संशोधन नहीं किया गया, अतः विकास विभाग से कोई अनुमति नहीं दी गई थी ।

(3) पंचायत समिति, बाड़मेर द्वारा श्री रेवानन्द, अध्यापक की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, जिन्हें वापस सेवा में लिए जाने के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में आयु सीमा में छूट कर संशोधन प्रस्तावित है ।

(4) इनको नियुक्ति देने में पंचायत समितियों ने शिक्षा विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के आदेश का गलत अर्थ लगाया और राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में संशोधन हुए बिना ही नियुक्ति देने में भूल की गई और पंचायत समिति के तत्कालीन-प्रशासक (विकास अधिकारी) ही जवाबदार है ।

(5) फिलहाल राज्य सरकार ने हटाये गये अध्यापक को वापस लेने एवं शेष को अन्य आदेश तक न हटाने के निर्देश पंचायत समितियों को दे दिए हैं और नियमों में आयु सीमा में छूट का प्रस्ताव विभाग ने किया है। संस्थायी नियुक्ति के लिए आयु सीमा में छूट के अलावा राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयन होना भी जरूरी होगा ।

उदयपुर नगरपालिका द्वारा संचालित पुस्तकालय

487. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् द्वारा संचालित पुस्तकालय का आज तक सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं

(284)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया गया ? इस पुस्तकालय में 31 जनवरी, 1983 तक प्रति वर्ष कितने रुपयों की पुस्तकें खरीदी गईं ? कृपया विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि इस पुस्तकालय में पुस्तकों के क्रय में अनियमिततायें हुई हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपरिषद के पास पुस्तकों के रख-रखाव के लिए पुस्तकालय अपर्याप्त है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सत्यापन कराया जा चुका है । इस पुस्तकालय में 77 से जनवरी, 83 तक खरीदी गई पुस्तकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं । अभी तक कोई अनियमितता जानकारी में नहीं आई है । इसलिए जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(3) जी हां ।

पुस्तकालय में क्रय की गई पुस्तकों का विवरण निम्नलिखित है :—

सन्	राशि	पुस्तकों की संख्या
1977-78	49,826.16	3409
1978-79	59,182.27	2785
1979-80	78,480.42	3880
1980-81	49,877.46	3247
1981-82	72,255.66	2348
1982 जनवरी, 83 तक	38,093.71	1850

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, अजनावर के वैद्य के विरुद्ध शिकायतें

488. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिला के राजकीय आयुर्वेद औषधालय, अजनावर के वैद्य-प्रभारी श्री रमेश चन्द शर्मा के विरुद्ध गंभीर आरोपों की शिकायतें राज्य सरकार को की गई थी ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इनके विरुद्ध लड़ाई-झगड़ा करने व इलाज कार्य समय पर न करने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी। इनका स्थानान्तरण दिनांक 8-1-83 को अजनावर से किया जा चुका है।

तरणताल एवं स्टेडियम निर्माण में अनुदान

489. श्री विष्णु प्रकाश जारी (ब्यावर) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषदों द्वारा तरणताल बनाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान देने का प्रावधान है ?

(2) नगर परिषदों द्वारा स्टेडियम बनाने पर राज्य सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

बाड़मेर जिले में पशु आहार संयंत्र स्थापित करना

490. श्री हेमाराम चौधरी (गुडा-मालानी) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बाड़मेर जिले में निरन्तर अकाल से प्रभावित होने के कारण गायों, भैंसों की संख्या एवं दुग्ध उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिये तथा मवेशियों को मौत से बचाने एवं अवैध रूप से पाकिस्तान जाने से रोकने के लिये इस जिले में 100 मै. टन प्रति दिन की क्षमता का पशु आहार संयंत्र लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। जोधपुर में एक 100 मे.ट. प्रतिदिन क्षमता का पशु आहार संयंत्र लगाया गया है, जहां से बाड़मेर जिले की पशु आहार की आवश्यकता पूरी की जावेगी।

चित्तौड़गढ जिले के बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास

491. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा): क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 में चित्तौड़गढ़ जिले के बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास का कितना लक्ष्य रखा गया था और कितने बंधक श्रमिकों का पुनर्वास किया गया ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(286)

(श्री भोपाल सिंह)

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1981-82 तक कितने बंधकों की खोज किस एजेन्सी के माध्यम से की गई और कितने लोगों को मुक्त करवाया गया ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। यह बन्धक किस-किस व्यक्ति के घर से खोजे गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसी वर्ष विशेष के लिए किसी जिले में बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास का पृथक से लक्ष्य नहीं रखा जाता है। वर्ष में जो भी बन्धुआ मजदूर मुक्त कराये जाते हैं उन्हें तत्काल पुनर्वासित करने का लक्ष्य रहता है। 1982-83 में चित्तौड़गढ़ जिले में किसी भी बन्धुआ मजदूर को पुनर्वासित नहीं कराया गया।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 81-82 तक उप-खण्ड अधिकारियों के माध्यम से की गई खोज के आधार पर कुल 265 बन्धक श्रमिकों की खोज की गई। मुक्त कराये गये बन्धक श्रमिकों का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

क.सं.	नाम तहसील	संख्या बन्धक श्रमिक
1.	कपासन	8
2.	राश्मी	13
3.	प्रतापगढ़	6
4.	छोटी सादड़ी	58
5.	निम्बाहेड़ा	55
6.	डूंगला	125
	योग . .	265

ये बन्धक श्रमिक जिन व्यक्तियों के घरों से खोज गये उनकी पूरी सूची उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध है उसकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	नाम बन्धक श्रमिक मय पिता का नाम	निवासी	बन्धक श्रमिक को रखने वाले का नाम व पता
1.	श्री छगना/भैरा भील	विनोदा खेड़ा	श्री गम्भेर जाट, देवरियां, तह. कपासन
2.	श्री बड़ी पिता भैरु भील	विनोदा खेड़ा	श्री हजारी जाट, देवरियां, कपासन
3.	श्री बंशी/दयाराम चमार	करुकडा	श्री मांगीलाल महाजन, करूकडा, कपासन
4.	श्री चतरा/भीमाराम चमार	अनोदपुरा	श्री लक्ष्मण जाट, अनोदपुरा तह. कपासन
5.	श्री देवा पिता लहरू चमार	अनोदपुरा	श्री लक्ष्मण जाट अनोदपुरा, तह. कपासन
6.	श्री छोगा/लालू भील	मनोहर खेड़ा	श्री हरलाल जाट, मनोहर खेड़ा, कपासन
7.	श्री नन्दा/हीरा भील	गुजरो की आनन	श्री मारमल चौधरी, कपासन
8.	श्री बोतु/भैरा चमार	देवड़ा का खेड़ा	जीतमल पिता प्रताप जाट राना खेड़ा कपासन
9.	श्री लहरू/छोगा चमार	जवानपुरा	जगन्नाथ अहीर अडाना तह. राशमी
10.	श्री भीमा/छोगा चमार	जवानपुरा	राना अहीर . अडाना तह. राशमी
11.	श्री देवीलाल/अमरचन्द नायक	रामपुरा	हुकमा जाट लसाडियां, तह. राशमी
12.	श्री भैरा/रामलाल ढोली	वारू	मुकल जाट वारू, तह. राशमी
13.	श्री दामा/राम भील	पहुल	रामनिवास अजमेरा पहुल, राशमी
14.	श्री नारायण/रामा चमार	जवानपुरा	किसना अहीर अडाना, राशमी
15.	श्री लैला/भाग भील	अडाना	चतरू अहीर अडाना, राशमी
16.	श्री नारू/भाग भील	अडाना	मोती अहीर अडाना, राशमी
17.	श्री भोमा/देवा	लालपुरा	मोहन अहीर लालपुरा, राशमी
18.	श्री मोहनलाल/सोना अहीर	लालपुरा	मोहन अहीर लालपुरा, राशमी
19.	श्री नन्दा/नारू अहीर	लालपुरा	देवीलाल अहीर लालपुरा, राशमी
20.	श्री हीरा/एकलिंग चमार	मीरावां खेड़ी	भागूलाल मीरावा, खेड़ी, राशमी
21.	श्री किसना/गंगा भील	देवपुरी	माधवमल जाट नोअर, राशमी

तहसील राजगढ़ में वन विभाग की पहाड़िया

492. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ में छोटी-छोटी गैर मुमकिन पहाड़ियों को वन विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पहाड़ियों पर खातेदारी की काश्त की भूमि एवं कुएं हैं तथा अधिकतर पहाड़ियों पर सैकड़ों गांव बसे हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पहाड़ियों को वन विभाग में अवाप्त करते समय राजस्व विभाग एवं जन प्रतिनिधियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया?

(4) क्या सरकार इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही को रद्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा तहसील राजगढ़ की किन्हीं भी ऐसी भूमियों को अपने अधिकार में नहीं लिया गया है, जिस पर पहले से ही राज्य सरकार के अधिकार नहीं है।

(2) जी नहीं। यह विज्ञप्ति वन भूमियों अथवा भूमियों पर जो कि राज्य सरकार की सम्पत्ति है अथवा जिनमें सरकार के स्वत्व अथवा सरकार जिनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी भाग पर स्वत्वाधिकारी है, उन्हीं के सम्बन्ध में हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में राजस्थान वन बन्दोबस्त नियम, 1957 के अन्तर्गत सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

(3) उपरोक्त जांच के दौरान हर सम्बन्धित व्यक्ति को जिसने नियमानुसार कोई आपत्ति या दावा पेश किया हैं, सुनवाई का अवसर दिया जा रहा हैं।

(4) कार्यवाही नियमानुकूल है।

पंचायत समिति सुहाणा (भीलवाड़ा) का मुख्यालय

493. श्री **बिहारीलाल पारीक** (मांडल) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील के अन्तर्गत सुहाणा पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में कौन-कौनसी पंचायत आती हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार इस पंचायत समिति क्षेत्र का मुख्यालय सुहाणा के बजाय माण्डल नगर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं , तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील की एक भी पंचायत, पंचायत समिति सुहाणा के क्षेत्रधिकार में नहीं आती है।

(2) जी नहीं।

अलवर जिले के ग्रामों में किये गये आंखों के ऑपरेशन

494 श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के ग्राम-लोहा डेरा, विचाला जोड़िया, बागोर, खजूरीवास में फर्जी चिकित्सकों द्वारा आंखों के आपरेशन किये गये ? यदि हां, तो इन फर्जी चिकित्सकों द्वारा किये गये आपरेशन में कितने व्यक्तियों की आंखों की रोशनी जाती रही ? कृपया नाम व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त प्रकरण में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ?

(3) प्रशासन को उक्त प्रकरण की कब जानकारी प्राप्त हुई और अब तक इस प्रकरण के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार पीड़ित, निर्दोष ग्रामीणों को आर्थिक व अन्य सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की शिथिलता के कारण पिछले तीन वर्षों से फर्जी चिकित्सक अनेक जिलों में सक्रिय हैं ? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

(3) प्रथम सूचना दिनांक 19-12-82 को प्राप्त हुई । सभी जन नेताओं तथा राजकीय कर्मचारियों को सजग कर दिया गया है कि अवैध कैम्पों के बारे में जिलाधीश पुलिस को सूचना दें । कोई कैम्प बिना अनुमति के न लगने दें । समस्त जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस विषय में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

(4) अलवर जिले में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

(5) जी नहीं । शिथिलता नहीं । इस मामले में जन जागृति के अभाव में सूचना प्राप्त नहीं होती थी । इस सन्दर्भ में 8 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ।

ग्राम	व्यक्तियों के नाम	ऑपरेशन की गई आंख	नेत्रज्योति जाति रही
लोहाडेरा	1. भगवान	एक	एक (बायीं आंख)
बिचाला	1. गंगादीन	एक	एक (बायीं आंख)
	2. कृष्णा	दो	एक (दायीं आंख)
	3. शम्भू	एक	एक (बायीं आंख)
	4. मोहरसिंह	एक	एक (दायीं आंख)
जोडिया	1. मातादीन	एक	एक (बायीं आंख)
	2. पूसा	एक	एक (बायीं आंख)
	3. प्रभु	दो	एक (बायीं आंख)
बागोरा	1. मेरवी	दो	एक (दायीं आंख)
खजूरीवास	1. हजीरा खां	एक	एक (बायीं)
	2. हरबाई	एक	एक (बायीं)
	3. अमरासिंह	एक	एक (दायीं)
	4. ज्ञानी देवी	एक	एक (बायीं)
	5. सुगद	दो	दोनों आंख

ग्राम मंड (नागौर) की जल प्रदाय योजना

495. श्री **महाराम चौधरी** (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, नागौर के ग्राम मंड की जल प्रदाय योजना पर कार्य चालू है? यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी लागत आई है और काम सम्पूर्ण होने तक कितना पैसा लगेगा ?

(2) क्या उक्त योजना के लिये पाइप लाइन बिछाई गई है ? यदि हां, तो कितनी इन्च पाइप लाइन कितने किलोमीटर क्षेत्र में बिछाई गई है ?

(3) उक्त ग्राम में ट्यूब वेल कब खोदा गया एवं कितनी लागत आई ? क्या यह ट्यूब वेल चालू कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां 1 फरवरी, 1983 तक मंड पेयजल योजना पर 3.85 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। योजनानुसार शेष कार्यों पर 1.58 लाख रुपये और खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। 90 मि मी (तीन इन्च) व्यास की पी. वी. सी. पाइप लाइन 5 किलोमीटर लम्बाई में बिछाई गई है।

(3) ग्राम मंड में नलकूप माह अगस्त, 81 में खोदा गया जिस पर 44,280/- रुपये की लागत आई है। नलकूप अभी चालू नहीं किया गया है।

सिंचाई विभाग में पदोन्नत किये गये कनिष्ठ अभियन्ता

496. श्री **माणकमल मेहता** (पाली), श्री **सूरजपालसिंह** (भीनमाल), श्री **उदयराम धाकड़** (बड़ी सादड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 26-2-1979 को सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं के पद के लिये पदोन्नति (25 प्रतिशत क. अ., कोटा) के क्या नियम थे ?

(2) क्या एक उप-अभियन्ता, जिसने 26-2-1979 से पहले ए. एम. आई. ई. की परीक्षा पास करली हो तथा विभाग में 3 वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत हो, साथ ही उप-अभियन्ता पद पर विभाग द्वारा चयनित भी हो, 25 प्रतिशत क. अ., कोटा के तहत प्रमोशन के लिये सक्षम है ? यदि नहीं, तो विभाग ने दिनांक 26-2-1979, 3-4-1979 तथा 23-11-1979 को स. अ. के पद पर पदोन्नति आदेश किस नियम के तहत जारी किये ?

(3) प्रश्न के भाग 2 के तहत सक्षम क. अ. में से दिनांक 26-2-1979 तथा 3-4-1979 को किन-किन क. अ. की पदोन्नति की गयी तथा किन-किन क. अ. की पदोन्नति नहीं की गयी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दिनांक 3-4-1979 को प्रमोशन करने के बाद भी ऐसे क. अ. हैं जो प्रश्न के भाग 2 के अनुसार सक्षम थे लेकिन पदोन्नत नहीं किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें, साथ ही यह भी बताया जावे कि इनकी पदोन्नति क्यों नहीं की गई ?

(5) दिनांक 23-11-1979 को मुख्य अभियन्ता आदेश क्रमांक 1467, दिनांक 23-11-1979 से दो क. अ. के प्रमोशन किये गये, क. अ. दिनांक 26-2-1979 तथा 3-4-1979 को ही सक्षम थे, तो इनका दिनांक 23-11-1979 को पदोन्नति आदेश जारी क्यों किया गया ?

(6) क्या दिनांक 23-11-1979 को भी ऐसे क. अ. हैं जो प्रश्न के भाग 2 के अनुसार सक्षम हैं तथा दिनांक 3-4-1979 से पहले ए. एम. आई. ई. पास कर चुके हैं लेकिन उनको पदोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो विभाग अब उनकी पदोन्नति के बारे में क्या विचार रखता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान अभियान्त्रिक सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1954 में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन सं. एफ 1 (31) डब्ल्यू/69, दिनांक 10-7-1974 एवं एफ 15 (1)(167) सि 75, दिनांक 2-11-1976 के अनुसार कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया।

(2) जी हां।

(3) सूचना सदन के पटल पर रखी गई। सूची के भाग I व II में अंकित है।

(4) दिनांक 3-4-79 को पदोन्नत किये गये कनिष्ठ अभियन्ताओं के अलावा दो ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता हैं जिन्होंने 10-2-79 को ए. एम. आई. ई. परीक्षा उत्तीर्ण करली थी, परन्तु इनकी पदोन्नति

(श्री सिचाई मंत्री)
नहीं की जा सकी क्योंकि दिनांक 3-4-79 तक इनको उप-अभियन्ता की केडर से कनिष्ठ अभियन्ता की केडर में लिया जाना घोषित नहीं किया गया था। सूचना सदन के पटल पर रखी गई सूची के भाग (I) पर अंकित है।

(5) दिनांक 23-11-79 के आदेश द्वारा दो कनिष्ठ अभियन्ताओं सर्वश्री मंगतीलाल एवं गुल्शेन्द्रसिंह को पदोन्नत किया गया। उन्होंने दिनांक 5-8-78 को ए. एम. आई. ई. परीक्षा पास करली थी परन्तु इनको उप-अभियन्ता की केडर से कनिष्ठ अभियन्ता की केडर में दिनांक 3-3-79 व 25-5-79 को परिवर्तित किया गया। श्री मंगतीलाल एवं गुल्शेन्द्रसिंह की पदोन्नति 23-11-79 को इसलिए की गई क्योंकि इनसे कनिष्ठ अभियन्ताओं को दिनांक 25-2-79 एवं 3-4-79 को पदोन्नत कर दिया गया था।

(6) जी हां। 3-4-79 के पहले ए एम. आई. की परीक्षा पास दो कनिष्ठ अभियन्ता उपलब्ध हैं, जिनको पदोन्नति नहीं दी गई है, क्योंकि इनको उप-अभियन्ता से कनिष्ठ अभियन्ता की केडर में दिनांक 18-4-79 एवं 18-5-79 को परिवर्तित किया गया था। अब कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति कोटा में अब पद उपलब्ध होने के फलस्वरूप वरिष्ठता के अनुसार इनकी पदोन्नति किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अभी तक किसी ऐसे ए. एम. आई. ई. पासशुदा कनिष्ठ अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है जो कि इन दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के पश्चात् ए. एम. आई. ई. पास की हो।

I—सूची उन कनिष्ठ अभियन्ताओं की जिन्हें मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, के आदेश दिनांक 26-2-79 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया :—

क्र. सं.	नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	तदर्थ/ नियमित	ए. एम. आई. ई. परीक्षा पास करने की तिथि	उप-अभियन्ता क. अभियन्ता के पद पर परिवर्तित करने के आदेश का दिनांक
1.	श्री जे. एल. कोचर	14-2-70	नियमित	5/58	24-9-70
2.	श्री तरसेम लाल गुप्ता	8-4-64	,,	5-8-78	15-9-78
3.	श्री जुगल किशोर सिंगल	18-12-68	,,	5-8-78	24-2-77
4.	श्री जगदीश लाल टेलर	15-2-70	तदर्थ	जनवरी, 76	16-2-70
5.	श्री गुरुदेव सिंह	10-6-66	नियमित	5-2-78	13-7-78

II—सूची उन कनिष्ठ अभियन्ताओं की जिन्हें मुख्य अभियन्ता सिंचाई के आदेश दिनांक 3-4-79 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नत किया

गया :—

क्र.सं.	नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	तदर्थ नियमित	ए.एम.आई.ई. परीक्षा पास करने की तिथि	उप-अभि. से क. अभि. के पद पर परिवर्तित करने के आदेश का दिनांक
1.	श्री बलदेव कुमार सिंघल	16-2-70	तदर्थ	8/76	16-2-70
2.	श्री शंकर लाल	19-8-70	,,	8/76	19-8-70
3.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	3-8-70	,,	नियुक्ति से पूर्व	3-8-70
4.	श्री सीताराम टांक	16-9-70	,,	,,	16-9-70
III—सूची उन कनिष्ठ अभियन्ताओं की जिन्हें पदोन्नति नहीं दी गई :—					
1.	श्री सोहन लाल अग्रवाल	19-7-65	नियमित	10-2-79	18-4-79
2.	श्री हीरालाल कोठारी	6-12-68	नियमित	10-2-79	18-5-79

इन्होंने दिनांक 10-2-79 को ए.एम.आई.ई. परीक्षा पास की परन्तु इनका प्रमोशन दिनांक 26-2-79 तथा 3-4-79 के आदेश में इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें तब तक उप-अभियन्ता से कनिष्ठ अभियन्ता के कैडर में परिवर्तित नहीं किया गया था।

भीलवाड़ा जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषध व्यवस्था

497. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में विभिन्न श्रेणियों के आयुर्वेद औषधालय कितने हैं एवं उनमें दवाइयों का बजट कितना स्वीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विगत 3 वर्ष से स्वीकृत बजट के अनुसार उक्त जिले के विभिन्न श्रेणी के औषधालयों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हुई ? गत 3 वर्षों में प्रत्येक औषधालय में कितनी मूल्य की औषधियां उपलब्ध की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार भविष्य में स्वीकृत बजट के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में विभिन्न श्रेणियों के 135 राजकीय आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं। आलोच्य वर्ष 1982-83 में इन्हें 6,78,408-00 रुपये का औषध बजट स्वीकृत किया गया है।

(2) जी हां।

वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 (दिनांक 5-3-83 तक) में भीलवाड़ा जिले के औषधालयों को औषध वितरण की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

भीलवाड़ा जिले के औषधालयों/चिकित्सालयों को वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 दिनांक 5-3-83 तक में वितरित की गई औषधियों का विवरण

(रुपयों में)

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां औषधालय/चिकित्सालय संचालित है	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1.	शाहपुरा	16342	17754	11061
2.	भीलवाड़ा	35418	53198	25540
3.	गंगापुर	6460	2042	678
4.	जहाजपुर	4910	4661	235
5.	माण्डल	8185	6398	3470
6.	कटलर	2400	1280	568
7.	मादसी	1276	478	568
8.	लाछूडा	3230	1764	1434
9.	पडासोली	1900	1777	642
10.	मोड का निम्बाडा	3038	1581	2429
11.	शम्भमगढ़	2700	1895	1708
12.	संग्रामगढ़	1950	1464	1230
13.	आकडसादा	1530	2897	1025
14.	तिलोली	4440	3540	1441
15.	पाटन	1760	1464	765
16.	जगपुरा	2180	2431	890
17.	बरसनी	2200	1770	274

18.	कालियास	1800	1675	582
19.	बनेडा	4102	2484	1996
20.	सरदारनगर	1750	728	410
21.	रायला	5340	2578	3227
22.	कुण्डिया कलां	2280	761	1550
23.	मेघरात	1740	811	966
24.	वलदरखां	3270	2644	391
25.	गुलाबपुरा	7270	5130	2221
26.	सरेरी	1860	637	671
27.	खेजडी	1880	738	693
28.	आगूचा	4120	2985	1580
29.	कोटडी (हुरडा)	1450	836	568
30.	रूपाहेला	6750	1246	2203
31.	टोकरवाडा	816	703	463
32.	अमरगढ़	1075	698	595
33.	ऊलेला	1750	559	567
34.	रोपा	2065	535	1217
35.	लुहारी कलां	1375	522	567
36.	पीपलन्द	1470	722	393
37.	घीड	2315	632	568
38.	आमलदा	1500	741	523
39.	ईटूंदा	2120	701	937
40.	पण्डेर	1890	1247	635
41.	खेरूणा	1430	872	329
42.	गाडोली	2725	655	563
43.	जामोली	2225	650	275
44.	मरणीकलां	2000	1037	91

1	2	3	4	5
45.	धुवाला	2325	407	568
46.	बिहाडा	1920	1367	574
47.	कोटडी (कोटडी)	3522	449	2388
48.	नन्दराय	3290	2634	2187
49.	ग्राकोला	3200	2927	2780
50.	ग्राम्बा	2600	876	1053
51.	वनकाखेडा	2445	672	1167
52.	गेन्दलिया	1535	623	568
53.	सगतपुरिया	1985	552	1702
54.	दांतडा	1800	554	539
55.	बिसनियां	3120	3009	1483
56.	चान्दराते	1900	728	1170
57.	छापरेल	4100	301	722
58.	थाणा	2800	902	1396
59.	भगवानपुरा	6000	1372	576
60.	गोरखिया	1400	226	1089
61.	चिताम्बा	2000	545	1558
62.	मेजाबान्ध	1200	1410	1296
63.	बेमाली	3100	1446	568
64.	बावलास	2000	1006	882
65.	लेसवा	2100	793	1326
66.	ग्रमरी	1000	459	656
67.	लादूवास	2000	1194	291
68.	सिरडियास	1870	1365	466

69. जोधवा	2700	476	734
70. जंजोला	1115	1095	568
71. उमाजी का खेडा	2200	700	568
72. कांछोला	1655	2014	1355
73. थड़ोदा	1815	537	312
74. बरून्दनी	2770	790	668
75. महुवा	1730	1206	984
76. लाडपुरा	2000	572	559
77. चान्दजी का खेडा	2000	781	1254
78. छोटी बीजोलिया	2800	752	961
79. जलन्दरी	1330	1276	801
80. तिलस्वा	2300	1479	1946
81. धाकड़खेडी	1620	803	486
82. सरथला	820	503	568
83. मानपुरा (बीड़ का खेड़ा)	1325	954	770
84. श्यामपुरा	1575	748	955
85. खटवाडा	1442	727	408
86. धामनिया	1660	944	973
87. बोराना	2895	1353	1351
88. जडोल	1860	1213	1562
89. कोट	2460	286	1178
90. देवरिया	2375	675	568
91. नाहरी	1325	880	525
92. खांखला	2000	320	609
93. लाखोला	2250	8867	1160
94. सरगांव	1230	716	1502
95. पोटला	2330	514	1485
96. माझांवास	1630	658	581

1	2	3	4	5
97.	महेन्द्रगढ़ (ढोंसर)	3163	1899	2161
98.	सुवाणा	2909	1168	962
99.	हमीरगढ़	3925	656	826
100.	कारोई	3213	1347	2531
101.	गाडरमाला	3035	1095	1480
102.	दरीबा	1362	1404	1170
103.	मंगरोप	2432	1468	123
104.	उधारनिया	2058	3450	728
105.	बरडोद	1968	648	708
106.	दांथल	2235	577	752
107.	पीपली	1700	261	761
108.	कोदूकोठा	2807	505	2008
109.	कनछेन	1895	1485	1447
110.	फूलियां कलां	4925	1970	2487
111.	तसवारिया	2310	935	626
112.	तहनाल	1500	677	568
113.	धनोप	2550	1897	604
114.	ढ़ीकोला	2800	1014	686
115.	खामोर	4360	5779	1883
116.	आमली कलां	1920	1133	1093
117.	सांगरिया	1480	1021	749
118.	बच्छखेडा	6650	1277	466
119.	कौंठिया	1670	570	568
120.	भरनियारासा	3115	795	568

299

121. देवरिया	2350	903	591
122. डोहरिया	1450	1202	755
123. अरवड	1550	871	387
124. सांगानेर	6185	9214	3800
125. धानमण्डी	14500	7927	6917
126. रामपुरा	1710	1622	1054
127. उल्लई	1430	778	568
128. मूसी	2000	595	582
129. सरसिया	1390	736	563
130. डाबला	1965	552	1113
131. चीरखेडा	1390	1078	105
132. चावंडिया	1830	642	792
133. पालरा	1560	478	321
134. मांगटला	—	1483	39
135. बराना	—	1492	1363
136. शाहपुरा (होम्यो.)	16576	1658	10214
137. भीलवाड़ा (होम्यो.)	6429	6227	5700

नोट:—ग्राम बराना एवं मांगटला के आयुर्वेदिक औषधालय वर्ष 1980-81 में खुले हैं, इस कारण वर्ष 1980—81 की औषध सप्लाई की सूचना नहीं दी गई है ।

सरपंच, हमीरपुर (बानसूर) के विरुद्ध दर्ज मामला

498. श्री **बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के अधिकारियों द्वारा सरपंच, पंचायत, हमीरपुर, तहसील बानसूर के खिलाफ जांच के आधार पर पुलिस में दफा 109 आई. पी. सी. के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो यह केस पुलिस में कब दर्ज कराया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि काफी समय से यह केस पुलिस तफतीश में विचाराधीन है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार अब इस जांच कार्य को शीघ्र पूरा करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह केस दिनांक 11-8-82 को थाना बानसूर पर दर्ज हुआ था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जांच शीघ्र ही पूरी की जा रही है।

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न संख्या 467 की सूची

तहसील बेगूं में सर्वे की गई सिंचाई परियोजनाओं की सूची

योजना का नाम

1. ब्राह्मणी सिंचाई परियोजना (मध्यम)
2. रूपारेल सिंचाई परियोजना (लघु)
3. बूजडा सिंचाई परियोजना

(302)

परिशिष्ट 10

तारांकित प्रश्न संख्या 473 की सूची

एशियाड 82 के पदक विजेताओं की सूची

क्रमांक	खिलाड़ी का नाम	खेल	पदक
1.	कुमारी वर्षा सोनी	महिला हाकी	स्वर्ण पदक
2.	कुमारी गंगोत्री भंडारी	महिला हाकी	स्वर्ण पदक
3.	कैप्टिन जी. एम. खान	घुड़सवारी	स्वर्ण पदक
4.	श्री रिसालदार विशालसिंह	घुड़सवारी	स्वर्ण पदक
5.	श्री लक्ष्मण सिंह	गोल्फ	स्वर्ण पदक
6.	श्री दफेदार रघुबीर सिंह	घुड़सवारी	स्वर्ण पदक
7.	कुमारी हमीदा बानो	एथलेटिक्स	रजत पदक
8.	श्री गोपाल सैनी	एथलेटिक्स	रजत पदक
9.	डाक्टर कर्णी सिंह	निशानेबाजी	रजत पदक
10.	श्री राजकुमार	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
11.	श्री दफेदार प्रहलाद सिह	घुड़सवारी	कांस्य पदक

परिशिष्ट 11

तारांकित प्रश्न संख्या 474 का विवरण

तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों का वर्ष 1982-83 का स्वीकृत औषध बजट एवं जनवरी, 1983 तक वितरित की गई औषधियों का विवरण।

(रुपयों में)

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां औषधालय संचालित है	चिकित्सा पद्धति	स्वीकृत औषध बजट	वितरित औषधियों की धनराशि
1.	"अ" श्रेणी प्रतापगढ़	आयुर्वेद	28000	7362.80
2.	बरडिया	,,	4200	971.80
3.	रठाजना	,,	6100	834.90
4.	गादोला	,,	4900	3338.85
5.	धमलावद	,,	3700	2551.40
6.	बसाड़	,,	2900	1329.85
7.	वरमंडल	,,	3300	738.90
8.	सेलारपुरा	,,	5800	860.70
9.	धसावता	,,	2000	1115.40
10.	खेरोट	,,	6100	2717.05
11.	चूपना	,,	6400	1385.60
12.	श्यामपुर	,,	2100	603.80
13.	झांझली	,,	4100	1082.20
14.	कोटड़ी	,,	5700	1185.25
15.	सुहागपुरा	,,	2300	646.80
16.	सालमगढ़	,,	7300	1441.40
17.	झांसड़ी	,,	4600	1328.00
18.	बोरडिया	,,	4900	1580,70
19.	प्रतापगढ़	यूनानी	7900	3762.00
		योग :	1,12,300	34,837-40

(304)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 530 की सूची

पोकरण रिण में आवंटित भू-खण्डधारियों की सूची:—

(जिले के बाहर के लोगों को आवंटन)

क्र. सं. 1	आवंटिति का नाम 2	भू-खण्ड सं. 3	क्षेत्र एकड़ में
1.	श्री नाहरमल कोठारी, मदनगंज, किशनगढ़ (अजमेर)	78,79,80	30 एकड़
2.	श्री माणकचन्द कोठारी द्वारा गणेशीलाल शान्तिलाल, मदनगंज, किशनगढ़ (अजमेर)	95,96,97	30 ,,
3.	श्री कन्हैयालाल वैद्य द्वारा बाबूलाल सूरजमल, सरदारशहर (चूरू),	9,42,91	30 ,,
4.	श्री सोहनलाल प्रेमसुख, मदनगंज, किशनगढ़	105,106,107	30 ,,
5.	श्री बद्रीप्रसाद अग्रवाल, नाहटा पुत्र पूनमचन्द अग्रवाल, चैम्बर, चौपासनी रोड, जोधपुर	57, 70, 84	30 ,,
6.	श्री भंवरलाल वैद्य, 18, दुर्गादास पथ, मालवीय मार्ग, जयपुर	10, 11, 128	30 ,,
7.	श्री सुधीर अरुण, द्वारा कमला मेहता, 12, विवेकानन्द मार्ग, जयपुर	20, 29, 30	30 ,,
8.	श्री मोतीलाल वैद्य, के-18, दुर्गादास पथ, मालवीय मार्ग, जयपुर	77,40, 41	30 ,,
9.	श्री अशोक कुमार दुगड़ द्वारा अजय साल्ट सप्लायर, फलौदी	65, 66, 66,149	30 ,,
10.	श्री जतनलाल जैन द्वारा भंवरलाल वैद्य, के-18 दुर्गादास पथ, सी-स्कीम, जयपुर	81, 82, 83	30 ,,
11.	श्री रतनलाल जैन द्वारा भंवरलाल जैन, केयर आफ के-18, दुर्गादास पथ, सी-स्कीम, जयपुर	59, 72,86	30 ,,
12.	श्री केसरीचन्द वैद्य, के-18, दुर्गादास पथ, मालवीय मार्ग, जयपुर	12, 13, 21	30 ,,
13.	श्री सुरेन्द्रसिंह वैद्य द्वारा भंवरलाल वैद्य, के-18, दुर्गादास पथ, मालवीय मार्ग, जयपुर	14, 22, 23	70,,
14.	श्री राजेन्द्र कुमार बोथरा द्वारा भंवरलाल वैद्य, के-18, दुर्गादास पथ, मालवीय मार्ग, जयपुर	26, 27, 28	30 ,,
15.	श्री मगराज सेठिया द्वारा हरकचन्द नगराज सेठिया, सरदारशहर (चूरू)	4, 5, 6	30 ,,

1	2	3	4
16.	श्रीमती प्रभादेवी दुगड़ द्वारा भंवरलाल वैद्य, के-18, दुर्गादास पथ, जयपुर	37, 38, 39	30 एकड़
17.	श्री कुशलचन्द नाहटा, चम्पालाल कुशलचन्द नाहटा, सरदारशहर (चूरू)	51, 52, 53	30 ,,
18.	श्री पारसमल पूंगलिया द्वारा भंवरलाल वैद्य, के-18, दुर्गादास पथ, मालवीय मार्ग, जयपुर	43, 44, 45	30 ,,
19.	श्री हीरालाल पुत्र श्री रिद्धकरण, सरदारशहर (चूरू)	31, 32, 33	30 ,,
20.	श्री बच्छराज नाहटा द्वारा लक्ष्मी फैन्सी वस्त्रालय, पो. बिहारीगंज, जिला शहरसा	153, 154, 155	30 ,,
21.	श्री हंसराज नाहटा पुत्र वृद्धिचन्द, बिहारीगंज द्वारा लक्ष्मी फैन्सी वस्त्रालय, शहरसा	141, 142, 43	30 ,,
22.	श्री मंगलमल शर्मा पुत्र दुलाराम, वार्ड नं 4, सरदारशहर (चूरू)	165, 166, 167	30 ,,
23.	श्री भैरूराम शर्मा पुत्र रामलाल, वार्ड नं. 24, सरदारशहर (चूरू)	156, 157, 158	30 ,,
24.	श्री करणीसिंह सेठिया पुत्र हंसराज जैन मार्ग, सरदारशहर (चूरू)	162, 163, 164	30 ,,
25.	श्री विमलकुमार बरड़िया पुत्र फकीरचन्द, सरदारशहर द्वारा केवलचन्द मदनचन्द पो. सरदारशहर	159, 160, 161	30 ,,
26.	श्री अनोपचन्द बोरड़ पुत्र नानूराम द्वारा हरकचन्द नगराज, सरदारशहर (चूरू)	1, 2, 3,	30 ,,
27.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी दुगड़ द्वारा अनुविरत महिला मण्डल, सरदारहशहर (चूरू)	92, 93, 94	30 ,,
28.	श्री बुलीदान भाटी पुत्र मालमसिंह, ग्राम तापू, तहसील फलौदी	138, 139, 140	30 ,,
29.	श्री केवलचन्द बरड़िया पुत्र श्री नानूराम, सरदारशहर द्वारा केवलचन्द मदनचन्द सरदार-शहर	150, 151, 152	30 ,,

जिले के लोगों को आवंटन

1.	श्री बन्शीलाल चाण्डक, पोकरण	67, 68, 69	30 ,,
2.	श्री किशन बोहरा पुत्र श्री शिवराज बोहरा, द्वारा मोहनलाल किशनलाल, पोकरण	182, 183, 184	30 ,,
3.	श्री कन्हैयालाल कालूराम, नमक व्यापारी, पोकरण	58, 71, 85	30 ,,

1	2	3	4
4.	श्री बलदेव जोशी पुत्र इच्छालाल व्यास गली, पोकरण	118, 119, 120	30 एकड़
5.	श्री जीवनसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह, शिव भवन, पोकरण	210, 211, 212	30 ,,
6.	श्री गोपाल जोशी पुत्र श्री इच्छालाल जोशी, व्यास गली, पोकरण	17, 18, 19	30 ,,
7.	श्री समीर मोहम्मद पुत्र श्री शेरू खां, साकिन पोकरण	54, 55; 56	30 ,,
8.	श्री गजेन्द्रनाथ महेरसी, रिटायर्ड, नमक निरीक्षक (केन्द्रीय), पोकरण	209, 221, 222	30 ,,

कानोद-रावलता लवण क्षेत्र तहसील जैसलमेर (जैसलमेर)
(जिले के लोगों को आवंटन)

क्रमांक	आवंटिति का नाम व पता	भू खण्ड संख्या	क्षेत्र
1.	श्री राधाकिशन व्यास पुत्र श्री बोझराज व्यास, किले पर जंगापाड़ा, जैसलमेर	478, 479	20 एकड़

गुड़ी रिण लवण क्षेत्र, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर
(जिले के बाहर के व्यक्तियों आवंटन)

क्रमांक	आवंटिति का नाम व पता	भू. सं.	क्षेत्र एकड़ में
1.	मै. श्री राम निवास अग्रवाल, सांभरलेक मारफत मनभर दयाल हरजीवन, सांभरलेक	77, 78, 79	30
2.	श्री ज्यानकी देवी गोयल, सांभरलेक द्वारा गोयल भवन, सांभरलेक	210, 211, 212	30
3.	श्री मोहनलाल वालडका, नया शहर, कुचामन सिटी	119, 120, 121	30
4.	श्री गणपतराम टारिया पुत्र श्री नथमल टारिया, पो. बीदासर, जिला चूरू	297, 298, 299	30
5.	श्री मदनलाल जैन, मु. पो. ग्राम मलाड़ा (नागौर)	205, 206, 209	30
6.	श्री चम्पालाल पुत्र श्री मातीलाल सोमानी द्वारा श्री सीताराम मूदड़ा, गोपीनाथ मार्ग, एस. होलाराम भवन, न्यू कालोनी, जयपुर	218, 219, 220	30

कानोद रावलता लवण क्षेत्र, तहसील जैसलमेर
जिला जैसलमेर (जिले में आवंटन)

क्रमांक	आवंटिती का नाम व पता	भू. सं.	क्षेत्र एकड़ में
1.	श्री राधाकिशन पुत्र श्री बोझराज व्यास किलेपर जंगपाड़ा, जैसलमेर	478, 479	20

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 531 का विवरण

माह अप्रैल, 81 से मार्च, 1982 तक विभिन्न श्रेणी के उद्योगों पर की गई विद्युत कटौती का विवरण

माह 1	आवश्यक श्रेणी के उद्योग 2	सीमेंट उद्योग 3	प्राथमिकता एच.टी. उद्योग 4	गैर प्राथमिकता उद्योग 5	मध्यम उद्योग 6	लघु उद्योग 7
अप्रैल, 81	कोई कटौती नहीं 30 दिन	20 प्रतिशत 2 दिन 50 प्रतिशत 2 दिन 80 प्रतिशत 4 दिन 100 प्रतिशत 5 दिन कोई कटौती नहीं 17 दिन	30 प्रतिशत 2 दिन 50 प्रतिशत 2 दिन 80 प्रतिशत 5 दिन 100 प्रतिशत 5 दिन कोई कटौती नहीं 16 दिन	50 प्रतिशत 3 दिन 60 प्रतिशत 1 दिन 80 प्रतिशत 5 दिन 100 प्रतिशत 5 दिन कोई कटौती नहीं 16 दिन	100 प्रतिशत 2 दिन कोई कटौती नहीं 28 दिन	कोई कटौती नहीं 30 दिन
मई, 1981	कोई कटौती नहीं 31 दिन	20 प्रतिशत 6 दिन 30 प्रतिशत 2 दिन 50 प्रतिशत 5 दिन 60 प्रतिशत 3 दिन कोई कटौती नहीं 15 दिन	20 प्रतिशत 7 दिन 30 प्रतिशत 2 दिन 50 प्रतिशत 5 दिन 70 प्रतिशत 3 दिन कोई कटौती नहीं 14 दिन	30 प्रतिशत 7 दिन 40 प्रतिशत 2 दिन 60 प्रतिशत 5 दिन 70 प्रतिशत 3 दिन कोई कटौती नहीं 14 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन
जून, 81	कोई कटौती नहीं 30 दिन	20 प्रतिशत 2 दिन 30 प्रतिशत 2 दिन 40 प्रतिशत 5 दिन 50 प्रतिशत 1 दिन 60 प्रतिशत 20 दिन 100 प्रतिशत 1 दिन	30 प्रतिशत 2 दिन 40 प्रतिशत 1 दिन 50 प्रतिशत 5 दिन 70 प्रतिशत 21 दिन 100 प्रतिशत 1 दिन	30 प्रतिशत 2 दिन 40 प्रतिशत 1 दिन 50 प्रतिशत 5 दिन 70 प्रतिशत 1 दिन 100 प्रतिशत 1 दिन	50 प्रतिशत 18 दिन कोई कटौती नहीं 12 दिन	कोई कटौती नहीं 30 दिन

जुलाई, 81	कोई कटौती नहीं 31 दिन	30 प्रतिशत 1 दिन 50 प्रतिशत 7 दिन 60 प्रतिशत 2 दिन कोई कटौती नहीं 21 दिन	20 प्रतिशत 1 दिन 40 प्रतिशत 1 दिन 50 प्रतिशत 2 दिन 60 प्रतिशत 2 दिन कोई कटौती नहीं 20 दिन	20 प्रतिशत 1 दिन 40 प्रतिशत 1 दिन 50 प्रतिशत 2 दिन 60 प्रतिशत 2 दिन कोई कटौती नहीं 20 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन
अगस्त, 81	कोई कटौती नहीं 31 दिन	50 प्रतिशत 3 दिन कोई कटौती नहीं 28 दिन	50 प्रतिशत 3 दिन कोई कटौती नहीं 28 दिन	50 प्रतिशत 3 दिन कोई कटौती नहीं 28 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन
सितम्बर, 81	कोई कटौती नहीं 30 दिन	30 प्रतिशत 1 दिन कोई कटौती नहीं 29 दिन	30 प्रतिशत 1 दिन कोई कटौती नहीं 29 दिन	30 प्रतिशत 2दिन 50 प्रतिशत 2दिन कोई कटौती नहीं 28 दिन	कोई कटौती नहीं 30 दिन	कोई कटौती नहीं 30 दिन
अक्टूबर, 81	कोई कटौती नहीं 31 दिन	20 प्रतिशत 7 दिन 30 प्रतिशत 7 दिन 40 प्रतिशत 4 दिन कोई कटौती नहीं 13 दिन	20 प्रतिशत 7 दिन 30 प्रतिशत 7 दिन 40 प्रतिशत 4 दिन कोई कटौती नहीं 13 दिन	30 प्रतिशत 7 दिन 45 प्रतिशत 7 दिन 35 प्रतिशत 4 दिन कोई कटौती नहीं 13 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन
नवम्बर, 81	कोई कटौती नहीं 30 दिन	30 प्रतिशत 10 दिन 40 प्रतिशत 7 दिन 50 प्रतिशत 5 दिन कोई कटौती नहीं 8 दिन	30 प्रतिशत 10 दिन 40 प्रतिशत 7 दिन 50 प्रतिशत 4 दिन कोई कटौती नहीं 9 दिन	40 प्रतिशत 8 दिन 45 प्रतिशत 2 दिन 60 प्रतिशत 7 दिन 70 प्रतिशत 5 दिन कोई कटौती नहीं 8 दिन	50 प्रतिशत 5 दिन कोई कटौती नहीं 25 दिन	कोई कटौती नहीं 30 दिन

1	2	3	4	5	6	7
दिसम्बर, 1981	कोई कटौती नहीं 31 दिन	50 प्रतिशत 31 दिन	50 प्रतिशत 31 दिन	70 प्रतिशत 31 दिन	50 प्रतिशत 31 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन
जनवरी, 1982	कोई कटौती नहीं 31 दिन	40 प्रतिशत 3 दिन 50 प्रतिशत 9 दिन 65 प्रतिशत 1 दिन 100 प्रतिशत 18 दिन	40 प्रतिशत 3 दिन 50 प्रतिशत 9 दिन 65 प्रतिशत 1 दिन 100 प्रतिशत 18 दिन	60 प्रतिशत 3 दिन 70 प्रतिशत 9 दिन 100 प्रतिशत 19 दिन	50 प्रतिशत 16 दिन 100 प्रतिशत 15 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन (8 घंटे सप्लाई) ।
फरवरी 82	1. ऑक्सीजन गैस मैन्युफै. यूनिट कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इण्डस्ट्रीज 3. वेजिटेबल एण्ड एडीबल ऑयल इण्डस्ट्रीज ओन-रिमेनिंग केटेगरीज	50 प्रतिशत 1 दिन 60 प्रतिशत 1 दिन 70 प्रतिशत 23 दिन 100 प्रतिशत 3 दिन कोई कटौती नहीं 9 दिन कोई कटौती नहीं 28 दिन	60 प्रतिशत 1 दिन 70 प्रतिशत 11 दिन 100 प्रतिशत 16 दिन	80 प्रतिशत 10 दिन 100 प्रतिशत 18 दिन	50 प्रतिशत 11 दिन 90 प्रतिशत 14 दिन 50 प्रतिशत 1 दिन 100 प्रतिशत 2 दिन	कोई कटौती नहीं 28 दिन (8 घंटे सप्लाई) ।
मार्च, 1982	1. ऑक्सीजन गैस मैन्यू. यूनिट 2. कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इण्ड. 3. वेजिटेबिल एण्ड एडीबल ऑयल इण्डस्ट्रीज	50 प्रतिशत 31 दिन	70 प्रतिशत 8 दिन 70 प्रतिशत 8 दिन 80 प्रतिशत 5 दिन 80 प्रतिशत 5 दिन 100 प्रतिशत 4 दिन 100 प्रतिशत 4 दिन 18 से / 6 घण्टे 60 प्रतिशत 18 से. 6 घंटे 70 प्रतिशत 5 दिन 18 से. 6 घण्टे	60 प्रतिशत 8 दिन _0 प्रतिशत 8 दिन 100 प्रतिशत 15 दिन	50 प्रतिशत 20 दिन 60 प्रतिशत 7 दिन 100 प्रतिशत 4 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन (8 घंटे सप्लाई) ।
	4. प्राइस फैक्ट्री कोई कटौती नहीं 19 दिन	60 प्रतिशत 10 दिन कोई कटौती नहीं 22 दिन	90 प्रतिशत 6 से. 18 घंटे 8 दिन	80 प्रतिशत 8 से 18 दिन	90 प्रतिशत 6 से. 18 घण्टे 8 दिन	
	5. कोल्ड ड्रिंक्स मैन्यू. यूनिट्स		60 प्रतिशत 9 दिन	18 घंटे 1 दिन		

6. भोग रिमेनिंग केटेगरीज		कोई कटौती नहीं 31 दिन				
भोग						
20 प्रतिशत	—	17 दिन	15 दिन	1 दिन	—	—
30 प्रतिशत	—	22 दिन	24 दिन	11 दिन	—	—
36 प्रतिशत	—	—	—	7 दिन	—	—
40 प्रतिशत	—	19 दिन	16 दिन	12 दिन	—	—
45 प्रतिशत	—	—	—	9 दिन	101 दिन	—
50 प्रतिशत	—	18 दिन	80 दिन	24 दिन	101 दिन	—
60 प्रतिशत	—	26 दिन	31 दिन	26 दिन	1 दिन	—
65 प्रतिशत	—	1 दिन	1 दिन	—	—	—
70 प्रतिशत	—	31 दिन	43 दिन	69 दिन	1 दिन	—
80 प्रतिशत	—	9 दिन	10 दिन	21 दिन	—	—
100 प्रतिशत	—	31 दिन	44 दिन	58 दिन	23 दिन	—
कोई कटौती नहीं	365 दिन	131 दिन	129 दिन	125 दिन	219 दिन	365 दिन (1-1-82 से 8 घन्टे सप्लाई)

(भोग रिमेनिंग केटेगरीज)

1. ऑक्सीजन गैस मैन्यू. 50 प्रतिशत-50 दिन यूनिट्स
2. कोटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इण्ड. कोई कटौती नहीं 315 दिन।
3. वेजिटेबल एण्ड ऑयल इण्डस्ट्रीज।
4. भाइस फैक्ट्री 60 प्रतिशत 12 दिन एवं कोई कटौती नहीं 353 दिन।
5. कोल्ड ड्रिंक्स इण्डस्ट्रीज 60 प्रतिशत 9 दिन एण्ड कोई कटौती नहीं 356 दिन।

माह अप्रेल, 82 से फरवरी, 83 तक विभिन्न श्रेणी के उद्योगों पर की गई विद्युत कटौती का विवरण

माह	आवश्यक श्रेणी के उद्योग	सीमेन्ट उद्योग	प्राथमिकता एच. टी. उद्योग	गैर प्राथमिकता एच.टी. उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग
1	2	3	4	5	6	7
अप्रेल 82	(i) ऑक्सीजन मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स	60 प्र. सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक	70 प्र. सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक	60 प्र. 30 दिन	50 प्र. 30 दिन	कोई कटौती नहीं 30 दिन
	(ii) कॉटन, जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इंडस्ट्रीज 50प्र. 30 दिन	90 प्र. प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक 7 दिन	80 प्र. प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक 7 दिन			
	(iii) वेजिटेबल एवं एडिबल आयल इंडस्ट्रीज	50 प्र. 23 दिन	50 प्र. 23 दिन			
	(iv) आइस फैक्ट्रीज— 60 प्र. — 15 दिन (आइसक्रीम यूनिटों को छोड़कर) 50 प्र. — 15 दिन					
	(v) कोल्ड ड्रिंक्स यूनिट्स 60 प्र.—30 दिन एवं बाकी केटेगरीज— कोई कटौती नहीं— 30 दिन					

मई, 82	(I) ऑक्सीजन गैस यूनिट्स (II) कॉटन, जिनिंग व प्रेसिंग इण्डस्ट्रीज	50 प्र. 13 दिन	50 प्र. –13 दिन 30 प्र. –15 दिन	100 प्र.–6 दिन 50 प्र. –13 दिन	100 प्र.– 6 दिन 60 प्र.–13 दिन	100 प्र.–2 दिन 50 प्र.–16 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन
	(III) वेजिटेबल एवं इडीबिल ऑयल इंडस्ट्रीज (IV) आइस फैक्ट्रीज— (आइसक्रीम यूनिटों को छोड़ कर)	कोई कटौती नहीं 18 दिन	कोई कटौती नहीं 3 दिन	30 प्र.–9 दिन कोई कटौती नहीं 3 दिन	50 प्र.–10 दिन 40 प्र.– 2 दिन	कोई कटौती नहीं 13 दिन	
	(V) कोल्ड ड्रिंक्स यूनिट्स 60 प्र.—13 दिन एवं कोई कटौती नहीं 18 दिन—बाकी कैटेगरीज—कोई कटौती नहीं—31 दिन						
जून, 82	कोई कटौती नहीं–30 दिन	100 प्र.–2 दिन 75 प्र.–18 दिन 60 प्र. –3 दिन 40 प्र. –2 दिन 30 प्र. –2 दिन 20 प्र. –3 दिन	100 प्र. –2 दिन 75 प्र.–18 दिन 60 प्र. –3 दिन 40 प्र. –2 दिन 30 प्र. –2 दिन 20 प्र. –3 दिन	100 प्र. –18 दिन 80 प्र. –2 दिन 70 प्र. –3 दिन 50 प्र. –2 दिन 40 प्र. –2 दिन 30 प्र. –3 दिन	50 प्र. –20 दिन 20 प्र.–5 दिन कोई कटौती नहीं 5 दिन	कोई कटौती नहीं	
जुलाई, 82	कोई कटौती नहीं–31 दिन	100 प्र.–10 दिन 75 प्र. –6 दिन 50 प्र. –5 दिन 40 प्र. –1 दिन 30 प्र. –1 दिन 20 प्र. –5 दिन कोई कटौती नहीं 3 दिन	100 प्र.–11 दिन 75 प्र. –6 दिन 50 प्र. –5 दिन 40 प्र. – 1 दिन 30 प्र. –1 दिन 20 प्र. –4 दिन कोई कटौती नहीं 3 दिन	100 प्र. – 11 दिन 75 प्र. –6 दिन 60 प्र. –2 दिन 50 प्र. –4 दिन 40 प्र. –21 दिन 30 प्र. –4 दिन कोई कटौती नहीं 3 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन कोई कटौती नहीं 3 दिन	कोई कटौती नहीं–31 दिन	

1	2	3	4	5	6	7
अगस्त, 82	कोई कटौती नहीं—31 दिन	25 प्र. — 7 दिन कोई कटौती नहीं—24 दिन	25 प्र. — 7 दिन कोई कटौती नहीं—24 दिन	25 प्र. — 7 दिन कोई कटौती नहीं—24 दिन	कोई कटौती नही—31 दिन	कोई कटौती नहीं—31 दिन
सितम्बर, 82	कोई कटौती नहीं—30 दिन	100 प्र. — 2 दिन 60 प्र. — 18 दिन 33.33 प्र.— 4 दिन 20 प्र. — 1 दिन कोई कटौती नहीं—5 दिन	100 प्र. — 2 दिन 60 प्र. — 18 दिन 33.33 प्र. —4 दिन 20 प्र. — 1 दिन कोई कटौती नहीं—5 दिन	100 प्र. — 2 दिन 60 प्र. — 18 दिन 33.33 प्र. — 4 दिन 20 प्र. — 1 दिन कोई कटौती नहीं—5 दिन	कोई कटौती नहीं—31 दिन	कोई कटौती नहीं—31 दिन
अक्टूबर, 82	कोई कटौती नहीं—31 दिन	60 प्र. — 6 दिन 50 प्र. — 20 दिन 40 प्र. — 5 दिन	60 प्र. — 6 दिन 50 प्र. — 20 दिन 40 प्र. — 5 दिन	60 प्र. — 26 दिन 50 प्र. — 5 दिन	कोई कटौती नहीं—31 दिन	कोई कटौती नहीं—31 दिन
नवम्बर, 82	कोई कटौती नहीं—31 दिन	50 प्र. — 19 दिन कोई कटौती नहीं—11 दिन	50 प्र. — 19 दिन 34 प्र. — 1 दिन 30 प्र. — 1 दिन कोई कटौती नहीं—9 दिन	60 प्र. — 20 दिन 40 प्र. — 1 दिन 40 प्र. — 1 दिन कोई कटौती नहीं—9 दिन	कोई कटौती नहीं—	कोई कटौती नहीं

दिसम्बर, 82	कोई कटौती नहीं 31 दिन	कोई कटौती नहीं 17 दिन 50 प्रतिशत 14 दिन	कोई कटौती नहीं 17 दिन 50 प्रतिशत 14 दिन	कोई कटौती नहीं 17 दिन 50 प्रतिशत 14 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन	कोई कटौती नहीं 31 दिन
जनवरी, 83						
(1) ऑक्सीजन गैस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (2) कोल्ड स्टोरेज (3) हॉस्पिटल्स (4) वाटर वर्क्स (5) डेयरीज (6) रेलवे वर्कशोप (7) पी. एण्ड टी. विभाग	100 प्र. कटौती 1 दिन कोई कटौती नहीं 30 दिन	100 प्रतिशत कटौती 1 दिन 50 प्रतिशत कटौती 11 दिन	100 प्रतिशत कटौती 22 दिन 60 प्रतिशत कटौती 1 दिन 50 प्रतिशत कटौती 8 दिन	100 प्रतिशत कटौती 23 दिन 60 प्रतिशत कटौती 1 दिन 50 प्रतिशत कटौती 7 दिन	100 प्रतिशत कटौती 2 दिन 50 प्रतिशत कटौती 19 दिन कोई कटौती नहीं 10 दिन	कोई कटौती नहीं 11 दिन 8 घंटे सप्लाई 21 दिन
(8) कोटन जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज		100 प्रतिशत कटौती 13 दिन 50 प्रतिशत कटौती 9 दिन कोई कटौती नहीं 9 दिन				
(9) शुगर इण्डस्ट्रीज		100 प्रतिशत कटौती 14 दिन 50 प्रतिशत कटौती 8 दिन कोई कटौती नहीं 9 दिन				

1	2	3	4	5	6	7
10.	श्रार. एस. एम. एम. श्रामरकोटरा	100 प्रतिशत कटौती 14 दिन कोई कटौती नहीं 17 दिन				
11.	कैटल फीड प्लांट्स श्रॉफ. श्रार. सी. डी. एफ लिमिटेड, ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर स्टेट टेनरीज, टोंक	100 प्रतिशत कटौती 19 दिन कोई कटौती नहीं 12 दिन				
जनवरी, 83	शेष श्रेणियां	100 प्रतिशत कटौती 22 दिन कोई कटौती नहीं 9 दिन				
फरवरी, 83						
वेजिटेबिल एण्ड खाद्य तेल उद्योग	कोई कटौती नहीं 3 दिन 100 प्रतिशत कटौती 14 दिन 97 प्रतिशत कटौती 1 दिन	100 प्रतिशत कटौती 14 दिन 97 प्रतिशत कटौती 3 दिन 95 प्रतिशत कटौती 3 दिन 50 प्रतिशत कटौती 1 दिन	100 प्रतिशत कटौती 14 दिन 97 प्रतिशत कटौती 3 दिन 95 प्रतिशत कटौती 3 दिन 50 प्रतिशत कटौती 2 दिन	100 प्रतिशत कटौती 15 दिन 97 प्रतिशत कटौती 3 दिन 95 प्रतिशत कटौती 3 दिन	100 प्रतिशत कटौती 2 दिन 97 प्रतिशत कटौती 1 दिन 95 प्रतिशत कटौती 3 दिन 50 प्रतिशत कटौती 22 दिन	कोई कटौती 28 दिन 8 घंटे सप्ताह

95 प्रतिशत
कटौती 3 दिन
50 प्रतिशत
कटौती 7 दिन

(2) कोल्ड ड्रिंक्स एण्ड ब्रेवरीज

कोई कटौती नहीं
10 दिन
100 प्रतिशत
कटौती 14 दिन
97 प्रतिशत
कटौती 1 दिन
95 प्रतिशत
कटौती 3 दिन

लोड अपटू 500 होर्सपावर्स एण्ड अदरर्स—90 प्रतिशत

फोर कन्कटेड
75 प्रतिशत 7 दिन

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 533 से सम्बन्धित सूचना

परिशिष्ट 'अ'

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 हेतु जिलेवार प्रावधान

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	जिला	विकास खण्डों की संख्या	प्रावधान वर्ष 1982-83
1	बांसवाड़ा	8	111. 18
2.	डूंगरपुर	5	78. 99
3.	उदयपुर	3	64. 77
4.	अजमेर	2	20. 06
	कुल ..	18	275. 00

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन मरुस्थलीय जिलों को मरु. विकास कार्य क्रम में समायोजित किया गया है, उन जिलों की पूर्व दायित्वों को प्रावधित किये जाने हेतु वर्ष 1982-83 हेतु जिलेवार प्रावधान :—

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	जिला	विकास खण्डों की संख्या जिन्हें मरु-विकास कार्यक्रम में समायोजित कर दिया गया	प्रावधान वर्ष 1982—83
1.	जोधपुर	9	85. 53
2.	नागौर	11	98. 64
3.	पाली	10	88. 56
4.	जालोर	7	28. 32
5.	बाड़मेर	8	59. 02
6.	बीकानेर	[illegible]	93. 37
7.	जैसलमेर	4	72. 77
8.	चूरू	7	41. 96
9.	झुन्झुनू	2	8. 40
10.	परि. रचना प्रकोष्ठ		8. 43
	कुल ...	61	585. 00 लाख

वर्ष 1982 में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम हेतु पूर्व में 8.60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित था परन्तु "टास्क फोर्स कमेटी" की सिफारिश के अनुसार अब प्रावधान 2.75 करोड़ रुपये का ही प्रस्तावित है तथा शेष राशि 5.85 करोड़ रुपये का प्रावधान केवल पूर्व दायित्वों को प्रावधित किये जाने हेतु प्रस्तावित है ।

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 535 की सूचियां

परिशिष्ट "क"

सूची अपराध जिनका न्यायालय में चालान पेश किया गया
दिनांक 1-1-82 से 31-1-83 तक

क्रम संख्या	अपराध सं.	विरुद्ध	चालान दि.
(1)	10-2-79 15-11-79	श्री भीमसिंह चौपड़ा, सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, उदयपुर	26-8-82
(2)	40/81 14-8-81	श्री नवल सिंह, पटवारी, ग्राम ऊमेर हल्का निधौरी, तहसील वाड़ी, जिला भरतपुर	14-4-82
(3)	53/80 20-8-82	श्री मुन्नालाल गुप्ता, सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोर्ट धौलपुर	4-5-82
(4)	31/81 30-6-81	श्री जवाहरसिंह, पटवारी, तहसील टी बी, सांगरिया, जिला गंगानगर	25-6-82
(5)	33/81 13-7-81	श्री रतनलाल बैरवा, एल. डी. सी. सेल्स टैक्स चौकी, देवली, कोटा	29-9-82
(6)	19/81 21-4-81	श्री रामदेव प्रसाद अमीन, हकीमुन्ती बहरोड़, जिला अलवर	6-9-82
(7)	37/81 14-8-81	श्री सत्यनारायण, अमीन, सेटलमेंट विभाग, रींगस, सीकर	31-8-82
(8)	14/81 19-3-81	श्री रोशन लाल तिवाड़ी, सहायक लोक अभियोजक (द्वितीय), जयपुर	30-8-82
(9)	21/81 12-5-81	श्री विरधीचन्द जैन, जिला रसद अधिकारी, अलवर	16-10-82
(10)	47/81 16-9-81	श्री मोन्दूराम, एल.डी.सी., तहसील कार्यालय, रामगढ़, जिला अलवर	24-11-82
(11)	53/81 13-10-81	श्री नारायणसिंह, सहायक थानेदार, थाना कुम्हेर, चित्तौड़गढ़	17-12-82
(12)	73/80 6-12-80	श्री कैलाशचन्द, यातायात निरीक्षक, गंगानगर	20-1-83
(13)	45/81 8-9-81	श्री ईशवर खींची, इन्सपेक्टर, सेल्स टैक्स, कोटा	15-1-83
(14)	84/79 23-9-79	श्री शिवलाल पुत्र श्री लाहर लाल, लाखा का खेड़ा, चित्तौड़गढ़	27-1-83

परिशिष्ट 'ख'

अनुसन्धानाधीन अपराधों की सूची दिनांक 1-1-1982 से 31-1-1983

क्रम संख्या	अपराध संख्या	अभियुक्त का नाम व पता
1	2	3
1.	1/70	श्री पी.एन. आजाद, कनिष्ठ अभियन्ता, मत्स्य विभाग, चित्तौड़गढ़
2.	1/78	श्री सत्यनारायण गुप्ता, एक्स-ई.-एन., जलदाय विभाग, जयपुर
3.	24/78	श्री कन्हैयालाल, क. लि., परिवहन विभाग, अजमेर
4.	1/79	डॉ. मोहम्मद तांवर, भू. पू. अधीक्षक, पशु प्रजनन फार्म, हनुमानगढ़
5.	24/79	श्री विष्णु लाल शर्मा, आबकारी निरीक्षक, कोटा
6.	41/79	श्री प्रहलाद सिंह यादव, भू.पू. प्रधान. पंचायत समिति, बहाना, हाल सरपंच
7.	42/79	,, ,,
8.	43/79	,, ,,
9	51/79	श्रीमती मंजू सिंघल एवं कर्मचारी, समाज कल्याण विभाग, पाली
10.	52/79	श्री ओमप्रकाश, विकास अधिकारी, सूरतगढ़ श्री मनोहर लाल, ग्राम सेवक, हनुमानगढ़
11.	71/79	श्री एस.के.ऐरन., भू. पू. सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर
12.	75/79	श्री मनोहरलाल रेन्जर, वन विभाग, बांसवाड़ा
13.	93/79	श्री फिरंगीलाल गिरदावर व शीशपाल पटवारी तहसील, टीबी अनूपगढ़ ।
14.	2/80	श्री रामलाल डाबी, भू.पू. सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर
15.	11/80	श्री अमरनाथ भारद्वाज, भू.पू. क्षेत्रीय वन अधिकारी कन्वास, कोटा,
16.	12/80	श्री महेन्द्रसिंह, कार्यालय अधीक्षक, शुगर मिल्स लि०, श्री मदन मोहन रामपाल क्लर्क, श्री गंगानगर ।
17	13/80	श्री मोहनसिंह, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, पाली
18.	19/80	श्री ओम प्रकाश ए ई-एन. कृषि उपज मंडी समिति, जोधपुर
19.	25/80	श्री मिलाप चन्द जैन, स्वा. अधि., नगरपरिषद, जयपुर
20.	30/80	श्री जशनदास भाटिया, एक्स ई-एन, क्षेत्रीय अनुसंधान, सिंचाई विभाग, कोटा ।
21.	32/80	श्री लूणाराम सरपंच, श्री रामराम उर्फ राम सिंह, उप-सरपंच, श्री छोगाराम विशनोई, श्री कन्हैयालाल ।
22.	42]80	श्री भंवरलाल सोनी, क. लि., उप-निदेशक, घड़साना. अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर ।
23.	43/80	श्री रामनारायण चौधरी, भू. अधि. अजीतसिंह गोर्वधनसिंह, राजस्व आयुक्त, श्री गंगानगर ।
24.	44/80	श्री राधाकृष्ण पाटक, साल्ट मैनेजर, आर०एफ०सी०, डीडवाना, जिला नागौर ।
25.	46/80	श्री भवानीप्रसाद, पीए टू कलक्टर, जिला जयपुर
26.	47/80	श्री दीनबंधु आचार्य, स्वा. अधिकारी, नगर परिषद्, गोर्वधन दास, जयपुर ।
27.	51/80	श्री हंगामीलाल, भू. पू. तहसीलदार, डूंगरपुर, जिला उदयपुर

1	2	3
28.	57/80	श्री जे. एन. माथुर, निदेशक, स्थानीय निकाय राज., जयपुर
29.	59/80	श्री जालमसिंह केशराम, उद्योग निरीक्षक, जिला उद्योग विभाग, जालोर ।
30.	63/80	श्री फललाल, उप-अभियन्ता, नगरपालिका, हिण्डौन, स. माधोपुर
31.	64/80	श्री हरमेन्द्रसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री ईश्वरसिंह, सहा. अभि., सिंचाई विभाग, बूंदी ।
32.	66/80	श्री ए. एन. सक्सैना, अधि. अभि., श्री एम. सी. गुप्ता, सहा. अभि., ओ. पी. कथूरियां, ओवरसियर एवं अन्य ।
33.	67/80	,,
34.	68/80	,,
35.	69/80	,,
36.	70/80	,,
37.	74/80	श्री चन्द्रपालसिंह, यातायात निरीक्षक, यातायात विभाग, जयपुर
38.	76/80	कर्मचारीगण, नगरपालिका, रावतसर, हनुमानगढ़ जंक्शन
39.	77/80	श्री ओमदत्त शर्मा, रिटायर्ड आर. ए. एस., भू. पू. आबकारी अधिकारी, कोटा ।
40.	78/80	श्री ए. एन. सक्सैना, अधि. अभि., श्री एम. सी. गुप्ता, सहा. अभि., श्री ओ. पी. कथूरिया, ओवरसियर, श्री तंवरमल, श्री कल्याण सहाय भण्डारी, बांध सिंचाई विभाग, जयपुर ।
41.	79/80	,,
42.	80/80	,,
43.	81/80	,,
44.	82/80	,,
45	83/80	,,
46.	84/80	,,
47.	85/80	,,
48.	6/81	श्री मांगीलाल अमीन, सैटलमेंट विभाग, नवलगढ़, जिला सीकर
49.	11/81	श्री शिवदानसिंह, सहा. वि. सिंचाई विभाग, जोधपुर
50.	12/81	श्री गिरधारीलाल पारीक, निवासी बीकानेर
51.	22/81	श्री परमालसिंह, उप. अभि. सिंचाई विभाग, अलवर, श्री समेत, सिंचाई विभाग, अलवर
52.	23/81	श्री आशाराम, सहा. पुलिस उप-निरीक्षक, ट्रेफिक ब्रांच, नागौर ।
53.	25/81	श्री रामखिलाडी शर्मा, स्वा. निरी., प्र. स्वा. केन्द्र, बाड़ी, जिला भरतपुर ।
54.	26/81	श्री अवतार नारायण सक्सेना, एक्स.ई.एन., सिंचाई विभाग, जयपुर ।
55.	28/81	श्री परमालसिंह, उप.-अभि., श्री छोटेराम, गजनेर, सिंचाई विभाग, राजगढ़, अलवर ।
56.	32/81	श्री रामस्वरूप, अधि. अभि., सा. नि. वि. व श्री दाऊलाल, श्री अमर सिंह, सा. नि. वि., जोधपुर ।

1	2	3
57.	34/81	श्री पी.एस राजवंशी, मु.अभि.जन. स्वा.विभाग, जयपुर
58.	41/80	श्री जोगेन्द्र सिंह, सहा. निदेशक एवं अन्य, कृषि भू. संरक्षण विभाग, डूंगरपुर।
59.	42/81	श्री दामोदर लाल सोलंकी, तहसीलदार, जैतारण, पाली
60.	43/81	श्री हरिश चन्द्र गर्ग, अधि. अभि., श्री सुलतान सिंह, श्री संतकुमार नेपा, नगरपालिका, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।
61.	44/81	श्री सालिगराम, उप-क्षेत्रीय रेंज, खानपुर, श्री जगन्नाथ जटिया, वनपाल, रेंज खानपुर, कोटा।
62.	45/81	श्री मोहनलाल लूणा, पटवारी, हल्का मन्सलाना, जिला नागौर
63.	48/81	श्री ज्ञानचंद अजमेरा, सर्वेलेंस इन्स्पेक्टर चि. स्वा. विभाग, जयपुर,
64.	55/81	श्री कल्याण सिंह, भार साधक अधिकारी, हरनावदा, कोटा
65.	61/81	श्री शशिकुमार वैश्य, अधि. अभि., जन. स्वा. अभि विभाग, उदयपुर व अन्य।
66.	62/81	श्री चावंड दान देवल, आर. ए. एस., उप निदेशक,न. प. पाली
67.	64/81	अधिकारीगण, रा. रा. प. प. निगम, राज., जयपुर
68.	1/82	श्री रेखराज लोढ़ा, अधि. अभि., न. पा., मांडल, नागौर
69.	2/82	श्री रामसहाय, श्री कन्हैयालाल, श्री ललित किशोर व श्री दिनेश चन्द्र वैध इत्यादि, जयपुर।
70.	3/82	श्री शिवरतन ओवरसियर, सा. नि. वि. व अन्य, उदयपुर
71.	4/82	श्री एम. एम. सोनी, अधि. अभि., श्री रामरतन गुप्ता, सहा. अभि. सिविल डिविजन, रावत भाटा, कोटा।
72.	5/82	श्री अमरसिंह, पटवारी, हल्का धेधड़ा, उपनिवेशन, बीकानेर
73.	7/82	श्री भरतसिंह शेखावत, डिस्ट्रिक्ट कमांडेन्ट, होमगार्ड, उदयपुर एवं अन्य।
74.	8/82	श्री एस. आलम, तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर
75.	9/82	श्री हिम्मतसिंह, एस.आई., श्री अभयसिंह, एस.आई., श्री रामप्रसाद, पुलिस उप-अधीक्षक, थाना मकराना, नागौर।
76.	10/82	श्री श्यामप्रतापसिह राठौड़, पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर
77.	11/82	श्री आर. पी. विजय, उप-निदेशक, खादी जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
78.	13/82	श्री कालूराम जाटव, पटवारी, तहसील बैर, जिला भरतपुर
79.	14/82	श्री आर. के. पाठक, साल्ट मैनेजर, आर. एफ. सी. डब्लू. डीडवाना, नागौर।
80.	15/82	श्री भूरचन्द जैन, अति. मुख्य. अभि., श्री भागचन्द एवं अन्य, सिंचाई विभाग, वृत्त उदयपुर।
81.	16/82	श्री जगदीश लाल, मोटर व्हिकल इन्सपेक्टर, आर. टी. ओ., श्री सुभाषचंद, ड्राइवर, श्री प्रतापनारायण दलाल, ट्रांसपोर्ट, उदयपुर
82.	19/82	श्री विजय कुमार मित्तल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, जयपुर
83	21/82	श्री पी. डी. पी. मैयर, वरिष्ठ लिपिक, आर. एस. ई. बी., नागौर।

1	2	3
84.	22/82	श्री रामलाल डाबी, आर. ए. एस., भू. पू. सचिव, न. वि. न्यास, जयपुर ।
85.	23/82	,, ,, ,, ,,
86.	24/82	श्री कैलाशचंद गुप्ता, क. लि., सचिवालय, ग्रुप-8 जयपुर, श्री महावीर प्रसाद वैद्य, चि. अधि., आयर्वेद चिकि. सचिवालय, जयपुर ।
87.	26/82	श्री रामलाल डाबी, आर. ए. एस., भू. पू. सचिव, न. वि. न्यास, जयपुर ।
88.	27/82	,, ,, ,, ,,
89.	28/82	,, ,, ,, ,,
90.	29/82	,, ,, ,, ,,
91.	30/82	,, ,, ,, ,,
92.	31/82	श्री सत्यनारायण शर्मा, व. लि., श्री बाबूनारायण, व. लि., श्री शंकरलाल शर्मा, श्री वैद्य नरसिंहलाल, वैद्य आर. कुमार शर्मा, हकीम गुलामनवी, औषधालय, जयपुर ।
93.	32/82	श्री रामलाल डाबी, आर. ए. एस., भू. पू. सचिव, न. वि. न्यास, जयपुर ।
94.	33/82	,, ,, ,,
95.	34/82	,, ,, ,, ,,
96.	35/82	,, ,, ,, ,,
97.	36/82	,, ,, ,, ,,
98.	37/82	,, ,, ,, ,,
99.	38/82	,, ,, ,, ,,
100	39/82	,, ,, ,, ,,
101.	40/82	,, ,, ,, ,,
102.	41/82	श्री भगतसिंह, सहायक अभियन्ता, नगर सुधार न्यास, जोधपुर
103.	42/82	श्री नन्दलाल मेनारिया, पटवारी, हल्का चारगडिया, तह. वल्लभ-नगर, जिला उदयपुर ।
104.	43/82	अधिकारीगण, सिंचाई विभाग, जयपुर
105.	44/82	श्री रामस्वरूप,पटवारी, हल्का मलारना चौड, जिला सवाई माधोपुर
106.	45/82	श्री राधेलाल शर्मा, लेखाकार, श्री अजीतकुमार थावानी, क. लि., रा. रा. प. प. निगम, जयपुर ।
107.	46/82	श्री सुरेशचन्द्र माथुर, भू. पू. सरपंच, ग्रा. प., गोविन्दगढ़ व श्री सेडूराम यादव, सदस्य, ग्राम.प. श्री रामस्वरूप, श्री गुलजारीलाल, गोविन्दगढ़ ।
108.	47/82	श्री रामगूजर, प्रधानाध्यापक, राजस्थान प्राथमिक विद्यालय, केसवाना, राजपूत, कोटपूतली, जि. जयपुर
109.	48/82	श्री हरीसिंह मोगरा, विशेषज्ञ एवं उ. म. वि. एवं स्वा. अ. प. क. स., डूंगरपुर ।
110	49/82	श्री ताराचन्द पटवारी, हल्का इन्द्रपुरा, जिला अलवर

(324)

1	2	3
111.	51/82	श्री रेवड़मल, पटवारी एवं अन्य, स. माधोपुर
112.	52/82	श्री हिम्मतराम, कैशीयर, रा. न. प., रावतसर, श्री गंगानगर
113	53/82	श्री राजीव, सरपंच, भू. पू. ग्रा. प., प्रणत, पंचायत समिति धारियावद, जि. उदयपुर ।
114.	54/82	श्री प्रहलादचन्द शर्मा, गिरदावर, हल्का बड़ी, तह. जमवारामगढ़, जि. जयपुर, श्री रामदयाल शर्मा पटवारी, जयपुर ।
115.	55/82	श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, ए.पी.पी. (II) जे.एम.कोर्ट नं. 3, कोटा ।
116.	56/82	श्री दीनबन्धु आचार्य, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद्, जयपुर
117.	57/82	श्री गोपालसिंह, उप-अधीक्षक, पु, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा
118.	58/82	डा. अमृतलाल सोनी, इन्चार्ज, पी.एच.सी., मोलासर, नागौर
119	59/82	श्री महेन्द्र जोशी, उप-क्षेत्रीय वन अधिकारी, शिव, जिला बाड़मेर
120.	60/82	श्री महेशकुमार शर्मा, सहायक शस्य विज्ञानी, राजकीय कृषि फार्म, सवाई माधोपुर ।
121.	61/82	डा. ओमप्रकाश खण्डेलवाल, मेडिकल आफिसर, पी.एच.सी., मोडक, जिला कोटा ।
122.	62/82	अधिकारीगण, सा.नि.वि., खण्ड द्वितीय जोधपुर व बाडमेर तथा ठेकेदारान, बाड़मेर ।
123.	63/82	श्री करणीसिंह, राठौड, उपायुक्त, उपनिवेशन, सूरतगढ़, लादुराम पटवारी, ग्राम रघुनाथपुरा, उप निवेशन तहसील नं.3, सूरतगढ़, जिला गंगानगर ।
124.	64/82	श्री जगदीशचन्द्र गोयल, वनमाल, सूरजपोल, जयपुर
125.	65/82	श्री कैलाशचन्द्र, कैशियर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
126.	66/82	डाक्टर श्री जुगलकिशोर शर्मा, मेडिकल ज्यूरिस्ट, महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा ।
127.	67/82	श्री नथूलाल विजय, अधि. अधि. विकास अधिकरण, अजमेर ओ. पी., उदयपुर ।
128.	68/82	श्री मूलचन्द सैनी, पटवारी हल्का नं. 2, ब्राह्मण बेराडा, जिला जयपुर, श्री नारायणलाल सैनी, हाल गिरदावर, वृत्त नं. 2, सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जयपुर ।
129.	69/82	श्री आलमचन्द पटवारी, हल्का लावंडी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर ।
130.	70/82	डा. मोहम्मद ताहीर, भू. पू. अधीक्षक, पशु प्रजनन केन्द्र, रघुनाथपुरा ।
131.	71/82	श्री रामजस एवं अन्य सरपंच आमलीकला, जिला भीलवाड़ा
132.	72/82	अधिकारी/कर्मचारीगण, सा. नि. वि., बाड़मेर व अन्य एवं जोधपुर ।
133.	73/82	बांकेबिहारी लाल गुप्ता, बी.डी.ओ., पंचायत समिति, इटावा, जिला कोटा ।
134.	74/82	श्री अर्जुनसिंह, सरपंच, ग्राम पं. रोडा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर

1	2	3
135.	75/82	श्री गिरधारीलाल, व. लि. रीडर, उप-जिलाधीश, राजगढ़, जिला चूरु एवं श्री जयसिंह, व.लि., कार्यालय एस.डी.ओ., राजगढ़, जिला चूरु ।
136.	76/82	श्री फकीर अली, व. लि., रा. न. प., सुरतगढ़
137.	77/82	श्री रामकरण, एस. एच. ओ., अलीगढ़, श्री कन्हैयालाल नायक थाना अलीगढ़ का. नि. 244, जिला टौंक ।
138.	78/82	श्री लल्लूखां एस.एच.ओ. थाना किशनगढ़वास, जिला अलवर
139.	80/82	श्री जे. एन. मित्तल, कनि. अभि., रा. न. प.
140.	81/82	,, ,, ,,
141.	82/83	श्री राम लुभाया, ई. एन., आर. सी. पी.
142.	83/82	,, ,, ,,
143.	84/82	श्री लक्ष्मणसिंह, जे.ई.एन., रा. न. परियोजना एवं श्री बजरंगलाल, जे.ई.एन., राजस्थान नहर परियोजना ।
144.	85/82	श्री जानकीलाल, पटवारी, हल्का छत्तरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला कोटा ।
145.	86/82	श्री सत्यनारायण शर्मा, रिकार्ड कीपर, नगर परिषद, जयपुर
146.	87/82	श्री बनवारीलाल गुप्ता, लेखाकार, श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, जूनियर एकाउन्टेन्ट, रा. रा. प. प. निगम, अलवर ।
147.	88/82	श्री भागचन्द जैन, विकास अधिकारी, श्री नरपतसिंह, व. लि., प. सं., डेगाना, नागौर ।
148.	89/82	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अति. जिलाधीश, विकास परियोजना अभिकरण, स. माधोपुर ।
149.	90/82	श्री भंवरलाल जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत, लूणीयावास, तहसील सांभर, जिला जयपुर ।
150.	1/83	श्री वी. डी. जोशी, सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग, अलवर, हाल सहायक अभियन्ता, केन्द्रीय शाला, जोधपुर ।
151.	2/83	श्री आर. के. पाठक, साल्ट मैनेजर, डीडवाना, श्री अमरसिंह, क. लि. फर्म अरविन्द साल्ट सप्लायर्स व लक्ष्मी एण्ड कम्पनी, डीडवाना, नागौर
152.	3/83	श्री अब्दुल सत्तार पटवारी, पटवार मण्डल नलू तहसील किशनगढ़, अजमेर ।
153.	4/84	श्री सम्पतलाल माथुर, जे.ई.एन., गन्धेडी सब डिवीजन, बी-साउथ डिवीजन, सी.ए.डी. आर.सी., ।
154.	5/83	श्री आर. एन. धींगड़ा, जे.ई.एन., किशनपुरा, सब डिवीजन अनुपगढ़, शाखा 3, सी.ए.डी., आर.सी.पी. ।
155	6/83	श्री किसुराराम, जे.ई.एन. फूलसर, सब-डिवीजन अनूपगढ़, शाखा खण्ड सी.ए.डी., आर.सी.पी. ।
156.	7/83	श्री ओमप्रकाश रीडर, कार्यालय ए.डी.एम., जयपुर नगर
157.	8/83	श्री प्रेमनाथ, उप-निरीक्षक पुलिस, थाना टी.बी., जिला, श्रीगंगानगर ।
158.	9/83	श्री रूपनारायण पुत्र श्री सूरजमल शर्मा, पटवारी, हल्का बोराज, तहसील दूदू ।

(३२६)

1	2	3
159.	79183	श्री चतरा राम, जे.ई.-एन., आर. सी. पी., डबली उप-खण्ड पूर्वी खण्ड, रा. न. प. एवं सिंचाई क्षेत्र विकास।

परिशिष्ट 'ग'

सूची अपराध जिनमें अभियोजन स्वीकृति आना शेष हैं
विचाराधीन दिनांक 1-2-83 तक

1.	57173	श्री ए. एम. अग्रवाल, सा. नि. वि., जयपुर
2.	84178	श्री फतेहसिंह, एक्स.ई.-एन., रा. रा. वि. म., जोधपुर
3.	28179	श्री बाघसिंह, यातायात निरीक्षक, भीलवाड़ा
4.	45180	श्री हरीसिंह, तहसीलदार व श्री मदनसिंह, निरीक्षक, एवं अन्य, जिला पाली।
5.	26180	श्री देवीसिंह देथानी, सहायक अध्यापक एवं अन्य, जयपुर
6.	3181	श्री रामशरण, सरपंच, गा. पं. कुम्हेर, भरतपुर
7.	7181	श्री सोमेन्द्रकुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला सीकर
8.	20181	श्री मोतीलाल रोत, वाणिज्य कर निरीक्षक, चित्तौड़गढ़
9.	29181	श्री मुख्तारसिंह, व्यवस्थापक, श्रीगंगानगर
10.	56181	श्री रामदयाल, पटवारी, जिला अलवर
11.	39181	श्री गौरीशंकर, तहसीलदार, सीकर।
12.	51181	श्री नूर अहमद, ए.एस.आई., कोतवाली, कोटा
13.	52181	श्री माणकचन्द, क. लि, पं. स., माण्डलगढ़
14.	27181	श्री उमाशंकर, ओवरसियर, रा. न. प., श्रीगंगानगर
15.	58181	श्री माणकचन्द मोर्दी, निदेशक, वन विभाग, जयपुर
16.	57181	,, ,,
17.	59181	,, ,,
18.	2181	श्री हरिशंकर वैद्य एवं अन्य, जयपुर
19.	5182	श्री भंवरलाल मीणा, सहायक प्रबन्धक, आर.ए.सी., झालावाड़
20.	17182	श्री ओमप्रकाश मनिहार, ए.ई. एन., आर.एस.ई.बी., चित्तौड़गढ़
21.	16182	श्री दयालसिंह कोठारी, समाज कल्याण अधिकारी, पाली
22.	25182	श्री सुरेन्द्रसिंह, उद्योग प्रसार अधिकारी, अलवर
23.	40178	श्री रामबाबू गुप्ता, एस. ई. व अन्य
24.	54182	श्री लक्ष्मीनारायण, यू. डी. सी., नगरपालिका, अलवर
25.	8178	श्री विमलचन्द जैन, सहायक निदेशक, सांख्यिकी विभाग, जयपुर
26.	16181	श्री विष्णुदत्त व्यास, प्रशासक, नगरपालिका पाली एवं अन्य
27.	50181	श्री बद्रीप्रसाद, पटवारी, उदयपुर

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 539 का विवरण

शुगर फैक्ट्रियों द्वारा माह नवम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक गन्ने के मूल्य का विवरण

क्र.सं.	मिल का नाम	मिल द्वारा किसानों को दिया गया गन्ने का मूल्य	नवम्बर, 1982	दिसम्बर, 1982	जनवरी, 1983
1.	गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगंगानगर ।	1. रुपये 19।- प्रति क्विंटल 2. रुपये 25।- प्रति क्विंटल	देर से पकने वाली गन्ने की किस्म के लिए शीघ्र पकने वाली गन्ने की किस्म के लिए		
2.	मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़) ।	1. रुपये 17।- प्रति क्विंटल 2. रुपये 16।- प्रति क्विंटल	फैक्ट्री गेट पर खरीद केन्द्र पर		
3.	केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, केशोरायपाटन (बूंदी) ।	1. रुपये 18।- प्रति क्विंटल			

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 541 की सूची

सिंचाई विभाग में वर्ष 1975 के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तदर्थ एवं पदोन्नति समिति की सिफारिश पर की गई पदोन्नतियों की संख्या:—

क्रम संख्या	वर्ष	पदोन्नतियों की संख्या — तदर्थ	पदोन्नतियों की संख्या — पदोन्नति समिति की सिफारिश पर
1	2	3	4
1.	1976	*1 (सिविल)	..
2.	1977	4 (सिविल)	*1
3.	1978	4 (सिविल)	22 (सिविल) 1 (मैकेनिकल)
4.	1979	..	
5.	1980	..	..
6.	1981	..	..
7.	जनवरी, 1981 से मार्च, 1982 ..	..	
8.	अप्रेल, 1982 से मार्च, 1983 तक ..	10 (सिविल)	..
	योग ..	19 (सिविल)	24 (23 सिविल एवं 1 मैकेनिकल)

*1976 में तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों का चयन 1977 में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर किया गया।

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 542 के भाग I की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	1-4-82 से 31-1-83 तक पेयजल योजनाओं पर व्यय की गई राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	अलवर	39.300
2.	अजमेर	154.740
3.	बाड़मेर	230.000
4.	भरतपुर	79.540
5.	बांसवाडा	93.280
6.	भीलवाड़ा	226.570
7.	बूंदी	43.840
8.	बीकानेर	270.990
9.	चित्तौड़गढ	80.897
10.	चूरू	361.280
11.	धौलपुर	21.300
12.	डूंगरपुर	73.187
13.	जोधपुर	483.976
14.	जैसलमेर	131.820
15.	जालौर	178.930
16.	जयपुर	209.890
17.	झुंझुनू	64.160
18.	झालावाड़	30.140
19.	कोटा	133.090
20.	नागौर	181.157
21.	पाली	99.290
22.	सिरोही	37.570
23.	सवाई माधोपुर	99.355
24.	सीकर	46.000
25.	श्री गंगानगर	273.050
26.	टौंक	52.565
27.	उदयपुर	175.360
		3871.147 लाख
		38.71 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 544 की सूची

आर.वी. नं. 191 से 270 के बीच (दिनांक 18-8-80 से 21-11-80 तक) जयपुर की फर्मों से जो माल खरीदा गया उनका विवरण:—

क्र.सं.	फर्म का नाम	आर.वी. नं. व दिनांक	सामान का नाम	मात्रा	दर
1	2	3	4	5	6
1.	रानी सती ट्रेडर्स, जयपुर	191।18-8-80	पाईप रिन्च 12"	6 नग	50.00
			,, 18"	6 नग	98.00
2.	,,	192।18-8-80	,, 36"	2 नग	350.00
3.	,,	193।18-8-80	,, 24"	3 नग	170.00
			,, 36"	1 नग	350.00
4.	,,	194। 18-8-80	, 14"	6 नग	65.00
		,,	24"	3 नग	170.00
5.	,,	195।18-8-80	जी. आई. एलबो 3"	15 नग	31.95
			जी. आई. यूनियन 3"	8 नग	59.65
6.	,,	196।18-8-80	जी.आई. फलेन्स 4"	25 नग	35.00
7.	,,	197।18-8-80	जी. आई. यूनियन 3"	16 नग	59.65
8.	,,	198।18-8-80	जी. आई. फलेंच 4"	25 नग	35.00
			जी. आई. यूनियन 3"	1 नग	59.65
9.	,,	199।10-8-80	जी. आई. प्लेन 3'	25 नग	15.00
			,, 2"	25 नग	6.75
			जी. आई. यूनि. 2"	10 नग	23.35
10.	उषा इन्टर प्राइजेज, जयपुर	200।10-8-80	जी. आई. फलेंच 5"	13 नग	50.00
			जी. आई. एलबो 3"	10 नग	31.95
11.	,,	201।10-8-80	जी. आई. फ्रेंच 5"	12 नग	50.00
			जी. आई. ,, 3"	25 नग	15.00
12.	,,	292।25-8-80	रिंग स्पेनर सेट 6" गेडोर 12 बाय	6 सेट	25.00
			रिंग स्पेनर सेट 6" 15 इन्ट्	6 सेट	60.00
			एयर कॉक 1।2	24 नग	15.00
13.	,,	293।25-8-80	जी. ए. यूनियन 2"	25 नग	25.35
			जी. आई. फ्लेंच 2-1।2	25 नग	9.00
14	,,	205।26-8-80	बोल बैरिंग 325 एन. वी. सी.	12 नग	45.00
			स्यर कौक 1।4	24 नग	10.0
			जी.आई. बोल 2"	25 नग	6.75

1	2	3	4	5	6
15.	उषा एन्टरप्राइजेज, जयपुर ।	209! 31-9-80	बाल बैरिंग 330 बी 5 एन. वी. सी.	12 नग	40.00
			एयर को. 3/ 5	24 नग	15.00
16.	रानी सती ट्रेडिंग, जयपुर	219/ 5-10-80	रिंग स्पेनर सैट गेडार 13इन्टु 12	2 सेट	100.00
			जे. एल. बी. 211 इंच	4 नग	24.65
17.	,,	220 ,,	रिंग स्पेनर सैट गेडोर 12 इन्टु 12	6 सेट	90.00
			12 इन्टु 13	1 सेट	100.00
			जी. आई. फुटवाल 211"	4 नग	55.32
			जी. आई. एलबो 211"	1 नग	24.65
18.	,,	221 ,,	ग्रेफाईट ग्लान्ड डोरी चेम्पीयन 16.5 किलो	10. 5 कि.	93.40
9.	,,	252 ,,	जी. आई. बेन्ड 5"	22 नग	44.40
0.	,,	223 ,,	जी. आई. फलेंच 2"	30 नग	17.50
			जी. आई. बेन्ड 3"	2 नग	44.40
			जी. आई. एलबो 211"	1 नग	24.65
21.	उषा इन्टर प्राईजेज, जयपुर	224 5-10-80	जी. आई. फेन्च 3"	20 नग	28.65
			जी. आई. एल बो 2"	25 नग	16.50
22.	,,	225 ,,	जी. आई. फुटवाल 211"	15 नग	59.32
			जी. आई. निपल 211" 3"	7 नग	7.20
23.	,,	226 ,,	सी. आई. फुटवाल 2"	20 नग	42.25
			जी. आई. निपल 2 इन्टु 3	24 नग	6.20
2.	,,	227 ,,	जी. आई. निपल 2 इन्टु 6"	3 नग	8.25
4			जी. आई. निपल 211" इन्टु 3"	5 नग	7.20
			ग्रेफाईड ग्रान्ड डोरी चैम्पीयन 8 एम एम	10 के. जी.	93.40
	,,	228 ,,	जी. आई. निपल 3 इन्टु 3	24 नग	12.40
			ग्रेफाईड ग्रान्ड डोरी चैम्पियन 8 एम. एम.	7.5 के.जी.	93.40

1	2	3	4	5	6
26.	उषा एण्टर प्राइजेज, जयपुर	229 5-10-80	जी आई निपल 3 इन्टु 6"	24 नग	18.50
			जी आई निपल 25 इन्टु 3"	12 नग	7.20
			ग्रेफाईड ग्रालन्ड डोरी चेम्पीयन 6 एम एम	5 के. जी.	93.40
27.	,,	230 ,,	जी आई बेन्ड 4"	6 नग	85.00
			जी आई एलबो 2.5"	19 नग	24.65
28.	,,	231 ,,	जी आई फ्रेन्च 3"	20 नग	28.65
			जी आई निपल 2.5 इन्टु 6"	24 नग	10.30
			जी आई निपल 2 इन्टु 6"	21 नग	8.25
29.	,,	265 21-11-70	टोर्चसेल की लाईट प्लास्टीक बाडी	50 नग	14.10

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 545 से सम्बन्धित सूची

बोंली कस्बे के लोगों को राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों की हड़ताल (19-5-82 से 15-7-82) तक के समय निम्न दिनों पेयजल उपलब्ध करवाया गया:—

क्र. सं.	दिनांक
1.	20-5-82 से 22-5-82
2.	27-5-82 व 28-5-82
3.	13-6-82 से 24-6-82
4.	29-6-82 से 5-7-82
5.	7-7-82
6.	10-7-82 से 13-7-82
7.	18-7-82

(334)

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न सं. 546 से सम्बन्धित सूचना

AGREEMENT REGARDING ALLOCATION OF SURPLUS FLOWS OF THE RIVERS RAVI AND BEAS OVER AND ABOVE THE PRE-PARTITION USES AND IMPLEMENTATION OF THE SUTLEJ YAMUNA LINK CANAL PROJECT

WHEREAS under the Indus Waters Treaty of 1960 the waters of the three rivers, namely, Sutlej, Beas and Ravi became available for unrestricted use dy India after 31st March, 1970, and

WHEREAS while at the time of signing of the said treaty, the waters of the Sutlej had already been planned to be utilised for the Bhakra- Nangal project, the surplus flow of rivers Ravi and Beas, over and above the pre-partitions use, was allocated by agreement in 1955 (hereinafter called the 1955 Agreement) between the concerned States as follows, namely:—

Punjab...... 7.20 MAF (including 1.30 MAF FOR PEPSU)
RAJASTHAN ... 8.00 MAF
Jammu and Kashmir: 0.65 MAF

15.85 MAF

and, for the purpose of the said allocation, the availability of water was based on the flow series of the said rivers for the years 1921-1945, and

WHEREAS the Central Government issued a notification on 24th March, 1976, allocating 3.5 MAF of the waters becoming available as a result of Beas Project to Haryana and the balance not exceeding 3.5 MAF to Punjab out of the total surplus Ravi-Beas waters of 7.2 MAF falling to the share of erstwhile State of Punjab after setting aside 0.2 MAF for Delhi drinking water supply, and

WHERES the Punjab Government sought a review of the aforesaid notification for inercasing the allocation to Punjab and linked this matter to the construction of the Sutlej-Yamuna Link Canal for Haryana in Punjab territory, and

WHEREAS the Government of Haryana filed a suit in the Supreme Court praying inter alia that a directive be issued to Punjab for expeditiously under taking construction of the Sutlej Yamuna Link Canal in Punjab territory and for declaring that the notification of the Government of India allocating the water becoming available as a result of the Beas Project issued on 24th March, 1976, is final and binding, and

WHEREAS the Punjab Government also filed a suit in the Supreme Court challenging the competence of the Central Government to enact Section 78 of the Punjab Reorganisantion Act, 1966 and notwithstanding this, questioning the notification issued under Section 78 of the said Act, and

WHEREAS adjournment has been sought from time to time in hearing of the suits filed in the Supreme Court by Haryana and Punjab to enable the parties to arrive at a mutually acceptable settlement of the differences that have arisen, and

WHEREAS discussions have been held by the Prime Minister of India and Union Minister of law, Justice and Company Affairs with the Chief Ministers of Haryana, Punjab and Rajasthan.

Now, therefore, we the Chief Ministers of Haryana, Rajasthan and Punjab keeping in view the over all national interest and deisirous of speedy and optimum utilisation of the waters of the Ravi and Beas Rivers and also having regard to the imperative need to resolve speedly the difference relating to the use of these waters in a spirit of give and do hereby agree as under :

(i) According to the flow series 1921-60, the total mean supply of Ravi-Beas Waters is 20.56 MAF. Deducting the pre-partition uses of 3.13 MAF AND transit losses in the Madhopur-Beas Link of 0.26 MAF, the net surplus Ravi-Beas waters according to the flow series 1921-60 is 17.17 MAF as against the corresponding figure of 15.85 MAF for the flow series 1921-45, which forms the basis of water allocation under the 1955 agreement. It is now hereby agreed that the mean supply of 17.17 MAF (flow and storage) may be re-allocated as under :—

Share of Punjab	4.22 MAF
Share of Haryana	3.50 MAF
Share of Rajasthan	8.60 MAF
Quantity earmarked for Delhi water supply.	0.20 MAF
Share of Jammu and Kashmir.	0.65 MAF
	17.17 MAF

In case of any variation in the figure of 17.17 MAF in any year, the shares shall be changed pro rata of the above revised allocations subject to the condition that no change shall be made in the allocation of Jammu and Kashmir which shall remain fixed as 0.65 MAF as stipulated in the 1955 Agreement. The quantity of 0.20 MAF FOR DELHI Water Supply stands as already allocated.

(ii) Until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share, Punjab, shall be free to utilise the waters surplus to Rajasthan's requirements. As Rajasthan will soon be able to utilise its share Punjab shall make adequate alternative arrangments expediously for irrigation of its own lands by the time, Rajasthan is in a position to utilise its full share. As a result, it is expected that during this transitional period when Rajasthan's requirements would not exceed 8.0 MAF, 4.82 MAF of

water should be available to Punjab in a mean year when the availability is 17.17 MAF.

(iii) The Bhakra and Beas Management Board (BBMB) shall be permitted to take all necessary measures for carrying out measurements and for ensuring delivery of supplies to all the concerned states in accordance with their entitlements such as rating the gauge discharge curves, installation of sef-recording gauge, taking observations without any hindrance of the discharge measurements. The selection of the control points at which the Bhakra and Beas Management Board would take appropriate measures as mentioned above shall include, but be not limited to, all points at which Bhakra and or Ravi Beas discharges are being shared by more than one state and all regulation points on the concerned rivers and Canals for determining the shareable supplies. The decison of the Bhakra and Beas Management Board would be binding in so far as the selection of the control points is concerned for the purposes of taking discharge measurements to facilitate equitable distri-bution of the waters but if any State Government contents the decision, the Central Government shall decide the matter within 3 months and this decision shall be final and binding. All the concerned State Governments shall co-operate fully and shall promptly carry out day-to-day directions of the Bhakra Beas Management Boards in regard to regulation and control of supplies, operation of gates and any other matters, in their territories, for ensuring delivery of supplies as determined by Bhakra Beas Management Board in accordane with their entitlements as provided under the Agreement.

(iv) The subject--Yamuna Link Canal project shall be implemented in a time bound manner so far as the canal and appurtement works in the Punjab territory are concerned within a maximum period of two years from the date of signing of this Agreement so that Haryana is enable to draw its allocated share of waters. The canal capacity for the purpose of the canal shall be mutually agreed upon between punjab and Haryana within 15 days, falling which it shall be 6500 cusecs, as recommended, by former Chairmans, Central Water Commission.

Regarding the claim of Rajasthan to convey O.57 MAF of waters through Sutlej-Yamuna Link Bhakra System, secretary, Ministry of Irrigation, Government of India will hold discussions with Punjab, Haryana and Rajasthan with a view to reaching an acceptable solution. These discussion shall be concluded in a period of 15 days from the date of affixing signatures herein and before the work starts. if no mutually acceptable agreement is reached. the decision of Secretary, Ministry of Irrigation to be given within this period shall be binding on all the parties. In case it is found. necessary to increase the capacity of sutlej-Yamuna Link canal beyond that decided under above sub-para in any or entire reach thereof. the States concerned shall implement the link canal in a time bound manner with such increased capacity at the cost of Rajasthan Government.

The difference with regard to the alignment to the Link canal and appurtenant works in the Punjab territory would be discussed by the Haryana and Punjab Governments who should agree to a mutually acceptable

canal alignment in Punjab territory including appurtenant works within a period of theree months from the date of signing of this Agreement. if, however, the states Government are unable to reach complete agreement within this poriod, the matter shall be decided by the "Central Gorvenment within a period of two weeks. Both the State Government shall co-operate fully to enable Central Government to take timely decision in this regard. The decision of the Central Government in this matter shall be final and binding on both the Governments and the canal and appurtenant works in Punjab territory shall be implemented in full by Punjab Government. However, work on the already agreed reaches of the alignment would start within fifteen days of the signing of the agreement and work within the other reaches immediately after the alignment has been decided. Haryana shall provide necessary funds to the Punjab Government for surveys, investigations and construction of the Link Canal and appuetrnent work in Punjab territory. where, as a result of acquisition of land extreme hardship cause to families, the Punjab Government shall for war ded to the Haryana Government suitable proposals for relieving such hardship in line with such schemes in Punjab undertaken in respect of similar canal works in Punjab territory. The Haryana Government shall arange to bear the cost of such proposals. In the even, however, of any difference of opinion arising on the question of sharing such cost, the parties shall abide by the decision of the Secretary, Ministary of Irrigation, Government of India. The progress of the work shall not, however be delayed on this account. The Central Government will be requested to monitor the progress of the works being carried out in Punjab territory.

(v) The Agreement reached in paras (i) to (iv) above shall be implemented in full by the Government of Haryana, Rajasthan and Punjab If any signatory state feels that any of the provisions of the Agreement are not being complied with, the matter shall be referred to the Central Government whose decisions shall be binding on all the States. In this request the Central Government shall be competent to issue such directions or take such measures as may be appropriate to the circumstances of the case to facilitate and ensure such compliance.

(vi) The suits filed by the Government of Haryana and Punjab in the Supreme Court would be withdrawn by the respective Government without any reservation whatsoever but subject to the terms of this Agreement.

(vii) The notification of the Governments of India allocating the waters becoming available as a result of the Beas Project issued on 24th March, 1976, and published in the Gazette of India, Part II section, 3 sub-section (ii) as well as the 1955 Agreement stand modified, to the extent varied by this Agreement and shall be deemed to be in force as modified herein.

In case of any difference on interpretation of this Agreement, the matter wil be referred to the Central Government whose decision shall be final.

338

We place on record and gratefully acknowledge the assistance and advice given by our respected Prime Minister Smt. Indira Gandhi in arriving at this expeditious and amicable settlement.

New Delhi, the 31st December, 1981.

Sd/–	Sd/–	Sd/–
(BHAJAN LAL)	(Shiv Charan Mathur)	(DARABARA SINGH)
Chief Minister of	Chief Minister of	Chief Minister of
Haryana.	Rajasthan.	Punjab.

the presence of:–

Sd/-
(INDIRA GANDHI)
Prime Minister of India.

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 547 का विवरण

सिंचाई विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में बनाई गयी अथवा प्रारम्भ की गयी लिफ्ट् योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	अब तक किया गया व्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	जाजली	1. 30
2.	चारली	0. 47
3.	भैरूखेड़ा	0. 25
4.	जालिमपुरा	0. 84
5.	जहाजपुरा	0. 63

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 548 की सूची

सूची जवाई बांध, जिला पाली, तहसील बाली के कमाण्ड एरिया के गांवों की—

नाम गांव	नाम गांव
1. बलवना	18. हिंगोला
2. बिसलपुर	19. कोशेलाव
3. गलधनी	20. तिमाडा
4. रामनगर	21. वसन्त
5. अजगोर	22 दजाना
6. सुमेरपुर	23. देलाना
7. पुराडा	24. राजपुरा
8. पोमावा	25. गुड़िया
9. कोलीवाड़ा	26. खिवान्दी
10. जावोडा	27. बलुपुरा
11. नेतरा	28. बांकली
12. राजडा	29. बिटोया
13. मोरड	30. तखतगढ़
14. साण्डेराव	31. नवा खेड़ा
15. बागडी	32. सेजडिया
16. सिन्दरू	33. मोगरा
17. पावा	

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 550 की सूची

चित्तौड़गढ़ जिले में नशाबंदी समाप्ति पश्चात् नाजायज शराब निकालने एवं विक्रय के मामले आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा पकड़े गये, उनका तहसीलवार मानचित्र

क्र.सं.	वृत्त	तहसील	आबकारी विभाग द्वारा बनाये गये अभियोग: नाजायज शराब से सम्बन्धित पकड़े गये अभियोगों की संख्या	आबकारी: चालान किये गये अभियोगों की संख्या	आबकारी: न्यायालयों में चालान नहीं किये गये अभियोगों की संख्या: जैर तफतीश चालान होना शेष	आबकारी: न्यायालयों में चालान नहीं किये गये अभियोगों की संख्या: विभागीय कार्यवाही में पैंडिग	पुलिस विभाग द्वारा बनाये गये अभियोग: नाजायज शराब से संबंधित पकड़े गये अभियोगों की संख्या	पुलिस: चालान किये गये अभियोगों की संख्या	पुलिस: न्यायालय में चालान नहीं किये गये अभियोगों की संख्या: जैर तफतीश चालान होना शेष	पुलिस: न्यायालय में चालान नहीं किये गये अभियोगों की संख्या: फाइनल रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	चित्तौड़गढ़	1. चित्तौड़गढ़	109	89	20	—	14	11	2	1
		2. गंगरार	46	42	4	—	2	2	—	—
2.	छोटी सादड़ी	3. छोटी सादड़ी	54	30	21	3	5	5	—	—
		4. निम्बाहेड़ा	36	28	7	1	4	3	—	1
3.	प्रतापगढ़	5. प्रतापगढ़	77	31	46	—	27	25	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	कपासन	6. कपासन	77	51	26	—	6	6	—	—
		7. राशमी	21	11	10	—	1	1	—	—
5.	डूंगला	8. डूंगला	27	22	5	—	1	—	1	—
		9. बड़ी सादड़ी	24	20	4	—	8	8	—	—
		10. भदेसर	33	19	14	—	—	—	—	—
6.	बेंगू	11. बेंगू	61	49	12	—	7	6	1	—
		12. भेंसरोडगढ़	14	8	6	—	2	2	—	—
		योग ..	579	400	175	4	77	69	6	2

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 558 की सूची

नीम हकीमों द्वारा कैम्प लगाए गए व आपरेशन के फलस्वरूप नेत्र ज्योति नष्ट होने वालों की संख्या

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	जिला	कुल आपरेशन किए	नेत्र ज्योति समाप्त हुई
1.	राजाखेड़ा	धौलपुर	14	7
2.	लालपुर	धौलपुर	13	10
3.	खेरौली	धौलपुर	5	3
4.	लसाड़िया	उदयपुर	1	—
5.	कूण	उदयपुर	3	—
6.	खमेरा	बांसवाड़ा	3	—
7.	सुरपुर	बांसवाड़ा	2	—
8	नोगांवा	,,	2	—
9	दानपुर	,,	2	—
10	मसुड़ा	,,	2	—
11	खमेरा	,,	1	—
12.	पसरा महादेवजी	,,	1	—
13.	मीलवाड़ी	झालावाड़	2	—
14.	खेड़ली	अलवर	39	—
15.	मालाखेड़ा	,,	10	4
16.	राजगढ़	,,	16	8
17.	खेरथल	,,	4	—
18.	बिचाला			
19.	लुहाडेरा			
20.	खिजूरीवास			
21.	जोडीया	अलवर	48	21
22.	बागोर			
23.	बासजेनपुर			
24.	बासपहाड़ी			
25.	पाटन अहीर			
26.	बाटोदा	सवाई माधोपुर	9	—
27.	पीपलखेड़ा	भरतपुर	1	—
		योग ..	178	53

344

प्रतिलिपि-पत्र क्रमांक प. 26 (14) एम. ई./ग्रुप-1/ 82 दिनांक 12-5-82, श्री र. जी पी. नागर, उप-शासन सचिव, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर जो इस निदेशालय को सम्बोधित की गई है।

विषय :—वैयक्तिक, स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर लगाने के संबंध में।

संदर्भ :—आपका शासकीय-पत्र क्रमांक सी डी./पी बी/ने.शि. 87-88, दिनांक 14-4-82.

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के विभिन्न भागों में वैयक्तिक, स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाते हैं। राज्य सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इन शिविरों में अनधिकृत, अकुशल एवं अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शल्य क्रिया एवं चिकित्सा सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जाता है जिसके फलस्वरूप जन-जीवन को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं जैसा कि धौलपुर क्षेत्र में आयोजित नेत्र शिविर में हुआ है। अतः इस तरह की पुनरावृति को भविष्य में रोकने के लिए राज्य सरकार निम्न निर्देश जारी करती है :—

1. जिले में चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर लगाने से पूर्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसी अनुमति की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार एवं निदेशालय को भी भेजनी होगी।

2. ऐसे कैम्प में वही चिकित्सक, चिकित्सा एवं शल्य कार्य करने को अधिकृत होंगे जो मेडिकल काउन्सिल आॅफ इण्डिया या राज्य मेडिकल काउन्सिल से रजिस्टर्ड हों।

3. शिविर आयोजकों को अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र (जो संलग्न है) भरकर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना होगा।

4. शिविर में चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान या पश्चात् किसी प्रकार की दुर्घटना, काम्पलीकेशन तथा पोस्ट आपरेटिव केयर की पूर्ण जिम्मेदारी शिविर आयोजकों एवं चिकित्सा की होगी।

5. शिविर में शल्य क्रिया करने का स्थान पक्का होगा तथा उसका पूर्ण स्टरलाइजेशन करने के पश्चात् ही शल्य क्रिया की जावेगी।

6. शिविर में ठहरने, खाने-पीने, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी शिविर आयोजकों की होगी।

7. शिविर आयोजकों को सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पुलिस अधिकारी, तहसीलदार एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति पत्र के मांगे जाने पर दिखाना आवश्यक होगा. अन्यथा ऐसे शिविर अनधिकृत माने जावेंगे ।

8. अनधिकृत शिविरों में चिकित्सा एवं शल्य क्रिया को मेडिको लीगल के समक्ष (Greving hurt) मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध माना जावेगा अगर इसके विरुद्ध कार्यवाही पुलिस द्वारा की जावेगी ।

9. अनाधिकृत शिविरों के बारे में सूचना चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ग्राम सरपंच या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निकटतम पुलिस स्टेशन पर दर्ज करायी जावेगी ।

10. ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दिनांक से एक सप्ताह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निबटाया जाना होगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की सूचना समस्त चिकित्सा अधिकारियों को दे दी जावें एवं राजस्थान में प्रकाशित समाचार-पत्रों को वास्ते सूचनार्थ भेजी जावें ।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: सी.डी.पी.बी./ने.शि./82/180-208 दिनांक 27-5-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. उप-शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर ।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नेत्र शिविर आयोजित किए जाने हेतु मार्गदर्शन आपके जिले में कार्यरत समस्त स्वैच्छिक संस्थान एवं आपके अधीनस्थ समस्त चिकित्सा संस्थान जैसे प्रा. स्वा. केन्द्र चिकित्सालय इत्यादि को आवश्यक सूचना भेजें तथा आपके जिले के समाचार-पत्रों तथा अन्य साधनों के द्वारा इसका व्यापक प्रचार करने की व्यवस्था की जावे ।

ह./-
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें;
राज., जयपुर ।

राज्य	आवश्यक	तार

समस्त सर्जन

हाल ही में अलवर के कुछ ग्रामों में नीम हकीमों द्वारा आखों की शल्य चिकित्सा कर अंधा करने के समाचार मिले हैं। आप अपने अधीनस्थ समस्त चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को लिखित एवं मौखिक आदेश दें कि ऐसे शिविरों का आयोजन जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं तो तुरन्त पुलिस व चिकित्सा विभाग के जिलाधिकारियों को सुचना दें, साथ ही विभाग को ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे काम जन जागरण एवं जन सहयोग से निरुत्साह करना भी उचित होगा एवं इस समस्या का समाधान बहुत हद तक दूर-दराज गांवों में नेत्र शिविर आयोजित कर पूर्ण किया जा सकेगा।

राजमेडिकल

तार योग्य नहीं :—

ह./-
(डा. ज्ञान प्रकाश)
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : सी.डी./सी.वी./82/2-28 दिनांक 1-1-83

प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि कर समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेज कर लेख है कि हाल ही में अलवर जिले के कुछ ग्रामों में नीम हकीमों द्वारा आंखों की शल्य चिकित्सा कर अन्धा करने के समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। अतः इस प्रकार के अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले शिविरों पर नियंत्रण करने हेतु अपने अधीन जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें कि इस तरह के शिविरों के आयोजनों की सुचना पुलिस व चिकित्सा विभाग के जिलाधिकारियों को अविलम्ब दें ताकि नीम हकीमों द्वारा आंखों की शल्य चिकित्सा पर नियंत्रण किया जा सके तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। साथ ही विभाग को ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे काम में जन जागरण एवं जन सहयोग से निरुत्साह करना भी उचित होगा एवं इस समस्या का समाधान बहुत हद तक दूर दराज के गांवों में नेत्र शिविर आयोजित कर पूर्ण किया जा सके।

ह./- जी. एन. सक्सेना
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं,
राज., जयपुर।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प026/14 एमई/ गुए-1182, दिनांक 12 जनवरी, 1983 ओर से शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर वास्ते समस्त जिलाधीश, राजस्थान ।

विषय:—अनधिकृत चिकित्सा एवं नेत्र शिविरों पर रोक लगाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पिछले वर्ष धौलपुर के कुछ सीमावर्ती गांवों में अनधिकृत एवं अकुशल व्यक्तियों द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया था जिसके द्वारा कई व्यक्तियों की नेत्र ज्योति जाती रही है। राज्य सरकार ने मामले की महत्वता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अनधिकृत शिविरों को रोकने हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 12-5-82 को निर्देश जारी किये गये हैं (जिसकी प्रति संलग्न है) जिसके द्वारा ऐसे शिविर लगाने से पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

अभी हाल ही में अलवर जिले के क्षेत्र में अनधिकृत नेत्र शिविर लगाये गये। यहां पर भी कई व्यक्तियों की नेत्र-ज्योति जाने के समाचार मिले हैं। यदि इस प्रकार की एक भी घटना होती है तो जन सामान्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे चिकित्सा एवं नेत्र शिविर अनधिकृत रूप से नहीं लगाये जावें। इनकी ग्रीवीअस हर्ट (ग्रिवेस हर्ट) का अपराध मानते हुए हस्व दफा 325, आई. पी. सी. के अन्तर्गत प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जावे व इन पर कड़ी नजर रखकर इनका क्रियान्वयन नहीं होने दिया जावे। इस संबंध में अपने स्तर पर शीघ्र एवं उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ जिले के समस्त पुलिस/रेवेन्यू विकास अधिकारी एवं नगरपालिका के अधिकारियों को एवं समस्त कर्मचारियों को आदेश देवें कि अगर उनकी जानकारी में कोई व्यक्ति जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के बिना शिविर लगा रहा हो तो इसकी सुचना तुरन्त पास के पुलिस स्टेशन/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को देने का श्रम करें ताकि ऐसे अनधिकृत शिविरों को रोका जा सके। इस संबंध में जो कार्यवाही की जावे उसकी सुचना अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को देते हुये निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर को भी सुचित करने का श्रम करें। धन्यवाद

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

एफ. (120) (ग्राविप) यो. 82/125 जयपुर, दिनांक 9-2-83

(1) समस्त प्रमुख, जिला परिषद
(2) समस्त प्रधान, पंचायत समिति

विषय:—आंखों का इलाज अनुभवी और अधिकृत चिकित्सक से कराने के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में आया है और आपने भी समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि अलवर जिले के कुछ ग्रामों में नीम हकीमों द्वारा कैम्प लगाकर आंखों के आपरेशन किये हैं, जिनमें आपरेशन बिगड़ जाने से कुछ लोगों की नेत्र ज्योति चली गई है, जिसके कारण राज्य सरकार का चिन्तित होना स्वाभाविक हैं। इस विषय की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये राज्य सरकार समस्त जिला प्रशासनों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करा दिये गये हैं।

अत: आपसे निवेदन करना चाहूगा कि आप अपने क्षेत्र में सभी ग्रामवासियों को अपील कर कि राज्य सरकार की स्वीकृति से लगाये जाने वाले नेत्र चिकित्सा शिविरों में ही आपरेशन कराकर लाभ उठावे। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति ऐसे शिविरों का आयोजन करता हैं तो आप या ग्रामवासी तुरन्त अपने पास के पुलिस थाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी एवं जिला प्रशासन को सूचित करेने का कष्ट करें जिससे भोली ग्रामीण जनता अन्धे होने से बच सके।

हस्ताक्षर
एन. के. वर्मा
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव।

प्रतिलिपि:—(1) समस्त सचिव, जिला परिषद।
(2) समस्त विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ताक्षर
उप विकास आयुक्त (यो.)

———

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 564 की सूची

COLLEGE OF TECHNOLOGY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, UDAIPUR

Class : I-Yr. B.E. (Ag.) Session : 1982-83

TRADITIONAL SYSTEM

S.No.	Name of Student	S. No.	Name of Student
1.	Adan Singh Rathore	29.	Naresh Kumar Jatav
2.	Amit Agarwal	30.	Nathulal Rao
3.	Amresh Kumar Singh	31.	Nitin Sharma
4.	Anil Kumar Mathur	32.	Pankaj Grover
5.	Ashok Kumar Gupta	33.	Raj Kumar
6.	Ashok Kumar Swarnkar	34.	Rajesh Kumar
7.	Babu Lal	35.	Ram Dayal Meena
8.	Bal Kumar Bansal	36.	Rameshwar Dayal
9.	Bhanwar lal Choudhary	37.	Ramesh Kumar Jain
10.	Bhupesh Kumar Singhal	38.	Ram Ratan Dilwal
11.	Bhuva Jayantilal	39.	Ravi Kumar Mittal
12.	Charanjeet Singh Pannu	40.	Sanjeev Jain
13.	Gaindalal	41.	Sanjay Vajpai
14.	Hari Om Sharma	42.	Santosh Adhikari
15.	Hemant Singh	43.	Santosh Kumar
16.	Hemant Shrimali	44.	Santosh Kumar Gupta
17.	Jag Ram Meena	45.	Shiv Raj Singh Meena
18.	Jai Mal Singh Indulia	46.	Sita Ram Regar
19.	Jai Prakash Bansal	47.	Subh Karan Singh
20.	Khem Chand Gupta	48.	Surendra Kumar
21.	Kishan lal Salvi	49.	Sanjay C. Shah
22.	Mahendra Morwal	50.	Sumer Singh Jat
23.	Mahendra Singh	51.	Tara Chand
24.	Manoj Goyal	52.	Tarun Kumar Sharma
25.	Mohanlal Barupal	53.	Tarun Raj
26.	Mohan Singh	54.	Vashishtha Kumar Sharma
27.	Mohammed Yasin Qazi	55.	Vinod Kumar Pareek
28.	Moirangthem Joy Chandra Singh	56.	Vijay
		57.	Vinod Kumar Bhatia

1	2	1	2
58.	Virendra Singh Jaroli		RE-ADMITTED
59.	Yogendra Kumar Agarwal		
60.	Yogesh Kumar Trivedi	61.	Madhu Raj Singh Jatav
		62.	Naresh Kumar

COLLEGE OF TECHNOLOGY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, UDAIPUR

III-Yr., B. E. (Ag.) — Session : 1980-81

Teacher — Course No.

S. No. 1	Name of student 2	S. No 1	Name of student 2
1.	Ajit Pal	34.	Mahesh Chandra Goyal
2.	Alok Saxena	35.	Manoj Kumar
3.	Anil Dhingra	36.	Meena Jai Dayal
4.	Anil Gupta	37.	Mohsen Ebrahim
5.	Arun Prakash Goyal	38.	Mukesh Babu Shukla
6.	Arvind Godawat	39.	Murari lal Rawat
7.	Balbhadra Singh Katara	40.	Narendra Kumar Garg Raj.Nom.
8.	Barat Ghabadain	41.	Narendra Kumar Mehta
9.	Bhupendra Singh Rathore	42.	Narendra Singh
10	Chamanlal Sharma	43.	Parmanand Chaturvedi
11.	Chandra Prakash Khatik	44.	Pavan Deolia
12.	Chouhan Pushpendra Singh	45.	Pokhar Mal Jat
13.	Chunni lal Salvi	46.	Prahalad Singh Jhakar
14.	Dev Krishna Verma	47.	Pratap Singh Chouhan
15.	Devendra Lodha	48.	Raghuveer Singh Rathore
16.	Dilip Jain	49.	Rajendra Prasad Sharma
17.	Dinesh Garg	50.	Rajendra Prasad Vyas
18.	Dinesh Goyal	51.	Rajesh Dhanopia
19.	Dinesh Srivastava	52.	Raj Kumar Goyal
20.	Diwakar Gautam	53.	Rajnikant Detharia
21.	Gopal Krishna Purohit Raj.Nom.	54.	Rakesh Kumar Gupta
22.	Hari Shanker Suthar	55.	Ramesh Kumar Solanki
23.	Jitendra Kumar	56.	Ram Krishna
24.	Kailash Chandra Sirwas	57.	Ranju Kumar Mohan
25.	Kalu lal Meena	58.	Sandeep Kumar Jaiswal
26.	Kamal Krishan Ganju	59.	Sanjay Kumar Jain
27.	Kamal Kishore	60.	Sanjeev Khera
28.	Keshar Singh Shekhawat	61.	Sanjeev Mathur
29.	K. Ibochou Singh	62.	Satya Narain Upadhyay
30.	Kishore Singh Jhalla	63.	Shiv Kumar Sharma
31.	Kuldeep Kumar Dhar	64.	Sohan lal Bansal
32.	Mahaveer Singh	65	Sudhir Narain Mathur
33.	Mahendra Bharti	66.	Sunil Grover

1	2	1	2
67.	Suresh Chandra Gupta	71.	Yesh Pal Punia Raj. Nom.
68.	Sushil Kumar Saini	72.	Yeshpal Sisodia
69.	T. Vidhan Singh	73.	Suresh Chandra Gopalia Raj. Nominee
70.	Thiyam Bilip Singh		

COLLEGE OF TECHNOLOGY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, UDAIPUR

Class : II YR., B. E. (AG.) Session : 1981-82

Teacher— Course No:—

S.No 1	Name of Student 2	S.No. 1	Name of Student 2
1.	Abhay Kumar Dhakar	21.	Hemen Chandra Roy
1A.	Ali Koser Raj. Nomi.	22.	'shwar Narain Mathur Raj.Nom.
2.	Anil Goyal	23.	Jitendra Kumar Kothari Raj.Nom.
3.	Anil Sharma	24.	Kishore Kumar
4.	Arun Kumar Joshi	25.	Kuldeep Choudhary Raj. Nom.
5.	Arun Kumar Maheshwari	26.	L. Pradip Kumar Singh
6.	Arun Kumar Sharma Raj.Nom.	27.	Mangi lal Meghwal
7.	Arvind Kumar Sharma	28.	Manoj Kumar
8.	Ashok Bhandari	29.	Manoj Kumar Bansal Raj.Nom.
9.	Ashok Kumar Joshi	30.	Mohanlal Khangar
10.	Balvant Kumar Suthar	31.	Mohit Singhvi
11.	Balmeet Singh	32.	Nalin Gupta
12.	Brijesh Kumar Mehta	33.	Nirmal Kumar Goyal Raj.Nom.
13.	Champat Raj Mehta	34.	Pradeep Behl
14.	Chandra Prakash Goyal	35.	Raj Kumar Virendra
15.	Deepak Kumar Hazarika	36.	Rajendra Kumar Sharma
16.	Dileep Kumar Verma	37.	Rajesh Punglia
17.	Durgesh Kumar Maheshwari	38.	Rajiv Kumar Jain
18.	Ganeshlal Roat	39.	Rajendra Singh Rathore
19.	Gajendra Kumar Chawla	40.	Ram Chandra Choudhary
20.	Hari Ram Jat	41.	Ram Kishan Meena

1	2	1	2
42.	Ram Niwas Bagaria	57.	Tej Singh Choudhary
43.	Ramesh Kumar Mandot	58.	Tombi Shak Singh Chonghan
44.	Ratanlal Regar	59.	Udai Bhan Singh
45.	R. Murli Mohan Rao	60.	Ujjawal Kumar Maru
46.	Sanjay Seghal	61.	Ummed Singh
47.	Satyanarain Sharma	62.	Vijay Kumar Chahar
48.	Syed. Mohd. Shakeel Raj. Nominee	63.	Vijay Kumar Verma
		64.	Vijaylal Meena
49.	Shantilal Gabani	65.	Vinod Kumar Sood
50.	Sudrendra Shekhar Vyas	66.	Vikas Gupta
51.	Surendra Bhushay Shay	67.	Vikram Singh Raj. Nomi.
52.	Supran Pathak	68.	Vipin Ladha Raj. Nomi.
53.	Subodh Kavdia	69.	Virendra Dhanawat
54.	Suhel Khan Raj. Nomi.	70.	Virendra Kumar Vijay
55.	Suresh Chandra Gopalia	71.	Vasant Kumar Changela
56.	Surya Narain Tripati		

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 566 से सम्बन्धित सूचना

क्र.संख्या	पंचायत समिति का नाम	वर्ष 1982-83 में स्थानान्तरित किये गये अध्यापकों के नाम	निरस्त किये गये स्थानान्तरणों की संख्या
1	2	3	4
1.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	1. श्री कल्याण मल चौहान	
		2. श्री भंवर लाल गगरानी	
		3. श्रीमती कमला देवी शर्मा	
		4. श्रीमती सीता देवी	
		5. श्री केन्दनमल नाई	
		6. श्री छोगालाल	
		7. श्री राम प्रसाद कोली	
		8. श्रीमती लापी देवी	
		9. श्री राम स्वरूप स्व.	
		10. श्री भंवर सिंह	
		11. श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा	
		12. श्रीमती सुभद्रा देवी	
		13. श्री अजीत मोहम्मद	
		14. श्रीमती गीतादेवी सनाढ्य	
		15. श्री देवीलाल	
		16. श्री लादू सिंह	
		17. श्री रामकिशन जोशी	
		18. श्रीमती कमला देवी अग्रवाल	
		19. श्रीमती कौशल्या देवी स्वं.	
		20. श्री मोहर सिंह	
		21. श्री महावीर प्रसाद वर्मा	
		22. श्री अमर सिंह–2	
		23. श्री ओम प्रकाश जैन	
		24. श्री बन्सीलाल सोमानी	
		25. श्री कन्हैयालाल प्रजापत	
		26. श्रीमती सावित्री दाखेडा	
		27. श्रीमती कमला देवी गर्ग	
		28. श्रीमती भंवरी देवी वर्मा	
		29. श्रीमती रतन देवी बडगूजर	
		30. श्री भगवती प्रसाद	
		31. श्रीमती शान्ता देवी भरवा	
		32. श्री राधेश्याम पारीक	
		33. श्री बाल कृष्ण शर्मा	

1	2	3	4
	शाहपुरा	34. श्री हरी प्रकाश वैष्णव	
		35. श्री राम प्रसाद सेन	
		36. श्री राम गोपाल पारीक	
		37. श्री रूपसिंह नाबेडा	
		38. श्री लेखचन्द शर्मा	
		39. श्री कृष्ण गोपाल गान्धी	
		40. श्रीमती कमला देवी शर्मा	
		41. श्रीमती लक्ष्मी देवी व्यास	
		42. श्री भागचन्द जैन	
		43. श्री नन्द किशोर शर्मा	
		44. श्रीमती भगवती वैष्णव	
		45. श्री रमेश चन्द्र शर्मा	
		46. श्री बच्छ राज सिंह	
		47. श्री नाथू लाल कारपेन्टर	
		48. श्री टीकम चन्द जैन	
		49. श्री बसन्ती लाल जैन	
		50. श्रीमती सावित्री देवी	
		51. श्री अमर चन्द जैन	
		52. श्री रामदेव मोमी	
		53. श्री अहसान अली	
		54. श्री भंवर लाल वैष्णव	
		55. श्री बजरंग लाल शर्मा	
		56. श्री मोहन लाल वाल्दी	
		57. श्री दुर्गालाल स्वर्णकार	
		58. श्री रामप्रसाद छीपा	
		59. श्री कन्हैयालाल शर्मा	
		60. श्री राम जस चन्दन	
		61. श्री कन्हैयालाल सेन	
		62. श्री बंसीलाल तेली	
		63. श्री प्रेमचन्द जैन	
		64. श्री महावीर प्रसाद पंचौली	
		65. श्री नन्द किशोर शर्मा	
		66. श्री कृष्ण गोपाल लढा	
		67. श्री नाथूलाल ओझा	
		68. श्री ओम प्रकाश गर्ग	
		69. श्री मूरेखा देशवाली	
		70. श्री राधेश्याम अग्रवाल	
		71. श्री राधा कृष्ण जोशी	
		72. श्री कैलाश चन्द पाराशर	
		73. श्री रामेश्वर लाल वैष्णव	
		74. श्रीमती अनोप देवी	

1	2	3	4
	शाहपुरा	75. श्री राम प्रकाश छीपा	
		76. श्री लादूराम जोशी	
		77. श्री घूपी चन्द जैन	
		78. श्री कैलाश चन्द शर्मा	
		79. श्री सूरज करण शर्मा	
		80. श्री राजेन्द्र प्रसाद	
		81. श्री देवी लाल शर्मा	
		82. श्रीमती सज्जन देवी शर्मा	
		83. श्रीमती सावित्री देवी स्व.	
		84. श्री शान्ती लाल लखोटिया	
		85. श्री मोहम्मद शरीफ	
		86. श्रीमती भंवरी देवी सोलंकी	
2.	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	1. श्री रामेश्वर लाल	13
		2 श्री धीराराम	
		3. श्रीमती पुष्पादेवी	
		4. श्री शंकरलाल शर्मा	
		5. श्रीमती लक्ष्मी देवी	
		6. श्रीमती गीतादेवी	
		7. श्रीमती प्रेमदेवी	
		8. श्री ताराचन्द माली	
		9. श्री नियाज मोहम्मद	
		10. श्री राम स्वरूप ओझा	
		11. श्री विष्णु कान्त	
		12. श्री दुर्गालाल पुरी	
		13. श्री राम किशन जोशी	
		14. श्री पुष्कर लाल जाट	
		15. श्री राम कृष्ण मीणा	
		16. श्री राम लाल मीणा	
		17. श्री सत्यनारायण	
		18. श्री मेवालाल गुजर	
		19. श्री नूर मोहम्मद	
		20. श्री राम स्वरूप शर्मा	
		21. श्री लक्ष्मण लाल	
		22. श्री भंवर लाल शर्मा	
		23. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	
		24. श्री अब्दुल रहूब	
		25. श्री सुगन चन्द	
		26. श्री अब्दुल शकूर	
		27. श्री भूरालाल खाती	
		28. श्री हीरा लाल मीणा	

1	2	3	4
	जहाजपुर	29. श्री लादू लाल	
		30. श्री जग्गूलाल	
		31. श्री सूरज मल	
		32. श्री विजय शंकर	
		33. श्री घीसालाल	
		34. श्री राधेश्याम	
		35. श्रीमती शकुन्तला	
		36. श्रीमती शान्ता बुरड़	
		37. श्री शंकर सिंह	
		38. श्री प्रह्लाद जाट	
		39. श्री भंवर लाल	
		40. श्री हरलाल	
		41. श्री रमेश चन्द्र	
		42. श्री लादू लाल व्यास	
		43. श्री महावीर प्रसाद	
		44. श्री रतन लाल शर्मा	
		45. श्रीमती सज्जन देवी	
		46. श्री सुगन सिंह	
		47. श्री भैरूलाल लुहार	
		48. श्री ताराचन्द जैन	
		49. श्री राधेश्याम गौड	
		50. श्री राम स्वरूप	
		51. श्रीमती पुष्पा शर्मा	
		52. श्री शौकत अली	
		53. श्री रतन लाल शर्मा	
		54. श्री छगन लाल	
3.	माण्डलगढ़	1. श्री खेमराज बलाई	1
		2. श्री चान्दमल लढा	
		3. श्री भवानी शंकर जोशी	
		4. श्री मोतीलाल शर्मा	
		5. श्री भगत राम कोली	
		6 श्री राधेश्याम सारस्वत	
		7. श्री घीसुलाल सारस्वत	
		8. श्री मदन लाल सारस्वत	
		9. श्री रामेश्वर प्रसाद सुखवाल	
		10. श्री लादू लाल भट	
		11. श्री छगनसिंह	
		12. श्री दीन दयाल	
		13. श्री रामस्वरूप	
		14. श्री शिव चन्द्रसिंह	

1	2	3	4
	माण्डल गढ़	15. श्री सुन्दर लाल वैद 16. श्री गणेश लाल शर्मा 17. श्री गोविन्दराम वैरागी 18. श्री मोहन लाल धाकड 19. श्री भंवर लाल बैरवा 20. श्री मोहन लाल शर्मा 21. श्री राधेश्याम पाराशर 22. श्री बन्सी लाल पालीवाल 23. श्री रतनलाल नाई 24. श्री रतन लाल प्रसाम्बा	
4	श्री कोटड़ी	1. श्री बालकृष्ण 2. श्री महावीर कुमार 3. श्री रामेश्वर लाल 4. श्री राम लाल वर्मा 5. श्री जमना लाल ओझा 6. श्री राम गोपाल पोरवाल 7. श्री भंवर लाल स्वर्णकार 8. श्री बाबूलाल जोशी 9. श्री जमना लाल ओझा 10. श्री नाथूलाल शर्मा 11. श्री राम स्वरूप 12. श्री अब्दुल मजीद 13. श्री सोहन लाल स्वर्णकार 14. श्री सत्यनारायण 15. श्री कन्हैयालाल शर्मा 16. श्री शक्तीसिंह 17. श्री देवी शंकर 18. श्री गोपीलाल जाट 19. श्री गोपाल सुथार 20. श्री गुलाबसिंह 21. श्री रघुनाथसिंह 22. श्री राम देव रेगर 23. श्री नन्दलाल खुमार 24. श्री सत्यनारायण 25. श्री बन्सीलाल	—
5.	आसिन्द	1. श्री सदरुद्दीन शेख 2. श्री गुलजार मोहम्मद 3. श्री शान्तीलाल 4. श्री भंवरलाल गर्ग	2

1	2	3	4
	आसिन्द	5. श्री बालू राम शर्मा	
		6. श्री शंकर लाल शर्मा	
		7. सुश्री श्यामा वैष्णव	
		8. श्रीमती हूर कंवर	
6.	हुरड़ा	1. श्री गजमल सिंह चौधरी	
		2. श्री भंवर लाल शर्मा	
		3. श्री मूल चन्द ग्रामेटा	
		4. श्री सत्य नारायण सोनी	
		5. श्री गोरी शंकर शर्मा	
		6. श्री राम स्वरूप लढ्ढा	
		7. श्री शाहबुद्दीन रंगरेज	
		8. श्री शंकर लाल पाण्डे	
		9. श्री शिवदास शर्मा	
		10. श्री रमेश चन्द्र वैष्णव	
		11. श्री गोपी चन्द सिन्धी	
		12. श्री भंवर लाल लोढा	
		13. श्री महादेव माली	
		14. श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी	
		15. श्री राम निवास छीपा	
		16. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	
		17. श्री नन्द राम शर्मा	
		18. श्री कालू राम तेली	
		19. श्री मदन लाल कलाल	
7.	सुवाणा	1. श्री देवीलाल सुनार	20
		2. श्री राधेश्याम सुनार	
		3. श्री शंकर लाल टेलर	
		4. श्री बन्सी लाल सोमानी	
		5. श्री रामेश्वर लाल मारू	
		6. श्री सागर मल आगाल	
		7. श्री जगदीश चन्द्र श्रोत्रिय	
		8. श्रीमती इन्द्रा देवी	
		9 श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	
		10. श्री भैरूलाल शर्मा	
		11. श्री नवल राम विश्नोई	
		12. श्रीमती भगवती देवी	
		13. श्री विजय लक्ष्मी	
		14. श्री नन्द लाल चौबे	
		15. श्री ज्ञान चन्द सिन्धी	
		16. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	

1	2	3	4
	सुवाणा	17. श्री सुन्दर लाल सोमानी	
		18. श्री कन्हैयालाल गर्ग	
		19. श्री नन्द लाल गर्ग	
		20. श्रीमती यशोधरा देवी	
		21. श्रीमती कृष्णा देवी	
		22. श्रीमती सूरज देवी	
		23. श्री मुकट बिहारी गर्ग	
		24. श्री किशन लाल रेगर	
		25. श्री शंकर सिंह	
		26. श्री भगवान लाल विश्नोई	
		27. श्री कृष्ण गोपाल दाधीच	
		28. श्री कजोड़ी मल सैन	
		29. श्री जगदीश चन्द्र डाङ	
		30. श्री मूल शंकर	
		31. श्री मिन्टोलाल शर्मा	
		32. श्री मोती लाल तेली	
		33. श्री ओंकार लाल ओझा	
		34. श्री राजेन्द्र कुमार दाधीच	
		35. श्रीमती शान्ती देवी सैन	
		36 श्री रमा देवी	
		37. श्रीमती सत्यनारायणी देवी	
		38. श्रीमती शान्ता देवी दाधीच	
		39. श्री रामेश्वर लाल काबरा	
		40. श्री विक्रम खेव	
		41. श्री केशरी मल खटीक	
		42. श्री राम प्रकाश राका	
		43. श्री जगदीश चन्द्र श्रोत्रिय	
		44. श्री कल्याण मल शर्मा	
		45. श्री अब्दुल हनान	
		46. श्री सत्य नारायण सोनी	
		47. श्री जगदीश चन्द्र टेलर	
		48. श्री महेश चन्द्र तिवाड़ी	
		49. श्रीमती मनोरमा देवी	
		50. श्रीमती रामकन्या देवी	
		51. श्री रामेश्वर लाल काबरा	
		52. श्रीमती अवन्ता देवी	
		53. श्रीमती राम कन्या देवी	
		54. श्री श्याम लाल वैष्णव	
		55. श्री केसरीमल खोईवाल	
		56. श्री कजोड़ी मल सैन	
		57. श्री जगदीश चन्द्र	

1	2	3	4
मुवाणा		58. श्री बालूलाल चंतेलो	
		59. श्री भगवान लाल विश्नोई	
		60. श्री कृष्ण गोपाल दाधीच	
		61. श्रीमती सुन्दर देवी	
		62. श्री भैरूलाल शर्मा	
		63. श्री मनुशंकर	
		64. श्री लादू लाल शर्मा	
		65. श्री वन्शी लाल सोमानी	
		66. श्री पारस मल जैन	
		67. श्री सुन्दर लाल सोमानी	
		68. श्री वन्शी लाल कावरा	
		69. श्री श्रोम प्रकाश गनेरिया	
		70. श्री श्याम लाल वैष्णव	
		71. श्री मांगीलाल माली	
		72. श्री भैरू लाल शर्मा	
		73. श्री मान शंकर	
8. बनेड़ा		1. श्री श्रशोक कुमार दुबे	
		2. श्री गोबिन्द राम	
		3. श्री रामपाल लखारा	
		4. श्री छोटूलाल सोडानी	
		5. श्री लादू राम गगरानी	
		6. श्री श्रली मोहम्मद	
		7. श्रीमती कौशल्या देवी	
		8. श्री चान्द मल गगड	
		9. श्री राम स्वरूप गगड	
		10. श्री बद्री प्रसाद नाड	
		11 श्रीमती दीपावली पाटनी	
		12. श्री हीरा लाल लखारा	
		13. श्री प्रेम दास वैष्णव	
		14. श्री जमना लाल टेलर	
		15. श्री खुशनसीब	
		16. श्री भंवर लाल जाट	
		17. श्रीमती शारदा देवी	
		18. श्रीमती सुशीला देवी	
		19. श्री हिम्मद सिंह पिछाड़ा	
		20. श्री राम सुख शर्मा	
		21. श्री रतन लाल खारीवाल	
		22. श्री अब्दुल सतार	
		23. श्रीमती विजय कान्ता	

1	2	3	4
	बनेड़ा	24. श्री कृष्ण मुरारी 25. श्री किशन लाल 26. श्री सत्यनारायण विजयवर्गीय	
9.	माण्डल	1. श्री शिव राज शर्मा 2. श्री बद्रीलाल शर्मा 3. श्री नवल शंकर शर्मा 4. श्री परमानन्द त्रिपाठी 5. श्री राम गोपाल शर्मा 6. श्री मोती लाल जाट 7. श्रीमती गणेशी देवी	
10.	रायपुर	1. सूची प्राप्त नहीं हुई है।	
11.	सहाड़ा		

परिशिष्ट 28

अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के भाग (1) से संबंधित सूची

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशासन गांवों की ओर अभियान में निर्धन व्यक्तियों को जो भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं उनकी पंचायत समितिवार सूची :—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें भू-खण्ड आवंटित किये गये
1.	लाडपुरा	64
2.	सांगोद	—
3.	इटावा	182
4.	अन्ता	—
5.	सुल्तानपुर	51
6.	छबड़ा	346
7.	छीपाबड़ोद	563
8.	बारां	62
9.	किशनगंज	181
10.	शाहबाद	498
11.	खेराबाद	7
12.	अटरू	787
	योग..	2741

परिशिष्ट 29

अतारांकित प्रश्न संख्या 573 की सूची

वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों की वर्षवार एवं वन मण्डलवार सूची

नाम वन मण्डल	राज्य योजना		विशेष केन्द्रीय सहायता		
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य		प्राप्ति
वर्ष 1981–82					
डूंगरपुर	10	10	15		15
उदयपुर	5	—	10		10
सिरोही	3	13	2		9
प्रतापगढ़	2	2	8		8
बांसवाड़ा	5	—	15		8
योग..	25	25	50		50 नोटः—लक्ष्य जुलाई, 1982 तक प्राप्त किये गये हैं।
वर्ष 1982–83					
डूंगरपुर	10	10	20	कार्य प्रगति पर है	
उदयपुर	15	15	30	कार्य प्रगति पर है	
सिरोही	5	5	15		15
प्रतापगढ	8	2 (शेष कार्य प्रगति पर है)	12	(शेष कार्य प्रगति पर है)	7
बांसवाड़ा	12	12	23	कार्य प्रगति पर है	
योग..	50	44	100		22

परिशिष्ट 30

अतारांकित प्रश्न संख्या 575 की सूची

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि के पजेशन न लेने के प्रति स्थगन आदेशों की सूची

क्रमांक	पिटीशन क्रमांक	पिटीशन का नाम	प्रकरण का नाम	स्थगन की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	3690/81	श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी बनाम राज्य सरकार	बजाजनगर से हवाई एरोड्रोम (लाजपत नगर) की भूमि अवाप्ति के विरुद्ध	पजेशन स्टे
2.	3295/81	गोकुल वाटिका सहकारी समिति बनाम राज्य सरकार	"	"
3.	3293/81	सरदार लामसिंह बनाम राज्य सरकार	"	"
4.	4393/81	समग्र सेवा संघ बनाम राज्य सरकार	"	"
5.	3296/81	श्री दुलीचन्द टाक बनाम राजस्थान सरकार भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनायें, जयपुर	"	"
6.	/81	श्री जगदीश चन्द शर्मा बनाम (1) राजस्थान सरकार (2) यू. आई. टी.	"	"
7.	3297/81	जयपुर भवन निर्माण सहकारी समिति बनाम राज्य सरकार	"	"
8.	3291/81	इण्डस्ट्रियल बनाम राज्य सरकार	"	"
9	3294/81	महालेखापाल, गृह. नि. स. स. बनाम राज्य सरकार	"	"

1	2	3	4	5
10.	3692/81	श्री माणकचन्द करनावर बनाम राज्य सरकार	बजाजनगर हवाई एरोड्राम (लाजपत नगर) की भूमि अवाप्ति के विरुद्ध	पजेशन स्टे
11.	3693/81	श्री कजोड़ मल व अन्य बनाम सरकार	,,	,,
12.	3691/81	जय जवान गृह निर्माण स. बनाम सरकार	,,	,,
13.	8550/81	महावीर हा. को. सो. बनाम राज्य सरकार	,,	,,
14.	3694/81	श्री नारायण बजाज बनाम राज्य सरकार	,,	,,
15.	7887/80	यदुनन्दन गर्ग बनाम स्टेट राज्य सरकार	भूमि अवाप्ति के विरुद्ध (लाल कोठी)	,,
16.	/83	द्वारकेश स्टेट बनाम राज्य सरकार	जनता कॉलोनी सिनेमा की भूमि के सम्बन्ध में ।	
17.	8062/80	स्टेट बनाम श्रीमती मणी देवी अग्रसेन एवं भवानी सिंह	ओझाजी के बाग के निकट की भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में ।	
18.	4527/80	राजस्थान सरकार बनाम पदमावती ओझा	,,	
19.	2216/70	हीराचन्द कोठारी बनाम राजस्थान सरकार	सी स्कीम योजना में भू-खण्ड सी-19 के बदले भू-खण्ड देने के सम्बन्ध में ।	
20.	..	राजस्थान सरकार बनाम हंस राज बहले	लाल कोठी योजना में भूमि अवाप्ति के मुआवजे के सम्बन्ध में ।	

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर बैंच में पेंडिंग याचिकाओं की सूची

क्र. सं.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्त्ता का नाम	स्कीम	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	625/82	श्री जैम्स एस. राम	विद्याधर नगर	
2.	745/82 747/82	श्री प्रहलाद पुत्र श्री पांचूलाल	,,	
3.	643/81	श्री सुरज भान सिंह बनाम राज्य सरकार।		
4.	4/79	श्री पुरुषोत्तम बनाम सरकार		
5.	976/72	श्री रामप्रकाश गहलोत बनाम सरकार व अन्य ।	लाल कोठी	
6.	500/77	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गर्ग बनाम सरकार	,,	
7.	260/79	श्री सी. एस. महेश्वरी बनाम सरकार	,,	
8.	59/79	श्री मांगीलाल बनाम सरकार	शास्त्री नगर	
9.	2709/74	श्रीमती लीलावती गर्ग बनाम सरकार व अन्य ।	लाल कोठी	
10.	527/80	डॉ. भगवान दास बनाम सरकार	,,	
11.	165/75	श्रीमती पी. एल. अग्रवाल बनाम सरकार व अन्य ।	बजाज नगर से हवाई अड्डा	
12.	186/80	श्री के. एम. महता बनाम नगर विकास न्यास व अन्य ।	,,	
13.	946/72	श्री रामपाल बनाम सरकार	,,	
14.	1052/81	श्री कुन्दनलाल मालपानी	घाटगेट से सांगानेरी गेट	
15.	183/80	श्री नरेशचन्द्र बनाम सरकार एवं अन्य ।	बजाज नगर से हवाई अड्डा	
16.	816/79	श्री सुजा पुत्र बालू बनाम सरकार एवं अन्य ।	लाल कोठी	
17.	286/78	श्रीमती कैलाशवती देवी बनाम सरकार ।	,,	
18.	448/80	श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह बनाम सरकार व अन्य ।	,,	
19.	184/80	श्री सुरेशचन्द्र बनाम सरकार एवं अन्य ।		
20.	815/73	श्री राम सहाय बनाम सरकार एवं अन्य ।		
21.	260/75	रामजीपुरा हा. को. सो.		
22.	2820/74	श्री भगवानदास बनाम सरकार एवं अन्य ।	सी स्कीम	

368

1	2	3	4	5
23.	730।80	श्री डॉ. तुलसी विशनोई बनाम सरकार।	लाल कोठी	
24.	932।80	श्री सुधीर कुमार कासलीवाल बनाम सरकार।	,,	
25.	732।80	डॉ. रामेश्वरी बनाम सरकार		
26.	1682।80	सरकार लाभसिंह बनाम सरकार	मिश्रा मार्केट	
27.	1395।75	श्री रणजीतसिंह बनाम सरकार	लाल कोठी	
28.	169।75	श्री भंवरलाल व अन्य		
29.	2962।74 2963।74	ले. क. भवानी सिंह बनाम सरकार	राम बाग	
30.	749।74	जयपुर मेटल एम्पलाइज बनाम सरकार।	विद्याधर नगर	
31.	731।80	बाबूलाल माथुर बनाम सरकार	लाल कोठी	
32.	1227।80	श्रीमती ज्योत्सना कुमारी बनाम न्यास व अन्य।	,,	
33.	615।71	महन्तराम नारायण बनाम सरकार	,,	
34.	27।73	इन्द्रपुरी गृह निर्माण सह. स.	,,	
35.	185।80	दामोदर बनाम सरकार	बजाज नगर से हवाई अड्डा।	
36.	629।75	के. विजय सिंह	ज्योति मार्ग बापू-नगर।	
37.	1443।80	कृष्णपुरी गृह निर्माण स. स. बनाम सरकार व अन्य।	लाल कोठी	
38.	1104।75	घनश्याम दास पुत्र श्री नारायण लाल बनाम सरकार।		
39.	703।75	श्री गैंदा पुत्र गैला बनाम सरकार एवं अन्य।	बजाज नगर	
40.	1945।81	दयासिंह बनाम सरकार एवं अन्य	ट्रक स्टैण्ड	
41.	886।80	जयपुर भार्गव सभा		
42.	384।82	शान्तिप्रकाश बनाम सरकार		
43.	94।82	श्री ओमकारसिंह बनाम सरकार		
44.	1549।72	इन्द्रपुरी गृह निर्माण स. स.	लाल कोठी	
45.	945।79	वागीस चन्द्र शर्मा बनाम सरकार		
46.	729।80	श्रीमती डॉ. शारदा थापर बनाम सरकार।	लाल कोठी	
47.	553।78	राम अवतार बनाम सरकार	ट्रक स्टेण्ड	
48.	449।80	नरपतसिंह बनाम सरकार	लाल कोठी	
49.	288।80	गिरधारीलाल बनाम न्यास एवं अन्य		
50.	231।75	जगन्नाथ बनाम नगर विकास न्यास, जयपुर व अन्य।		
51.	3006।74	गोविंद गृह नि. स. स. बनाम सरकार	आमेर रोड.	

1	2	3	4
52.	553/78	भारत भवन नि. स. स. बनाम सरकार।	बजाज नगर से हवाई अड्डा
53.	384/82	शान्ति प्रकाश बनाम सरकार एवं अन्य।	
54.	330/81	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बनाम न्यास	लाल कोठी
55.	1132/82	श्री गोपाल दत्त न्यास बनाम राज. सरकार प्रा. एवं अन्य।	उनियारा गार्डन
56.	171/82	ताराचन्द अग्रवाल बनाम सरकार	गंगवाल गार्डन
57.	1011/81	श्रीमती कैलाशवती बनाम सरकार	
58.	1503/82	भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर।	बीढ खातीपुरा रोड
59.	1033/82	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी एवं कामगार परिषद, जयपुर।	
60.	1498/82	भूपालसिंह बनाम सरकार	
61.	1526/82	श्रीमती ज्ञानदेवी बनाम गीता बजाज	
62.	529/80	श्री मोहन लाल बनाम सरकार	
63.	703/82	कृष्णापुरी हा. को. सो. बनाम सरकार।	
64.	/ 82	श्री अशोककुमार गड्डा बनाम ज. वि. प्रा.।	
65.	1784 से 1792/82	खान मोहम्मद वगैरह बनाम प्राधिकरण	
66.	701/82 724/82	श्री राम देव नागा, कल्याण एवं अन्य बनाम प्राधिकरण।	
67.	52/83	श्री गोपी वल्लभ बनाम सरकार	
68.	227/82	श्रीमती शान्ता शर्मा बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी।	
69.	107/82	श्री प्रतापसिंह कौशिक बनाम प्राधिकरण	
70.	958/82	श्री धूप सिंह बनाम सरकार	
71.	1604/82	श्री केसोमल बनाम राज्य सरकार।	

विभिन्न न्यायालयों में चल रहे परिवाद जिनमें स्थगन आदेश की सूची

क्रम संख्या	परिवाद का उनवान	भूमि विवरण/ योजना	निषेधाज्ञा	न्यायालय का नाम	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती गुल्ली बनाम न्यास	मू. स. 10 फतेह टीबा	अस्थायी	ए. सी. जे.-2	
2.	न्यास बनाम अब्दुल मुनीर खां	भू. सं. 130 बडोदिया बस्ती	,,	ए. डी. जे.-6	
3.	पृथ्वी सिंह बनाम न्यास	मू. सं. 22 शक्ति नगर, लाल कोठी	,,	ए. एम.-2	
4.	बाल शिक्षा समिति बनाम न्यास विश्वविद्यालय	मू. ख. सं. 4.12 तिलक नगर	,,	ए. एम.-1	
5.	जगमोहन लाल बनाम न्यास	डब्लू डी-92 से डी-104, बनीपार्क	,,	ए. एम.	
6.	जगमोहनलाल बनाम न्यास	डब्लू. डी. 92 से डी-104 बनीपार्क	,,	ए. डी. जे.	
7.	गैन्दी लाल बनाम न्यास	रामा कालोनी	,,	ए. एम. डब्लू.	
8.	उवाला कंवर बनाम न्यास	मू. सं. डी-8 लाल कोठी	,,	ए. एम.-2	
9.	रामलाल बनाम न्यास	मू. सं. बी-190, लक्ष्मीनारायण पुरी	,,	ए. एम.-2	
10.	बद्रीनारायण बनाम न्यास	भू. स. पार्क की भूमि, सोड़ाला	,,	ए. एम.-2	
11.	सुरेश कुमार बनाम न्यास	हथरोई	,,	ए. एम.-2	
12.	राजरानी बनाम न्यास	बी-1, लाल कोठी	,,	ए. एम.-2	
13.	मोहरी बनाम न्यास	माली कोलोनी	,,	ए. एम.. डब्लू.	
14.	खातून बनाम न्यास	121 फतेह टीबा	,,	ए. एम. ई.	
15.	रामलाल पुत्र घासीराम बनाम न्यास	सोड़ाला	,,	ए. एम.-2	
16.	चन्द्रभान गुप्ता बनाम न्यास	सी-92 अम्बा वाड़ी	4-7-80 को स्थायी	ए. एम. डब्लू.	
17.	अब्दुल बहाब बनाम न्यास	रामगढ रोड	अस्थायी	ए. एम.-2	
18.	वेतन लाल कटारिया बनाम न्यास	309, हसन पुरा	स्थायी	ए. एम.-2	
19.	शान्ति शर्मा बनाम न्यास	ओझाजी का बाग	अस्थायी	ए. एम.-2	
20.	घासीराम बनाम न्यास	सोड़ाला	19-1-81 को स्थायी	ए. एम.-2	
21.	सुल्तान राम बनाम न्यास	माली कोलोनी	स्थायी	ए. एम.-2	
22.	मुरली राम बनाम सुल्तान राम	माली कोलोनी	अपील	ए. डी. जे.-5	

23.	न्यास बनाम नाथी बाई	5-54 बस्सी सीताराम पुरा	अस्थायी	ए. डी. जे.-6
24.	घासीराम बनाम न्यास	,, ,,	अस्थायी	ए. डी. जे.-6
25.	राम चन्द्र बनाम न्यास व बनेसिंह	नाहरी का नाका	10.12.77 को स्थायी	ए. एम. डब्लू.
26.	शकूर खां बनाम न्यास	डी-158, अमृतपुरी	अस्थायी	सी. जे. एम.
27.	मोहम्मद खां इस्माईल बनाम न्यास	8 अमृतपुरी	अस्थायी	सी. जे. एम.
28.	जहूरशाह बनाम न्यास	बास बदन पुरा	अस्थायी	ए. एम. 1
29.	कैलाश नारायण बनाम न्यास	हथरोई	अस्थायी	एम. 2
30.	राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम न्यास	चांदपोल दरवाजे के बाहर	स्थायी	ए. एन. डब्लू.
31.	अनवर अहमद बनाम न्यास	मिनर्वा के पीछे	अस्थायी	ए. एम. ई.
32.	कृष्ण कुमार बनाम न्यास	मिनर्वा के पीछे	स्थायी	—
33.	श्रीमती योगेश बनाम न्यास	ए-23, सुभाष नगर, टोंक रोड	अस्थायी	ए. एम.-2
34.	हेम सिंह बनाम न्यास	ए-72, सुभाष नगर, टोंक रोड	अस्थायी	ए. एम.-2
35.	कृष्णानन्द बनाम न्यास	ए-1 सुभाष नगर, टोंक रोड	अस्थायी	ए. एम.-2
36.	श्रीमती कमला बनाम न्यास	ए-8 ,,	अस्थायी	ए. एम.-2
37.	सुनीता बनाम न्यास	ए-7 ,,	अस्थायी	ए. एम.-2
38.	मेडूराम बनाम न्यास	नाहरी का नाका	स्थायी	ए. एम. डब्लू.
39.	सेवा सिंह बनाम न्यास	107, बडोंदिया	अस्थायी	ए. एम.-2
40.	लक्ष्मण कुमार बनाम न्यास	सोडाला	22-9-76 को स्थायी	एम. डब्लू.
41.	श्रीमती गुलाब देवी बनाम न्यास	सोडाला	अस्थायी	ए. एम.-2
42.	कृष्णा बिहारी बनाम न्यास	चांदपोल दरवाजे के बाहर	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
43.	चांद बिहारी बनाम न्यास	चांदपोल बाहर	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
44.	विद्या प्रकाश शर्मा बनाम न्यास	ओझाजी का बाग	स्थायी	ए. एम.-2
45.	राधेश्याम बनाम न्यास	नाहरी का नाका	स्थायी	ए. एम. 1
46.	दुर्गा लाल बनाम न्यास	बडोंदिया	स्थायी	ए. एम. डब्लू.

1	2	3	4	5	6
47	जयपुर कुटी वाला डीलर्स बनाम न्यास	घाटगेट बाहर आगरा से	अस्थायी	ए. डी. जे. सीटी	
48.	शान्तिराम बनाम न्यास	गोविन्द नगर 26	अस्थायी	ए. एम. ई.	
49.	इन्द्रपुरी गृह नि. स. बनाम न्यास	लाल कोठी	अस्थायी	ए. एम. डब्लू	
50.	जहूर मोहम्मद बनाम न्यास	दुकान नं. 11 पेण्टर कॉलोनी नाहरी का नाका	अस्थायी	ए. एम. डब्लू	
51.	गोपी चन्द बनाम कल्याणदास	सी-2 नाहरी का नाका	स्थायी	एम. डब्लू	
5..	नूर मोहम्मद बनाम न्यास	मिनर्वा के पीछे	स्थायी	ए. एम. ई	
53.	अर्जुन व अन्य बनाम न्यास	सिन्धी कॉलोनी	अस्थायी	एम. डब्लू	
54.	दुर्गा प्रसाद बनाम न्यास	लक्ष्मी नारायणपुरी	अस्थायी	ए. एम. 1	
55.	अर्जुन किशोर बनाम न्यास	38, हथरोई पी. एम. टी.	स्थायी	ए. एम. डब्लू	
56.	प्रेम अली बनाम न्यास	लाल कोठी भोजपुरा	मनीसूट		
57.	एनुताराम बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायणपुरी	स्थायी	ए. एन.-1 घन्टे केवल झोपड़ी का.	
58	बेनी चन्द बनाम न्यास	नाग तलाई	अस्थायी	ए. एम. ई.	
59.	न्यास बनाम हरिनारायण	80 बडोदिया	अस्थायी	ए. डी. जे. 5	
60.	महेन्द्र कुमार बनाम न्यास	नागतलाई	अस्थायी	ए. एम. -1	
61.	फूला देवी बनाम न्यास	सी स्कीम	स्थायी	ए. सी. जे.-1	
62.	विक्रम सिंह बनाम न्यास	अम्बा वाडी	अस्थायी	ए. एम डब्लू	
63.	सोहन लाल बनाम न्यास	आनन्दपुरी	अस्थायी	ए. सी. जे. 2	
64.	सरला भटनागर बनाम न्यास	ए-4, न्यू सांगानेरी रोड	अस्थायी	ए. एम. 2	
65.	मुन्ना कुरेशी बनाम न्यास	कसाबपुरा	अस्थायी	ए. एम.-2	
66.	राधेश्याम बनाम न्यास	बडोदिया	अस्थायी	ए. एम.-2	
67	जवाहर दास बनाम न्यास	कसाबपुरा	अस्थायी	ए एम.-2	
68.	मथुरा राम बनाम न्यास	केशव नगर	अस्थायी	ए. एम.-2	
69.	मोहता बनाम न्यास	सीकर हाउस	अस्थायी	एम. डब्लू	
70.	रामस्वरूप बनाम न्यास	685, नाहरी का नाका	स्थायी	एम. डब्लू	
71.	मिलाप चन्द बनाम न्यास	सी-76, बजाज नगर	स्थायी	एम. डब्लू	

72. बाबूलाल बनाम न्यास	डी-16 अमृत पुरी	स्थायी	एम. ई.
73. अब्दुल जब्बार बनाम न्यास	चांद पोल	अस्थायी	ए. एम. डब्लू
74. चन्दीलाल बनाम न्यास	ए-13, लाल कोठी	अस्थायी	ए. एम. -2
75. कृष्ण कन्हैया बनाम न्यास	पी-15, इन्द्रपुरी	अस्थायी	ए. एम.-2
76. शकुन्तला न्यास बनाम न्यास	लाल कोठी	अस्थायी	ए. एम.2
77. मूलचन्द बनाम न्यास	17, लाल कोठी	अस्थायी	ए. एम. 2
78. धूली देवी बनाम न्यास	एस-2, लाल कोठी	अस्थायी	ए. एम. 2
79. जहूरे मोहम्मद बनाम न्यास	बी-73, अमृतपुरी	अस्थायी	सी. जे. एम.
80. श्योनारायण बनाम न्यास	बोरिया बस्ती	स्थायी	ए. एम.-2
81. गसीबा बनाम न्यास	107, गवग वस्ती	स्थायी	ए. एम. -2
82. पदमालाल बनाम न्यास	141, वडोदिया	(अपील) **अस्थायी**	ए. डी. जे. -7
83. दौलतराम बनाम न्यास	27, हथरी ईवावड़ी	अस्थायी	ए. एम.-2
84. हरीनारायण बनाम न्यास	ए-57, लक्ष्मीनारायणपुरी	अस्थायी	ए. डी. जे.-5
85. राधेश्याम बनाम न्यास	143-144, बी, आनन्दपुरी	स्थायी	ए. डी. जे.-5
86. भूरुराम बनाम न्यास	बी-23, आनन्दपुरी	स्थायी	ए. एम. ई
87. चिरंजीलाल बनाम न्यास	169, वडोदिया	स्थायी	ए. एम.-2
88. बनवारीलाल बनाम न्यास	42-43, लक्ष्मीनारायणपुरी	अस्थायी	एम. ई.
89. शम्भुदयाल बनाम न्यास	बी-16, आनन्दपुरी	स्थायी	ए. एम. ई.
90. अजीमन बनाम न्यास	मो. परिवान चांदपोल दरवाजा	अस्थायी	**ए. एम डब्लू.**
91. मेना देवी बनाम न्यास	5-52, लालकोठी	स्थायी	ए. एम.- 2
92. श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा बनाम न्यास	ए-53, लाल कोठी	स्थायी	ए. एम. -2
93. हनुमान सहाय बनाम न्यास	34, न्यू पिंक सिटी, सुदर्शनपुरी	अस्थायी	ए. एम. 2
94. शिव सहाय बनाम न्यास	33, सुदर्शनपुरी	अस्थायी	ए. एम. 2
95. रिछपाल बनाम न्यास	35, सुदर्शनपुरी	अस्थायी	ए. एम. 2
96. संज्यादेवी बनाम न्यास	सोडाला	अस्थायी	ए. एम. -2

1	2	3	4	5	6
97.	मंवरलाल भोराम बनाम न्यास	बी-11, कृष्णपुरी सुदर्शनपुरा	अस्थायी	ए. एम.-2	
98.	भवानी सहाय बनाम न्यास	बी-15, कृष्णपुरी, सुदर्शनपुरा	स्थायी	ए. एम. -2	
99.	रामेश्वर बनाम न्यास	सी-78, वनीपार्क	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.	
100.	प्यारेलाल बनाम न्यास	सी – स्कीम	अस्थायी	ए. एम.-2	
101.	ताराचन्द बनाम न्यास	42, सवाई मानसिंह स्टेडियम	स्थायी	ए. एम.-2	
102.	श्री बनारसीदास बनाम न्यास	123, ए-बस्ती सीतारामपुरा	अस्थायी	ए. डी.-35	
103.	श्रीमती विमला अरोड़ा बनाम न्यास	भू. सं. 44, गोविन्दपुरी	अस्थायी	ए. एम.-1	
104.	श्री बनवारीलाल बनाम न्यास	लाल कोठी	अस्थायी	ए. एम.-11	
105.	श्री शांति बनाम न्यास	आमेर रोड नजदीक	अस्थायी	ए. एम.-1	
106.	श्री ओमप्रकाश बनाम न्यास	भू. सं. 1021. नाहरी का नाका	अस्थायी	ए. एम. ई.	
107.	पूर्णसिंह बनाम न्यास	सेन्ट एन्जिला स्कूल के पीछे	अस्थायी	ए. एम. ई.	
108.	गेंदीलाल बनाम न्यास	लाल कोठी	,,	ए. एम.-11	
109.	कल्याण बगेरा बनाम न्यास	खसरा नं. 417, लालाजी ढ़ाणी	,,	ए. एम. -11	
110.	विमल बनाम न्यास	ओझाजी का बाग	,,	ए. एम.-11	
111.	श्री ग्यारसी दास बनाम न्यास	रिजर्व बैंक के सामने	स्थायी	ए. एम.-11	
112.	श्रीमती ग्यारसी देवी बनाम न्यास	मोती डूंगरी रोड	अस्थायी	ए. एम. ई.	
113.	श्री भैरूराम बनाम न्यास	भू. सं. 1, स्वामी बस्ती	,,	ए. एम. डब्लू.	
114.	श्री श्रवण कुमार बनाम न्यास	ख. नं. 77, वासवदनपुरा	,,	ए. एम. -1	
115.	श्री सैयद अली बनाम न्यास	वासवदनपुरा	,,	ए. एम. -1	
116.	श्री पुरुषोत्तम बनाम न्यास	भू. सं. 19, गोविन्दपुरी	,,	ए. एम. -1	
117.	श्री ग्यारसीलाल बनाम न्यास	भू. सं. 32, सुभाषमार्ग, सी-स्कीम	स्थायी	ए. एम. ई.	
118.	श्री भैरूलाल बनाम न्यास	भोजपुरा	,,	ए. एम. -2	
119.	श्रीमती विमला बनाम न्यास	आगरा रोड	अस्थायी	ए. एम. ई.	
120.	श्री मोरीलाल बनाम न्यास	ख.नं. 400 से 405 व 425, लाल कोठी	अस्थायी	ए. एम. -2	
121.	श्री बसंतीलाल बनाम न्यास	भू. सं. 128, फतेह टीबा	,,	ए. एम. ई.	

122. श्री मुरारी लाल बनाम न्यास	नाहरी का नाका	स्थायी	ए. एम. डब्लू.
123. श्री लक्ष्मणसिंह बनाम न्यास	154, बदोडिया	,,	ए. एम. डब्लू.
124. स्वामी हनुमान सहाय बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायणपुरी	अस्थायी	ए. डी. जे. एस.
125. श्री सोमनाथ बनाम न्यास	33, कैलाशपुरी	अस्थायी	ए. एम. -2
126. श्री नरेश चन्द बनाम न्यास	बी-215, लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	ए. डी. जे. ए.
127. श्री महावीर कुमार बनाम न्यास	कली के मट्टे	,,	ए. एम. ई.
128. श्री सदानन्द बनाम न्यास	,, ,,	,,	,,
129. श्री हरसुख दास बनाम न्यास	,,	,,	,,
130. श्री हुकम चन्द बनाम न्यास	[illegible]	,,	,,
131. श्रीमती रामप्यारी बनाम न्यास	[illegible]	,,	,,
132. सरदार अजीतपाल सिंह बनाम न्यास	आगरा रोड	,,	एस. डी. जे. एस.
133. श्री मजीद बनाम न्यास	बरकत कॉलोनी	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
134. श्री भंवरलाल बनाम न्यास	79, स्वामियों की बस्ती	स्थायी	ए. एम. -2
135. श्री बनवारी लाल बनाम न्यास	एम. आई. रोड	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
136. श्री मोहन सिंह व अन्य बनाम न्यास	नारायण निवास	अस्थायी	एस. डी. जे. एस.
137. श्री सुमतराम बनाम न्यास	रामद्वारा	स्थायी	ए. एम. -1
138. जय बैंक कर्मचारी संघ बनाम न्यास	हवाई सड़क	स्थायी	ए. एम. -1
139. श्रीमती जमना देवी बनाम न्यास	नागतलाई, आगरा रोड	स्थायी	ए. एम. ई.
140. श्री लादूराम बनाम न्यास	झोटवाड़ा	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
141. श्री दामोदर बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायणपुरी	(अपील) अस्थायी	ए. डी. -35
142. श्री सद्दोमल बनाम न्यास	[illegible]	9-5-80 को स्थायी	ए. एम. डब्लू.
143. श्री रामगोपाल बनाम न्यास	झोटवाड़ा	स्थायी	ए. डी. -35
144. श्री उत्तम चन्द बनाम न्यास	10बी-110, आनन्दपुरी	स्थायी	ए. एम. -1
145. श्री राम जानकी बनाम न्यास	झोटवाड़ा	स्थायी	ए. एम. डब्लू.
146. श्री चतनलाल बनाम न्यास	जनता कॉलोनी	अस्थायी	ए. एम. ई.
147. श्री मोहम्मद शफी बनाम न्यास	311, बडोदिया	10-1-79 को स्थायी	ए. एम. -1
148. श्री [illegible] मोहन व अन्य बनाम न्यास	सरावगी पैट्रोलियम	अस्थायी	ए. एम. -2

1	2	3	4	5	6
149.	शफी मोहम्मद बनाम न्यास	आगरा रोड	स्थायी	ए. एम. ई.	
150.	नन्दलाल व अन्य बनाम न्यास	140, 142. 143, हथरो बावड़ी	,,	ए. डी. जे. एस.	
151.	रेवड़मल बनाम न्यास	144, डी. पी. कॉलोनी	,,	ए. एम. 2	
152.	भैरूं सिंह राजपुरोहित बनाम न्यास	आदर्श नगर श्मशान	,	ए. एम. ई.	
153	राम स्वरूप बनाम न्यास	,,	अस्थायी	ए. एम. 1	
154.	भोंरीलाल बनाम न्यास	बी-196, बस्सी सीतारामपुरा	,,	ए. एम. डब्लू.	
155.	जगदीश नारायण बनाम न्यास	67, हथरोई	,,	ए. एम. 2	
156.	भगवान सहाय बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायण पुरी ए-56	,,	ए. एम. 1	
157.	ज्वाला कंवर बनाम न्यास	डी. 8, लाल कोठी	,,	ए. एम. 2	
158.	नाथूलाल बनाम न्यास	काटाबाइजी कोठी	,,	,,	
159.	अपोलो नगर गृ. नि. स. बनाम न्यास	लाल कोठी ख. नं. 271/ 1, 271 / 387	,,	,,	
160.	सेन को. गृ नि. स. बनाम न्यास	ख. नं. 96, झालाना डूंगर	,,	डी. एस.	
161.	शान्ति देवी बनाम न्यास	ख. नं. 480, भोजपुरा	,,	ए. एम. 2	
162.	हरकचन्द जैन बनाम न्यास	डी.-2, इन्द्रपुरी	,,	,,	
163.	सीताराम बनाम न्यास	310, हसनपुरा सी	,,	ए. एम. डब्लू.	
164.	शंकरलाल बनाम न्यास	नागतलाई	,,	ए. एम. 1	
165.	मोहनलाल बनाम न्यास	झोटवाड़ा	,,	ए. एम. डब्लू.	
166.	देवीलाल बनाम न्यास	भू. सं. 35, 36, बस्सी सीतारामपुरा	,,	,,	
167.	रामजानकी बनाम न्यास	भू. सं. 11, अम्बाबाड़ी	,,	,,	
168.	राम प्रताप बनाम न्यास	रामपुरा रूपा	,,	ए. एम. 2	
169.	जय प्रकाश गृ. नि. स. स. बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	ए. एम. ई.	
170.	सुरेश चन्द बनाम न्यास	कली का भट्टा	,,	ए. एम. 2	
171.	जय जवान गृ. नि. स. बनाम न्यास	एवरेस्ट कॉलोनी	,,	ए. एम. 2	
172.	गोपीलाल बनाम न्यास	,,	,,	,,	

173.	जय जवान गृ. नि स.स. बनाम **न्यास**	रामजीपुरा	,,	,,
174.	लड्डूराम बनाम न्यास	झोटवाड़ा	,,	,,
175.	रामदास शर्मा बनाम न्यास	ए-19 वनीपार्क	,,	ए. एम. सी. 1
176.	राजेश वर्मा बनाम न्यास	कली का मट्टा	,,	ए. एम. 2
177.	रघुवीर प्रसाद बनाम न्यास	18-लाल कोठी	,,	ए. एम. सी. 1
178.	रमेश चन्द बनाम न्यास	28-ट्रक स्टेन्ड	,,	ए. एम. ई.
179.	बिरधी देवी बनाम न्यास	रावले जी का बाग न्यास रोड	,,	ए. एम. 2
180.	रघुनाथ बनाम न्यास	सुदर्शनपुरा	,,	,,
181.	गोविन्द राम शर्मा बनाम न्यास	लाल कोठी ए. 4	,,	,,
182.	कृष्णा कुमारी बनाम न्यास	सी-स्कीम	,,	डी. जे.
183.	विमल देवी बनाम न्यास	कृष्णा पुरी	स्थायी	ए. एम. डब्लू
184.	रुकमा देवी बनाम न्यास	,,	,,	,,
185.	पोखर मल बनाम न्यास	,,	,,	,,
186.	राम नारायण बनाम न्यास	खातीपुरा रोड	,,	,,
187.	भंवर लाल बनाम न्यास	,,	,,	ए. एम. 2
188.	डा. प्रताप सिंह बनाम न्यास	ओझाजी का बाग	,,	,,
189.	शकुन्तला माथुर बनाम न्यास	ए-1, लाल कोठी	अस्थायी	,,
190.	कन्हैयालाल बनाम न्यास	कली का मट्टा	,,	,,
191.	सूर जी बनाम न्यास	हीरा को मोरी	,,	ए. एम. 1
192.	सुरेन्द्र सिंह बनाम न्यास	ए-10, अम्बाबाडी	स्थायी	डी. जे.
193.	गजेन्द्र सिंह बनाम न्यास	ए-9, अम्बाबाडी	,,	,,
194.	भगवान दास बनाम न्यास	ए-15, अपोलो नगर, गृ. नि. स. स.	अस्थायी	ए. एम. 2
195.	महेन्द्र प्रसाद बनाम न्यास	ए-1, हटवाड़ा रोड	,,	,,
196.	सुगा बनाम न्यास	लाल कोठी, सी-5	,,	,,
197.	सरला देवी बनाम न्यास	35 कैलाश पुरी, न्यू सांगानेर रोड	,,	,,
198.	नरेन्द्र कुमार बनाम न्यास	11 दुर्गापुरा रोड	,,	,,
199.	राजेन्द्र कुमार बनाम न्यास	ए-6. लाल कोठी	,,	ए. एम. डब्लू.
200.	बिसमिला बनाम न्यास	स्वामियों की बस्ती	,,	,,

1	2	3	4	5
201.	हीरा खां बनाम न्यास	कली का भट्टा	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
202.	सुलतान सिंह बनाम न्यास	हथरोही	स्थायी	ए. एम. 2
203.	सीताराम बनाम न्यास	कली का भट्टा	अस्थायी	,,
204.	मूलचन्द बनाम न्यास	भोजपुरा	,,	,,
205.	कन्हैयालाल बनाम न्यास	अम्बाबाड़ी सी-2 से 122	,,	ए. एम. डब्लू.
206.	द्वारकाप्रसाद बनाम न्यास	लाल कोठी	,,	ए. एम. 2
207.	चन्द्र शेखर बनाम न्यास	ओझा जी का बाग	,,	,,
208.	सुलतान बनाम न्यास	रामपुरा रूपा	,,	,,
209.	चन्द्रवती बनाम न्यास	,,	,,	,,
210.	अजीज बनाम न्यास	बी-53, अमृत पुरी	स्थायी	ए. एम. ई.
211.	महावीर बनाम न्यास	स्वामियों की बस्ती, इजारा 3	,,	ए. एम. 2
212.	नानग राम बनाम न्यास	16 से अधिक की भूमि हथरोई	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
213.	,, बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायण पुरी	,,	ए. एम. ई.
214.	भौंरीलाल बनाम न्यास	सी-124, मोती डूंगरी रोड	,,	ए.डी.जे. 2
215.	राधेश्याम बनाम न्यास	धन्नादास की बगीची	,,	ए.एम.ई.
216.	मानसिंह बनाम न्यास	एम.आई.रोड	,,	ए.एम.डब्लू.
217.	जमनादेवी बनाम न्यास	झालाना डूंगर	,,	ए.एम.ई.
218.	जगदीश प्रसाद बनाम न्यास	हसनपुरा	,,	ए.एम. 2
219.	रामेश्वर प्रसाद बनाम न्यास	बी-58, बजाज नगर	,,	,,
220.	रामेश्वरी शर्मा बनाम न्यास	लाल कोठी	,,	,,
221.	भगवती प्रसाद बनाम न्यास	डी-4, जमना लाल बजाज मार्ग	,,	ए.सी.जे. 2
222.	सुशील कुमार बनाम न्यास	बी-190, लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	एम.ई.
223.	ठाकुरजी लक्ष्मीनारायण बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	एस.जी. 3
224.	नेतराम बनाम न्यास	नाहरी का नाका	,,	ए.एम.डब्लू.

225. लक्ष्मीदेवी बनाम न्यास	ए-55, कृष्णापुरी	,,	ए.एम. 2
226. प्रभा सिंघल बनाम न्यास	बी-46, लालकोठी	,,	सी.जे.एस.
227. मु. रमेहो व अन्य बनाम न्यास	कसाबपुरा	,,	ए.एम.डब्लू.
228. मोहम्मद यासीन बनाम न्यास	डी-198, अमृतपुरी	,,	एम.ई.
229. रामेश्वर शर्मा बनाम न्यास	सी-78 के पास, शास्त्रीनगर	,,	ए.एम.डब्लू.
230. नजीर मोहम्मद बनाम रमजो व अन्य	कसाबपुरा	,,	ए.एम. 2
231. नानगराम बनाम न्यास	35-हथरोई	,,	डी.जे.
232. मोरीलाल बनाम न्यास	मोजपुरा	,,	ए.एम.डब्लू.
233. सुरेश कुमार बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम.डब्लू.
234. लक्ष्मीदेवी बनाम न्यास	,,	,,	एम.डब्लू.
235. रामदास बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 2
236. घासी लाल बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम.डब्लू.
237. नन्दलाल बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 1
238. नन्नेशा बनाम न्यास	कब्रिस्तान, नाहरी का नाका	,,	ए.एम.डब्लू.
239. श्री अब्दुल रजाक बनाम न्यास	,,	,,	,,
240. अब्दुल लतीफ बनाम न्यास	,,	,,	,,
241. झन्डो मल बनाम न्यास	डी.पी. कालोनी	,,	,,
242. हरि नारायण बनाम न्यास	बड़ोदिया बस्ती-88	स्थायी	ए.एम. 1
243. पुष्पादेवी बनाम न्यास	,,	अस्थायी	ए.एम.डब्लू.
244. अमर सिंह बनाम न्यास	नायला हाउस	,,	ए.एम.ई.
245. प्रेमलता बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 2
246. नन्नेशा बनाम न्यास	नाहरी का नाका	,,	ए.डी.जे. 2
247. हमीद खां बनाम न्यास	बरकत कालोनी	स्थायी	ए.एम.डब्लू.
248. रामसहायक बनाम न्यास	,,	अपील अस्थायी	ए.डी.जे. 5
249. भगवान सहायक बनाम न्यास	,,	अस्थायी	ए.एम. 2
250. मोहनलाल बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम.डब्लू.
251. नाथलाल बनाम न्यास	आनन्दपुरी	,,	ए.एम. 2
252. रामस्वरूप बनाम न्यास	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
253.	ग्यारसी लाल बनाम न्यास	संसार चन्द रोड	स्थायी	एम.ई.
254.	सत्यनारायण बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम.ई.
255.	काना राम बनाम न्यास	55, फतेह टीबा	अस्थायी	एम.डी.जे. 5
256.	शोभादेवी बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 2
257.	भौरी लाल बनाम न्यास	लालकोठी	,,	ए.एम.डब्लू.
258.	बनवारी लाल बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 2
259.	नरेन्द्र सिंह बनाम न्यास	50, लालकोठी	,,	,,
260.	मनोहर देवी बनाम न्यास	11, लालकोठी	,,	,,
261.	मूलचन्द बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 1
262.	सुभाष बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 2
263.	सतीश कुमार बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 1
264.	बनवारी लाल बनाम न्यास	एम.आइ.रोड	,,	ए.एम.डब्लू.
265.	लक्ष्मीदेवी बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. 2
266.	रामेश्वर बनाम न्यास	आनन्दपुरी	,,	ए.डी.एम.ई.
267.	भंवरलाल बनाम न्यास	बस्सी बस्ती, सीतारामपुरा, ए-58	,,	ए.एम. 2
268.	रामप्रसाद बनाम न्यास	,,	,,	,,
269.	अब्दुल सतार बनाम न्यास	स्टेशन रोड	,,	,,
270.	मोहम्मद यासीम बनाम न्यास	अमृतपुरी	,,	ए.एम. 2
271.	राधेश्याम बनाम न्यास	लालकोठी	,,	ए.एम. 2
272.	कुसुम पोदार बनाम न्यास	,,	,,	,,
273.	दुलीचन्द चौधरी बनाम न्यास	19, जवाहर नगर	,,	ए.एम.
274.	हंस राम खत्री बनाम न्यास	गोबिन्द नगर-16	,,	,,
275.	इकबाल अहमद बनाम न्यास	हसनपुरा-सी	स्थायी	एम.डब्लू.
276.	श्रवण चन्द बनाम न्यास	जनता कालोनी	अस्थायी	एम.ई. 4

381

277. ग्यारसी लाल बनाम न्यास	वनस्थली मार्ग	,,	एम.
278. रामनिवास बनाम रघुवीर	ए-57, बस्ती सीतारामपुरा	स्थायी	मुंसिफ पश्चिम
279. राधेश्याम बनाम एलटी	65, कानोता हाउस	अस्थायी	ए.एम. 2
280. गोपी राम बनाम न्यास	17, शापिंग सेन्टर, बापू नगर	,,	,,
281. काना राम बनाम न्यास	ए-7, नाहरी का नाका	,,	,,
282. जगदीश पालीवाल बनाम न्यास	सांगानेरी रोड	,,	ए.एम.डब्लू.
283. राधाकिशन बनाम न्यास	8, बड़ोदिया बस्ती	,,	ए.एम. 2
284. ब्रह्मा शंकर बनाम न्यास	राज पार्क, 454	,,	ए.एम.ई.
285. राजकुमार बनाम न्यास	सिवीड एरिया एस.के.-107	,,	ए.एम. 2
286. सतीश कुमार बनाम न्यास	423, राजा पार्क	,,	ए.एम.ई.
287. केसा बनाम न्यास	162, धन्ना दास की बगीची	,,	,,
288. ब्रज किशोर बनाम सी.एस.पाठक	ए-37, तिलक नगर	स्थायी	,,
289. कन्हैयालाल बनाम ताराचन्द	363, नाहरी का नाका	अस्थायी	ए.एम.डब्लू.
290. रामेश्वर लाल बनाम न्यास	ख-1410, शमशान घाट गेट	स्थायी	ए.एम.ई.
291. मनोहरलाल बनाम न्यास	ख-406, शमशान घाट गेट	,,	,,
292. हीरालाल बनाम न्यास	29, ज्योति नगर	अस्थायी	ए.एम. 2
293. महबूब बनाम गफूर बनाम न्यास	बी-19, अमृतपुरी	,,	एम.ई.
294. रूपनारायण बनाम बी.एस.टी.	प्लाट नं. 1 व 2, स्टेशन रोड	,,	ए.एम. 2
295. रुकमणी बनाम न्यास	जे-3, आदर्श नगर	,,	एम.ई.
296. मूल चन्द बनाम न्यास	हसनपुरा	स्थायी	ए.डी.जे. 6
297. मदन गोपाल बनाम न्यास	म. नं. 20, गुरुनानक पुरा	अस्थायी	ए.एम.ई.
298. राधादेवी बनाम न्यास	म.नं. 247, ए-सिंधी कॉलोनी	,,	ए.एम.डब्लू.
299. मनमोहनसिंह बनाम न्यास	242, सिंधी कॉलोनी	,,	ए.एम.ई.
300. जगदीस प्रसाद बनाम न्यास	सी-111, नाहरी का नाका	,,	ए.डी.जे.डब्लू.
301. बाबू खां व अन्य बनाम मन्नेशा	नाहरी का नाका	,,	ए.डी.जे.
302. एफ.के.रेन्सि बनाम एस. पाली न्यास	आमेर रोड	,,	ए.एम. 2
303. एम.सी. लाल बनाम न्यास	,,	,,	,,
304. रोशनलाल बनाम न्यास	570, आदर्श नगर	,,	ए.डी.जे. 1

1	2	3	4	5	6
305.	गोरधनलाल बनाम न्यास	ट्रक स्टेण्ड	अस्थायी	ए.ई.जे. 1	
306.	नानगराम बनाम न्यास	हथरोई	,,	ए.एम.डब्लू.	
307.	जोन सोलोमन बनाम न्यास	मिशन कम्पाउन्ड, अजमेर रोड	,,	,,	
308.	शिवदयाल बनाम न्यास	जवाहर नेहरू मार्ग	,,	ए.एम. 11	
309.	विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी बनाम न्यास	सी-स्कीम	,,	,,	
310.	कन्हैयालाल बनाम न्यास	ई-11, शास्त्री नगर	,,	ए.एम.डब्लू.	
311.	दासूमल वगैरह बनाम सरकार	सिन्धी कॉलोनी	,,	ए.सी.जे. 1	
312.	कन्हैयालाल बनाम न्यास	88, फतेह टीबा	,,	ए.एम.2	
313.	नानग राम बनाम न्यास	हथरोई	,,	,,	
314.	अब्दुल रहमान बनाम न्यास	स्टेशन रोड	,,	ए.एम.डब्लू.	
315.	रुकमणी बनाम न्यास	डी-10, बनीपार्क	,,	,,	
316.	ललिता देवी बनाम न्यास	23, स्टेशन रोड	,,	,,	
317.	सत्यनारायण व कमला देवी बनाम न्यास	मोटर गेरेज के पीछे	,,	ए.डी.जे.5	
318.	हरसहा : बनाम न्यास	चौमू रोड	,,	ए.एम. डब्लू	
319.	श्रीमती इन्दूकौर बनाम न्यास	186, बड़ोदिया बस्ती	,,	,,	
320.	रामनारायण बनाम न्यास	एम.आई.रोड	,,	ए.एम.2	
321.	शमशुद्दीन बनाम न्यास	,,	,,	,,	
322.	ताराचन्द बनाम अतिक्रमण अधिकारी, न्यास	4-क, नाहरी का नाका	,,	,,	
323.	पुष्पा शर्मा बनाम न्यास	13, दुर्गापुरा	,,	ए.एम.पश्चिम	
323ए.	न्यास बनाम कमला बाई	6-स सी-स्कीम	स्थायी	ए. डी. जे. 6	
324.	महावीर प्रसाद न्यास	एस. के. 107, बापू नगर	अस्थायी	ए. एम. 11	
325.	रमेश चन्द बनाम न्यास	6-क 16, जवाहर नगर	,,	ए. एम. 11	
326.	ताराचन्द बनाम सत्यनारायण	798, रामगनर बड़ोदिया बस्ती	स्थायी	ए. एम. डब्लू.	
327.	अल्लाबक्स बनाम न्यास	346,347, बड़ोदिया बस्ती	,,	,,	

328.	मूलचन्द बनाम संज्या देवी	म. नं. 21, वाइस गोदाम	,,	ए. डी. जे. 7
329.	नूरअहमद बनाम न्यास	एम. आई. रोड	अस्थायी	ए. एम. डब्लू
330.	राधागोविन्द बनाम राधाकृष्ण	ए. एस. 6, आनन्दपुरी	,,	एम. ई.
331.	मदन लाल बनाम आर. एस. बी.	डी-78, मोती डूंगरी	,,	ए. एम. ई.
332.	कमरुद्दीन बनाम न्यास	हसनपुरा	स्थायी	ए. एम. डब्लू.
333.	बृजमोहन बनाम न्यास	लेवर कालोनी	,,	ए एम. 2.
334.	चुन्नीलाल बनाम सरकार	आदर्श नगर	अस्थायी	ए. डी. जे. 5
335.	कृष्णकुमार बनाम न्यास	7-क16, जवाहर नगर	स्थायी	ए. एम. ई.
336.	पांचूराम बनाम न्यास	आनन्दपुरी	अस्थायी	ए. डी. वे. 5
337.	सुगनमल बनाम न्यास	जवाहर नगर हा. बोर्ड, 4-ल 31	स्थायी	ए. एम. ई.
338.	मोहम्मद याकुल बनाम न्यास	37, हसनपुरा सी-स्कीम	,,	ए. एम. डब्लू
339.	रामपाल बनाम न्यास	78, हथरोई	,,	ए. एम. 2
340.	जहूर मोहम्मद बनाम न्यास	57-पेन्टर कालोनी	अस्थायी	ए. एम. डब्लू
341.	गुरु वक्स बनाम न्यास	के-132, वापूनगर	,,	ए. डी.जे. 3
342.	रामकली बनाम सीताराम न्यास	वी-68 नाहरी का नाका	,,	ए. एम. डब्लू.
343.	बसन्ती देवी बनाम राधाकृष्ण	सी-स्कीम	,,	ए. एम. डब्लू.
344.	रामनारायण बनाम न्यास	180, के. आनन्दपुरी	,,	ए. डी. जे. 7
345.	जमनालाल बनाम न्यास	एम. के. 107, गांधीनगर	,,	ए एम- 11
346.	न्यास बनाम ओमप्रकाश	जी-201 बजाज, नगर	,,	ए. डी. जे. 5
347.	लक्ष्मण कुमार बनाम ओमप्रकाश व. प्र.वि.	22, गोदाम ,,	,,	,,
348.	सकरण कुमार बनाम आत्मप्रकाश	जी-201, बजाज नगर	,,	,,
349.	अब्दुल गफूर बनाम कुल्लूखां	वासवदनपुरा	,,	,,
350.	न्यास बनाम लाली बाई	पुरोहित जी का बाग	स्थायी	ए. एम. 1
351.	न्यास बनाम नारायण दास	,,	,,	ए. 1
352.	महीपाल बनाम रामप्रताप	37, वाईस गोदाम	,,	,,
353.	पांचूराम बनाम न्यास	77, वाईस गोदाम	,,	ए. एम. डी. 6
354.	अब्दुलगनी बनाम न्यास	हसनपुरा	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
355.	जयराम बनाम न्यास	रामबाबू का अहाता	,,	डी. जे. 3

1	2	3	4	5
356.	रामचन्द बनाम गुलाब चन्द	24 ए-नाहरी का नाका	अस्थायी	ए. एम. ई.
357.	ज्ञानचन्द बनाम सरकार	झोटवाड़ा	मुद्रा परिषद	ए. डी. जे. 6
358.	असित डागा बनाम न्यास	तख्तेशाही रोड	स्थायी	ए. एम. आइ.
359.	के. पी. जैन बनाम विपिन प्रभाकर	शास्त्रीनगर	स्थायी	डी. जे.
360.	आनन्दकुमार सिंह बनाम न्यास	35, बड़ोदिया बस्ती	,,	ए. डी. जे. 5
361.	पूरन बनाम मांगीलाल	सी-1460 ए-नाहरी का नाका	,,	ए. एम. डब्लू.
362.	मूलीदेवी बनाम मंगलसिंह	कालियों का मोहल्ला	,,	,,
363.	रामनारायण बनाम न्यास	डी-27, माली कालोनी	,,	,,
364.	छगनलाल बनाम रामनारायण	डी-25.	,,	,,
365.	हुसेन बनाम न्यास	फतेह टीबा	अस्थायी	उ. उ. य. II
366.	कृष्णानन्द बनाम एस.सी. माथुर	22, सी-स्कीम	स्थायी	ए. एम. II
367.	इन्डियन आयरन मेने. बनाम न्यास	एम.आई रोड	अस्थायी	,,
368.	गौरीशंकर बनाम रामेश्वर प्रसाद	कांतिचन्द रोड	,,	ए. एम. डब्लू.
369.	कजोड़ मल बनाम न्यास	एस. बी.-114, बापूनगर	,,	ए. एम. II
370.	नूरमोहम्मद बनाम न्यास	मोहल्ला कलोगान	,,	ए. एम. इ.
371.	इन्डिया केमिकल बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	ए. एम. I
372.	मुन्ना बनाम न्यास	मोती डूंगरी रोड	,,	ए. एम. इ.
373.	बशीर अहमद बनाम न्यास	,,	,,	,,
374.	बंशीधर	सी-स्कीम	,,	ए. एम. II
375.	रामस्वरूप बनाम न्यास	26, जवाहर नगर	,,	ए. डी. जे
376.	रूपचन्द बनाम न्यास	600, आदर्श नगर	स्थायी	ए. डी. जे.
377.	जीतमल कोठारी	मोती डूंगरी रोड	,,	सी. जे. एम.
378.	भगवती बनाम न्यास	38 ए, आदर्श नगर	,,	ए. एम. ई.
379.	रामगोपाल बनाम न्यास	11-सी-स्कीम	,,	ए. एम. II

380.	शुभकरण बनाम न्यास	अम्बाबाड़ी	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
381.	मोहनलाल बनाम न्यास	संसार चन्द्र रोड	,,	,,
382.	लक्ष्मणदास ,, ,,	83 एल, गुरुनानकपुरा	,,	ए. एम. ई.
383.	चरणसिंह बनाम न्यास	134, आदर्श नगर	,,	,,
384.	आसनदास बनाम न्यास	634, आदर्श नगर	,,	ए. एम. ई.
385.	विरेन्द्रसिंह बनाम न्यास	91-बी, गोपाल बाड़ी	,,	ए. एम. II
386.	बद्रीनारायण बनाम न्यास	12ए, चौमू हाउस	,,	,,
387.	बाबू खां बनाम न्यास	जे. 141, फतेह टीबा	,,	ए. एम. ई.
388.	रतनी देवी बनाम न्यास	1, सीकर हाउस	,,	ए. एम. डब्लू.
389.	बनाम न्यास	ए. 13, अम्बा बाड़ी	,,	ए. एम. II
390.	प्रतापसिंह बनाम न्यास	न्यास कर्मचारी	,,	,,
391.	नवल किशोर शर्मा बनाम न्यास	न्यास कर्मचारी	,,	ए. एम. II
392.	सूगन मल बनाम न्यास	4- ल- 3, जवाहर नगर	,,	डी. जे.
393.	मोहनलाल बनाम न्यास	बी. 184, आनन्दपुरी	,,	ए. एम. डब्लू.
394.	देवाराम बनाम न्यास	84, ताहरी का नाका	स्थायी	ए. डी. जे. 7
395.	जैसाराम बनाम फूलचन्द	29, हटवाड़ा रोड़, शान्ति नगर	अस्थायी	ए. एम. डब्लू.
396.	मांगीलाल बनाम न्यास	11, अशोक पुरा, सोडाला	,,	ए. एम. II
397.	सोमराज बनाम न्यास	46, बेनीपार्क	,,	,,
398.	कल्याण मल बनाम शारदा देवी	ए. 14, झोटवाड़ा	,,	ए. डी. जे 7
399.	आर्य समाज मन्दिर बनाम न्यास		,,	ए. एम. ई.
400.	किशनचन्द बनाम न्यास	राजापार्क 694	,,	,,
401.	अब्दुल मजीद बनाम रामनारायण	खातीपुरा रोड	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
402.	केलाश भार्गव बनाम न्यास	जे. 145, आदर्श नगर	,,	ए. एम. II
403.	के. वी. सिंह बनाम न्यास	219, राजापार्क	,,	ए. एम. ई.
404.	रा. स. क्रय-विक्रय संघ बनाम न्यास	भवानीसिंह रोड	,,	ए. एम. II
405.	भगवान दास बनाम न्यास	एफ 138, सी स्कीम	,,	,,
406.	अंगूरी देवी बनाम न्यास	गोपालपुरा	,,	,,

385

1	2	3	4	5
407.	गंगाबाई बनाम न्यास	70, गीजगढ़ हाउस	अस्थायी	ए.एम. II
408.	पी. आर. मोहन बनाम न्यास	डी. 81, बनीपार्क	,,	ए. एम-I
409.	गोपीराम बनाम न्यास	ए-25, 22 गोदाम	,,	ए. एम. I
410.	नेवराम ,,	56, नाहरी का नाका		ए. एम. I
411.	राम मोहन शर्मा ,,	,,	स्थायी	ए. एम. II
412.	सुन्दर देवी ,,	65, आदर्श नगर	,,	एम. ई.
413.	मोहम्मद ,,	,,	,,	ए. एम. II
414.	मोहम्मद शफी बनाम नगर परिषद	,,	,,	एम. ई.
415.	राधेश्याम बनाम न्यास	,,	,,	ए. एम II
416.	बलदेव बनाम न्यास	एम. आई. रोड	,,	ए. डी. जे. 3
417.	श्रीमति लाली बाई बनाम न्यास	8, पुरोहितजी का बाग	,,	एम. डब्लू.
418.	नारायण बनाम न्यास	9, पुरोहितजी का बाग	,,	,,
419.	कमला बाई बनाम न्यास	6, ,, ,,	,,	,,
420.	अमर सिंह बनाम न्यास	मोती डूंगरी रोड	अस्थायी	ए. एम. ई.
421.	छोटू रहमुल्ला बनाम न्यास	,,	,,	,,
422.	दुर्गानारायण ,,	सिवाड़ एरिया, के-133	,,	ए. एम. 2
423.	श्रीमती दुर्गादेवी बनाम न्यास व प्रभा	192, 193, धन्ना दास की बगीची	स्थायी	ए. एम. ई.
424.	मोहन लाल बनाम न्यास व अन्य	3, झोटवाड़ा	अस्थायी	ए. एम. I
425.	मनोहर भाटिया ,,	हु. नं. 16, बनीपार्क रोड	,,	ए. सी. जे. II
426.	मु. मोहरी ,,	चौमू हाउस	,,	एम. एम. ई.
427.	योगेन्द्र कुमार बनाम न्यास	,,	,,	ए. एम. 2
428.	रामस्वजिय जरिये बी. एल. छाबड़ा. बनाम न्यास	2 ज 27, जवाहर नगर	,,	ए. एम. ई.
429.	होत चन्द बनाम न्यास	3.51, नाहरी का नाका	,,	एम. डब्लू.
430.	बाबू लाल अन्य बनाम न्यास	बड़ोदिया बस्ती	,,	ए. एम. 2

431.	के. एस. राठौड़ बनाम न्यास व अन्य	149, सिविल लाइन	अस्थायी	ए. एम. आई.
432.	इनायतखां बनाम रसीद खां बनाम न्यास	बासबदन पुरा	,,	ए. सी. जे. II
433.	श्रीवन्ती कुमार बनाम रामधन व अन्य	सी स्कीम	,,	ए. एम. 2
434.	कृष्णानन्द शर्मा बनाम न्यास	21, 22, सी स्कीम	,,	ए. एम. 8
435.	विष्णुदत्त व. न्यास	21, 22, सी स्कीम	,,	ए. डी. जे. 6
436.	स्वरूपनारायण बनाम न्यास व अन्य	मुद्रा परिवाद	,,	ए. डी. जे. 4
437.	श्री कुन्दन लाल बनाम न्यास	न्यास कर्मचारी	स्थाई	ए. एम. 2
438.	बिरजीलाल बनाम न्यास	,,	अस्थायी	,,
439	मूलचन्द ,,	वनीपार्क	,,	ए. एम. सी. 2
440.	आर डी. लाल ,,	नाहरी का नाका	,,	ए. एम. II
441.	अम्बा देवी ,,	स्टेशन रोड	स्थाई	ए. एम. डब्लू.
442.	एस. पीटर ,,	मिस कम्पाण्ड वाल	अस्थायी	ए. एम. II
443.	रामकली ,,	नाहरी का नाका	,,	ए. एम. डब्लू.
444.	जालुपुरा गृ. नि. स. स. ,,	जालूपुरा	,,	,,
445.	श्री चन्द्र शेखर ,,	,,	,,	,,
446.	श्रीराम वल्लभ ,,	तिलक नगर प. नं. 34	,,	ए. एम. ई.
447.	श्री कन्हैयालाल ,,	मण्डी खटीकान	,,	ए. एम. I
448.	श्रीमती प्रेमलता ,,	दुर्गापुरा, टोंक रोड	,,	,,
449.	श्री नरेन्द्र सिंह ,,	लाल कोठी	,,	,,
450.	श्री कैलाश नारायण शर्मा	हथरोही, सरदार पटेल मार्ग	,,	बी. जे.
451.	श्री रमेश चन्द ,,	,,	,,	ए. एम. ई.
452.	श्री ताराचन्द ,,	सी स्कीम	,,	ए. एम. II
453,	श्री नजीर अहमद बनाम न्यास	लालकोठी	,,	ए. ए. डब्लू.
454.	श्री राधाकृष्ण गुप्ता बनाम न्यास	टोंक रोड, 15	,,	,,
455.	श्री सुगनमल सन्तानी ,,	डी—3, जवाहर नगर	,,	,,
456.	श्रीमती रतन कुमारी ,,	लालकोठी	,,	ए. एम. II
457.	श्री बाबूलाल कुमावत ,,	,,	,,	,,
458.	अध्यक्ष, इन्दिरा कालोनी बनाम न्यास	इन्द्रा कालोनी, गलता	,,	,,

1	2	3	4	5
459.	हरीशंकर बनाम न्यास	न्यास कर्मचारी	अस्थाई	ए.एम. II
460.	रमेशकुमार बनाम न्यास	एस 30, बाईस गोदाम	,,	सी.जे.
461.	सीताराम वगैरा बनाम न्यास	,,	,,	ए.एम. II
462.	ओंकार सैनी ,,	108, गोपालपुरा रोड	,,	,,
463.	मिर्चूमल ,,	डी 34, पत्रकार कोलोनी	,,	ए.एम.ई.
464.	कौशल्या देवी ,,	227, राजापार्क	,,	एम.एम.ई.
465.	नाथी बाई ,,	ए,64, सीतारामपुरा	,,	ए.एम. II
466.	गंगाप्रसाद ,,	50, बाईस गोदाम	,,	,,
467.	श्रीमती रामचन्दी ,,	बी–28, नन्दपुरी	,,	,,
468.	नसरूदीन ,,	109, गोपालपुरा	,,	,,
469.	ईश्वरलाल बनाम न्यास	भू. सं. 11, लालकोठी	,,	,,
470.	डा. स्वामीशरण शर्मा बनाम न्यास	भू. सं. 4, सी स्कीम	,,	ए.एम. II
471.	न्यास बनाम लक्ष्मीनारायण	बनीपार्क,	स्थाई	डी.जे.
472.	न्यास बनाम अनवर	डी–3. नाहरी का नाका	,,	,,
473.	रामधन बनाम न्यास	39, धनन्दास की बगीची	अस्थाई	ए.एम. I
474.	सुन्दरलाल ,,	ए–16, ओजाजी का बाग	,,	,,
475.	श्रीमती सुरेशकुमार बनाम न्यास	न्यू सांगानेर रोड	,,	,,
476.	मन्जु जैन ,,	गोपालपुरा	,,	,,
477.	सतीशचन्द्र ,,	मालवीय नगर, लाटरी परिवाद	,,	ए.एम. II
478.	महाराज भगतसिंह ,,	अपील	स्थाई	डी.जे.
479.	नन्देशाह बनाम न्यास	,,	,,	,,
480.	श्रवणसिंह ,,	,,	,,	,,
481.	नेता राम ,,	बनीपार्क	अस्थाई	ए.एम. प्रथम

482.	लादूराम	,,	सोडाला, न्यू सांगानेर	,,	ए. एम. 2
483.	गोविन्द प्रकाश दाधीच	,,	मू. सं. 9, देवस्थान, चाँमू हाउस	,,	ए. एम.
484.	नाथूलाल बनाम न्यास		बाईजी की कोठी, लालकोठी	,,	,,
485.	लीलादेवी	,,	गोपालपुरा	,,	,,
486.	रामस्वरूप वडीवाले बनाम न्यास		कायरा बस्ती	,,	ए .एम. II.
487.	घीसीराम व अन्य बनाम न्यास		नाहरी का नाका	,,	ए .एम .डब्लू.
488.	सुआलाल	,,	अपील	स्थाई	डी .जे.
489.	श्री गिरीराज प्रसाद	,,	मू. सं. 8, दुर्गापुरा	अस्थाई	ए .एम. II
490.	श्री सत्यानारायण	,,	वाजदारी	,,	ए .एम . ई.
491.	रामेश्वर लाल	,,	126, सुभाष नगर, नाहरी का नाका	,,	ए. एम. डब्लू.
492.	मोहनी देवी	,,	भू. सं. 93 ,, ,,	,,	,,
493.	घासीरमा	,,	मू खण्ड सं. 160, लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	
494.	श्रीमती जगदीश कोटे	,,	आमेर रोड भू., सं. 27	,,	एम. एम. II
495.	छडूमल	,,	रामगढ रोड भू., सं. 20	,,	ए एम II
496.	शमशुदीन	,,	मेहरा बस्ती, रामगढ रोड	,,	ए. एम. I
497.	गोरधन लाल राठी	,,	न्यास कर्मचारी	,,	ए. एम. II
498.	श्री लक्ष्मीचन्द बनाम अर्जुनसिंह	,,	भू. सं. 10, हथरोई	,,	,,
499.	श्री राधश्याम	,,	भू. सं. 12, पथिक भवन, गृ. नि. स. स.	,,	,,
500.	श्री भंवरलाल बनाम न्यास		भू. सं. बी–47, आनन्दपुरी	,,	ए. एम ई.
501.	कच्ची बस्ती सिपाहियान-बनाम न्यास		घाट गेट, आगरा रोड	,,	,,
502.	तेज बहादुर माथुर	,,	किशन बाग	,,	ए. एम. II
503.	सत्यनारायण	,,	दुर्गापुरा	,,	,,
504.	दयावती देवी	,,	एम.आई. रोड, कुन्दन नगर	,,	,,
505.	कल्याण	,,	भोजपुरा, लाढाजी की ढाणी	,,	,,
506.	बाबूलाल	,,	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	ए. एम. 1
507.	किशनलाल	,,	हथरोई बावडी	,,	ए. एम. 2
508.	जगदीश नारायण	,,	भू. सं. 10, चौमू हाउस	,,	ए. एम. 2
509.	कृष्णपुरी गृ. नि. स.स.	,,	रामपुरा रूपा	,,	,,

389

1	2		3	4	5
510.	वृजभूषण	बनाम न्यास	789, सिंधी कालोनी, राजापार्क	अस्थाई	ए. एम. ई.
511.	मोहनलाल	,,	आनन्दपुरी	,,	ए. डी. 36
512.	लक्ष्मीदेवी	,,	बारादरी	,,	ए. एम. II
513.	पप्पू	,,	बडोदिया बस्ती	,,	ए. एम. डब्लू.
514.	श्रीमती मीना खातेला	,,	भू. सं. 2, जगतपुरा	,,	ए. एम. 2
515.	मनमोहन	,,	बाईस गोदाम	,,	,,
516.	मोहम्मद खां करीमबक्स	,,	कस्सापुरा	,,	एम. डब्लू.
517.	श्रीमती प्रेमलता	,,	जगतपुरा, भू. सं. 5	,,	एम. एम. II
518.	मनोरमा	,,	भू. सं. 3 ज, जगतपुरा	,,	,,
519.	मो. अहसान	,,	मीना बस्ती, नाहरी का नाका	,,	ए. एम. डब्लू.
520.	पं. वैद्यनाथ शर्मा	,,	22, लालकोठी	,,	ए. एम. II
521.	श्री राधेश्याम बनाम न्यास		179, हसनपुरा	,,	,,
522.	सईदखां	,,	धन्नादास की बगीची	,,	,,
523.	गोपीराम	,,	25, बाइस गोदाम	,,	ए. ज. डा. जे. 6
524.	गणेश प्रकाश माथुर	,,	न्यास कर्मचारी	,,	एम. एम. II
525.	मुइनुद्दीन बनाम शंकर लाल व न्यास		चन्द्र शेखर की बगीची	,,	ए. एम. डब्लू.
526.	राधेश्याम व अन्य	,,	20, जोबनगर	,,	,,
527.	श्रीमती केलाशवती	,,	बोहराजी का बाग	,,	ए. एम. II
528.	भौरेलाल	,,	अशोकपुरा, सोडाला	,,	,,
529.	गपलादेवी	,,	लालकोठी, ए–8	,,	,,
530.	श्रीमती नर्बदा देवी	,,	भोजपुरा	,,	,,
531.	श्री नानूलाल	,,	,,	,,	,,
532.	श्री छीतरमल	,,	जोबनेर बाग	,,	ए. एम. II
533.	रामचन्द्र	,,	चक सुदर्शनपुरा	,,	ए. एम. II

534.	पदमलाल बनाम न्यास ,,	वडोदिया बस्ती	अपील अस्थाई	ए. डी. जे. 7
535.	मघाराम ,,	फैक्ट्री, आमेर रोड़	अस्थाई	ए. एम. I
536.	हनुमान बनाम राधा दामोदर ट्रस्ट	हाथी बाबू का बाग	,,	ए. एम. डब्लू
537.	रमेश चन्द बनाम न्यास	जनता कालोनी, 250	,,	ए. एम. ई.
538.	ललिता देवी बनाम न्यास	100, 101, बनीपार्क	,,	ए. एम. डब्लू
539.	छोटू बनाम न्यास	मोती डूंगरी रोड	,,	ए. एम. ई.
540.	चोहित राम बनाम न्यास	अशोक पुरा	,,	ए. एम. II
541.	भागचन्द सेठी बनाम रा. डी. गुप्ता व न्यास	,, सोडाला	,,	,,
542.	मोहम्मद अहसान बनाम न्यास	मीणा बस्ती, नाहरी का नाका	,,	डी जे.
543.	तारा चन्द बनाम न्यास	789, नाहरी का नाका	,,	,,
544.	दूली चन्द बनाम न्यास	मेजर सैतान सिंह	,,	ए. एम. II
545.	गिरीशचन्द्र बनाम न्यास,	धूलेश्वर गार्डन	,,	,,
546.	अब्दुल करीम बनाम न्यास	बोराजी का बाग, 17	,,	,,
547.	रतन लाल जैन बनाम न्यास	बी-94, सेठी नगर	,,	ए. एम. I
548.	सुरेश कुमार बनाम न्यास	300, बरकत कॉलोनी	,,	ए. एम. II
549.	अब्दुल कयूम बनाम न्यास	नाहरी का नाका	,,	,,
550.	हरिनारायण सेठी बनाम न्यास	387, राम नगर कॉलोनी	,,	ए. एम. डब्लू
551.	मोहनलाल बनाम न्यास	मण्डी खटीकान	,,	ए. एम. I
552.	मीना लाल बनाम न्यास	34, 35, बोराजी का बाग	,,	ए. एम. II
553.	नाथ पारीक बनाम न्यास	31, 32, बोराजी का बाग	,,	ए. एम. 2
554.	मोहम्मद बनाम न्यास	जे-47 फतेह टीबा	,,	ए. एम. ई.
555.	नर्बदा देवी बनाम न्यास	भोजपुरा	,,	ए. एम. II
556.	अशोक कुमार बनाम न्यास	20-ए, बोराजी बाग	,,	ए. एम. II
557.	सीताराम बनाम न्यास	1सी-181, नाहरी का नाका	,,	ए. एम. II
558.	राधा गोपाल बनाम न्यास	ए-185, बस्ती सीतारामपुरा	,,	ए. एम. डब्लू
559.	ग्यारसी लाल बनाम न्यास	रिजर्व बैंक के सामने	,,	डी. जे. कन्टम्पट
560.	अशोक कुमार रोली वाल बनाम न्यास	134, अम्बा बाड़ी	,,	ए. एम. I
561.	महेशपुरी बनाम न्यास	33, लक्ष्मीनगर	,,	एम. एम. डब्लू

1	2	3	4	5
562.	मूलचन्द बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायण पुरी	अस्थायी	ए.एम.
563.	मीना देवी बनाम न्यास	आनन्दपुरी	,,	ए.एम.ई.
564.	कमला देवी बनाम न्यास	ई-73, वनीपार्क	,,	ए.एम. डब्लू.
565.	मूल चन्द बनाम न्यास	59, हथरोई कोट	,,	ए एम. डब्लू
566.	मोहनलाल अग्रवाल बनाम न्यास	1ए-2, लालकोठी	,,	ए.एम.
567.	भगवान सहाय बनाम न्यास	1ए-1, लालकोठी	,,	ए.एम. II
568.	जितेन्द्र कुमार बनाम न्यास	1ए-5, लालकोठी	,,	ए. एम. II
569.	सावमल अग्रवाल बनाम न्यास	1-ए, लालकोठी	,,	ए.एम. II
570.	लक्ष्मीनारायण बनाम न्यास	ग्राम भोजपुरी	,,	ए.एम. II
571.	ईश्वर नारायण बनाम न्यास	ग्राम भोजपुरी	,,	ए.एम. II
572.	राधा मोहन बनाम न्यास	बापूनगर, ए-8	,,	ए.एम. II
573.	केसर लाल बनाम न्यास	बी-107, विश्वविद्यालय	,,	ए.एम.ई.
574.	बजरंगलाल सैनी बनाम न्यास	35, लालकोठी	,,	ए. एम. II
575.	महादेव बनाम न्यास	दयानन्दपुरी	,,	ए. एम. II
57[illegible].	कृष्णा देवी बनाम न्यास	ई. 53, शास्त्रीनगर	,,	ए.एम. II
577.	शमा देवी बनाम न्यास	रामपुरा रुपा	,,	ए.एम.डब्लू.
578.	नन्दकिशोर साहू बनाम न्यास	बोहराजी बाग	,,	ए.एम. II
579.	राजेन्द्रसिंह बनाम न्यास	372, राजा पार्क	,,	ए.एम.ई.
580.	कपूर चन्द बनाम न्यास	कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट	कन्टेम्प्ट	ए.एम.ई.
581.	मोहनलाल खण्डेलवाल बनाम न्यास	खण्डेला हाउस	अस्थायी	डी.जे.
582.	कमलेश माथुर बनाम न्यास	इन्द्रपुरी. गृ. नि. स. स.	,,	एम. II
583.	नन्दा बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायण पुरी	,,	ए.एम. II
584.	विजय कुमार मेहता बनाम न्यास	जवाहर नगर	,,	ए.एम.ई.
585.	चन्दाराम बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायण पुरी	,,	ए.एम. I

587.	इमामुद्दीन बनाम न्यास	सेन कालोनी	,,	ए. एम. डब्लू.
588.	सत्य देवी बनाम न्यास	हथरोई क.ब.	,,	डी. जे.
589.	सीताराम बनाम न्यास	हथरोई क.ब.	,,	डी. जे.
590.	छोटू बनाम न्यास	मोती डूंगरी	,,	ए.सी.जे.
591.	घनश्याम दास बनाम न्यास	222, गुरुनानकपुरा	,,	ए. एन. ई.
592.	शशिप्रभा बनाम न्यास	—	,,	सी. जे.
593.	रामप्रतापसिंह बनाम न्यास	सी-110, नाहरी का नाका	,,	ए. एम. ई.
594.	लालमोहम्मद डा. अलाबक्श बनाम न्यास	एम. आई. रोड	,,	ए. एम. II
595.	जयपाल बनाम न्यास	22, लाल कोठी	,,	ए. एम. II
596.	इशाक अली बनाम न्यास	66, अमृतपुरी	,,	ए. एम. ई.
597.	अनवर अली बनाम न्यास	76, अमृतपुरी	,,	ए. एम. ई.
598.	ओमवती बनाम न्यास	अमरनाथ की बगीची	,,	,,
599.	भोजराज सिंह बनाम न्यास	ग्राम मालपुरा	,,	सी. जे. एम. आई.
600.	शोला राम बनाम न्यास	न्यास कर्मचारी	,,	ए. एम. II
601.	कानजी बनाम न्यास	ए-4, अमृतपुरी	,,	ए. एम. ई.
602.	मोहनलाल बनाम न्यास	बी-110, अमृतपुरी	,,	,,
603.	पांचु बनाम न्यास	ए-3, अमृतपुरी	,,	,,
604.	मौरीलाल बनाम न्यास	आनन्दपुरी	,,	,,
605.	रवीकुमार बनाम मदनलाल व अन्य	131, फन्टीयर कालोनी	,,	,,
606	इन्द्रपुरी गृ. नि. स. स. बनाम न्यास	खा नं. 255, 256, रामपुराखा	,,	ए. एम. II
607.	मोतीलाल बनाम न्यास	डी-19, अमृतपुरी	,,	ए. एम. ई.
608.	अर्जुनकिशोर बनाम न्यास	वैज्ञानिक कागं, चौमूं रोड	,,	ए. एम. II
609.	राजेन्द्र सक्सेना बनाम रघुवीरसिंह	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	ए. एम. I
610.	जुनादेवी बनाम न्यास	कान्ती चन्द्र रोड	,,	डी. जे.
611.	केसरदेवी बनाम न्यास	आनन्दपुरी	,,	ए. एम. ई.
612.	बांकेलाल अग्रवाल बनाम न्यास	ए-151, नाहरी का नाका	,,	ए. एम. I
613.	बुन्दूखां बनाम न्यास	231, लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	ए. एम. II

(394)

1	2	3	4	5
614.	कैलाश चन्द्र बनाम न्यास	बी-67, अमृतपुरी	अस्थायी	ए. एम. ई.
615	इकबाल अली बनाम न्यास	70, अमृतपुरी	,,	,,
616.	अब्दुल रज्जाक बनाम न्यास	67, अमृतपुरी	,,	,,
617.	मुन्ना खां बनाम न्यास	66, अमृतपुरी	,,	,,
618.	रघुनाथ बनाम न्यास	मोजपुरा	,,	ए. एम. II
619.	लादूसिंह बनाम न्यास	जय जवान गृ. नि. स. स.	,,	ए. डी. जे. II
620.	शंकरलाल बनाम मोतीलाल व अन्य	जनता कालोनी	,,	ए. एम. ई.
621.	मंजुलता गौड़ बनाम न्यास	221, गोपालपुरा	,,	ए. एम. II
622.	शंकरलाल बनाम न्यास	महापुरा, चौमू रोड	,,	ए. एम. II
623.	ओमलता बनाम न्यास	445, राजा पार्क	,,	ए. एम. ई.
624.	ओमीदेवी बनाम न्यास	बरवाड़ा हाउस	,,	ए . एम. 2
625.	प्रेमलता बनाम न्यास	38, लाल कोठी	,,	ए. एम. II
626.	मुरली देवी बनाम न्यास	40, लाल कोठी	,,	ए. एम. II
627.	समीउद्दीन बनाम न्यास	सीकर हाउस	,,	ए. ए म. डब्ल्यू.
628.	महाराजा सवाई जयसिंह वलेनेवल ट्रस्ट	मोती डूंगरी के पीछे	,,	ए. एम. ई.
629.	रामगोपाल बनाम न्यास	दु. नं. 27, खातीपुरा रोड	,,	ए. एम. II
630.	माधव नगर गृ. नि. स. स.	मोदीनगर, विश्वकर्मा	,,	डी. जे.
631.	अब्दुल अजीज बनाम न्यास	सीकर हाउस	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
632.	डा. जहूर मोहम्मद बनाम न्यास	वनस्थली मार्ग	,,	,,
633.	रामप्रसाद पुत्र रामनारायण	29, लालपुरा, वनस्थली मार्ग	,,	,,
634.	आजम खां पुत्र मुमताज खां	जालुपुरा	,,	ए. एम. II
635.	बाबूलाल बनाम न्यास	रामगन्ज, टौंक रोड	,,	,,
636.	रतन लाल पुत्र भंवर लाल	बी 109, लाल कोठी	,,	ए.एम. II
637.	अमीना बेगम	66, देवीनगर, न्यू तां. रोड	,,	ए. एम. II

638.	शान्ति देवी	30, लाल कोठी एवरेस्ट सी., आगरा रोड	,,	ए.एम. II
639.	पहाड़ गंज गृ. नि. स. स.	खा. नं. 116, हीदा की मोरी	इकतरफा निषेधा	ए.एम. I
640.	रामधन	—		ए. एम. I
641.	अर्जुनकिशोर बनाम न्यास	कली भटटा	अस्थायी	ए.एम. II
642.	जय जवान गृ. नि. स. स.	बी 29, लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	डी. जे.
643.	अवधेश कुमार बनाम न्यास	सी 39, सीकर रोड	,,	ए.एम. II
644.	कैलाश चन्द बनाम न्यास	बी 42, सीकर हाउस	,,	ए.एम. II
645.	श्रीमती सोहनी देवी बनाम न्यास	सीकर हाउस	,,	ए. एम. II
646.	लल्लू लाल व अन्य बनाम न्यास	सीकर हाउस	,,	ए.एम. डब्लू.
647.	रावतार शर्मा बनाम न्यास	बी 221, जवाहर कालोनी	,,	डी.जे.
648.	पूरण बनाम न्यास	7 जे 15, जवाहर नगर	,,	ए.एम. ई.
649.	सुरजीतसिंह खुराणा बनाम न्यास	न्यास कर्मचारी	,,	ए.एम. II
650.	लक्ष्मी देवी बनाम न्यास	मू.प.स. 2 ए	,,	ए.एम. II
651.	प्रभात कुमार जैन बनाम न्यास	बी 42, सीकर हाउस	स्थाई	ए.एम. डब्लू.
652.	राजु बाई बनाम न्यास	ए 57, जनता कालोनी	अस्थायी	डी.जे.
653.	कल्लू सहीद व अन्य बनाम न्यास	नाहरी का नाका	,,	डी.जे.
654.	अब्दुल गनी व अन्य	बड़ोदिया बस्ती	,,	डी.जे.
655.	माना देवी बनाम न्यास	आनन्दपुरी	,,	डी.जे.
656.	रामजी गुप्ता	झोटवाडा	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
657.	रघुवीर सिंह गुप्ता बनाम न्यास	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	ए.एम. I
658.	चौथमल शर्मा बनाम न्यास	महापुरा कूकर खेडा	,,	डी.जे.
659.	विशन सिंह बनाम न्यास	न्यास गोदाम, नाहरी का नाका	स्टे कन्फर्म स्थायी	ए.एम. डब्ल्यू.
660.	कमला शर्मा बनाम न्यास	10, लाल कोठी	अस्थायी	ए.एम. डब्ल्यू.
661.	बोदमराम बनाम न्यास	पानी की टंकी नाहरी का नाका	,,	ए.एम. डब्ल्यू.
662.	रामेश्वर प्रसाद बनाम न्यास	,, ,,	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
663.	मूलचन्द सोढिया बनाम न्यास	जनता कालोनी	,,	ए.एम.ई.
664.	राजेन्द्र सक्सेना व अन्य बनाम रघुवीरसिंह	लक्ष्मीनारायण पुरी	,,	ए.एम. I
665.	शान्ति लाल जैन बनाम न्यास	बी 42, सुभाष मार्ग	,,	ए.एम. डब्ल्यू.

1	2	3	4	5	6
666.	पूरण सिंह बनाम न्यास	ए-10, जनता कॉलोनी	अस्थायी	ए.एम.ई.	
667.	कृष्णलाल खन्ना बनाम न्यास	डी-46, पत्रकार कॉलोनी	,,	ए.एम.ई.	
668.	भंवर सिंह उर्फ भोरी लाल	नाहरी का नाका	,,	ए.एम. II	
669.	राम प्रताप सिंह बनाम न्यास	केवल नोटिस	,,	ए. एम. ई.	
670.	नानग राम बनाम न्यास	10, लालकोठी	,,	ए.एम. II	
671.	ब्रज किशोर भार्गव बनाम न्यास	ए-37, अपील तिलकनगर	,,	डी. जे.	
672.	मेवा देवी व अन्य बनाम न्यास	ए-11, सीकर हाउस	,,	ए. एम. II	
673.	न्यास बनाम बुन्दू खां	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	डी. जे.	
674.	मोहिनी देवी बनाम न्यास	इन्दपुरी लालकोठी	,,	ए. एम. II	
675.	उमेश चन्द बंसल बनाम न्यास	केवल नोटिस, केवल सम्मन, नोटिस	,,	,,	
676.	ललिता देवी बनाम न्यास	18, इन्द्रपुरी लालकोठी	,,	,,	
677.	अब्दुलहक व अन्य बनाम न्यास	हसनपुरा	,,	डी. जे.	
678.	मनोहर चतुर्वेदी	लालकोठी	,,	ए. एम. II	
679.	वृद्धिचन्द गुप्ता बनाम न्यास	इन्द्रपुरी लालकोठी	,,	,,	
680.	राज कुमार धुपिया बनाम न्यास	6 व 7, बोहराजी का बाग	,,	,,	
681.	शान्त कुमार जोशी बनाम न्यास	बी-19, इन्द्रपुरी लालकोठी	,,	,,	
682.	भंवर देवी बनाम न्यास	49, स्टेडियम के पास	,,	,,	
683.	शकुन्तला सिंह बनाम न्यास	3, इन्द्रपुरी लालकोठी	,,	,,	
684.	वैद्य प्रकाश विष्णु कुमार बनाम न्यास	43, एवरेस्ट कॉलोनी	,,	,,	
685.	मोहनलाल केकालाल बनाम न्यास	2 ए, एवरेस्ट कॉलोनी	,,	,,	
686.	फूलमोहम्मद बनाम न्यास	पेन्टर कोलोनी नाहरी का नाका	,,	,,	
687.	श्यामसुन्दर बनाम न्यास	चौमूरोड बीड सरकारी	,,	,,	
688.	रघुनाथ व अन्य बनाम न्यास	सं. 17, चौमू हाउस रोड बीड सहकारी	,,	ए. एम. डब्ल्यू.	
689.	कैलाश चन्द बनाम न्यास	10, स्टेडियम के पीछे लालकोठी	,,	ए. एम. II	

690.	हरिशरण माथुर बनाम न्यास	बी-24, लालकोठी इन्द्रपुरी	,,	,,
691.	मैरू राम बनाम न्यास	नाहरी का नाका	,,	,,
692.	मोहम्मद रशीद बनाम न्यास	ए. एम. ई. जोगावर सिंह दरवाजा	,,	ए. एम. ई.
693.	देवी शरण बनाम न्यास	ए-13, इन्द्रपुरी लालकोठी	,,	ए. एम. II
694.	चौथ मल बनाम न्यास	127, वीड सरकारी चौमू रोड	,,	ए.एम. II
695.	रामा बाई बनाम न्यास	9, बोहरा जी का बाग	,,	,,
696.	अब्दुल बारी बनाम न्यास	नेशनल हाइवे	,,	ए. एम. I
697.	गिरधर पारीक बनाम न्यास	सी-31, इन्द्रपुरी लालकोठी	,,	ए. एम. II
698.	शब्बो बनाम न्यास	बरवाड़ा हाउस अजमेर रोड	,,	,,
699.	धन्ना बनाम न्यास	मोती डूंगरी	,,	,,
700.	सुनीता हीरावत बनाम न्यास	कानोता हाउस	,,	,,
701.	महादेव प्रसाद बनाम न्यास	वड़ोदिया बस्ती	स्थायी	,,
702.	ओम प्रकाश बनाम न्यास	103, नाहरी का नाका	स्टेकन्फर्म स्थायी	ए.एम.डब्ल्यू.
703.	बाली बाई बनाम न्यास	12-7-82 को स्थायी नाहरी का नाका	,,	,,
704.	गोवर्धन लाल सेनी बनाम न्यास	,,	,,	,,
705.	लक्ष्मीनारायण बनाम न्यास	,,	,,	,,
706.	भगवान सहाय बनाम न्यास	,,	,,	,,
707.	रामस्वरूप सेनी बनाम न्यास	,,	,,	,,
708.	कजोड मल सेनी बनाम न्यास	,,	,,	,,
709.	डा. राममोहन सहाय बनाम न्यास	वी 15, भाभा मार्ग	अस्थायी	ए.एम.ई.
710.	दुर्गा नारायण बनाम न्यास	मोती डूंगरी विस्तार	,,	,,
711.	छगन लाल बनाम न्यास	नाटानियों का बाग	,,	,,
712.	नन्दवाना बनाम न्यास	पं. समिति झोटवाड़ा	,,	ए.एम.डब्ल्यू.
713.	कुशाल चन्द फोफलिया	17 जवाहर नगर	,,	ए.एम.ई.
714.	कजोडमल व अन्य बनाम न्यास	भगत वाटिका	,,	,,
715.	गोपी कृष्ण बनाम न्यास	अपील निर्णय के विरुद्ध	,,	डी.जे.
716.	मोरी लाल फूला बनाम न्यास	लालकोठी	,,	ए.एम. II
717.	बाबुलाल छोटी लाल बनाम न्यास	ख.न. 275 से 278 व 267 से 522	,,	,,

1	2	3	4	5
718.	सावित्री सिंह बनाम न्यास	मू.सं. 15, लालकोठी	अस्थायी	ए.एम. II
719.	गोवर्धन लाल बनाम न्यास	26 ए, बनीपार्क	,,	ए.एम.डब्ल्यू
720.	जय जवान गृ. नि. स. स. बनाम विनोदकुमार		,,	ए.एम.ई.
721.	सुरैया बेगम बनाम न्यास	11, करबला रोड	,,	ए.एम. I
722.	बैनी प्रसाद टेमानी बनाम न्यास	एल.ए. नगर	,,	ए.एम. II
723.	नवीन चन्द सक्सेना बनाम न्यास	केवल नोटिस	,,	,,
724.	तसलीम बनाम न्यास	मू. सं. 2, करबला रोड	,,	ए.एम.ई.
725.	गुलाम मोहम्मद बनाम न्यास	12, आमेर रोड	,,	ए.एम. II
726.	एस.एन. अग्रवाल बनाम न्यास	ए-99 व 100, सुभाष नगर	स्थायी	,,
727.	परसाराम बनाम न्यास	मण्डी खटीकान	अस्थायी	ए.एम. I
728.	रुकमणी देवी बनाम न्यास	मू.सं.42, लालकोठी	,,	,,
729.	हेमलता चौहान बनाम न्यास	मू.सं. 98, अम्बाबाड़ी	,,	ए.एम. II
730.	सीताराम शाह बनाम न्यास	6 बी, लालकोठी	,,	,,
731.	सुधीर कुमार बनाम न्यास	सी-3 व सी-9, लालकोठी	,,	,,
732.	सुरजीतसिंह खरपणा बनाम न्यास	न्यास कर्मचारी; स्टेकन्फर्म	,,	ए. एम. II
733.	हाफिज मोहम्मद वसीम बनाम न्यास	4, कैलाशपुरी	,,	ए. एम I
734.	शिव कुमार शर्मा बनाम न्यास	बापू नगर पार्क	,,	ए. एम. II
735.	सुल्तानसिंह बनाम न्यास	सर्वे सं. 4211, आस कालोनी	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
736.	अब्दुल हक व अन्य बनाम न्यास	हसनपुरा	,,	ए. एम. II
737.	महेन्द्र कुमार शर्मा बनाम न्यास	अम्बाबाड़ी	,,	ए. एम. ई.
738.	जय जवान गृ. नि. स. स. बनाम कान्ता देवी	मू. सं. 11, दुर्गापुरा	,,	,,
739.	,, ,, ,, विरेन्द्र कुमार	—	,,	,,
740.	,, ,, ,, श्रीमती हन्सा देवी	—	,,	,,
741.	,, ,, ,, यशवन्त कुमार वगैरा	—	,,	,,
742.	जुबेदा खातून बनाम न्यास	स्कीम नं. 1, जल विजय महल	,,	ए. एम. I
743.	सरदार देवी बनाम न्यास	सी स्कीम ई-3	,,	ए. एम. II
744.	ठाकुर जी महादेव जी बनाम न्यास	लडी वालों की बगीची	,,	ए. एम. ई.

745.	मन्हैया लाल व अन्य बनाम न्यास	एम 3, 4, आनन्दपुरी	,,	,,
746.	इन्द्रकला नाहर बनाम न्यास	जी-22, सी स्कीम	,,	ए. एम.-2
747.	रतनलाल जैन बनाम न्यास	मु. सं. 1, ए बनीपार्क	,,	,,
748.	शंकरलाल बनाम न्यास	वोहरा जी का बाग	,,	,,
749.	मुन्ना लाल सुराणा बनाम न्यास	डी-32, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम	,,	डी. जे.
750.	मीणा कालोनी गृ. नि. स. स. बनाम न्यास	ख. सं. 228, मोजपुरा	,,	ए. एम. II
751.	भैरू बनाम न्यास	मू. सं. 76, सीकर हाउस	,,	,,
752.	कुन्ती राधा बनाम न्यास	334, सुदामापुरी	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
753.	रामनारायण बनाम न्यास	ए—4, सुदामापुरी	,,	,,
754.	मनोहर लाल बनाम न्यास	दुकान नं. 9, अम्बाबाडी	,,	ए. एम. II
755.	महागंज गृ. नि. स. स. बनाम न्यास	ख. नं. 189 से 191/123, ग्राम बिन्दायका	,,	,,
756.	प्रेमकंवर बनाम न्यास	जोबनेर बाग	,,	,,
757.	रामजी बनाम न्यास	कस्सावपुरा	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
758.	गोविन्दनारायण बनाम न्यास	26, नारायण नगर टौंक रोड	,,	ए. एम. II
759.	लालसिंह बनाम न्यास	42, ,, ,,	,,	,,
760.	वलबीरसिंह बनाम न्यास	39, ,, ,,	,,	,,
761.	बाबूलाल बनाम न्यास	बी—214, आनन्दपुरी	,,	ए. एम. I
762.	बिलालुदीन बनाम न्यास	भू. स. 3, ग्राम विजय महल	,,	,,
763.	आर. सी. शर्मा बनाम न्यास	21, हथरोई गढी	,,	ए. एम. ई.
764.	खुशीलाल बनाम न्यास	23, मिलाप नगर	,,	,,
765.	सीताराम थोकिया बनाम न्यास	22, ,, ,,	,,	,,
766.	सुरेन्द्र सिंह चावला बनाम न्यास	भू. स. 56—4 जवाहर नगर	दि. 17-1-83 को स्थायी	ए. एम 2
767.	देवी सहाय बनाम न्यास	ऐ—229, बस्ती सीतारामपुरा	अस्थाईयी	डी. जे.
768.	नजर मोहम्मद बनाम न्यास			ए. एम. डब्ल्यू.
769.	गोपाल बनाम न्यास	बी-14, आनन्दपुरी	अस्थायी	ए. एम. ई.
770.	लक्ष्मीनारायण बनाम न्यास	ए-25 स्कीम सं.—1, अम्बाबाडी	,,	ए. एम. II
771.	हुक्म चन्द जैन बनाम न्यास	3, एल. एस. नगर, अम्बाबाडी	,,	,,
772.	बाबूलाल बनाम न्यास	ए-28 ,, ,,	,,	,,

399

1	2	3	4	5
773.	हथरोई गढी गृ. नि. स. स. बनाम न्यास	ग्राम रामजीपुरा बालाना	अस्थायी	ए. एम. II
774.	सी. टी. लाल बनाम न्यास	ए-15 एल. एस. नगर, अम्बाबाडी	,,	,,
775.	रज्जो देवी बनाम न्यास	ए-55 ,, ,,	,,	,,
776.	मोतीलाल बनाम न्यास	बी-205, आनन्दपुरी	स्थायी	ए. एम. I
777.	किशोरसिंह बनाम न्यास	ए-5, परसरामपुरी	अस्थायी	,,
778.	जयपुर पुरुषार्थी को. बनाम न्यास	आदर्श नगर सर्किल	,,	ए. एम. ई.
779.	कल्याण पुत्र छोटू बनाम न्यास	जोबनेर बाग	,,	,,
780.	बरजी देवी बनाम न्यास	,,	,,	,,
781.	विश्वनाथ बनाम न्यास	बी-105, अम्बावाडी	,,	ए. एम. II
782.	डा. स्वर्ण हुजा बनाम न्यास	रामजीपुरा	,,	,,
783.	पासीलाल उर्फ काशी नाथ बनाम न्यास	श्रद्धमाता का मन्दिर, हथरोई	,,	,,
784.	सरदार केसर बनाम न्यास	मू. सं. 7, पुरोहित जी का बाग	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
785.	द्वारका नाथ बनाम न्यास	मू. सं. 21, ,, ,,	,,	,,
786.	जगदीश प्रसाद गोयल बनाम न्यास	89 दुर्गापुरा	,,	ए. एम. II
787.	कैलाश नारायण बनाम न्यास	हीदा की मोरी	,,	ए. एम. I
788.	निशा पुरोहित बनाम न्यास	20, पुरोहित जी का बाग	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
789.	प्रेमवती बनाम न्यास	—	,,	ए. एम. II
790.	राजेन्द्रसिंह शेखावत बनाम न्यास	31, पृथ्वी नगर अम्बाबाडी	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
791.	दिलीप सिंह बनाम न्यास	32, ,, ,,	,,	,,
792.	मदनलाल बनाम न्यास	बी-7, विश्व कर्मा अम्बावाडी	,,	,,
793.	शान्ति देवी बनाम न्यास	एम-10, हथरोई	,,	,,
794.	गुमानसिंह बनाम न्यास	79, पृथ्वी नगर अम्बाबाडी	,,	,,
795.	भीमाराम बनाम न्यास	ए-32, एल एस नगर	,,	,,
796.	गुलाब राय बनाम न्यास	ए-29, ,, ,,	,,	

797.	अमरसिंह राठौड बनाम न्यास	24, पृथ्वीसिंह नगर, अम्बाबाड़ी	अस्थाई	ए. एम. डब्ल्यू.
798.	तेजसिंह राठौड बनाम न्यास	37, ,, ,,	,,	,,
799.	रामबाबू अग्रवाल बनाम न्यास	बी—1, एल. ए. नगर, अम्बाबाड़ी	,,	,,
800.	छगनी बनाम न्यास	नाहरी का नाका	,,	,,
801.	दिग्विजय गुप्ता बनाम न्यास	89, स्वामी बस्ती	,,	ए. एम. II
802.	चौथमल बनाम न्यास	87, हथरोई	,,	,,
803.	रूप नारायण बनाम न्यास	न्यू कालोनी	,,	एम. डबल्यू.
804.	देवेन्द्र कुमार बनाम न्यास	अजमेर रोड	,,	ए. एम. II
805.	रामलाल बनाम न्यास	मण्डी खटीकान	,,	ए. एम. I
806.	पांचु बनाम गोपाल	ब्रह्मपुरी	,,	ए. एम. 6
807.	नन्द लाल बनाम रामेश्वर	बी-366, जनता कॉलोनी	,,	ए. एम. I
808.	पी. डी. वन बनाम न्यास	मिशन कम्पाउन्ड वाल	,,	ए. एम.
809.	रोबिन्स बनाम न्यास	,, ,, ,,	,,	,,
810.	घर सिंह शेखावत बनाम प्राधिकरण	भू. सं. 81, पृथ्वी नगर, अम्बाबाड़ी	,,	,,
811.	रेखा गोयल बनाम प्राधिकरण	,, 12, माधव नगर	,,	,,
812.	पूरणमल शर्मा बनाम प्राधिकरण	,, 74, पृथ्वी नगर, अम्बाबाड़ी	,,	,,
813.	मनीशंकर सोगानी बनाम प्राधिकरण	भू. सं. 15, पृथ्वी नगर, अम्बाबाड़ी	,,	,,
814.	विजय पाल सैनी बनाम प्राधिकरण	मोती कटला, मण्डी खटीकान	,,	,,
815.	रामचन्द्र पुत्र घसूराम बनाम प्राधिकरण	बी-118, एल. एस. नगर, अम्बाबाड़ी	,,	,,
816.	नन्द किशोर माथुर बनाम प्राधिकरण	सुन्दर मार्केट राम बाग,	,,	,,
817.	विश्वजीत सिंह बनाम प्राधिकरण	81, अम्बाबाड़ी	,,	,,
818.	उषा नारायण पत्नी हरिनारायण बनाम प्राधिकरण	बी-127, मंगल मार्ग बापू नगर,	,,	,,
819.	मधु गुप्ता पत्नी जे.पी. गुप्ता बनाम प्राधिकरण	मालवीय नगर, टौंक फाटक	,,	,,
820.	मोतीलाल पुत्र हरिनारायण बनाम प्राधिकरण	दुकान नं. 18, सीकर हाउस, चांदपोल बाहर	,,	,,
821.	जगदीश शर्मा पुत्र प्रेम नारायण बनाम प्राधिकरण	सर्वे नं. 608, बडोदिया बस्ती	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
822.	दौलता बेगम पत्नी युसुफखां बनाम ज. प्रा.	मू. सं-84, मरनबाडी अम्बाबाड़ी	,,	,,
823.	अमीना बेगम पत्नी अब्दुल बनाम प्राधिकरण	मू. सं. 73, मदनबाडी, अम्बाबाड़ी	,,	,,

402

1	2	3	4	5
824.	डा. राममोहन सहाय बनाम प्राधिकरण	एल. बी. 14, भाभा मार्ग	अस्थायी	ए. एम. ई.
825.	बाबूराम शर्मा पुत्र भैरूराम बनाम प्राधिकरण	नं. 101117286, बडोदीया बस्ती	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
826.	कमला देवी पत्नी हनुमान सहाय बनाम प्राधिकरण	बी- 37, एल. एस. नगर	,,	,,
827.	अजय कुमार खण्डेलवाल पुत्र राजेन्द्र बनाम प्राधिकरण	,, ,, ,,	,,	,,
828.	प्रकाश चन्द पुत्र रामगोपाल बनाम प्राधिकरण	,, ,, ,,	,,	,,
829.	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बालासहाय बनाम प्राधिकरण	बी- 52, ,, ,,	,,	,,
830.	कमला देवी शर्मा पत्नी राम प्रकाश बनाम प्राधिकरण	मू. सं. 75, अम्बावाड़ी	,,	ए. एम. II
831.	मोहन सिंह शेखावत पत्नी लालसिंह बनाम प्राधिकरण	ए- 37, एल. एस. नगर	,,	ए. एम. I
832.	सरदार सत्यनारायण सिंह बनाम प्राधिकरण	बी- 1, शक्ति नगर, जनतीपुरा	,,	मुन. जयपुर
833.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर बनाम प्राधिकरण	मुद्रा परिषद्, स्वामियों की बस्ती	,,	ए. सी. जे.
834.	शान्ति स्वरूप शर्मा बनाम प्राधिकरण	भू.सं. 41, उनियारा गार्डन	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
835.	कल्लू पुत्र चुन्न बनाम प्राधिकरण	मोती डूंगरी रोड अपील	,,	डी. जे.
836.	मोहन लाल पुत्र डालू राम बनाम प्राधिकरण	अपील ए बीश्ती, खातीपुरा	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
837.	वैश्य महाजन चैरिटेबिल बनाम प्राधिकरण	अपील झोटवाडा, मीरा मार्ग	,,	,,
838.	मकबूल हसन पुत्र मोहसिन बनाम प्राधिकरण	सी-50, अमृतपुरी	,,	ए. एम. ई.
839.	बन्ने सिंह पुत्र गिरधारी सिंह बनाम नगर परिषद् ज.वि.प्रा.	चन्दरोली हाउस, स्टेशन रोड	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
840.	दुर्गा देवी पत्नी रामस्वरूप बनाम ज.वि.प्रा.	मू. सं. 22, अम्बावाड़ी	,,	ए.एम. II
841.	राधेश्याम पुत्र सुखदेव बनाम जं. वि. प्रा.	भू. सं. 80, मदनबाड़ी, अम्बावाड़ी	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
842.	प्रभुदयाल पुत्र पदम जी ओझा व अन्य	ओझाजी का बाग	,,	सिविल जज
843.	सवाई सिंह सिवनी बनाम प्राधिकरण	एस. बी. जनता कालोनी	,,	ए. एम. ई.
844.	जय शंकर शर्मा पुत्र नाथूलाल बनाम ,,	मू. सं. 82, मदनबाड़ी, अम्बाबाड़ी	स्थायी	ए. एम. डब्ल्यू.
845.	मोहम्मद यासीन पुत्र प्रकाशचन्द बनाम ,,	मू. सं. 1 ट-32 व 34, जवाहर नगर	अस्थायी	ए. एम. ई.
846.	सुभाष चन्द पुत्र प्रकाशचन्द्र बनाम ,,	ए-18, जनता कालोनी	,,	ए. एम. II
847.	रामलाल पुत्र प्रीतम दास बनाम ,,	ख. नं. 151, 153 व 155 अजमेर रोड	,,	,,
848.	श्रीमती इन्द्रकला नाहर बनाम ,,	मू. सं. जी-22, सी-स्कीम	,,	ए. एम. I

849.	रामकिशन पुत्र घीसीलाल बनाम प्राधिकरण	म. सं. ए-10 व ए-11, सीकर हाउस	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
850.	शकुन्तला, देवी पत्नी मनोहरलाल बनाम प्राधिकरण	हथरोई स्कूल के सामने, अजमेर रोड	,,	ए. एम. II
851.	मोहनलाल पुत्र मूथालाल बनाम प्राधिकरण	सं. 40, मदनपुरी, अम्बावाड़ी	,,	,,
852.	मूलचन्द शर्मा पुत्र महादेव बनाम प्राधिकरण	6 दुकानें, 50 से 55, नंद भू. गृ. स., हीरापुरा	,,	मु. मु. जि. जयपुर
853.	राधेश्याम पुत्र नानूलाल बनाम प्राधिकरण	6 दुकानें 56 से 61, नंद भू. गृ. स. ,,	,,	,, ,,
854.	राधेश्याम पुत्र नानूलाल बनाम प्राधिकरण	विद्युत नव जीवन गृ. नि. स. स.	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
855.	बाबूलाल पुत्र देवाराम बनाम प्राधिकरण	दु. नं. 77, 78 व 79, आनन्द भ. स. स. हीरापुरा	,,	ए. एम. डी. जे.
856.	लच्छूराम पुत्र देवाराम बनाम प्राधिकरण	,, ,, 80, 81 व 82, ,, ,, ,,	,,	,,
857.	गणेशलाल पुत्र भंवरलाल बनाम प्राधिकरण	6 दुकानें 62 से 67, ,, ,, ,,	,,	,,
858.	नाथूलाल पुत्र देवाराम बनाम प्राधिकरण	दु. न. 83 से 85, ,, ,, ,,	,,	,,
859.	देवाराम पुत्र मेरूराम बनाम प्राधिकरण	,, 74 से 76, ,, ,, ,,	,,	,,
860.	गंगाराम पुत्र भंवरलाल शर्मा बनाम प्राधिकरण	6 दुकानें 68 से 73, ,, ,, ,,	,,	,,
861.	चांदमल पुत्र रामजी बलाई बनाम प्राधिकरण	म. सं. 31, लक्ष्मीनगर, हटवाड़ा रोड	,,	ए. एम. II
862.	पथिक गृ. नि. स. स. बनाम प्राधिकरण	समिति को भंग न करने हेतु	,,	,,
863.	गिरिराज प्रसाद बनाम प्राधिकरण	भू. सं. 1134, नाहरी का नाका पूर्वी नीलामी रद्द न करने बाबत	,,	सी. जे.
864.	कैलाश कौशिक बनाम प्राधिकरण	बनीपार्क निलामी रद्द न करने बाबत	,,	,,
865.	अजय कौशिक पुत्र नन्द कौशिक बनाम प्राधिकरण	भू. सं. के. ई.-2, बनीपार्क, नीलामी रद्द न करने बाबत	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
866.	हथरोई गढ़ गृ. नि. स. स. बनाम सरकार व प्राधिकरण	समिति भंग न करने के सम्बन्ध में	,,	ए. एम. II
867.	रामप्यारी बनाम प्राधिकरण	म. सं. कर्ला का भट्टा, आमगढ़	,,	,,
868.	सिन्धु गृ. नि. स. बनाम प्राधिकरण	सोसायटी को भंग न करने बाबत	,,	,,
869.	प्रेमदयाल पुत्र रामचन्द्र बनाम प्राधिकरण	मू. सं. 58, कली का भट्टा, आमगढ़	,,	,,
970.	भंवरलाल उर्फ भौरीलाल बनाम प्राधिकरण	,, 32, लक्ष्मीनगर, कच्ची बस्ती	,,	,,

1	2	3		4	5	6
871.	म्युचुअल गृ. नि. स. स. बनाम	प्राधिकरण	समिति को भंग न करने बाबत	अस्थायी	ए. एम. II	
872.	तोपखाना देश गृ. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,	,,	
873.	शिशुपाल सिंह पुत्र सदन सिंह बनाम	,,	भू. सं. बी-125 एल. एस. नगर अम्बाबाड़ी	,,	,,	
874.	नूर मोहम्मद पुत्र अलीबक्ष बनाम	,,	बरकत कालोनी, झोटवाड़ा	,,	ए. एम. डब्लू.	
875.	कान्ति चन्द शर्मा बनाम	,,	सेक्टर नं. 7, शोपिंग सेन्टर, अम्बाबाड़ी	,,	,,	
876.	कानाराम पुत्र मौरीलाल यादव बनाम	,,	नाहरी का नाका	,,	डी. जे.	
877.	ताराचन्द जैन पुत्र मूलचन्द बनाम	,,	भू. सं. 798 व 769, रामनगर, नाहरी का नाका	,,	ए. एम. डब्लू.	
878.	राम गोपाल पुत्र श्री गंगाराम बक्स बनाम	,,	बरकत कालोनी झोटवाडा	,,	,,	
879.	मुरलीधर पुत्र इन्दुलता बनाम	,,	भू. सं. ए-1 व ए-2 निर्माण बनीपार्क	,,	,,	
880.	प्रताप नगर गृ. नि. स. स. बनाम	,,	सोसायटी भंग न करने के सम्बन्ध में	,,	ए. एम. II	
881.	दी राजहंस गृ. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,	,,	
882.	नानक पुरी गृ. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,,	,,	,,	
883.	गांधी नगर गृ. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,		
884.	माधव गृ. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,		
885.	लक्ष्मीनगर ग. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,	,,	
886.	गोविन्द गृ. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,	,,	
887.	पहाडगंज गृ. नि. स. स. बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,	,,	
888.	खुबचन्द गुलाबराम आसनदास बनाम		प्लाट नं. 16, डी.पी. कालोनी, नाहरी का नाका	स्थायी	ए. एम. डब्लू,	
889.	ओम प्रकाश माहेश्वरी पुत्र डेढ़ राज बनाम	,,	,, 3, बनीपार्क	अस्थायी	ए. एम. II	
890.	रमादेवी पत्नी गोपाल लाल बनाम	,,	,, 4, बनीपार्क	,,	,,	
891.	भगवतीनारायण तिवाड़ी पुत्र दुर्गालाल बनाम	,,	दुर्गालाल की बगीची	,,	एम. डब्लू.	
892.	मो. याकूब पुत्र मेडा खां बनाम	,,	म्यून्सपल नं. 362, न्यू कालोनी	,,	ए. एम. डब्लू.	
893.	हुकमचन्द पुत्र प्यारे खां बनाम	,,	क्वार्टर नं 301, गुरुनानकपुर, आदर्श नगर	,,	ए. एम. ई.	
894.	सूरज देवी पत्नी शंकरलाल बनाम	,,	प्लाट नं. 18, अम्बाबाड़ी	,,	ए. एम. डब्लू.	

895.	युसूफ पुत्र नजी मोहम्मद बनाम	,,	22 गोदाम, जयपुर	,,	ए. एम. II
896.	रामबाबू शर्मा पुत्र हनुमान बनाम	,,	ए-42, अम्बा वाड़ी	,,	ए. एम. I
897.	कल्याण मल पुत्र सुखमल बनाम	,,	3 हजार 800 वर्ग गज भ. खोलिया बास, जगनाथपुरा	,,	ए. एम. II
898.	शकुन्तला देवी पत्नी शंकरलाल बनाम	,,	प्लाट नं. 1, बीला सरकारी, जयपुर	,,	,,
899.	घीसालाल नरेन्द्रकुमार बनाम	,,	मू. सं. 53 व 54, आनन्दपुरी	,,	ए. एम. ई.
900.	हरीचन्द उर्फ चन्दीलाल व अन्य बनाम	,,	बगीची महादास उर्फ मोहनदास उर्फ गोपालदास मिनर्वा टाकीज के पीछे	,,	,,
901.	मांगीलाल पुत्र मूलचन्द बनाम	,,	सुदामापुरी नाहरी का नाका	,,	ए. एम. डब्लू.
902.	जानकी देवी चतुर्वेदी पत्नी फूलचन्द बनाम	,,	मू. सं. 5, 600 वर्ग. गज सोढ़ाला	,,	ए. एम. II
903.	मो. युसुफ पुत्र अब्दुल समद बनाम	,,	6-II 12 माधव न ग. नि. स. स. लि. कोली अम्बाबाड़ी के पीछे	,,	ए. एम. डब्लू.
904.	अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रजाक बनाम	,,	मू. सं. II ,, ,, ,,	,,	,,
905.	त्रिलोकीनाथ साहनी बनाम जे. पी. मित्रा	,,	नं. 21, 22, 68 झालाना डूंगर	,,	ए. एम. II
906.	भगवन्ती देवी पत्नी नारायण बनाम	,,	प्लाट नं. 18, सिन्धी कालोनी, बनीपार्क	,,	ए. एम. डब्लू.
907.	मोहनलाल पुत्र श्री हनुमान बनाम	,,	प्लाट नं. 105, गोविन्द गृह नि. स. स., गोविन्द नगर ।	,,	ए. एम. II
908.	सागरमल मोदी चेरिटेबिल ट्रस्ट बनाम	,,	सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने एक दुकान	,,	ए. एम. II
909.	अलाहीन खां वल्द फरीद खां बनाम	,,	463 टेम्पो स्टेण्ड के पास, नाहरी का नाका, हाउसिंग बोर्ड ।	,,	ए. एम. डब्लू.
910.	जयपुर डिग्गी, मालपुरा बनाम जमालखां व अन्य	,,	बरकत कालोनी, पोलोविक्ट्री के पास	,,	ए. एम. डब्लू
911.	अरुण कुमार तिवाड़ी बनाम	,,	एम. आई. रोड		
912.	जमीवां बनाम	,,	मू. सं. 6, भारर रोड़	,,	ए. एम. II
913.	एलादेवी बनाम	,,	सीकर रोड, जहापुरा स.	,,	,,
914.	शान्ति देवी मुरलीधर वगैरह बनाम	,,	केवल सम्मन नोटिस	,,	,,
915.	देवकी देवी बनाम	,,	दुकान नं. 4, 5, 22 गोदाम हवा सड़क	,,	,,
916.	गोविन्द नारायण बनाम	,,	ए. 23, बापूनगर, सी-3, शास्त्री नगर	,,	,,

1	2		3	4	5
917.	श्रीमती शान्ति देवी बनाम	प्राधिकरण	मू. सं. 30, सुन्दर विहार दुर्गापुरा	अस्थायी	ए. एम. II
918.	श्रीमती निर्मल व्यासपान बनाम	,,	सी-5,शास्त्री नगर	,,	,,
919.	श्री महेन्द्र कुमार बनाम	,,	दुकानात महापुरा,जयपुर-सीकर रोड	,,	,,
920.	राधेश्याम शर्मा बनाम	,,	मू. सं. 8,भगवती नगर	,,	,,
921.	एस. वी. जे. बनाम	,,	मू. सं. 37, स्वामी कच्ची बस्ती	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
922.	श्रीमती उषा अग्रवाल बनाम	,,	मू. सं. 147, 148, विद्युत् नगर	,,	ए. एम. II
923.	कुजंविहारी बनाम	,,	मू सं. 20, भगत वाटिका सिविल लाइन	,,	,,
24.	एस. वी. जे. बनाम महादेव	,,	मू. सं. 87, स्वामी बस्ती	,,	ए एम डब्ल्यू.
925.	केप्टन सम्पूर्सिंह व बनाम	,,	सी-95 ए, सुभाष मार्ग		ए. एम. II
926.	श्री धापादेवी बनाम	,,	झोटवाड़ा-कलवाड़ा रोड	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
927.	सुनील कुमार जैन बनाम	,,	ए. ए. 152, विजय नगर, करतारपुरा	,,	ए. एम. II
28.	श्रीमती प्रेम सेन बनाम	,,	ए. ए. 153, विजय नगर, करतारपुरा	,,	,,
929.	वेनी प्रसाद बनाम	,,	बी-9/ एल. एल. नगर	,,	,,
930.	श्री टी.टी. जोशी बनाम	,,	60, गोविन्दपुरी	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
931.	श्रीमती कृष्णा डेनीवाल बनाम	,,	बी. 3, सुभाष मार्ग, बी. सी. स्कीम	,,	,,
932.	सुरेन्द्र कुमार मित्तल बनाम	,,	75 ए, गोरखा नगर सिविल लाइन	,,	ए एम II
933.	गौरी शंकर बनाम	,,		,,	,,
934.	बाबूदीन व अन्य बनाम	,,	दुर्गाचन्द शाह, बाबा गोपीनाथ मार्ग	,,	ए. एम. डब्ल्यू.
935.	श्रीमती मधु बनाम	,,	मू. सं. 120, विद्युत् नगर, अजमेर रोड	,,	ए. एम. I
936.	श्रीमती सुनीता बनाम	,,	बी-131, विद्युत् नगर	,,	ए. एम. I
937.	गीता कोलोनी मू. नि. स. 1 बनाम	,,	समिति को भंग न कराने बाबत	,,	ए. एम. II
938.	श्रीमती सजला कुमारी बनाम	,,	मू. सं. 109, डी. पी. कालोनी	,,	ए. एम. I
939.	नारायण बिहारी माथुर बनाम	,,	सी-9, हरिनगर, कृष्णा कोलोनी	,,	ए. एम. II
940.	राम दयाल दास बनाम	,,	सं. 112 व 107 सा., जालाना डूंगर	,,	ए. एम. ई.

941.	श्रीमती पुष्प लता बनाम	,,	म. सं. 23, गोविन्दपुरी, रामगढ़ रोड	,,	ए. एम. II
942.	तुलसीदास बनाम	,,	ए-102, सिधनगर, डी. पी. कालोनी	,,	,,
943.	रमेश चन्द शर्मा बनाम	,,	बी-19, जमनानगर, अजमेर रोड	,,	,,
944.	श्रीमती अमरा देवी बनाम	,,	27, सतेन्द्र कालोनी, लक्ष्मीनगर	,,	,,
945.	गिरिश कुमार बनाम	,,	दू. नं. 22, रामगढ़ रोड	,,	,,
946.	श्रीमती धापू देवी बनाम	,,	झालाना डूंगर, जगतपुरा रोड	,,	ए. एम. ई.
947.	श्रीमती मुली देवी बनाम	,,	गणेश कोलोनी, जोरावर सिंह गेट	,,	ए. एम. I
948.	श्रीमती नारायण देवी बनाम	,,	41, गणेश कॉलोनी, अजमेर रोड	,,	ए. एम. I
949.	लक्ष्मी नारायण बनाम	,,	म. नं. 30, न्यू सांगानेर रोड	,,	,,
950.	श्रीमती कृष्णा देवी बनाम	,,	म. सं. 43, ग्राम किशन बाग, शास्त्री नगर	,,	,,
951.	वासुदेव गोस्वामी बनाम	,,	179, डेरे के बालाजी, चौमूं रोड	,,	,,
952.	जगदीश प्रसाद गोयल बनाम	,,	10, परस रामपुरा कालोनी	,,	,,
953.	भगवान सहाय बनाम	,,	ए-17, ललित बहादुर नगर, बलार्क आमेर	,,	,,
954.	घासीलाल बनाम	,,	बागर-वालों की गुवाड़ी, सीकर हाउस	,,	,,
955.	श्रीमती जमना देवी बनाम	,,	लोटसी परिवाद, मालवीय नगर व. 1983	,,	ए. एम. डब्लू.
956.	वैश्य महाराज चेरीटेबिल ट्रस्ट बनाम प्रा.धि.		झोटवाड़ा रोड	,,	डी. जे.
957.	हनुमान बनाम प्राधिकरण		म. सं. 2 ए-1-37, शिव-शक्ति कॉलोनी।	,,	ए. एम. 2
958.	मंगाराम बनाम प्राधिकरण		सीकर हा. क. बस्ती		
959.	गंगाकिशन चौधरी बनाम प्राधिकरण		46, किशन बाग, शास्त्री नगर	,,	,,
960.	रामगोपाल बनाम प्राधिकरण		बस्ती सीतारामपुरा, रामपुरा रूपा समिति को भंग न करने बाबत ।	,,	,,
961.	भैरव गृह निर्माण बनाम प्राधिकरण		,,	,,	,,
962.	दी अम्बेडकर गृ. नि. स. स. बनाम प्राधिकरण		,,	,,	,,
963.	गुरनाम बनाम प्राधिकरण		डी-1, हरिनगर	,,	,,
964.	अरफुदीन बनाम प्राधिकरण		किशन बाग नं. 960, बस्सी	,,	ए. एम. डब्लू.

1	2	3	4	5
965.	हीरा को. हा. सोसायटी बनाम प्राधिकरण	सीतारामपुरा समिति को भंग न करने बाबत	अस्थायी	ए. एम. 2
966.	सुगनसिंह हा. बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 7, बस्सी सीतारामपुरा	,,	,,
967.	बलरामसिंह बनाम प्राधिकरण	ए-14, अम्बाबाड़ी		ए. एम. ई.
968.	बी. एस. मल्होत्रा बनाम प्राधिकरण	भू. सं. 10-43, जवाहर नगर, आमेर रोड ।	,,	ए. एम. जैड
969	कैलाश नाथ शर्मा बनाम प्राधिकरण	कैलाशपुरी	,,	,,
970.	डा. अब्दुल सईद बनाम प्राधिकरण	66, अजमेर रोड, लुहारू हाउस के पास ।	,,	,,
971.	कुमारी परमजीतकौर बनाम प्राधिकरण	74, ग्रीन कॉलोनी, क्वीन्सरोड	,,	,,
972.	विक्रम सिंह यादव बनाम प्राधिकरण	ए-48, ग्राम वीड सरकारी, क्वीन्स रोड, ।	कन्टेम्प्ट	ए. एम. डब्लू.
973.	श्रीमती गीतादेवी बनाम प्राधिकरण	46-47, न्यू सांगानेर रोड,	अस्थायी	ए. एम. 2
974.	अरविन्द भारती विद्यालय बनाम प्राधिकरण	अम्बावाड़ी कलवाड़ रोड	,,	ए. एम. 2
975.	सन्तोष देवी बनाम प्राधिकरण	डी21.11, हरिनगर	,,	,,
976.	फूलचन्द चोबे बनाम प्राधिकरण	ए-1, दनीपार्क, विस्तार स्कीम	,,	ए. एम. डब्लू.
977.	नरेन्द्र कुमार बनाम प्राधिकरण	बी.-54, आनन्दपुरी	,,	ए. एम. II
978.	दीपेश्वरी बनाम प्राधिकरण	सी-361, गोपालपुरा रोड	,,	,,
979.	रामेश्वरी बनाम प्राधिकरण	73/55, गोविन्दपुरी आमेर	,,	,,
980.	भंवर लाल शर्मा बनाम प्राधिकरण	बी-18-ए, मुखर्जी, शास्त्री नगर	,,	ए. एम. I
981.	घनश्याम दास बनाम प्राधिकरण	भू-खण्ड सं. 89, शास्त्री नगर, माणकपुरी	,,	,,
982.	हजारीलाल यादव बनाम प्राधिकरण	सी-31, रईस कालोनी	,,	ए. एम. डब्लू.
983.	रमा देवी बनाम प्राधिकरण	ए-25, मेजर शेतानसिंह कॉलोनी.	,,	,,

984.	धर्मपाल बनाम प्राधिकरण		सी-22, रईस कॉलोनी, अम्बाबाड़ी के पीछे	,,	,,
985.	राजेश बनाम प्राधिकरण		डेयरी फार्म, शास्त्री नगर	,,	,,
986.	बलदेव बनाम प्राधिकरण		375, आदर्श नगर	,,	,,
987.	दुर्गा लाल बनाम प्राधिकरण		1-253, मालियों का मोहल्ला, चांदपोल बाहर	,,	,,
988.	नारायणी देवी बनाम प्राधिकरण		,,	,,	,,
989.	देवी नारायण बनाम प्राधिकरण		झोटवाड़ा सिनेमा के पास	,,	ए. एम. -II
990.	सुरेश चन्द बनाम प्राधिकरण		भू. सं. 14, शंकर कॉलोनी	,,	ए. एम. डब्लू.
991.	राधा देवी बनाम प्राधिकरण		दुकान सं. 5, झोटवाड़ा	,,	ए. एम. II
992.	भागवती देवी बनाम प्राधिकरण		जयपुर डेरी के पास, अजमेर रोड	,,	ए. एम. II
993.	दामोदर प्रसाद बनाम प्राधिकरण		बी-37, न्यू सांगानेर रोड	,,	,,
994.	मदन लाल सांखला बनाम प्राधिकरण		पेनी वालकी डेरी के पीछे, बदनपुरा	,,	ए. एम.-I
995.	कपूर चन्द जैन बनाम	,,	जनता कालोनी	कन्टेम्प्ट	एम. ई.
996.	मनमरी देवी बनाम	,,	32, आमेर रोड	अस्थायी	ए. एम.
997.	रामनारायण तंवर बनाम	,,	मनवाजी के स्टेंड के पास, अम्बाबाड़ी	,,	ए. एम. ई.
998.	भगवान सहाय बनाम	,,	ग्राम झोटवाड़ा, रामबाग	,,	ए. ऐम. डब्लू.
999.	चीला देवी बनाम	,,	ई.एस.आई. अस्तपाल के सामने, अजमेर रोड	,,	,,
1000.	लालचन्द बनाम	,,	1038, रामनगर पानी की टंकी के पास	,,	,,
1001.	प्रभुदयाल पारीक बनाम	,,	ए-6 ए-7, शास्त्रीनगर	,,	ए.एम. 1
1002.	चन्द्र प्रकाश बनाम	,,	डी-17, अम्बाबाड़ी	,,	ए.एम.डब्लू.
1003.	देवराज बनाम	,,	सर्वे 8671, हसनपुरा, खातीपुरा रोड	,,	,,
1004.	रमेशचन्द शर्मा बनाम	,,	भू.सं. 43-44, सीताराम कालोनी, सोडाला	,,	ए.एम. 2
1005.	इन्द्र कला नाहर बनाम	,,	जी-22, सी-स्कीम	कन्टेम्प्ट	,,
1006.	लीवती देवी बनाम	,,	डी-15, कलवाड़ा स्कीम	अस्थायी	ए.एम.डब्लू.
1007.	बाबू बेगम बनाम	,,	जोरावर सिंह दरवाजे बाहर, आमेर रोड	,,	ए.एम. 1
1008.	सैयद अली बनाम	,,	ख.नं. 543, दास बदनपुरा	,,	जिलाधीश
1009.	रमेश चन्द बनाम	,,		,,	उप-जिलाधीश
1010.	रवीमोहन बनाम	,,	एम.आई. रोड	,,	,,
1011.	नाथूलाल बनाम	,,	खसरा नं. 122, न्यू कॉलोनी	,,	,,

1	2		3	4	5
1012.	माधोलाल बनाम	प्राधिकरण		अस्थायी	उप-जिलाधीश
1013.	बाबूलाल बनाम	,,	सोडाला अजमेर रोड	,,	,,
1014.	मोरिया बनाम	,,	ग्राम झालाना डूंगर	,,	,,

विभिन्न न्यायालयों में चल रहे परिवाद, जिनमें स्थगन आदेश हैं, की सूची

क्र. सं.	उनवान परिवाद		योजना	न्यायालय का नाम	निषेधाज्ञा	विशेष विवरण
1.	श्रीमती गीतादेवी बनाम	प्राधिकरण	ख. नं. 261, रामपुरा रूपालालजी की ढाणी	ए.एम.एम. 2	अस्थायी	
2.	श्रीमती दुर्गादेवी, बनाम	,,	,, ,, ,, ,,	,,	,,	
3.	माया देवी बनाम	,,	लालकोठी बोरा का बाग	ए.एम.एम. 8	,,	
4.	ब्रजमोहन स्टेट बैंक बनाम	,,	गोपालपुरा	ए.एम.एम. 2	,,	
	सत्यनारायण	,,	प. नं. 66, फतेह नगर क. बस्ती	ए.सी.जे. 2	,,	
5.	अपोलो नगर हा.को.सो. बनाम	,,	ख.नं. 279 से 283, चक सुदर्शनपुरा	ए.एम.एम.2	,,	
6.	राजहंस को.सो. बनाम	,,	ख.नं. 49/280, चैनपुरा	,,	,,	
7.	तेज प्रकाश बनाम	,,	प.नं. 15, लक्ष्मीनगर बोरा का बाग	,,	,,	
8.	रमेशचन्द बनाम	,,	प.नं. 20, लक्ष्मीनगर	,,	,,	
9.	श्रीमती लछमा बनाम	,,	प.नं. 1, ,,	,,	,,	
10.	राज. चैम्बर आफ कामर्स बनाम	,,	एम.आई. रोड, जयपुर	ए.डी.जे. 6	,,	
11.	मनोहरलाल बनाम	,,	स्टेडियम के पीछे, लालकोठी	ए.एम.एम. 2	,,	
12.	इचरज देवी ब नाम	,,	प.नं.ए.-7, लालकोठी इन्द्रपुरी गृ.नि.स.स.	ए.एम.एम. 8	,,	
13.	सीताराम सोनी बनाम	,,	प्र. 13,4,5,6,10,16,17, टोंक रोड पंजीकृत गृ. नि. स.	ए. एम. एम. 2	,,	

14.	हरनाम सिंह बनाम	,,	प. नं. 324, राजापार्क		,,
15.	कृष्णापुरी गृ. नि. स. स. बनाम	,,	ख. नं. 428 से 430, मोजपुरा	ए. एम. एम. 2	,,
16.	सिंध नगर गृ. नि. स. स. बनाम	,,	रामपुरा रूपा ख. नं. 334 से 465	,,	,,
17.	रामसिंह सोनी बनाम	,,	प. नं. 124, जेम्स कॉलोनी, रानीजी की बाड़ी	,,	,,
			बीड़ सरकारी		
18.	लंकापुरी गृ. नि. स. स. बनाम	,,	टोंक रोड	ए. एम. एम. डब्लू.	,,
19.	गुलाबी नगर गृ. नि. स. स. बनाम प्राधि.		,,	ए. एम. एम. 2	,,
20.	प्रहलाद कुमार	,,	डी/ 14, इन्द्रपुरी गृ. नि. स. सं., लालकोठी	ए. एम. एम. 2	,,
21.	अजीत कुमार जैन	,,	पं. नं. 20, इन्द्रपुरी गृ. नि. सं. सं., लालकोठी	,,	,,
22.	मक्खनलाल बैद्य	,,	मोजपुरा	ए. एम. एम. 8	,,
23.	भारती देवी	,,	,,	ए. सी. जे. 2	,,
24	बहादुर सिंह	,,	सैन फर्म, सोडाला	ए. सी. जे. 2	,,
25.	बिमला देवी	,,	दु. नं. 33 व 34, कृष्णापुरी गृ नि. सं., लालकोठी	ए. एम. एम. 2	,,
26.	श्रीमती कमला लोढ़ा	,,	ए-8, न्यू पिंक सिटी	,,	,,
27.	श्रीमती बिमला बोहरा	,,	ए—7, ,,	,,	,,
28.	श्रीमती कोकिला लोढ़ा	,,	ए—7, ,, टोंक रोड	,,	,,
29.	नेशनल हा. के. सो.	,,	प्रेमनगर पं. न. 185, झोटवाड़ा	,,	,,
30.	यू. पी. होटल	,,	चैनपुरा	ए. एम. एम. 2	,,
31.	श्रीमती बूलीदेवी	,,	ए—3, लालकोठी भूनेश्वरी गृ. नि.स.स.	ए. एम. एम.8	,,
32.	शिवदान सिंह	,,	सुदर्शनपुरा, टोंक रोड, लालकोठी	ए. एम. एम.	,,
33.	किरतमल केसवानी	,,	रामपुरास्या ,,	,,	,,
34.	मोहनलाल जौथमल	,,	सं. नं. 261, 266 से 268, आनन्दपुरी नर्सरी के	,,	,,
			पास, टोंक रोड	,,	,,
35.	अनिल कुमार	,,	सूर्यनगर, टोंक रोड ।	,,	,,
36.	प्रहलाद चन्द चौधरी	,,	पं. नं. 16, बोरा का बाग, लालकोठी	,,	,,
37.	रतनदेवी	,,	कृष्णापुरी, लालकोठी	एम. एम. एम. 8	,,
38.	अपोलो नगर हा. को.सो.	,,	ख.नं. 52, 62, 53/233, 57/234, चैनपुरा	ए. एम. एम.	,,
39.	,, ,,	,,	खेतड़ी हाउस, चांदपोल बाहर	ए. एम. एम. 2	,,

1	2	3	4	5	6
40.	अपोलो हा. को. सो. बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 279 से 283, चकसुदर्शनपुरा	ए. डी. ज. सी. 1	अस्थायी	
41.	मिथलेश कुमारी बनाम प्राधिकरण	ए. 22,-लालकोठी कृष्णापुरी गृ. नि. स. सं.	ए. एम. एम. 8	,,	
42.	जितेन्द्र कुमार बनाम प्राधिकरण	2 डी, बिलायती होल बनीपार्क, जयपुर	ए. एम. एम. 2	,,	
43.	ज्ञानचन्द जैन बनाम प्राधिकरण	पन 23; पथिक भवन गृ. नि. स. स.	,,	,,	
44.	नरेन्द्र कुमार जैन बनाम प्राधिकरण	एस. बी. 155, गांधीनगर लालकोठी	,,	,,	
45.	न्यू. पिंकसिटी गृ. नि. स. स. बनाम प्राधिकरण	ख. नि. 17511, विद्याधर नगर बीड सरकारी	ए. सी. जे. 2	,,	
46.	कालूडा बनाम प्राधिकरण	खाली सम्मन	ए. डी. जे. 6	,,	
47.	कन्हैयालाल बनाम प्राधिकरण	लाखाजी की ढाणी, टोंक रोड	ए. एम. एम. 2	,,	
48.	मनोरंजन सहायक बनाम प्राधिकरण	ए. 9, लालकोठी इन्द्रपुरी गृ. नि. सं. सं.	ए. एम. एम. 8	,,	
49.	टी. एन. साहनी बनाम प्राधिकरण	ख. नि. 21, 22, 68, झालाना डूंगर	ए. एम. एम. 2	,,	
50.	पुष्पलता गुप्ता बनाम प्राधिकरण	बा.-29, कृष्णापुरी गृ. नि. स. स., लालकोठी	ए. एम. एम. 8	,,	
51.	सरला जोशी बनाम प्राधिकरण	प. नं. 3, जोशी गुलाब नारायण का बाग	ए. एम. एम. 2		
		टोंक रोड, जयपुर	,,		
52.	शशि रेखा बनाम प्राधिकरण	पं. नं. 5 —	,,	,,	
53.	कृष्णापुरी गृ. नि.स.स. बनाम प्राधिकरण	लालकोठी	ए. सी. जे. 1	,,	
54.	कृष्णापुरी गृ. नि. स. स. बनाम प्राधिकरण	बिन्दायका खा नं. 1	ए. एम. एम. 2	,,	
55.	कृष्णकुमार बनाम प्राधिकरण	सी-6, इन्द्रपुरी लालकोठी		,,	
56.	कृष्णापुरी गृ. नि. स. स. बनाम प्राधिकरण	झालाना डूंगर 100, 101 ख. नं. 226, भोजपुरा		,,	
57.	गोकुल चन्द बनाम प्राधिकरण	ख. नं 226, भोजपुरा	ए.एम.एम. 2	,,	
58.	सरस्वती गुप्ता बनाम प्राधिकरण	प. नं. 9 ए, रामनगर कोलोनी, हवा सड़क	,, ,,	,,	
		बाईस गोदाम	,,		
59.	इन्द्रप्रकाश गहलोत बनाम प्राधिकरण	प. नं. 43, सुदर्शनपुरा	ए. एम. एम. 8	,,	
60.	अपोलोनगर हा.को.सो. बनाम प्राधिकरण	स्टेडियम के पीछे लालकोठी 261, 263 से 269,			
		270, 272, 273, 266/ 520, 267/ 521	,,	,,	
61.	कल्याण प्रसाद बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 86, रामपुरा रूपा	ए. एम. एम. 2	,,	

62.	न्यू पिंक सिटी गृ. नि. स. स. बनाम प्राधिकरण	चैनपुरा, मैटोर	ए. एम. एम. ई.	स्टे कनफर्म
63.	हुथरोई गृ. नि. स. बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 90/237, 80/275, ग्राम चैनपुरा	ए. एम. एम. 2	,,
64.	हुथरोई ,, ,,	ख. नं. 82, चैनपुरा	,,	,,
65.	गुरूप्यारी बनाम प्राधिकरण	प. नि. 8, सुदर्शनपुरा, इन्द्रपुरी गृ. नि. स.	,,	अस्थायी
66.	म्यु च अचल हा. को. सो. बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 162, विद्याधर नगर योजना, बीड सरकारी	ए. एम. एम. 7	,,
67.	इन्दुबाला बनाम प्राधिकरण	प. नं. 4, बोराजी का बाग, लालकोठी	,,	,,
68.	नवनीत लाल गुप्ता बनाम प्राधिकरण	प. नं. 18 ए, इन्द्रपुरी गृ. नि. स. स. लालकोठी	ए. एम. एम. 2	,,
69.	सरोज पाठक बनाम प्राधिकरण	प. नं. 234, पथिक भवन गृ. नि. स. स., लालकोठी	ए. एम. एम. 8	,,
70.	चन्द्रल देवी बनाम प्राधिकरण	लालकोठी कृष्णापुरी गृ. नि. स.स., प. न. ए. 45	,,	,,
71.	जगदीश नारायण बनाम प्राधिकरण	,, ,, ,, 46	,,	,,
72.	कलावती देवी बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 257, 258, 259, 262, 263, 265।2 लालकोठी, टोंक रोड, आनन्द नर्सरी	ए. एम. एम. 2	,,
73.	सरिता सोनी बनाम प्राधिकरण	बोरा का बाग, लालकोठी	ए. एम. एम. 8	,,
74.	ब्याली पाठक बनाम प्राधिकरण	प. नं. 538, महावीर नगर, टोंक रोड, पथिक भवन नि. स.	ए. एम. एम. 2	,,
75.	किशनसिंह बनाम प्राधिकरण	प.न. 35, गोपालपुरा, मुकन्दनगर	,,	,,
76.	श्रीमती गिलकौर बनाम प्राधिकरण	प. न. ए - 14, गोपालपुरा टोंक रोड	,,	,,
77.	सुरेशचन्द बनाम प्राधिकरण	प. न., गोपालपुरा		,,
78.	राजेन्द्रसिंह सोलंकी बनाम प्राधिकरण	प. न. बी.-5, कृष्णापुरी गृ. नि. स. स., लालकोठी	ए. एम. एम. 8	,,
79.	इन्द्रपुरी गृ. नि. स. स. ,,	सोसायटी को भंग न करने बाबत	ए. एम. एम. 2	,,
80.	दी फोरेस्ट न्यू हो. के. सो. बनाम प्राधिकरण	,,	,,	,,
81.	न्यू पिंक सिटी गृ. नि. स. बनाम प्राधिकरण	,,	,,	,,
82.	संयुक्त गृ. नि. स. स. बनाम प्राधिकरण	,,	,,	,,
83.	जनता हा. को. सो. ,,	,,	,,	,,
84.	सैन कोलोनी भवन निर्माण सहकारी समिति बनाम प्राधिकरण	,,	,,	,, [illegible]

1	2	3	4	5
85.	गुलाबबाड़ी गृ. नि. स. बनाम प्राधिकरण	सोसायटी भंग न करने बाबत	ए. एम.एम. 2	अस्थायी
86.	कृष्णापुरी गृ. नि. स. बनाम प्राधिकरण	,, ,,	,,	,,
87.	दी कृष्णापुरी गृ. नि. स. ,,	,, ,,	,,	,,
88.	माणक्यपुरी गृ. नि. स. ,,	,, ,,	,,	,,
89.	नवजीवन गृ. नि स. ,,	,, ,,	,,	,,
90.	खुदावाडी गृ. नि. स. ,,	,, ,,	,,	,,
91.	सौभागमल जैन बनाम प्राधिकरण	दु. नं. 10, चौमू रोड, झोटवाड़ा	,,	,,
92.	पदमावती बनाम प्राधिकरण	ए-50, कृष्णापुरी गृ. नि. स.	,,	,,
93.	राधेश्याम बनाम प्राधिकरण	प. नं. 6, दोरा का बाग, लालकोठी	ए. एम. एम. 8	,,
94.	मधु गुप्ता बनाम प्राधिकरण	प. न., हिम्मतनगर, भारत भवन	,,	,,
95.	सुशीला कंवर बनाम प्राधिकरण	गृ. नि. स. स, टोंक रोड, जयपुर	ए. एम. एम. 2	,,
96.	मंगलाराम बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 422 से 427, मोजपुरा	,,	,,
97.	शशिकान्त जैन बनाम प्राधिकरण	प. नं. 10, 19, भारत भवन गृ. नि. स., लालकोठी	,,	,,
98.	दौलत बाबू बनाम प्राधिकरण	मिश्रा मार्केट	ए. एम. एम. 8	,,
99.	अनूपकंवर बनाम प्राधिकरण	208, हिम्मत नगर माधव गृ. नि. सं. लालकोठी ।	ए. एम. एम. 2	,,
100.	सुमेरमल बनाम प्राधिकरण	खं. नं. 1-204, रामजीपुरा	,,	,,
101	छोटू उर्फ छोटीलाल बनाम प्राधिकरण	ख. नं. 34 से 36, 38, 51, भोजपुरा	ए. एम. एम. 8	,,
102.	देशबन्धु बनाम प्राधिकरण	प. नं. 7, लालकोठी	ए. एम. एम. 8	,,
103.	जसवन्तसिंह बनाम प्राधिकरण	8, पथिक भवन गृ. नि. सं.	,,	,,
104.	लक्ष्मीनारायण बनाम प्राधिकरण	प. नं. 3, पथिक भवन गृ. नि. स.	,,	,,
105.	राजेन्द्र सिंह गहलोत बनाम प्राधिकरण	सुदर्शनपुरा, टोंक रोड	,,	,,
106.	ज्ञानचन्द कोठारी बनाम प्राधिकरण	पं. नं. 10, एम. एल. ए. क्वार्टर कृष्णापुरी गृ. नि. सं. सं.	ए. एम. एम. 8	,,
107.	राजेन्द्रसिंह महनोत बनाम प्राधिकरण	पं. नं. 50, इन्द्रपुरी गृ. नि. सं., लालकोठी	,,	,,
108.	कस्तूरी देवी बनाम प्राधिकरण	सं. नं. 106, बीड़ सरकारी	,,	,,

109.	हरसहाय बनाम प्राधिकरण		बोरा का बाग, लालकोठी		
110.	कैलाश चन्द्र बनाम प्राधिकरण		बोरा का बाग, लालकोठी	,,	,,
111.	सुरेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम प्राधिकरण		पं. नं. 22, बोरा का बाग, लालकोठी	,,	,,
112.	जगदीश नारायण	,,	मिलापनगर	,,	,,
113.	नवीनचन्द्र बनाम प्राधिकरण		ओंकार पं. नं. 39 सी.-45, देवनगर, टोंक रोड	,, ए. डी. जे. 5	,,
114.	अपोलो नगर हा.	,,	चैनपुरा	ए. एम. एम. 2	,,
115.	कुसुम गुप्ता	,,	प. नं., इन्द्रपुरी गृ. नि. सं., लालकोठी	ए. एम. एम. 8	,,
116.	सावरमल सराफ	,,	केशवनगर, हवा सड़क, बाईस गोम	ए. एम. एम. 2	,,
117.	कमलेश माथर	,,	प. नं. 48, टोंक रोड, पथिक भवन गृ. नि. सं. सं.		,,
118.	गोपाल बनाम प्राधिकरण		विद्याधर नगर	ए. एम. एम. 7	
119.	ग्यारसा	,,	विद्याधर नगर		,,
120.	कान्ति प्रसाद	,,	बोरा का बाग, लालकोठी	,,	,,
121.	गोपाल नारायण	,,	,, ,,	ए. एम. एम. 8	,,
122.	अन्ची देवी	,,	रामजीपुरा	,,	,,
123.	सौभागमल जैन	,,	गंगवाल गार्डन, टोंक रोड	ए.एम. एम. ई.	,,
124.	न्यू पिंक सिटी गृ. नि. सं.	,,	चैनपुरा गैटोर, रामजीपुरा, मोहनपुरा	ए. एम. एम. 7	,,
125.	न्यू पिंक सिटी गृ. नि. नि बनाम प्राधिकरण		देवरीसुखालपुरा, गोपालपुरा, झालाना रोड	ए. डी. जे. / ए. डी. जे. 6	,,

ए. एम. एम. 2

1		2	3
डी	1	भंवरी देवी बनाम जविप्र	मदरासी बाबा की मजार, नाहरी का नाका
डी	2	ग्यारसी लाल बनाम जविप्र	कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा
डी	3	सल्केश होटल बनाम जविप्र	टौंक रोड
डी	4	श्रवण कुमार बनाम जविप्र	सीकर हाउस
डी	5	संजय मंगल बनाम जविप्र	संसार चन्द्र रोड
डी	6	शहीदा बेगम बनाम जविप्र	
डी	7	लक्ष्मी गृ. नि. बनाम जविप्र	
डी	8	बाबूलाल शर्मा बनाम जविप्र	गोलीमार गार्डन
डी	9	गुरु देवा सिंह बनाम जविप्र	प्लाट नं. 73, ग्रीन कोलोनी
डी	10	प्रेम देवी अग्रवाल बनाम जविप्र	ब्रह्मपुरी सन्तोष कोलोनी
डी	11	जसवन्त सिंह बनाम जविप्र	भवानी सिंह मार्ग
डी	12	धन्नालाल बनाम जविप्र	विकास हाउस, चांदपोल
डी	13	रामनारायण बनाम जविप्र	खेतड़ी हाउस
डी	14	राजेन्द्र प्रसाद बनाम जविप्र	
डी	15	राम नाथ बनाम जविप्र	
डी	16	पारा देवी बनाम जविप्र	बजाज नगर
डी	17	अशोक कुमार पंजीबी बनाम जविप्र	हाथी बाबू का बाग, क्रान्ति नगर
डी	18	विधा बाई बनाम जविप्र	शंकर नगर विस्तार योजना, कागजीबाड़ा
डी	19	फूल कंवर बनाम जविप्र	ब्रजलाल पुरी, अजमेर रोड
डी	20	भगवान प्रकाश बनाम जविप्र	प्लाट नं. 338-बी, गोपाल नगर, खातीपुरा
डी	21	ओम प्रकाश बनाम जविप्र	प्लाट नं. 338, गोपाल नगर, खातीपुरा
डी	22	विकास भवन गृ. नि. बनाम जविप्र	
डी	23	भारत भवन गृ.नि.बनाम जविप्र	
डी	24	नसरुद्दीन बनाम जविप्र	
डी	25	एन. के. शाह बनाम जविप्र	
डी	26	ओम शिव गृ. नि. बनाम जविप्र	
डी	27	गीत देवी बनाम जविप्र	प्लाट नं. सी-17, जवाहर नगर
डी	28	गोविन्द आचार्य बनाम जविप्र	चौमू हाउस, सी- स्कीम
डी	29	टीकम चन्द जेठी बनाम जविप्र	सुन्दर बिहार, दुर्गापुरा
डी	30	कृष्णा देवी बनाम जविप्र	
	31	नसीरुद्दीन बनाम जविप्र	मोती डूंगरी रोड
	32	जिआउद्दीन बनाम जविप्र	दाता हाउस के पास, चांदपोल दरवाजा
	33	कमलजीत सिंह बनाम जविप्र	राम नगर, प्लाट नं. 25
	34	गिरराज प्रसाद बनाम जविप्र	प्लाट नं. 10, कालवाड़ा
	35	राधेश्याम बनाम जविप्र	

1	2	3
36.	लक्ष्मी गृ. नि. स. सं.	
37.	हन्सा देवी बनाम जविप्रा	
38.	जगदीश नारायण बनाम जविप्रा	प्लाट नं. 22, बाल नगर, करतारपुरी
39.	सुगरा देवी बनाम जविप्रा	स्वास्तिक गृ. नि. सं.
40.	बफाती मोहम्मद बनाम जविप्रा	नाहरी का नाका
41.	गुलाब देवी बनाम जविप्रा	भगवती नगर करतारपुरा
42.	परमानन्द बनाम जविप्रा	जवाहर नगर, जयपुर हाउसिंग बोर्ड
43.	रामदेव बनाम जविप्रा	हिम्मत नगर योजना, टोंक रोड
44.	सर अर्जुन बवा बनाम जविप्रा	प्लाट नं. 17, रामपुरा, रूपा
45.	दमयन्ती कौल बनाम जविप्रा	एम. एम. एस. हाईवे विस्तार योजना
46.	सरस्वती बाई बनाम जविप्रा	अवधपुरी
47.	शाहीन बेगम बनाम जविप्रा	मू. स. 18, गौरु नगर कॉलोनी
48.	गुहनजी बनाम जविप्रा	न्यू. कॉलोनी, खेतान भवन
49.	कौशल्या देवी बनाम जविप्रा	चन्द्र कान्ता कॉलोनी क. ब.
50.	राधेश्याम बनाम जविप्रा	नाहरी का नाका
51.	चांद करण आर्य बनाम जविप्रा	ए-29, बजाज नगर
52.	चन्द्र देवी बनाम जविप्रा	बी-19, विजय नगर, करतारपुरा
53.	ज़मरुद बनाम जविप्रा	बी-55, भगवत वाटिका
54.	आर. डी. गुप्ता बनाम जविप्रा	होटल केलोकम विष्णु
55.	किरण देवी बनाम जविप्रा	102, हिम्मत नगर
56.	रामनारायण बनाम जविप्रा	उदयनगर, बड़वास न्यू रोड
57.	हनुमान प्रसाद बनाम जविप्रा	विष्णु होटल क्लार्क
58.	रामेश्वर प्रसाद बनाम जविप्रा	उदय नगर, अजमेरी रोड
59.	कैलाश नारायण बनाम जविप्रा	प्लाट नं. 90, अवधपुरी, करतारपुरा
60.	राजकुमार सोनी बनाम जविप्रा	प्लाट नं. 2, शंकर नगर
61.	श्यामदेवी बनाम प्राधि.	गोपीराम सदन, आमेर रोड
62.	चौथमल बनाम प्राधि.	छीपी वाडा, ब्रह्मपुरी
63.	सुशीला देवी बनाम प्राधि.	मदरासी बाबा की बगीची के सामने
64.	सयद महफज अली बनाम प्राधि.	मकान नं. 852, बास बदनपुरा

अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर पश्चिम

64-अ	भगवान सहाय बनाम प्राधि.	हसनपुरा
65.	भगवान सहाय बनाम प्राधि.	प्लाट नं. 86, शंकर कॉलोनी
66.	रामअवतार गुप्ता बनाम प्राधि.	
67.	अवनीकुमार मुखेजी बनाम प्राधि.	
68.	जगदीश प्रसाद बनाम प्राधि.	
69.	सन्तोषदेवी बनाम प्राधि.	
70.	मालूराम झालानी बनाम प्राधि.	
71.	सन्प्रल वैश्य बनाम प्राधि.	
72.	जगदीश शरण अग्रवाल बनाम प्राधिकरण	

1	2	3
73.	सुरेन्द्रसिंह बनाम प्राधिकरण	बनी पार्क
74.	तकी हुसेन वगैरह बनाम प्राधि.	
75.	अब्दुल अजीज बनाम प्राधि.	मोरजी का बाग
76.	निर्मल कुमार तोतुका बनाम	न्यू कोलोनी, प्लाट नं. 19
77.	मो. हनीफ बनाम प्राधिकरण	मोरजी का बाग, प्लाट नं. 51
78.	धर्मेन्द्र सिंह बनाम प्राधिकरण	न्यू कालोनी

अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर पूर्व

79.	राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल बनाम प्राधिकरण	प्लाट नं. 47, गोलीमार गार्डन
80.	गुलाबदेवी बनाम प्राधिकरण	मोहन्द सिवाई का बाग, आदर्श नगर
81.	बरकत बनाम प्राधि.	44, भोमियों जी की छत्री के पास, आदर्श नगर
82.	बशीर मोहम्मद बनाम प्राधि.	सांगानेर
83.	सीताराम विजय बनाम प्राधि.	एम. डी.

सिविल जज

84.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर।	देवीलाल जेडीए प्लाट 186 स्वामियों
85.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर।	दयाल दास जेडीए प्लाट 16
86.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर।	मन्नालाल जेडीए प्लाट नं. 105

परिशिष्ट 31

अतारांकित प्रश्न संख्या 577 का विवरण

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका केशवराय पाटन द्वारा दिनांक 13-3-81 से दिनांक 2-2-83 तक की गई पालिका कार्य से यात्राओं का विवरण:—

यात्रा करने की तारीख	यात्रा का स्थान	यात्रा का प्रयोजन	यात्रा भत्ता द्वारा दी गई राशि
1	2	3	4
		माह मार्च, 1981	
13-3-81 से 16-3-81	जयपुर	विधान सभा प्रश्न का जवाब देने हेतु बाबत मेटाडोर	108.06
19-3-81 से 26-3-81	जयपुर	ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय में व ए. जी. ऑफिस व डी.एल.बी. ऑफिस में।	169.63
28-3-81	कोटा	आर.टी. ओ. के कार्यालय में रकम जमा करने हेतु	16.52
		माह अप्रेल, 1981	
3-4-81	कोटा	आर.टी.ओ. ओफिस में राशि जमा कराकर दरख्वास्त पेश की।	
4-4-81	बूंदी	डी.टी.ओ. व टी. ओ. ओफिस में गया मेटाडोर बाबत	
9-4-81	बूंदी	,, ,,	85.56
13-4-81	बूंदी	एस.डी.ओ. कोर्ट में तारीख पेशी नाथूलाल सनाढ्य बनाम नगरपालिका।	
14-4-81 16-4-81	उदयपुर	भूमि विक्रय की पत्रावलियों की स्वीकृति प्राप्त की व निरीक्षण प्रतिवेदन पर परामर्श किया	
20-4-81 से 25-4-81	जयपुर	सीमा वृद्धि, शुगर मिल की चुंगी, एकाउन्ट ऑफसर के पास मेटाडोर की पेनेल्टी फीस आदि जमा करने के आदेश हेतु व ए.जी. ऑफिस में डी.डी. द्वितीय व सी. ए. द्वितीय से मिला बाबत अनुदान की राशि 25,000।- के भुगतान हेतु।	
30-4-81	कोटा	आर.टी.ओ. ऑफिस में मेटाडोर की किस्त जमा करने हेतु।	303.17
		माह मई, 1981 व जून, 1981	
2-5-81	कोटा	आर.टी.ओ. ऑफिस में मेटाडोर के मुकदमात की, कम्पाउन्ड फीस जमा हेतु।	

1	2	3	4
13-5-81	बूंदी	एस.डी.ओ. कोर्ट में तारीख पेशी नाथूलाल सनाढ्य बनाम न.पा.। दरख्वास्त 285 के तहत पेश की।	
26-5-81	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी	90.58
15-6-81 से 19-6-81	उदयपुर	क्षेत्रीय सहायक निदेशक महो. के कार्यालय में बजट पास करवाने हेतु।	
25-6-81	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी पर भंवरलाल बनाम नगरपालिका।	
30-6-81	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी पर राम स्वरूप बनाम नगरपालिका।	249.68
4-7-81 से 6-7-81	जयपुर	लोकल फण्ड ऑडिट डिपार्टमेंट व अनिवार्य बचत योजना के संबंध में।	
12-7-81 से 15-7-81	जयपुर	ए.जी.ऑफिस में 25/000 रुपये अनुदान के संबंध में आर्डर कराया व डी.एल.बी. ओफिस में सीमा वृद्धि व अन्य कार्य हेतु।	
24-7-81	बूंदी	ट्रेजरी व एस.डी. ओ. व.आर.एस.ई.बी. ओफिस में कार्य हेतु।	321.70
12-8-81	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी।	
17-8-81	कोटा	वेतन भुगतान प्राधिकारी के न्यायालय में तारीख पेशी गोरधन। नगरपालिका	
19-8-81 से 23-8-81	अजमेर व जयपुर	अ.शा. पत्र द्वारा परीक्षक महो. द्वारा आडिट रिपोर्ट पर वार्ता हेतु व निदेशक महोदय के कार्यालय में सीमा वृद्धि व कानूनी सलाहकार की नियुक्ति व मेटाडोर के संबंध में।	234.58
1-9-81 से 2-9-81	जयपुर	डी.एल.बी. ऑफिस में अनुदान की राशि व विधि परामर्शदाता व सीमा वृद्धि।	
16-9-81 से 19-9-81	बूंदी	आडिट पेरा निरस्त कराने बाबत कैम्प में गया।	
24-9-81	बूंदी	वार्डों के प्रस्ताव लेकर जिलाधीश कार्यालय में गया। वायरलैस से बुलाया।	
25-9-81	कोटा	लेबर कोर्ट में तारीख पेशी गोरधन बनाम न.पा.	341.84
28-9-81	कोटा	लेबर कोर्ट में तारीख पेशी गंद बिहारी बनाम न.पा.	
30-9-81	बूंदी	जिलाधीश कार्यालय में मण्डी क्षेत्र को नगरपालिका में मिलाने बाबत व अतिक्रमण हटाने व नियमन की कार्यवाही हेतु।	
12-10-81	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख रामस्वरूप बनाम न. पा.	61.98
13-10-81	बूंदी	एस.डी.ओ. कोर्ट में तारीख	
15-11-81	बूंदी	जिलाधीश कार्यालय में वार्डों के लिये आई आपत्तियों के निपटारे के संबंध में।	149.74
17-11-81	कोटा	लेबर कमिश्नर के यहां तारीख पेशी गंदबिहारी रामस्वरूप व भंवर लाल के केस में वास्ते बहस।	
19-11-81	बूंदी	जिलाधीश कार्यालय में मीटिंग बाबत कोमी एकता व अतिक्रमण नियमन।	

(421)

1	2	3	4
25-11-81	बूंदी	जांच विभागीय श्री मांगीलाल जाट, ई. ग्रो. व जिलाधीश कार्यालय में नजूल भूमियों की दरों का प्रस्ताव।	
26-11-81	कोटा	वेतन भुगतान प्राधिकारी के यहां तारीख पेशी पर	
18-12-81	बूंदी	अधिशासी अभियन्ता, आर. एस. ई. बी. के यहां रोड लाइट का पुनः कनेक्शन हेतु।	51.56
23-12-81	बूंदी	जिलाधीश कार्यालय में चुनाव की स्टेशनरी क्रय हेतु 1500।-जमा कराने तथा न. पा., बूंदी से चुंगी की बुकें उदरत लीं।	
16-1-82	कोटा	आर.टी.ओ. ऑफिस व श्रम न्यायालय में तारीख पेशी	88.06
28-1-82	बूंदी	चुनाव सम्बन्धी कार्य।	
29-1-82	बूंदी	चुनाव सम्बन्धी मीटिंग	
6-2-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी	36.50
1-3-82 से 4-3-82	जयपुर	निर्वाचन की ग्रान्ट एंड लाने वास्ते	177.32
12-3-82	बूंदी	विभागीय जांच श्री मांगीलाल जाट, ई. ग्रो.	
16-3-82	बूंदी	जिलाधीश कार्यालय में रेटिंग कमेटी भूमि विक्रय की दरें निर्धारित बाबत।	127.16
18-3-82	बूंदी	जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार एस.डी.ग्रो. कोर्ट में भूमि नियमन की मीटिंग में।	
20-3-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी हेतु	
26-3-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी हेतु	
2-4-82	कोटा	सामान क्रय करने हेतु	74.00
7-4-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी हेतु	
26-4-82 से 29-4-82	जयपुर	ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व डी.एल.वी. ऑफिस मेटाडोर के सम्बन्ध में।	150.74
10-5-82 से 11-5-82	जयपुर	डी.एल.वी. ऑफिस में सीमा वृद्धि व ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के यहां।	136.74
5-6-82	बूंदी	जिलाधीश कार्यालय में मीटिंग कच्ची बस्ती बाबत व जिला सांख्यिकीय कार्यालय में।	26.58
8-6-82	कोटा	ए.डी.एम. मण्डी कमेटी, धानमण्डी की जमीन न. पा. को हस्तान्तरण के बाबत।	
10-6-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी	
14-6-82	कोटा	आर. टी. ओ. ऑफिस में मेटाडोर बाबत	174.58
25-6-82	कोटा	ए.डी. एम. मण्डी कमेटी में अन्डरटेकिंग लिखने व कागजात तैयार करने बाबत।	
29-6-82	बूंदी	डी. टी. ग्रो. ऑफिस आदि व जिलाधीश महोदय के काउन्टर हस्ताक्षर हेतु।	
1-7-82	कोटा	कृषि उपज मण्डी के कागजात-पत्रावलियां लेकर चार्ज का लेने-देन किया।	
7-7-82	कोटा	डी.टी.ग्रो. ऑफिस में मण्डी की दुकानों का प्लान तैयार कराने हेतु।	310.60

1	2	3	4
13-7-82	कोटा	ए.डी.एम. मण्डी कमेटी के यहां वार्ता हेतु	
15-7-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी पर	
16-7-82	बूंदी	विभागीय जांच श्री मांगीलाल जाट	
21-7-82	कोटा	ए.डी.एम. मण्डी के यहां खाता रजिस्टर लेने व सरकार द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण का जवाब देने।	
27-7-82	कोटा	मण्डी कमेटी कोटा, की लेनदारी व देनदारी का स्टेटमेन्ट बनवाने हेतु।	
29-7-82	उदयपुर	क्षेत्रीय सहायक निदेशक महोदय के कार्यालय में बजट के सम्बन्ध में वार्ता हेतु गया।	
30-7-82 2-8-82	जयपुर	डी.एल.बी. ऑफिस में सीमा वृद्धि के मामले में	
6-8-82	कोटा	डी.टी.पी. कार्यालय व ए.डी.एम. मण्डी कमेटी के यहां अन्डरटेकिंग आदि के संबंध में।	392.80
7-8-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी गोरधन बनाम न. पा.	
13-8-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी	
18-8-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी	
25-8-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी गोरधन बनाम न. पा.	
4-9-82	कोटा	नगर परिषद्, कोटा के कार्यालय में विधान सभा प्रश्न के दौरान गया।	435.37
8-9-82 से	जयपुर	विधान सभा प्रश्न का जवाब देने हेतु।	
22-9-82	उदयपुर	क्षेत्रीय सहायक निदेशक महोदय के कार्यालय में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में।	
24-9-82	कोटा	लेबर कोर्ट में तारीख पेशी 7 मुकदमात	
27-9-82	कोटा	डी.टी.पी. ओफिस में मण्डी के प्लाट बनाने व अन्डर ट्रेनिंग प्राप्त की।	
30-9-82	कोटा	डी.टी.पी. ओफिस में सब्जी मण्डी के प्लाट बनाने की योजना की बातचीत व मीटिंग में भाग लिया।	
6-10-82	कोटा	ए.डी.एम. सा. के यहां मण्डी की भूमि के संबंध में मिला व नगर परिषद् के आयुक्त से निर्माण कार्य के लिये जे.ई.एन. की नियुक्ति के बाबत।	288.74
7-10-82	कोटा	ए.डी.एम. सा. के यहां मण्डी कमेटी की जमीन के संबंध में अण्डरटेकिंग कमिश्नर सा. से हस्ताक्षर करवाकर प्राप्त की। नक्शा डिमार्केशन करवाया।	
13-10-82	कोटा	ओवरसियर की नियुक्ति बाबत गया	
14-10-82 से 20-10-82	जयपुर	सीमा वृद्धि मांगीलाल जाट, ई. ओ. की जांच व भूमि विक्रय संबंधी मामले में।	
6-11-82 से 7-11-82	कोटा	निदेशक महोदय, स्वा. शा. विभाग के प्रोग्राम अनुसार कोटा कैम्प में भाग लिया।	114.58
11-11-82	कोटा	श्रम न्यायालय में तारीख पेशी पर	
29-11-82	कोटा	जिलाधीश कार्यालय व सहायक अभियन्ता आर. एस.ई.बी. में मेले की बिजली व्यवस्था हेतु।	

1	2	3	4
6-12-82	कोटा	ए.डी.एम. सा. मण्डी कमेटी के यहां वाद सं. 6/78 के संबंध में विशेष वाहक द्वारा बुलाया।	317.74
8-12-82 से 15-12-82	जयपुर	जयपुर हाई कोर्ट में वाद सं. 6/78 के संबंध में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति होने के कारण गवर्नमेन्ट एडवोकेट व उप-शासन सचिव, राजस्व उपनिवेशन विभाग, विधि एवं न्याय विभाग में उनके आदेशानुसार उपस्थित हुआ।	
16-12-82	कोटा	श्रम न्यायालय में 7 मुकदमात की तारीख पेशी पर	
17-12-82	कोटा	श्री जिलाधीश, उपनिवेशन विभाग से वाद सं. 6/78 की अपील के संबंध में परामर्श व रेकार्ड डॉक्यूमेन्ट आदि लेने।	
20-12-82	बूंदी	डिस्ट्रिक्ट जज सा. की अदालत में मुकदमें की पत्रावली का निरीक्षण किया, एक्जीबिट की नकलें।	355.32
21-12-82	कोटा	ए.डी.एम. मण्डी कमेटी के ऑफिस में मुकदमे से संबंधित व. लि. को साथ लाने व कागजात लेने।	
23-12-32 से 29-12-82	जयपुर	23-12-82 को हाई कोर्ट में 24 से 27-12-82 तक लॉ डिपार्टमेंट में अपील पेश करने के संबंध में परामर्श किया व 28 व 29 को सी.ए.डी. ऑफिस के डिप्टी सैकेट्री उपनिवेशन रेवेन्यू से वार्ता की	
1-1-83 से 3-1-83	कोटा	मुकदमें का नकल फैसला व अन्य कागजात लेने हेतु	
3-1-83 से 5-1-83	जयपुर	जयपुर हाई कोर्ट में मुकदमें की अपील पेश करने के संबंध में।	286.90
12-1-83	कोटा	श्रम न्यायालय में विभिन्न केसों की तारीख पेशी	
21-1-83	बूंदी	श्री जिलाधीश महोदय ने वार्ता हेतु बुलाया, मण्डी कमेटी व भूमि हस्तान्तरित करने के बाबत।	
25-1-83	कोटा	मुकदमे के संबंध में ए.डी.एम. सा. ने बुलाया	
29-1-83	बूंदी	न्यायालय सेशन जज में बड़ोदा बैंक द्वारा चलाये गये केस की तारीख पेशी।	
		इसके पश्चात् दिनांक 2-2-83 तक कोई यात्रा नहीं की गई।	

परिशिष्ट 32

अतारांकित प्रश्न संख्या 579 की सूची

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

कार्यों का नाम:- विभिन्न कार्यों पर किये गये खर्च का ब्योरा 1 जनवरी, 82 से 31 जनवरी, 1983

क्र. सं.		कार्यों के नाम	कुल खर्च	विशेष विवरण
1.		फतहपुरा		
	(ए)	नाली निर्माण कार्य, पोलो ग्राउण्ड	4,748.30	पूर्ण
	(बी)	क्रोसिंग आफ ड्रेन, प्लाट नं 6, पोलो ग्राउण्ड	1,394.00	,,
	(सी)	नाली निर्माण कार्य, इएन क्वाटर के पास में	10,981.55	,,
	(डी)	डामर का कार्य, देत्य मगरी	3,987.00	,,
	(ई)	नाली निर्माण कार्य मय रिटनिंग वाल, प्लाट नं. 22 व 21 सी, देत्य मगरी।	20,864.05	अपूर्ण
	(एफ)	रोड निर्माण कार्य पुराने फतहपुरा के पास विद्या भवन क्वार्टर।	8,506.87	,,
	(जी)	नाली निर्माण कार्य, रिमेनिंग पोर्शन, खारोल	21,800.20	,,
			72,281.97	
2.		अम्बामाता योजना-		
	(ए)	नाली निर्माण कार्य, प्लाट नं. 46 से 41, फिशरीज डिपार्टमेन्ट।	5,996.10	अपूर्ण
	(बी)	सड़क निर्माण कार्य, प्लाट नं. 11 से 13, अम्बावगढ़ ।.	11,012.68	,,
	(सी)	नाली निर्माण कार्य, प्लाट नं. 1 से 15, शॉप कम फ्लेट, अम्बामाता।	515.72	पूर्ण
	(डी)	प्रो. एण्ड फी ग्रिल्स, अम्बामाता पार्क	26,160.74	,,
	(ई)	रोड चौड़ी करने का कार्य, आयुर्वेद कालेज, चरक छात्रावास के पास।	11,403.32	,,
	(एफ)	नाली निर्माण कार्य, अम्बामाता	5,711.90	,,
	(जी)	डामर का कार्य, प्लाट नं. 493, 496 आदि, अम्बामाता।	27,235.49	,,

1	2	3	4
(एच)	रिटेनिंगवाल मय ड्राई स्टोन एवं चुनाई का कार्य, अम्बामाता	13,829-22	पूर्ण
(आई)	डामर का कार्य, अम्बावगढ़	13,683-29	अपूर्ण
(जे)	सड़क चौड़ाई का कार्य, आयुर्वेदिक कालेज से	8,406-28	,,
(के)	सड़क निर्माण कार्य प्लाट नं. 420से465, अम्बामाता	21,468-39	,,
(एल)	नाली निर्माण कार्य, अम्बामाता	45,034-96	,,
(एम)	रिटेनिंगवाल का कार्य, प्लाट नम्बर 16 से 22, अम्बावगढ़	37,997-95	,,
(एन)	डामर के कार्य, मेटोरियल सप्लाई	17,752-79	पूर्ण
(ओ)	नाली एवं नाला क्रोसिंग का कार्य, रोड़ क्रोस, अम्बामाता	6,995-50	अपूर्ण
(पी)	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, प्लाट नम्बर 51 से 52, यादव कोलोनी	2,352-40	,,
		2,55,556-73	

9– हिरन मगरी सेक्टर नं. 3 से 6:

(ए)	सड़क चौड़ी करने का कार्य, सेक्टर नं. 3 से 6, डामर कोटड़ा रोड	4,043-68	पूर्ण
(बी)	नाली निर्माण कार्य, से. नं. 4 रा. हां. को. स्कीम	19,244-19	अपूर्ण
(सी)	रोड निर्माण कार्य, प्लाट नं. 5 से 6	3,500-00	पूर्ण
(डी)	सड़क निर्माण कार्य, सेक्टर नं. 4	15,060-30	,,
(ई)	रोड निर्माण कार्य, से.नं. 4, प्लाट नं. 36 से 37,	585-18	,,
(एफ)	फुटपाथ कटिंग का कार्य से. नं. 4	302-70	,,
(जी)	नाली निर्माण कार्य, से. नं. 5	11,235-00	,,
(एच)	लेवर चार्जेज डामर के कार्य, से. नं. 4	6,512-72	,,
(आई)	नाली निर्माण आर.वी.एच. एरीया फेज II	27,945-00	,,
(जे)	पार्क निर्माण कार्य, से. नं. 5	21,005-29	,,
(के)	सड़क निर्माण कार्य, से. नं. 3 से 6	514-53	,,
(एल)	,, ,, सेक्टर नं. 5	5,428-57	अपूर्ण
(एम)	लेवर चार्जेज डामर कार्य, से. नं. 5	9,737-42	,,
(एन)	नाली निर्माण कार्य, से. नं. 5	11,802-36	,,
(ओ)	नाली निर्माण कार्य, रिमेनिंग पोर्शन से 5	8,943-28	,,
(पी)	पार्क निर्माण कार्य, से. नं. 3	4,230-70	,,
(क्यू)	नाली निर्माण कार्य, रोड क्रोसिंग से. नं. 4	7,850-36	,,
(आर)	नाली निर्माण कार्य, प्लाट नं. 1075से1042	16,300-69	,,
(एस)	नाली निर्माण कार्य, से. फेस III	26,551-83	,,
(टी)	डामर कार्य, से. नं. 5	17,004-22	,,
(यु)	रेलिंग लगाने का कार्य, प्लाट नं. 47 से. 03	19,741-35	,,

426

1	2	3	4
(वी)	नाला निर्माण कार्य, से.नं. 4 प्लाट नं. 1057 से 43	28,11-39	अपूर्ण
(डब्ल्यू)	नाली निर्माण कार्य, फेस तृतीय, से. 3	28,608-76	,,
(एक्स)	सड़क निर्माण कार्य, से. नं. 5, फेस III	18,337-00	,,
(वाई)	डामर कार्य, सेक्टर नं. 4.	3,990-65	,,
(जेड)	नाली निर्माण कार्य, प्लाट नं. 716 से 727	6,625-49	,,
(ए I)	नाली निर्माण कार्य, प्लाट नं. 113 से 71, से. नं. 3	17,280-47	पूर्ण
(ए II)	6 दुकानों का निर्माण कार्य, से. नं. 4	20,231-36	अपूर्ण
(ए III)	सेक्टर नं. 5	19,670-72	,,
(ए IV)	नाली निर्माण कार्य, से. नं. 4, प्लाट नं. 713 से 808 आदि	7,702-32	,,
(ए)	नाली निर्माण कार्य, ज्ञान मंदिर, से. 4	10,230,65	अपूर्ण
(ए)	पार्क निर्माण कार्य, से. नं. 5, फेस III	11,247-07	,,
		3,85,694-16	

4. हिरन मगरी, सेक्टर नं. 11 से 14 :

(ए)	सड़क चौड़ाई का कार्य, प्लाट नं. 710 से 66	5,098-40	,,
(बी)	नाला निर्माण कार्य, माछला मगरा, प्लाट नं. 3 से 6	1,537-60	,,
(सी)	डामर का कार्य, से. नं. 11	18,311-50	,,
(डी)	पार्क निर्माण से. नं. 11	5,964-90	,,
(ई)	नाला निर्माण कार्य, से. नं. 11 प्लाट नं. 291 से 291 ए	3,000-00	,,
(एफ)	नाला निर्माण कार्य लिंक पोशर्न माछला मगरा	34,875-26	,,
(जी)	डामर के कार्य, हेतु मेटेरियल सप्लाई	4,939-58	पूर्ण
(एच)	पार्क निर्माण कार्य, सेक्टर नं. 11	33,497-73	अपूर्ण
(आई)	सड़क चौडाई का कार्य, से. नं. 11, प्लाट नं. 745	69,442-87	,,
(जे)	पार्क निर्माण कार्य, सेक्टर नं. 11 प्लाट नं. 96	33,854-22	,,
(के)	नाला निर्माण से. नं. 11, प्लाट नं. 291 से 388 आदि	15,687-06	,,
(एल)	नाली निर्माण कार्य, सेक्टर नं. 11, प्लाट नं. 22 से 23	12,440-7	,,
(एम)	सडक निर्माण कार्य, आर एच बी क्वार्टर	7,534-16	,,
(एन)	नाली निर्माण कार्य पूर्व दिशा क्वार्टर से पास	19,563-79	,,
(ओ)	फुटपाथ कटिंग, प्लाट नं. 252, सेक्टर नं. 11	1,114-56	पूर्ण
(पी)	नाली निर्माण कार्य, माछला मगरा रा.आ. म.क्षेत्र	17,529-32	अपूर्ण
(क्यू)	नाली निर्माण कार्य, माछला मगरा, प्लाट नं. 11 से 15 आदि	21,591-79	अपूर्ण
(आर)	नाली निर्माण कार्य, माछला मगरा, प्लाट नं. 34 से 32	36,308-25	अपूर्ण

1	2	3	4
(9)	हिरनमगरी विस्तार–पाठों की भारी :		
	(ए) डबल्यु. बी. एम. गुरुरामदास कोलोनी में शेष कार्य	5,837-00	अपूर्ण
	(बी) डामर का कार्य, गुरुरामदास कोलोनी	5,285-61	अपूर्ण
		11,122-61	
(10)	शोपिंग सेन्टर, सूरजपोल, उदियापोल होटल अप्सरा के सामने :		
	(ए) डामर का कार्य, केन्द्रीय बस स्टेण्ड उदियापोल योजना	67-60	पूर्ण
	(बी) डामर का कार्य, मेवाड़ मोटर्स से चित्तौड़गढ़ बस स्टेण्ड तक	65-65	पूर्ण
	(सी) सिडीयों का निर्माण कार्य, सूरजपोल–उदियापोल दुकानों के सामने	4,256-75	अपूर्ण
		4,390-00	
(11)	प्रतापनगर योजना :		
	(ए) प्रतापनगर में नाला निर्माण कार्य	21,471-98	अपूर्ण
	(बी) शेष पोर्शन का कल्वर्ट निर्माण कार्य	19,700-00	,,
	(सी) डबल्यु. एम., सड़क निर्माण कार्य (1000 प्लाट स्कीम)	12,784-76	,,
		53,956-74	
(12)	न्यास योजनाओं में हैण्ड पंप :	5,65,669-84	पूर्ण
(13)	मनमोहन कोलोनी :		
	(ए) डामर का कार्य	4,472-52	अपूर्ण
	(बी) नाली निर्माण कार्य	21,657-58	,,
	(सी) नाली निर्माण कार्य	14,117-34	पूर्ण
		40,247-44	

1	2	3	4
(एस)	सड़क निर्माण कार्य, सेक्टर नं. 11, राज. हाऊसिंग बोर्ड क्षेत्र	18238-85	अपूर्ण
(टी)	नाली निर्माण कार्य, राज. हाऊसिंग बोर्ड, क्वाटर नं. 91, पूर्वी छोर के सामने	17,985-94	पूर्ण
(यू)	नाली निर्माण कार्य, सेक्टर नं. 11, प्लाट नं. 338 से 1166	70,705-69	अपूर्ण
(वी)	नाली निर्माण कार्य, से. नं. 13, पार्क के चारों ओर	16,752-36	पूर्ण
(डब्लू)	नाली निर्माण कार्य, सेक्टर नं. 11 का बकाया कार्य, प्लाट नं. 286 से 270	5,553-64	अपूर्ण
(एक्स)	नाली निर्माण कार्य, श्री राजसिंहजी की बाड़ी	21,242-00	,,
(वाई)	हि. म. से 11 में, डामर के कार्य के लिए मेटिरियल सप्लाई	1,502-13	पूर्ण
(जेड)	डब्ल्यु. बी. एम. सडक निर्माण कार्य, प्लाट नं. 156 से 264, से. नं. 11	12,223-63	अपूर्ण
(ए1)	नाली निर्माण कार्य, से. नं. 11, प्लाट नं. 481 से 498	9,511--04	अपूर्ण
(6)	हिरन मगरी योजना से. 9:		
(ए)	मिट्टी भराई का कार्य, स्लम क्वाटर हि. म. से. 9 के चारों ओर	17,704-85	अपूर्ण
(7)	हिरन मगरी योजना, से. 12:		
(ए)	पार्क निर्माण कार्य, से. नं. 12	59,180-74	अपूर्ण
(बी)	नाली निर्माण कार्य, से. नं. 12, प्लाट नं. 796	13,508-51	,,
(सी)	डब्लू. बी . एम . सड़क निर्माण कार्य, से. नं. 12, प्लाट नं. 749से716	1,940-41	,,
(8)	हिरनमगरी, सेन्ट्रल एरिया :		
(ए)	पार्क निर्माण कार्य, सेन्ट्रल एरिया	3,283-18	पूर्ण
(बी)	डामर का कार्य, माली कोलोनी	3,100-00	पूर्ण
(सी)	डबल्यु. बी. एम. कार्य, सेन्ट्रल एरिया, प्लाट नं. 1 से 46	35,751-17	अपूर्ण
(डी)	डबल्यु .बी .एम .सड़क कार्य, सेन्ट्रल एरिया, प्लाट नं. 7 से 12	14,491-42	अपूर्ण
(ई)	नाला निर्माण कार्य, प्लाट नं. 1 से 48 सेन्ट्रल एरिया	763-93	पूर्ण
(एफ)	नाली निर्माण कार्य, प्लाट नं. 181 से 185, माली कोलोनी	19,867-42	अपूर्ण
(जी)	नाली निर्माण कार्य, माली कोलो	19,346-64	पूर्ण
		96,503-76	

1	2	3	4
(13)	किशनपोल योजना :		
(ए)	डबल्यु. बी. एम. सड़क व रिटेनिगवाल, किशनपोल से पटेल सर्किल तक	34,887-54	अपूर्ण
(बी)	फूटपाथ निर्माण कार्य, प्लाट नं. 110 से 137 आदि	3,075-59	,,
(सी)	नाली एवं बाउन्ड्री निर्माण कार्य	16,617-14	,,
(डी)	सड़क निर्माण कार्य, प्लाट नं. 109 से 212	11,274-85	,,
(इ)	शेष नाले का निर्माण कार्य	8,635-17	,,
		79,490-29	
(14)	हिरनगरी योजना, से. नं. 14 :		
(ए)	फोरमेशन सड़क निर्माण (आई)	12,430-40	पूर्ण
(बी)	,, (एच)	8,551-20	,,
(सी)	,, (बी)	26,413-56	,,
(डी)	,, (ए)	72,902-00	अपूर्ण
(ई)	,, (बी)	85,557-69	,,
(एफ)	,, (सी)	1,06,898-18	,,
		3,12,753-03	
(15)	स्वरूपसागर-फतहसागर ओ.टी.सी. :		
(ए)	मिट्टी का कार्य, पार्क में मिट्टी भरवाई, ओ. टी. सी. योजना	6,070-35	अपूर्ण
(बी)	डामर का कार्य, ओ.टी.सी. योजना	25,825-00	,,
(सी)	डामर का कार्य, कोमरशियल कोम्पलेक्स	24,145-38	,,
(डी)	डब्ल्यु. बी. एम. सड़क निर्माण कार्य, प्लाट नं. 373, ओ.टी.सी. योजना	15,411-00	,,
(ई)	स्लम क्वार्टर्स के पास, नाली निमाण कार्य	28,009-56	,,
(एफ)	18 दुकानों का निर्माण कार्य, ओ.टी.सी.	35,944-00	,,
(जी)	रिटनिगवाल निर्माण कार्य, प्लाट नं. 768, 765 आदि	11,349-95	,,
(एच)	पार्क निर्माण, रानी रोड विकास	14,349-95	,,
(आई)	18 दुकानों का निर्माण कार्य (पार्ट-ए)	35,172-00	,,
(जे)	ओ.टी.सी. में ग्रीब्स सप्लाई व फिक्सीग का कार्य	2,770-60	,,
(के)	डब्ल्यु. बी. एम. सड़क निर्माण ओ.टी.सी.	2,013-32	,,

1	2	3	4
(एल)	मिट्टी का कार्य, सड़क भरवाई एवं डब्ल्यु. बी. एम-सड़क निर्माण, कोर्मशियल कोम्पलेक्स	3,908-10	अपूर्ण
		2,29,842-83	
(16)	स्वरूपसागर-फतहसागर ओ.टी.सी. योजना :		
(ए)	प्लाट नं. 244 से 64 आदि तक सड़क फोरमेशन का कार्य—	20,266-79	अपूर्ण
(बी)	फोरमेशन कार्य प्लाट नं. 298 से 108, पार्ट-बी	20,084-16	पूर्ण
(सी)	रोड़ निर्माण कार्य, नं. प्लाट आवंटन, पाट-ए	24,038-00	पूर्ण
(डी)	रोड़ निर्माण कार्य, प्लाट नं. 63,61, ओ.टी.सी.	5,809-94	पूर्ण
		70,198-89	
(17)	स्वरूपसागर-फतहसागर, मोती मगरी योजना :		
(ए)	सड़क निर्माण कार्य, प्लाट नं. 45 से 48, मोती मगरी योजना	9,340-97	अपूर्ण
(बी)	डामर के कार्य हेतु मेटेरियल सप्लाई	19,507-00	पूर्ण
(सी)	रिटेनिंगवाल निर्माण, कार्यालय भवन के पीछे	8,809-50	अपूर्ण
		27,657-47	
(18)	सौन्दर्यकरण योजना नगर की	1,02,930-36	
(19)	रोड मेंटीनेन्स कार्य	2,31,596-77	
(20)	पार्क व प्लान्ट्स	6,22,773-30	
(21)	सर्वे एवं डिमार्केशन	6,22,773-30	
(22)	भूमि अवाप्ति	36,800-00	
	कुल टोटल ..	40,13,918-24	

सचिव,
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

431

परिशिष्ट 33

अतारांकित प्रश्न संख्या 585 का विवरण

वर्ष 1982-83 (फरवरी, 1983 तक) में प्रतापगढ़ तहसील के औषधालयों को वितरित की गयी औषधियों का विवरण—

क्र. सं.	स्थान औषधालय		राशि (रुपयों में)
1.	प्रतापगढ़	(आयुर्वेद)	7,362-80
2.	प्रतापगढ़	(यूनानी)	3,762-00
3.	बरड़िया	(आयुर्वेद)	971-80
4.	रठांजना	,,	834-90
5.	गादोला	,,	3,338-85
6.	अमलावद	,,	2,551-40
7.	बसाड़	,,	1,329-65
8.	बरमन्डल	,,	738-90
9.	सैलारपुरा	,,	860-70
10.	असावता	,,	1,115-40
11.	खेरोट	,,	2,717-65
12.	चूपना	,,	1,385-60
13.	ग्यासपुर	,,	603-80
14.	झांझली	,,	1,082-20
15.	कोटड़ी	,,	1,185-25
16.	सुहागपुरा	,,	646-00
17.	सालमगढ़	,,	1,441-40
18.	झासड़ी	,,	1,328-00
19.	बोरदिया	,,	1,580-70
		योग	34,837-40

परिशिष्ट 34

अतारांकित प्रश्न संख्या 586 का विवरण

राजस्थान राज्य खेल परिषद् को वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित अनुदान की सूची—

	-		वर्ष	योजना भिन्न	योजना मद
1.	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	(1)	1981-82	21,71,000/-	7,00,000/-
		(2)	1982-83	25,79,000/-	6,00,000/-
2.	केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान	(1)	1981-82	—	6,27,000/-
		(2)	1982-83	—	3,83,115/-

वर्ष 1981-82 में विभिन्न खेल संघों पर व्यय की गई राशि की सूची

क. सं.	खेल का नाम	राशि
1-	एथलेटिक्स	64,073-15
2-	बैडमिन्टन	15,407-20
3-	बास्केट बाल	38,328-53
4-	महिला क्रिकेट	2,392-50
5-	क्रिकेट	18,461-50
6-	साइक्लिंग	31,885-70
7-	साइकिल पोलो	6,590-80
8-	फुटबाल	5,844-85
9-	जिम्नास्टिक	22,033-10
10-	हॉकी	38,811-40
11-	महिला हाकी	5,597-50
12-	कबड्डी	26,214,00
13-	खो-खो	21,117-50
14-	लॉन टैनिस	4,187-00
15-	साफ्ट बाल	6,367-20
16-	तैराकी	16,619-45
17-	टैबिल टैनिस	23,724-35
18-	वॉलीबाल	54,305-00
19-	कुश्ती	30,143-71
20-	भारोत्तोलन	20,663-50
21-	शरीर सौष्ठव	13,621-35
22-	हैण्डबाल	40,711-07
23-	शतरंज	5,231-03
	योग ..	5,12,349-39

वर्ष 80-81 में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को दिये गये नगद पुरस्कार:-

1	2	3	4
1-	श्री वैद प्रकाश	ग्रामीण प्रति. में तृ. स्थान	50-00
2-	श्री गोपाल सैनी	खुराक भत्ता	300-00
3-	सुश्री श्रद्धा शर्मा	टेबिल टैनिस	100-00
4-	,, संतोष राठौड़	,,	100-00
5-	,, मधु चौहान	,,	100-00
6-	,, नन्दा चौहान	,,	100-00
7-	श्री कमलसिंह	कुश्ती	180-00
8-	श्री वैद प्रकाश	,,	120-00
9-	श्री दरबसिंह	,,	180-00
10-	सुश्री रेखा जैन	एथलेटिक्स	100-00
11-	,, शर्मिला	,,	100-00
12-	श्री रामसिंह	,,	200-00
13-	श्री मोहम्मद खां	घुड़सवारी	200-00
14-	श्री गोपाल सैनी	ऐथलेटिक्स मू. भ.	300-00
15-	श्री बलविन्द्रसिंह	,,	250-00
16-	सुश्री हमीदा बानू	,,	250-00
17-	श्री तारा चन्द	बास्केटबाल, ग्रामीण	250-00
18-	श्री सुशील कुमार	,,	100-00
19-	श्री अमर सिंह	,,	100-00
20-	श्री नवल किशोर	,,	100-00
21-	श्री कृष्ण गोपाल	,,	100-00
22-	श्री दिनेश कुमार	,,	100-00
23-	श्री सुरेन्द्र सिंह	,,	100-00
24-	श्री अजय बल्देवा	,,	100-00
25-	श्री ओम प्रकाश	,,	100-00
26-	श्री सुरेश चन्द्र काबरा	,,	100-00
27-	श्री अजमेर सिंह	बास्केटबाल राष्ट्रीय खिलाड़ी	500-00
28-	श्री हनुमान सिंह	,,	500-00
29-	श्री जे. कान्मन	,,	500-00
30-	श्री जहीर अली	,,	500-00
31-	श्री के. आर. पूनियां	,,	500-00
32-	श्री रमन गुप्ता	,,	500-00
33-	श्री योगेश शर्मा	,,	500-00
34-	श्री हरीमोहन	,,	500-09
35-	श्री राजेन्द्र सिंह	,,	500-00
36-	श्री सरदारसिंह	,,	500-00
37-	श्री जोरावर सिंह	,,	500-00

1	2	3	4
38-	श्री अश्वनी मेहता (बा.बाल)	रा.खिलाड़ी	500-00
39-	श्री खुशीराम	प्रशिक्षक	500-00
40-	श्री राजकुमार	एथलेटिक्स	250-00
41-	श्री गोपाल सैनी	,,	250-00
42-	सुश्री रेखा भार्गव	,,	250-000
43-	श्री राजकुमार	क्रॉसकन्ट्री	100-00
44-	श्री नरेन्द्र चौधरी	भारोत्तोलन	250-00
45-	,, ,,	,,	50-00
46-	श्री स्वरूप सिंह	साइकिलिंग पोलो	150-00
47-	श्री राजवीर सिंह	,,	150-00
48-	श्री हर्ष वर्धन सिंह	,,	150-00
49-	श्री दिगविजय सिंह	,,	150-00
50-	श्री हरीनाथ भार्गव	,,	150-00
51-	श्री अशोक दास	,,	300-00
52-	श्री राजेन्द्र सिंह	,,	300-00
53-	श्री आरिफ खां	,,	300-00
54-	श्री सुनील राना	,,	300-00
55-	श्री दिगविजय सिंह, रोहत	,,	500-00
56-	श्री ,, , पाली	,,	500-00
57-	श्री हर्षवर्धन	,,	500-00
58-	श्री जयसिंह	,,	500-00
59-	श्री तेज प्रताप सिंह	,,	500-00
60-	श्री अशोक दास, क.सा. विजेता	,,	300-00
61-	श्री अरीफ खां	,,	300-00
62-	श्री सुनीत राणा	,,	300-00
63-	श्री राजेन्द्र सिंह	,,	300-00
64-	श्री भरतसिंह	,,	300-00
65-	सुश्री हमीदा बानू 1-9-80 से एशियन खेल, 82-75/- प्रति माह खुराक भत्ता		675-00
66-	श्री गोपाल सैनी खुराक भत्ता 1-2-81 से एशियन गैम्स, 82 तक 500/- प्रति माह		1000-00
67-	सुश्री हमीदा बानो	एवार्ड एथलेटिक्स	250-00
68-	श्री ताराचन्द	मुख्य मंत्री एवार्ड	250-00
69-	श्री बलविन्द्रसिंह	,, ,,	250-00
70-	परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा पहलवानों को वितरण		7200-00
71-	श्री गोविन्दलाल	अ. भा. ग्रा. प्र. बा. बा. प्र. तृतीय स्थान	50-00
72-	श्री मोहन लाल	,,	50-00
73-	श्री तारासिंह	,,	50-00
74-	श्री टींकम चंद	,,	50-00

1	2	3	4
75-	श्री जगदीश प्रसाद	प्र. भा. ग्रा. प्र. बाधा	50-00
76-	श्री मीमाराम	प्र. तृतीय स्थान	50-00
77-	श्री रामलाल सारण	,,	50-00
78-	श्री राजेश कुमार पाठक	,,	50-00
79-	श्री ओम प्रकाश बिश्नोई	,,	50-00
80-	श्री विजयसिंह	,,	50-00
81-	श्री सतीन्द्र सिंह	रा. एथलेटिक्स	100-00
82-	श्री गोपाल सैनी 500 मी.	,,	500-00
83-	श्री ,, ,, 3000 मी.	,,	500-00
84-	श्री राजकुमार 5000 मी.	,,	100-00
85-	श्री राम पाल	,,	150-00
86-	श्री बन्सीसिंह (ऊंची कूद)	,,	100-00
87-	श्री बलवीन्‌ सिंह	,,	100-00
88-	श्री राजकुमार 3000 मी. दौड़	,,	1000-00
89-	श्री हमीदा बानू 400 मी. ,,	,,	150-00
90-	श्री ओम प्रकाश 1500 मी. ,,	,,	300-00
91-	सुश्री रेखा भार्गव 600 मी. ,,	,,	100-00

वर्ष 1981-82 में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को दिये गये नगद पुरस्कार :—

क.सं. 1	नाम 2		नगद पुरस्कार 3	राशि 4
1.	श्री रामपाल, जयपुर		राजस्थान एथलेटिक्स	300.00
2.	श्री सुरेन्द्रसिंह, जयपुर		,,	300.00
3.	श्री कमल, जयपुर		,,	300.00
4.	श्री राजेन्द्रसिंह, जयपुर		,,	50.00
5.	श्री जसबीरसिंह, जयपुर		,,	50.00
6.	श्री रामपुरी, भीलवाड़ा		,,	50.00
7.	श्री वेद प्रकाश, जयपुर		,,	100.00
8.	श्री सुभाष, जयपुर		,,	50.00
9.	श्री अशोक कुमार, जयपुर		,,	300.00
10.	श्री सहदेव, जयपुर		,,	100.00
11.	श्री नरेन्द्रसिंह, जयपुर,	भारोत्तोलन	,,	500.00
12.	सुश्री रेखा भार्गव, जयपुर	एथलेटिक्स	,,	1000.00
13.	श्री राजकुमार, जयपुर	,,	,,	300.00
14.	श्री राजकुमार	,,	,,	250.00
15.	श्री खुशालसिंह, जयपुर	,,	,,	250.00
16.	श्री पी. एल. सैनी, जयपुर	,,	,,	250.00
17.	सुश्री हमीदा बानू, जयपुर	,,	,,	250.00
18.	सुश्री रेखा जैन, जयपुर	,,	,,	250.00
19.	सुश्री नीरु, जयपुर	,,	,,	250.00
20.	श्री गणेश दास ओझा	साईक्लिंग	,,	700.00
21.	श्री गिरीराज रंगा, जयपुर		,,	350.00
22.	श्री बीजलाराम		,,	300.00
23.	श्री राजेन्द्रसिंह		,,	100.00
24.	श्री रानूसिंह		,,	200.00
25.	सुश्री कुसुम भोजक		,,	200.00
26.	सुश्री कल्पना झा		,,	100.00
27.	श्री सुखदेव		,,	50.00
28.	श्री राधेश्याम		,,	200.00
29.	श्री दाऊलाल		,,	100.00
30.	श्री अमरसिंह		,,	100.00
31.	श्री सत्यनारायण		,,	100.00
32.	श्री सत्यनारायण जोशी		,,	100.00
33.	श्री गणेश लाल		,,	100.00
34.	श्री रेखाराम		,,	100.00
35.	श्री गणेशलाल सुथार (बीकानेर)		,,	500.00
36.	श्री दयानन्द	,,	,,	600.00
37.	श्री रेखाराम	,,	,,	600.00
38.	श्री मंगूराम	,,	,,	600.00
39.	श्री सुरेन्द्रकुमार ओझा	,,	,,	500.00

1	2	3	4
40.	श्री अशोक कुमार ओझा	राजस्थान ऐथलेटिक्स	400.00
41.	श्री गिरीराज रंगा	,,	400.00
42.	श्री रामसिंह (जोधपुर)	,,	100.00
43.	श्री राधेश्याम व्यास (बीकानेर)	,,	400.00
44.	श्री रानूसिंह	,,	300.00
45.	श्री सत्यनारायण साईक्लिग	,,	100.00
46.	श्री नरेन्द्र प्रसाद ओझा ,,	,,	100.00
47.	श्री नरेन्द्र प्रसाद चौधरी ,,	,,	300.00
48.	श्री बी. एल. विश्नोई,	कुश्ती के खिलाड़ियों को भुगतान किया	3990.00
49.	श्री गणेश लाल सुथार (बीकानेर)	रा. ए.	500.00
50.	श्री महेश कुमार	,,	500.00
51.	श्री अशोक कुमार	,,	100.00
52.	श्री रामसिंह (बीकानेर)	,,	100.00
53.	श्री नारायण लाल (बीकानेर)	,,	100.00
54.	श्री भवानी शंकर (बीकानेर)	,,	100.00
55.	सुश्री हमीदा बानू एथ. (ए. गेम, 82 कर्नाटक)	,,	200.00
56.	श्री नारायण राव साईक्लिग	,,	100.00
57.	श्री सुभाष चटर्जी, बंगाल	,,	50.00
58.	श्री बी. के. बेनर्जी, बंगाल	,,	50. 00
59.	श्री सुरेश कुमार मिश्रा अर्जुन पुरस्कार	,,	1000.00
60.	श्री पुष्कर कुश्ती	,,	180.00
61.	श्री कैलाश, भरतपुर	,,	120.00
62.	श्री रणवीर, भरतपुर	,,	120.00
63.	श्री गजराजसिंह, भरतपुर, कुश्ती	,,	120.00
64.	श्री सिहरका, भरतपुर	,,	120.00
65.	श्री के. बी. मुराद, क्रिकेट, जयपुर	,,	500.00
66.	श्री सैयद ईफ्तकारहुसैन	,,	500.00
67.	श्री बलराम धाकर कुश्ती	,,	120.00
68.	श्री श्रीगोपाल सैनी, एथ. फील्ड	,,	2000.00
69.	श्री सुरेश कुमार पाण्डे पर्वतारोहण	,,	250.00
70.	श्री देवदत्त पुरोहित ,,	,,	250.00
71.	श्री शुभाग गोस्वामी ,,	,,	250.00
72.	श्री शिवचरण सिंह ,,	,,	250.00
73.	श्री लक्ष्मण स्वरुप एथलेटिक	,,	250.00
74.	श्री राजकुमार ,,	,,	250.00
75.	श्री गंगोत्री भण्डारी हाकी स्वर्ण पद, जापान	,,	1000.00
76.	श्री वर्षा सोनी ,,	,,	1000.00
77.	श्रीमती जानकी देवी धर्मपत्नी ध्यानचन्द	आर्थिक सहायता	2000.00
78.	श्री रमेश कुमार रा. ग्रा. प्र. बास्केटबाल	संयुक्त विजेता	300.00
79.	श्री जाफर अली ,,	,,	300.00
80.	श्री राजेन्द्र कुमार खोसला ,,	,,	300.00

1	2	3	4
81.	श्री मोहनसिंह सैनी, मुक्केबाज, खुराक भत्ता	राजस्थान	1000.00
82.	श्री हाफिज अब्दुल ,,	एथलेटिक्स	500.00
83.	श्री रामपाल पहलवान ,,	,,	1000.00
84.	श्री पुरुषोतम लाल सैनी, एथ. मुख्य मंत्री कोष	,,	500.00
85.	श्री गोपाल सैनी, एथ. कीर्तिमान एवं चयन	,,	2000.00
86.	श्री रेखा जैन ,,	,,	200.00
87.	श्री गोपाल सैनी ,,	,,	250.00
88.	श्री रेखा भार्गव ,,	,,	250.00
89.	श्री राजकुमार ,,	,,	250.00
90.	श्री खुशहाल सिंह ,,	,,	250.00
91.	सुश्री हमीदा बानू एथलीट	,,	250.00
92.	सश्री रेखा जैन ,,	,,	250.00
93.	सुश्री नीरा ,,	,,	250.00
94.	श्री पुरुषोत्तम सैनी ,,	,,	250.00
95.	श्री नरेन्द्र सिंह मारो.	,,	900.00
96.	श्री अर्नेष्ट बैरी ,,	,,	1900.00
97.	श्री नरेन्द्र चौधरी ,,	,,	750.00
98.	सुश्री हमीदा बानू एथलीट	,,	1000-00
99.	सुश्री शर्मिला बोहरा ,,	,,	100-00
100.	सुश्री शारदा ,,	,,	600-00
101.	श्री गोपाल सेनी ,,	,,	250-00
102.	श्री राजकुमार ,,	,,	250-00
103.	श्री रघुवीरसिंह ,,	,,	250-00
104.	श्री खुशहालसिंह चौहान ,,	,,	250-00
105.	श्री लखविन्दरसिंह ,,	,,	250-00
106.	श्री जयपालसिंह ,,	,,	250-00
107.	श्री सबल प्रताप ,,	,,	250-00
108.	श्री मेवालाल ,,	,,	250-00
109.	सुश्री हमीदा बानू ,,	,,	250-00
110.	सुश्री शर्मिला बोहरा ,,	,,	250-00
111.	सुश्री नीरू राठौड ,,	,,	250-00
112.	श्री गिरीज रंगा साइक्लिंग	,,	900-00
113.	श्री शिवराज ,,	,,	1300-00
114.	श्री मदन गोपाल ,,	,,	600-00
115.	श्री रामप्रकाश शर्मा ,,	,,	650-00
116.	श्री राजेन्द्र सिंह ,,	,,	350-00
117.	श्री पृथ्वीसिंह ,,	,,	400-00
118.	श्री किशन लाल ,,	,,	300-00
119.	श्री विनोद पाण्डे ,,	,,	400-00
120.	सुश्री रेणुसिंह ,,	,,	400-00
121.	सुश्री रीतसिंह ,,	,,	450-00

1	2	3	4
122.	सुश्री अल्का वर्मा साइक्लिग	राजस्थान एथलेटिक्स	400-00
123.	श्री द्वारकादास आचार्य	,,	100-00
124	सुश्री कुसुम भोज	,,	200-00
		योग ..	50,970-00

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर

वर्ष 1982-83 में विभिन्न खेलों के खिलाडियों को दिये गये नकद पुरस्कार—

क्र.सं.	नाम	नकद राशि
1	2	3
(1)	श्री रामसिंह	1000-00
(2)	श्री सी.एस. लोढ़ा	1000-00
(3)	श्री रूपनारायण	1000-00
(4)	श्री अशोककुमार	1000-00
(5)	सुश्री रमा पाण्डे	1000-00
(6)	श्री कन्हैयालाल	1000-00
(7)	श्री आर. के. पुरोहित	1000-00
(8)	श्री प्रभाकर राजू	1000-00
(9)	श्री गोपाल राम	1000-00
(10)	श्री अशोक धासोपा	1000-00
(11)	श्री अजयसिंह	1000-00
(12)	श्री एम.के. नामी	1000-00
(13)	श्री हजारीलाल	1000-00
(14)	श्री सुमेर सिंह	1000-00
(15)	श्री राजकुमार (एथेलेटिक्स)	1000-00
(16)	श्री दिलीप भटनागर	1000-00
(17)	श्री आर.के. पुरोहित	1000-00
(18)	श्री राजेन्द्र शर्मा	500-00
(19)	सुश्री हर्मिंदा बानू	500-00
(20)	श्री सरवजीत राम	750-00
(21)	श्री लखनउसिंह	250-00
(22)	सुश्री नीरू राठौड़	250-00
(23)	श्री राजेन्द्र शर्मा	300-00
(24)	श्री हरफूलसिंह	800-00
(25)	सुश्री शारदा	250-00
(26)	श्री दरबारसिंह	150-00
(27)	श्री रतन मल्होत्रा	100-00
(28)	श्री हनुमानसिंह	500-00
(29)	श्री अजमेरसिंह	650-00
(30)	श्री के. आर. पूनिया	650-00
(31)	श्री दिनेश चतुर्वेदी	650-00
(32)	श्री प्रमोद	630-00
(33)	श्री जवाहर कानन	650-00
(34)	श्री प्रतापसिंह	650-00
(35)	श्री जोरावरसिंह	650-00
(36)	श्री सरदारसिंह	650-00
(37)	श्री राजेन्द्रसिंह	650-00
(38)	श्री रवि शर्मा	650-00

1	2	3
(39)	श्री रिपु दमनसिंह	650-00
(40)	श्री राजेन्द्र जाखड़, बास्केटबाल	100-00
(41)	श्री संधानी	100-00
(42)	श्री गणेश टांक	100-00
(43)	श्री अब्दुल गफूर	100-00
(44)	श्री सुरजीतसिंह	100-00
(45)	श्री विजय रेकोसिया	100-00
(46)	श्री अशोक चक्र	100-00
(47)	श्री मूलूरसिंह	100-00
(48)	श्री जमील खान	100-00
(49)	श्री राजकुमार एथलेटिक्स	250-00
(50)	श्री रघुवीरसिंह ,,	250-00
(51)	श्री लक्षवेन्द्रसिंह ,,	250-00
(52)	श्री सबल प्रताप ,,	250-00
(53)	सुश्री हमीदा बानू ,,	250-00
(54)	सुश्री शर्मिला बोहरा ,,	250-00
(55)	सुश्री नीरू राठौड़ ,,	250-00
(56)	सुश्री कल्पना झा, साईक्लिस्ट	100-00
(57)	सुश्री विजय लक्ष्मी ,,	100-00
(58)	सुश्री गान्धरी मिताई ,,	100-00
(59)	सुश्री चन्द्रिका मिताई ,,	100-00
(60)	श्री छोटेलाल ,,	150-00
(61)	श्री किरण नारायण (गोवा पैदल यात्रा)	50-00
(62)	श्री हरी कुमार दुशाद, वृद्ध खिलाड़ी	500-00
(63)	श्री प्रमोद महिड, पर्वतारोहण प्रशिक्षण	250-00
(64)	श्री बी. के. अग्रवाल ,,	250-00
(65)	श्री रामरतन गुर्जर ,,	250-00
(66)	श्री जरीफ खान, साईकिल पोलो	500-00
(67)	श्री दिग्विजयसिंह, पाली ,,	500-00
(68)	श्री हर्षवर्धन ,,	500-00
(69)	श्री दिग्विजयसिंह रोहित, साईकिल पोलो, जोधपुर	500-00
(70)	श्री अशोक दास	500-00
	योग ..	8,020-00